षोडश माला, खंड 31, अंक 25

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018
12 चैत्र, 1940 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 75
Dated 28 अगस्त 2021

(खण्ड 31 में अंक 21 से 29 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : एक सौ पंद्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव
लोक सभा

अनीता बी. पंडा
संयुक्त सचिव

अजीत सिंह यादव
निदेशक

कीर्ति प्रभा
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

मनोज कुमार सिंह
सहायक सम्पादक

© 2018 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[षोडश माला, खंड 31, चौदहवां सत्र, 2018/1940 (शक)]

अंक 25, सोमवार, 02 अप्रैल, 2018/12, चैत्र, 1940 (शक)

विषय — **कॉलम**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 481 1-3

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 482 से 500 3-66

अतारांकित प्रश्न संख्या 5521 से 5750 65-776

सभा पटल पर रखे गए पत्र 776-797

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री जुएल ओराम 798

(दो) (क) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही के बारे में समिति के 229वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

(ख) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 239वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री अलफोन्स कन्ननथनम 798-799

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं 799-802

सदस्य द्वारा निवेदन

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में 802-804

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 805

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 806-814

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 815-816

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 815-818

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री के. एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

श्री कलराज मिश्र

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय, श्रीमती वी. सत्यबामा, श्री पी. आर. सुंदरम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 481 – डॉ. के. गोपाल।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः डॉ. सी गोपालकृष्णन।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री।

संकायों के लिए आरक्षण प्रणाली/सूत्र

*481. @**डॉ. के. गोपालः**
डॉ. सी. गोपालकृष्णनः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में विश्वविद्यालयों में संकायों की नियुक्ति के लिए एक नई आरक्षण प्रणाली/सूत्र दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्तमान में संस्था-वार की जगह विभाग-वार शिक्षकों की आरक्षित रिक्तियों का रोस्टर तैयार करने को कहा है;

(ग) क्या इस कदम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शैक्षिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों सहित आरक्षित श्रेणी के पदों की संख्या में कमी आने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पूरे देश में विश्वविद्यालयों में संकायों की नियुक्ति के लिए नई आरक्षण प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है और यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति का गठन कब तक होने और इसके द्वारा कब तक रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित संकाय पदों के प्रतिशत में कोई नया फार्मूला नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षा के मानकों को बनाये रखने के अधिदेश के साथ, विश्वविद्यालयों, समवत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य सहायता प्राप्त संस्थाओं और केन्द्रों में सरकार की आरक्षण नीति के सख्त कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश, 2006 जारी किये हैं। इन दिशानिर्देशों में, अन्य के साथ-साथ, विश्वविद्यालय/कॉलेज को एक यूनिट मानते हुए रोस्टर तैयार कर शिक्षण पदों को भरने की व्यवस्था की गई है। तथापि, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 7.4.2017 के आदेश के तहत, अन्य के साथ-साथ, यूजीसी दिशानिर्देश, 2006 के संगत खंड 6(ग) और 8(क)(V) को रद्द कर दिया है और इस निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है।

2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति का गठन किया था जिसने यूजीसी दिशानिर्देश, 2006 के खंड 6 (ग) और 8 (क) (v) में संशोधन की सिफारिश की थी। कुछ सिफारिशों के आधार पर, यूजीसी ने विभाग/विषय-वार रोस्टर तैयार करने के लिए उपर्युक्त खंडों में संशोधन किया है।

3. विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, मंत्रालय ने आरक्षित वर्गों के अभ्यावेदन पर नए आरक्षण रोस्टर के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की है। उपर्युक्त समिति की सिफारिशों और विधि और न्याय मंत्रालय के

@डॉ. के. गोपाल और डॉ. सी. गोपालकृष्णन के अनुपस्थित होने के कारण, माननीय अध्यक्ष ने माननीय मंत्री से उत्तर सभा पटल पर रखने को कहा।

परामर्श के आधार पर, माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर करने के मामले में विधि अधिकारी की कानूनी राय मांगी गई थी। उन्होंने यह राय दी है कि भारत संघ और यूजीसी एसएलपी दायर कर सकते हैं। तदनुसार, अपील करने के आधारों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को अधिदेशित करने वाले सांविधानिक प्रावधान जारी रहेंगे।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाइए। प्रश्नकाल चलने दें।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

छात्रों के प्रवेश-पत्र को रोके रखना

*482. **श्री जी. हरिः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड-पूर्व परीक्षा में खराब प्रदर्शन सहित अन्य कारणों से 10वीं और 12वीं के छात्रों के प्रवेश-पत्र को रोक लेने के विरुद्ध विद्यालयों को चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कुछ विद्यालयों द्वारा प्रवेश-पत्र को रोके रखने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): (क) और (ख) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सीबीएसई परीक्षा उप नियम के अनुसार कक्षा X/XII परीक्षा के पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र न रोकने के लिए 23 फरवरी, 2018 को अपने सभी संबद्ध स्कूलों/संस्थाओं के प्रधानाचार्यों/प्रमुखों को एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी को सीबीएसई की वेबसाईट *http://cbse.nic.in/newsite/circulars/2018/advisory23.pdf* पर देखा जा सकता है।

(ग) और (घ) यद्यपि, बोर्ड की ओर से प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं हैं तब भी मेल के साथ-साथ दूरभाष के जरिए बोर्ड के संज्ञान में अभिभावकों के मामले सामने आए हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि उनके बच्चों का प्रवेश पत्र कुछ कारणों जैसे कि प्री-बोर्ड में खराब निष्पादन और स्कूल की बकाया राशि इत्यादि के आधार पर रोका जा रहा है। बोर्ड ने ऐसी घटनाओं का संज्ञान लिया और 23.02.2018 को एडवाइजरी जारी करते हुए इनका समाधान किया गया था।

विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति

*483. **एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकरः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि विभिन्न राज्यों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम अधिनियमित नहीं किया है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति नहीं बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए एकल खिड़की प्रणाली शुरू करने के लिए राज्यों पर जोर नहीं डाला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम प्रस्तावित है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) जी, हां । कुछ राज्यों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियमों को अधिनियमित नहीं किया है और एसईजेड नीति नहीं बनाई है। एसईजेड अधिनियमों को अधिनियमित करने वाले राज्य निम्नलिखित हैं:—

(i) मध्य प्रदेश, 2003;

(ii) पश्चिम बंगाल, 2003;

(iii) गुजरात, 2004;

(iv) तमिलनाडु, 2005;

(v) हरियाणा, 2006; और

(vi) पंजाब, 2009

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित राज्यों ने अपनी एसईजेड नीतियों को बनाया है

(i) महाराष्ट्र, 2001;

(ii) झारखंड, 2003;

(iii) उत्तर प्रदेश, 2007;

(iv) केरल, 2008; और

(v) कनार्टक, 2009

(ग) और (घ) एसईजेड नियम, 2006 के नियम 5 उप नियम 5 (ज) के अनुसार, राज्य सरकार अपने राज्य अधिनियमों और नियमों के तहत प्रस्तावित एसईजेड विकासकर्ताओं और इकाइयों को एकल खिड़की क्लीयरेंस प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करेगी। केंद्रीय सरकार ने एसईजेड विकासकर्ताओं और इकाइयों के लिए राज्य सरकार की मंजूरी समय पर सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी एकल खिडकी तंत्र के क्रियान्वयन की राज्य सरकारों को समय - समय पर सलाह दी है।

स्मारकों को गोद लेना

*484. **श्री रायपति सम्बासिवा रावः** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूरे देश में प्राचीन और विरासत स्थलों के संरक्षण तथा रख-रखाव के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत किसी स्मारक को गोद लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत चार वर्षों के दौरान विरासत स्थलों के संरक्षण तथा रख-रखाव के लिए कितनी राशि आवंटित की गई और व्यय की गई तथा उक्त अवधि के दौरान व्यय नहीं की गई राशि कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्नन्थनम): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के निकट सहयोग से 'विरासत अभिग्रहण परियोजना' आरंभ की है ताकि विभिन्न प्राकृतिक/सांस्कृतिक विरासत स्थलों, स्मारकों तथा अन्य पर्यटक स्थलों को पर्यटक हितैषी बनाने, उनकी पर्यटक क्षमता तथा सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने के लिए पूरे देश में नियोजित तथा चरणबद्ध रूप से विश्व स्तरीय पर्यटक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

यह परियोजना, मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने पर फोकस करती है जिनमें स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधाएं, पेयजल, पर्यटकों हेतु पहुंच की सुगमता, संकेतक आदि तथा आधुनिक सुविधाएं जैसे टीएफसी, स्मृति चिह्न की दुकानें, कैफेटेरिया आदि हैं।

यह परियोजना पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए विरासत स्थलों को निजी क्षेत्र की कम्पनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों तथा व्यक्तियों के साथ समन्वय की परिकल्पना करती है। वे 'स्मारक मित्र' बनेंगे तथा अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों के अंतर्गत अनिवार्यतः स्थलों का अभिग्रहण करेंगे। वे इन सुविधाओं का संचालन और अनुरक्षण की देखभाल करेंगे। इन स्मारकों/विरासत स्थलों के अभिग्रहण में "स्मारक मित्र" गर्व से सहयोगी बनेंगे।

इस परियोजना के अंतर्गत अभी तक 76 स्थलों के लिए 24 अभिकरणों को आशय पत्र जारी किए गए हैं। सूची संलग्न विवरण में दी गई है। अभी तक इस परियोजना के अंतर्गत अभिग्रहण के लिए निम्नलिखित 2 (दो) प्राकृतिक विरासत स्थलों हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं:–

I. गंगोत्री मंदिर क्षेत्र तथा गौमुख मार्ग, उत्तराखंड

II. माउंट स्टॉक कांगड़ी ट्रेक, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर

'विरासत अभिग्रहण' परियोजना हेतु कोई बजट आवंटन नहीं है।

तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए आवंटित निधियां तथा किए गए व्यय के ब्यौरे निम्नवत् है:–

(लाख रुपए में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2013-14	17114.00	16936. 16
2014-15	23572.61	23551.95
2015-16	24392.80	23744.16
2016-17	30375.07	30193.22

विवरण

विरासत परियोजना को गोद लेने के अंतर्गत 24 एजेंसियों को जारी किए गए आशय पत्रों के ब्यौरे

क्र.सं.	एजेंसी		गोद लिए गए स्मारक/विरासत स्थल/पर्यटक स्थल
फेज-I: 14 विरासत स्थलों के लिए 7 एजेंसियां			
1.	ट्रावेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	(i)	सफदरजंग टॉम्ब, दिल्ली

क्र.सं.	एजेंसी		गोद लिए गए स्मारक/विरासत स्थल/पर्यटक स्थल
		(ii)	माट्टनचेरी पैलस म्युजियम, केरल
2.	एसबीआई फाउण्डेशन*	(i)	जंतर मंतर, दिल्ली
3.	नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनी	(i)	पुराना किला, नई दिल्ली
4.	ग्लोबल वैश ऑर्गानाइजेशन	(i)	अग्रसेन की बाउली, नई दिल्ली
5.	एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई)	(i)	गंगोत्री मंदिर परिसर और ट्रेल टू गौमुख, उत्तराखण्ड
		(ii)	माउण्ट स्टॉक कांगरी ट्रेक, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर
6.	टी. के. इंटरनेशनल	(i)	सूर्य मंदिर, कोर्णाक, ओडिशा
		(ii)	राजारानी मंदिर, भुबनेश्वर, ओडिशा
		(iii)	रत्नागिरि मोनुमेंट्स, जजपुर, ओडिशा
7.	यात्रा ऑनलाइन	(i)	हम्पी, कर्नाटक
		(ii)	लेह पैलेस, जम्मू और कश्मीर
		(iii)	कुतुबमीनार, दिल्ली
		(iv)	अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र
फेज-II : 39 विरासत स्थलों के लिए 9 एजेंसियां			
1.	जीएमआर स्पोर्ट्स प्रा.लि.	(i)	लाल किला, दिल्ली
		(ii)	कोटला फिरोजशाह, दिल्ली
		(iii)	रॉक कट हिंदू मंदिर, गुंटूर, आंध्र प्रदेश
		(iv)	उत्तर प्रदेश, आगरा में ताजमहल से लाल किले तक कोरिडोर
		(v)	लाल किला, आगरा, उत्तर प्रदेश
		(vi)	इतिमद-उद-दौला, आगरा, उत्तर प्रदेश
		(vii)	गोलकोंडा किला, तेलंगाना
		(viii)	रामाप्पा मंदिर, पालमपेट, तेलंगाना
		(ix)	खजुराहो के मंदिर, मध्य प्रदेश
2.	दृष्टि लाइफसेविंग प्रा.लि.	(i)	कोलाबा किला, अलीबाग, गोवा
		(ii)	बासिलीका बॉए जिसस, गोवा
		(iii)	से कैथेड्रेल, गोवा
		(iv)	चापेल ऑफ सेंट कैथरीन, गोवा

क्र.सं.	एजेंसी	गोद लिए गए स्मारक/विरासत स्थल/पर्यटक स्थल
		(v) चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस आसिसी, गोवा
		(vi) म्युजियम ऑफ क्रिश्चियन (कान्वेंट ऑफ सेंट मोनिका), गोवा
		(vii) चर्च ऑफ सेंट जॉन ऑफ गोड, गोवा
		(viii) अवर लेडी ऑफ रोजेरी, गोवा
		(ix) चर्च ऑफ सेंट अगस्टाईन रूइन, गोवा
		(x) चर्च ऑफ सेंट कजेटन, गोवा
		(xi) चर्च ऑफ सेंट ऐन, गोवा
		(xii) चर्च ऑफ आवर लेडी माउंट, गोवा
		(xiii) रॉयल चैपल ऑफ सेंट एंथोनी, गोवा
		(xiv) पिल्लर ऑफ फलोगिंग, गोवा
		(xv) अगोडा किला एंड लाइटहाउस, पंजिम, गोवा
		(xvi) मोरजिम बीच, गोवा
		(xvii) चापोरा किला, गोवा
		(xviii) काबो डि राम किला, ओल्ड गोवा
		(xix) जयगढ़ किला, मुम्बई, महाराष्ट्र
		(xx) सेसून डोक्स, मुम्बई, महाराष्ट्र
		(xxi) बेकल किला, केरल
3.	आईटीसी होटल	(i) रॉक कट हिंदू मंदिर, गुंटूर, आंध्र प्रदेश
		(ii) चार मिनार, हैदराबाद, तेलंगाना
4.	डालमिया भारत	(i) लाल किला, दिल्ली
		(ii) कोटला फिरोज शाह, दिल्ली
		(iii) सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा
		(iv) उदयगिरि एवं खण्डागिरी स्थल, भुबनेश्वर, ओडिशा
		(v) गंदीकोटा फोर्ट, कडप्पा, आंध्र प्रदेश
		(vi) गोल गंबज, बीजापुर, कर्नाटक
5.	आर्कर एंड एंजेल	(i) बायो डायवर्सिटी पार्क, दिल्ली
6.	संजय चाबरा	(i) भूली भटियारिन, दिल्ली

क्र.सं.	एजेंसी		गोद लिए गए स्मारक/विरासत स्थल/पर्यटक स्थल
7.	आई लव फाउंडेशन	(i)	जैसलमेर फोर्ट, राजस्थान
8.	महेश इंटरप्राइज एंड इंडिया इंफ्रा	(i)	एलिफेंटा की गुफाएं, मुम्बई
9.	अंतर्राष्ट्रीय ब्लूबेल्र्स स्कूल	(i)	अधम खां का मकबरा, दिल्ली
फेज-III : 23 विरासत स्थलों के लिए 8 एजेंसियां			
1.	यस बैंक	(i)	बोधगया, गया, बिहार
		(ii)	सांची स्तूप और स्मारकों का समूह, भोपाल, मध्य प्रदेश
		(iii)	नालंदा के प्राचीन खण्डर, बिहार
2.	वी रिजोर्ट्स	(i)	आमेर का किला, जयपुर, राजस्थान
		(ii)	नाहरगढ़ का किला, जयपुर, राजस्थान
		(iii)	सूरजकुण्ड, फरीदाबाद, हरियाणा
		(iv)	टीपू महल, बंगलुरू, कर्नाटक
		(v)	कुम्भलगढ़ का किला, कुम्भलगढ़, राजस्थान
3.	आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर	(i)	हुमायूं टॉम्ब कंप्लेक्स, दिल्ली
		(ii)	कुतुबशाही का मकबरा, गोलकोंडा, हैदाराबाद, तेलंगाना
4.	इंटर ग्लोब फाउंडेशन	(i)	लाल किला, दिल्ली
		(ii)	रहीम खान की खान-ए-खाना, दिल्ली
5.	अपीजे पार्क होटल	(i)	जंतर मंतर, दिल्ली
6.	जेटीआई ग्रूप	(i)	काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, असम
		(ii)	रंग घर, सिबसागर, असम
		(iii)	करेंग घर, सिबसागर, असम
		(iv)	शिव दौल, सिबसागर, असम
7.	कैपर ट्रेवल, कम्पनी	(i)	मोठ की मस्जिद, दिल्ली
		(ii)	आजिम खान मकबरा, लाडो सराय, दिल्ली
		(iii)	जमाली कमाली मकबरा एंड मस्जिद, मेहरौली, दिल्ली
		(iv)	राजों की बावली, मेहरौली, दिल्ली
8.	इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ)	(i)	महाबलीपुरम के मंदिर, तमिलनाडु
		(ii)	एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र

*ओ एण्ड वीसी की विजन बिड प्रस्तुत न करने के कारण हटा दिया गया।

शिक्षा के उत्कृष्टता केन्द्र

*485. **श्री पी. के. कुनहलिकुट्टीः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के उत्कृष्टता केन्द्रों के लिए कोई मानदंड और मानक तय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा शिक्षा के उत्कृष्टता केन्द्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार के केन्द्र किस रीति के तहत स्थापित किए गए तथा इनको चलाने की जवाबदेही किन निकायों/प्राधिकरणों की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): (क) से (ग) जी, नहीं। "शैक्षिक उत्कर्षता केंद्र" की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सरकारी संस्थाओं के लिए यूजीसी (सरकारी संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 और निजी संस्थाओं के लिए यूजीसी (प्रतिष्ठित समविश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2017 के रूप में विनियामक ढांचा जारी/अधिसूचित किया है ताकि 10 सरकारी और 10 निजी संस्थाएं विश्वस्तरीय शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं अर्थात "प्रतिष्ठित संस्थाओं" (आईओई) के रूप में उभरने में समर्थ हो सकें।

इस प्रयोजन के लिए गठित अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) द्वारा चुनौती पद्धति के माध्यम से चयन किया जाएगा। ईईसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत 15 वर्षीय कार्यनीतिक दृष्टिकोण के साथ-साथ पंचवर्षीय कार्यान्वयन योजना और साथ ही प्रतिष्ठित संस्था विकसित करने के लिए की गई प्रतिबद्धता में बताए गए अन्य उपायों के आधार पर अपना मूल्यांकन करेगी। ईईसी संस्थाओं के साथ उनके प्रस्तावों का अध्ययन करेगी, उनके अभ्यावेदनों की सुनवाई करेगी और विधिवत जांच करने के बाद इस योजना में समावेशन हेतु उनकी उपयुक्तता के लिए उन्हें रैंक प्रदान करेगी। ईईसी की सिफारिशों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन्हें प्रतिष्ठित संस्थाओं के चयन हेतु सरकार को अग्रेषित करेगी।

प्रतिष्ठित संस्थाओं के चयन हेतु निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र से आवेदन प्राप्त हो गए हैं।

तम्बाकू श्रमिकों का कल्याण

*486. **कुंवर हरिवंश सिंहः**
श्री नारणभाई काछड़ियाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में केवल तम्बाकू/तम्बाकू उत्पादों की खेती, खुदरा बिक्री, विनिर्माण और वितरण में विशेषरूप से लगे लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने तम्बाकू/तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन/खपत को कम करने के लिए कदम उठाया है/उठाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन लोगों को वैकल्पिक आजीविका मुहैया कराती है या कराने का प्रस्ताव है जो पूर्ण रूप से तम्बाकू/तम्बाकू उत्पादों पर ही निर्भर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उन तम्बाकू श्रमिकों के लिए कोई कल्याण योजना क्रियान्वित नहीं की है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) औद्योगिक अनुमानों के अनुसार उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, इंडियन टोबैको इंड्रस्ट्री किसानों, कृषि श्रमिकों, मर्चेंट ट्रेडर्स, प्रोसेसर्स, विनिर्माताओं, थोक व्यापारियों तथा सप्लाई चेन से जुड़े खुदरा व्यापारियों सहित 45.7 मिलियन से भी अधिक लोगों को आजीविका मुहैया कराती है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तम्बाकू की खपत में कमी लाने हेतु तम्बाकू के प्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम से जनमानस को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से तम्बाकू की खपत को हतोत्साहित करने के लिए एक व्यापक विधान नामतः सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन पर निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए, 2003) बनाया है साथ ही, टोबैको बोर्ड अधिनियम, 1975 के अंतर्गत दिए गए अधिदेश स्वरूप टोबैको बोर्ड फ्लू क्योर्ड विर्जिनिया टोबैको के उत्पादन एवं क्यूरिंग को विनियमित करता है। नीति स्वरूप, टोबैको बोर्ड नए उत्पादकों का पंजीकरण नहीं कर रहा है और अतिरिक्त क्यूरिंग अवसंरचना तैयार करने के नए बार्नस निर्माण हेतु कोई लाइसेंस जारी नहीं कर रहा है और न ही नए क्षेत्रों में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन का विस्तार कर रहा है तथा जिससे तम्बाकू का समस्तरीय विस्तार प्रतिबंधित कर रहा है।

(ग) और (घ) टोबैको बोर्ड केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान (सीटीआरआई) के साथ मिलकर तम्बाकू उत्पादन करने वाले किसानों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध करा रहा है जिन पर तम्बाकू की गिरती मांग से आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। एफसीवी टोबैको से हटकर वैकल्पिक फसलों के उत्पादन के लिए शैक्षिक तथा जागरूकता सृजन कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। वैकल्पिक फसलों के बारे में जानकारी का प्रसार करने हेतु विभिन्न वैकल्पिक फसलों की फसल प्रबंधन पद्धतियों से संबंधित एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। उत्पादकों को वैकल्पिक फसलों के लिए अपनी जोत का कम से कम 25-30 प्रतिशत रखने की अपील करते हुए वैकल्पिक फसलों के उत्पादन संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बीड़ी कामगारों तथा उनके आश्रितों को वैकल्पिक कार्यों की तरफ ले जाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है।

(ङ) और (च) मंत्रालय बीड़ी कामगारों तथा उनके आश्रितों के स्वास्थ्य, आवास तथा शिक्षा के लिए विभिन्न कल्याण स्कीमों का क्रियान्वयन कर रहा है। स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बीड़ी कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं

1. स्वास्थ्य योजनाएं:

बीडी कामगारों को देश भर में स्थित 12 अस्पतालों 286 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देख-भाल सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, इन कामगारों को कतिपय श्रेणी की बीमारियों के इलाज के लिए निम्नलिखित सहायता दी जाती है, जो निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	प्रयोजन	सहायता की प्रकृति
1.	क्षय रोग	टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण और कामगारों के लिए अधिवासीय उपचार। उपचार करने वाले चिकित्सक की सलाह अनुसार प्रतिमाह 750/ रुपये से 1000/- रुपये तक का निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है।
2.	हृदय रोग	कामगारों के लिए 1,30,000/- रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
3.	गुर्दा प्रत्यारोपण	कामगारों के लिए 2,00,000/- रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
4.	कैंसर	कामगारों अथवा उनके आश्रितों के उपचार, औषधियों और आहार शुल्कों पर किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति।
5.	हर्निया, अपेंडेक्टोमी, अलसर, स्त्री रोग संबंधी रोग और प्रोस्टेट रोग जैसी माइनर सर्जरी	कामगारों और उनके आश्रितों को 30000/- रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।

2. आवास योजना:

इस मंत्रालय के अधीन श्रम कल्याण संगठन के कल्याण आयुक्तों के माध्यम से देश में बीड़ी कामगारों में लिए संशोधित समेकित आवास योजना (आरआईएचएस), 2016 क्रियान्वित की जा रही है। 1,50,000/- रुपये की आवास सहायिकी 25:60:15 के अनुपात में तीन किश्तों में संवितरित की जाती है।

3. बीड़ी कामगारों के बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता:

योजना	सहायता की प्रकृति			
बीड़ी कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए योजना	प्रति छात्र प्रति वर्ष निम्नलिखित दरों पर कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है:-			
	समूह	कक्षा	दर	
			लड़की	लड़का
	समूह I	कक्षा I से IV	250	250
	समूह II	कक्षा V से VIII	940	500

योजना	सहायता की प्रकृति			
	समूह III	कक्षा IX	1140	700
	समूह IV	कक्षा X	1840	1400
	समूह V	कक्षा XI से XII	2440	2000
		आईटीआई	10000	10000
	समूह VI	गैर-व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम; गैर-व्यावसायिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम; दो-तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और बीसीए, बीबीए और पीजीडीसीए।	3000	3000
	समूह VII	व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम अर्थात, बी.ई./बी.टेक/एमबीबीएस/बीएएमएस/बीयूएमएस/बीएससी (कृषि) और एमसीए/एमबीए।	15000	15000

चैम्पियन सेवा क्षेत्र

*487. **श्री प्रेम दास रायः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 12 चैम्पियन सेवा क्षेत्रों को उनके विकास को बढावा देने तथा संभावनाओं के दोहन के लिए चिह्नित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन क्षेत्रों की पहचान उनकी वृद्धि और विकास के लिए कितनी लाभदायक होगी;

(ग) क्या सरकार का इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कोई अन्य सहायता देने का लक्ष्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) जी हां।

(ख) से (घ) मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में वाणिज्य विभाग के निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमोदित किया हैः—

(i) 12 सेवा क्षेत्रों अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी एवं आईटीईएस), पर्यटन एवं आतिथ्य सेवाओं, चिकित्सा मूल्य यात्रा, परिवहन एवं सभारतंत्रीय सेवाओं, लेखाकरण एवं वित्तीय सेवाओं, श्रृव्य दृश्य सेवाओं, विधिक सेवाओं, संचार सेवाओं, निर्माण और संबद्ध अभियांत्रिकी सेवाओं, पर्यावरणीय सेवाओं, वित्तीय सेवाओं एवं शिक्षा सेवाओं को चैम्पियन सेवा क्षेत्र पहल के अंतर्गत शामिल किया है।

(ii) इन क्षेत्रों से संबंधित नोडल मंत्रालयों को संबंधित पणधारकों और वाणिज्य विभाग के परामर्श से क्रॉस कटिंग मद्दों तथा क्षेत्रीय कार्य योजनाओं को शामिल करते हुए कार्य योजना तैयार करने हेतु निदेश दिया गया है ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवार्य लक्ष्यों एवं परिणामों, कार्यान्वयन हेतु समय-सीमा तथा अन्य संगत तत्वों को शामिल किया जा सके।

(iii) इन क्षेत्रीय कार्य योजनाओं की समय पर त्रैमासिक और नियमित आधार पर मॉनीटरिंग करने के लिए, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में चैम्पियन सेवा क्षेत्रों से संबंधित सचिवों सहित सचिवों की समिति (सीओएस) का गठन करना। वाणिज्य विभाग सीओएस के लिए सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा।

(iv) शीघ्र अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अभिज्ञात चैम्पियन सेवा सेक्टरों की क्षेत्रीय पहलों को सहयोग करने हेतु, संबंधित विभाग, मंत्रालय के स्तर से अधिक निधियों के अनुमोदन और प्रावधान की आवश्यकता होने की स्थिति में, 5000 करोड़ रुपए की एक निर्धारित समर्पित निधि का सृजन करना।

इस पहल का उद्देश्य अभिज्ञात चैम्पियन सेवा सेक्टरों पर अधिक ध्यान देने के लिए सेक्टरीय/क्रास कटिंग कार्य योजनाएं बनाना है ताकि रोजगार सृजन एवं निर्यात बढाने के हित में आवश्यक वित्तीय एवं अन्य सहायता देकर उनका विकास संवर्धन किया जा सके।

राज्य बोर्डों द्वारा बढ़ाकर अंक देना

*488. **श्री ओम बिरलाः**
श्री वी. एलुमलाईः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न राज्य बोर्डों द्वारा बढ़ाकर अंक दिए जाते हैं जिससे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए विभिन्न दाखिला प्रक्रियाओं के संचालन में संस्थाओं को समस्याएं आ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या उपाए किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्य बोर्डों को बढ़ाकर अंक देने की प्रथा को रोकने के लिए तथा छात्रों के बेहतर आकलन के लिए समरूप पाठ्यक्रम पद्धति परीक्षा तथा आंकलन को पूरे देश में अपनाने के लिए कोई तंत्र बनाया है अथवा निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड जैसे राष्ट्रीय बोर्ड, के समान अंकों के आकलन तथा उन्हें एक समान अंक प्रदान करने के लिए किसी प्राधिकरण की स्थापना के लिए भी तैयार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता) ने बढ़ाकर अंक देने से बचने के लिए मॉडरेशन अंक नीति की समीक्षा हेतु दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को राज्य शिक्षा सचिवों और राज्य शिक्षा बोर्डों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अध्यक्ष के साथ एक बैठक की थी। अंकों में उत्तरोत्तर संशोधन/ बढ़ा कर अंक दिए जाने के बारे में सर्वसम्मति से अंक के मॉडरेशन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गएः

(i) केरल बोर्ड को छोड़कर और राज्य के विनियमों में संशोधन के अध्यधीन, यदि आवश्यक हो, सभी राज्य बोर्डो ने चालू वर्ष से अंकों के उत्तरोत्तर संशोधन/बढ़ाकर अंक दिए जाने के लिए मॉडरेशन अंक प्रदान करने को बंद करने का निर्णय लिया है। तथापि केरल बोर्ड ने अगले वर्ष से मॉडरेशन को बंद करने की सूचना दी है।

(ii) सभी राज्य बोर्डों ने उत्तीर्णता प्रतिशत में सुधार करने के लिए कम स्तर के निष्पादन हेतु ग्रेस अंकों की नीति को जारी रखने का निर्णय लिया है परंतु इस नीति को पारदर्शिता हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए। ग्रेस अंकों को मार्कशीट में अलग से दर्शाने का भी निर्णय लिया गया है।

सभी राज्य बोर्डो ने गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मणिपुर बोर्ड के अध्यक्ष और भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् (सीआईएससीई) को शामिल करते हुए एक अंतरबोर्ड कार्य समूह (आईबीडब्ल्यूजी), जिसके संयोजक, अध्यक्ष, सीबीएसई होंगे, गठित करने का निर्णय लिया गया है।

तदंतर मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए अंतर-बोर्ड कार्य समूह की दो बैठकें आयोजित की गईं।

इन दो उच्च स्तरीय बैठकों के परिणामों को देखते हुए सभी स्कूल शिक्षा बोर्डों द्वारा निम्नलिखित के कार्यान्वयन की सिफारिश करने का निर्णय लिया गयाः

(i) प्रश्नपत्र में अस्पष्टता, कठिनाई के स्तर में इंटर-सेट परिवर्तन (यदि बोर्ड में बहु-सेट प्रणाली मौजूद हो) और आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितता के मामलों को छोड़कर मॉडरेशन अंक प्रदान करने की प्रथा को बंद कर दिया जाना चाहिए। अंकों की बंचिंग और उनकी स्पाईकिंग से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए।

(ii) बॉर्डर लाईन मामलों को उत्तीर्ण करने के लिए ग्रेस अंक प्रदान करने की प्रथा को जारी रखा जाना चाहिए। ग्रेस अंकों की नीति को सभी बोर्डों द्वारा अपनी वेबसाइट पर भी दर्शाना चाहिए।

(iii) सभी बोर्डों में शिक्षणेत्तर गतिविधियों का अधिमान समान होना चाहिए। बोर्ड द्वारा शिक्षणेत्तर गतिविधियों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन, उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में जोड़ने के बजाए अलग से दर्शाए जाने चाहिए।

(iv) मॉडरेशन नीति और दिए गए मॉडरेशन की मात्रा, यदि कोई है तो, को सभी बोर्डों द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अपनी वेबसाइटों पर भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

सभी शिक्षा बोर्डों को एक पारदर्शी तरीके से उपरोक्त निर्णय का कार्यान्वयन करने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त निर्णय के कार्यान्वयन से मूल्यांकन की प्रक्रिया में एकरूपता, परिणामों में समानता और अधिगम परिणामों पर जोर देते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी

*489. **डॉ. प्रभास कुमार सिंहः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों को दी जा रही न्यूनतम मजदूरी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कारखानों और कंपनियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैः और

(घ) श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के अंतर्गत 01.10.2017 से 'ग' क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों के लिए कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित न्यनूतम मजदूरी परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित क्रमशः 308/-रुपये तथा 359/-रुपये प्रतिदिन है। तथापि, 01.10.2017 से केन्द्रीय क्षेत्र में लागू मजदूरी की न्यूनतम दरों को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की रेंज संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कामगारों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, समीक्षा करने और संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केंद्रीय क्षेत्र में निर्धारित दरें केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत प्रतिष्ठानों, रेल प्रशासन, खानों, तेल क्षेत्रों, मुख्य पत्तन अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी निगम पर लागू होती हैं। सरकार ने 19.01.2017 को केन्द्रीय क्षेत्र में सभी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मूल दर को संशोधित किया है।

(घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का कार्यान्वयन केन्द्र एवं राज्यों द्वारा अपने-अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन सामान्यतः केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रुप में पदनामित मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। ये अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं तथा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने अथवा कम भुगतान करने के मामलों का पता लगने पर वे नियोक्ताओं को मजदूरी में हुई कमी का भुगतान करने का परामर्श देते हैं। अनुपालन न करने की स्थिति में, चूककर्ता नियोक्ताओं के खिलाफ दाण्डिक उपबंध लगाए जाते हैं।

विवरण-I

केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्रवार दरें

01.10.2017 की स्थिति के अनुसार

अनुसूचित नियोजन का नाम	कामगार की श्रेणी	परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें प्रतिदिन (रुपये में)		
		क्षेत्र-क	क्षेत्र-ख	क्षेत्र-ग
1	2	3	4	5
1. कृषि	अकुशल	341.00	311.00	308.00
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	373.00	343.00	315.00
	कुशल/लिपिकीय	405.00	373.00	342.00
	अतिकुशल	449.00	417.00	373.00
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खान में संलग्न कामगार	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने मेंः			
	(क) मुलायम मिट्टी		360.00	
	(ख) कंकड़ सहित मुलायम मिट्टी		544.00	
	(ग) कंकड़		720.00	

1	2	3	4	5
	2. हटाने एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छांटे गये पत्थरों को जमा करने में:		290.00	
	एक समान आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए			
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच		2224.00	
	(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच से ऊपर		1902.00	
	(ग) 3.0 से 5.0 इंच से ऊपर		1115.00	
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर		915.00	
3. झाडू लगाना एवं सफाई करना	अकुशल	536.00	448.00	359.00
4. पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के	653.00	593.00	506.00
	शस्त्र सहित	710.00	653.00	593.00
5. लादना एवं उतारना	अकुशल	536.00	448.00	359.00
6. निर्माण	अकुशल	536.00	448.00	359.00
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	593.00	506.00	420.00
	कुशल/लिपिकीय	653.00	593.00	506.00
	अति कुशल	710.00	653.00	593.00
7. गैर-कोयला खानें		**भूमि के ऊपर**	**भूमि के नीचे**	
	अकुशल	359.00	448.00	
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	448.00	536.00	
	कुशल/लिपिकीय	536.00	625.00	
	अति कुशल	625.00	700.00	

अनुसूचित नियोजन का नाम	नामावली
1. कृषि	कृषि
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर खानों में संलग्न कामगार	पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में संलग्न कामगार
3. झाडू लगान एवं सफाई करना	हाथ से मल साफ करने और सूखे शौचालय का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत शामिल कार्यों को छोड़कर झाडू लगाने एवं सफाई करने के कार्य संबंधी नियोजन
4. पहरा एवं निगरानी	पहरा-निगरानी संबंधी नियोजन
5. लादना एवं उतारना	लादने एवं उतारने संबंधी कार्य (i) रेलवे के गुडस शेडस, पार्सल कार्यालय (ii) अन्य गुडस-शेडस, गोदामों, वेयर हाउसों आदि और (iii) गोदी एवं पत्तनों में नियोजन

अनुसूचित नियोजन का नाम	नामावली
6. निर्माण	निर्माण अथवा सड़कों का अनुरक्षण अथवा रनवे अथवा भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा विदेशी दूरसंचार से जुड़े तारों को बिछाने एवं अन्य समरूप भूमिगत तार लगाने के कार्य, बिजली की लाइन, जल आपूर्ति की लाइन तथा सिवरेज पाइप लाइनों के कार्य
7. कोयला खानों के अलावा	जिप्समखान, बेराइट्सखान, बाक्साइटखान, मैग्नीज, चीनीमिट्टी, केनाइट, तांबा, क्ले, मैग्नेसाइट, व्हाईटक्ले, पत्थर, स्टीएटाइट खान (खानों में उत्पन्न होने वाले साबुन, पत्थर एवं पाउडर सहित), ऑशर, एसबेसटस, फायरक्ले, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टज, सिलिका, ग्रेफाइट, फेल्सपर, लेटेराइट, डोलोमाइट, रेडआक्साइड, वोल्फ्रेम, लौह-अयस्क, ग्रेनाइट, रॉकफास्फेट, हेमाटाइट, मार्बल एवं कैल्साइट, यूरेनियम, अभ्रक, लिग्नाइट, ग्रेव, स्लेट तया मैग्नेटाइट खान के नियोजन में कार्यरत कर्मचारी।

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र – "क"

अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्प्लेक्स
बेंगलुरु	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुड़गाँव
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा
बृह्त्त मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद
नवी मुंबई		पुणे	(यूए)	

क्षेत्र – "ख"

आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली, धारवाड़	(नगर निगम)	पुदुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-कैंट	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सलेम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगाम	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)

भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवनंतपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयंबटूर	(यूए)	कोझीकोड	(यूए)	तिरुपूर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मालापुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई- विराड़ शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयबाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापट्टनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेड़ वघाला	(नगर निगम)	ग्रेटर विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)	गुंटूर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)

क्षेत्र "ग" में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है।

द्रष्टव्यः यूए शहरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त किया गया है।

विवरण-II

01.03.2018 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों में दैनिक न्यूनतम मजदूरी में श्रेणीवार भिन्नता (अनंतिम)

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	श्रेणियां							
	अकुशल		अर्ध-कुशल		कुशल		अतिकुशल	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
केंद्रीय क्षेत्र (01.10.2017 की स्थिति के अनुसार)	308.00	536.00	315.00	593.00	342.00	653.00	373.00	653.00
आंध्र प्रदेश (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार)	69.27	-	-	-	-	-	-	895.83
अरुणाचल प्रदेश (01.01.2015 की स्थिति के अनुसार)	150.00	170.00	160.00	180.00	170.00	190.00	-	-
असम (31.12.2017 की स्थिति के अनुसार)	244.56	-	285.32	-	356.65	-	458.55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार (01.01.2015 की स्थिति के अनुसार)	181.00	197.00	188.00	206.00	232.00	251.00	282.00	308.00
छत्तीसगढ़ (01.10.2017 की स्थिति के अनुसार)	234.00	325.00	249.95	350.00	242.79	380.00	338.00	410.00
गोवा (30.11.2017 की स्थिति के अनुसार)	307.00	465.00	321.00	465.00	386.00	465.00	418.00	465.00
गुजरात (01.01.2015 की स्थिति के अनुसार)	178.00	276.00	276.00	284.00	284.00	293.00	-	-
हरियाणा (01.01.2017 की स्थिति के अनुसार)	318.46	-	334.39	351.11	368.66	387.10	406.45	-
हिमाचल प्रदेश (01.04.2017 की स्थिति के अनुसार)	184.87	210.00	199.12	227.00	228.37	254.17	242.40	314.50
जम्मू और कश्मीर (01.11.2017 की स्थिति के अनुसार)	225.00	-	350.00	-	400.00	-	-	-
झारखंड (01.04.2017 की स्थिति के अनुसार)	229.90	-	240.85	-	317.49	-	366.75	-
कर्नाटक (13.12.2017 की स्थिति के अनुसार)	258.80	-	-	-	-	-	-	592.14
केरल (31.12.2016 की स्थिति के अनुसार)	287	510	289.70	498.00	278.60	533	284.60	556.00
मध्य प्रदेश (01.10.2017 की स्थिति के अनुसार)	200.00	274.00	266.00	360.00	312.00	408.00	355.00	410.00
महाराष्ट्र (01.01.2015 की स्थिति के अनुसार)	180.00	315.49	-	-	-	-	-	-
मेघालय (01.04.2017 की स्थिति के अनुसार)	189.00	-	201.00	-	212.00	-	235.00	-
मणिपुर (01.01.2015 की स्थिति के अनुसार)	122.10	122.10	129.97	129.97	132.60	132.60	-	-
मिजोरम (01.04.2016 की स्थिति के अनुसार)	270.00	-	300.00	-	370.00	-	460.00	-
नागालैंड (15.06.2012 की स्थिति के अनुसार)	115.00	-	125.00	-	135.00	-	145.00	-
ओडिशा (01.03.2017 की स्थिति के अनुसार)	200.00	-	220.00	-	240.00	-	260.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब (01.10.2017 की स्थिति के अनुसार)	293.62	293.62	323.62	323.62	358.12	358.12	397.82	397.82
राजस्थान (01.01.2017 की स्थिति के अनुसार)	207.00	-	217.00	-	227.00	-	277.00	-
सिक्किम (01.07.2017 की स्थिति के अनुसार)	300.00	-	320.00	-	335.00	-	365.00	-
तमिलनाडु (31.08.2017 की स्थिति के अनुसार)	182.73	-	-	-	-	-	-	505.10
त्रिपुरा (01.01.2015 की स्थिति के अनुसार)	179.96	359.00	197.42	389.00	220.76	419.00	325.00	630.84
उत्तराखंड (01.01.2015 की स्थिति के अनुसार)	200.00	272.12	231.54	291.54	235.31	310.96	249.23	356.35
उत्तर प्रदेश (01.04.2017 की स्थिति के अनुसार)	228.07	284.63	260.65	313.10	310.78	350.72	324.90	-
पश्चिम बंगाल (01.01.2015 की स्थिति के अनुसार)	211.00	278.00	232.00	306.00	255.00	337.00	370.00	-
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (01.01.2018 की स्थिति के अनुसार)	437.00	-	494.00	-	579.00	-	637.00	-
चंडीगढ़ (01.10.2017 की स्थिति के अनुसार)	350.00	-	356.00	359.00	367.00	376.00	391.00	-
दादरा और नगर हवेली (01.04.2016 की स्थिति के अनुसार)	277.70	-	285.70	-	293.70	-	-	-
दमन और दीव (01.04.2017 की स्थिति के अनुसार)	287.50	-	295.50	-	303.50	-	-	-
दिल्ली (01.04.2017 की स्थिति के अनुसार)	522.00	-	575.00	-	633.00	-	-	-
लक्षद्वीप (10.01.2017 की स्थिति के अनुसार)	267.20	-	292.20	-	317.20	-	342.20	-
पुदुचेरी (01.01.2015 की स्थिति के अनुसार)	55.00	255.00	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना (01.04.2015 की स्थिति के अनुसार)	69.27	-	-	-	-	-	-	380.48

*असम तथा पश्चिम बंगाल के अकुशल कामगारों की दरों में चाय बगीचा कामगार शामिल नहीं हैं।

[हिन्दी]

ईको सर्किट परियोजनाएं

*490. **श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ईको सर्किट स्थापित करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है तथा इसे किस तिथि से क्रियान्वित किया गया है;

(ख) राजस्थान सहित देश में ईको-सर्किट के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित परियोजनाओं के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को राजस्थान की ओर से सीता माता अभ्यारण्य को उक्त परियोजना में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) और (ख) देश में थीम आधारित पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय ने सतत एवं समग्र तरीके से पर्यटक आकर्षणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना प्रारंभ की है। योजना के अंतर्गत विकास के लिए पहचाने गए पन्द्रह थीमैटिक परिपथों में से एक ईको परिपथ है।

उपरोक्त योजना के ईको परिपथ थीम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/स्वीकृत वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1.	उत्तराखंड (2015-16)	नए गंतव्य के रूप में उत्तराखण्ड, जिला टिहरी में टिहरी झील और आसपास के विकास के लिए इको-पर्यटन, रोमांचकारी क्रीड़ा, पर्यटन से जुड़ी अवसंरचना का एकीकृत विकास	80.37
2.	तेलंगाना (2015-16)	तेलंगाना के महबूबनगर जिला में ईको पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	91.62
3.	केरल (2015-16)	केरल के इडुकी और पथानमथिट्टा जिलों में पाथानामथिट्टा-गावी- वागमोन-थेक्काड़ी का ईको पर्यटन परिपथ के रूप में विकास	90.06
4.	मिजोरम (2016-17)	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ थीम के तहत "इको-रोमांचकारी परिपथ आइजवाल-रॉपुइछिप-खॉहफॉव-लेंगपुइ-डर्टलॉग-चतलांग-सकव्रवमुईट्वेटलॉग-मुथी-बेराटलॉग-तुइरियाल एयर फील्ड-मुईफॉग" का विकास	99.07
5.	मध्य प्रदेश (2017-18)	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ थीम के तहत गांधीसागर बांध-मण्डलेश्वकर बांध-ओंकारेश्वर बांध-इन्दिरा सागर बांध-तवा बांध-बारगी बांध-भेड़ा घाट-बनसागर बांध-केन नदी का विकास।	99.62

(ग) राजस्थान सरकार ने जनवरी, 2018 में स्वदेश दर्शन योजना की ईको परिपथ थीम के अंतर्गत सरिस्का (अलवर) - कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य (करौली) - कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य एवं रौली ताड़गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य (राजसमंद) - माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य (सिरोही) - जालना सफारी पार्क (जयपुर) - सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य (प्रतापगढ़) के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(घ) सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य में उपरोक्त प्रस्ताव के प्रमुख घटकों में 4.30 करोड़ रुपए की लागत से प्रवेश द्वार, कैम्पिंग स्थल, शौचालय ब्लॉक, नौका सुविधाएं, पर्यटक सुविधा केंद्र, व्यूपॉइंट, पार्किंग, पहुंच मार्ग/पर्यटक सफारी तथा संकेतक शामिल हैं।

योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत करना एक सतत प्रक्रिया है और परियोजनाएं निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा पूर्व में निर्मुक्त निधियों की उपयोगिता की शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं। उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर मंत्रालय परियोजना का मूल्यांकन करेगा।

भवन और अन्य निर्माण कार्य श्रमिक

*491. **श्री कपिल भोरेश्वर पाटीलः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में भवन तथा अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के बहुत कम प्रतिशत ने ही अपने आपको कल्याण बोर्डों में पंजीकृत कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से संबंधित कानून में सरकार ने बड़े संशोधन किए हैं जिससे कि अधिकतम श्रमिकों को लाभ दिया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त संशोधनों से संगत अधिनियमों के केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा शीघ्रता से क्रियान्वयन किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुमानों (2011-12) के अनुसार, देश में लगभग 5.02 करोड भवन एवं सन्निर्माण कामगार हैं।

(ख) और (ग) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत अपने राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डो द्वारा पंजीकृत किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2017 तक पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों की अनुमानित संख्या 2,86,15,785 है।

(घ) और (ङ) अधिनियम के उद्देश्यों को साधने के लिए इसके उपबंधों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम के कल्याण संबंधी उपबंध व्यापक हैं तथा इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने अन्य उपायों के साथ-साथ सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में एक मॉनीटरिंग समिति गठित की है। यह समिति सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव/श्रम आयुक्त के साथ नियमित बैठकें करती है ताकि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों में कल्याण योजनाओं की कवरेज अधिकाधिक की जा सके। मॉनीटरिंग समिति की 2015 में इसके गठन से लेकर अब तक 08 बैठकें हो चुकी हैं

[अनुवाद]

भारतीय कलाकारों को यात्रा अनुदान

*492. **श्री एम. चन्द्राकाशीः** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में आयोजनों हेतु भारतीय कलाकारों को यात्रा अनुदान देने के लिए कोई योजना शुरू की है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस निमित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पर्याप्त राशि आवंटित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कला/कलाकारों के चयन हेतु अपनाई गई/अपनाई जाने के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया/मानदंड क्या हैं तथा इस उद्देश्य के लिए कलाकारों, क्षेत्रीय अभ्यावेदनों आदि की संख्या कितनी है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने वाले भारतीय कलाकारों को यात्रा अनुदान प्रदान करने हेतु स्कीम समीक्षाधीन है।

प्रस्तावित स्कीम के लिए 1.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

[हिन्दी]

उद्योगों के बंद होने के कारण रोजगार का खत्म होना

*493. **श्री रामचरण बोहराः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में उद्योगों/कारखानों के बंद हो जाने के कारण बड़ी संख्या में मजदूर/श्रमिक प्रभावित हुए हैं या बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बंद हुए उद्योगों/कारखानों तथा इससे प्रभावित हुए श्रमिकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ऐसे श्रमिकों को अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है/देने का प्रस्ताव है जिससे उन्हें स्व-रोजगार शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में औद्योगिक यूनिटों की बंदी के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) श्रम ब्यूरो को हड़तालों, तालाबंदियों और घेराव द्वारा तालाबंदियों के रूप में केवल उन अस्थायी काम-बंदियों के संबंध में सूचना प्राप्त होती है जिनमें प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष रूप से 10 या इससे अधिक कामगार संलिप्त हों। श्रम ब्यूरो में 21 मार्च, 2018 तक प्राप्त विवरणियों/स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ष 2015 से 2017 तक की बंदी संबंधी राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार वीआरएस/वीएसएस के अंतर्गत अलग हुए अथवा सीपीएसई की बंदी/पुनर्गठन के कारण छंटनी किए गए कर्मचारियों (या आश्रितजनों) को स्व/मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनःतैनाती(सीआरआर) योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना का लक्ष्य लाभार्थियों को स्व/मजदूरी रोजगार हेतु तैयार करने के लिए अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना है। सीआरआर योजना, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

2017 के दौरान स्थायी बंदियों और उनसे प्रभावित कामगारों की राज्यवार संख्या (अनंतिम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाईयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
1	2	3
2017 (अनंतिम)		
असम	1	109
हरियाणा	1	145
मध्य प्रदेश	-	-
	1	547
ओडिशा	-	-
	1	429
त्रिपुरा	5	29
उत्तर प्रदेश	4	234
कुल		
1	2	3
राज्य क्षेत्र	11	517
केंद्रीय क्षेत्र	2	976
कुल योग	13	1493
2016 (अनंतिम)		
हिमाचल प्रदेश	2	67
त्रिपुरा	14	566
उत्तर प्रदेश	6	345
कुल		
राज्य क्षेत्र	22	978
केंद्रीय क्षेत्र	(-)	(-)
कुल योग	22	978
2015 (अनंतिम)		
आंध्र प्रदेश	1	260
छत्तीसगढ़	-	-
	1	153
गोवा	2	44
हिमाचल प्रदेश	1	90
कर्नाटक	1	96
महाराष्ट्र	-	-
	1	12
ओडिशा	1	36
त्रिपुरा	9	687
उत्तर प्रदेश	4	118
कुल		
राज्य क्षेत्र	19	1331
केंद्रीय क्षेत्र	2	165
कुल योग	21	1496

नोट: 1. यह विवरण ब्यूरो में 21.03.2018 तक प्राप्त विवरणी/सूचना पर आधारित है।

2. शेष राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के संबंध में सूचना 'शून्य' या 'रिपोर्ट न की गई' है।

3. कोष्ठकों में दी गई सूचना केन्द्रीय क्षेत्र से संबंधित है।

'-' = शून्य।

स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला

[अनुवाद]

रात्रि पर्यटन

*494. **श्री रामचरित्र निषादः** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार रात्रि पर्यटन पर ध्यान केन्द्रित कर रही है/करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय देश के विविध पर्यटक आकर्षणों का संवर्धन करता है जिनमें संध्या काल उपलब्ध अनुभव व्यापक रूप से शामिल है यथा संध्या कालीन क्रूज, स्मारकों का प्रकाशीकरण, ध्वनि एवं प्रकाश शो, संध्या आरती, रात्रि बाजार, मेले आदि व्यापक रूप से शामिल हैं।

मंत्रालय अपनी थीम आधारित पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास-स्वदेश दर्शन तथा तीर्थस्थल जीर्णोद्धार तथा आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन-प्रशाद योजनाओं के अंतर्गत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय अभिकरणों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जिन कारकों के अंतर्गत वित्त पोषण प्रदान किया जाता है उनमें अन्यों के साथ-साथ स्मारकों का प्रकाशीकरण, विरासत मार्गों का प्रकाशीकरण ध्वनि एवं प्रकाश शो तथा लेजर शो, सड़कों का प्रकाशीकरण, हाई मास्ट लाइटें, एम्फीथियेटर्स, पर्यटक ग्राम शामिल हैं, जिनसे सूर्यास्त के बाद इन गंतव्यों में पर्यटन संवर्धन में सहायता मिलेगी।

नया घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश

*495. **श्री संजय धोत्रेः**
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में उर्वरक और विद्युत क्षेत्र सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गैस की मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण उक्त क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता और प्रमुख कम्पनियों की लाभ प्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो कम्पनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार के संज्ञान में कम्पनियों द्वारा नया घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश-2014 का इसकी शुरुआत से ही उल्लंघन के मामले आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कम्पनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) गैस की मांग घरेलू गैस और आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति के जरिए पूरी की जा रही है। एलएनजी का आयात क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच पारस्परिक रूप से तय की गई शर्तों पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत किया जाता है। देश में पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक गैस की खपत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उद्योगों की लाभप्रदता, मांग के अनुसार प्राप्त होने वाली गैस की उपलब्धता सहित विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2014 को 'नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश, 2014' अधिसूचित किए हैं। यह मूल्य निर्धारण व्यवस्था सूत्र आधारित है और इसे हेनरी हब (यूएसए), नेशनल बेलेंसिंग प्वाइंट (यूके), अलबर्टा (कनाडा) और रूस जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मात्रा तथा प्रचलित मूल्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस सूत्र को उत्पादन और खपत करने वाले क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया है और इसमें उनके हितों के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक 6 माह के बाद मूल्य संशोधित किए जाते हैं।

विभिन्न प्रचालकों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सरकार ने गहरे समुद्री, अत्यधिक गहरे समुद्री तथा उच्च दाब-उच्च तापक्रम वाले क्षेत्रों में की गई खोजों से उत्पादित गैस से संबंधित अधिकतम मूल्य सीमा सहित विपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी प्रदान करने के लिए मार्च, 2016 में एक नीति को अधिसूचित किया है। सरकार ने खोजे गए लघु क्षेत्र नीति, 2015 और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के तहत उत्पादित किए जाने वाले कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए भी विपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी दी है। उथले समुद्री अथवा जमीनी ब्लॉकों

की तुलना में गहरे/अत्यधिक गहरे समुद्री ब्लॉकों में अन्वेषण और उत्पादन की लागत आम तौर पर अधिक होती है। सरकार ने कोल बेड मिथेन (सीबीएम) से उत्पादित गैस के लिए भी मूल्य निर्धारण और विपणन की आजादी को प्रदान की है।

विवरण

देश में प्राकृतिक गैस की खपत

(आंकड़े एमएमएससीएमडी में)

वर्ष	घरेलू गैस	एलएनजी	गैस की कुल खपत
2014-15	73.97	42.85	116.78
2015-16	68.38	62.18	130.56
2016-17	69.14	69.98	139.12
चालू वर्ष (दिसंबर, 2017 तक)	71.29	72.30	143.58

असुरक्षित रोजगार

*496. **डॉ. शशि थरूरः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हाल की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसमें अनुमान लगाया गया है कि 2019 तक भारत में भारत की क्रियाशील श्रमिक बल का 77 प्रतिशत से अधिक असुरक्षित रोजगार की श्रेणी में होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गुणवंत्तापूर्ण रोजगार सृजन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की रिपोर्ट "विश्व रोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोण प्रवृत्तियां-2018" में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि 77% भारतीय कामगारों के पास 2019 तक असुरक्षित रोजगार होगा। तथापि, रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा प्रक्षेपित है कि दक्षिण एशिया, जिसमें भारत शामिल है, में असुरक्षित रोजगार की संख्या में 2017 में 498.7 मिलियन से 2018 में 505.7 मिलियन और 2019 में 512.6 मिलियन की वृद्धि होना अपेक्षित है। इसी समय, असुरक्षित रोजगार की दर 2017 में 72.1% और 2018 में 72% तथा 2019 में 71.9% रहना अपेक्षित है।

2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 में श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित रोजगार-बेरोजगारी संबंधी श्रम बल सर्वेक्षणों के विगत चार उपलब्ध परिणामों के अनुसार, सामान्य प्रमुख स्थिति (यूपीएस) तथा सामान्य प्रमुख एवं सहायक स्थिति (यूपीएसएस) (पीएस + एसएस) दृष्टिकोण के आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार जनसंख्या दर (डब्ल्यूपीआर) तथा बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः-

(प्रतिशत में)

सर्वेक्षण/रिपोर्ट	श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)		कामगार जनसंख्या दर (डब्ल्यूपीआर)		बेरोजगारी दर (यूआर)	
	यूपीएस	यूपीएसएस	यूपीएस	यूपीएसएस	यूपीएस	यूपीएसएस
द्वितीय (2011-12)	52.9	55.4	50.8	53.6	3.8	3.3
तृतीय (2012-13)	50.9	53.1	48.5	51.0	4.7	4.0
चतुर्थ (2013-14)	52.5	55.6	49.9	53.7	4.9	3.4
पंचम (2015-16)	50.3	52.4	47.8	50.5	5.0	3.7

स्रोतः श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु विभिन्न उपाय किए हैं - जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार

सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित किए गए रोजगार के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

सृजित किए गए रोजगार

योजनाएं/वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	357502	323362	407840	231296 (22.01.2018)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव दिवस (मानव दिवस लाखों में)	16,629	23,521	23577	20671 (01.03.2018)
डीडीयूजीकेवाई प्रशिक्षण के बाद रोजगार में-नियोजितअभ्यर्थी (व्यक्तियों की संख्या)	54196	134744	84900	69471 (जन., 2018)
कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों को दिया गया नियोजन डीएवाईएनयूएलएम (व्यक्तियों की संख्या)	63115	33664	151901	83333 (जन., 2018)

इसके अतिरिक्त, स्व-रोजगार को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा एवं स्टार्ट अप्स योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने हेतु लगभग 22 मंत्रालय/विभाग विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चला रहे हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल सम्मिलित है जो गतिशील, दक्ष एवं प्रतिक्रियाशील ढंग से रोजगार के मिलान हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें कैरियर संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2016-17 में प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना नामक एक योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत नियोक्ताओं को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जहाँ नए कर्मचारियों को दिए जाने वाले नियोक्ताओं के 8.33% ईपीएस अंशदान का भुगतान सरकार करेगी। वस्त्र (परिधान एवं तैयार वस्त्र) क्षेत्र में, सरकार 8.33% ईपीएस अंशदान के भुगतान के अतिरिक्त, नियोक्ताओं के 3.67% ईपीएफ अंशदान का भुगतान भी करेगी।

अपिव/अजा/अजजा के लिए शुल्क में छूट

*497. **श्री आर. ध्रुवनारायणः**
डॉ. संजय जायसवालः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उसके द्वारा वित्तपोषित डीम्ड विश्वविद्यालय, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज (टीआईएसएस) में अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के शुल्क में छूट को वापस लेने के विरुद्ध चल रहे संघर्ष का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत टीआईएसएस को वितरित राशि का परिसर-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संस्थान को दी गई राशि में कथित तौर पर भारी कटौती के संबंध में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): (क) और (ख) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज (टीआईएसएस), मुंबई में चल रहे संघर्ष को देखते हुए, सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) प्रतिनिधियों, कार्यपालक निदेशक टीआईएसएस, शिक्षण समुदाय और छात्र प्रतिनिधियों की एक समिति, इस संस्था की वित्तीय व्यवहार्यता और साथ ही उन मामलों

जैसे आंतरिक राजस्व का सदुपयोग करने,, छात्रों को वर्तमान में दी जा रही छूटों की जांच करने के लिए गठित की है। टीआईएसएस ने सूचित किया है कि भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र एससी/एसटी छात्रों को पाठ्यक्रम शुल्क, भोजन कक्ष और छात्रावास प्रभारों के लिए दी जा रही वर्तमान छूट जारी रहेगी।

(ग) और (घ) विगत पांच वर्षों में टीआईएसएस को जारी राशियों का ब्यौरा निम्नवत हैः-

(लाख रुपये में)

वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल
2012-13	351.12	5602.24	5953.36
2013-14	8708.00*	4447.22	13155.22
2014-15	70.00	5544.00	5614.00
2015-16	1217.16	4302.75	5519.91
2016-17	450.00	6171.00	6621.00

*इसमें यहां भी एनईआर योजना बजट के लिए गुवाहाटी परिसर में भवन निर्माण हेतु 8065.00 लाख रुपये का विशेष अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त, टीआईएसएस को विगत पांच वर्षों में विश्वविद्यालयों में सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति के अध्ययन हेतु केन्द्रों की स्थापना के लिए 94.07 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा

*498. **श्री सी. महेंद्रनः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निजी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा में शिक्षा, अनुसंधान और गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मौजूद तंत्र क्या है;

(ख) क्या सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान विनियामक तंत्र की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न हो रही चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): (क) प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों द्वारा की जाती है। प्राइवेट विश्वविद्यालयों का नियंत्रण यूजीसी (प्राइवेट विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा किया जाता है। यह विनियम शिक्षा गुणवत्ता पर पर्याप्त बल देने सहित छात्र समुदाय के हितों की संरक्षा और उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए यूजीसी द्वारा अधिसूचित किए गए थे। इन विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से, यूजीसी संबंधित क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और संबंधित सांविधिक परिषद (दों) के नामितों की विशेषज्ञ समिति की सहायता से प्रत्येक प्राइवेट विश्वविद्यालय की आवधिक समीक्षा करता है। यदि समिति को कोई कमी दिखाई पड़ती हैं, तब संबंधित विश्वविद्यालय से उन कमियों को दूर करने के लिए कहा जाता है।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) से अनुरोध किया है कि वे एक कार्य समूह का गठन करें जो प्राइवेट विश्वविद्यालयों के विभिन्न अधिनियमों का अध्ययन करें ताकि इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों को प्रदत्त स्वायत्ता के संदर्भ में विशेष रूप से इन अधिनियमों की विशिष्ट विशेषताओं का पता चल सके। इसने प्राइवेट विश्वविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जा रहे शुल्क विनियमन का अध्ययन करने का भी अनुरोध किया है। एनआईईपीए ने आगे अनुरोध किया है कि उक्त अध्ययन के लिए कार्य समूह में यूजीसी, एआईसीटीई के प्रतिनिधि और दो विधि विशेषज्ञों को शामिल किया जाए।

(घ) उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से यूजीसी ने निम्नलिखित पहलें की हैंः-

(i) यूजीसी (ग्रेडेड स्वायतता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का वर्गीकरण) विनियम, 2018 को उत्कृष्टता प्रोत्साहित और स्थापित करने के तौर पर उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को स्वायत्ता प्रदान करने हेतु अधिसूचित किया गया है।

(ii) यूजीसी (समविश्वविद्यालय उत्कृष्टता संस्थाएं) विनियम, 2017 को सम विश्वविद्यालयों की एक विशिष्ट श्रेणी नामतः समविश्वविद्यालय उत्कृष्टता संस्थाएं सृजित करने के लिए अधिसूचित किया गया है, जिसे अन्य सम विश्वविद्यालयों से विभिन्न तरह से विनियमित किया जाएगा जिससे कि उन्हें यथोचित समयाविधि में विश्वस्तरीय संस्थाओं में विकसित किया जा सके। इन संस्थानों को 'उत्कृष्ट संस्थाएं' कहा जाएगा।

(iii) यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017

को हाल ही में जून, 2017 में उच्च शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ पद्धति के माध्यम से निगरानी के लिए उपयुक्त विनियमों की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया गया है।

(iv) यूजीसी ने कॉलेजों को सुविधा प्रदान करने और एक कॉलेज को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया और उसे अधिक तत्पर बनाने के लिए यूजीसी (कॉलेजों को स्वायत्ता दर्जा प्रदान करने और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय) विनियम, 2018 तैयार किए हैं। इन विनियमों को कॉलेजों को शैक्षिक उत्कृष्टता की दिशा में अतिरिक्त गुणात्मक सुधार हासिल करने के लिए सुविधा देने हेतु कार्यान्वित किया गया है।

[अनुवाद]

गैस पाइप लाइन नेटवर्क

*499. **श्री रामा किशोर सिंहः**
श्री सुशील कुमार सिंहः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश के महानगरों तथा जिला मुख्यालयों में विशेषकर नई दिल्ली के द्वारका क्षेत्र और महावीर एन्क्लेव तथा बिहार के वैशाली जिले में गैस पाइप लाइन परियोजना संस्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गैस पाइप लाइन द्वारा कवर किए गए कस्बों, महानगरों और जिलों की संख्या कितनी है तथा इस संबंध में संस्वीकृत/आवंटित राशि क्या है तथा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान परियोजना/क्षेत्र-वार इन पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) पूरे देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार गैस पाइप लाइनों की कुल लंबाई कितनी है तथा इन पाइप लाइनों की प्रचालनकर्ता कंपनियों/इकाइयों की संरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई परियोजनाएं शुरू करने या गैस पाइप लाइनों की लंबाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संस्वीकृत राशि तथा निर्धारित की गई समय सीमा का परियोजना/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान लंबित, चालू और पूर्ण हुई परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान)ः (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2007 में पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की स्थापना की है जो भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में पाइपलाइनों तथा नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास हेतु प्राधिकार करने के लिए प्राधिकरण है। पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 और उनके तहत अधिसूचित विनियमनों के अनुसार पीएनजीआरबी गैस की उपलब्धता तथा तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर कंपनियों को नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए प्राधिकृत करता है। महानगरों और जिला मुख्यालयों सहित सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। पीएनजीआरबी ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी), जिसमें नई दिल्ली के द्वारका और महावीर एनक्लेव क्षेत्र भी शामिल है, में सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु इंद्रप्रस्थ गैस लि. (आईजीएल) को प्राधिकृत किया है। इसके अलावा, आज की तारीख तक बिहार के वैशाली जिले में सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु किसी सीजीडी कंपनी को प्राधिकृत नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) देश में मौजूदा गैस पाइपलाइनों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

पूर्वी भारत की "प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा" के नाम से प्रसिद्ध 2539 कि.मी.लंबी जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) परियोजना के विकास के लिए सरकार ने गेल को 5176 करोड़ रुपए का पूंजी अनुदान (12,940 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी लागत का 40 प्रतिशत) प्रदान करने का निर्णय लिया है। गेल को जेएचबीडीपीएल परियोजना, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी, के अभिन्न भाग के रूप में बरौनी (बिहार)-गुवाहाटी (असम) पाइपलाइन विकसित करने का कार्य भी सौंपा गया है।

5 सीपीएसईज अर्थात ओएनजीसी, ओआईएल, गेल, आईओसीएल और एनआरएल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गैस ग्रिड का विकास करने के उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए दिनांक 03 फरवरी, 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

मंजूर की गई चल रही गैस पाइपलाइन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

सीजीडी नेटवर्क वाले शहरों की सूची

क्र. सं.	राज्य	जीए की संख्या	भौगोलिक क्षेत्र	सीजीडी कंपनी
1.	आंध्र प्रदेश	5	विजयवाड़ा	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
2.			काकीनाडा	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
3.			पूर्वी गोदावरी	एपीजीडीसी और एचपीसीएल का संयुक्त उद्यम
4.			पश्चिम गोदावरी	एपीजीडीसी और एचपीसीएल का संयुक्त उद्यम
5.			कृष्णा	मेघा इंजीनियरिंग
6.	असम	1	अपर असम	असम गैस कंपनी लिमिटेड
7.	बिहार	1	पटना	गेल
8.	दिल्ली	1	दिल्ली	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
9.	गोवा	2	उत्तरी गोवा	गेल गैस और बीपीसीएल के कंसोर्टियम
10.			दक्षिण गोवा	आईओसीएल-अदानी जेवी
11.	गुजरात	22	सूरत-भरूच-अंकलेश्वर	गुजरात गैस लिमिटेड
12.			भावनगर	गुजरात गैस लिमिटेड
13.			हजीरा	गुजरात गैस लिमिटेड
14.			जामनगर	गुजरात गैस लिमिटेड
15.			नाडियाड	गुजरात गैस लिमिटेड
16.			नवसारी	गुजरात गैस लिमिटेड
17.			राजकोट	गुजरात गैस लिमिटेड
18.			सुरेंद्रनगर	गुजरात गैस लिमिटेड
19.			वलसाड	गुजरात गैस लिमिटेड
20.			गांधीनगर	गुजरात गैस लिमिटेड
21.			आनंद (सीजीएमएसएल क्षेत्र को छोड़कर खंभात सहित)	गुजरात गैस लिमिटेड
22.			पंचमहल (हॉलोल सहित)	गुजरात गैस लिमिटेड
23.			कच्छ (पश्चिम)	गुजरात गैस लिमिटेड
24.			अमरेली	गुजरात गैस लिमिटेड
25.			दहेज वाग्र तालुका	गुजरात गैस लिमिटेड
26.			दाहोद जिला	गुजरात गैस लिमिटेड

क्र. सं.	राज्य	जीए की संख्या	भौगोलिक क्षेत्र	सीजीडी कंपनी
27.			अहमदाबाद शहर	अदानी गैस लिमिटेड
28.			गांधीनगर-मेहसाणा-साबरकांठा	साबरमती गैस लिमिटेड
29.			पाटन	साबरमती गैस लिमिटेड
30.			वडोदरा	वडोदरा गैस लिमिटेड (वीजीएल)
31.			आनंद	चैरोटर गैस
32.			बनासकांठा	आईआरएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
33.	हरियाणा	8	रेवाड़ी	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
34.			सोनीपत	गेल गैस
35.			फरीदाबाद*	अदानी गैस लिमिटेड
36.			गुडगाँव*	हरियाणा सिटी गैस
37.			पानीपत	आईओसीएल-अदानी जेवी
38.			यमुनानगर	बीपीसीएल
39.			करनाल	आईजीएल
40.			अंबाला और कुरुक्षेत्र	एचपीसीएल और ऑयल का कंसोर्टियम
41.	झारखंड	2	रांची	गेल
42.			पूर्वी सिंहभूम	गेल
43.	कर्नाटक	4	बेंगलुरु	गेल गैस
44.			धारवाड़	आईओसीएल-अदानी जेवी
45.			तुमकुर	मेघा इंजीनियरिंग
46.			बेलगाम	मेघा इंजीनियरिंग
47.	केरल	1	एर्नाकुलम	आईओसीएल-अदानी जेवी
48.	मध्य प्रदेश	4	देवास	गेल गैस
49.			इंदौर (उज्जैन सहित)	अवंतिका गैस लिमिटेड
50.			ग्वालियर	अवंतिका गैस लिमिटेड
51.			धार	पेरिगॉन इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
52. और 53.	महाराष्ट्र	9	मुंबई, ग्रेटर मुंबई, ठाणे शहर और निकटस्थ क्षेत्र में शामिल	महानगर गैस लिमिटेड
54.			रायगढ़	महानगर गैस लिमिटेड
55.			मौजूदा जीए को छोड़कर ठाणे जिला	गुजरात गैस लिमिटेड

क्र. सं.	राज्य	जीए की संख्या	भौगोलिक क्षेत्र	सीजीडी कंपनी
56.			पुणे	महाराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड
57.			एमएनजीएल क्षेत्र को छोड़कर पुणे जिला	महेश संसाधन
58.			रत्नागिरि	यूनियन एनवाइरो प्राइवेट सीमित
59.			सोलापुर	आईएमसी प्राइवेट लिमिटेड
60.			कोल्हापुर	एचपीसीएल और ऑयल का कंसोर्टियम
61.	ओडिशा	2	कटक	गेल
62.			कोरधा	गेल
63.	पंजाब	5	जालंधर	जे माधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
64.			अमृतसर	जीएसपीएल
65.			भटिंडा	जीएसपीएल
66.			रूपनगर	बीपीसीएल
67.			फतेहगढ़ साहिब	आईआरएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
68.	पुदुचेरी	1	यानम	केइआई-रॉस
69.	राजस्थान	1	कोटा	गेल गैस
70.	तेलंगाना	1	हैदराबाद	भागयनगर गैस लिमिटेड
71.	त्रिपुरा	1	अगरतला	तिरुआ प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड
72.	केन्द्र शासित प्रदेशों	1	दादरा और नगर हवेली	गुजरात गैस लिमिटेड
73.	केन्द्र शासित प्रदेशों	1	चंडीगढ़	आईओसीएल-अदानी जेवी
74.	केन्द्र शासित प्रदेशों	1	दमन	आईओसीएल-अदानी जेवी
75.	उत्तर प्रदेश	17	सहारनपुर	बीपीसीएल
76.			गौतमबुद्धनगर	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
77.			गाज़ियाबाद	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
78.			फिरोजाबाद (टीटीजेड)	गेल गैस
79.			मेरठ	गेल गैस
80.			खुर्जा	अदानी गैस लिमिटेड
81.			लखनऊ	ग्रीन गैस लिमिटेड
82.			आगरा	ग्रीन गैस लिमिटेड
83.			कानपुर	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
84.			बरेली	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड

क्र. सं.	राज्य	जीए की संख्या	भौगोलिक क्षेत्र	सीजीडी कंपनी
85.			झांसी	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
86.			मुरादाबाद	सिटी एनर्जी लिमिटेड
87.			मथुरा	संवरिया गैस
88.			इलाहाबाद	आईओसीएल-अदानी जेवी
89.			बागपत	एस्सेल इन्फ्रा
90.			बुलंदशहर	आईओसीएल-अदानी जेवी
91.			वाराणसी	गेल
92.	उत्तराखंड	2	उधम सिंह नगर	आईओसीएल-अदानी जेवी
93.			हरिद्वार	गेल गैस और बीपीसीएल के कंसोर्टियम
94.	पश्चिम बंगाल	1	कोलकाता और ऐजोजिंग क्षेत्र	ग्रेटर कोलकत्ता गैस सप्लाय कॉपरेशन लिमिटेड (जीसीजीएससीएल)

नोटः *-मामला न्यायधीन है। वर्तमान में फरीदाबाद और गुरूग्राम में क्रमशः अडानी गैस लिमिटेड और हरियाणा सिटी गैस सीजीडी नेटवर्क का प्रचालन कर रही हैं।

विवरण-II

देश में मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के ब्यौरे

क्र. सं.	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नाम	कंपनी का नाम	क्षमता (एमएमएससीएमडी)	लंबाई (किमी)	जिन राज्यों से यह गुजरती है
1	2	3	4	5	6
1.	हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर-जीआरईपी (गैस पुनर्वास और विस्तार परियोजना)-दाहेज-विजयपुर एचवीजे/वीडीपीएल	गेल (इंडिया) लिमिटेड	57	4658	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात
2.	दहेज-विजयपुर (डीवीपीएल)-विजयपुर-दादरी (जीआरईपी) उन्नयन डीपीपीएल 2 और वीडीपीएल	गेल (इंडिया) लिमिटेड	54	1119	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात
3.	उरान-ट्रॉम्बे	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन	6	24	महाराष्ट्र
4.	दाहेज-उरान-पनवेल-दाभोल	गेल (इंडिया) लिमिटेड	20	875	गुजरात, महाराष्ट्र
5.	अगरतला क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल (इंडिया) लिमिटेड	2	61	त्रिपुरा
6.	मुंबई क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल (इंडिया) लिमिटेड	7	129	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5	6
7.	असम क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल (इंडिया) लिमिटेड	3	8	असम
8.	केजी बेसिन नेटवर्क (+ आरएलएनजी + आरआईएल)	गेल (इंडिया) लिमिटेड	16	881	आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी
9.	गुजरात क्षेत्रीय नेटवर्क (+ आरएलएनजी + आरआईएल)	गेल (इंडिया) लिमिटेड	18	671	गुजरात
10.	कावेरी बेसिन नेटवर्क	गेल (इंडिया) लिमिटेड	9	278	पुदुचेरी, तमिलनाडु
11.	दुक्ली महाराजगंज (पूर्व-अगरतला)	गेल (इंडिया) लिमिटेड	0.26	5.2	त्रिपुरा
12.	राजस्थान क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल (इंडिया) लिमिटेड	2	152	राजस्थान
13.	ईडब्ल्यूपीएल (काकीनाडा-हैदराबाद उरान-अहमदाबाद)	रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	80	1469	आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना
14.	जीएसपीएल का गैस ग्रिड नेटवर्क जिसमें स्पर लाइन शामिल है	गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड	43	2600	गुजरात
15.	हजीरा-अंकलेश्वर	गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड	5.06	73.2	गुजरात
16.	दादरी-पानीपत	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9.5	140	हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश
17.	एजीसीएल के असम क्षेत्रीय नेटवर्क लिमिटेड	असम गैस कंपनी (3 पाइपलाइन विभाग)	2.428	104.73	असम
18.	दादरी-बवाना-नांगल	गेल (इंडिया) लिमिटेड	31	835	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली
19.	छैनसा-झज्जर-हिसार	गेल (इंडिया) लिमिटेड	35	265	हरियाणा, राजस्थान, पंजाब
20.	दाभोल-बंगलौर	गेल (इंडिया) लिमिटेड	16	1097	महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा
21.	कोच्चि-कूट्टानाड-बैंगलोर-मंगलौर*	गेल (इंडिया) लिमिटेड	6	41	केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुदुचेरी यूटी
22.	शाडोल-फूलपुर	रिलायंस गैस पाइपलाइन लिमिटेड (आरजीपीएल)	5	1302	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
		कुल	428	16788	

*आंशिक रूप से चालू

नोट: क्रम सं. 20 और 22 पर उल्लिखित पाइपलाइनों को पिछले 5 वर्षों के दौरान पूरा किया गया था।

विवरण-III

देश में चल रही संस्वीकृत पाइपलाइन परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	पाइपलाइन का नाम	कंपनी का नाम	लंबाई (किमी)	प्राधिकर का वर्ष	जिस राज्य से यह गुजरती है
1.	जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धमरा	गेल	2655	2007 और 2016	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा
2.	बरौनी-गुवाहाटी	गेल	750	2018	बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम
3.	कोच्चि-कूट्टानाड-बैंगलोर-मंगलौर (चरण II)	गेल (इंडिया) लिमिटेड	879	2007	केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक
4.	भटिंडा-जम्मू-श्रीनगर	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	725	जुलाई, 2011	पंजाब, जम्मू और कश्मीर
5.	मेहसाना-भटिंडा	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	2052	जुलाई, 2011	गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब
6.	मल्लवारम-भोपाल-भीलवाड़ा विजयपुर के माध्यम से	जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड	2042	जुलाई, 2011	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान
7.	काकीनाडा-विजाग-श्रीकाकुलम	एपी गैस वितरण निगम	391	अगस्त, 2014	आंध्र प्रदेश
8.	नेल्लोर-विजाग-काकीनाडा	आईएमसी लिमिटेड	525	दिसम्बर, 2017	आंध्र प्रदेश
9.	एन्नोर-नेल्लोर	गैस ट्रांसमिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	430	मई, 2015	आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
10.	एन्नोर-तिरुवल्लुर-बैंगलुरू-पुदुचेरी-नागापट्टीनम-मदुरै-तूतीकोरिन	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	1385	दिसम्बर, 2015	तमिलनाडु और कर्नाटक
11.	जयगढ़-मंगलौर	एच-एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	749	जुलाई, 2016	महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक
12.	काकीनाड़ा-विजयवाड़ा-नैल्लौर	आईएमसी लिमिटेड	522	फरवरी, 2018	आंध्र प्रदेश
		कुल	13105		

[हिन्दी]

पर्यटन से जुड़े आयोजनों को वित्तीय सहायता

*500. **श्री रोड़मल नागरः** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मेले/उत्सवों और पर्यटन से जुड़े आयोजनों को आयोजित करने के लिए उनकी पर्यटन संभावनाओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन मंत्रालय आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) - मेले, उत्सव एवं पर्यटन से जुड़े आयोजनों के लिए अपनी योजना दिशानिर्देशों के तहत पर्यटन के संवर्धन हेतु मेले, उत्सवों और आयोजनों को आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान मध्य प्रदेश के ऐसे आयोजनों के लिए प्रदान की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता सहित मेले, उत्सवों और पर्यटन से जुड़े आयोजनों को आयोजित करने के लिए प्रदान की गई कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान मेले, उत्सवों और पर्यटन से जुड़े आयोजनों को आयोजित करने के लिए प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	मेला/उत्सव/आयोजन का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	2016-17	मेले और उत्सवों को आयोजित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता	30.00
2.		2017-18	(1) विश्व पर्यटन दिवस (2) चंडीगढ़ कॉर्निवल (3) रोज फेस्टिवल	30.00
3.	हरियाणा	2016-17	सूरजकुण्ड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के आयोजन हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता	30.00
4.		2017-18	(1) पिंजोर फेस्टिवल (2) सूरजकुण्ड मेला	55.00
5.	मध्य प्रदेश	2016-17	मेले और उत्सवों का आयोजन (1) विश्व पर्यटन दिवस समारोह (2) शरद उत्सव, भेडाघाट (जबलपुर) (3) माण्डु उत्सव, मांडा (4) पंचमढ़ी उत्सव (5) जल महोत्सव, हनुवंतिया	42.00
6.		2017-18	इनके आयोजन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (1) पंचमढ़ी उत्सव (2) जल महोत्सव, हनुवंतिया (3) खजुराहो नृत्य महोत्सव	50.00
7.	पंजाब	2017-18	(1) हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, जालंधर (2) आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला	20.00

1	2	3	4	5
8.	उत्तर प्रदेश	2016-17	वाराणसी मे गंगा महोत्सव का आयोजन	25.00
9.			नोएडा में शिल्पोत्सव के समारोह हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता	30.00
10.		2017-18	शिल्पोत्सव, नोएडा और नैमिषारण्य, जिला सीतापुर में सांस्कृतिक/पर्यटन विकास पर दो दिवसीय सम्मेलन के आयोजन-हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता	50.00
11.	आंध्र प्रदेश	2016-17	अमरावती, विजयवाडा, श्रीसेलम में कृष्ण पुष्कर्म के अवसर पर पर्यटन उत्सव के आयोजन हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता	25.00
12.	केरल	2016-17	64वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस और प्रेसिडेंट ट्रॉफी बोट रेस, कोल्लम के लिए सीएफए	50.00
13.		2017-18	(1) होम स्टे और ग्रामीण पर्यटन यात्रा सम्मेलन, एर्नाकुलम (2) सरगालय अंतर्राष्ट्रीय कला एवं शिल्प उत्सव (3) प्रेसिडेंट ट्रॉफी बोट रेस	50.00
14.	तमिलनाडु	2017-18	मामल्लापुरम में भारतीय नृत्य उत्सव	25.00
15.	अरुणाचल प्रदेश	2017-18	(1) तवांग उत्सव (2) मेंचुका एडवेंचर (3) ऑरेंज फेस्टिवल दम्बुक	40.00
16.	मणिपुर	2016-17	मणिपुर संगाई उत्सव और युवा रोमांचकारी एवं जल क्रिड़ा उत्सव मणिपुर का आयोजन	50.00
17.		2017-18	मणिपुर संगाई उत्सव और युवा रोमांचकारी एवं जल क्रिड़ा उत्सव मणिपुर का आयोजन	50.00
18.	मेघालय	2016-17	वांगला नृत्य उत्सव और नोंगक्रेम नृत्य उत्सव का आयोजन	42.22
19.		2017-18	निम्न का आयोजन - (1) वांगला नृत्य उत्सव (2) नोंगक्रेम नृत्य उत्सव (3) लासुबोन उत्सव	50.00
20.	मिजोरम	2017-18	निम्न का आयोजन - (1) शीत उत्सव (2) चपचार कुट	50.00
21.	नागालैंड	2016-17	हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन	25.00
22.		2017-18	निम्न का आयोजन- (1) रेंगमा न्गादाह उत्सव (2) हॉर्नबिल उत्सव (3) सेक्रेनी उत्सव	50.00

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	2016-17	(1) विश्व पर्यटन दिवस, गंगटोक (2) रेड पांडा विंटर उत्सव, गंगटोक का आयोजन	50.00
24.		2017-18	(1) रेड पांडा विंटर उत्सव, गंगटोक (2) विश्व पर्यटन दिवस	50.00
25.	त्रिपुरा	2016-17	(1) सिपाहीजला जिला में राजघाट और मेला घर में नीरमहल उत्सव (2) गोमती जिला में माबारी, उदयपुर में दिवाली उत्सव (3) जुलाईबाड़ी शांतिरबाजार में पिलक उत्सव	18.00
26.	गुजरात	2017-18	रण उत्सव	25.00
27.	हिमाचल प्रदेश	2017-18	अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव	25.00
28.	तेलंगाना	2017-18	(1) तीसरा पतंग फेस्टिवल (2) गोल्फ चैम्पियनशिप, हैदराबाद	45.00
			कुल	1082.22

[अनुवाद]

नेट अध्येतावृत्ति

5521. **श्रीमती कोथापल्ली गीताः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुछ दलित विद्यार्थियों ने जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाया है और उनके शोध अनुदान का विस्तार नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) और नेट अध्येतावृत्ति की कुल अवधि पांच वर्षों से अधिक नहीं हो सकती और कुछ विद्यार्थी तीन वर्ष पांच महीने के लिए नॉन-नेट अध्येतावृत्ति और बाकी अवधि के लिए नेट अध्येतावृत्ति की सुविधा का लाभ ले चुके हैं, इसमें कुछ तकनीकी मुद्दे शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यार्थियों को उस राशि को लौटाना पड़ा जो उन्हें विदेश जाने के लिए स्वीकृत की गई थी परंतु उन्होंने इस राशि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किया;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ विद्यार्थियों की अध्येतावृत्ति रोक दी गई है और उन्हें 'फील्ड ट्रिप' के लिए केन्द्र से ली गई राशि को लौटाने के लिए कहा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जेएनयू शोध के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे दलित शोधार्थियों की शिकायतों की जांच करेगा; और

(च) सरकार द्वारा दलित विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (च) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने सूचित किया है कि दलित विद्यार्थियों/अनुसंधानकर्ताओं से भेदभाव का कोई आरोप प्राप्त नहीं हुआ है। अध्येतावृत्तियों की कुल अवधि गैर-नेट/नेट के लिए पांच वर्ष है और तद्नुसार अध्येतावृत्ति दी जाती है। फील्ड ट्रिप/यात्रा उद्देश्य के लिए ली गई राशि केवल इसी प्रयोजन के लिए व्यय की जानी है। यदि किसी मामले में यह किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है तो इसे वापस किया जाना होगा। यदि कोई राशि विश्वविद्यालय से अपेक्षित है तो इसे छात्रों की अध्येतावृत्ति के विरूद्ध समायोजित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय दलित छात्रों की शिकायतों के लिए संवेदनशील है।

रक्षा उद्योग हेतु नया शिक्षा पाठ्यक्रम

5522. **श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोशः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) घरेलू रक्षा उद्योग को कुशल जनशक्ति प्रदान करने हेतु रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ परामर्श में रक्षा उद्योगों और रक्षा संबंधी मामलों के विकास हेतु नए शिक्षा पाठ्यक्रम को रूप देने संबंधी प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

अध्यापकों को प्रशिक्षण

5523. **श्री के. परसुरमनः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के लिए अधिक निधियां आवंटित करने का है चूंकि अध्यापक प्रशिक्षण में इसका प्रदर्शन बेहतर रहा और यह केवल एकमात्र राज्य है जिसने दोनों निजी और सरकारी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में तमिलनाडु सरकार से कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) से (घ) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पास इस संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, तमिलनाडु देश में एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहां स्कूलों के नामांकन में वृद्धि दर्ज हुई है। यूडीआईएसई डाटाबेस के अनुसार बिहार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में स्कूलों के कुल नामांकनों (सभी प्रबंधन) में वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2017-18 के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत तमिलनाडु राज्य के लिए अनुमोदित परिव्यय/आकलन क्रमशः 2778.43 करोड़ रुपए (अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु 27.28 करोड़ रुपए शामिल करते हुए) तथा 449.33 करोड़ रुपए (प्रशिक्षण के लिए 5.52 करोड़ रुपए शामिल करते हुए) है।

जनजातियों की परंपरागत बुद्धिमता

*5524. **डॉ. ए. सम्पतः**
श्री जे.जे.टी. नट्टर्जीः

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारत में जनजातीय समुदायों में व्याप्त पारंपरिक ज्ञान जैसे हस्तशिल्प या अन्य ऐसे कौशलों, खेल, जड़ी-बूटियों इत्यादि के स्वदेशी ज्ञान को स्वीकार करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पारंपरिक ज्ञान को शिक्षा उपायों से समेकित कर देश के जनजातीय विद्यार्थियों को सशक्त करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातीय समुदाय की प्रगति हेतु ऐसे शिक्षा निकायों की आवश्यकता है जो जनजातीय पृष्ठभूमि और जीवनशैली के साथ मेल कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए/प्रस्तावित किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर): (क) से (घ) पारम्परिक ज्ञान जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, कला एवं कलाकृतियों, हस्तशिल्प, खेल, जनजातीय औषधियों, पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों आदि सहित समृद्ध जनजातीय विरासत को संरक्षित करने, सुरक्षित करने तथा बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार कमोबेश जनजातीय विकास के लिए एक विशेषज्ञ समूह के रुप में तथा जनजातीय संस्कृति एवं उनके पारम्परिक ज्ञान की विशिष्टता/अद्वितीयता के सरंक्षण तथा प्रचार-प्रसार के लिए ज्ञान तथा अनुसंधान के निकाय के रुप में कार्य करने के लिए राज्य में स्थापित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता प्रदान करती है। संग्रहालय, पुस्तकालय, भाषा प्राथमिक पुस्तकों, अनुसंधान कार्यों, संगोष्ठी/कार्यशाला, पुस्तकों का प्रकाशन, वृत्त चित्रों का विकास, जनजातीय उत्सवों का आयोजन आदि सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए 'टीआरआई को समर्थन' की योजना के तहत टीआरआई को निधियां प्रदान की जाती हैं।

'जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना तथा जन शिक्षा' की योजना के तहत विभिन्न जनजातीय मुद्दों पर अनुसंधान कार्य करने के लिए निजी संस्थानों को भी निधियां प्रदान की गई हैं। लोक नृत्यों, गीतों, भोजन, चित्रकला, कला एवं शिल्प, चिकित्सा पद्धतियों आदि में पारम्परिक कोशलों की प्रदर्शनी तथा प्रदर्शन के विशिष्ट रूप के माध्यम से पूरे देश में जनजातीय लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलकियों को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय

द्वारा राष्ट्रीय स्तर का जनजातीय उत्सव/कार्निवल आयोजित किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के साथ 16 नवम्बर, 2017 से 30 नवम्बर, 2017 तक एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव अर्थात 'आदि महोत्सव' आयोजित किया। महोत्सव में 27 राज्यों से लगभग 800 शिल्पकारों तथा कलाकरों ने भाग लिया एवं अपने उत्पादों को बेचा तथा अपने शिल्प एवं कौशल को प्रदर्शित किया।

मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के पूरे स्पेक्ट्रम की विविध सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टताओं को एकत्रित करते हुए एक केन्द्रीय डिजिटल जनजातीय कोष विकसित किया है। इस कोष में जनजातीय प्रथाओं, उत्सवों, वस्त्रों, आभूषणों, संगीत, नृत्य शैली, कला एवं शिल्प के संबंध डिजिटल फोटो, वीडियो तथा साहित्य शामिल है। यह कोष पूरे विश्व के लोगों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध है।

यद्यपि, शैक्षिक पद्धतियों के साथ पारम्परिक ज्ञान को एकीकृत करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है, इसका पालन पारम्परिक सांस्कृतिक विरासत पर बल देने के माध्यम से जनजातीय शिक्षण संस्थानों में किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के माध्यम से क्षेत्रीय तथा स्थानीय जनजातीय भाषाओं दोनों में पाठ्य सामग्री वाली द्विभाषी प्राथमिक पुस्तकों को विकसित करने के लिए कहा है, जो जनजातीय छात्रों को सशक्त बनाने के लिए शैक्षिक पद्धतियों के साथ पारम्परिक ज्ञान को एकीकृत करने में सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा स्थानीय जनजातीय त्यौहार और फसल के मौसम के साथ विद्यालय की छुट्टियों को समकालीन बनाने के लिए राज्यों को परामर्शियां जारी की गई हैं।

एनईईटी परीक्षा

5525. **डॉ. बूरा नरसैय्या गौड:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) आयोजित कराने वाली अमेरिकी एजेंसी प्रोमेट्रिक ने यह स्वीकार किया है कि उसके सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी की जा सकती है;

(ख) क्या एनईईटी पीजी को हैक किया गया था और यदि हां, तो इस संबंध में की गई जांच की स्थिति क्या है और सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित कराने के लिए जिस कंपनी या एजेंसी को उत्तरदायित्व दिया गया है वह परीक्षा आयोजित करने के कार्य को आगे भी उप-अनुबंधित कर सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जानकारी एकत्र की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने हेतु विर्दिष्ट प्राधिकरण है। एनबीई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नीट-पीजी-2017 प्रोमेट्रिक टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, यूएसए द्वारा आयोजित किया गया था। एनबीई ने सूचित किया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नीट-पीजी आयोजित कराने में तथाकथित अनियमितता के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। वर्तमान मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दायर किए आरोप पत्र के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि जांच के दौरान, यूएसए की प्रोमेट्रिक एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टेली कांफ्रेंस में, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा परीक्षा के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ की जा सकती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट भी फाईल कराई है।

(ग) और (घ) एनबीई ने सूचित किया है कि परीक्षा आयोजित कराने से संबंधित संविदा की उप किराएदारी या उप-अनुबंधन परीक्षा आयोजक निकाय के अनुमोदन के बिना अनुमेय नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति

5526. **श्री कौशलेन्द्र कुमार:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीबीएसई ने सत्र 2016-17 हेतु केन्द्रीय विद्यालयों में प्राचार्य के पद हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित की है और यदि हां, तो इसमें बैठने वाले और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन परीक्षाओं के आयोजन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सरकार/केवी के संज्ञान में कोई मामले/शिकायतें आई हैं और यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद हेतु सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की है। इसका ब्यौरा

निम्नवत है:—

उपस्थित अभ्यर्थी - 5642

चयनित अभ्यर्थी - 84

उपरोक्त के अलावा, सीबीएसई ने वर्ष 2017 में प्रधानाचार्य के पद हेतु सीमित विभागीय परीक्षा भी आयोजित की है। इसका ब्यौरा निम्नवत है:—

उपस्थित अभ्यर्थी - 250

चयनित अभ्यर्थी - 200

(ख) सरकार के संज्ञान में, इन परीक्षाओं के आयोजन में कथित अनियमितताओं के संबंध में कोई मामले/शिकायतें नहीं आई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केरोसिन आवंटन

5527. **श्रीमती कमला पाटले:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरोसीन की प्रति व्यक्ति, मासिक उपलब्धता और आवंटन कितना है;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों को केरोसीन का आवंटन समान मात्रा में किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की मांग अनुसार केरोसीन की आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) भारत सरकार (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) मिट्टी तेल (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य का निर्धारण) आदेश, 1993 के अनुसार, तिमाही आधार पर खाना पकाने और रोशनी के लिए ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल का तिमाही आधार पर आबंटन करती है। राज्य/संघ शासित प्रदेश के भीतर विभिन्न श्रेणियों के राशन कार्ड धारकों/उपभोक्ताओं को पीडीएस नेटवर्क के जरिए पीडीएस मिट्टी तेल का आगे वितरण करना संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। पीडीएस मिट्टी तेल के वितरण का पैमाना और मानदंड भी संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा तय किए जाते हैं।

घरेलू एलपीजी/पीएनजी कनेक्शनों में वृद्धि, विद्युत कवरेज में वृद्धि, संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा पीडीएस मिट्टी तेल का कोटा न उठाए जाने जैसे घटकों को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पीडीएस मिट्टी तेल के आबंटन को 2010-11 से युक्तिसंगत बनाया गया है। तदनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2017-18 के लिए किया गया पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन 115056 कि.ली. है। वर्ष 2017-18 के लिए छत्तीसगढ़ सहित पीडीएस मिट्टी तेल की तिमाही आबंटन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 21 अगस्त, 2012 को आदेश जारी किया है जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहित प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अपनी विशेष जरूरतों के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान गैर राज सहायता प्राप्त दरों (उत्पाद/सीमा शुल्क/करों सहित तथा अल्प वसूली/राजकोषीय राजसहायता को छोड़कर) पर एक माह का मिट्टी तेल कोटा प्राप्त कर सकता है। एक माह का कोटा समाप्त होने के बाद राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश गैर राजसहायता प्राप्त दरों (जो बाजार दरों पर बेचे जा रहे मिट्टी तेल के मूल्य से कम होती हैं) पर मिट्टी तेल के अतिरिक्त आबंटन ले सकते हैं।

विवरण

वर्ष 2017-18 के लिए छत्तीसगढ़ सहित पीडीएस मिट्टी तेल का राज्यवार तिमाही आबंटन

राज्य	तिमाही आबंटन कि.ली. में				
	तिमाही 1 (अप्रैल से जून)	तिमाही 2 (जुलाई से सितम्बर)	तिमाही 3 (अक्तूबर से दिसम्बर)	तिमाही 4 (जनवरी से मार्च)	योग (2017-18)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	28212	28212	0	0	56424

1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1032	1032	1032	1032	4128
अरुणाचल प्रदेश	1980	1980	1980	1980	7920
असम	61464	61464	61464	61464	245856
बिहार	151032	151032	110220	83148	495432
छत्तीसगढ़	28764	28764	28764	28764	115056
दादरा और नगर हवेली	288	0	0	0	288
दमन और दीव	132	0	0	0	132
गोवा	576	576	576	531	2259
गुजरात	86280	86280	85980	85980	344520
हिमाचल प्रदेश	3624	3624	3624	3624	14496
जम्मू और कश्मीर	14520	10980	16488	16488	58476
झारखंड	46692	46692	46692	46692	186768
कर्नाटक	39000	39000	39000	39000	156000
केरल	15456	15456	13908	13908	58728
लक्षद्वीप	768	0	0	0	768
मध्य प्रदेश	88476	88476	84048	84048	345048
महाराष्ट्र	98640	98640	93708	93708	384696
मणिपुर	4476	4476	4476	4476	17904
मेघालय	4860	4860	4860	4860	19440
मिजोरम	1200	1200	1200	1200	4800
नागालैंड	3204	3204	3204	2565	12177
ओडिशा	62112	62112	62112	62112	248448
पुदुचेरी	480	320	0	0	800
राजस्थान	64992	64992	64992	64992	259968
सिक्किम	864	864	864	864	3456
तमिलनाडु	53820	53820	48444	48444	204528
तेलंगाना	27204	27204	24480	24480	103368
त्रिपुरा	7344	7344	7344	7344	29376
उत्तर प्रदेश	233640	233640	221964	221964	911208
उत्तराखंड	6336	6336	6336	6336	25344
पश्चिम बंगाल	176004	176004	176004	176004	704016
कुल	1313472	1308584	1213764	1186008	5021828

चीनी का निर्यात

5528. **श्री हरिनारायण राजभरः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत अन्य देशों को चीनी का निर्यात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन देशों को निर्यात की गई चीनी की मात्रा कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। भारत अन्य देशों को चीनी का निर्यात कर रहा है। विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष 2017-18 (जनवरी, 2018 तक) के दौरान चोटी के पांच देशों को किया गया निर्यात अधोलिखित हैः—

मात्रा टन में/मूल्य मिलियन अम.डॉ. में

देश	2015-16		2016-17		2017-18 (जनवरी, 2018 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सूडान	435039	165782637	318138	153771237	377212	164676189
सोमालिया	474836	189332691	373231	184317959	249760	118931771
संयुक्त अरब अमीरात	158639	59631946	120459	59330267	186163	86619440
म्यांमार	1160279	459462744	813065	423289007	149177	66278195
केन्या	114286	42993438	85734	44387019	62745	30657660
अन्य	1501366	573314847	833387	425617059	509441	252386373
कुल	3844445	1490518303	2544014	1290712548	1534498	719549628

[अनुवाद]

शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय

5529. **श्री बी.एन. चन्द्रप्पाः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में प्रत्येक विद्यार्थी की शिक्षा पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा-वार किया जाने वाला प्रति व्यक्ति व्यय कितना है;

(ख) क्या सरकार गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि करने के लिए कोई उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न स्तरों पर शिक्षा हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(घ) क्या सरकार ने शिक्षा के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ङ) सरकार द्वारा देश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा-वार पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक छात्र की शिक्षा पर किया गया प्रति व्यक्ति व्यय निम्नलिखित हैः-

(रुपए में)

वर्ष	प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	उच्चतर शिक्षा
2011-12	7494	उपलब्ध नहीं	33669
2012-13	7985	16483	39059
2013-14*	9223	17955	43948
2014-15*	11469	19841	44473
2015-16*	12510	21501	50665

*अनंतिम

स्रोतः (i) प्राथमिक और माध्यमिक में नामांकन पर डीआईएसई के ताजा आंकड़े-एनआईईपीए, (ii) उच्चतर शिक्षा में नामांकन पर एआईएसएई रिपोर्ट (iii) बजटीय शिक्षा व्यय विश्लेषण एमएचआरडी व्यय संबंधी आंकड़े।

14वें वित्त आयोग की सिफारिश के पश्चात राज्यों को और अधिक अनुदान हस्तांतरण करने के साथ ही, राज्यों को शिक्षा क्षेत्र में अनुदानों के आबंटन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान सरकार के शिक्षा संबंधी प्रमुख क्षेत्रों में मुख्यतः नई संस्थाओं की स्थापना द्वारा उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए विस्तार, समानता और उत्कृष्टता पर फोकस करना, अवसंरचना सुविधाओं के सुधार के लिए राज्य संस्थाओं के निधियन पर विशेष ध्यान देना शामिल था।

सरकार शिक्षा क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है, मुख्य योजनाएं हैं, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), जिसके तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) योजना के तहत, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को नए सरकारी माध्यमिक स्कूल खोलने और अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एक नई योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) नाम से अनुमोदित की गई है जिसका लक्ष्य उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता को प्राप्त करना है। यह योजना स्वायत कॉलेजों का विश्वविद्यालयों में उन्नयन, कॉलेजों की क्लस्टरिंग कर विश्वाविद्यालय बनाना, असेवित और अल्प-सेवित क्षेत्रों में नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना करना जैसे घटकों को सहायता देती है और साथ ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की क्षमता बढ़ाने हेतु अवसंरचनात्मक अनुदान भी प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा केंद्रीय वित्तपोषित उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुसार बाज़ार से अनुदान इकट्ठा करने के लिए उच्चतर शिक्षा वित्तपोषित एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना भी की गई है। बजट 2018-19 में शैक्षिक संस्थानों के वित्तपोषण के लिए हेफा के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की गई है ताकि अनुसंधान और शैक्षिक अवसंरचना को गति प्रदान की जा सके।

मंत्रालय के अंतर्गत अकादमिक/गैर अकादमिक कर्मचारी

5530. **श्री पी.के. बिजूः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आधिकारिक दस्तावेजों में कर्मचारियों की स्वीकृत/निर्धारित संख्या की तुलना में मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत अकादमिक संस्थाओं में प्रत्येक वेतनमान में स्थाई, अस्थाई और अतिथि अकादमिक/गैर अकादमिक कर्मचारियों की वार्षिक स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक वेतनमान में इन कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी का भुगतान करने के लिए कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) इसमें प्रत्येक वेतनमान में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है; और

(घ) अजा, अजजा और अपिव के समुचित और वास्तविक प्रतिनिधित्व के मध्य यदि कोई अंतर है तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में किए गए प्रत्युपायों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या/भरे गए पद/रिक्त पदों को दर्शाने वाली जानकारी क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) जहां तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों का संबंध है, प्रत्येक वेतनमान में दिए जाने वाले वेतन पर केंद्रीय रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 2017-18 (आज की तारीख तक) के दौरान शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन पर किया गया कुल व्यय संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) प्रत्येक वेतनमान पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यावेदन की स्थिति केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (कॉडर-वार) वर्ग के अभ्यावेदन की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) यूजीसी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से सरकार की सांविधिक आवश्यकता को तत्काल रूप से पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/निःशक्तजन के लिए बैकलॉग रिक्तियों को भरने हेतु गंभीर प्रयास करने के लिए अनुरोध कर रहा है। इसके अतिरिक्त, योजनेत्तर बजट अनुमान और संशोधित बजट अनुमान की जानकारी देते समय, यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को यह भी निदेश दिया है कि सरकार की सांविधिक आवश्यकता को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/निःशक्तजन के लिए बैकलॉग रिक्तियों को भरने हेतु गंभीर प्रयास करें।

विवरण-I

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की संख्या (श्रेणी-वार)						
				संस्वीकृत पदों की संख्या					
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय									
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	37	7	3	0	1	48
			एसो. प्रोफेसर	71	14	7	0	3	95
			सहायक प्रोफेसर	133	38	19	60	7	257
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	96	8	8	0	0	112
			एसो. प्रोफेसर	172	38	18	0	5	233
			सहायक प्रोफेसर	130	34	17	39	7	227
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	25	5	2	0	0	32
			एसो. प्रोफेसर	46	9	5	0	0	60
			सहायक प्रोफेसर	74	22	11	39	0	146
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	46	8	4	0	0	58
			एसो. प्रोफेसर	81	16	8	0	3	108
			सहायक प्रोफेसर	132	40	20	72	5	269
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	198	39	19	0	8	264
			एसो. प्रोफेसर	484	97	48	0	19	648
			सहायक प्रोफेसर	379	119	59	214	23	794
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	प्रोफेसर	125	1	0	0	2	128
			एसो. प्रोफेसर	200	0	0	0	3	203
			सहायक प्रोफेसर	407	67	20	0	12	506
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	148	29	14	0	6	197
			एसो. प्रोफेसर	274	54	27	0	11	366
			सहायक प्रोफेसर	161	50	25	90	11	337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	40	8	4	0	0	52
			एसो. प्रोफेसर	74	14	7	0	0	95
			सहायक प्रोफेसर	85	30	15	54	14	198
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	25	4	2	0	1	32
			एसो. प्रोफेसर	46	9	4	0	2	61
			सहायक प्रोफेसर	67	20	10	37	4	138
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यालय	प्रोफेसर	15	2	1	0	0	18
			एसो. प्रोफेसर	12	2	1	0	0	15
			सहायक प्रोफेसर	36	11	5	18	2	72
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	53	9	4	0	1	67
			एसो. प्रोफेसर	109	21	10	0	4	144
			सहायक प्रोफेसर	161	41	20	46	10	278
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	33	6	3	0	1	43
			एसो. प्रोफेसर	63	12	6	0	3	84
			सहायक प्रोफेसर	162	51	25	92	11	341
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	194	0	0	0	6	200
			एसो. प्रोफेसर	376	0	0	0	12	388
			सहायक प्रोफेसर	1006	0	0	0	32	1038
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	246	3	0	0	4	253
			एसो. प्रोफेसर	489	25	3	0	11	528
			सहायक प्रोफेसर	795	91	26	220	17	1149
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	22	5	2	0	0	29
			एसो. प्रोफेसर	43	9	4	0	0	56
			सहायक प्रोफेसर	62	18	8	32	0	120
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय*	प्रोफेसर	60	11	5	0	3	79
			एसो. प्रोफेसर	150	30	15	0	6	201
			सहायक प्रोफेसर	275	85	42	154	16	572
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	प्रोफेसर	55	11	5	0	2	73
			एसो. प्रोफेसर	118	23	11	0	4	156
			सहायक प्रोफेसर	291	62	31	25	12	421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	1418	156	76	0	35	1685
			एसो. प्रोफेसर	2808	373	174	0	86	3441
			सहायक प्रोफेसर	4356	779	353	1192	183	6863
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय								
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	1	22
			एसो. प्रोफेसर	32	6	3	0	2	43
			सहायक प्रोफेसर	45	13	6	21	3	88
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	11	3	1	0	0	15
			एसो. प्रोफेसर	21	6	3	0	0	30
			सहायक प्रोफेसर	33	9	4	14	0	60
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	16	3	1	0	1	21
			एसो. प्रोफेसर	32	6	3	0	1	42
			सहायक प्रोफेसर	41	12	6	22	3	84
21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	24	4	2	0	1	31
			एसो. प्रोफेसर	47	9	4	0	2	62
			सहायक प्रोफेसर	66	19	9	35	3	132
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	22	4	1	0	0	27
			एसो. प्रोफेसर	42	7	3	0	1	53
			सहायक प्रोफेसर	53	16	8	28	3	108
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	3	1	0	1	23
			एसो. प्रोफेसर	33	6	3	0	2	44
			सहायक प्रोफेसर	45	13	6	24	3	91
24.		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	0	21
			एसो. प्रोफेसर	32	6	3	0	0	41
			सहायक प्रोफेसर	46	13	6	24	1	90
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	21	3	1	0	0	25
			एसो. प्रोफेसर	35	5	4	0	2	46
			सहायक प्रोफेसर	50	15	7	26	2	100
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	21	0	0	0	0	21
			एसो. प्रोफेसर	40	1	0	0	0	41
			सहायक प्रोफेसर	75	5	2	9	0	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	0	21
			एसो. प्रोफेसर	33	6	3	0	1	43
			सहायक प्रोफेसर	43	12	6	23	2	86
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	0	0	0	0	15
			एसो. प्रोफेसर	29	0	0	0	0	29
			सहायक प्रोफेसर	54	2	1	2	1	60
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	0	21
			एसो. प्रोफेसर	32	6	3	0	1	42
			सहायक प्रोफेसर	42	12	6	22	2	84
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	3	1	0	1	23
			एसो. प्रोफेसर	35	6	3	0	1	45
			सहायक प्रोफेसर	60	16	9	31	4	120
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	3	1	0	0	22
			एसो. प्रोफेसर	37	7	4	0	0	48
			सहायक प्रोफेसर	49	14	7	26	0	96
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	252	38	13	0	5	308
			एसो. प्रोफेसर	480	77	39	0	13	609
			सहायक प्रोफेसर	702	171	83	307	27	1290
	कुल (I + II)		प्रोफेसर	1670	194	89	0	40	1993
			एसो. प्रोफेसर	3288	450	213	0	99	4050
			सहायक प्रोफेसर	5058	950	436	1499	210	8153
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय								
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	38	4	2	0	1	45
			एसो. प्रोफेसर	97	9	4	0	1	111
			सहायक प्रोफेसर	195	30	15	34	2	276
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	41	5	3	0	1	50
			एसो. प्रोफेसर	56	11	5	0	2	74
			सहायक प्रोफेसर	84	21	12	36	6	159
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	22	3	2	0	0	27
			एसो. प्रोफेसर	37	5	2	0	0	44
			सहायक प्रोफेसर	69	10	22	27	3	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	31	5	3	0	0	39
			एसो. प्रोफेसर	71	14	6	0	0	91
			सहायक प्रोफेसर	109	32	17	58	1	217
36.	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हील यूनिवर्सिटी	प्रोफेसर	83	6	3	0	1	93
			एसो. प्रोफेसर	130	10	6	0	1	147
			सहायक प्रोफेसर	141	25	16	21	2	205
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	42	5	0	0	0	47
			एसो. प्रोफेसर	65	5	3	0	1	74
			सहायक प्रोफेसर	179	28	19	32	3	261
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	37	5	2	0	1	45
			एसो. प्रोफेसर	54	5	2	0	1	62
			सहायक प्रोफेसर	100	15	7	21	3	146
39.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	25	4	2	0	1	32
			एसो. प्रोफेसर	54	10	5	0	2	71
			सहायक प्रोफेसर	59	18	9	34	6	126
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	37	6	3	0	0	46
			एसो. प्रोफेसर	53	9	5	0	2	69
			सहायक प्रोफेसर	83	22	18	36	4	163
	कुल-III (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	356	43	20	0	5	424
			एसो. प्रोफेसर	617	78	38	0	10	743
			सहायक प्रोफेसर	1019	201	135	299	30	1684
	कुल-I (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय बिश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	1418	156	76	0	35	1685
			एसो. प्रोफेसर	2808	373	174	0	86	3441
			सहायक प्रोफेसर	4356	779	353	1192	183	6863
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	252	38	13	0	5	308
			एसो. प्रोफेसर	480	77	39	0	13	609
			सहायक प्रोफेसर	702	171	83	307	27	1290
	ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	2026	237	109	0	45	2417
			एसो. प्रोफेसर	3905	528	251	0	109	4793
			सहायक प्रोफेसर	6077	1151	571	1798	240	9837
				12008	1916	931	1798	394	17047

*विश्वविद्यालय ने दिनांक 1.4.2017 तक अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की संख्या (श्रेणी-वार)						
				भरे गए पदों की संख्या					
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय									
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	29	1	1	0	1	32
			एसो. प्रोफेसर	48	0	0	0	1	49
			सहायक प्रोफेसर	135	26	14	49	7	231
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	66	3	1	0	0	70
			एसो. प्रोफेसर	158	13	1	0	1	173
			सहायक प्रोफेसर	107	28	13	30	6	184
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	2	1	0	0	20
			एसो. प्रोफेसर	32	5	0	0	1	38
			सहायक प्रोफेसर	76	21	12	25	3	137
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	11	1	1	0	0	13
			एसो. प्रोफेसर	34	2	0	0	0	36
			सहायक प्रोफेसर	87	24	12	46	2	171
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	103	3	1	0	2	109
			एसो. प्रोफेसर	227	8	2	0	2	239
			सहायक प्रोफेसर	275	55	24	42	17	413
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	प्रोफेसर	73	1	0	0	1	75
			एसो. प्रोफेसर	159	0	0	0	0	159
			सहायक प्रोफेसर	362	67	20	0	8	457
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	87	13	0	0	4	104
			एसो. प्रोफेसर	204	17	6	0	2	229
			सहायक प्रोफेसर	161	37	16	35	10	259
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	5	1	0	0	0	6
			एसो. प्रोफेसर	23	2	0	0	0	25
			सहायक प्रोफेसर	99	40	6	43	2	190

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	1	0	0	0	16
			एसो. प्रोफेसर	29	1	0	0	1	31
			सहायक प्रोफेसर	58	20	10	36	4	128
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतराष्ट्रिय हिंदी विश्व विद्यालय	प्रोफेसर	11	1	0	0	0	12
			एसो. प्रोफेसर	5	1	0	•0	1	7
			सहायक प्रोफेसर	29	9	3	14	2	57
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	23	1	0	0	1	25
			एसो. प्रोफेसर	73	15	0	0	3.	91
			सहायक प्रोफेसर	139	33	17	34	9	232
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	12	0	0	0	0	12
			एसो. प्रोफेसर	30	2	0	0	0	32
			सहायक प्रोफेसर	188	17	4	19	2	230
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	137	0	0	0	0	137
			एसो. प्रोफेसर	264	1	0	0	6	271
			सहायक प्रोफेसर	791	1	1	60	22	875
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	170	2	0	0	0	172
			एसो. प्रोफेसर	386	19	4	0	0	409
			सहायक प्रोफेसर	622	138	51	141	7	959
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	1	0	0	0	16
			एसो. प्रोफेसर	33	5	0	0	0	38
			सहायक प्रोफेसर	57	16	6	30	0	109
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय*	प्रोफेसर	12	0	0	0	0	12
			एसो. प्रोफेसर	40	1	0	0	1	42
			सहायक प्रोफेसर	179	25	7	36	2	249
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	प्रोफेसर	39	4	0	0	0	43
			एसो. प्रोफेसर	96	10	2	0	0	108
			सहायक प्रोफेसर	211	53	26	53	4	347
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	825	35	5	0	9	874
			एसो. प्रोफेसर	1841	102	15	0	19	1977
			सहायक प्रोफेसर	3576	610	242	693	107	5228

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय								
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	8	0	0	0	0	8
			एसो. प्रोफेसर	16	1	0	0	0	17
			सहायक प्रोफेसर	41	10	4	19	2	76
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	2	0	0	0	0	2
			एसो. प्रोफेसर	13	0	1	0	0	14
			सहायक प्रोफेसर	29	9	4	13	0	55
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	7	1	0	0	0	8
			एसो. प्रोफेसर	11	0	0	0	0	11
			सहायक प्रोफेसर	31	9	5	18	2	65
21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	0	0	0	0	0	0
			एसो. प्रोफेसर	6	0	0	0	0	6
			सहायक प्रोफेसर	27	5	2	14	1	49
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	3	0	0	0	0	3
			एसो. प्रोफेसर	9	1	1	0	0	11
			सहायक प्रोफेसर	32	10	4	11	3	60
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	4	0	0	0	0	4
			एसो. प्रोफेसर	9	0	0	0	0	9
			सहायक प्रोफेसर	43	11	5	23	2	84
24.		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	10	0	0	0	0	10
			एसो. प्रोफेसर	4	0	0	0	0	4
			सहायक प्रोफेसर	34	9	4	14	1	62
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	8	0	0	0	0	8
			एसो. प्रोफेसर	10	0	0	0	0	10
			सहायक प्रोफेसर	38	11	5	18	1	73
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	6	0	0	0	0	6
			एसो. प्रोफेसर	7	1	0	0	0	8
			सहायक प्रोफेसर	20	5	2	9	0	36
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	13	0	0	0	0	13
			एसो. प्रोफेसर	25	2	0	0	0	27
			सहायक प्रोफेसर	40	12	6	21	2	81

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	0	0	0	0	0	0
			एसो. प्रोफेसर	1	0	0	0	0	1
			सहायक प्रोफेसर	10	2	1	2	1	16
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	4	0	0	0	0	4
			एसो. प्रोफेसर	18	0	0	0	0	18
			सहायक प्रोफेसर	42	11	2	15	2	72
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	5	0	0	0	0	5
			एसो. प्रोफेसर	23	0	0	0	0	23
			सहायक प्रोफेसर	52	15	6	21	1	95
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	0	0	0	0	9
			एसो. प्रोफेसर	18	0	0	0	0	18
			सहायक प्रोफेसर	35	11	3	18	2	69
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	79	1	0	0	0	80
			एसो. प्रोफेसर	170	5	2	0	0	177
			सहायक प्रोफेसर	474	130	53	216	20	893
	कुल (I + II)		प्रोफेसर	904	36	5	0	9	954
			एसो. प्रोफेसर	2011	107	17	0	19	2154
			सहायक प्रोफेसर	4050	740	295	909	127	6121
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय								
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	21	1	0	0	1	23
			एसो. प्रोफेसर	78	5	2	0	1	86
			सहायक प्रोफेसर	156	33	12	36	2	241
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	40	2	2	0	0	44
			एसो. प्रोफेसर	48	6	2	0	1	57
			सहायक प्रोफेसर	83	20	12	35	5	155
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	12	0	1	0	0	13
			एसो. प्रोफेसर	26	4	1	0	0	31
			सहायक प्रोफेसर	68	9	22	27	2	128
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	14	1	0	0	0	15
			एसो. प्रोफेसर	42	4	3	0	0	49

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
			सहायक प्रोफेसर	136	15	10	7	0	168
36.	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हील यूनिवर्सिटी	प्रोफेसर	46	1	1	0	0	48
			एसो. प्रोफेसर	83	1	5	0	0	89
			सहायक प्रोफेसर	130	21	15	19	1	186
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	24	0	0	0	0	24
			एसो. प्रोफेसर	44	3	1	0	0	48
			सहायक प्रोफेसर	161	26	19	28	3	237
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	11	0	1	0	0	12
			एसो. प्रोफेसर	41	1	2	0	0	44
			सहायक प्रोफेसर	94	13	11	18	1	137
39.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	14	0	0	0	1	15
			एसो. प्रोफेसर	30	2	1	0	0	33
			सहायक प्रोफेसर	50	17	12	28	3	110
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	7	0	0	0	0	7
			एसो. प्रोफेसर	28	2	1	0	0	31
			सहायक प्रोफेसर	73	18	17	26	2	136
	कुल-III (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	189	5	5	0	2	201
			एसो. प्रोफेसर	420	28	18	0	2	468
			सहायक प्रोफेसर	953	172	130	224	19	1498
	कुल-I (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	825	35	5	0	9	874
			एसो. प्रोफेसर	1841	102	15	0	19	1977
			सहायक प्रोफेसर	3576	610	242	693	107	5228
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	79	1	0	0	0	80
			एसो. प्रोफेसर	170	3	2	0	0	177
			सहायक प्रोफेसर	474	130	53	216	30	893
	ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	1093	41	10	0	11	1155
			एसो. प्रोफेसर	2431	135	35	0	21	2622
			सहायक प्रोफेसर	5093	912	425	1133	146	7619
				8527	1088	470	1133	178	11396

*विश्वविद्यालय ने दिनांक 1.4.2017 तक अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की संख्या (श्रेणी-वार)								रिक्त पदों का प्रतिशत
				रिक्त पदों की संख्या						संस्वीकृत भरे गए रिक्त	
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल		
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय											
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	8	6	2	0	0	16	400	22.00
			एसो. प्रोफेसर	23	14	7	0	2	46	312	
			सहायक प्रोफेसर	-2	12	5	11	0	26	88	
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	30	5	7	0	0	42	572	25.35
			एसो. प्रोफेसर	14	25	17	0	4	60	427	
			सहायक प्रोफेसर	23	6	4	9	1	43	145	
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	8	3	1	0	0	12	238	18.07
			एसो. प्रोफेसर	14	4	5	0	-1	22	195	
			सहायक प्रोफेसर	-2	1	-1	14	-3	9	43	
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	35	7	3	0	0	45	435	49.43
			एसो. प्रोफेसर	47	14	8	0	3	72	220	
			सहायक प्रोफेसर	45	16	8	26	3	98	215	
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	95	36	18	0	6	155	1706	55.39
			एसो. प्रोफेसर	257	89	46	0	17	409	761	
			सहायक प्रोफेसर	104	64	35	172	6	381	945	

6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	प्रोफेसर	52	0	0	0	1	53	837	17.44
			एसो. प्रोफेसर	41	0	0	0	3	44	691	
			सहायक प्रोफेसर	45	0	0	0	4	49	146	
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	61	16	14	0	2	93	900	34.22
			एसो. प्रोफेसर	70	37	21	0	9	137	592	
			सहायक प्रोफेसर	0	13	9	55	1	78	308	
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	35	7	4	0	0	46	345	35.94
			एसो. प्रोफेसर	51	12	7	0	0	70	221	
			सहायक प्रोफेसर	-14	-10	9	11	12	8	124	
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	10	3	2	0	1	16	231	24.24
			एसो. प्रोफेसर	17	8	4	0	1	30	175	
			सहायक प्रोफेसर	9	0	0	1	0	10	56	
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतराष्ट्रिय हिंदी विश्व विद्यालय	प्रोफेसर	4	1	1	0	0	6	105	27.62
			एसो. प्रोफेसर	7	1	1	0	-1	8	76	
			सहायक प्रोफेसर	7	2	2	4	0	15	29	
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	30	8	4	0	0	42	489	28.83
			एसो. प्रोफेसर	36	6	10	0	1	53	348	
			सहायक प्रोफेसर	22	8	3	12	1	46	141	
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	21	6	3	0	1	31	468	41.45
			एसो. प्रोफेसर	33	10	6	0	3	52	274	
			सहायक प्रोफेसर	-26	34	21	73	9	111	194	
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	57	0	0	0	6	63	1626	21.09
			एसो. प्रोफेसर	112	-1	0	0	6	117	1283	
			सहायक प्रोफेसर	215	-1	-1	-60	10	163	343	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	76	1	0	0	4	81	1930	20.21
			एसो. प्रोफेसर	103	6	-1	0	11	119	1540	
			सहायक प्रोफेसर	173	-47	-25	79	10	190	390	
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	7	4	2	0	0	13	205	20.49
			एसो. प्रोफेसर	10	4	4	0	0	18	163	
			सहायक प्रोफेसर	5	2	2	2	0	11	42	
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय*	प्रोफेसर	48	11	5	0	3	67	852	64.44
			एसो. प्रोफेसर	110	29	15	0	5	159	303	
			सहायक प्रोफेसर	96	60	35	118	14	323	549	
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	प्रोफेसर	16	7	5	0	2	30	650	23.38
			एसो. प्रोफेसर	22	13	9	0	4	48	498	
			सहायक प्रोफेसर	80	9	5	-28	8	74	152	
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	593	121	71	0	26	811	11989	32.61
			एसो. प्रोफेसर	967	271	159	0	67	1464	8079	
			सहायक प्रोफेसर	780	169	111	499	76	1635	3910	
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय										
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	3	1	0	1	14	153	33.99
			एसो. प्रोफेसर	16	5	3	0	2	26	101	
			सहायक प्रोफेसर	4	3	2	2	1	12	52	
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	3	1	0	0	13	105	32.38
			एसो. प्रोफेसर	8	6	2	0	0	16	71	
			सहायक प्रोफेसर	4	0	0	1	0	5	34	
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	2	1	0	1	13	147	42.86
			एसो. प्रोफेसर	21	6	3	0	1	31	84	
			सहायक प्रोफेसर	10	3	1	4	1	19	63	

21. हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	24	4	2	0	1	39	225	75.56
		एसो. प्रोफेसर	41	9	4	0	2	56	55	
		सहायक प्रोफेसर	39	14	7	21	2	83	170	
22. हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	19	4	1	0	0	24	188	60.64
		एसो. प्रोफेसर	33	6	2	0	1	42	74	
		सहायक प्रोफेसर	21	6	4	17	0	48	114	
23. जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	14	3	1	0	1	19	158	38.61
		एसो. प्रोफेसर	24	6	3	0	2	35	97	
		सहायक प्रोफेसर	2	2	1	1	1	7	61	
24.	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	7	3	1	0	0	11	152	50.00
		एसो. प्रोफेसर	28	6	3	0	0	37	76	
		सहायक प्रोफेसर	12	4	2	10	0	28	76	
25. झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	13	3	1	0	0	17	171	46.78
		एसो. प्रोफेसर	25	5	4	0	2	36	91	
		सहायक प्रोफेसर	12	4	2	8	1	27	80	
26. कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	0	0	0	0	15	153	67.32
		एसो. प्रोफेसर	33	0	0	0	0	33	50	
		सहायक प्रोफेसर	55	0	0	0	0	55	103	
27. केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	4	3	1	0	0	8	150	19.33
		एसो. प्रोफेसर	8	4	3	0	1	16	121	
		सहायक प्रोफेसर	3	0	0	2	0	5	29	
28. ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	0	0	0	0	15	104	83.65
		एसो. प्रोफेसर	28	0	0	0	0	28	17	
		सहायक प्रोफेसर	44	0	0	0	0	44	87	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	13	3	1	0	0	17	147	36.05
			एसो. प्रोफेसर	14	6	3	0	1	24	94	
			सहायक प्रोफेसर	0	1	4	7	0	12	53	
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	13	3	1	0	1	18	188	34.57
			एसो. प्रोफेसर	12	6	3	0	1	22	123	
			सहायक प्रोफेसर	8	1	3	10	3	25	65	
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	3	1	0	0	13	166	42.17
			एसो. प्रोफेसर	19	7	4	0	0	30	96	
			सहायक प्रोफेसर	14	3	4	8	-2	27	70	
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	173	37	13	0	5	228	2207	47.89
			एसो. प्रोफेसर	310	72	37	0	13	432	1150	
			सहायक प्रोफेसर	228	41	30	91	7	397	1057	
	कुल (I + II)		प्रोफेसर	766	158	84	0	31	1039	14196	52.13
			एसो. प्रोफेसर	1277	343	196	0	80	1896	9229	
			सहायक प्रोफेसर	1008	210	141	590	83	2032	4967	
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय										
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	2	0	0	22	432	18.98
			एसो. प्रोफेसर	19	4	2	0	0	25	350	
			सहायक प्रोफेसर	37	-3	3	-2	0	35	82	
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	1	3	1	0	1	6	292	9.54
			एसो. प्रोफेसर	8	5	3	0	1	17	256	
			सहायक प्रोफेसर	1	1	0	1	1	4	27	

34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	10	3	1	0	0	14	202	14.85
			एसो. प्रोफेसर	11	1	1	0	0	13	172	
			सहायक प्रोफेसर	1	1	0	0	1	3	30	
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	4	3	0	0	24	347	33.14
			एसो. प्रोफेसर	29	10	3	0	0	42	232	
			सहायक प्रोफेसर	-27	17	7	51	1	49	115	
36.	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हॉल यूनिवर्सिटी	प्रोफेसर	37	5	2	0	1	45	445	27.42
			एसो. प्रोफेसर	47	9	1	0	1	58	323	
			सहायक प्रोफेसर	11	4	1	2	1	19	122	
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	5	0	0	0	23	382	19.11
			एसो. प्रोफेसर	21	2	2	0	1	26	309	
			सहायक प्रोफेसर	18	2	0	4	0	24	73	
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	26	5	1	0	1	33	253	23.72
			एसो. प्रोफेसर	13	4	0	0	1	18	193	
			सहायक प्रोफेसर	6	2	-4	3	2	9	60	
39.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	11	4	2	0	0	17	229	31.00
			एसो. प्रोफेसर	24	8	4	0	2	38	158	
			सहायक प्रोफेसर	9	1	-3	6	3	16	71	
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	30	6	3	0	0	39	278	37.41
			एसो. प्रोफेसर	25	7	4	0	2	38	174	
			सहायक प्रोफेसर	10	4	1	10	2	27	104	
	कुल-III (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	167	38	15	0	3	223	2851	23.99
			एसो. प्रोफेसर	197	50	20	0	8	275	2167	
			सहायक प्रोफेसर	66	29	5	75	11	186	684	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
	कुल-I (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	593	121	71	0	26	811	11989	32.61
			एसो. प्रोफेसर	967	271	159	0	67	1464	8079	
			सहायक प्रोफेसर	780	169	111	499	76	1635	3910	
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	173	37	13	0	5	228	2207	47.89
			एसो. प्रोफेसर	310	72	37	0	13	432	1150	
			सहायक प्रोफेसर	228	41	30	91	7	397	1057	
	ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	933	196	99	0	34	1262	17047	33.15
			एसो. प्रोफेसर	1474	393	216	0	88	2171	11396	
			सहायक प्रोफेसर	1074	239	146	665	94	2218	5651	
				3481	828	461	665	216	5651		

*विश्वविद्यालय ने दिनांक 1.4.2017 तक अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई

विवरण-II

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.01.2018 को गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या (श्रेणी-वार) का विवरण						
			संस्वीकृत पदों की संख्या						
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय									
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	समूह क	53	6	3	7	0	69
			समूह ख	77	10	6	22	2	117
			समूह ग	151	28	10	43	4	236
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	समूह क	73	3	0	6	2	84
			समूह ख	159	14	4	6	5	188
			समूह ग	640	132	60	205	31	1068
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	समूह क	24	7	3	12	0	46
			समूह ख	23	7	3	13	0	46
			समूह ग	179	53	26	96	0	354
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	समूह क	34	0	0	1	0	35
			समूह ख	52	3	3	1	0	59
			समूह ग	221	40	54	31	8	354
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	समूह क	123	23	12	42	5	205
			समूह ख	410	88	44	43	5	590
			समूह ग	1372	373	186	487	67	2485
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	समूह क	84	2	0	0	0	86
			समूह ख	83	3	2	0	0	88
			समूह ग	1045	114	7	0	10	1176
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	समूह क	64	13	7	19	1	104
			समूह ख	170	37	18	30	4	259
			समूह ग	543	324	76	230	29	1202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	समूह क	48	1	0	5	1	55
			समूह ख	120	21	9	15	2	167
			समूह ग	563	126	134	78	15	916
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	समूह क	19	0	0	0	0	19
			समूह ख	20	4	1	7	2	34
			समूह ग	49	10	15	9	3	86
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	समूह क	14	3	1	6	0	24
			समूह ख	22	7	3	11	2	45
			समूह ग	29	9	4	14	2	58
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	समूह क	58	5	3	1	1	68
			समूह ख	129	14	4	2	4	153
			समूह ग	395	64	19	8	7	493
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय	समूह क	27	7	3	13	1	51
			समूह ख	24	16	4	14	3	61
			समूह ग	440	198	39	59	12	748
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	समूह क	181	0	0	0	6	187
			समूह ख	1256	0	0	0	31	1287
			समूह ग	4940	0	0	0	148	5088
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	समूह क	160	23	10	40	2	235
			समूह ख	1533	321	155	336	2	2347
			समूह ग	3314	657	221	1060	31	5283
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	समूह क	24	2	0	3	0	29
			समूह ख	43	2	1	5	0	51
			समूह ग	66	19	2	19	0	106
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय*	समूह क	47	2	0	10	0	59
			समूह ख	19	3	1	5	0	28
			समूह ग	707	215	31	346	0	1299
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	समूह क	73	6	0	10	4	93
			समूह ख	198	30	13	15	6	262
			समूह ग	866	265	57	199	58	1445
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय)		समूह क	1106	103	42	175	23	1449
			समूह ख	4338	580	271	525	68	5782
			समूह ग	15520	2627	941	2884	425	22397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय								
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	20	0	0	0	1	21
			समूह ख	25	2	0	4	1	32
			समूह ग	53	5	2	13	1	74
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	10	0	0	0	0	10
			समूह ख	16	0	0	1	0	17
			समूह ग	25	0	0	4	0	29
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	18	1	0	0	1	20
			समूह ख	18	3	1	8	1	31
			समूह ग	42	10	4	16	3	75
21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	20	0	0	0	0	20
			समूह ख	26	0	0	1	1	28
			समूह ग	43	3	0	8	2	56
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	17	0	0	0	0	17
			समूह ख	30	1	0	0	0	31
			समूह ग	68	0	3	2	0	73
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	19	0	0	0	1	20
			समूह ख	25	1	0	4	1	31
			समूह ग	48	3	1	9	2	63
24.		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	20	0	0	0	0	20
			समूह ख	25	0	0	4	0	29
			समूह ग	45	4	1	9	2	61
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	15	1	1	2	1	20
			समूह ख	27	2	0	5	1	35
			समूह ग	63	8	3	19	2	95
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	19	0	0	1	0	20
			समूह ख	34	0	0	0	0	34
			समूह ग	71	1	0	4	0	76
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	21	0	0	0	0	21
			समूह ख	25	1	0	3	1	30
			समूह ग	58	6	1	14	3	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	10	3	1	5	1	20
			समूह ख	15	4	2	7	1	29
			समूह ग	33	10	14	7	2	66
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	20	0	0	2	0	22
			समूह ख	27	1	0	5	1	34
			समूह ग	52	5	1	14	3	75
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	18	0	0	1	1	20
			समूह ख	29	1	0	3	2	35
			समूह ग	68	7	6	8	3	92
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	11	3	1	5	0	20
			समूह ख	17	5	2	8	0	32
			समूह ग	38	12	5	19	0	74
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	238	8	3	16	6	271
			समूह ख	339	21	5	53	10	428
			समूह ग	707	74	41	146	23	991
	कुल (I + II)		समूह क	1344	111	45	191	29	1720
			समूह ख	4677	601	276	578	78	6210
			समूह ग	16227	2701	982	3030	448	23388
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय								
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	समूह क	30	1	1	9	0	41
			समूह ख	58	15	5	14	1	93
			समूह ग	131	28	12	55	1	227
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	समूह क	27	4	2	6	0	39
			समूह ख	40	8	3	7	1	59
			समूह ग	89	26	13	47	8	183
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	समूह क	23	0	0	0	0	23
			समूह ख	35	2	0	7	1	45
			समूह ग	115	14	6	20	1	156
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	समूह क	21	5	3	9	1	39
			समूह ख	35	11	5	18	0	69
			समूह ग	212	51	42	95	9	409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	मेघालय	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	समूह क	67	0	0	0	0	67
			समूह ख	94	27	13	49	2	185
			समूह ग	376	7	335	37	10	765
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	समूह क	33	2	1	3	0	39
			समूह ख	69	3	3	5	0	80
			समूह ग	280	0	93	5	6	384
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	समूह क	33	0	0	2	1	36
			समूह ख	81	1	1	4	0	87
			समूह ग	347	0	135	0	6	488
39.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	समूह क	8	2	1	4	1	16
			समूह ख	18	3	1	7	1	30
			समूह ग	19	4	2	8	1	34
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	समूह क	24	1	3	2	1	31
			समूह ख	40	1	1	3	1	46
			समूह ग	106	26	38	3	4	177
	कुल-III (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	266	15	11	35	4	331
			समूह ख	470	71	32	114	7	694
			समूह ग	1675	156	676	270	46	2823
	कुल-I (गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	1106	103	42	175	23	1449
			समूह ख	4338	580	271	525	68	5782
			समूह ग	15520	2627	941	2884	425	22397
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	238	8	3	16	6	271
			समूह ख	339	21	5	53	10	428
			समूह ग	707	74	41	146	23	991
	ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	1610	126	56	226	33	2051
			समूह ख	5147	672	308	692	85	6904
			समूह ग	17902	2857	1658	3300	494	26211
				24659	3655	2022	4218	612	35166

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.01.2018 को गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या (श्रेणी-वार)						
				भरे हुए पदों की संख्या					
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय									
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	समूह क	51	3	3	4	0	61
			समूह ख	68	8	3	19	2	100
			समूह ग	150	26	8	40	3	227
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	समूह क	49	5	2	8	0	64
			समूह ख	92	14	7	4	0	117
			समूह ग	363	132	42	51	12	600
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	समूह क	13	2	3	1	0	19
			समूह ख	21	3	3	2	0	29
			समूह ग	54	46	18	33	2	153
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	समूह क	18	1	1	2	0	22
			समूह ख	10	5	4	7	0	26
			समूह ग	92	32	33	79	4	240
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	समूह क	71	16	3	7	3	100
			समूह ख	271	49	19	3	1	343
			समूह ग	641	219	19	127	26	1032
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	समूह क	77	2	0	0	0	79
			समूह ख	80	3	2	0	0	85
			समूह ग	1001	114	7	0	10	1132
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	समूह क	52	8	8	11	3	82
			समूह ख	147	26	14	8	3	198
			समूह ग	431	230	46	96	22	825
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	समूह क	22	3	1	3	0	29
			समूह ख	58	5	1	3	0	67
			समूह ग	337	143	32	21	2	535

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	समूह क	17	0	0	0	0	17
			समूह ख	10	0	1	1	0	12
			समूह ग	34	5	11	9	0	59
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	समूह क	8	5	2	4	0	17
			समूह ख	23	4	1	7	2	36
			समूह ग	16	6	2	16	1	41
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	समूह क	28	8	0	6	1	43
			समूह ख	102	24	3	11	3	143
			समूह ग	235	59	21	21	7	343
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय	समूह क	21	1	0	0	0	22
			समूह ख	24	9	0	1	1	35
			समूह ग	363	107	7	26	8	511
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	समूह क	130	0	0	0	0	130
			समूह ख	951	0	0	0	2	953
			समूह ग	4813	0	0	0	48	4861
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	समूह क	125	20	7	30	0	182
			समूह ख	998	186	85	192	1	1462
			समूह ग	2006	447	175	668	15	3311
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	समूह क	15	2	0	2	0	19
			समूह ख	29	1	0	4	1	35
			समूह ग	43	14	0	15	1	73
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय*	समूह क	16	1	0	2	1	20
			समूह ख	13	2	0	1	0	16
			समूह ग	505	140	0	279	4	928
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	समूह क	50	8	2	5	0	65
			समूह ख	162	27	12	5	0	206
			समूह ग	349	130	31	20	5	535
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय)		समूह क	763	83	32	85	8	971
			समूह ख	3059	366	155	268	15	3863
			समूह ग	11433	1850	452	1501	170	15406

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय								
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	15	0	0	0	1	16
			समूह ख	20	1	0	3	1	25
			समूह ग	44	5	2	10	1	62
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	2	0	0	0	0	2
			समूह ख	7	0	0	1	0	8
			समूह ग	0	1	0	0	0	1
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	5	0	0	0	0	5
			समूह ख	1	0	0	1	0	2
			समूह ग	5	1	2	0	0	8
21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	13	0	0	0	0	13
			समूह ख	15	0	0	1	0	16
			समूह ग	39	3	0	8	1	51
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	5	0	0	0	0	5
			समूह ख	4	1	0	0	0	5
			समूह ग	9	0	3	3	0	15
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	11	0	0	0	0	11
			समूह ख	11	1	0	2	0	14
			समूह ग	24	0	1	5	0	30
24.		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	12	0	0	0	0	12
			समूह ख	16	0	0	2	0	18
			समूह ग	41	1	1	6	1	50
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	8	1	1	2	0	12
			समूह ख	14	1	0	2	0	17
			समूह ग	21	4	1	7	1	34
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	7	0	0	1	0	8
			समूह ख	8	0	0	0	0	8
			समूह ग	28	1	0	3	0	32
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	13	0	0	0	0	13
			समूह ख	14	1	0	2	0	17
			समूह ग	24	1	0	5	0	30

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	5	0	0	0	0	5
			समूह ख	7	0	0	0	0	7
			समूह ग	7	0	0	0	2	9
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	14	0	0	1	0	15
			समूह ख	13	0	0	2	0	15
			समूह ग	38	6	1	9	1	55
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	12	0	0	1	0	13
			समूह ख	16	1	0	1	0	18
			समूह ग	43	6	2	7	1	59
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	11	1	0	4	0	16
			समूह ख	12	0	0	1	0	13
			समूह ग	19	3	0	11	1	34
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	133	2	1	9	1	146
			समूह ख	158	6	0	18	1	183
			समूह ग	342	52	13	74	9	470
	कुल (I + II)		समूह क	896	85	33	94	9	1117
			समूह ख	3217	372	155	286	16	4046
			समूह ग	11775	1882	465	1575	179	15876
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय								
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	समूह क	25	1	1	9	0	36
			समूह ख	56	15	5	13	1	90
			समूह ग	106	27	12	54	1	200
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	समूह क	25	4	2	5	0	36
			समूह ख	35	7	3	6	1	52
			समूह ग	86	24	12	46	8	176
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	समूह क	4	0	14	0	0	18
			समूह ख	17	1	17	3	1	39
			समूह ग	59	2	78	10	1	150
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	समूह क	15	2	4	1	0	22

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
			समूह ख	38	4	18	4	0	64
			समूह ग	178	15	74	6	4	277
36.	मेघालय	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	समूह क	51	0	0	0	0	51
			समूह ख	42	25	12	44	1	124
			समूह ग	171	5	206	30	1	413
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	समूह क	28	2	1	3	0	34
			समूह ख	66	2	2	4	0	74
			समूह ग	260	0	82	4	5	351
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	समूह क	26	1	4	1	1	33
			समूह ख	71	3	7	1	0	82
			समूह ग	334	0	132	0	6	472
24	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	समूह क	13	0	0	1	0	14
			समूह ख	17	0	1	3	0	21
			समूह ग	20	4	2	6	1	33
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	समूह क	23	0	3	1	0	27
			समूह ख	30	1	1	2	0	34
			समूह ग	89	22	29	2	3	145
	कुल-III (गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	210	10	29	21	1	271
			समूह ख	372	58	66	80	4	580
			समूह ग	1303	99	627	158	30	2217
	कुल-I (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	763	83	32	85	8	971
			समूह ख	3059	366	155	268	15	3863
			समूह ग	11433	1850	452	1501	170	15406
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	133	2	1	9	1	146
			समूह ख	158	6	0	18	1	183
			समूह ग	342	32	13	74	9	470
	ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	1106	95	62	115	10	1388
			समूह ख	3589	430	221	366	20	4626
			समूह ग	13078	1981	1092	1733	209	18093
				17773	2506	1375	2214	239	24107

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.01.2018 को गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या (श्रेणी-वार)							संस्वीकृत भरे गए रिक्त	रिक्त पदों का प्रतिशत
				संस्वीकृत पदों की संख्या							
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल		
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय											
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	समूह क	2	3	0	3	0	8	422	8.06
			समूह ख	9	2	3	3	0	17	388	
			समूह ग	1	2	2	3	1	9	34	
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	समूह क	24	-2	-2	-2	2	20	1340	41.72
			समूह ख	67	0	-3	2	5	71	781	
			समूह ग	277	0	18	154	19	468	559	
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	समूह क	11	5	0	11	0	27	446	54.93
			समूह ख	2	4	0	11	0	17	201	
			समूह ग	125	7	8	63	-2	201	245	
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	समूह क	16	-1	-1	-1	0	13	448	35.71
			समूह ख	42	-2	-1	-6	0	33	288	
			समूह ग	129	8	21	-48	4	114	160	
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	समूह क	52	7	9	35	2	105	3280	65.03
			समूह ख	139	39	25	40	4	247	1475	
			समूह ग	731	154	167	360	41	1453	1805	
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	समूह क	7	0	0	0	0	7	1350	4.00
			समूह ख	3	0	0	0	0	3	1296	
			समूह ग	44	0	0	0	0	44	54	
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	समूह क	12	5	-1	8	-2	22	1565	29.39
			समूह ख	23	11	4	22	1	61	1105	
			समूह ग	112	94	30	134	7	377	460	
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	समूह क	26	-2	-1	2	1	26	1138	44.55
			समूह ख	62	16	8	12	2	100	631	
			समूह ग	226	-17	102	57	13	381	507	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	समूह क	2	0	0	0	0	2	139	36.69
			समूह ख	10	4	0	6	2	22	88	
			समूह ग	15	5	4	0	3	27	51	
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यालय	समूह क	6	0	-1	2	0	7	127	25.98
			समूह ख	-1	3	2	4	1	9	94	
			समूह ग	15	3	2	-2	1	17	33	
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	समूह क	30	-3	3	-5	0	23	714	25.91
			समूह ख	27	-10	1	-9	1	10	529	
			समूह ग	160	5	-2	-13	0	150	185	
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	समूह क	6	6	3	13	1	29	860	33.95
			समूह ख	0	7	4	13	2	26	568	
			समूह ग	77	91	32	33	4	237	292	
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	समूह क	51	0	0	0	6	57	6562	9.42
			समूह ख	305	0	0	0	29	334	5944	
			समूह ग	127	0	0	0	100	227	618	
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	समूह क	35	3	3	10	2	53	7865	37.00
			समूह ख	535	135	70	144	1	885	9455	
			समूह ग	1308	210	46	392	16	1972	2910	
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	समूह क	9	0	0	1	0	10	186	31.72
			समूह ख	14	1	1	1	-1	16	127	
			समूह ग	23	5	2	4	-1	33	59	
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय*	समूह क	31	1	0	8	-1	39	1386	30.46
			समूह ख	6	1	1	4	0	12	964	
			समूह ग	202	75	31	67	-4	371	422	
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	समूह क	23	-2	-2	5	4	28	1800	55.22
			समूह ख	36	3	1	10	6	56	806	
			समूह ग	517	135	26	179	53	910	994	
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय)		समूह क	343	20	10	90	15	478	29628	31.69
			समूह ख	1279	214	116	257	53	1919	20240	
			समूह ग	4087	777	489	1383	255	6991	9388	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय										
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	5	0	0	0	0	5	127	18.90
			समूह ख	5	1	0	1	0	7	103	
			समूह ग	9	0	0	3	0	12	24	
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	8	0	0	0	0	8	56	80.38
			समूह ख	9	0	0	0	0	9	11	
			समूह ग	25	-1	0	4	0	28	45	
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	13	1	0	0	1	15	126	88.10
			समूह ख	17	3	1	7	1	29	15	
			समूह ग	37	9	2	16	3	67	111	
21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	7	0	0	0	0	7	104	23.08
			समूह ख	11	0	0	0	1	12	80	
			समूह ग	4	0	0	0	1	5	24	
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	12	0	0	0	0	12	121	79.34
			समूह ख	26	0	0	0	0	26	25	
			समूह ग	59	0	0	-1	0	58	96	
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	8	0	0	0	1	9	114	51.75
			समूह ख	14	0	0	2	1	17	55	
			समूह ग	24	3	0	4	2	33	59	
24.		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	8	0	0	0	0	8	110	27.27
			समूह ख	9	0	0	2	0	11	80	
			समूह ग	4	3	0	3	1	11	30	
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	7	0	0	0	1	8	150	58.00
			समूह ख	13	1	0	3	1	18	63	
			समूह ग	42	4	2	12	1	61	87	
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	12	0	0	0	0	12	130	63.08
			समूह ख	26	0	0	0	0	26	48	
			समूह ग	43	0	0	1	0	44	82	
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	8	0	0	0	0	8	133	54.89
			समूह ख	11	0	0	1	1	13	60	
			समूह ग	34	5	1	9	3	52	73	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	5	3	1	5	1	15	115	81.74
			समूह ख	8	4	2	7	1	22	21	
			समूह ग	26	10	14	7	0	57	94	
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	6	0	0	1	0	7	131	35.11
			समूह ख	14	1	0	3	1	19	85	
			समूह ग	14	-1	0	5	2	20	46	
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	6	0	0	0	1	7	147	38.78
			समूह ख	13	0	0	2	2	17	90	
			समूह ग	25	1	4	1	2	33	57	
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	0	2	1	1	0	4	126	50.00
			समूह ख	5	5	2	7	0	19	63	
			समूह ग	19	9	5	8	-1	40	63	
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	105	6	2	7	5	125	1690	52.72
			समूह ख	181	15	5	35	9	245	799	
			समूह ग	365	42	28	72	14	521	891	
	कुल (I + II)		समूह क	448	26	12	97	20	603	31318	32.82
			समूह ख	1460	329	212	292	62	2164	21039	
			समूह ग	4452	819	517	1455	269	7512	10279	
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय										
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	समूह क	5	0	0	0	0	5	361	9.70
			समूह ख	2	0	0	1	0	3	326	
			समूह ग	25	1	0	1	0	27	35	
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	समूह क	2	0	0	1	0	3	281	6.05
			समूह ख	5	1	0	1	0	7	264	
			समूह ग	3	2	1	1	0	7	17	
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	समूह क	19	0	-14	0	0	5	224	7.59
			समूह ख	18	1	-17	4	0	6	207	
			समूह ग	56	12	-72	10	0	6	17	
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	समूह क	6	3	-1	8	1	17	517	29.79
			समूह ख	-3	7	-13	-14	0	5	363	
			समूह ग	34	36	-32	89	5	132	154	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
36.	मेघालय	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	समूह क	16	0	0	0	0	16	1017	42.18
			समूह ख	52	2	1	5	1	61	588	
			समूह ग	205	2	129	7	9	352	429	
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	समूह क	5	0	0	0	0	5	503	8.75
			समूह ख	3	1	1	1	0	6	459	
			समूह ग	20	0	11	1	1	33	44	
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	समूह क	7	-1	-4	1	0	3	611	3.93
			समूह ख	10	-2	-6	3	0	5	587	
			समूह ग	13	0	3	0	0	16	24	
24	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	समूह क	-5	2	1	3	1	2	80	15.00
			समूह ख	1	3	0	4	1	9	68	
			समूह ग	-1	0	0	2	0	1	12	
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	समूह क	1	1	0	1	1	4	254	18.90
			समूह ख	10	0	0	1	1	12	206	
			समूह ग	17	4	9	1	1	32	48	
	कुल-III (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	56	5	-18	14	3	60	3848	20.27
			समूह ख	98	13	-34	34	3	114	3068	
			समूह ग	372	57	49	112	16	606	780	
	कुल-I (गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	343	20	10	90	15	478	29628	31.69
			समूह ख	1279	214	116	257	53	1919	20240	
			समूह ग	4087	777	489	1383	255	6991	9388	
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	105	6	2	7	5	125	1690	52.72
			समूह ख	181	15	5	35	9	245	799	
			समूह ग	365	42	28	72	14	521	891	
	ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	504	31	-6	111	23	663	35166	31.45
			समूह ख	1558	242	87	326	65	2278	24107	
			समूह ग	4824	876	566	1567	285	8118	11059	
				6886	1149	647	2004	373	11059		

विवरण-III

2017-18 के दौरान शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए सीयूएस के वेतन शीर्ष के तहत मौजूदा तिथि तक जारी अनुदान

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	वेतन शीर्ष के तहत जारी अनुदान
1	2	3
	गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय	
1.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	6477.34
2.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	17922.84
3.	अंग्रेज़ी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	5597.46
4.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	3895.94
5.	दिल्ली विश्वविद्यालय	34766.74
5क.	यूसीएमएस	8363.87
6.	जामिया मिलिया इस्लामिया	25074.70
7.	जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय	22925.36
8.	डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय	9086.24
9.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय	1991.08
10.	महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	745.72
11.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	10695.97
12.	हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय	7248.54
13.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	80487.11
14.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	75064.89
15.	बी.बी.ए.यू.	3168.44
16.	इलाहबाद विश्वविद्यालय	22552.10
17.	विश्वभारती	17562.61
	कुल (I)	353626.95
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय	
18.	केंद्रीय बिहार विश्वविद्यालय	1676.54
19.	एमजीसीयू मोतिहारी	1264.45
20.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	405.13
21.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	1127.58
22.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	1558.50
23.	जम्मू केंद्रीय विशवविद्यालय	1656.65
24.	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	1897.25
25.	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	1352.65
26.	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	1430.65
27.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	2160.87
28.	ओड़िशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	1278.07
29.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	1370.80
30.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	3266.55
31.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	1336.36
	कुल (II)	21782.05
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय	
32.	असम विश्वविद्यालय	9103.93
33.	तेजपुर विश्वविद्यालय	6326.48
34.	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय	4100.46
35.	मणिपुर विश्वविद्यालय	10166.01
36.	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय	16697.21
37.	मिजोरम विश्वविद्यालय	8662.73
38.	नागालैंड विश्वविद्यालय	8894.56
39.	सिक्किम विश्वविद्यालय	2742.29
40.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	5143.93
	कुल (III)	71837.60
	कुल योग	447246.60

कामगारों को निकालना

5531. **डॉ. पी. वेणुगोपालः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार 500 कामगारों वाले कारखानों को सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना कामगारों को निकालने या दुकान बंद करने की अनुमति देने का है ताकि फर्मो को काम लो और कर्नचारियों को निकालो के संबंध में सुगम्यता दी जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उद्योगों ने कारखानों के लिए कामगारों की छंटनी की सीमा को 100 से बढ़ाकर 500 कामगार करने की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इस संबंध में मंत्री समूह के साथ चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बैठक में क्या चर्चाएं हुई थी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) से छंटनी करने की अनुमति लेने हेतु कारखानों के लिए सीमा को 100 कामगारों से बढ़ाकर 500 कामगार करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) में दिए उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न लागू नहीं उठता।

जनजातीय बच्चों को गोदना

5532. **श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः**
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री पी.आर. सुन्दरमः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री राजीव सातवः
डॉ. जे. जयवर्धनः
श्री धनंजय महाडीकः

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किन राज्यों में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है और देश के विभिन्न राज्यों में कितने जनजातीय बच्चों को (गरम वस्तु से दागने सहित) उनके ऊपर कोई निशान बनाया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पता चली ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न राज्यों में झाड़फूंक करने वालों की संख्या की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा दागने के हानिकारक प्रभावों के बारे में जनजातीय लोगों की जागरुकता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर): (क) और (ख) देश में अनुसूचित जनजाति (अजजा) की जनसंख्या की सबसे ज्यादा सघनता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में है। देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को (गरम वस्तु से दागने सहित) उनके ऊपर कोई निशान बनाने की संचित संख्या के संबंध में सूचना का केन्द्रीय रुप से रखरखाव जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के सांविधिक अधिनियम/दिशा-निर्देश हैं।

(ग) और (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास देश में पारम्परिक झाड़फूंक करने वालों के ब्यौरे केन्द्रीय रुप से उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, मंत्रालय न केवल बहुत उपयोगी चिकित्सा पद्धतियों के रुप में अपितु जैव-विविधता तथा भारत की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए भी जनजातीय चिकित्सा तथा चिकित्सकीय पौधों पद्धतियों के प्रलेखन का राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रसार कर रहा है।

(ङ) भारत सरकार समय-समय पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सामाजिक मीडिया के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए विभिन्न कार्यक्रमबद्ध/योजनाबद्ध उपायों के लिए जागरुकता प्रदान करती है। इसमें स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरुकता/परामर्शियां तथा स्वास्थ्य अवसंरचना की उपयोगिता आदि शामिल है।

रबड़ बोर्ड को बजटीय आवंटन

5533. **श्री जोस के. मणिः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रबड़ बोर्ड को आवंटित किए जाने वाले बजटीय

आवंटन का अधिकांश हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों संबंधी स्थापना व्यय के रूप में खर्च किया जाता है और रबड़ किसानों के कल्याण हेतु कुल आवंटन का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रबड़ बोर्ड के स्थापना व्ययों का इष्टतम उपयोग करने और/अथवा हितधारकों पर पर्याप्त व्यय सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में कदम उठाए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। रबड बोर्ड के कुल बजटीय आबंटन का लगभग 77 प्रतिशत स्थापना संबंधी व्यय पर खर्च होता है जिसके परिणाम स्वरूप रबड़ कृषकों के कल्याण सहित प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र के विकास के लिए की जाने वाली अनेक गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु आबंटन कम होता है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) रबड बोर्ड द्वारा अपनी स्थापना व्यय का इष्टतम उपयोग करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यालयों और अवस्थापनाओं का पुनर्गठन/पुनर्सरंचना, स्टाफ की स्वीकृत संख्या में कटौती, वेतन एवं मजदूरी भुगतानों का केंद्रीकरण और विभिन्न विभागों का मुख्यालय में विलय शामिल है। रबड बोर्ड को अधिक बजटीय आबंटन करने और रबड बोर्ड द्वारा आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) में वृद्धि करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

इसके अलावा, रबड बोर्ड केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ योजनाओं की अभिसारिता के माध्यम से उत्पादकों की सहायता करने के लिए विकासात्मक गतिविधियां भी कर रहा है। उदाहरण के लिए, रबड बोर्ड ने वर्ष 2017-18 में 6.17 करोड़ रुपए के परिव्यय से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत कौशल विकास गतिविधियां का कार्यान्वयन किया है। इसके अतिरिक्त, रबड उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केरल सरकार द्वारा "रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन स्कीम" क्रियान्वयन के तहत है जिसमें 150 रुपए प्रति कि. की स्कीम रेफरेंस कीमत और दैनिक बाजार कीमत के बीच अंतर को खरीद बिलों के आधार पर सीधा कृषक के बैंक खातों में जमा कर दिया जाता है। यह स्कीम रबड बोर्ड द्वारा प्रोत्साहित रबड़ उत्पादक सोसाइटियों (आरपीएस) के माध्यम से संचालित की जा रही है।

विवरण

मध्यावधि फ्रेमवर्क (2017-18 से 2019-20)

घटक और अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपये)

क्र. सं.	घटक	2017-18	2018-19	2019-20	Total
1.	रबर बागान विकास और विस्तार	25.02	31.27	40.33	96.62
2.	रबर अनुसंधान	3.00	4.31	6.76	14.07
3.	प्रसंस्करण और विपणन, अवसंरचना विकास और विशेष सेवाओं के लिए सहायता	7.99	9.11	8.35	25.45
4.	मानव संसाधन विकास	3.00	3.94	4.87	11.81
5.	लंबित देयताएं	18.00	0	0	18.00
6.	वेतन और पेंशन	142.67	152.66	163.35	458.68
7.	7वीं सीपीसी के कारण वेतन में वृद्धि	9.43	10.09	10.80	30.32
8.	7वीं सीपीसी के कारण भत्तों में वृद्धि	5.00	5.35	5.72	16.07
9.	7वीं सीपीसी की बकाया राशि	14.96	0	0	14.96
10.	स्थापना लागत (वेतन और पेंशन के अलावा)	12.00	12.00	12.00	36.00
	कुल	241.07	228.73	252.18	721.98

[हिन्दी]

पर्यटन के विकास हेतु राज्यों को विशेष पैकेज

5534. **श्री रमेश चन्द्र कौशिकः** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पर्यटन के विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही प्राथमिक परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत परियोजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और उपयोग की गई है और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार पर्यटन के विकास हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कोई विशेष पैकेज प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रदान किए गए पैकेज का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पर्यटन अवसरंचना के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्राप्ति, निधियों की उपलब्धता, पूर्व में जारी निधियों के सापेक्ष लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के परिसमापन और संगत योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन के संवर्धन हेतु सुविधाएं और पर्यटन संबंधी अवसरंचना के विकास के लिए अपनी दो प्रमुख योजनाएं नामतः 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' शुरू की हैं। देश में विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 15 थीम आधारित परिपथों और प्रशाद योजना के अंतर्गत 25 धार्मिक शहरों/स्थलों की पहचान की गई है।

स्वदेश दर्शन एवं प्रशाद योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज प्रदान नहीं करता है।

(ङ) पर्यटन मंत्रालय फिल्ड निरीक्षणों एवं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से परियोजनाओं के भौतिक प्रगति की निगरानी करता है।

विवरण

स्वदेश दर्शन और प्रशाद योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे

स्वदेश दर्शन योजना (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
	वर्ष 2014-15				
1.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	अरुणाचल प्रदेश में भालुकपोंग-बोमडिला और तवांग में मेगा परिपथ का विकास	49.77	36.18
2.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	आंध्र प्रदेश में विश्व स्तरीय तटवर्ती एवं ईको पर्यटन परिपथ के रूप में काकीनाडा होप आईलैंड कोनासीमा का विकास	69.83	55.86
		2014-15 का योग		119.6	92.04

1	2	3	4	5	6
	वर्ष 2015-16				
3.	मणिपुर	पूर्वोत्तर परिपथ	मणिपुर में पर्यटक परिपथ का विकासः इम्फाल-मोइरांग-खोंजोम-मोरेह	89.66	61.32
4.	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	सिक्किम में रांग्पो (प्रवेश)- रोराथांग-अरितर-फाडमचेन-नाथंग-शेराथांग-त्सोंग्मो-गंगटोक-फोडोंग-मंगन-लाचुंग-युमथांग-लाचेन-थांगू-गुरूदोंगमेर-मंगन-गंगटोक-तुमिन लिंगी-सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास	98.05	71.57
5.	उत्तराखंड	इको परिपथ	नए गंतव्य के रूप में उत्तराखण्ड, जिला टिहरी में टिहरी झील और आसपास के विकास के लिए इको-पर्यटन, रोमांचकारी क्रीड़ा, पर्यटन से जुड़ी अवसंरचना का एकीकृत विकास	80.37	64.30
6.	राजस्थान	मरूस्थल परिपथ	मरूस्थल परिपथ के अंतर्गत राजस्थान में साम्भर लेक टाउन एवं अन्य गंतव्यों का विकास	63.96	46.99
7.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	जनजातीय परिपथ पेरेन-कोहिमा-वोखा, नागालैंड का विकास	97.36	72.05
8.	मध्य प्रदेश	वन्यजीव परिपथ	मध्य प्रदेश में पन्ना-मुकुन्दपुर- संजय-डुबरी-बांधवगढ़-कान्हा-मुक्की-पेन्च में वन्यजीव परिपथ का विकास	92.22	56.24
9.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में श्री पोट्टी श्रीरामलू नेल्लोर में तटवर्ती पर्यटन परिपथ का विकास	59.70	44.30
10.	तेलंगाना	इको परिपथ	तेलंगाना के महबूबनगर जिला में ईको पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	91.62	45.81
11.	केरल	इको परिपथ	केरल के इडुकी और पथानामथिट्टा जिलों में पथानामथिट्टा-गावी-वागमोन-थेक्काडी का ईको पर्यटन परिपथ के रूप में विकास	90.06	49.61
12.	मिजोरम	पूर्वोत्तर परिपथ	थेंजावल एवं साउथ जोट, जिला सेरचिप और रेइक, मिजोरम में स्वदेश दर्शन पूर्वोत्तर परिपथ के अंतर्गत नए इको-पर्यटन का एकीकृत विकास	94.91	75.92
13.	असम	वन्य जीव परिपथ	असम में वन्य जीव परिपथ के रूप में मानस-प्रोबितोरा-नामेरी-काजीरंगा-डिब्रू-सेखोवा का विकास	95.67	43.05
14.	पुदुचेरी	तटवर्ती परिपथ	'स्वदेश दर्शन' स्कीम के अंतर्गत पर्यटक परिपथ के रूप में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का विकास (तटवर्ती परिपथ)	85.28	38.43

1	2	3	4	5	6
15.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	अरुणाचल प्रदेश में नए रोमांचकारी पर्यटन का परिपथ एकीकृत विकास	97.14	74.27
16.	त्रिपुरा	पूर्वोत्तर परिपथ	त्रिपुरा में: अगरतला-सिपाहिजला-मेलाघर-उदयपुर-अमरपुर-तीर्थमुख-मंदिरघाट-दुम्बूर-नरिकेलकुंज-गंडाचरा-अम्बासा पूर्वोत्तर परिपथ का विकास	99.59	49.79
17.	पश्चिम बंगाल	तटवर्ती परिपथ	पश्चिम बंगाल में समुद्रतट परिपथ: उदयपुर-दीघा-शंकरपुर-ताजपुर-मंदारमणि-फ्रेजरगंज-बक्खलई-हेनरी द्वीप का विकास	85.39	42.69
18.	छत्तीसगढ़	जनजातीय परिपथ	छत्तीसगढ़ में जशपुर-कुंकुरी-मैनपत-अंबिकापुर-महेशपुर-रतनपुर-कुरदार-सरोदादादर-गंगरेल-कोंडागांव-नथयानावगांव-जगदलपुर-चित्रकूट-तीर्थगढ़ में जनजातीय पर्यटन परिपथ का विकास	99.94	45.01
19.	महाराष्ट्र	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग तटवर्ती परिपथ का विकास	82.17	12.79
		2015-16 का योग		1503.09	894.14
	वर्ष 2016-17				
20.	गोवा	तटवर्ती परिपथ	गोवा में तटवर्ती परिपथ (सिक्वेरियम-बागा-अंजुना-वेगेटर-मोरजिम-केरी-अगौदा किला और अगौदा जेल) का विकास	99.99	72.56
21.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं का एकीकृत विकास	82.97	41.48
22.	तेलंगाना	जनजातीय परिपथ	तेलंगाना में मुलुगु-लकनावरम-मेदावरम-तडवई-दमारवी-मल्लूर-बोगाथा जलप्रपात का जनजातीय परिपथ के रूप में एकीकृत विकास	84.40	38.37
23.	मेघालय	पूर्वोत्तर परिपथ	उमियम (लेक-व्यू) यूलुम-सोहपेटबनेंग-मावडियांगडियांग-आर्किड लेक रिजार्ट, मेघालय का विकास	99.13	44.61
24.	मध्य प्रदेश	बौद्ध परिपथ	मध्य प्रदेश में सांची-सतना-रीवा-मंदसौर-धार में बौद्ध परिपथ का विकास	74.94	14.99
25.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	पाथानामथिट्टा जिला, केरल में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में सबरीमाला-एरूमेलि-पम्पा-सन्नीधानम का विकास	99.99	20.00
26.	कर्नाटक	तटवर्ती परिपथ	कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिला, उत्तर कन्नड़ जिला एवं उडुपी जिला में तटीय परिपथ का विकास	95.67	19.13

1	2	3	4	5	6
27.	मणिपुर	आध्यात्मिक परिपथ	आध्यात्मिक परिपथ-श्रीगोविंदजी मंदिर-श्रीबिजय गोविंदजी मंदिर-श्रीगोपीनाथ मंदिर-श्रीबंगशीबोदन मंदिर-श्रीकैना मंदिर, मणिपुर का विकास	53.80	24.24
28.	गुजरात	विरासत परिपथ	गुजरात में अहमदाबाद-राजकोट-पोरबंदर-बारदोली-दांडी में विरासत परिपथ का विकास	93.48	18.70
29.	हरियाणा	कृष्ण परिपथ	कुरूक्षेत्र, हरियाणा में महाभारत से संबंधित स्थानों में पर्यटन अवसंरचना विकास	97.35	31.47
30.	राजस्थान	कृष्ण परिपथ	राजस्थान में गोविन्द देव जी मंदिर (जयपुर), खाटूश्याम जी (सीकर) और नाथद्वारा (राजसमंद) का एकीकृत विकास	91.45	41.78
31.	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	सिक्किम में सिंगतम-माका-तेमी-बेरमोइक तोकल-फोंगिया-नामची-जोरथांग-ओकारे-सोमबारिया-दरमदीन-जोरेथांग-मेली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ विकास	95.32	19.06
32.	मध्य प्रदेश	विरासत परिपथ	विरासत परिपथ का विकास (ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो-चंदेरी-भीमबेटका-मांडु) मध्य प्रदेश का विकास	99.77	29.95
33.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	केरल में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में श्री पदमनाभ अरनामुला-सबरीमाला का विकास	92.44	44.75
34.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	बिहार में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में जैन परिपथः वैशाली-आरा-मसाद-पटना-राजगीर-पावापुरी-चंपापुरी का विकास	52.39	24.06
35.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	बिहार में आध्यात्मिक परिपथ के अंतर्गत कांवड़िया रूट, सुल्तानगंज-धर्मशाला-देवघर का एकीकृत विकास	52.35	24.05
36.	ओडिशा	तटवर्ती परिपथ	ओडिशा में तटवर्ती परिपथ के रूप में गोपालपुर, बारकुल, सतपदा और तंपारा का विकास	76.49	15.30
37.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	नागालैंड में जनजातीय परिपथ का विकास (मोकोकचुंग-तुएनसांग-मोन)	99.67	49.83
38.	उत्तराखंड	विरासत परिपथ	उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में कटारमल-जोगेश्वर-बैजनाथ-देवीधुरा विरासत परिपथ का एकीकृत विकास	81.94	16.39
39.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत जम्मू-राजौरी-शोपियन-पुलवामा में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.38	44.78

1	2	3	4	5	6
40.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू -कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 2014 में आई बाढ में हुई तबाही के एवज में परिसंपत्तियों के निर्माण के तहत पर्यटन सुविधाओं का एकीकृत विकास	98.70	47.25
41.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत मंतालाई-सुधमहादेव-पटनीटॉप में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	97.82	19.56
42.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत अनंतनाग-किश्तवार-पहलगाम-दकसुम रंजीत सागर बांध पर पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.39	44.52
43.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत गुलमर्ग-बारामुला-कुपवाड़ा-लेह परिपथ पर पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.93	19.38
44.	उत्तर प्रदेश	बौद्ध परिपथ	उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु में बौद्ध परिपथ का विकास	99.97	19.99
45.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	उत्तर प्रदेश में चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का रामायण परिपथ के रूप में विकास	69.45	13.89
46.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तटवर्ती थीमैटिक परिपथ के तहत अंडमान और निकोबार में तटवर्ती परिपथ का विकास (लांग आईलैंड-रास स्मिथ आईलैंड-नील आईलैंड-हैवलॉक आईलैंड-वाराटांग आईलैंड-पोर्ट ब्लेयर)	42.19	8.44
47.	तमिलनाडु	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत तमिलनाडु में तटवर्ती परिपथ का विकास (चैन्नई मामल्लापुरम-रामेश्वरम-मन्नपदु-कन्याकुमारी)	99.92	19.98
48.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	आध्यात्मिक परिपथ का विकास (शाहजहांपुर-बस्ती-अहर-अलीगढ़-कासगंज-सरोसी-प्रतापगढ़ उन्नाव-कौशाम्बी-मिर्जापुर-गोरखपुर-कैराना-डुमरियागंज-बागपत-बाराबंकी-आजमगढ़)	76.00	15.20
49.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक परिपथ-II का विकास (बिजनौर-मेरठ-कानपुर-कानपुर देहात-बांदा-गाजीपुर-सलेमपुर-घोसी-बलिया-अम्बेडकर नगर-अलीगढ़-फतेहपुर-देवरिया-महोबा-सोनभद्र-चन्दौली-मिश्रिख-भदोही)	62.96	12.59

1	2	3	4	5	6
50.	उत्तर प्रदेश	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में विरासत परिपथ (कालिंजर किला (बांदा)-मरहर धाम (संतकबीर नगर)-चौरी चौरा, शहीद स्थल (फतेहपुर)-मावाहर स्थल (घोसी)- शहीद स्मारक (मेरठ) का विकास	41.51	8.30
51.	बिहार	बौद्ध परिपथ	बौद्ध परिपथ का विकास-बोधगया, बिहार में, सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण	98.73	19.75
52.	असम	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत असम में विरासत परिपथ के रूप में तेजपुर-माजुली-सिबसागर का विकास	98.35	19.67
53.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हिमालयन परिपथ का एकीकृत विकास	99.76	19.95
54.	मिजोरम	इको परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ थीम के तहत "इको-रोमांचकारी परिपथ आइजवाल-रॉपुइछिप-खाँहफॉव-लेंगपुर-डर्टलॉग-चतलांग-सकव्रवमुईट्वेट-लॉग-मुथी-बेराटलॉग-तुइरियाल एयर फील्ड-मुईफॉग" का विकास	99.07	44.63
55.	राजस्थान	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान में आध्यात्मिक परिपथ-चुरू (सालासर बालाजी)-जयपुर (श्री समोदे बालाजी, घटके बालाजी, बांधेके बालाजी)-अलवर (पांडुपोल हनुमानजी, भरतहरि)-विराटनगर (बीजक, जैन्नासिया, अम्बिका मंदिर)-भरतपुर (कमान क्षेत्र)-धौलपुर (मुचकुंद)-मेहंदीपुर बालाजी-चित्तौड़गढ़ (साँवलियाजी) का विकास	93.90	18.78
56.	गुजरात	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुजरात में विरासत परिपथ : वाडनगर-मोधरा और पाटन का विकास	99.81	44.91
		2016-17 का योग		3191.38	1032.29
	वर्ष 2017-18				
57.	बिहार	ग्रामीण परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के ग्रामीण परिपथ थीम के अंतर्गत बिहार में गांधी परिपथः भितिहरवा-चन्द्रहिया- तुरकौलिया का विकास	44.65	8.93
58.	गोवा	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत गोवा में तटवर्ती परिपथ II: रूआ दि ओरम क्रीक-डोन पौला-कोलवा- बेनौलिम का विकास	99.35	19.87

1	2	3	4	5	6
59.	गुजरात	बौद्ध परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुजरात में बौद्ध परिपथः जूनागढ़-गिर-सोमनाथ-भड़ूच-कच्छ-भावनगर-राजकोट-मेंहसाणा का विकास	35.99	7.20
60.	पुदुचेरी	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुदुचेरी में विरासत परिपथ का विकास	66.35	13.27
61.	पुदुचेरी	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुदुचेरी में आध्यात्मिक परिपथ का विकास	40.68	8.14
62.	राजस्थान	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में विरासत परिपथः राजसमंद (कुंभलगढ़ का किला)-जयपुर (नाहरगढ़ का किला)-अलवर (बाला किला)-सवाई माधोपुर (रणथम्बौर का किला और खण्डार किला)-झलावड़-(गागरों का किला)-चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ़ का किला) जेसलमेर (जैसलमेर का किला)-हनुमानगढ़ (कालीबंगन, भटनेर किला और गोगामेड़ी)-जलोड़ (जलोड़ का किला)-उदयपुर (प्रताप गौरव केन्द्र)-धौलपुर (बाग ई-निलोफर और पुरानी छावनी)-नागौर (मीराबाई मंदिर) का विकास।	99.60	19.92
63.	तेलंगाना	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत तेलंगाना में विरासत परिपथः कुतुब शाही विरासती पार्क-पाइगाह का मज़ार-हयात बक्शी की मस्जिद-रेमण्ड की मज़ार का विकास।	99.42	19.88
64.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश योजना के आध्यात्मिक परिपथ थीम के तहत मंदार पहाड़ी एवं अंग प्रदेश का विकास।	53.49	10.70
65.	मध्य प्रदेश	इको परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ थीम के तहत गांधीसागर बांध-मण्डलेश्वर बांध-ओंकारेश्वर बांध-इन्दिरा सागर बांध-तवा बांध-बारगी बांध-भेड़ा घाट-बनसागर बांध-केन नदी का विकास।	99.62	19.92
66.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ थीम के अंतर्गत अयोध्या का विकास।	133.31	23.53
67.	आंध्र प्रदेश	बौद्ध परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के बौद्ध परिपथ थीम के तहत आंध्र प्रदेश में बौद्ध परिपथः शलिहुण्डम थोटलाकोण्डा-बावीकोण्डा-बोज्जनाकोण्डा-अमरावती-अनुपू का विकास।	52.34	10.47
	2017-18 का योग			824.8	161.83
	अब तक का कुल योग			5638.87	2180.30

प्रसाद योजना (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1.	आंध्र प्रदेश	पर्यटक गंतव्य के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिला का विकास	2015-16	28.36	22.69
2.	आंध्र प्रदेश	श्रीसेलम मंदिर का विकास	2017-18	47.45	9.49
3.	असम	गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर और इसके आस-पास तीर्थ गंतव्य का विकास	2015-16	33.98	16.99
4.	बिहार	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में मूलभूत सुविधाओं का विकास	2014-15	4.27	2.14
5.	बिहार	पटना साहिब का विकास	2015-16	41.54	33.23
6.	गुजरात	द्वारका का विकास	2016-17	26.23	5.25
7.	गुजरात	सोमनाथ में तीर्थस्थल सुविधाएं	2016-17	37.44	7.49
8.	जम्मू और कश्मीर	हजरतबल का विकास	2016-17	42.02	19.92
9.	केरल	गुरुवायुर मंदिर का विकास	2016-17	46.14	13.06
10.	मध्य प्रदेश	ओंकारेश्वर का विकास	2017-18	40.67	8.13
11.	ओडिशा	मेगा परिपथ के तहत पुरी, श्री जगन्नाथ धाम-रामचंडी देवली में प्राची रिवर फ्रंट में अवसंरचना विकास	2014-15	50.00	10.00
12.	पंजाब	अमृतसर में करूणा सागर वाल्मिकी स्थल का विकास	2015-16	6.45	5.11
13.	राजस्थान	पुष्कर/अजमेर का एकीकृत विकास	2015-16	40.44	19.41
14.	तमिलनाडु	कांचीपुरम का विकास	2016-17	16.48	3.30
15.	तमिलनाडु	वेलानकनी का विकास	2016-17	5.60	1.12
16.	उत्तराखंड	केदारनाथ का एकीकृत विकास	2015-16	34.78	17.39
17.	उत्तर प्रदेश	मेगा पर्यटक परिपथ (चरण-II) के रूप में मथुरा-वृंदावन का विकास	2014-15	14.93	6.77
18.	उत्तर प्रदेश	वृंदावन, जिला मथुरा में पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण	2014-15	9.36	4.56
19.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी का विकास	2015-16	20.40	16.32
20.	पश्चिम बंगाल	बेलूर का विकास	2016-17	30.03	23.39
21.	उत्तर प्रदेश	गंगा नदी, वाराणसी में क्रूज पर्यटन	2017-18	10.72	2.14
22.	महाराष्ट्र	त्रिम्बकेश्वर का विकास	2017-18	37.81	30.01.2018 को प्रशासनिक अनुमोदन जारी
23.	उत्तर प्रदेश	प्रशाद योजना-II के अन्तर्गत वाराणसी का विकास	2017-18	62.82	08.02.2018 को प्रशासनिक अनुमोदन जारी
		कुल		687.92	247.9

सांस्कृतिक केन्द्रों का विकास

5535. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सांस्कृतिक केन्द्रों को उनके विकास हेतु स्वीकृत धनराशि/प्रदान की गई वित्तीय सहायता का झारखंड सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का संत कबीर का तीन दिवसीय स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) देशभर में लोककला और संस्कृति के विभिन्न रूपों के संरक्षण, परिरक्षण और प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार द्वारा सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) की स्थापना की गई है जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। इन सात जेडसीसी को झारखंड सहित पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वार्षिक सहायता अनुदान जारी किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान इन जेडसीसी को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

(रुपए लाख में)

क. सं.	जेडसीसी का नाम	2014-15	2015-16	2016-17
1.	एनजेडसीसी, पटियाला	433.39	1412.50	642.21
2.	डब्ल्यूजेडसीसी, उदयपुर	652.39	885.15	895.26
3.	एसजेडसीसी, तंजावुर	336.10	560.56	841.27
4.	ईजेडसीसी, कोलकाता	456.54	813.659	861.32
5.	एससीजेडसीसी, नागपुर	319.61	1115.00	588.43
6.	एनसीजेडसीसी, इलाहाबाद	345.07	517.37	491.58
7.	एनईजेडसीसी, दीमापुर	1431.78	1530.10	1765.00
	कुल	3974.88	6834.330	6085.07

इस उद्देश्य के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई निधि जारी नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ई-अपशिष्ट के निपटान में कौशल

5536. **डॉ. उदित राजः** क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ई-अपशिष्ट के कुशल संग्रहण और निपटान हेतु कबाड़ी वालों को कौशल प्रदान करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने कबाड़ी वालों को प्रशिक्षित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा पूरे देश में इस योजना का समुचित कार्यान्वयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कौशल विकास हेतु कार्य-नीति और कार्यान्वयन कार्यक्रम विकसित करने के लिए सरकार, उद्योग तथा विभिन्न प्रमुख हितधारकों के मध्य एक सेतु के रूप में कुशल भारत मिशन के भाग के तौर पर हरित जॉब के लिए कौशल परिषद (एससीजीजे) की स्थापना की है, जो ई-कचरा सहित हरित व्यवसाय उद्योग की जन-शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

एससीजीजे ने हाल ही में कचरा प्रबंधन के विकास के लिए मानकीकृत अर्हता पैक/जॉब रोल विकसित किया है, जिसमें पुनः उपयोग में लाए जाने वाले कचरे का संग्रह और पृथक्कीकरण का कार्य करने वालों (कबाड़ी वाले) को शामिल हैं, जो क्यूपी के अनुसार पुनः उपयोग में लाए जाने वाले कचरे का सही प्रकार से संग्रह और उसे पृथक करने के लिए जिम्मेदार होंगे। किंतु, इस जॉब रोल का कौशल विकास प्रशिक्षण अभी तक आरंभ नहीं हुआ है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

5537. **श्रीमती रीती पाठकः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) प्रत्येक केन्द्रीय विश्ववियालय में वर्तमान में शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या और इनमें रिक्तियों के संख्या का केन्द्रीय विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) और (ख) वर्तमान में, इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में 41 केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) हैं। इनमें से 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में, दिनांक 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार, शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के संस्वीकृत, भरे गए और रिक्त पदों को दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-। और ॥ में दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के संबंध में, दिनांक 01.04.2017 और 28.03.2018 की स्थिति के अनुसार, शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टॉफ के संस्वीकृत और रिक्त पदों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-III और विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की संख्या (श्रेणी-वार)						
				संस्वीकृत पदों की संख्या					
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गैर पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय									
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	37	7	3	0	1	48
			एसो. प्रोफेसर	71	14	7	0	3	95
			सहायक प्रोफेसर	133	38	19	60	7	257
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	96	8	8	0	0	112
			एसो. प्रोफेसर	172	38	18	0	5	233
			सहायक प्रोफेसर	130	34	17	39	7	227
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	25	5	2	0	0	32
			एसो. प्रोफेसर	46	9	5	0	0	60
			सहायक प्रोफेसर	74	22	11	39	0	146
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	46	8	4	0	0	58
			एसो. प्रोफेसर	81	16	8	0	3	108
			सहायक प्रोफेसर	132	40	20	72	5	269
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	198	39	19	0	8	264
			एसो. प्रोफेसर	484	97	48	0	19	648
			सहायक प्रोफेसर	379	119	59	214	23	794
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	प्रोफेसर	125	1	0	0	2	128
			एसो. प्रोफेसर	200	0	0	0	3	203
			सहायक प्रोफेसर	407	67	20	0	12	506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	148	29	14	0	6	197
			एसो. प्रोफेसर	274	54	27	0	11	366
			सहायक प्रोफेसर	161	50	25	90	11	337
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	40	8	4	0	0	52
			एसो. प्रोफेसर	74	14	7	0	0	95
			सहायक प्रोफेसर	85	30	15	54	14	198
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	25	4	2	0	1	32
			एसो. प्रोफेसर	46	9	4	0	2	61
			सहायक प्रोफेसर	67	20	10	37	4	138
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	2	1	0	0	18
			एसो. प्रोफेसर	12	2	1	0	0	15
			सहायक प्रोफेसर	36	11	5	18	2	72
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	53	9	4	0	1	67
			एसो. प्रोफेसर	109	21	10	0	4	144
			सहायक प्रोफेसर	161	41	20	46	10	278
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	33	6	3	0	1	43
			एसो. प्रोफेसर	63	12	6	0	3	84
			सहायक प्रोफेसर	162	51	25	92	11	341
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	194	0	0	0	6	200
			एसो. प्रोफेसर	376	0	0	0	12	388
			सहायक प्रोफेसर	1006	0	0	0	32	1038
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	246	3	0	0	4	253
			एसो. प्रोफेसर	489	25	3	0	11	528
			सहायक प्रोफेसर	795	91	26	220	17	1149
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	22	5	2	0	0	29
			एसो. प्रोफेसर	43	9	4	0	0	56
			सहायक प्रोफेसर	62	18	8	32	0	120
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय*	प्रोफेसर	60	11	5	0	3	79
			एसो. प्रोफेसर	150	30	15	0	6	201
			सहायक प्रोफेसर	275	85	42	154	16	572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	प्रोफेसर	55	11	5	0	2	73
			एसो. प्रोफेसर	118	23	11	0	4	156
			सहायक प्रोफेसर	291	62	31	25	12	421
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	1418	156	76	0	35	1685
			एसो. प्रोफेसर	2808	373	174	0	86	3441
			सहायक प्रोफेसर	4356	779	353	1192	183	6863
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय								
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	1	22
			एसो. प्रोफेसर	32	6	3	0	2	43
			सहायक प्रोफेसर	45	13	6	21	3	88
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	11	3	1	0	0	15
			एसो. प्रोफेसर	21	6	3	0	0	30
			सहायक प्रोफेसर	33	9	4	14	0	60
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	16	3	1	0	1	21
			एसो. प्रोफेसर	32	6	3	0	1	42
			सहायक प्रोफेसर	41	12	6	22	3	84
21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	24	4	2	0	1	31
			एसो. प्रोफेसर	47	9	4	0	2	62
			सहायक प्रोफेसर	66	19	9	35	3	132
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	22	4	1	0	0	27
			एसो. प्रोफेसर	42	7	3	0	1	53
			सहायक प्रोफेसर	53	16	8	28	3	108
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	3	1	0	1	23
			एसो. प्रोफेसर	33	6	3	0	2	44
			सहायक प्रोफेसर	45	13	6	24	3	91
24.		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	0	21
			एसो. प्रोफेसर	32	6	3	0	0	41
			सहायक प्रोफेसर	46	13	6	24	1	90
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	21	3	1	0	0	25
			एसो. प्रोफेसर	35	5	4	0	2	46
			सहायक प्रोफेसर	50	15	7	26	2	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	21	0	0	0	0	21
			एसो. प्रोफेसर	40	1	0	0	0	41
			सहायक प्रोफेसर	75	5	2	9	0	91
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	0	21
			एसो. प्रोफेसर	33	6	3	0	1	43
			सहायक प्रोफेसर	43	12	6	23	2	86
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	0	0	0	0	15
			एसो. प्रोफेसर	29	0	0	0	0	29
			सहायक प्रोफेसर	54	2	1	2	1	60
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	0	21
			एसो. प्रोफेसर	32	6	3	0	1	42
			सहायक प्रोफेसर	42	12	6	22	2	84
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	3	1	0	1	23
			एसो. प्रोफेसर	35	6	3	0	1	45
			सहायक प्रोफेसर	60	16	9	31	4	120
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	3	1	0	0	22
			एसो. प्रोफेसर	37	7	4	0	0	48
			सहायक प्रोफेसर	49	14	7	26	0	96
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	252	38	13	0	5	308
			एसो. प्रोफेसर	480	77	39	0	13	609
			सहायक प्रोफेसर	702	171	83	307	27	1290
	कुल (I + II)		प्रोफेसर	1670	194	89	0	40	1993
			एसो. प्रोफेसर	3288	450	213	0	99	4050
			सहायक प्रोफेसर	5058	950	436	1499	210	8153
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय								
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	38	4	2	0	1	45
			एसो. प्रोफेसर	97	9	4	0	1	111
			सहायक प्रोफेसर	195	30	15	34	2	276
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	41	5	3	0	1	50
			एसो. प्रोफेसर	56	11	5	0	2	74
			सहायक प्रोफेसर	84	21	12	36	6	159
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	22	3	2	0	0	27
			एसो. प्रोफेसर	37	5	2	0	0	44
			सहायक प्रोफेसर	69	10	22	27	3	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	31	5	3	0	0	39
			एसो. प्रोफेसर	71	14	6	0	0	91
			सहायक प्रोफेसर	109	32	17	58	1	217
36.	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हॉल यूनिवर्सिटी	प्रोफेसर	83	6	3	0	1	93
			एसो. प्रोफेसर	130	10	6	0	1	147
			सहायक प्रोफेसर	141	25	16	21	2	205
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	42	5	0	0	0	47
			एसो. प्रोफेसर	65	5	3	0	1	74
			सहायक प्रोफेसर	179	28	19	32	3	261
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	37	5	2	0	1	45
			एसो. प्रोफेसर	54	5	2	0	1	62
			सहायक प्रोफेसर	100	15	7	21	3	146
39.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	25	4	2	0	1	32
			एसो. प्रोफेसर	54	10	5	0	2	71
			सहायक प्रोफेसर	59	18	9	34	6	126
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	37	6	3	0	0	46
			एसो. प्रोफेसर	53	9	5	0	2	69
			सहायक प्रोफेसर	83	22	18	36	4	163
	कुल-III (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	356	43	20	0	5	424
			एसो. प्रोफेसर	617	78	38	0	10	743
			सहायक प्रोफेसर	1019	201	135	299	30	1684
	कुल-I (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	1418	156	76	0	35	1685
			एसो. प्रोफेसर	2808	373	174	0	86	3441
			सहायक प्रोफेसर	4356	779	353	1192	183	6863
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	252	38	13	0	5	308
			एसो. प्रोफेसर	480	77	39	0	13	609
			सहायक प्रोफेसर	702	171	83	307	27	1290
	ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	2026	237	109	0	45	2417
			एसो. प्रोफेसर	3905	528	251	0	109	4793
			सहायक प्रोफेसर	6077	1151	571	1798	240	9837
				12008	1916	931	1798	394	17047

*विश्वविद्यालय ने दिनांक 1.4.2017 तक अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की संख्या (श्रेणी-वार)						
				भरे गए पदों की संख्या					
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
गैर पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय									
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	29	1	1	0	1	32
			एसो. प्रोफेसर	48	0	0	0	1	49
			सहायक प्रोफेसर	135	26	14	49	7	231
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	66	3	1	0	0	70
			एसो. प्रोफेसर	158	13	1	0	1	173
			सहायक प्रोफेसर	107	28	13	30	6	184
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	2	1	0	0	20
			एसो. प्रोफेसर	32	5	0	0	1	38
			सहायक प्रोफेसर	76	21	12	25	3	137
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	11	1	1	0	0	13
			एसो. प्रोफेसर	34	2	0	0	0	36
			सहायक प्रोफेसर	87	24	12	46	2	171
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	103	3	1	0	2	109
			एसो. प्रोफेसर	227	8	2	0	2	239
			सहायक प्रोफेसर	275	55	24	42	17	413
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	प्रोफेसर	73	1	0	0	1	75
			एसो. प्रोफेसर	159	0	0	0	0	159
			सहायक प्रोफेसर	362	67	20	0	8	457
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	87	13	0	0	4	104
			एसो. प्रोफेसर	204	17	6	0	2	229
			सहायक प्रोफेसर	161	37	16	35	10	259
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	5	1	0	0	0	6
			एसो. प्रोफेसर	23	2	0	0	0	25
			सहायक प्रोफेसर	99	40	6	43	2	190

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	1	0	0	0	16
			एसो. प्रोफेसर	29	1	0	0	1	31
			सहायक प्रोफेसर	58	20	10	36	4	128
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	11	1	0	0	0	12
			एसो. प्रोफेसर	5	1	0	0	1	7
			सहायक प्रोफेसर	29	9	3	14	2	57
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	23	1	0	0	1	25
			एसो. प्रोफेसर	73	15	0	0	3	91
			सहायक प्रोफेसर	139	33	17	34	9	232
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	12	0	0	0	0	12
			एसो. प्रोफेसर	30	2	0	0	0	32
			सहायक प्रोफेसर	188	17	4	19	2	230
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	137	0	0	0	0	137
			एसो. प्रोफेसर	264	1	0	0	6	271
			सहायक प्रोफेसर	791	1	1	60	22	875
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	170	2	0	0	0	172
			एसो. प्रोफेसर	386	19	4	0	0	409
			सहायक प्रोफेसर	622	138	51	141	7	959
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	1	0	0	0	16
			एसो. प्रोफेसर	33	5	0	0	0	38
			सहायक प्रोफेसर	57	16	6	30	0	109
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय*	प्रोफेसर	12	0	0	0	0	12
			एसो. प्रोफेसर	40	1	0	0	1	42
			सहायक प्रोफेसर	179	25	7	36	2	249
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	प्रोफेसर	39	4	0	0	0	43
			एसो. प्रोफेसर	96	10	2	0	0	108
			सहायक प्रोफेसर	211	53	26	53	4	347
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	825	35	5	0	9	874
			एसो. प्रोफेसर	1841	102	15	0	19	1977
			सहायक प्रोफेसर	3576	610	242	693	107	5228

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय								
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	8	0	0	0	0	8
			एसो. प्रोफेसर	16	1	0	0	0	17
			सहायक प्रोफेसर	41	10	4	19	2	76
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	2	0	0	0	0	2
			एसो. प्रोफेसर	13	0	1	0	0	14
			सहायक प्रोफेसर	29	9	4	13	0	55
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	7	1	0	0	0	8
			एसो. प्रोफेसर	11	0	0	0	0	11
			सहायक प्रोफेसर	31	9	5	18	2	65
21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	0	0	0	0	0	0
			एसो. प्रोफेसर	6	0	0	0	0	6
			सहायक प्रोफेसर	27	5	2	14	1	49
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	3	0	0	0	0	3
			एसो. प्रोफेसर	9	1	1	0	0	11
			सहायक प्रोफेसर	32	10	4	11	3	60
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	4	0	0	0	0	4
			एसो. प्रोफेसर	9	0	0	0	0	9
			सहायक प्रोफेसर	43	11	5	23	2	84
24.		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	10	0	0	0	0	10
			एसो. प्रोफेसर	4	0	0	0	0	4
			सहायक प्रोफेसर	34	9	4	14	1	62
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	8	0	0	0	0	8
			एसो. प्रोफेसर	10	0	0	0	0	10
			सहायक प्रोफेसर	38	11	5	18	1	73
26.	कर्नाटक	कर्नाटक का केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	6	0	0	0	0	6
			एसो. प्रोफेसर	7	1	0	0	0	8
			सहायक प्रोफेसर	20	5	2	9	0	36
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	13	0	0	0	0	13
			एसो. प्रोफेसर	25	2	0	0	0	27
			सहायक प्रोफेसर	40	12	6	21	2	81

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	0	0	0	0	0	0
			एसो. प्रोफेसर	1	0	0	0	0	1
			सहायक प्रोफेसर	10	2	1	2	1	16
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	4	0	0	0	0	4
			एसो. प्रोफेसर	18	0	0	0	0	18
			सहायक प्रोफेसर	42	11	2	15	2	72
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	5	0	0	0	0	5
			एसो. प्रोफेसर	23	0	0	0	0	23
			सहायक प्रोफेसर	52	15	6	21	1	95
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	0	0	0	0	9
			एसो. प्रोफेसर	18	0	0	0	0	18
			सहायक प्रोफेसर	35	11	3	18	2	69
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	79	1	0	0	0	80
			एसो. प्रोफेसर	170	5	2	0	0	177
			सहायक प्रोफेसर	474	130	53	216	20	893
	कुल (I + II)		प्रोफेसर	904	36	5	0	9	954
			एसो. प्रोफेसर	2011	107	17	0	19	2154
			सहायक प्रोफेसर	4050	740	295	909	127	6121
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय								
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	21	1	0	0	1	23
			एसो. प्रोफेसर	78	5	2	0	1	86
			सहायक प्रोफेसर	156	33	12	36	2	241
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	40	2	2	0	0	44
			एसो. प्रोफेसर	48	6	2	0	1	57
			सहायक प्रोफेसर	83	20	12	35	5	155
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	12	0	1	0	0	13
			एसो. प्रोफेसर	26	4	1	0	0	31
			सहायक प्रोफेसर	68	9	22	27	2	128
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	14	1	0	0	0	15
			एसो. प्रोफेसर	42	4	3	0	0	49

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
			सहायक प्रोफेसर	136	15	10	7	0	168
36.	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हॉल यूनिवर्सिटी	प्रोफेसर	46	1	1	0	0	48
			एसो. प्रोफेसर	83	1	5	0	0	89
			सहायक प्रोफेसर	130	21	15	19	1	186
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	24	0	0	0	0	24
			एसो. प्रोफेसर	44	3	1	0	0	48
			सहायक प्रोफेसर	161	26	19	28	3	237
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	11	0	1	0	0	12
			एसो. प्रोफेसर	41	1	2	0	0	44
			सहायक प्रोफेसर	94	13	11	18	1	137
39.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	14	0	0	0	1	15
			एसो. प्रोफेसर	30	2	1	0	0	33
			सहायक प्रोफेसर	50	17	12	28	3	110
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	7	0	0	0	0	7
			एसो. प्रोफेसर	28	2	1	0	0	31
			सहायक प्रोफेसर	73	18	17	26	2	136
	कुल-III (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	189	5	5	0	2	201
			एसो. प्रोफेसर	420	28	18	0	2	468
			सहायक प्रोफेसर	953	172	130	224	19	1498
	कुल-I (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	825	35	5	0	9	874
			एसो. प्रोफेसर	1841	102	15	0	19	1977
			सहायक प्रोफेसर	3576	610	242	693	107	5228
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	79	1	0	0	0	80
			एसो. प्रोफेसर	170	3	2	0	0	177
			सहायक प्रोफेसर	474	130	53	216	30	893
	ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	1093	41	10	0	11	1155
			एसो. प्रोफेसर	2431	135	35	0	21	2622
			सहायक प्रोफेसर	5093	912	425	1133	146	7619
				8527	1088	470	1133	178	11396

*विश्वविद्यालय ने दिनांक 1.4.2017 तक अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की संख्या (श्रेणी-वार)								रिक्त पदों का प्रतिशत
				रिक्त पदों की संख्या						संस्वीकृत भरे गए रिक्त	
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल		
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
गैर पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय											
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	8	6	2	0	0	16	400	22.00
			एसो. प्रोफेसर	23	14	7	0	2	46	312	
			सहायक प्रोफेसर	-2	12	5	11	0	26	88	
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	30	5	7	0	0	42	572	25.35
			एसो. प्रोफेसर	14	25	17	0	4	60	427	
			सहायक प्रोफेसर	23	6	4	9	1	43	145	
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	8	3	1	0	0	12	238	18.07
			एसो. प्रोफेसर	14	4	5	0	-1	22	195	
			सहायक प्रोफेसर	-2	1	-1	14	-3	9	43	
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	35	7	3	0	0	45	435	49.43
			एसो. प्रोफेसर	47	14	8	0	3	72	220	
			सहायक प्रोफेसर	45	16	8	26	3	98	215	
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	95	36	18	0	6	155	1706	55.39
			एसो. प्रोफेसर	257	89	46	0	17	409	761	
			सहायक प्रोफेसर	104	64	35	172	6	381	945	

6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	प्रोफेसर	52	0	0	0	1	53	837	17.44
			एसो. प्रोफेसर	41	0	0	0	3	44	691	
			सहायक प्रोफेसर	45	0	0	0	4	49	146	
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	61	16	14	0	2	93	900	34.22
			एसो. प्रोफेसर	70	37	21	0	9	137	592	
			सहायक प्रोफेसर	0	13	9	55	1	78	308	
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	35	7	4	0	0	46	345	35.94
			एसो. प्रोफेसर	51	12	7	0	0	70	221	
			सहायक प्रोफेसर	-14	-10	9	11	12	8	124	
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	10	3	2	0	1	16	231	24.24
			एसो. प्रोफेसर	17	8	4	0	1	30	175	
			सहायक प्रोफेसर	9	0	0	1	0	10	56	
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	4	1	1	0	0	6	105	27.62
			एसो. प्रोफेसर	7	1	1	0	-1	8	76	
			सहायक प्रोफेसर	7	2	2	4	0	15	29	
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	30	8	4	0	0	42	489	28.83
			एसो. प्रोफेसर	36	6	10	0	1	53	348	
			सहायक प्रोफेसर	22	8	3	12	1	46	141	
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	21	6	3	0	1	31	468	41.45
			एसो. प्रोफेसर	33	10	6	0	3	52	274	
			सहायक प्रोफेसर	-26	34	21	73	9	111	194	
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	57	0	0	0	6	63	1626	21.09
			एसो. प्रोफेसर	112	-1	0	0	6	117	1283	
			सहायक प्रोफेसर	215	-1	-1	-60	10	163	343	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	76	1	0	0	4	81	1930	20.21
			एसो. प्रोफेसर	103	6	-1	0	11	119	1540	
			सहायक प्रोफेसर	173	-47	-25	79	10	190	390	
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	7	4	2	0	0	13	205	20.49
			एसो. प्रोफेसर	10	4	4	0	0	18	163	
			सहायक प्रोफेसर	5	2	2	2	0	11	42	
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय*	प्रोफेसर	48	11	5	0	3	67	852	64.44
			एसो. प्रोफेसर	110	29	15	0	5	159	303	
			सहायक प्रोफेसर	96	60	35	118	14	323	549	
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	प्रोफेसर	16	7	5	0	2	30	650	23.38
			एसो. प्रोफेसर	22	13	9	0	4	48	498	
			सहायक प्रोफेसर	80	9	5	-28	8	74	152	
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	593	121	71	0	26	811	11989	32.61
			एसो. प्रोफेसर	967	271	159	0	67	1464	8079	
			सहायक प्रोफेसर	780	169	111	499	76	1635	3910	
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय										
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	3	1	0	1	14	153	33.99
			एसो. प्रोफेसर	16	5	3	0	2	26	101	
			सहायक प्रोफेसर	4	3	2	2	1	12	52	
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	3	1	0	0	13	105	32.38
			एसो. प्रोफेसर	8	6	2	0	0	16	71	
			सहायक प्रोफेसर	4	0	0	1	0	5	34	
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	2	1	0	1	13	147	42.86
			एसो. प्रोफेसर	21	6	3	0	1	31	84	
			सहायक प्रोफेसर	10	3	1	4	1	19	63	

21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	24	4	2	0	1	[illegible]	225	75.56
			एसो. प्रोफेसर	41	9	4	0	2	56	55	
			सहायक प्रोफेसर	39	14	7	21	2	83	170	
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	19	4	1	0	0	24	188	60.64
			एसो. प्रोफेसर	33	6	2	0	1	42	74	
			सहायक प्रोफेसर	21	6	4	17	0	48	114	
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	14	3	1	0	1	19	158	38.61
			एसो. प्रोफेसर	24	6	3	0	2	35	97	
			सहायक प्रोफेसर	2	2	1	1	1	7	61	
24.		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	7	3	1	0	0	11	152	50.00
			एसो. प्रोफेसर	28	6	3	0	0	37	76	
			सहायक प्रोफेसर	12	4	2	10	0	28	76	
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	13	3	1	0	0	17	171	46.78
			एसो. प्रोफेसर	25	5	4	0	2	36	91	
			सहायक प्रोफेसर	12	4	2	8	1	27	80	
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	0	0	0	0	15	153	67.32
			एसो. प्रोफेसर	33	0	0	0	0	33	50	
			सहायक प्रोफेसर	55	0	0	0	0	55	103	
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	4	3	1	0	0	8	150	19.33
			एसो. प्रोफेसर	8	4	3	0	1	16	121	
			सहायक प्रोफेसर	3	0	0	2	0	5	29	
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	0	0	0	0	15	104	83.65
			एसो. प्रोफेसर	28	0	0	0	0	28	17	
			सहायक प्रोफेसर	44	0	0	0	0	44	87	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	13	3	1	0	0	17	147	36.05
			एसो. प्रोफेसर	14	6	3	0	1	24	94	
			सहायक प्रोफेसर	0	1	4	7	0	12	53	
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	13	3	1	0	1	18	188	34.57
			एसो. प्रोफेसर	12	6	3	0	1	22	123	
			सहायक प्रोफेसर	8	1	3	10	3	25	65	
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	3	1	0	0	13	166	42.17
			एसो. प्रोफेसर	19	7	4	0	0	30	96	
			सहायक प्रोफेसर	14	3	4	8	-2	27	70	
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	173	37	13	0	5	228	2207	47.89
			एसो. प्रोफेसर	310	72	37	0	13	432	1150	
			सहायक प्रोफेसर	228	41	30	91	7	397	1057	
	कुल (I + II)		प्रोफेसर	766	158	84	0	31	1039	14196	52.13
			एसो. प्रोफेसर	1277	343	196	0	80	1896	9229	
			सहायक प्रोफेसर	1008	210	141	590	83	2032	4967	
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय										
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	2	0	0	22	432	18.98
			एसो. प्रोफेसर	19	4	2	0	0	25	350	
			सहायक प्रोफेसर	37	-3	3	-2	0	35	82	
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	1	3	1	0	1	6	292	9.54
			एसो. प्रोफेसर	8	5	3	0	1	17	256	
			सहायक प्रोफेसर	1	1	0	1	1	4	27	

34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	10	3	1	0	0	14	202	14.85
			एसो. प्रोफेसर	11	1	1	0	0	13	172	
			सहायक प्रोफेसर	1	1	0	0	1	3	30	
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	4	3	0	0	24	347	33.14
			एसो. प्रोफेसर	29	10	3	0	0	42	232	
			सहायक प्रोफेसर	-27	17	7	51	1	49	115	
36.	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हॉल यूनिवर्सिटी	प्रोफेसर	37	5	2	0	1	45	445	27.42
			एसो. प्रोफेसर	47	9	1	0	1	58	323	
			सहायक प्रोफेसर	11	4	1	2	1	19	122	
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	5	0	0	0	23	382	19.11
			एसो. प्रोफेसर	21	2	2	0	1	26	309	
			सहायक प्रोफेसर	18	2	0	4	0	24	73	
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	26	5	1	0	1	33	253	23.72
			एसो. प्रोफेसर	13	4	0	0	1	18	193	
			सहायक प्रोफेसर	6	2	-4	3	2	9	60	
39.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	11	4	2	0	0	17	229	31.00
			एसो. प्रोफेसर	24	8	4	0	2	38	158	
			सहायक प्रोफेसर	9	1	-3	6	3	16	71	
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	30	6	3	0	0	39	278	37.41
			एसो. प्रोफेसर	25	7	4	0	2	38	174	
			सहायक प्रोफेसर	10	4	1	10	2	27	104	
	कुल-III (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	167	38	15	0	3	223	2851	23.99
			एसो. प्रोफेसर	197	50	20	0	8	275	2167	
			सहायक प्रोफेसर	66	29	5	75	11	186	684	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
	कुल-। (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	593	121	71	0	26	811	11989	32.61
			एसो. प्रोफेसर	967	271	159	0	67	1464	8079	
			सहायक प्रोफेसर	780	169	111	499	76	1635	3910	
	कुल-॥ (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	173	37	13	0	5	228	2207	47.89
			एसो. प्रोफेसर	310	72	37	0	13	432	1150	
			सहायक प्रोफेसर	228	41	30	91	7	397	1057	
	ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	933	196	99	0	34	1262	17047	33.15
			एसो. प्रोफेसर	1474	393	216	0	88	2171	11396	
			सहायक प्रोफेसर	1074	239	146	665	94	2218	5651	
				3481	828	461	665	216	5651		

*विश्वविद्यालय ने दिनांक 1.4.2017 तक अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई

विवरण-II

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.01.2018 को गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या (श्रेणी-वार)						
			संस्वीकृत पदों की संख्या						
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय									
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	समूह क	53	6	3	7	0	69
			समूह ख	77	10	6	22	2	117
			समूह ग	151	28	10	43	4	236
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	समूह क	73	3	0	6	2	84
			समूह ख	159	14	4	6	5	188
			समूह ग	640	132	60	205	31	1068
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	समूह क	24	7	3	12	0	46
			समूह ख	23	7	3	13	0	46
			समूह ग	179	53	26	96	0	354
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	समूह क	34	0	0	1	0	35
			समूह ख	52	3	3	1	0	59
			समूह ग	221	40	54	31	8	354
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	समूह क	123	23	12	42	5	205
			समूह ख	410	88	44	43	5	590
			समूह ग	1372	373	186	487	67	2485
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	समूह क	84	2	0	0	0	86
			समूह ख	83	3	2	0	0	88
			समूह ग	1045	114	7	0	10	1176
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	समूह क	64	13	7	19	1	104
			समूह ख	170	37	18	30	4	259
			समूह ग	543	324	76	230	29	1202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	समूह क	48	1	0	5	1	55
			समूह ख	120	21	9	15	2	167
			समूह ग	563	126	134	78	15	916
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	समूह क	19	0	0	0	0	19
			समूह ख	20	4	1	7	2	34
			समूह ग	49	10	15	9	3	86
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यालय	समूह क	14	3	1	6	0	24
			समूह ख	22	7	3	11	2	45
			समूह ग	29	9	4	14	2	58
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	समूह क	58	5	3	1	1	68
			समूह ख	129	14	4	2	4	153
			समूह ग	395	64	19	8	7	493
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय	समूह क	27	7	3	13	1	51
			समूह ख	24	16	4	14	3	61
			समूह ग	440	198	39	59	12	748
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	समूह क	181	0	0	0	6	187
			समूह ख	1256	0	0	0	31	1287
			समूह ग	4940	0	0	0	148	5088
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	समूह क	160	23	10	40	2	235
			समूह ख	1533	321	155	336	2	2347
			समूह ग	3314	657	221	1060	31	5283
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	समूह क	24	2	0	3	0	29
			समूह ख	43	2	1	5	0	51
			समूह ग	66	19	2	19	0	106
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	समूह क	47	2	0	10	0	59
			समूह ख	19	3	1	5	0	28
			समूह ग	707	215	31	346	0	1299
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	समूह क	73	6	0	10	4	93
			समूह ख	198	30	13	15	6	262
			समूह ग	866	265	57	199	58	1445
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय)		समूह क	1106	103	42	175	23	1449
			समूह ख	4338	580	271	525	68	5782
			समूह ग	15520	2627	941	2884	425	22397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय								
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	20	0	0	0	1	21
			समूह ख	25	2	0	4	1	32
			समूह ग	53	5	2	13	1	74
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	10	0	0	0	0	10
			समूह ख	16	0	0	1	0	17
			समूह ग	25	0	0	4	0	29
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	18	1	0	0	1	20
			समूह ख	18	3	1	8	1	31
			समूह ग	42	10	4	16	3	75
21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	20	0	0	0	0	20
			समूह ख	26	0	0	1	1	28
			समूह ग	43	3	0	8	2	56
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	17	0	0	0	0	17
			समूह ख	30	1	0	0	0	31
			समूह ग	68	0	3	2	0	73
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	19	0	0	0	1	20
			समूह ख	25	1	0	4	1	31
			समूह ग	48	3	1	9	2	63
24.		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	20	0	0	0	0	20
			समूह ख	25	0	0	4	0	29
			समूह ग	45	4	1	9	2	61
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	15	1	1	2	1	20
			समूह ख	27	2	0	5	1	35
			समूह ग	63	8	3	19	2	95
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	19	0	0	1	0	20
			समूह ख	34	0	0	0	0	34
			समूह ग	71	1	0	4	0	76
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	21	0	0	0	0	21
			समूह ख	25	1	0	3	1	30
			समूह ग	58	6	1	14	3	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	10	3	1	5	1	20
			समूह ख	15	4	2	7	1	29
			समूह ग	33	10	14	7	2	66
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	20	0	0	2	0	22
			समूह ख	27	1	0	5	1	34
			समूह ग	52	5	1	14	3	75
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	18	0	0	1	1	20
			समूह ख	29	1	0	3	2	35
			समूह ग	68	7	6	8	3	92
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	11	3	1	5	0	20
			समूह ख	17	5	2	8	0	32
			समूह ग	38	12	5	19	0	74
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	238	8	3	16	6	271
			समूह ख	339	21	5	53	10	428
			समूह ग	707	74	41	146	23	991
	कुल (I + II)		समूह क	1344	111	45	191	29	1720
			समूह ख	4677	601	276	578	78	6210
			समूह ग	16227	2701	982	3030	448	23388
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय								
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	समूह क	30	1	1	9	0	41
			समूह ख	58	15	5	14	1	93
			समूह ग	131	28	12	55	1	227
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	समूह क	27	4	2	6	0	39
			समूह ख	40	8	3	7	1	59
			समूह ग	89	26	13	47	8	183
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	समूह क	23	0	0	0	0	23
			समूह ख	35	2	0	7	1	45
			समूह ग	115	14	6	20	1	156
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	समूह क	21	5	3	9	1	39
			समूह ख	35	11	5	18	0	69
			समूह ग	212	51	42	95	9	409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हॉल यूनिवर्सिटी	समूह क	67	0	0	0	0	67
			समूह ख	94	27	13	49	2	185
			समूह ग	376	7	335	37	10	765
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	समूह क	33	2	1	3	0	39
			समूह ख	69	3	3	5	0	80
			समूह ग	280	0	93	5	6	384
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	समूह क	33	0	0	2	1	36
			समूह ख	81	1	1	4	0	87
			समूह ग	347	0	135	0	6	488
39.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	समूह क	8	2	1	4	1	16
			समूह ख	18	3	1	7	1	30
			समूह ग	19	4	2	8	1	34
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	समूह क	24	1	3	2	1	31
			समूह ख	40	1	1	3	1	46
			समूह ग	106	26	38	3	4	177
	कुल-III (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	266	15	11	35	4	331
			समूह ख	470	71	32	114	7	694
			समूह ग	1675	156	676	270	46	2823
	कुल-I (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	1106	103	42	175	23	1449
			समूह ख	4338	580	271	525	68	5782
			समूह ग	15520	2627	941	2884	425	22397
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	238	8	3	16	6	271
			समूह ख	339	21	5	53	10	428
			समूह ग	707	74	41	146	23	991
	ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	1610	126	56	226	33	2051
			समूह ख	5147	672	308	692	85	6904
			समूह ग	17902	2857	1658	3300	494	26211
				24659	3655	2022	4218	612	35166

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.01.2018 को गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या (श्रेणी-वार)						
			भरे हुए पदों की संख्या						
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय									
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	समूह क	51	3	3	4	0	61
			समूह ख	68	8	3	19	2	100
			समूह ग	150	26	8	40	3	227
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	समूह क	49	5	2	8	0	64
			समूह ख	92	14	7	4	0	117
			समूह ग	363	132	42	51	12	600
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	समूह क	13	2	3	1	0	19
			समूह ख	21	3	3	2	0	29
			समूह ग	54	46	18	33	2	153
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	समूह क	18	1	1	2	0	22
			समूह ख	10	5	4	7	0	26
			समूह ग	92	32	33	79	4	240
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	समूह क	71	16	3	7	3	100
			समूह ख	271	49	19	3	1	343
			समूह ग	641	219	19	127	26	1032
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	समूह क	77	2	0	0	0	79
			समूह ख	80	3	2	0	0	85
			समूह ग	1001	114	7	0	10	1132
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	समूह क	52	8	8	11	3	82
			समूह ख	147	26	14	8	3	198
			समूह ग	431	230	46	96	22	825
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	समूह क	22	3	1	3	0	29
			समूह ख	58	5	1	3	0	67
			समूह ग	337	143	32	21	2	535

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	समूह क	17	0	0	0	0	17
			समूह ख	10	0	1	1	0	12
			समूह ग	34	5	11	9	0	59
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	समूह क	8	5	2	4	0	17
			समूह ख	23	4	1	7	2	36
			समूह ग	16	6	2	16	1	41
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	समूह क	28	8	0	6	1	43
			समूह ख	102	24	3	11	3	143
			समूह ग	235	59	21	21	7	343
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय	समूह क	21	1	0	0	0	22
			समूह ख	24	9	0	1	1	35
			समूह ग	363	107	7	26	8	511
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	समूह क	130	0	0	0	0	130
			समूह ख	951	0	0	0	2	953
			समूह ग	4813	0	0	0	48	4861
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	समूह क	125	20	7	30	0	182
			समूह ख	998	186	85	192	1	1462
			समूह ग	2006	447	175	668	15	3311
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	समूह क	15	2	0	2	0	19
			समूह ख	29	1	0	4	1	35
			समूह ग	43	14	0	15	1	73
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	समूह क	16	1	0	2	1	20
			समूह ख	13	2	0	1	0	16
			समूह ग	505	140	0	279	4	928
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	समूह क	50	8	2	5	0	65
			समूह ख	162	27	12	5	0	206
			समूह ग	349	130	31	20	5	535
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय)		समूह क	763	83	32	85	8	971
			समूह ख	3059	366	155	268	15	3863
			समूह ग	11433	1850	452	1501	170	15406

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय								
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	15	0	0	0	1	16
			समूह ख	20	1	0	3	1	25
			समूह ग	44	5	2	10	1	62
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	2	0	0	0	0	2
			समूह ख	7	0	0	1	0	8
			समूह ग	0	1	0	0	0	1
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	5	0	0	0	0	5
			समूह ख	1	0	0	1	0	2
			समूह ग	5	1	2	0	0	8
21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	13	0	0	0	0	13
			समूह ख	15	0	0	1	0	16
			समूह ग	39	3	0	8	1	51
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	5	0	0	0	0	5
			समूह ख	4	1	0	0	0	5
			समूह ग	9	0	3	3	0	15
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	11	0	0	0	0	11
			समूह ख	11	1	0	2	0	14
			समूह ग	24	0	1	5	0	30
24.		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	12	0	0	0	0	12
			समूह ख	16	0	0	2	0	18
			समूह ग	41	1	1	6	1	50
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	8	1	1	2	0	12
			समूह ख	14	1	0	2	0	17
			समूह ग	21	4	1	7	1	34
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	7	0	0	1	0	8
			समूह ख	8	0	0	0	0	8
			समूह ग	28	1	0	3	0	32
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	13	0	0	0	0	13
			समूह ख	14	1	0	2	0	17
			समूह ग	24	1	0	5	0	30

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	5	0	0	0	0	5
			समूह ख	7	0	0	0	0	7
			समूह ग	7	0	0	0	2	9
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	14	0	0	1	0	15
			समूह ख	13	0	0	2	0	15
			समूह ग	38	6	1	9	1	55
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	12	0	0	1	0	13
			समूह ख	16	1	0	1	0	18
			समूह ग	43	6	2	7	1	59
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	11	1	0	4	0	16
			समूह ख	12	0	0	1	0	13
			समूह ग	19	3	0	11	1	34
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	133	2	1	9	1	146
			समूह ख	158	6	0	18	1	183
			समूह ग	342	52	13	74	9	470
	कुल (I + II)		समूह क	896	85	33	94	9	1117
			समूह ख	3217	372	155	286	16	4046
			समूह ग	11775	1882	465	1575	179	15876
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय								
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	समूह क	25	1	1	9	0	36
			समूह ख	56	15	5	13	1	90
			समूह ग	106	27	12	54	1	200
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	समूह क	25	4	2	5	0	36
			समूह ख	35	7	3	6	1	52
			समूह ग	86	24	12	46	8	176
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	समूह क	4	0	14	0	0	18
			समूह ख	17	1	17	3	1	39
			समूह ग	59	2	78	10	1	150
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	समूह क	15	2	4	1	0	22

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
			समूह ख	38	4	18	4	0	64
			समूह ग	178	15	74	6	4	277
36.	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हॉल यूनिवर्सिटी	समूह क	51	0	0	0	0	51
			समूह ख	42	25	12	44	1	124
			समूह ग	171	5	206	30	1	413
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	समूह क	28	2	1	3	0	34
			समूह ख	66	2	2	4	0	74
			समूह ग	260	0	82	4	5	351
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	समूह क	26	1	4	1	1	33
			समूह ख	71	3	7	1	0	82
			समूह ग	334	0	132	0	6	472
24	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	समूह क	13	0	0	1	0	14
			समूह ख	17	0	1	3	0	21
			समूह ग	20	4	2	6	1	33
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	समूह क	23	0	3	1	0	27
			समूह ख	30	1	1	2	0	34
			समूह ग	89	22	29	2	3	145
	कुल-III (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	210	10	29	21	1	271
			समूह ख	372	58	66	80	4	580
			समूह ग	1303	99	627	158	30	2217
	कुल-I (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	763	83	32	85	8	971
			समूह ख	3059	366	155	268	15	3863
			समूह ग	11433	1850	452	1501	170	15406
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	133	2	1	9	1	146
			समूह ख	158	6	0	18	1	183
			समूह ग	342	32	13	74	9	470
	ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय निश्वविद्यालय)		समूह क	1106	95	62	115	10	1388
			समूह ख	3589	430	221	366	20	4626
			समूह ग	13078	1981	1092	1733	209	18093
				17773	2506	1375	2214	239	24107

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.01.2018 को गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या (श्रेणी-वार)								रिक्त पदों का प्रतिशत
				संस्वीकृत पदों की संख्या						संस्वीकृत भरे गए रिक्त	
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल		
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय											
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	समूह क	2	3	0	3	0	8	422	8.06
			समूह ख	9	2	3	3	0	17	388	
			समूह ग	1	2	2	3	1	9	34	
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	समूह क	24	-2	-2	-2	2	20	1340	41.72
			समूह ख	67	0	-3	2	5	71	781	
			समूह ग	277	0	18	154	19	468	559	
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	समूह क	11	5	0	11	0	27	446	54.93
			समूह ख	2	4	0	11	0	17	201	
			समूह ग	125	7	8	63	-2	201	245	
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	समूह क	16	-1	-1	-1	0	13	448	35.71
			समूह ख	42	-2	-1	-6	0	33	288	
			समूह ग	129	8	21	-48	4	114	160	
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	समूह क	52	7	9	35	2	105	3280	55.03
			समूह ख	139	39	25	40	4	247	1475	
			समूह ग	731	154	167	360	41	1453	1805	
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	समूह क	7	0	0	0	0	7	1350	4.00
			समूह ख	3	0	0	0	0	3	1296	
			समूह ग	44	0	0	0	0	44	54	
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	समूह क	12	5	-1	8	-2	22	1565	29.39
			समूह ख	23	11	4	22	1	61	1105	
			समूह ग	112	94	30	134	7	377	460	
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	समूह क	26	-2	-1	2	1	26	1138	44.55
			समूह ख	62	16	8	12	2	100	631	
			समूह ग	226	-17	102	57	13	381	507	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	समूह क	2	0	0	0	0	2	139	36.69
			समूह ख	10	4	0	6	2	22	88	
			समूह ग	15	5	4	0	3	27	51	
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यालय	समूह क	6	0	-1	2	0	7	127	25.98
			समूह ख	-1	3	2	4	1	9	94	
			समूह ग	15	3	2	-2	1	17	33	
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	समूह क	30	-3	3	-5	0	23	714	25.91
			समूह ख	27	-10	1	-9	1	10	529	
			समूह ग	160	5	-2	-13	0	150	185	
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय	समूह क	6	6	3	13	1	29	860	33.95
			समूह ख	0	7	4	13	2	26	568	
			समूह ग	77	91	32	33	4	237	292	
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	समूह क	51	0	0	0	6	57	6562	9.42
			समूह ख	305	0	0	0	29	334	5944	
			समूह ग	127	0	0	0	100	227	618	
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	समूह क	35	3	3	10	2	53	7865	37.00
			समूह ख	535	135	70	144	1	885	9455	
			समूह ग	1308	210	46	392	16	1972	2910	
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	समूह क	9	0	0	1	0	10	186	31.72
			समूह ख	14	1	1	1	-1	16	127	
			समूह ग	23	5	2	4	-1	33	59	
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	समूह क	31	1	0	8	-1	39	1386	30.46
			समूह ख	6	1	1	4	0	12	964	
			समूह ग	202	75	31	67	-4	371	422	
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	समूह क	23	-2	-2	5	4	28	1800	55.22
			समूह ख	36	3	1	10	6	56	806	
			समूह ग	517	135	26	179	53	910	994	
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय)		समूह क	343	20	10	90	15	478	29628	31.69
			समूह ख	1279	214	116	257	53	1919	20240	
			समूह ग	4087	777	489	1383	255	6991	9388	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय										
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	5	0	0	0	0	5	127	18.90
			समूह ख	5	1	0	1	0	7	103	
			समूह ग	9	0	0	3	0	12	24	
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	8	0	0	0	0	8	56	80.38
			समूह ख	9	0	0	0	0	9	11	
			समूह ग	25	-1	0	4	0	28	45	
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	13	1	0	0	1	15	126	88.10
			समूह ख	17	3	1	7	1	29	15	
			समूह ग	37	9	2	16	3	67	111	
21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	7	0	0	0	0	7	104	23.08
			समूह ख	11	0	0	0	1	12	80	
			समूह ग	4	0	0	0	1	5	24	
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	12	0	0	0	0	12	121	79.34
			समूह ख	26	0	0	0	0	26	25	
			समूह ग	59	0	0	-1	0	58	96	
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	8	0	0	0	1	9	114	51.75
			समूह ख	14	0	0	2	1	17	55	
			समूह ग	24	3	0	4	2	33	59	
24.		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	8	0	0	0	0	8	110	27.27
			समूह ख	9	0	0	2	0	11	80	
			समूह ग	4	3	0	3	1	11	30	
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	7	0	0	0	1	8	150	58.00
			समूह ख	13	1	0	3	1	18	63	
			समूह ग	42	4	2	12	1	61	87	
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	12	0	0	0	0	12	130	63.08
			समूह ख	26	0	0	0	0	26	48	
			समूह ग	43	0	0	1	0	44	82	
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	8	0	0	0	0	8	133	54.89
			समूह ख	11	0	0	1	1	13	60	
			समूह ग	34	5	1	9	3	52	73	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	5	3	1	5	1	15	115	81.74
			समूह ख	8	4	2	7	1	22	21	
			समूह ग	26	10	14	7	0	57	94	
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	6	0	0	1	0	7	131	35.11
			समूह ख	14	1	0	3	1	19	85	
			समूह ग	14	-1	0	5	2	20	46	
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	6	0	0	0	1	7	147	38.78
			समूह ख	13	0	0	2	2	17	90	
			समूह ग	25	1	4	1	2	33	57	
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	समूह क	0	2	1	1	0	4	126	50.00
			समूह ख	5	5	2	7	0	19	63	
			समूह ग	19	9	5	8	-1	40	63	
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	105	6	2	7	5	125	1690	52.72
			समूह ख	181	15	5	35	9	245	799	
			समूह ग	365	42	28	72	14	521	891	
	कुल (I + II)		समूह क	448	26	12	97	20	603	31318	32.82
			समूह ख	1460	329	212	292	62	2164	21039	
			समूह ग	4452	819	517	1455	269	7512	10279	
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय										
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	समूह क	5	0	0	0	0	5	361	9.70
			समूह ख	2	0	0	1	0	3	326	
			समूह ग	25	1	0	1	0	27	35	
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	समूह क	2	0	0	1	0	3	281	6.05
			समूह ख	5	1	0	1	0	7	264	
			समूह ग	3	2	1	1	0	7	17	
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	समूह क	19	0	-14	0	0	5	224	7.59
			समूह ख	18	1	-17	4	0	6	207	
			समूह ग	56	12	-72	10	0	6	17	
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	समूह क	6	3	-1	8	1	17	517	29.79
			समूह ख	-3	7	-13	-14	0	5	363	
			समूह ग	34	36	-32	89	5	132	154	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
36.	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हॉल यूनिवर्सिटी	समूह क	16	0	0	0	0	16	1017	42.18
			समूह ख	52	2	1	5	1	61	588	
			समूह ग	205	2	129	7	9	352	429	
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	समूह क	5	0	0	0	0	5	503	8.75
			समूह ख	3	1	1	1	0	6	459	
			समूह ग	20	0	11	1	1	33	44	
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	समूह क	7	-1	-4	1	0	3	611	3.93
			समूह ख	10	-2	-6	3	0	5	587	
			समूह ग	13	0	3	0	0	16	24	
24	सिक्किम	सिक्किम विश्तविद्यालय	समूह क	-5	2	1	3	1	2	80	15.00
			समूह ख	1	3	0	4	1	9	68	
			समूह ग	-1	0	0	2	0	1	12	
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	समूह क	1	1	0	1	1	4	254	18.90
			समूह ख	10	0	0	1	1	12	206	
			समूह ग	17	4	9	1	1	32	48	
	कुल-III (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	56	5	-18	14	3	60	3846	20.27
			समूह ख	98	13	-34	34	3	114	3068	
			समूह ग	372	57	49	112	16	606	780	
	कुल-I (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	343	20	10	90	15	478	29628	31.69
			समूह ख	1279	214	116	257	53	1919	20240	
			समूह ग	4087	777	489	1383	255	6991	9388	
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	105	6	2	7	5	125	1690	52.72
			समूह ख	181	15	5	35	9	245	799	
			समूह ग	365	42	28	72	14	521	891	
	ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		समूह क	504	31	-6	111	23	663	35166	31.45
			समूह ख	1558	242	87	326	65	2278	24107	
			समूह ग	4824	876	566	1567	285	8118	11059	
				6886	1149	647	2004	373	11059		

विवरण-III

इग्नू में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त शिक्षण/शैक्षिक रिक्तियां

पद का नाम	जैसा कि 1.04.2017		
	स्वीकृत	भरा हुआ	रिक्त
	कुल	कुल	कुल
1	2	3	4
प्रोफेसर	69	29	40
रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर	135	83	52
सहा. प्रोफेसर	250	161	89
निदेशक/समकक्ष	21	05	16
संयुक्त निदेशक	03	01	02
क्षेत्रीय निदेशक/डीडी	53	44	09
उप. निदेशक अन्य प्रभाग में	35	23	12
उप. निदेशक अन्य प्रभाग में	156	134	22
सहा. क्षेत्रीय निदेशक/ आरएसडी में सहायक निदेशक	35	19	21
सहा. निदेशक/अन्य प्रभागों में समकक्ष	28	24	06
कुल	785	523	262

विवरण-IV

इग्नू में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त शिक्षण/शैक्षिक पद

28.03.2018 की तिथि तक स्टाफ की संख्या

वर्ग	प्रशासनिक स्टाफ				तकनीकी स्टाफ				कुल स्टाफ			
	स्वीकृत	कार्यरत		रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत		रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत		रिक्त
		एससी/ एसटी	सामान्य/ ओबीसी			एससी/ एसटी	सामान्य/ ओबीसी			एससी/ एसटी	सामान्य/ ओबीसी	
समूह-क	203	27	105	71	81	3	51	27	284	30	156	98
समूह-ख	205	33	136	36	90	17	70	3	295	50	206	39
एसओएस/एसपीए एवं समकक्ष	15 (एलआर)	3	7	5	0	0	0	0	15	3	7	5
समूह-ख (अन्य)	295	44	197	54	226	26	103	97	521	70	300	151
	12 (एलआर)	0	0	12	29 (एलआर)	8	6	15	41	8	6	27
समूह-ग	802	97	190	515	162	18	85	59	964	115	275	574
	44 (एलआर)	14	2	28	24 (एलआर)	4	5	15	68	18	7	43
समूह-ग (हाल ही में समूह-घ द्वारा समूह-ग हेतु त्यागपत्र दिया गया)	261	32	60	169	20	3	14	3	281	35	74	172
	30(एलआर)	5	4	21	0	0	0	0	30	5	4	21
कुल योग	1867	255	701	911	632	79	334	219	2499	334	1035	1130

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संग्रहालय प्राधिकरण

5538. **श्री महेश गिरीः** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का सभी संग्रहालयों की देखरेख करने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय प्राधिकरण बनाने का विचार है जैसाकि अपनी तीन वर्षीय कार्यसूची में नीति आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) संग्रहालयों के सामने जो मुद्दे हैं उनको सरकार द्वारा समन्वित तरीके से किस प्रकार हल करने का विचार है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान संग्रहालयों संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों/किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ग) जी, नहीं। संस्कृति मंत्रालय के पास सभी संग्रहालयों की देखरेख करने हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय प्राधिकरण बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) संस्कृति मंत्रालय के अधीन संग्रहालयों से संबंधित कोई राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति नहीं है।

एमएसएमई हेतु क्रि-सिडेक्स

5539. **श्री प्रताप सिम्हाः** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसएमई) हेतु क्रिसिल और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत का प्रथम भाव सूचकांक क्रि-सिडेक्स की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सूक्ष्म और लघु उद्यमियों द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन को मापने के पैमाने तथा स्वीकृत मानदंड क्या है;

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का अधिकाधिक समेकन कर इसे औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): (क) और (ख) जी, हां। क्रिसिडेक्स का उद्देश्य वर्तमान और भावी अपेक्षाओं का आकलन करना और संलग्न विवरण में दिए गए विभिन्न मापदंडों के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के प्रदर्शन को आंकना है।

(ग) और (घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रति निवेशकों के मनोभावों में सुधार लाने और नियमनिष्ठ बनाने के लिए सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन और विमुद्रीकरण, ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफार्म को जीएसटी नेटवर्क से जोड़ने, ऑनलाइन ऋण मंजूरी सुविधा में सुधार करने, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) और विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना और अन्य उपायों की सहायता से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने जैसे कई उपाय किए हैं।

विवरण

क्रिसिडेक्स में श्रेणीवार प्रयोग किए जाने वाले व्यापार मापदंड

श्रेणी	मापदंड
विनिर्माण	• व्यापार की स्थिति
	• उत्पादन की मात्रा
	• आदेश पुस्तिका का आकार दिए/गए आयात आदेशों की मात्रा (आयातकों के लिए)
	• पीएटी मार्जिन
	• क्षमता का उपयोग
	• कर्मचारी बेस
	• सरकार की किसी भी मुख्य पहलों/ नीतियों से संबंधित तदर्थ प्रश्न
सेवाएं	• व्यापार की स्थिति
	• आदेश/संविदा पुस्तिका का आकार
	• पीएटी मार्जिन
	• कर्मचारी बेस
	• सरकार की किसी भी मुख्य पहल/ नीतियों से संबंधित तदर्थ प्रश्न
ऋणदाता	• सूक्ष्म और लघु उद्यम व्यापार की स्थिति
	• सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण की दरें

श्रेणी	मापदंड
	• सूक्ष्म और लघु उद्यम परिसंपत्ति की गुणवत्ता • सूक्ष्म और लघु उद्यमों की साख में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक • सरकार की किसी भी मुख्य पहल/नीतियों से संबंधित तदर्थ प्रश्न

[हिन्दी]

अर्बुदा देवी मंदिर पर रोप-वे

5540. **श्री देवजी एम. पटेलः** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि पहल के अंतर्गत राजस्थान में माऊंट आबू के अर्बुदा देवी मंदिर पर रोप-वे, एक्वारियम, एम्फी-थियेटर, प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम, प्राणी उद्यान, पार्किंग, सिनेमा हाल और सुविधाजनक बिंदुओं जैसी सुविधा और वित्तपोषण के साथ सुसज्जित पर्यटक/पारिस्थितिकी सर्किट केन्द्र के रूप में विकसित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ अभी तक कितनी निधियां आवंटित की गई है/उपयोग की गई हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) और (ख) मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत देश में थीम आधारित पर्यटक परिपथों को विकसित कर रहा है। राजस्थान सरकार ने जनवरी, 2018 में स्वदेश दर्शन योजना के ईको परिपथ थीम के अंतर्गत सरिस्का (अलवर) - कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य (करोली)-कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य तथा राओली ताडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य (राजसमंद)-माउंटआबू वन्यजीव अभ्यारण्य (सिरोही)-जालना सफारी पार्क (जयपुर)-सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य (प्रतापगढ़) के विकास के लिए एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत की है।

मंत्रालय ने उपरोक्त परियोजना के लिए कोई निधियां स्वीकृत नहीं की हैं।

[अनुवाद]

नमक उद्योग का विकास

5541. **श्री देवुसिंह चौहानः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात साधारण नमक का 70 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है और कुल उत्पादित नमक का 57 प्रतिशत भारत में उत्पादित किया जाता है तथा नमक उद्योग के विकास और नमक कामगारों के विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 40 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी भी है कि अगस्त, 2012 में नमक उद्योग और अगढियों के विकास हेतु विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन पर चर्चा करने के लिए गुजरात सरकार और केन्द्र सरकार के बीच एक बैठक हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नमक उद्योग संबंधी योजनाओं/परियोजनाओं और नमक कामगारों हेतु कल्याणकारी योजनाओं के विकास पर राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति के लिए क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार राज्य नमक परियोजनाओं में 50 प्रतिशत धनराशि का अंशदान करने पर विचार करेगी ताकि नमक का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के विकास के लिए और अधिक परियोजनाएं और बेहतर कार्यकलाप शुरू किए जा सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): (क) भारत में नमक के कुल उत्पादन में से गुजरात का हिस्सा लगभग 81 प्रतिशत है। नमक उद्योग के विकास और नमक कामगारों के विविध कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए गुजरात सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) नमक उद्योग संबंधी योजनाओं/परियोजनाओं के विकास संबंधी विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं और नमक कामगारों हेतु कल्याण योजनाओं के लिए बजट आवंटन पर विचार-विमर्श हेतु गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के बीच अगस्त, 2012 में किसी बैठक का आयोजन नहीं किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकार से जब भी कोई विशिष्ट और ठोस प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उस पर विचार किया जाएगा।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान नमक उद्योग के विकास और नमक कामगारों की विविध कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए गुजरात सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	वर्ष	गतिविधि							कुल
		सड़क	जल	स्वास्थ्य	शिक्षा	सुरक्षा-किट	साइकल	अन्य	
1.	2013-14	1886.52	-	-	-	-	76.02	37.46	2000.00
2.	2014-15	500.75	-	809.25	18.65	-	-	171.35	1500.00
3.	2015-16	60.83	-	1208.43	1527.20	203.54	-	-	3000.00
4.	2016-17	179.61	136.07	12.90	1168.92	-	-	2.50	1500.00
5.	2017-18	1536.98	340.70	252.46	-	456.00	-	28.97	2615.11

चर्म शोधनशाला उद्योग

5542. **प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में चर्म शोधनशाला उद्योग का आकार छोटा करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में चर्म शोधनशाला उद्योगों में लगे हुए व्यापारियों को सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(ग) क्या चर्म शोधनशाला उद्योग के व्यापार में गिरावट से आयात और निर्यात भी प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार ने देश में 82 प्रशिक्षण इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा तकनीकी उन्नयन के लिए 30.31 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है। इसके अलावा, सामान्य निस्सारी आशोधन संयंत्रों (सीईटीपी) के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 4.14 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई है।

(ग) डीजीसीआई एंड एस के डाटा के अनुसार, चमड़ा उद्योग के समग्र निर्यात में डॉलर के संदर्भ में 1.79 % की वृद्धि हुई है जैसाकि नीचे दिया गया है। भारतीय चमड़ा उद्योग में निर्यात का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र. सं.	पैनल	अप्रैल, 2016-फरवरी, 2017	अप्रैल, 2017-फरवरी, 2018	वृद्धि %
1.	तैयार चमड़ा	805.93	795.87	-1.25%
2.	फुटवियर	2244.77	2257.79	0.58%
3.	फुटवियर अवयव	286.83	328.56	14.55%
4.	चमड़े के परिधान	501.03	490.5	-2.10%
5.	चमड़े के सामान और सहायक उपकरण	1272.84	1319.97	3.70%
6.	जीनसाज़ी और हार्नेस	129.97	142.27	9.46%
	कुल	5241.37	5334.96	1.79%

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस

जहां तक भारत में चमड़े, चमड़े के उत्पाद तथा फुटवियर उद्योग के आयात का संबंध है, इसमें वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में वृद्धि हुई है, जो निम्न प्रकार है:

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

श्रेणी	2014-15	2015-16	2016-17	% परिवर्तन (2015-16)	% परिवर्तन (2016-17)
कच्चा माल	87.07	62.76	57.25	-27.92%	-8.78%
तैयार चमड़ा	646.02	595.75	552.34	-7.78%	-7.29%
चमड़े के फुटवियर	116.97	119.14	79.46	1.86%	-33.31%
फुटवियर का सामान	26.03	27.53	78.36	5.76%	184.63%
चमड़े के परिधान	5.14	10.68	1.67	107.78%	-84.36%
चमड़े के सामान	88.86	93.51	68	5.23%	-27.28%
जीनसाजी और हार्नेस	0.36	0.25	0.32	-30.56%	28.00%
गैर-चमड़ा फुटवेयर	280.48	274.14	377.87	-2.26%	37.84%
कुल	1250.93	1183.76	1215.27	-5.37%	2.66%

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस

[अनुवाद]

कौशल विकास के माध्यम से पीएमआरपीवाई

5543. **श्रीमती पीके श्रीमथि टीचरः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में कौशल विकास के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएमआरपीवाई की शुरुआत के बाद से अब तक केरल राज्य को संवितरित की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केरल में अभी तक उक्त योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करती है, जिसमें भारत सरकार नियोक्ताओं के अंशदान के 8.33% शेयर का भुगतान कर रही है, जो नए कर्मचारियों के लिए पहले तीन वर्षों हेतु कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) में जाती है। यह योजना 15,000/- रुपए प्रति माह कमाने वाले कर्मचारियों के लिए लक्षित है और इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक बनाना भी है। इस योजना के अंतर्गत नए कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक लाभ तक भी पहुंच होगी।

योजना के आरंभ से (9.8.2016 से 22.3.2018 तक) प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत केरल राज्य में 18.52 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।

योजना के आरंभ से (9.8.2016 से 22.3.2018 तक) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत केरल राज्य में 64,820 कर्मचारियों को लाभ मिल चुका है।

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विरासत स्थलों का विकास

5544. **श्रीमती रक्षाताई खाडसेः** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश के स्मारकों, विरासत स्थलों और पर्यटक स्थलों के विकास करने के लिए और उनकी पर्यटन क्षमता और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देकर उन्हें पर्यटक हितैषी बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समन्वय करके योजनाएं शुरू करने का है/योजनाएं शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) पर्यटन मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के निकट सहयोग से 'विरासत अभिग्रहण परियोजना' आरंभ की है ताकि विभिन्न प्राकृतिक/सांस्कृतिक विरासत स्थलों, स्मारकों तथा अन्य पर्यटक स्थलों को पर्यटक हितैषी बनाने, उनकी पर्यटक क्षमता तथा सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने के लिए पूरे देश में नियोजित तथा चरणबद्ध रूप से विश्व स्तरीय पर्यटक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

यह परियोजना, मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने पर फोकस करती है जिनमें स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधाएं, पेयजल, पर्यटकों हेतु पहुंच की सुगमता, संकेतक आदि तथा आधुनिक सुविधाएं जैसे टीएफसी, स्मृति चिह्न की दुकाने, कैफेटेरिया आदि हैं।

यह परियोजना पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए विरासत स्थलों को निजी क्षेत्र कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तथा व्यक्तियों को सौंपने की परिकल्पना करती है। वे 'स्मारक मित्र' बनेंगे तथा अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत अनिवार्यतः स्थलों का अभिग्रहण करेंगे। वे इन सुविधाओं के संचालन और अनुरक्षण की देखभाल करेंगे।

इन स्मारकों/विरासत स्थलों के अभिग्रहण में "स्मारक मित्र" गर्व से सहयोगी बनेंगे।

(ख) "विरासत अभिग्रहण" परियोजना का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विरासत अभिग्रहण परियोजना

1. **परियोजना का सार**

पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के निकट सहयोग से विरासत स्थलों को विकसित करने की परिकल्पना करता है तथा उनकी पर्यटक क्षमता तथा सांस्कृतिक महत्व बढ़ाने के लिए पूरे देश में नियोजित तथा चरणबद्ध रूप से उन्हें पर्यटक हितैषी बना रहा है। यह परियोजना 93 एएसआई टिकट वाले स्मारकों से आरंभ हुई तथा पूरे भारत में प्राकृतिक तथा विरासत स्थलों तथा अन्य पर्यटक स्थलों पर इसका विस्तार किया गया है।

यह परियोजना 27 सितम्बर, 2017 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आरंभ की गई थी।

इस परियोजना में अभिग्रहण किए गए स्थल को मूलभूत तथा आधुनिक पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने तथा किसी भी समय समीक्षा करने की शर्त पर प्रारंभ में 5 वर्षों के लिए विरासत स्थलों को निजी क्षेत्र कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तथा व्यक्तियों (जिन्हें "स्मारक मित्र" के नाम से जाना जाएगा) को सौंपने की योजना है।

परियोजना के उद्देश्यों की सूची निम्नवत है:

- विरासत स्मारकों तथा किन्हीं अन्य पर्यटक स्थलों में और उसके आस पास मूलभूत पर्यटन अवसंरचना का विकास।
- विरासत स्थल/स्मारक अथवा पर्यटक स्थलों के लिए समावेशी पर्यटक अनुभव
- संबंधित विरासत स्थल/स्मारक/पर्यटक स्थल के स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सृजित करने के लिए देश के सांस्कृतिक तथा विरासत मूल्यों को बढ़ावा देना।
- विरासत स्थल/स्मारक अथवा पर्यटक स्थल पर विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित करने के द्वारा सतत रूप से पर्यटक आकर्षकता बढ़ाना।
- स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा रोजगार सृजन।
- आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में पर्यटन के बहु-गुणक प्रभावों के लिए पर्यटन क्षमता का दोहन।
- सतत् पर्यटन अवसंरचना का विकास तथा इसका उचित संचालन एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करना।

2. सूचीबद्ध किए गए स्थलों/स्मारकों को फुटफाल तथा दर्शनीयता के आधार पर हरा, नीला तथा नारंगी के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

परियोजना दिशा-निर्देशों के एक भाग के रूप में हरा श्रेणी के स्मारक का विकल्प ले रहे स्मारक मित्र के लिए यह आवश्यक है कि वे नारंगी अथवा नीला श्रेणी में से कम से कम एक स्थल का चयन करें।

सफल बोली ईकाई के रूप में सर्वाधिक प्रतियोगी तथा अभिनव दृष्टिकोण पर विचार किया जाएगा। नारंगी तथा नीला श्रेणी

से स्मारकों की अधिक संख्या का चयन करने वाली इच्छुक पार्टियों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

इच्छुक पार्टियां किसी अन्य विरासत स्थल/स्मारक अथवा पर्यटक स्थलों का विकल्प ले सकते हैं जो परियोजना के अतर्गत उपरोक्त सूची में उल्लिखित नहीं है तथा गैर-सूचीबद्ध स्थल स्वतः ही नीला श्रेणी के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

3. इस परियोजना का फोकस एक सतत् मॉडल निर्माण सुनिश्चित करने के लिए उद्योग की सक्रिय भागीदारी पर है। उद्योग भागीदारी के माध्यम से, सीएसआर अथवा किसी अन्य निधिकरण विकल्प के माध्यम से ओवरसाइट एवं विजन समिति के अनुमोदन तथा समीक्षा की शर्त पर पूंजी के लिए संसाधन तथा आवर्ती लागत प्रस्तावित है।

4. स्मारक मित्रों को इन कार्यकलापों से गर्व होगा तथा उन्हें स्मारक/स्थल परिसरों में सीमित दर्शनीयता प्रदान की जाएगी।

तिब्बत संग्रहालय

5545. **श्री दिव्येन्दु अधिकारीः** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि धर्मशाला में बनने वाले तिब्बत संग्रहालय अपने इतिहास और संस्कृति पर जोर देगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संग्रहालय में किन विषयों को दर्शाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) तिब्बत संग्रहालय, धर्मशाला संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नहीं है।

सरकारी खरीद नीति

5546. **श्री जॉर्ज बेकरः**
श्री अनिल शिरोलेः
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः
श्री अजय मिश्रा टेनीः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी खरीद नीति की मुख्य विशेषताएं और ब्यौरा क्या है और अब तक देशभर में नीति के अंतर्गत तय लक्ष्यों, खरीद हेतु आरक्षित वस्तुओं की संख्या और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उपलब्धियों से संतुष्ट है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय भी एमएसएमई से न्यूनतम 20 प्रतिशत खरीददारी करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार को देशभर में इस नीति के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु कतिपय राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): (क) सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपने उत्पाद और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का 20% की खरीद सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से करेंगे। इस नीति में बयाना राशि के भुगतान (ईएमडी) से छूट, मुफ्त निविदा सेट, मूल्य वरीयता तथा विशेषतः एमएसई से खरीद के लिए 358 मदों के आरक्षण जैसे अन्य लाभ शामिल हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के 'एमएसएमई-संबंध' पोर्टल पर 133 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अपलोड किए गए खरीद संबंधी वार्षिक आंकड़ों के अनुसार, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 26 मार्च, 2018 तक की गई कुल खरीद 19815.25 करोड़ रुपये (22.13%) की है।

(ख) सार्वजनिक खरीद नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी खरीद में एमएसई से संबन्धित शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत सेल, एमएसई से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की गई खरीद की प्रगति की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन तथा खरीद सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई संबंध पोर्टल लॉच करने जैसे कदम उठाए गए हैं।

(ग) एमएसएमई संबंध पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार रक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने एमएसई से वित्त वर्ष 2017-18 (26 मार्च, 2018 तक) के दौरान 2015.1825 करोड़ रुपये (25.58%) मूल्य की उत्पाद एवं सेवाओं की खरीद की है।

(घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) का वास्तविक प्रदर्शन संबंधी राज्यवार सूचना

क्र. सं.	राज्य	राज्य स्तरीय विक्रेता विकास कार्यक्रम (एसवीडीपी) की संख्या	राष्ट्र स्तरीय विक्रेता विकास कार्यक्रम (एनवीडीपी) की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5	2	438
2.	असम (अरुणाचल प्रदेश और मेघालय सहित)	10	1	485
3.	बिहार	9	1	527
4.	छत्तीसगढ़	5	1	474
5.	दिल्ली	10	3	698
6.	गोवा	3	—	178
7.	गुजरात (दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव सहित)	12	2	850
8.	हरियाणा	7	1	600
9.	हिमाचल प्रदेश	4	1	299
10.	जम्मू और कश्मीर	2	—	67
11.	झारखंड	7	1	374
12.	कर्नाटक	26	3	1111
13.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	7	1	320
14.	मध्य प्रदेश	8	—	482
15.	महाराष्ट्र	11	6	656
16.	मणिपुर (नागालैंड सहित)	1	—	50
17.	ओडिशा	10	1	511
18.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	6	1	357
19.	राजस्थान	10	1	785
20.	सिक्किम	0	—	0
21.	तमिलनाडु (पुदुचेरी सहित)	21	5	1549
22.	तेलंगाना	5	3	706

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा (मिजोरम सहित)	0	—	0
24.	उत्तर प्रदेश	22	4	1694
25.	उत्तराखंड	6	1	550
26.	पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार सहित)	9	3	1679
	कुल	216	42	15440

तमिलनाडु में पर्यटक स्थलों का विकास

5547. **श्री के.आर.पी. प्रबाकरनः** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से राज्य में कोर्टलम और अन्य पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम):

(क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय अभिकरणों को स्वदेश दर्शन-थीम आधारित पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास तथा प्रशाद-तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन की अपनी योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा परियोजनाएं निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा पूर्व में जारी निधियों की उपयोगिता की शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं।

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर, मंत्रालय ने तमिलनाडु में निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की हैं:—

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना	परियोजना का नाम/स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि
1.	स्वदेश दर्शन	तटवर्ती परिपथः चेन्नई-मामल्लापुरम-रामेश्वरम्-मन्नपदु-कन्याकुमारी का विकास (2016-17)	99.92
2.	प्रशाद	कांचीपुरम् का विकास (2016-17)	16.48
3.	प्रशाद	वेल्लांकनी का विकास (2016-17)	5.60

निजी भविष्य निधि न्यास

5548. **श्रीमती के. मरगथमः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का 500 निजी भविष्य निधि न्यासों को अपने दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी निजी भविष्य निधि न्यासों में से प्रत्येक की ईपीएफ जमा राशि लगभग 1.0 करोड़ रुपये की है अथवा 20 तक की संख्या में सदस्यों को ईपीएफओ के दायरे में लाया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफओ का 1,000 से अधिक ऐसे न्यासों की निगरानी बढ़ाने का विचार भी है जिनके अंशदाताओं की संख्या काफी अधिक है और जो बड़े पैमाने पर ईपीएफओ जमा राशि का प्रबंधन करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लगातार ऐसे भविष्य निधि ट्रस्टों की निगरानी में सुधार की कोशिश करता है जिन्हें ईपीएफओ के समग्र नियामक ढांचे के तहत सरकार द्वारा अपने भविष्य निधि ट्रस्ट को बनाए रखने की अनुमति दी गई है।

इस प्रयास में, निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ ने मासिक आधार पर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर लांच किया है। सभी छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के अनुपालन लेखा परीक्षा उनके अनुपालन को सत्यापित करने के लिए किया जाता है।

[हिन्दी]

बुंदेलखंड में पर्यटन का विकास

5549. **श्री भैरों प्रसाद मिश्र**: क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) इस संबंध में अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) से (ग) मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत देश में थीम आधारित पर्यटक परिपथों को विकसित कर रहा है। मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत बुंदेलखण्ड के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की हैं:—

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	थीमैटिक परिपथ	परियोजना का नाम/स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत परियोजना लागत	परियोजना के अंतर्गत शामिल बुंदेलखण्ड में जिला	बुंदेलखण्ड स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1.	रामायण	उत्तर प्रदेश में रामायण परिपथ के रूप में चित्रकूट तथा श्रृंगवेरपुर का विकास 2016-17	69.45	चित्रकूट (उत्तर प्रदेश)	43.13
2.	आध्यात्मिक	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक परिपथ-II का विकास (बिजनौर-मेरठ-कानपुर-कानपुर देहात-बांदा-गाजीपुर- सालेमपुर-घोसी-बलिया-अम्बेडकर नगर-अलीगढ़-फतेहपुर-देवरिया-महोबा-सोनभद्रा-चंदौली-मिश्रिख-भदोही) 2016-17	62.96	महोबा और बांदा	6.89
3.	विरासत	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में विरासत परिपथ का विकास (कालिंजर फोर्ट (बांदा)-मरहर धाम (संतकबीर नगर) - चौरी चौरा, शहीद स्थल (फतेहपुर)-मावाहर स्थल (घोसी) - शहीद स्मारक (मेरठ) 2016-17	41.51	बांदा	8.07

1	2	3	4	5	6
4.	विरासत	विरासत परिपथ का विकास (ग्वालियर-ओरछा -खजुराहो-चंदेरी-भीमवेटका-माण्डु) मध्य प्रदेश 2016-17	99.77	टीकमगढ़ और छतरपुर	50.76
5.	वन्यजीव	मध्य प्रदेश में पन्ना-मुकुंदपुर- संजय-डुबरी-बांधवगढ़- कान्हा-मुक्की-पेंच में वन्यजीव परिपथ का विकास। 2016-17	92.22	पन्ना	12.69
		योग	365.91		121.54

उपरोक्त सभी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

[अनुवाद]

ईएसआईसी अस्पतालों का निर्माण

5550. **डॉ. किरीट सोमैयाः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अलवर मेडिकल कॉलेज और मुंबई के मुलुंड, इलाके में ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और इन अस्पतालों के निर्माण के लिए निर्धारित भूमि, धनराशि और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) (i) अलवर, राजस्थान में एक चिकित्सा महाविद्यालय और 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण पूरा हो गया है।

(ii) वर्तमान में ईएसआईसी द्वारा मुलुंड, मुम्बई में कोई भी चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) अलवर चिकित्सा महाविद्यालय के संबंध में अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अलवर में ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि, निधि एवं समय सीमा के ब्यौरे सहित वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	जारी राशि (करोड़ रुपये में)	भूमि का क्षेत्रफल	निर्माण/समय-सीमा की वर्तमान स्थिति
1	अलवर, राजस्थान में ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय एवं 500 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण	918.25	879.42	14.85 हेक्टेयर (लगभग 37 एकड़)	कार्य पूरा

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक पुरस्कार

5551. **एडवोकेट जोएस जॉर्जः**
श्री सी. महेंद्रनः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने हाल में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित आईटीबी-बर्लिन विश्व पर्यटन सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक पुरस्कार जीता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या होटल, पर्यटन बोर्ड, टूर-संचालकों, प्रणाली प्रदाताओं, विमान कंपनियों और कार रेंटल कंपनियों सहित पर्यटन क्षेत्र की कंपनियों द्वारा आईटीबी का प्रतिनिधित्व किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में और अधिक वृद्धि होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) से (ग) जी, हां। भारत को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बोर्स (आईटीबी), 2018 में एशिया/आस्ट्रेलिया/ओशियाना क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक' पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, टूर प्रचालकों, होटलों/रिजार्टों, एयर इंडिया, आईआरसीटीसी आदि को शामिल करते हुए 45 से अधिक हितधारकों ने अपने विभिन्न पर्यटन गंतव्यों/उत्पादों का प्रदर्शन करने हेतु भारत मंडप के सह-प्रदर्शक के रूप में भाग लिया।

ऐसे समारोहों में भागीदारी हेतु पर्यटन मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों का संवर्धन करना और वैश्विक पर्यटन मार्केट में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना है। उल्लिखित लक्ष्य एकीकृत विपणन तथा संवर्धनकारी रणनीति के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) पर्यटन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान महत्वपूर्ण तथा भावी विदेशी स्रोत बाजारों में आध्यात्मिक, चिकित्सा तथा निरोगता पर्यटन सहित देश के विभिन्न गंतव्यों तथा पर्यटन उत्पादों के संवर्धन के लिए अतुल्य भारत 2.0 अभियान आरम्भ किया है। अतुल्य भारत 2.0 अभियान का उद्देश्य पूरे विश्व में किए जा रहे सामान्य संवर्धनों से थीमेटिक क्रिएटिव्स के साथ बाजार विशिष्ट संवर्धनात्मक योजनाओं और विषयवस्तु सृजन की ओर बदलाव लाना है।

सर्व शिक्षा अभियान

5552. **कर्नल सोनाराम चौधरी**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि कम पड़ने पर केन्द्र सरकार द्वारा उसकी भरपाई की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने एसएसए के अन्तर्गत खर्च की पूर्ति के लिए अग्रिम राशि दी है जो उनकी हिस्सेदारी से कहीं अधिक है और इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा 2828.60 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी गई है जिसकी सरकार द्वारा भरपाई किया जाना शेष है;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान सरकार को इसका भुगतान कब तक किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 7(1) में यह उल्लेख किया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान करने की समवर्ती जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों दोनों की होगी। धारा 7(3) में उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में व्यय का वह प्रतिशत प्रदान करेगी जिसे वह निर्धारित करेगी, जबकि धारा 7(5) में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त राशि को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु निधियां प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी।

एसएसए कार्यक्रम के अंतर्गत योजना के अनुमोदित घटकों के कार्यान्वयन हेतु मौजूदा निधि शेयरिंग पद्धति के अनुसार और बजट की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों को केंद्रीय हिस्सा सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के अनुसार दो अथवा अधिक किस्तों में जारी किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के साथ ही राज्यों को निधियों के अंतरण में वृद्धि की गई है और इसे निवल केंद्रीय कर प्राप्तियों के 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। निधियों के बढ़े हुए अंतरण के साथ ही राज्यों को एसएसए के लिए अधिक निधियां आबंटित करने की सलाह दी गई है ताकि अधिनियम की धारा 7(5) द्वारा राज्यों को प्रदान किए गए कार्य और जिम्मेदारियां पूरी की जा सकें।

औद्योगिक उत्पादन

5553. **श्री अनूप मिश्राः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पानी की कमी से देश का औद्योगिक उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) देश में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) और (ख) चूंकि जल राज्य का विषय है इसलिए केंद्र सरकार औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जल की मांग और उपलब्धता संबंधित आंकड़े नहीं रखती है। जल के स्थायित्व और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधनों को बढ़ाने, उनके संरक्षण और दक्षता प्रबंधन के कदम उठाने का दायित्व प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद देने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) सरकार विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यवसाय अनुकूल वातावरण सृजन, अवसंरचना नेटवर्क को मजबूत बनाना तथा जरूरी इनपुट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को विनिर्माण, डिजाइन तथा नवाचार के लिए एक हब के रूप में स्थापित करना है। इसमें चुनिंदा प्रमुख क्षेत्रों में अवसंरचना, प्रक्रिया को सरल बनाने, नौकरी सृजन, कौशल विकास तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। यह पहल नई प्रक्रियाओं, नई अवसंरचना, नए क्षेत्रों तथा नई विचारधारा के चार स्तम्भों पर आधारित है जिनकी पहचान केवल अवसंरचना ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ावा देने के लिए की गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति और प्रक्रियाओं को लगातार सरल और उदार बनाया गया है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधार के लिए भी कई उपाय किए हैं। मौजूदा नियमों के सरलीकरण तथा उदारीकरण एवं प्रशासन को और अधिक दक्ष तथा प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष बल दिया गया है।

मनीषी पंचनम बर्मा का स्मारक

5554. **श्री पार्थ प्रतिम रायः** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को मनीषी पंचनम बर्मा, जो भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े समुदाय राजवंशी समाज के सुधारकों में से एक रहे हैं, के योगदान की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की उत्तर-पूर्व सहित पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में उनके सम्मान में एक स्मारक/मूर्ति का निर्माण करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ङ) संस्कृति मंत्रालय द्वारा महान विभूतियों की जन्मशतियां और उनकी तथा हमारे देश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण/स्मरणीय घटनाओं की 125वीं/150वीं/175वीं वर्षगांठ आदि जैसे अन्य विशिष्ट अवसरों पर स्मरणोत्सव मनाए जाते हैं। ऐसे स्मरणोत्सव के दौरान किसी विभूति/घटना की याद में स्मारक या किसी अन्य अवसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। मनीषी पंचनम बर्मा का जन्म वर्ष 1866 में हुआ था। उनकी 150वीं वर्षगांठ वर्ष 2016 में थी जिसका स्मरणोत्सव संस्कृति मंत्रालय द्वारा नहीं मनाया गया।

केंद्रीय विश्वविद्यालय

5555. **डॉ. अनुपम हाजराः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पास लेखा परीक्षा प्राधिकारी/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कोर्ट के सदस्य द्वारा पता लगाए गए/रिपोर्ट किए गए केंद्रीय विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की वित्तीय और प्रशासनिक अनियमिततताओं और अवैधताओं के आधार पर कार्रवाई करने की कोई विधिक शक्ति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 2014-16 के दौरान कितने मामलों का पता लगाया गया; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित अधिनियमों द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय हैं और ये अपने अधिनियमों और उनके तहत बनाई संविधियों और अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। जब कभी कुप्रबंधन/अनियमिताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर उचित कार्रवाई करने हेतु उसे संबंधित केन्द्रीय विश्वविद्यालय को भेजा जाता है। यदि किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की वित्तीय और प्रशासनिक अनियमिताओं की रिपोर्ट के मामले में कोई ठोस साक्ष्य मिथ्यता है और विश्वविद्यालय का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तब मामले के तथ्यों के आधार पर एक तथ्य अन्वेषण जांच समिति गठित की जाती है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है।

विदेश व्यापार

5556. **श्री एम.बी. राजेशः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानदंडों के अनुसार निम्न आय के स्तर को पार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका हमारे विदेशी व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या तैयारी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) से (घ) डब्ल्यूटीओ सचिवालय प्रकाशन के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वर्ष 2013-2015 तक लगातार तीन वर्षों के लिए सतत 1990 डॉलर पर रहकर 1000 अम. डॉ. को पार कर गयी है । इन प्रति व्यक्ति जीएनआई आंकड़ों के आधार पर, भारत ने डब्ल्यूटीओ सब्सिड़ियों और कांउटरवेलिंग करार के अनुबंध vii को पूरा कर लिया और भारत को इसके लिए कुछ गैर संगत निर्यात संबंधित सब्सिडियों को समाप्त करने की आवश्यकता है। तथापि, यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे विदेश व्यापार पर तत्काल कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

[हिन्दी]

एमएसएमई से निर्यात

5557. **श्री राहुल कस्वांः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान से निर्यात में वृद्धि करने हेतु कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) जी हां, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से भारत के उत्पादों का निर्यात वर्ष 2015-16 में 130.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 137.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जिससे 4.8 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई जो वर्ष 2014-15 (138.9 बिलियन अमरीकी डालर) की तुलना में वर्ष 2015-16 में 5.9 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि में सुधार था।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से भारत के उत्पादों के निर्यात का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार हैः—

(मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य)

क्र. सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17
1.	महाराष्ट्र	47631.59	44087.73	46277.90
2.	गुजरात	16224.83	16475.51	18108.95
3.	तमिलनाडु	15573.16	14407.38	14842.09
4.	उत्तर प्रदेश	8412.27	8126.11	8415.33
5.	दिल्ली	7313.73	6945.72	8020.22
6.	कर्नाटक	7330.10	6824.99	7286.12
7.	हरियाणा	5532.18	5569.22	5649.24
8.	आंध्र प्रदेश	5504.75	4164.57	4206.76
9.	पश्चिम बंगाल	4757.98	4089.53	4135.49

क्र. सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17
10.	तेलंगाना	1366.43	3400.59	3572.74
11.	राजस्थान	3512.92	3358.25	3410.44
12.	पंजाब	3330.72	2980.71	2784.43
13.	मध्य प्रदेश	1715.60	1866.08	2235.08
14.	केरल	1377.07	1760.75	2119.95
15.	गोवा	1067.35	1157.90	1362.26
16.	अविनिर्दिष्ट	4786.51	2271.54	1177.97
17.	हिमाचल प्रदेश	565.15	603.75	765.43
18.	दादरा और नगर हवेली	739.09	722.16	676.02
19.	दमन और दीव	530.49	581.31	547.42
20.	उत्तराखंड	568.37	536.59	495.49
21.	ओडिशा	208.46	123.23	306.93
22.	पुदुचेरी	250.39	276.99	248.19
23.	झारखंड	224.06	184.65	150.82
24.	जम्मू और कश्मीर	93.84	71.13	72.50
25.	छत्तीसगढ़	127.05	41.94	67.47
26.	बिहार	54.35	49.80	63.18
27.	चंडीगढ़	39.60	41.23	48.46
28.	असम	7.49	7.93	14.31
29.	सिक्किम	3.21	2.37	4.25
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.24	9.16	1.13
31.	मणिपुर	0.07	0.13	0.76
32.	त्रिपुरा	4.00	1.00	0.74
33.	नागालैंड	0.12	1.63	0.31
34.	मेघालय	34.49	0.12	0.27
35.	लक्षद्वीप	0.16	0.08	0.13
36.	अरुणाचल प्रदेश	4.89	5.60	0.01
37.	मिजोरम	0.01	1.42	0.01
	कुल योग	138896.72	130768.70	137068.79

(ग) देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने विदेशों तथा घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से निविष्टियां इत्यादि प्राप्त करने हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए)/निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी)/100 प्रतिशत ईओयू स्कीमों का विस्तार कर अक्टूबर, 2017 में निर्यातकों के लिए एक मुख्य राहत पैकेज की घोषणा की। विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा के दौरान श्रम सघन तथा एमएसएमई क्षेत्रों के लिए भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहनों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिसके परिणामस्वरुप 4567 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन दिया गया है। यह वृद्धि श्रम सघन वस्त्र क्षेत्र में रेडीमेड वस्त्रों तथा निर्मितियों हेतु 2743 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन राशि के साथ एमईआईएस प्रोत्साहन में 2 से 4 प्रतिशत की पहले से घोषित वृद्धि के अलावा थी। इसके अतिरिक्त भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि में भी 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिसके परिणाम स्वरूप 1140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन दिया गया है।

निर्यात संवर्धन स्कीमें राजस्थान सहित सभी राज्यों के लिए समान रुप से लागू हैं।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों में दुर्घटनाएं

5558. **श्री वी.वी. नाईकः**
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ाः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में दुर्घटनाओं की संख्या का और ऐसी दुर्घटनाओं की प्रकृति का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं में घायल/मारे गए लोगों की संख्या कितनी है और इसके परिणामस्वरूप संपत्ति की कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) इन दुर्घटनाओं में घायल हुए और मारे गए लोगों के परिवारजनों को अदा की गई क्षतिपूर्ति की राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान उन संयंत्रों और उपकरणों के रखरखाव पर औसत वार्षिक आय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)ः (क) और (ख) देश में इस्पात निर्माण के दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) नामशः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) हैं। गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के सेल और आरआईएनएल में घातक और गैर-घातक दोनों दुर्घटनाओं की संयंत्रवार और वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन संयंत्रों में दुर्घटनाएं ऊँचाई से गिरने, गिरने/मूविंग वस्तुओं द्वारा चोट लगने, गर्म धातु से जल जाने इत्यादि जैसे कारणों की वजह से हुई हैं। इस अवधि के दौरान दुर्घटनाओं के कारण परिसंपत्ति की कोई महत्वपूर्ण हानि नहीं हुई है।

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। देश में बड़ी संख्या में इस्पात कारखाने/संयंत्र मौजूद है। जहाँ तक निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का संबंध है, इस्पात मंत्रालय द्वारा ये अपेक्षित आंकड़े/सूचनाएं नहीं रखी जाती हैं।

(ग) नियमित कर्मचारियों की घातक दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिपूर्ति कानून/कंपनी नीति के अनुसार प्रदान की जाती है। सेल और आरआईएनएल अपने कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति का भुगतान दि इम्पलोई कंपनसेशन एक्ट, एम्पलोई फैमिली बेनिफिट स्कीम और कंपनी नीति के अनुसार रोजगार से और रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु/विकलांगता की दशा में करते हैं। संविदागत श्रमिक के मामले में प्रतिपूर्ति/आश्रित लाभ का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईएस) द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) के अंतर्गत किया जाता है। सेल और आरआईएनएल ने वर्ष 2015 से 2018 के दौरान घायल व्यक्तियों और मृत कर्मचारियों के परिवारों को प्रतिपूर्ति के रूप में कुल मिलाकर 2,89,29,180 रुपये का भुगतान किया है।

(घ) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सेल और आरआईएनएल के विभिन्न संयंत्रों के अनुरक्षण (उपस्करों के अनुरक्षण समेत) पर औसतन वार्षिक खर्च लगभग 6650 करोड़ रुपये और 1154 करोड़ रुपये क्रमशः हुआ था।

(ङ) सेल और आरआईएनएल दोनों ने इन घटनाओं को रोकने के लिए कई उपाय किये है। इन उपायों में अन्य के साथ-साथ अनुरक्षण अनुसूची का पालन करना, सुरक्षा प्रबंधन के प्रति प्रणालीगत दृष्टिकोण पर जोर देना, सुरक्षा पद्धतियों का कड़ाई से पालन, नियमित निरीक्षण, सुरक्षा जागरूकता पर अनिवार्य प्रशिक्षण और विशेष प्रशिक्षण, सुरक्षा ऑडिट करना, व्यक्तिगत सुरक्षा के उपस्करों का उपयोग करना और कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के मुताबिक तैयार आकस्मिक योजना का उपयुक्त क्रियान्वयन करना इत्यादि शामिल है।

विवरण

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों और यूनिटों में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा

संयंत्र/यूनिट	घातक दुर्घटनाएं (फैटलिटी)				अन्य सूचना योग्य दुर्घटनाएं (घातक दुर्घटनाओं को छोड़कर)			
अवधि	2015	2016	2017	2018 (फरवरी तक)	2015	2016	2017	2018 (फरवरी तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)								
भिलाई इस्पात संयंत्र (छत्तीसगढ़)	3	3	2	0	13	3	9	0
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल)	5	1	4	0	2	0	0	0
राउरकेला इस्पात संयंत्र (ओडिशा)	6	2	3	0	2	3	3	0
बोकारो इस्पात संयंत्र (झारखंड)	1	2	1	0	7	3	3	0
इस्को इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल)	0	1	6	0	8	1	3	1
अलॉय इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल)	1	0	0	0	0	0	0	0
सेलम इस्पात संयंत्र (तमिलनाडु)	0	0	0	1	1	1	2	0
विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात संयंत्र (कर्नाटक)	0	0	0	0	3	3	0	0
चंद्रपुर फैरो अलॉय संयंत्र (महाराष्ट्र)	0	0	0	0	2	2	0	0
स्टॉक यार्ड	1	0	0	0	1	1	2	0
कच्चा माल प्रभाग (खान) (ओड़िशा)	2	0	0	0	2	1	3	0
भिलाई माइंस (छत्तीसगढ़)	1	1	0	0	7	10	7	0
कोलरीज (झारखंड)	0	1	0	0	1	2	3	0
सेल रिफ्रेक्ट्री यूनिट (छत्तीसगढ़)	0	0	0	0	4	1	0	0
कुल (सेल)	20	11	16	1	53	31	35	1
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	04	06	0	0	13	10	7	3
सकल योग	24	17	16	1	66	41	42	4

विज्ञान विषयों का अध्ययन

5559. **श्री शिशिर कुमार अधिकारी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थी निचली कक्षाओं में गणित और अन्य विज्ञान विषयों के समुचित ज्ञान के अभाव और विद्यालयों में अध्यापकों की कमी और कार्यकलाप-आधारित शिक्षण की भी कमी के कारण विज्ञान विषयों को लेने से आनाकानी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया

है और अध्यापकों की रिक्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सभी कक्षाओं के लिए सभी विद्यालयों में समर्पित अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति करने का सरकार के प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) (क) से (ग) जी, नहीं। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली(यूडाइस) 2015-16 के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों के विज्ञान विषयों में नामांकन वर्ष 2014-15 में 62.18 लाख से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 79.52 लाख हुआ है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के अंतर्गत उनके वार्षिक कार्य योजना और बजट 2017-18 प्रस्ताव में दी गई जानकारी के अनुसार माध्यमिक स्तर पर केवल 15.70 प्रतिशत शिक्षण पद रिक्त हैं। माध्यमिक स्तर पर रिक्त पदों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) केन्द्र प्रायोजित योजना में प्रत्येक आवासीय स्थान की यथोचित दूरी (5 किलोमीटर) के अंदर एक माध्यमिक स्कूल का प्रावधान करते हुए और सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाने और महिला-पुरुष, सामाजिक-आर्थिक तथा निःशक्तता संबंधी बाधाएं समाप्त करने के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारते हुए माध्यमिक स्कूलों तक सर्वसुलभ पहुंच की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक नए स्तरोन्नत माध्यमिक स्कूल के लिए 01 प्रधान अध्यापक और 05 शिक्षक (2 भाषा शिक्षक, 01 विज्ञान शिक्षक, 01 सामाजिक विज्ञान और 01 गणित अध्यापक) एवं छात्र-शिक्षक अनुपात सुधारने के लिए अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। तथापि, सरकारी शिक्षकों की भर्ती और सेवा शर्तें मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं।

मंत्रालय नियमित तौर पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा विभिन्न समीक्षा बैठकों, राज्यों शिक्षा सचिव सम्मेलन, संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) आदि में शिक्षकों के रिक्त पद भरने पर बल देता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2015 में भी बच्चों को विज्ञान तथा गणित सीखने की दिशा में प्रोत्साहित करने और गणित तथा विज्ञान से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से उनकी रूचि का विकास करने के लिए स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आरएए), एक सम्मिलित कार्यढांचा शुरू किया है। आरएए के अतंर्गत एक हस्तक्षेप राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के माध्यम से स्कूलों में विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण करना है। साथ ही अन्य हस्तक्षेप जैसे जिला स्तर पर विज्ञान मेला/प्रदर्शनी और प्रतिभा खोज; स्कूलों को गणित और विज्ञान किट, छात्रों का उच्चतर संस्थाओं में दौरा और छात्रों का अधिगम संवर्धन भी अनुमोदित किए गए।

विवरण

माध्यमिक स्तर पर खाली पदों के राज्य/संघ शासित प्रदेशीय ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	रिक्त पदों का प्रतिशत
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	आंध्र प्रदेश	12.762
4.	असम	10.803
5.	बिहार	35.392
6.	चंडीगढ़	एनए
7.	छत्तीसगढ़	29.43
8.	दादरा और नगर हवेली	0.58
9.	दमन और दीव	0.00
10.	दिल्ली	14.44
11.	गोवा	25.23
12.	गुजरात	29.16
13.	हरियाणा	5.21
14.	हिमाचल प्रदेश	6.63
15.	झारखंड	82.71
16.	जम्मू और कश्मीर	20.18
17.	कर्नाटक	11.53
18.	केरल	17.01
19.	लक्षद्वीप	40.45
20.	मध्य प्रदेश	16.82
21.	महाराष्ट्र	16.46
22.	मेघालय	0.00
23.	मणिपुर	2.63
24.	मिजोरम	0.00

1	2	3
25.	नागालैंड	12.55
26.	ओडिशा	3.54
27.	पुदुचेरी	21.23
28.	पंजाब	13.16
29.	राजस्थान	0.00
30.	सिक्किम	1.87
31.	तमिलनाडु	1.27
32.	तेलंगाना	8.64
33.	त्रिपुरा	17.07
34.	उत्तर प्रदेश	47.33
35.	उत्तराखंड	19.03
36.	पश्चिम बंगाल	6.25
	कुल	15.70

स्रोतः एडब्ल्यूपी एंड बी-2017-18 (मॉडल तालिका-12)

[हिन्दी]

आईटीआई/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना

5560. **श्री ताम्रध्वज साहूः** क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने हेतु विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और एनजीओ से सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु जारी राशि का राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त परियोजना किस हद तक जनजातीय युवाओं को पोषित कर रही है और उपरोक्त अवधि के दौरान इससे लाभान्वित हुए जनजाति युवाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ग) इस परियोजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर): (क) से (ग) जनजातीत कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों/एनजीओ द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (वीटीसी) को संचालित करने के लिए वीटीसी की योजना के तहत आवर्ती अनुदान प्रदान करता है। योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तथापि, मंत्रालय की योजनाओं के युक्तिकरण के भाग के रूप में वर्ष 2018-19 से जनजातीय उप-योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान की योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के उपाय को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं के तहत कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों के लिए राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को निधि पोषण के लिए मंत्रालय में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकित तथा अनुमोदित किया जाता है।

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय की वीटीसी योजना के तहत राज्य सरकारों/एनजीओ को प्रदान की गई निधियों के ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध हैः—

(लाख रुपए में)

राज्य वीटीसी	वर्ष	निर्मुक्त निधियां
असम	2014-15	485.70
	2015-16	900.00
गुजरात	2015-16	605.76
एनजीओ		
असम	2014-15	72.32
	2016-17	93.00
	2017-18	183.09
मेघालय	2014-15	30.44
	2017-18	59.33
कर्नाटक	2014-15	63.60
	2017-18	59.60
नागालैंड	2014-15	103.92
	2016-17	24.48
तमिलनाडु	2016-17	31.20
	2017-18	61.55

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान टीएसएस को एससीए तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत जनजातीय लोगों के कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रदान की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए है। इससे लाभान्वित जनजातीय युवाओं/लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या के संबंध में आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान वीटीसी योजना के तहत जनजातीय लोगों के प्रशिक्षण के लिए प्रदान की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य का नाम	इच्छित लाभार्थी		
		2014-15	2015-16	2016-17
1.	असम	1300	1000	300
2.	गुजरात	0	4898	0
3.	कर्नाटक	200	0	0
4.	मेघालय	100	0	0
5.	नागालैंड	340	0	80
6.	तमिलनाडु	0	0	100
	कुल	1940	5898	480

गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) संविधान के अनुच्छेद 275(1) की योजनाओं के तहत जनजातीय लोगों के कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रदान की गई निधियां:

क्र. सं.	राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17
		लाभार्थियों की संख्या		
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1623	700	125
2.	अरुणाचल प्रदेश	320	700	390
3.	असम	5600	6000	1120
4.	बिहार	800	2500	4620
5.	छत्तीसगढ़	6500	4000	4400
6.	गुजरात	10216	8000	2300
7.	हिमाचल प्रदेश	2500	400	937
8.	जम्मू और कश्मीर	0	1650	3000
9.	झारखंड	11500	3500	0
10.	कर्नाटक	3000	6400	0
11.	केरल	3028	1800	290
12.	मध्य प्रदेश	25000	10000	6500
13.	महाराष्ट्र	3600	6590	1000
14.	मणिपुर	3000	665	0
15.	मेघालय	1650	0.00	0
16.	मिजोरम	175	500	937
17.	नागालैंड	1175	1000	562
18.	ओडिशा	10000	10640	22165
19.	राजस्थान	8500	7800	0
20.	सिक्किम	616	715	50
21.	तेलंगाना	5800	3800	6000
22.	त्रिपुरा	1400	1000	2093
23.	उत्तर प्रदेश	1700	965	0
24.	पश्चिम बंगाल	10300	6875	5500
	कुल	118003	86200	61989

विवरण-II

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान टीएसएस को एससीए तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों को प्रदान की गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
		निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	487.82	300.00	40.00	300.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	230.00	125.00	0.00

1	2	3	4	5	6
3.	असम	1699.25	1800.00	168.00	0.00
4.	बिहार	250.00	750.00	430.18	250.00
5.	छत्तीसगढ़	2029.56	1000.00	2090.00	0.00
6.	गुजरात	4620.00	3695.72	2998.00	1750.03
7.	हिमाचल प्रदेश	241.58	175.00	300.64	320.00
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	500.00	500.00	100.00
9.	झारखंड	3492.96	1240.00	0.00	300.00
10.	कर्नाटक	900.00	1800.00	0.00	1180.00
11.	केरल	530.00	550.00	35.10	100.52
12.	मध्य प्रदेश	8057.55	3300.00	2233.19	4100.00
13.	महाराष्ट्र	1100.00	1977.18	1000.00	0.00
14.	मणिपुर	150.00	200.00	0.00	187.00
15.	मेघालय	500.00	0.00	0.00	90.00
16.	मिजोरम	53.36	100.00	300.00	55.82
17.	नागालैंड	355.00	300.00	180.00	50.00
18.	ओडिशा	4584.47	3194.59	7093.35	5200.00
19.	राजस्थान	1650.00	2675.00	0.00	0.00
20.	सिक्किम	60.00	215.00	109.80	28.00
21.	तेलंगाना	1750.00	1300.00	1186.35	800.00
22.	त्रिपुरा	1038.50	290.00	450.00	290.00
23.	उत्तर प्रदेश	536.92	290.00	0.00	200.00
24.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	100.00
25.	पश्चिम बंगाल	3110.00	2063.58	990.00	1055.00
	कुल	37296.97	27946.07	20229.61	16456.37

[अनुवाद]

रोजगारों पर एआई का प्रभाव

5561. **श्री राम मोहन नायडू किंजरापुः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में बेरोजगारी दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अनुप्रयोग को देखते हुए रोजगार के सृजन हेतु एक दबाव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने (एआई) के उपयोग के कारण होने वाले रोजगार की संख्या में हानि के आकलन हेतु कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2015-16 में रोजगार-बेरोजगारी पर आयोजित पिछले उपलब्ध श्रमबल सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर 2015-16 में 3.7% थी।

(ख) से (घ) नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार सृजन करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है तथा इसने बेरोजगार व्यक्तियों तक रोजगार के अवसरों की पहुंच को सुगम बनाने पर बल दिया है। नेशनल ऐसोसिएसन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनिज (नैसकॉम) के अनुसार, कौशल प्रोफाइल तीव्र परिवर्तन का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि डिजीटल प्रौद्योगिकीयों के कारण कौशलों की मांग चरघातांकी तरीके से बढ़ती है। यह विश्वास किया जाता है कि प्रौद्योगिकी अपनाने से दीर्घकाल में क्षेत्रों में अधिक रोजगार का सृजन होगा। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) तथा क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) जैसे सरकारी निकाय अनोखी रोजगार भूमिकाओं तथा इसी के लिए अपेक्षित कौशल की पहचान हेतु वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं का समाधान करते हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की अग्रणी योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग- संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में सहायता करेगा। पहले से सीखने के अनुभव वाले अथवा कुशल व्यक्तियों को भी पूर्व-सीख को मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत मूल्यांकित और प्रमाणित किया जाएगा।

युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने के लिए, लगभग 22 मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। उद्योग, शैक्षणिक समुदाय एवं क्षेत्र कौशल परिषदों को शामिल करते हुए पणधारक, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियों एवं रोजगार भूमिकाओं में विद्यमान कार्यबल का पुनः कौशलीकरण/उच्च-कौशलीकरण हो, कार्य कर रहे हैं।

हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का विकास

5562. **श्रीमती मीनाक्षी लेखी :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हिमालयी क्षेत्र के सांस्कृतिक धरोहर के विकास हेतु योजना के अंतर्गत नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ कोई सहयोग किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) मंत्रालय हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्कीम संचालित करता है। इस स्कीम के अंतर्गत देशभर में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसाइटी के रूप में अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1962 के अधीन सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों तथा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान किया जाता है। विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा संस्तुत किसी भी एकल संगठन को जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में फैले हिमालयी क्षेत्र की पुरानी पांडुलिपियों के परिरक्षण के लिए, साहित्य, कला एवं शिल्पकला के लिए, सांस्कृतिक कार्यकलापों के प्रलेखन के लिए, श्रव्य-दृश्य कार्यक्रमों के जरिए कला एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए तथा पारंपरिक एवं लोक कला में प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान के लिए 10.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों/न्यासों/अन्य संस्थाओं आदि को उक्त स्कीम के अंतर्गत जारी की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः—

(करोड में)

वर्ष	जारी की गई राशि
2014-2015	0.95
2015-2016	0.89
2016-2017	1.10
2017-2018	0.70 (26.3.2018 की स्थिति के अनुसार)

[हिन्दी]

होटलों का विनिवेश

5563. **श्री कीर्ति आजादः** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सरकारी स्वामित्व वाले होटलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से कुछ हानि में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इनके कार्यनिष्पादन का होटल-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इनके आधुनिकीकरण और इन्हें लाभ अर्जित करने वाला बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के हानि में चल रहे होटलों के विनिवेश का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) वर्तमान में, पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार का एक उपक्रम भारत पर्यटन विकास निगम लि. (आईटीडीसी), निम्नलिखित होटलों का संचालन कर रहा है:—

(i) दि अशोक होटल, नई दिल्ली

(ii) सम्राट होटल, नई दिल्ली

(iii) होटल जम्मू अशोक, जम्मू, जम्मू और कश्मीर

(iv) होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना, बिहार

(v) होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर, ओडिशा

(vi) ललित महल पैलेस होटल, मैसूर, कर्नाटक

(vii) होटल रांची अशोक, झारखण्ड, आईटीडीसी और झारखण्ड राज्य सरकार की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी।

(viii) होटल डोनी पोलो अशोक, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, आईटीडीसी और अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी।

(ix) होटल पॉडिचेरी अशोक, पुदुचेरी, आईटीडीसी और पुदुचेरी राज्य सकरार की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों में हानि उठाने वाले होटलों के ब्यौरों का एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

हानि होने के प्रमुख कारणों में नए और आधुनिक होटलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, उपलब्ध रूम इन्वेंट्री में वृद्धि, बढ़ती हुई वेतन लागत, बिजली एवं ईंधन की लागत में वृद्धि आदि हैं।

(घ) आईटीडीसी द्वारा अपने होटलों के आधुनिकीकरण करने के लिए किए गए उपायों में नवीनीकरण और कमरों का उन्नयन, नई सुविधाओं के अलावा, कमरे की ऑनलाइन बुकिंग के लिए ऑनलाइन ट्रेवेल एजेंसियों के साथ गठजोड़, उसी समय ग्राहक की प्रतिक्रिया की शुरूआत, आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च) सरकार की विनिवेश नीति के अंतर्गत आईटीडीसी के हानि उठाने वाले निम्नलिखित होटलों/परिसम्पत्तियों को राज्य सरकार को संयुक्त पट्टे पर देने अथवा राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है:—

(i) होटल ललित महल पैलेस, कर्नाटक

(ii) होटल डोनी पोलो अशोक, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश।

(iii) होटल पॉडिचेरी अशोक, पुदुचेरी।

(iv) होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना, बिहार।

(v) होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर, ओडिशा।

(vi) होटल रांची अशोक, रांची, झारखंड।

विवरण

गत तीन वर्षों में हानि उठाने वाले होटलों के ब्यौरे

क्र. सं.	होटल का नाम	कर पूर्व लाभ (राशि लाख रुपए में)			
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (दिसम्बर, 2017 तक) (गैर-लेखा परीक्षित)
1	2	3	4	5	6
1.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू, जम्मू और कश्मीर	(201.79)	(158.61)	(170.84)	(164.70)
2.	होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना, बिहार	(72.08)	247.44	71.27	31.72

1	2	3	4	5	6
3.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर, ओडिशा	(317.30)	(173.77)	(109.86)	(136.29)
4.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर, कर्नाटक	(140.40)	16.26	13.05	19.11
5.	होटल रांची अशोक, रांची, झारखंड	(106.71)	(168.12)	(211.08)	(137.57)
6.	होटल डोनी पोलो अशोक, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	(0.93)	7.31	(8.63)	(22.46)
7.	होटल पॉडिचेरी अशोक, पुदुचरी	(46.95)	(20.15)	40.73	6.75

कोष्ठक में लिए गए आंकड़े हानि को दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

शैक्षणिक संस्थान

5564. **श्री जी.एम. सिद्देश्वराः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अकादमिक कार्य-निष्पादन सूचकांकों (एपीआई) में अंतर्विष्ट नियमों और प्रक्रियाओं में किए गए संशोधनों का पालन करने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं ने नवीनतम संशोधनों का सख्ती से कार्यान्वयन किया है की नहीं के संबंध में कोई निरीक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता एवं उच्चतर शिक्षा, के मानकों को बनाए रखने हेतु उपाय के लिए यूजीसी विनियम (चौथा संशोधन), 2016 अधिसूचित किए गए थे। ये विनियम आयोग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की 3) की धारा 2 के खंड (च) मान्यताप्राप्त घटक या संबद्ध कॉलेज और उपयुक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई भी समवत विश्वविद्यालय सहित प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे।

(ख) यूजीसी ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालयों के संबंध में ऐसा कोई निरीक्षण नहीं किया गया है।

सॉफ्टवेयर विकास कौशल

5565. **श्री एम. उदयकुमारः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 95 प्रतिशत सॉफ्टवेयर इंजीनियर खराब अकादमिक पृष्ठभूमि के कारण सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नौकरियां करने के उपयुक्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केवल 4.77 प्रतिशत अभ्यर्थी ही एक प्रोग्राम के लिए सही लॉजिक लिख सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि जबकि 60 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी कोड जो संकलन करता है तक नहीं लिख सकते और केवल 1.4 प्रतिशत कार्यात्मक रूप से सही और दक्ष कोड लिख सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या प्रोग्रामिंग कौशलों की कमी भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और डाटा, साइंस इकोसिस्टम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी बाजार की बढ़ती कौशल संबंधी चुनौतियों से निपटने और घरेलु आईटी बाजार के विस्तार को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर 18 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, पांच आईआईआईटी भी हैं जो केन्द्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थान हैं। इसके अलावा, आईटी विद्यार्थियों की कोडिंग दक्षता संबंधी

चुनौतियों के लिए सरकार ने देश भर में स्मार्ट इंडिया हैक्थान 2017 का आयोजन किया गया था। सरकार के 29 मंत्रालय/विभागों द्वारा चिन्हित सामाजिक महत्व की प्रगति के जवाब में 2100 कॉलेजों से अधिकतम 7531 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। देश के अधिकांश आईआईटी आईटी के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की कोडिंग प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय आईटी विद्यार्थियों को अन्य देशों के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगिता करने के अवसर प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल कोलिजिएट प्रोग्रामिंग कांटेस्ट (आईसीपीसी) का भी आयोजन किया जाता है। हमारे विद्यार्थी इन प्रतियोगिताओं में लगातार सराहनीय प्रदर्शन कर रहे हैं।

आईजीएनसीए क्षेत्रीय केन्द्रों को स्थापित करना

5566. **श्रीमती अंजू बालाः**
श्री तेज प्रताप सिंह यादवः
श्री बी. श्रीरामुलुः

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का नौ और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) के क्षेत्रीय केंद्र खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आईजीएनसीए 2018 की पहली तिमाही में त्रिसूर में एक क्षेत्रीय केंद्र खोलने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईजीएनसीए केरल में कई करोड़ की वर्चुअल आर्ट्स संग्रहालय की महत्वाकांक्षी परियोजना की स्थापना करने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों की प्राथमिकता केरल कलामंडलम विश्वविद्यालय के साथ स्वयं को संबद्ध करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश की सांस्कृतिक धरोहर के परिरक्षण और संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या आईजीएनसीए सात सूत्रीय मिशन और कुछ सिफारिशों जिसका मुख्य आधार सांस्कृतिक पुनरुद्धार और सांस्कृतिक सुधार है के साथ विजन दस्तावेज लेकर आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कला और संस्कृति हेतु आईजीएनसीए को एक जीवन्त राष्ट्रीय संस्था बनाने के लिए आंतरिक परिवर्तन करने की अविलंब आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा)ः (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) का वाराणसी, गुवाहाटी और बेंगलूरू स्थित अपने वर्तमान तीन क्षेत्रीय केन्द्रों के अलावा, रांची, वड़ोदरा, गोवा, त्रिशूर, जम्मू/श्रीनगर और पुदुचेरी में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) के 6 नए क्षेत्रीय केन्द्र आरंभ करने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, हां। आईजीएनसीए के लक्ष्य और उद्देश्य का ब्यौरा निम्नानुसार हैः—

आईजीएनसीए के लक्ष्य

- देश में आईजीएनसीए को सांस्कृतिक नवीनीकरण का केन्द्र बनाना;
- इसे सामाजिक-सांस्कृतिक संवाद और बोध का केन्द्र बनाना;
- इसे दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक विरासत के लिए ज्ञान और अनुसंधान का केन्द्र बनाना;
- इसे प्रवासी भारतीयों की सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन हेतु शिक्षण केन्द्र बनाना;
- इसे देश में और देश के आस-पास विभिन्न कला रूपों, परपंराओं, विरासत का संमिलन केन्द्र बनाना;
- इसे जनता के अनुकूल एक ऐसा केन्द्र बनाना, जहां हर स्थान के सृजन और ज्ञान को समान आदर प्राप्त हो;
- इसे एक ऐसा केन्द्र बनाना जहां परंपरा का आधुनिकता से, शास्त्रीय का लोक से, कला का विज्ञान से, लोकाचार का अभिव्यक्ति से और परंपरा का नवप्रवर्तन से संगम होता हो।

आईजीएनसीए के उद्देश्य

- इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाना;
- इसे कला और संस्कृति का विश्व स्तरीय भंडारगृह बनाना;
- इसे भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में उच्चतर अध्ययन का उत्कृष्ट संस्थान बनाना;
- भारतीय परिप्रेक्ष्य से भारत विद्या अध्ययन को बढ़ावा देना;

- संस्कृति, कला, साहित्य, पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में और अन्य संबंधित क्षेत्रों में भारतीय विद्वता का संपोषण करना;
- इसे पांडुलिपि शास्त्र एवं संरक्षण का विश्व स्तरीय केन्द्र बनाना;
- वास्तविक और डिजिटल संरूप में भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन हेतु एक बड़े अभिलेखागार का सृजन और विकास करना।

(ङ) जी, हां। आईजीएनसीए को कला और संस्कृति के लिए एक जीवंत राष्ट्रीय संस्थान बनाने के लिए, आईजीएनसीए ने आपसी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक एवं अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग हेतु प्रयास किया है। इसके अलावा, आईजीएनसीए ने नए आउटरीच प्रकोष्ठ की शुरुआत की है जो आईजीएनसीए की पहुंच को बढ़ाएगा और इसके कार्यक्रमों को अधिक लोकप्रिय बनाएगा। ऐसा आईजीएनसीए के प्रति और अधिक विद्वानों तथा बुद्धिजीवियों को आकर्षित करने के लिए भी किया गया है।

विदेशों में तेल फील्डों का अधिग्रहण

5567. **श्री राधेश्याम बिश्वासः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक निधि स्थापित करने का आग्रह किया है जो विदेशों में तेल और गैस परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में घरेलू सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की सहायता करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह बताया गया है कि विदेशी बाजारों में कड़ी प्रतिस्पर्धा है और त्वरित निर्णय के अतिरिक्त बाजार में स्वयं को स्थापित करने के लिए अत्यधिक निवेशों की भी आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या रणनीति तैयार की गई है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों अथवा विदेशी कंपनियों के परिसंघ में भागीदारी करके परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करती रही हैं। पीएसयूज अपने अधिग्रहणों के लिए निधियों की व्यवस्था बाजार में बोंड जारी करने सहित आंतरिक संसाधनों,अपनी मूल कंपनियों से ऋणों, बाहरी वाणिज्यिक ऋणों और/अथवा बाजार से ऋणों आदि से करते हैं। विदेशों में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों द्वारा तेल और गैस परिसंपत्तियों के पण और/अथवा स्वामित्व के अधिग्रहण की परिकल्पना भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई है।

संस्कृत को प्रोत्साहन देना

5568. **श्री टी.जी. वेंकटेश बाबूः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयों में शोध पाठ्यक्रम तक संस्कृत भाषा और उसके पाठन को प्रोत्साहन देने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार इस मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के तहत तीन समवत विश्वविद्यालयों अर्थात राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (आरएसकेएस), नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (एसएलबीएसआरएसवी), नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (आरएसवी), तिरुपति के माध्यम से संस्कृत भाषा का संवर्धन कर रही है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए संस्कृत में जैसे प्राक शास्त्री (12वीं), शास्त्री (बी.ए.), शिक्षा शास्त्री (बी.एड), शिक्षा आचार्य (एम.एड) और विद्यावारिधि (पीएच.डी.) शिक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ अनुसंधान कार्यक्रमों अर्थात एम.फिल, पीएच.डी, डी.लिट् सहित प्राक शास्त्री से आचार्य स्तर के नियमित संस्कृत पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट स्तर पर कई संस्कृत पाठ्यक्रमों को संचालित करता है और एसएलबीएसआरएसवी स्टेकहोल्डरों के लिए दो नए पार्ट टाइम पाठ्यक्रमों अर्थात 1) संस्कृत संभाषण पाठ्यक्रम; 2) संस्कृत भाषा पत्रिकारिता को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, इन तीन समवत विश्वविद्यालयों अर्थात आरएसकेएस, नई दिल्ली,

एसएलबीएसआरएसवी, नई दिल्ली और आरएसवी, तिरुपति में अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नए संस्थान

5569. **श्रीमती पूनमबेन माडमः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थानों की संख्या कितनी है और इनमें दाखिल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में विशेषकर जामनगर जिले में नए उत्कृष्ट संस्थानों को स्थापित करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का जामनगर जो कि सौराष्ट्र क्षेत्र में शिक्षा का केंद्र है के आसपास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) या ऐसे ही संस्थान स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) और (ख) "उत्कृष्ट संस्थान" नामक कोई शैक्षिक संस्थान नहीं हैं। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में 20 संस्थाओं (10 सार्वजनिक क्षेत्र से और 10 निजी क्षेत्र से) की स्थापना/उन्नयन करने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं के लिए यूजीसी (सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 और निजी संस्थाओं के लिए (उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के रूप में समर्थकारी विनियामक ढांचा जारी/अधिसूचित किया है।

इस बावत निजी क्षेत्र के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के योग्य और इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त हो गए हैं। आईओएस का चयन कार्य अभी पूरा किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय

5570. **श्री नलीन कुमार कटीलः**
श्री डी.के. सुरेशः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख में देश में 18 वर्ष से कम आयु के निःशक्त व्यक्तियों सहित निःशक्त व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि निःशक्त व्यक्तियों/विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु एक अनन्य विश्वविद्यालय की अत्यधिक आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में निःशक्त व्यक्तियों हेतु एक पूर्ण विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 2.68 करोड़ निःशक्त जन है जो कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है।

(ख) से (ङ) वर्तमान में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

ईपीएफ अंशदान जमा करने में चूककर्ता

5571. **श्री गोपाल शेट्टीः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कामगारों और कार्मिकों से संग्रहित की गई भविष्य निधि की राशि को संबंधित प्राधिकारियों को जमा नहीं करवाने वाले चूककर्ताओं की संख्या और तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बकाया राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान देश में कामगारों से संग्रहित, ऐसी लंबित निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिसे संबंधित भविष्य निधि प्राधिकारियों को जमा नहीं करवाया गया;

(घ) क्या सरकार ने दोषी/चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले पांच वर्षों के लिए कामगारों से एकत्र

करने के पश्चात भविष्य निधि देय राशियों को जमा न कराने वाले चूककर्ताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) से (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निम्नलिखित दांडिक कार्रवाईयां की गई हैं, ताकि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उनके हितों का संरक्षण किया जा सके।

(1) अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत चूककर्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ बकायों के आकलन के लिए कार्रवाई।

(2) अधिनियम की धारा 14 ख के अंतर्गत बकायों को देर से जमा करने के लिए जुर्माना लगाने की कार्रवाई।

(3) देरी से जमा कराने पर अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत ब्याज लगाने की कार्रवाई।

(4) अधिनियम की धारा 8ख से धारा 80 के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई (बैंक खातों की कुर्की, चल संपत्ति की कुर्की, अचल संपत्ति की कुर्की, चूककर्ताओं की गिरफ्तारी एवं सार्वजनिक नीलामी)।

(5) अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने की कार्रवाई।

(6) कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से कर्मचारी के हिस्से के अंशदान की कटौती करके उसे निधि में जमा नहीं कराने पर नियोक्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई।

नियोक्ताओं के हिस्से और कर्मचारियों के हिस्से की संपूर्ण राशि के लिए कानून के अंतर्गत भविष्य निधि बकायों का आकलन और वसूली की कार्रवाईयां की जाती हैं। पिछले पांच वर्षों के लिए ही कर्मचारी भविष्य निधि की लंबित राशि की वसूली का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से कटौती करके उसे जमा नहीं कराने वाले मामलों की संख्या (भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 की धारा 408/409 के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष दायर मामले)

राज्य	वर्ष 2012-13 के लिए कार्यभार	वर्ष 2013-14 के लिए कार्यभार	वर्ष 2014-15 के लिए कार्यभार	वर्ष 2015-16 के लिए कार्यभार	वर्ष 2016-17 के लिए कार्यभार
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	95	96	90	92	92
बिहार	31	31	32	32	32
छत्तीसगढ़	5	5	0	0	0
दिल्ली	75	79	94	120	124
गोवा	95	95	95	74	39
दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली सहित गुजरात	402	402	403	403	341
हरियाणा	14	10	10	37	37
हिमाचल प्रदेश	6	17	20	31	44
झारखंड	8	8	8	8	8
कर्नाटक	1029	883	698	397	390
केरल	1212	1248	682	671	422

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	91	91	88	88	88
महाराष्ट्र	450	435	532	540	579
असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	87	87	35	36	37
ओडिशा	107	107	107	111	111
चंडीगढ़ सहित पंजाब	60	54	57	54	59
राजस्थान	40	41	13	16	17
पुदुचेरी सहित तमिलनाडु	1762	1927	1728	1743	1768
तेलंगाना	129	152	167	183	194
उत्तर प्रदेश	32	27	11	24	17
उत्तराखंड	4	4	5	6	6
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	1367	1406	1440	1511	1558
कुल	7101	7205	6315	6177	5963

विवरण-II

पिछले 5 वर्षों के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए ईपीएफ देय राशि की वसूली की लंबित राशि का ब्यौरा (मजदूरों से संचित राशि सहित जमा नहीं किया गया)

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आंध्र प्रदेश	39.05	44.63	57.53	72.77	90.98
बिहार	21.65	14.94	21.39	19.45	30.75
छत्तीसगढ़	21.36	22.07	23.84	21.20	22.03
दिल्ली	551.37	659.21	316.69	463.37	529.04
गोवा	3.44	3.65	5.58	6.34	5.78
दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली सहित गुजरात	47.57	65.25	70.37	73.31	72.25
हरियाणा	31.37	34.74	44.89	66.68	70.63
हिमाचल प्रदेश	1.75	1.72	12.24	15.77	10.48
झारखंड	13.87	12.12	10.64	16.98	23.15

राज्य	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कर्नाटक	139.38	158.76	172.01	203.49	254.54
केरल	161.25	157.14	203.22	238.47	276.92
मध्य प्रदेश	160.91	186.21	187.48	205.79	212.82
महाराष्ट्र	338.83	370.68	423.24	526.06	789.52
असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र	17.40	22.25	25.15	26.09	27.16
ओडिशा	71.78	74.17	428.51	442.32	460.74
चंडीगढ़ सहित पंजाब	75.12	66.39	77.80	75.90	83.58
राजस्थान	20.04	19.05	24.51	25.41	27.76
पुदुचेरी सहित तमिलनाडु	180.42	210.22	289.09	345.13	391.07
तेलंगाना	93.77	88.96	131.48	115.38	146.59
उत्तर प्रदेश	140.46	143.58	154.84	183.96	224.19
उत्तराखंड	30.59	21.79	24.84	27.92	29.86
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	110.67	137.72	215.28	293.60	331.98
कुल	2272.05	2515.25	2920.62	3465.38	4111.82

[अनुवाद]

छत्तीसगढ़ में वन ग्राम

5572. **श्री अभिषेक सिंहः** क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ में ग्राम विकास योजना के अंतर्गत आरक्षित क्षेत्रों में स्थित वन ग्रामों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान उक्त गांवों में विकास कार्यो के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मांगी गई निधि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राशि स्वीकृत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत): (क) से (घ) ग्राम विकास योजना का कार्यान्वयन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक वन गांव के निवासियों की मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) को बढ़ाने के दृष्टिकोण से तथा 2,474 वन गांवों/आवासों, जिसे छत्तीसगढ़ के 425 गांवों सहित देश के 12 राज्यों में फैली योजना के तहत शामिल किया गया था, में बुनियादी सुविधाएं तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए वन गांवों के एकीकृत विकास हेतु एक बारगी उपाय के रूप में 'वन गांवों के विकास' के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया था। कार्यक्रम को 'जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता' के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के भाग के रूप में कार्यान्वित किया गया था। इस कार्यक्रम में संपर्क सड़कें, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई, वर्षा जल संग्रहण, पेयजल, स्वच्छता, सामुदायिक हॉल आदि तथा आय सृजन से संबंधित कार्यकलाप जैसी बुनियादी सेवाओं तथा सुविधाओं के संबंध में अवसंरचना कार्य शामिल हैं। वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्व में निधिपोषित किए गए घटकों को अब जनजातीय कार्य मंत्रालय की अन्य योजनाओं, विशेष रूप से जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत शामिल किया गया है।

राज्य सरकारों से विभिन्न कार्यकलापों पर प्रस्तावों की प्राप्ति एक लगातार प्रक्रिया है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के लिए स्वीकृति/निर्मुक्त निधि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	परियोजना का नाम	अनुमोदित निधि
1.	2014-15	सामुदायिक वन अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला एवं अधिनियम के प्रचार के माध्यम से जिले/ब्लॉक तथा वन गांव समितियों को सशक्त बनाना (संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत)	20.00
2.	2015-16	शून्य	शून्य
3.	2016-17	शून्य	शून्य
4.	2017-18	वितरित भूमि के भू-संदर्भ सहित वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वितरित वन अधिकारों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण (टीएसएस को एससीए के तहत)	319.00

जनजातीय कल्याण विद्यालयों की निगरानी

5573. **श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:** क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में जनजातीय कल्याण विद्यालयों के लिए उनके अनुरक्षण, खाद्य स्वच्छता इत्यादि सहित कोई निगरानी तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे तंत्र के अंतर्गत तैयार की गई रिपोर्टों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा ऐसी रिपोर्टों पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर): (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) प्रत्येक विद्यालय में 480 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत कार्यक्रम को सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना' की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत भी आवासीय आश्रम विद्यालयों की स्थापना की जाती है। इन उपायों का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति (अजजा) के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तथा सुविधाएं प्रदान करना है। ईएमआरएस हेतु दिशा-निर्देशों के अनुसार ईएमआरएस के संचालन के लिए आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी न्यूनतम 42,000/- रुपये प्रदान किया जाता है। आश्रम विद्यालयों का आवर्ती व्यय केवल राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

ईएमआरएस के निर्माण हेतु दिशा-निर्देश के प्रावधानों के अनुसार ईएमआरएस कार्यक्रम तथा इसके विस्तार के लिए राज्यों को मंत्रालय का समर्थन, राज्यों द्वारा विद्यालयों के उच्च गुणवत्तापरक प्रबंधन तथा संचालन को सुनिश्चित करने के अधीन है। गुणवत्तापरक प्रबंधन का तात्पर्य प्रबंधन समितियों/विद्यालयों को राज्य सरकारों से आवंटित निधियों का यथासमय तथा निर्विघ्न हस्तांतरण है; शिक्षकों की वांछित संख्या की भर्ती सुनिश्चित करने; कर्मचारी तथा विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने; बच्चों के लिए साफ एवं स्वच्छ परिवेश एवं खाद्य तथा शिक्षा के लिए स्वस्थ्य, खुशहाल वातावरण प्रदान करने एवं बच्चों के समग्र विकास से है। खाद्य, स्वच्छता, आदि के प्रावधान सहित ईएमआरएस तथा आश्रम विद्यालयों के रखरखाव तथा संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी केन्द्रीय रुप से नहीं की जाती है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी निम्न माध्यमों से भी सुनिश्चित करता है:—

(i) मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा परियोजनाओं/कार्यकलापों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ii) योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

(iii) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के दौरे के दौरान अधिकारी गण जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी करते हैं।

(iv) प्रस्तावों के यथासमय प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने, योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ केन्द्रीय स्तर पर बैठकें/सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं।

वैल्लोर शहर में पुरातात्विक स्मारकों की उपेक्षा

5574. **श्री बी. सेनगुट्टुवनः** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वैल्लोर ऐतिहासिक शहर में प्राचीन मूल के विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक स्मारक प्रचुर मात्रा में हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और महत्व क्या है;

(ख) क्या शहर में विजयनगर राजाओं के शासन के दौरान निर्मित किला उपेक्षा का शिकार नहीं है और यदि नहीं, तो गत तीन दशकों के दौरान इस स्थल पर किए गए संरक्षण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित पहाड़ी किला पूर्ण उपेक्षा की दशा में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थल पर क्या संरक्षण कार्य किए गए हैं;

(घ) क्या रानी विक्टोरिया के शासन की जयंती की याद में 1887 में बनाए गए स्तम्भ और राजा जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण की याद में बनाया गया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों को समर्पित टॉवर क्लॉक भी उपेक्षा का शिकार नहीं है और यदि नहीं, तो गत तीन दशकों के दौरान इन स्थलों पर किए गए संरक्षण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या बैठकों, मेलों, प्रदर्शनियों और सर्कस के आयोजनों के लिए अनुज्ञप्ति दिए जाने वाले पूर्व की तरफ मुख्य किला मैदान को अब उक्त प्रयोजनों हेतु अनुमति नहीं दी जाती है जबकि दक्षिण की और किला मैदान की एकड़ों जमीन को जिला प्रशासन की मिलीभगत से पुरातात्विक विभाग द्वारा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर निजी व्यक्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वेल्लोर किले का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासन के दौरान किया गया था। किले के अंदर स्थित टीपू सुल्तान के वंशज और श्रीलंका के अंतिम राजा से संबंधित अन्य संरचनाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन नहीं हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्मारकों के संरक्षण के लिए किए गए संरक्षण कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) उक्त स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन नहीं हैं।

(ङ) वेल्लोर किले के सामने के क्षेत्र को उचित परिवेश बनाए रखने हेतु पर्यावरणीय उन्नयन के लिए चिह्नित किया गया है। वेल्लोर किले के दक्षिण तरफ के क्षेत्र को स्मारक के चारों ओर पर्यटन संबंधी विकास के उद्देश्य से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जिलाधीश, वेल्लोर को सौंप दिया गया है।

विवरण-I

वेल्लोर स्थित स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा और महत्व

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन स्मारक

1. **वेल्लोर किलाः** इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी सीई में विजयनगर साम्राज्य के सहासिवरया के मातहत बोमीनायका द्वारा किया गया था। यह विजयनगर काल के दौरान दक्षिण भारत में सैनिक वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इस किले में धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों प्रकार के भवन हैं, टीपू महल, हैदरमहल धर्मनिरपेक्ष भवनों में से हैं।

2. **जलाकंटेश्वर मंदिरः** किले में स्थित मंदिर संरचना का निर्माण 16वीं शताब्दी सीई के मध्य में विजयनगर वंश द्वारा किया गया था। मंदिर की महत्ता इसके कल्याण मंडप के कारण है। अपने सूक्ष्म तरीके से तराशे गए 40 खंभों का यह मंडप पूर्व विजयनगर वास्तुशिल्पीय पद्धति के कुछ नमूनों में से एक है।

3. **पुरानी मस्जिदः** मस्जिद किले के अंदर एकमात्र इस्लामिक स्मारक है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी सीई में नावाब अरकोट द्वारा करवाया गया था। इसका ढांचा आयाताकार है जो फूलदार और मेहराब डिजाइन से सुसज्जित है।

राज्य पुरातत्व, तमिलनाडु सरकार के अधीन स्मारक

1. **सिलोन राजाओं के मकबरे, वेल्लोरः** सिलोन राजाओं के सात मकबरे अरुंरानाधापुंदी स्थान पर पाए गए। इनमें से सबसे बड़ा वेंधान श्री विक्रमा राजा सिंगन का है। यह 19वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित है। श्रीलंका के

राजा श्री वीराप्राक्रमा नरेन्द्रा सिंहन ने 18वीं शताब्दी ईसवीं में कांडी पर राज किया उसे अंग्रेजों ने वेल्लोर में कांडी महल में कारागार में डाल दिया था तथा 1832 में उसकी मृत्यु हो गई।

वेल्लोर शहर में अन्य ऐतिहासिक स्मारक

1. **क्लॉक टावर वेल्लोरः** वेल्लोर में क्लॉक टावर का निर्माण किंग जार्ज पंचम के राज्यारोहण की याद में किया गया था। यह टॉवर उन 22 सैनिकों को भी समर्पित है जो प्रथम विश्व युद्ध (1914-1919) के दौरान इस नगर से स्वयं ही लड़ने के लिए चले गए थे।

2. **मदरजये मोहम्मदीया मस्जिदः** मदरजये मोहम्मदीया मस्जिद या नवाब चंदा साहिब की मस्जिद का निर्माण 1750 सीई में हुआ था। मस्जिद का निर्माण ईंट और चूने से किया गया है। नमाज पढ़ने के लिए पश्चिम हिस्से में एक बड़ा प्रार्थना हॉल बनाया गया है। इसकी चौड़ाई 15 फीट और लंबाई 40 फीट है। मस्जिद का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है।

3. **पहाडी किला वेल्लोर, वेल्लोरः** वेल्लोर शहर के पूर्द में पहाड़ी पर बना यह किला संभवतः 1678 में छत्रपति शिवाजी की सेना द्वारा वेल्लोर किले की घेराबंदी के दौरान बनाए गए दो किलों में से एक है। यह किला वेल्लोर किले से 2 किलो मीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण 1678 सीई में छत्रपति शिवाजी की सेना द्वारा वेल्लोर किले की घेराबंदी के दौरान किया गया था।

4. **वेल्लोर स्थित महारानी विक्टोरिया का स्तंभः** 1887 में महारानी विक्टोरिया की याद में उनकी जयंती पर एक स्तंभ का निर्माण किया गया।

5. **टीपू सुल्तान के कुनबे का कब्रिस्तानः** 1806 में सिपाई विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने टीपू के लड़के और लड़कियों को दूसरे कलकत्ता भेज दिया। हैदरअली की विधवा बख्शी बेगम और टीपू की पत्नी पाशाह बेगम की मृत्यू 1834 में हो गई थी तथा उनके कब्रिस्तान वेल्लोर में है।

विवरण-II

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन दशकों के दौरान वेल्लोर में स्थित स्मारकों में किए गए संरक्षण का ब्यौरा

1977-1978 - किले के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर चारदिवारी करने के लिए एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण, वेल्लोर

- 1:5:10 सीमेंट कंकरीट आदि में निर्धारित कंटीले तारों तथा कोण आयरन खम्बें के साथ चारदीवारी का प्रावधान है
- विभिन्न स्थानों पर 04 वेल्डिड मेस गेटो का प्रावधान है

1978-1979 - वेल्लोर में जलकांटेश्वर मंदिर में एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- मंदिर के पश्चिम हिस्से, दक्षिण पश्चिम किनारे और उत्तर पश्चिम हिस्से पर कंटीले तार और कोण आयरन खम्बों के साथ चारदीवारी का प्रावधान
- टूटी मूर्तियों को जोड़ने के लिए ईंटों की चिन्नाई द्वारा पादपीठ का निर्माण
- टूटी मूर्तियों को ठीक करना

1993-94 प्राचीन कलक्टरी भवन (मूर्ति शेड) का संरक्षण (मूर्तिशाला)

- टीक प्लाईवुड के साथ ईंट चिनाई पाद पीठ की तख्तबंदी
- एक तरफ का शो केस उपलब्ध तथा आपूर्ति करना
- पुरावशेषों की सुरक्षा के लिए कलक्टर चैम्बर की विद्यामान खिड़कियों के लिए एमएस ग्रिल उपलब्ध कराना
- कांसे के प्रदर्शन हॉल की स्पॉट लाइटों की पुनः वाइरिंग और पुनः जोड़ने का प्रावधान
- मुख्य मूर्ति प्रदर्शन हॉल के लिए स्पॉट लाइटों की पुनः वाइरिंग और पुनः जोडने का प्रावधान
- ऐतिहासिक सूचना के लिए अंग्रेजी और तमिल भाषा में नोटिस लगाने की व्यवस्था करना

1993-94 वेल्लोर के जलकांटेश्वर मंदिर का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- आरसीसी कॉलमों को ठीक करने के लिए प्रस्तर फ्लोरिंग सतह का उपचार
- कॉलमों के ऊपर मंडप के लिए बड़े स्तंभ लगाना
- अम्मान मंदिर की दक्षिणी दिशा के डिजाइनों के अनुसार आरसीसी में शहतीर लगाना
- छत के लिए अपक्षय कोर्स प्रदान करना

- कॉलम, शहतीर, स्तंभ की प्लास्टरिंग और वर्तमान आलंकारिक डिजाइनों के अनुसार सज्जा

1993-94 वेल्लोर की टूट गई खंदक के पुनःनिर्माण का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- पानी निकालने के पश्चात् खंदक और जल क्षेत्र के मध्य कार्यक्षेत्र बनाने के लिए खंदक में लौकिक बांध का निर्माण
- लौकिक बांध और दीवार के मध्य से पानी निकालना
- खंदक की खतरनाक रूप से खड़ी प्रास्तर की दीवार को ध्यानपूर्वक हटाकर अलग-अलग करना और उन पत्थरों को सुरक्षापूर्वक संभालना
- खंदक के अंदर से गिरी हुई खंदक के पुराने पत्थरों को एकत्र कर उन्हें ऊपर लाना और पूर्वोत्तर कोने में उन्हें पुनः उपयोग हेतु संभालना
- उपयुक्त बुनियाद बनाने के लिए बुनियादी क्षेत्र से मिट्टी और मलबा साफ करना तथा उस मिट्टी को फेंकना
- कड़ी बजरी मिट्टी में मिट्टी का उत्खनन
- उपलब्ध पुराने तथा नए पत्थरों से दीवारों से दीवार का पुनःनिर्माण
- पूर्वोत्तर कोने की खंदक के पिछले हिस्से को भरना और उसे मजबूत बनाना
- खंदक के चिनाई वाले जोड़ों, ईंट के कार्यों को सीमेंट से भरना और ईंट की दीवार के ऊपरी हिस्से की प्लास्टरिंग
- पूर्वोत्तर कोने से मतस्य पालन डिपो तक पुराने रेल गर्डरों का उपयोग कर बाड़ा लगाना
- किले के पूर्वोत्तर कोने में प्रस्तर की दीवार के साथ एमएस ग्रिल बाड़ा प्रदान करना

1996-97 - वेल्लोर के जलकांटेश्वर मंदिर का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- भीतरी तिरूमाडिल और दक्षिणी तिरूमाडिल बाहरी दीवारों पर प्लास्टर की मूर्तियों को सुदृढ़ करना
- लकड़ी के पुराने दरवाजों और खिड़कियों की पेंटिंग
- पुराने एमएस लोहे के ग्रिलों को पेंट की दो तहे करना
- चिनाई वाली नाटी दीवार का निर्माण और नाटी दीवार पर पुनः ग्रिल लगाना

1997-1998-ओल्ड कलक्टर बिल्डिंग, (मूर्तिशाला), वेल्लोर में शौचालय ब्लॉक का निर्माण

- पर्यटकों हेतु नए शौचालय ब्लाकों का प्रावधान और उनका निर्माण

2000-2001- जलकोटेश्वर मंदिर, वेल्लोर का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- नंदी की पुरानी मूर्तियों को सही करना
- पुरानी कुदास की प्लास्टर की मूर्तियों से मरम्मत
- जहां से नंदी गायब हो गए है वहां नए नंदी बनाना
- गायब स्थल में कुदास और स्टक बनाना

2000-2001: किले और प्राचीर का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- उपलब्ध पुराने पत्थरों से किले की दीवार की मरम्मत
- ऊपरी प्राचीर के खराब हो गए पुराने प्लास्टर का उपचार और उत्तर से दक्षिण खंडों तक अपेक्षित/टूटे हुए हिस्से की मरम्मत
- कोने में आ गए अंतरालों को पाटने के लिए जीआई पाइप लगाना (पर्यटकों की सुरक्षा हेतु गायब हिस्सा

2001-2002: प्राचीर और ऊपरी प्राचीर बुर्जों का संरक्षण

- किले के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर से विशाल शिलाओं को सावधानीपूर्वक हटाना
- किले की दीवार के मौलिक स्वरूप को उभारने के लिए किले के प्रवेश के दाहिने ओर शिलाओं से सावधानी पूर्वक मिट्टी हटाना
- पश्चिमी प्राचीर की दक्षिणी दिशा से क्षतिग्रस्त/बेकार प्लास्टर को हटाना, क्षतिग्रस्त हिस्से को भरना और तत्पश्चात उसे सम्मिश्रण गारे से भरना
- बाहरी प्राचीर के ऊपर से पुराने, क्षतिग्रस्त, बेकार कंकरीट को सावधानीपूर्वक हटाना
- बाहरी प्राचीर की अंदरूनी ओर से क्षतिग्रस्त/पुराने बेकार प्लास्टर को सावधानीपूर्वक हटाना और ऊपर के हिस्से को सम्मिश्रण गारे से पूरा करना
- प्राचीर के दक्षिणी हिस्से के अंदर के प्रस्तर जोड़ो में उगे खर-पतवार को निकाल कर जोड़ों को भरना

2001-2002: ढिली हो गई उपलब्ध मूर्तियों को लगाने के लिए ईटों के पाद-पीठ के निर्माण का संरक्षण

- दीवार से पुराने बेकार प्लास्टर को सावधानी पूर्वक हटाना, जोड़ों को पीने वाले पानी से साफ करना और उन पर पुनः प्लास्टर लगाना
- उपलब्ध ढीली हो गई मूर्तियों को सीमेंट के गारे से जोड़ने के लिए देशी ईटों के साथ ईटों के पाद-पीठ का निर्माण
- प्लास्टर की गई दीवारों पर रंग-रोगन की दो तहें
- पुरानी बाह्य दिवारों पर रंग रोगन की दो तहें
- लकड़ी के पुराने दरवाजों और खिड़कियों पर पेंटिग की दो तहे
- भीतरी दीवारों पर रंग-रोगन की दो तहें
- संग्रहालय के दूसरे भवन के आस-पास एप्रोन प्रदान करना।

2001-2002-किले को कंटीली तारों की बाड़ से संरक्षण प्रदान करना

- उत्तरी दिशा (बंगलौर रोड), दक्षिणी दिशा नर्सरी प्रमुख गेट से बास्केट बॉल ग्राउंड तक कंटीली तारों की बाड़ प्रदान करना
- लोहे के गेटों की मरम्मत

2001-2002-जलकांतेश्वर मंदिर, वेल्लोर का एसआर (पी) के अंतर्गत संरक्षण

- टपकती छत से क्षतिग्रस्त अपक्षय जलमार्ग को सावधानीपूर्वक हटाना
- चूने के शुद्ध पेस्ट, कडूक्कई और गुड़ के उपयोग तथा समतल टाइल की परतें बिछा कर ईंट को जमा कर ठोस कर बिछाना
- विहार मंडप के ऊपर से छत के साथ मुंडेर का निर्माण
- उपचार, रंग आदि सहित मुंडेर की दीवारों को प्लास्टर करना
- प्रस्तर के फर्श के जोड़ों को सीमेंट से भरना और उपचार
- पुरानी लोहे की ग्रिल को पेंट के दो कोट करना
- पुराने लकड़ी के काम को पेंट करना
- मुख्य दरवाजों को वार्निश के दो कोट करना
- गोपुरम के प्रवेश द्वारों के टूटे हुए लकड़ी के फ्रेम की मरम्मत

2002-2003 - किले की उत्तरी दिशा में प्राचीर, खंड और बास्टिन का संरक्षण तथा एमएस ग्रिल बाड़ प्रदान करना

- दक्षिणी दिशा की बाहरी प्राचीर और जल के दबाव की छोटी-मोटी मरम्मत आदि
- पश्चिमी दिशा की ऊपरी और निचली प्राचीर की मरम्मत
- किले की उत्तरी दिशा के संरक्षित क्षेत्र में एमएस ग्रिल बाड़ प्रदान करना

2003-2004-ओल्ड सेशन कोर्ट भवन, वेल्लोर का संरक्षण

- भीतरी दीवारों के साथ-साथ बाहरी दीवारों के प्लास्टर हटा कर उन्हें पुनः प्लास्टर करना
- बरामदे की छत की मरम्मत
- छतों की मरम्मत

2003-2004 - वेल्लोर में किले और प्राचीर का एसआर (पी) के अंतर्गत संरक्षण

- क्षतिग्रस्त बेकार हो चुके प्लास्टर को बाहरी प्राचीर दिवार दक्षिण और पश्चिम दिशा क्षेत्रों से सावधानी पूर्वक हटाना
- दक्षिणी और पश्चिमी दिशा की प्राचीर के प्रस्तर जोड़ों को सीमेंट से भरना
- स्टाफ के सुगम आवागमन हेतु लोहे का छोटा ग्रिल गेट प्रदान करना और उसे लगाना
- पेंटिंग सहित कम ऊंचाई के ग्रिल प्रदान करना और उसे लगाना
- नया एमएस कम ऊंचाई का ग्रिल बाड़ा प्रदान करने के लिए आरसीसी पोस्ट के साथ कंटीली तार की बाड़ को सावधानी पूर्वक हटाना

2004-2005 - ओल्ड सेशन कोर्ट बिल्डिंग, वेल्लोर का संरक्षण

- आंतरिक दीवारों और प्लास्टर की मरम्मत
- छत की मरम्मत
- पुराने लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों पर पेंट की दो परतें करना

2004-2005 - पुराना सत्र न्यायालय भवन, वेल्लोर का संरक्षण

- आंतरिक दीवारों की मरम्मत और प्लास्टरिंग
- छत की ईंटों की एक परत के पश्चात् समतल टाइलों की दो परतें बिछाकर मद्रास छत प्रदान करना
- छतों पर सफेदी की दो परत करना
- बाहरी और भीतरी दीवारों पर रंग रोगन की दो परत करना
- लकड़ी के पुराने दरवाजों और खिड़कियों पर पेंट की दो परत करना
- टूटी हुई खिड़कियों और छाया स्थानों आदि की मरम्मत

2004-2005 - वेल्लोर के किले और प्राचीर का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- निचले और ऊपरी प्राचीर क्षेत्र से खर-पतवार की सफाई
- किले की उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी दिशा की प्राचीर की मरम्मत
- छोटे एमएस लोहे के ग्रिल गेट प्रदान करना
- उत्तर-पश्चिमी कोने से दो विंग मुख्य गेट तक और दो विंग मुख्य गेट से काल आरासन वृक्ष तक एमएस ग्रिल बाड़ा प्रदान करने के साथ-साथ आरसीसी पोस्ट से पुराने कंटीली बाड़े को हटाने के पश्चात् पेंटिंग और एमएस ग्रिल गेट प्रदान करना

2005-2006-वेल्लोर के किले और प्राचीर का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी दिशाओं की ऊपरी प्राचीर की मरम्मत
- छोटे एमएस लोहे के ग्रिल गेट प्रदान करना
- अलवर मंदिर से एक्सनोटा, एक्सनरोटा से पुलिस कल्याण मंडपम तक एमएस ग्रिल बाड़ा प्रदान करने के साथ-साथ आरसीसी पोस्ट से पुराने कंटीली बाड़े को हटाने के पश्चात् पेंटिंग और एमएस ग्रिल गेट प्रदान करना

2006-2007-वेल्लौर किले के भीतर शौचालय ब्लॉक का निर्माण

- वेल्लौर किले के भीतर शौचालय ब्लॉक का निर्माण

2008-2009 - वेल्लौर के किले और निचली खंदक दीवार का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- निचली खंदक दीवार की उत्तरी दिशा से घने जंगलों को सावधानी पूर्वक हटाना।
- ग्रिल प्रदान करने के लिए गोल पत्थरों को रखना और 0.30 मीटर की गहराई तक क्षेत्र का उत्खनन करना और उसे समतल बनाना
- पुलिस कल्याण मंडपम से किला मैदान, दक्षिणी दिशा से पुराने विद्यमान ग्रिल बाड़े तक एमएस ग्रिल बाड़ा प्रदान करना
- आसान पहुंच के लिए एमएस ग्रिल गेट प्रदान करना
- निचले किले की खंदक की उत्तरी दिशा जलकांतेश्वर की दीवारों को बनाए रखने हेतु पुनरुद्धार

2010-2011 - वेल्लौर में जलकांतेश्वर मंदिर का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- नारियल जटा के ब्रश से काई के ढेर को प्रमुख गोपुरम, तिरूमाडिल दीवारों आदि से हटा कर पुरानी सतह को सावधानीपूर्वक साफ करना
- गोपुरम, विमान, तिरूमाडिल और प्लास्टर की मूर्तियों आदि का रंग रोगन
- पुरानी ग्रिल, ग्रिल के दरवाजों, लकड़ी के दरवाजों, खिड़कियों और मंदिर के दरवाजों आदि को पेंट की दो तहें करना
- विहार मंडप, पश्चिमी दिशा और पूर्वी दिशा की टपक रही छत में पानी के दबाव को सही करना
- मंदिर के रथ और पर्यटकों की सुगम आवाजाही के लिए बाहरी प्रकार में एप्रोन प्रदान करना।
- उद्यान गेट से सीढ़ियों, सीढ़ियों से रैप गेट और रैप गेट से वर्तमान निचली ग्रिलों तक पेंटिंग आदि सहित एमएस ग्रिल बाड़ा प्रदान करना

2012-2013 - वेल्लौर के जलकांतेश्वर मंदिर का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी दिशा में मंदिर के रथ और पर्यटकों की सुगम आवाजाही हेतु बाहरी प्रकार में एप्रोन प्रदान करना

2013-2014 - वेल्लौर के जलकांतेश्वर मंदिर का एसआर (पी) के अंतर्गत संरक्षण

- कल्याण मंडपम के सामने वर्तमान क्षतिग्रस्त जंग लगी नीची एमएस ग्रिलों को हटाना
- कल्याण मंडप की आरआर प्रस्तर चिनाई की दीवार की तोड़ फोड़
- मार्ग संरचना के अंतर्गत बाथलामंदपम के आस-पास लहरदार उबड-खाबद विशाल पत्थर को हटाना
- बाहरी प्रकार दक्षिण-पूर्वी दिशा में मंदिर के रथ और पर्यटकों की सुगम आवाजाही हेतु नए ग्रेनाइट के फर्श प्रदान करना
- जल निकासी से जल के आसान निकास हेतु वर्तमान प्रस्तर फर्श को हटाना और उसे दोबारा उसी स्थिति में लगाना

2010-2011-वेल्लौर के किले का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- खर-पतवार को सावधानी पूर्वक हटाना, क्षेत्र का उत्खनन और उसे समतल बनाना, गिरे हुए विशाल पत्थरों को सावधानीपूर्वक हटाना, खतरनाक तरीके से पंक्ति से बाहर हो रहे खंभों को सावधानी पूर्वक हटाना, कड़ी बजरी मिट्टी में मिट्टी का उत्खनन
- प्रस्तर जोड़ों की प्लास्टरिंग और उन्हें सीमेंट से भरने सहित निचली खंदक की पिछली दिशा को भरने और मजबूत करने के साथ पश्चिमी कोने की आरआर चिनाई की दीवार को बनाए रखने हेतु निर्माण

2011-2012- ओल्ड कलक्टर बिल्डिंग, वेल्लौर का ओडब्ल्यू(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- छतों की सफेदी, बाहरी और अंदरूनी दीवारों का रंग रोगन, लकड़ी के पुराने दरवाजों और खिड़कियों की पेंटिंग, टूटे हुए छायादार स्थानों की जगह नए प्रदान करना
- बादशाह महल, पहले तल की टपकती छत में पानी के दबाव को सही करना

2012-2013- वेल्लौर के किले का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- खर-पतवार को सावधानी पूर्वक हटाना, क्षेत्र का उत्खनन और उसे समतल बनाना, गिरे हुए विशाल पत्थरों को सावधानीपूर्वक हटाना, खतरनाक तरीके से पंक्ति से बाहर हो रहे खंभों को सावधानी पूर्वक हटाना, कड़ी बजरी मिट्टी में मिट्टी का उत्खनन
- प्रस्तर जोड़ों की प्लास्टरिंग और उन्हें सीमेंट से भरने सहित निचली खंदक की पिछली दिशा को भरने और मजबूत करने के साथ पश्चिमी कोने की आरआर चिनाई की दीवार को बनाए रखने हेतु निर्माण

2013-2014- किला परिसर भवन, वेल्लौर की मरम्मत का संरक्षण

- पेंटिंग आदि सहित पूर्ण नाटी दीवार पर एमएस ग्रिल बाड़ा प्रदान करना
- पुरानी खराब हो गई प्लास्टरिंग को सावधानी पूर्वक हटा कर उसे पुनः प्लास्टर करना
- बाहरी दीवार, लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों पर रंग रोगन की दो तहें करना

2014-2015-वेल्लौर के जलकांतेश्वर मंदिर का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- पश्चिमी दिशा में कल्याण मंडपम से बाधलामंडपम तक, उत्तरी दिशा में बाधलामंडपम से यज्ञशाला मंडपम तक, पूर्वी दिशा में यज्ञशाला मंडपम से अलंगरामंडपम तक और दक्षिणी दिशा में मडापली से प्रमुख गोपुरम तक ग्रेनाइट प्रस्तर एप्रोन प्रदान करना और उसे बिछाना
- वर्षा जल की सुगम निकासी हेतु सतही स्तर पर वर्तमान प्रस्तर फ्लोरिंग में वर्षा जल निकासी चैनलों को ढकने के लिए एमएस एंगल लोहे के ग्रिल लगाना

2014-2015 - वेल्लौर के किला मैदान और खुले क्षेत्र का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- किले के मैदान के दक्षिण-पूर्वी कोने में पेंटिंग आदि सहित नाटी दीवार पर एमएस ग्रिल बाड़ा प्रदान करना
- खर-पतवार हटाने, क्षेत्र के अंदर मिट्टी/मलबे को एकत्र कर शहर से बाहर दूर छोड़ आने सहित मिट्टी का उत्खनन और एकत्रित मिट्टी को हटाना
- किले के मैदान का उत्खनन और उसे समतल बनाना

2014-2015 वेल्लौर किले का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- खर-पतवार को सावधानी पूर्वक हटाना, क्षेत्र का उत्खनन और उसे समतल बनाना, गिरे हुए विशाल पत्थरों को सावधानीपूर्वक हटाना, खतरनाक तरीके से

पंक्ति से बाहर हो रहे खंभों को सावधानी पूर्वक हटाना, कड़ी बजरी मिट्टी में मिट्टी का उत्खनन

- प्रस्तर जोड़ों की प्लास्टरिंग और उन्हें सीमेंट से भरने सहित निचली खंदक की पिछली दिशा को भरने और मजबूत करने के साथ पश्चिमी कोने की आरआर चिनाई की दीवार को बनाए रखने हेतु निर्माण

2014-2015 - ओल्ड कलक्टर बिल्डिंग, वेल्लौर की संरचनागत मरम्मत हेतु ओडब्ल्यू (पी) के अंतर्गत संरक्षण

- पुरानी लोहे की ग्रिलों की छोटी-मोटी मरम्मत और मलबे की सफाई

2015-16 - वेल्लौर किले का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- खर-पतवार को सावधानी पूर्वक हटाना, क्षेत्र का उत्खनन और उसे समतल बनाना, गिरे हुए विशाल पत्थरों को सावधानीपूर्वक हटाना, खतरनाक तरीके से पंक्ति से बाहर हो रहे खंभों को सावधानी पूर्वक हटाना, कड़ी बजरी मिट्टी में मिट्टी का उत्खनन
- प्रस्तर जोड़ों की प्लास्टरिंग और उन्हें सीमेंट से भरने सहित निचली खंदक की पिछली दिशा को भरने और मजबूत करने के साथ पश्चिमी कोने की आरआर चिनाई की दीवार को बनाए रखने हेतु निर्माण

2016-2017 - वेल्लौर किले का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- खर-पतवार को सावधानी पूर्वक हटाना, क्षेत्र का उत्खनन और उसे समतल बनाना, गिरे हुए विशाल पत्थरों को सावधानीपूर्वक हटाना, खतरनाक तरीके से पंक्ति से बाहर हो रहे खंभों को सावधानी पूर्वक हटाना, कड़ी बजरी मिट्टी में मिट्टी का उत्खनन
- प्रस्तर जोड़ों की प्लास्टरिंग और उन्हें सीमेंट से भरने सहित निचली खंदक की पिछली दिशा को भरने और मजबूत करने के साथ पश्चिमी कोने की आरआर चिनाई की दीवार को बनाए रखने हेतु निर्माण

2016-2017 - वेल्लौर के जलकांतेश्वर मंदिर का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- ठोस जमी हुई ईंटों और समतल टाइलों से विहार मंडल में जल दबाव ठीक करना, मंदिर के दरवाजों की पेंटिंग और वार्निशिंग

2016-2017-ओल्ड सेशन कोर्ट बिल्डिंग, वेल्लौर का ओडब्ल्यूपी) के अंतर्गत संरक्षण

- मद्रास छत की क्षतिग्रस्त छतों और शहतीरों को हटाना व उन्हें 'आई' सेक्शन से प्रतिस्थापित करना आदि, पूर्ण

2016-2017 - किला परिसर भवन की मरम्मत का संरक्षण

- पेंटिंग आदि सहित नाटी दीवार पर एमएस ग्रिल बाड़ा लगाना
- पुराने बेकार प्लास्टर को सावधानी पूर्वक हटाना और उस पर पुनः प्लास्टर करना
- बाहरी दीवारों, लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों पर रंगरोगन की दो तहें करना
- छतों और जल निकासी में जल का दबाव ठीक करना

2016-2017 - ओल्ड कलक्टर बिल्डिंग, वेल्लोर का संरक्षण

- किनारे के फर्श के लिए ईंटें प्रदान करना और उन्हें बिछाना, बाहरी और भीतरी दीवारों का रंगरोगन, लकड़ी के पुराने दरवाजों और खिड़कियों की पेंटिंग

2017-18 - वेल्लोर किले का एसआर(पी) के अंतर्गत संरक्षण

- खर-पतवार को सावधानी पूर्वक हटाना, क्षेत्र का उत्खनन और उसे समतल बनाना, गिरे हुए विशाल पत्थरों को सावधानीपूर्वक हटाना, खतरनाक तरीके से पंक्ति से बाहर हो रहे खंभों को सावधानी पूर्वक हटाना, कड़ी बजरी मिट्टी में मिट्टी का उत्खनन
- प्रस्तर जोड़ों की प्लास्टरिंग और उन्हें सीमेंट से भरने सहित निचली खंदक की पिछली दिशा को भरने और मजबूत करने के साथ पश्चिमी कोने की आरआर चिनाई की दीवार को बनाए रखने हेतु निर्माण

2017-2018 - ओल्ड सेशन कोर्ट बिल्डिंग, ओल्ड पेंशनर बिल्डिंग, एनएपीसीओ प्रिंट एसोसिएशन बिल्डिंग, जलकांतेश्वर मंदिर का संरक्षण

वार्षिक अनुरक्षण और रखरखाव के अंतर्गत सफाई, सफेदी, रंगरोगन निगरानी और अनुरक्षण जैसे वार्षिक अनुरक्षण कार्यों के अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बागवानी शाखा द्वारा औसतन 10 एकड़ उद्यान का विकास और अनुरक्षण किया गया।

अनुसूचित जनजातियों के लिए नीतियां एवं विकास योजनाएं

5575. **श्री आर. पार्थिपनः** क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि

जनजातीय जनसंख्या को उनके उत्थान के लिए आयोजित कार्यक्रमों, नीतियों और विकास योजनाओं की जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातीय लोग इनमें से किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस कठिनाई से निपटने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर): (क) से (च) जनजातीय जनसंख्या की अपनी स्वयं की पारम्परिक जीवन शैली, अधिवासों की सुदूरता, बिखरी हुई जनसंख्या तथा विस्थापन हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय का यह जज्बा है कि जनजातीय जनसंख्या दूर स्थित क्षेत्रों में रह रही है और यह कार्यक्रमों, नीतियों तथा विकास योजनाओं से पूरी तरह से अवगत नहीं है, परन्तु इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रति जागरूकता प्रसार के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसा निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

(i) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं।

(ii) स्वीकृति आदेश जिनमें विशेष योजना के तहत राज्यों में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के नाम का उल्लेख करते हुए, मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

(iii) छात्रवृतियां विद्यार्थियों के खातों में सीधे ही प्रदान की जाती हैं।

(iv) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण तथा जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(v) जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत स्वीकृति आदेश जारी करते समय राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि संबंधित पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) को उसके अधिकार क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली जनजातीय विकास से संबंधित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में विधिवत सूचित किया जाए। यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि ऐसे क्षेत्रों में मानदण्डों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं।

(vi) जनजातीय कार्य मंत्रालय लक्षित अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों में जागरुकता पैदा करने के लिए समय-समय पर प्रेस रिलीज के अलावा समाचार पत्रों/दैनिक समाचार पत्रों में केन्द्रीकृत विज्ञापन भी प्रदान करता है ताकि वे उनके लिए देय सेवाओं की प्रणाली तक पहुंच सकें।

(vii) इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन, स्थानीय स्तर के कार्यकरणों के प्रशिक्षण, वन अधिकार समितियों तथा मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, कार्यकरणों तथा सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों संबंधी जनजातीय प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के माध्यम से कारीगरों की क्षमता निर्माण के लिए स्थानीय एनजीओ को समर्थन प्रदान करता है।

(viii) पूर्व के योजना आयोग द्वारा जारी जनजातीय उप-योजना के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र चुने हुए प्रतिनिधियों, लाभार्थियों तथा ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों/एनजीओ/सीएसओ की भागीदारी में अपनी स्वयं की सामाजिक लेखा परीक्षा स्थापित करेंगे। चूंकि, जनजातीय अधिवास बहुत दूरी पर बिखरे हुए हैं इसलिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सामाजिक लेखा-परीक्षा कार्यक्रम इस तरह से डिजाइन करने पड़ते हैं कि ये अनुसूचित जनजाति कलस्टर अथवा अधिवास के स्तर पर कार्य करें। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कलस्टर अधिवासों के निवासियों में पर्याप्त क्षमता विकसित करने के लिए कार्य करेंगे।

(ix) सार्वजनिक सेवा सुपूर्दगी को सतत रूप से सुधारने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय विभिन्न योजना संबंधी पहलों की लगातार समीक्षा करता है। हाल ही में छात्रवृति योजनाओं, डीबीटी संबंधी योजना की ज्ञान प्राप्ति, एनजीओ अनुदानों के लिए ऑनलाइन पोर्टल आदि को तर्कसंगत बनाया जा रहा है।

(x) मंत्रालय जनजातीय लोगों के शैक्षिक तथा सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए लगातार निधियां खर्च कर रहा है तथा विभिन्न तंत्रों जैसे परियोजना आंकलन समिति, उपयोग प्रमाण-पत्रों,

वास्तविक प्रगति रिपोर्टों, क्षेत्र दौरों आदि के माध्यम से व्यय की निगरानी कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली *http://stcmis.gov.in* विकसित की है जिसमें सड़कों, भवनों, स्वच्छता, शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि के संबंध में जनजातीय लोगों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं के तहत विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई निधियां दैनिक आधार पर निर्पवाद रूप से प्रदर्शित तथा अद्यतन की जाती हैं।

बुंदेलखंड में सांस्कृतिक परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता

5576. **कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बुंदेलखंड में विभिन्न सांस्कृतिक सहायता और सांस्कृतिक परियोजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग में लाई गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन सांस्कृतिक परियोजनाओं के माध्यम से क्या विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) संस्कृति मंत्रालय द्वारा राज्य/क्षेत्र विशेष अनुदान आवंटित नहीं किया जाता है। इस मंत्रालय की सभी स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें हैं तथा इनका कार्यान्वयन इस मंत्रालय के संगठनों/स्वायत्त निकायों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टीएडी निधि

5577. **श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ाः**
श्री राजेशभाई चुड़ासमाः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्वच्छ, हरित और किफायती ऊर्जा प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास निधि का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लघु उद्योग इस निधि के माध्यम से ऊर्जा उपभोग को कम करने और जल संरक्षण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपकरण, मशीनें और प्रौद्योगिकी खरीदने में समर्थ होंगे तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ लघु उद्योगों को प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावित निधि का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): (क) से (ग) भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास निधि (टीएडीएफ) की एक योजना अधिसूचित की है जो एमएसएमई को स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण और विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह योजना सभी मौजूदा और नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमज़ेड) के उन उद्यमों के लिए भी लागू होगी जिन्होंने इस योजना की अधिसूचना के बाद निवेश किया है। टीएडीएफ़ योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता में निम्नलिखित शामिल हैंः—

क्र. सं.	टीएडीएफ़ योजना के तहत घटक	वित्तीय सहायता
1.	प्रत्यक्ष प्रौद्योगिकी अधिग्रहण	50% प्रौद्योगिकी अंतरण शुल्क अथवा 20.00 लाख रुपए जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
2.	अप्रत्यक्ष प्रौद्योगिकी अधिग्रहण	परस्पर सहमत मूल्य के 50% अथवा 20.00 लाख रुपए, जो भी कम हो, की सब्सिडी।
3.	विनिर्माण उपकरण/ प्रौद्योगिकी के लिए सब्सिडी	पूंजीगत व्यय (संयंत्र और मशीनरी की खरीद पर) के लिए 10% तक की सब्सिडी और ऋणदाता एजेंसी द्वारा प्रभारित 5% के मामूली ब्याज की प्रतिपूर्ति, जो अधिकतम 50.00 लाख रुपए तक हो।
4.	हरित विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना	औद्योगिक/संस्थागत इकाइयों के लिए ऊर्जा, पर्यावरणीय एवं जल आडिट - • एमएसएमई ऑडिट शुल्क के 25 प्रतिशत तक अनुदान लेने के लिए पात्र है जो कि अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक देय है और यह इकाई द्वारा किए गए वास्तविक सुधार पर तथा स्वीकृत लेखापरीक्षक द्वारा अधिप्रमाणन के अधीन हो, देय है।

क्र. सं.	टीएडीएफ़ योजना के तहत घटक	वित्तीय सहायता
		अपशिष्ट जल शोधन- • ज़ीरो वॉटर डिस्चार्ज (जेडडबल्यूडी) का प्रयोग कर रहे एमएसएमई संगत उपकरण/प्रणाली पर एक वर्ष के वास्तविक उपयोग के अधीन हों, को एकबारगी 10% पूंजीगत सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा 2.00 लाख रुपए है, के पात्र होंगे। हरित भवन - • हरित भवन के निर्माण हेतु इकाई 2.00 लाख रुपए के प्रोत्साहन के लिए पात्र है।

[हिन्दी]

उत्तर पूर्वी राज्यों में स्व-रोजगार हेतु कौशल विकास

5578. **श्री नव कुमार सरनीयाः** क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में कौशल विकास के माध्यम से स्व-रोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) असम में इन योजनाओं के अंतर्गत कितने बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और तत्संबंधी कोकराझार सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिले-वार कितने युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों के बेरोजगार युवाओं के कौशलीकरण के लिए क्षमता निर्माण स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य कौशल विकास, नियोजनीयता और क्षमताओं में वृद्धि करने तथा स्व-रोजगार और उद्यमशीलता के उन्नयन के लिए निधियां प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास पाठ्यक्रमों एनएसक्यूएफ के अनुरूप हैं और प्रशिक्षण भागीदारों को भुगतान सामान्य मानदंडों के अनुसार किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत असम के कोकराझार जिले सहित पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों में 20.02.2018 तक प्रशिक्षण पा रहे उम्मीदवारों सहित 5318 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण केंद्रों को प्रमाणन के 90 दिनों के भीतर वेतन रोजगार में तैनात किए गए कुल उम्मीदवारों का न्यूनतम 50 प्रतिशत सहित सफलतापूर्वक प्रमाणित उम्मीदवारों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत को तैनाती देनी होती है। पूर्वोत्तर राज्यों में 2051 प्रमाणित उम्मीदवारों में से 1101 उम्मीदवारों को तैनाती दे दी गई है।

तदनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई-2016-20) के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के भावी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण (नवीन अल्पावधि प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)) प्रदान किया जा रहा है। पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत 26.03.2018 तक असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 91753 उम्मीदवारों (57628 एसटीटी + 34125 आरपीएल) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तैनाती आंकड़ों की सूचना प्रशिक्षित उम्मीदवारों के प्रमाणन के 90 दिनों के भीतर दी जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में एसटीटी के अंतर्गत 9853 उम्मीदवारों को विभिन्न सेक्टरों के अंतर्गत तैनाती दी गई है।

राष्ट्रीय सूचना कोष

5579. **श्री ए. अरुणमणिदेवनः**
श्री राजेशभाई चुड़ासमाः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मुक्त कृषि क्षेत्र अनुज्ञप्ति नीति (ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी) के साथ ही राष्ट्रीय आंकड़ा सूचना कोष की शुरुआत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय तलदीय बेसिन क्षेत्रों के संबंध में अद्यतनीकृत और मान्य भूगर्भीय तथा भूभौतिकीय ब्यौरे की कमी के कारण हमारे अन्वेषणगत तथा उत्पादनगत प्रयास प्रभावित हुए है और यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में हाइड्रोकार्बन के लिए राज्य-वार कौन से स्थान चिन्हित किए गए हैं तथा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं/आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या कई राज्यों ने अपने राज्य में हाइड्रोकार्बन परियोजना आरंभ करने का विरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) भारत में अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) प्रचालनों से भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों, अन्वेषण और विकास वेधन तथा अन्य प्रकार के आंकड़ों सहित कूप संबंधी आंकड़ों के लिहाज से काफी आंकड़े सृजित हुए हैं। सभी ईएंडपी आंकड़ों को वाणिज्यिक दोहन, अनुसंधान और विकास तथा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय में नेशनल डाटा रिपोजिटरी (एनडीआर) की स्थापना की गई है। नेशनल डाटा रिपोजिटरी (एनडीआर) में आंकड़े उपलब्ध होने से संविदाकार आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं और क्षेत्र की संभाव्यता के बारे में अपना आकलन कर सकते हैं। संविदाकार आंकड़ों के आधार पर अपनी पसंद का हाइड्रोकार्बन ब्लाक/क्षेत्र तैयार कर सकता है और खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) के तहत बोली के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत कर सकता है। एनडीआर को दिनांक 28 जून, 2017 को शुरू किया गया है।

(ग) वित्त वर्ष 2014-15 से जनवरी, 2018 के दौरान देश में ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) लि., ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल), निजी/संयुक्त उद्यम (पीवीटी/जेवीएस) कंपनियों द्वारा उन भंडारों में तेल और गैस की उपलब्ध मात्रा सहित भंडारों में वृद्धि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) नागालैंड राज्य में राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिलने के कारण अन्वेषण संबंधी कार्यकलापों को स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा नेडुवसाल, तमिलनाडु में कुछ स्थानीय व्यक्तियों/संगठनों ने इस क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन संबंधी कार्यकलापों के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) में याचिका दायर की है।

विवरण

पीएससी व्यवस्था के तहत कंपनी (प्रचालक) वार भंडार ब्यौरे

प्रचालक प्रकार	प्रचालक	ब्लॉक	राज्य	खोज का नाम	ओआईआईपी (एमएमटी)*	ईयूआर-ऑयल (एमएमटी)*
पीएसयू	बीपीआरएल	सीबी-ओएनएन-2010/8	गुजरात	पसुनिया # 01 (पीए #01) पसुनिया # 02(पीए #02)	0.176	0.029
	बीपीआरएल कुल				0.176	0.029
	पीएसयू कुल				0.176	0.029
निजी	एमपीएल	सीबी-ओएनएन-2005/9	गुजरात	ज्योति-1 ज्योति-2	5.634	3.246
	एमपीएल कुल				5.634	3.246
	सेलन	कारजीसान	गुजरात	कारजीसान	0.793	0.015
	सेलन एक्सप्लेरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कुल				0.793	0.015
	निजी कुल				6.427	3.260
	कुल योग				6.603	3.289

* दिया गया मूल्य 2 पी रिजर्व है

ओआईआईपी=ऑयल इनिशियल इन-प्लेस, जीआईआईजी=गैस इनिशियल इन-प्लेस, ईयूआर=अनुमनित अंतिम रिजर्व एमएमटी=मिलियन मीट्रिक टन, बीसीएम=बीलियन घन मीटर

ओएनजीसी द्वारा 2014-15 से 2017-18 के दौरान नए तेल और गैस के भंडार का ब्यौरा (01.01.2018 तक)

क्र. सं.	सेक्टर (अभितटीय/ अपतटीय)	बेसिन (राज्य)	स्थान/खोज	एचसी प्रकार	नई संभावना/ पूल	रकबा	01.04.2017 को आईओईआईपी (ओ+ओईजी)	01.04.2017 को अंतिम एमएमटी (ओ+ओईजी)
1	2	3	3	4	5	6	7	8
2014-15								
1.	तटवर्ती	खंबात बेसिन (गुजरात)	रूपल-2	तेल	संभावित	सीबी-ओएनएन - 2005/4	0.04	
2.			गंधार-699	तेल गैस	पूल	गंधार एक्सटेंशन-VI एमएल	0.03	
3.			वाडाताल-10	तेल	संभावित	सीबी-ओएनएन - 2004/2	1.24	0.03
4.			वाडाताल-11	तेल	संभावित	सीबी-ओएनएन - 2004/2	अनुमानित नहीं	
5.		केजी ओन्शोर (आंध्र प्रदेश)	दक्षिण पसारलपुड़ी-1	तेल गैस	संभावित	तातिपाका-पासारलपुड़ी पीएमएल	2.20	
6.		कावेरी अभितटीय (तमिलनाडु)	थिरूनागरी-1	गैस	संभावित	सीवाई-ओएनएन-2002/2	10.73	0.32
7.			माडानाम-6	तेल गैस	पूल	सीवाई-ओएनएन-2002/2	0.07	3.86
8.		ए और एए (असम)	तुकबाई-3ए	गैस	संभावित	सेक्टर-वीसी पीईएल	0.03	0.01
9.			रूद्रसागर-184	तेल गैस	पूल	रूद्रासगर सर एमएल	0.07	0.01
10.			खोराघाट-35	गैस एंड कंड	पूल	नामबार पीएमएल	0.34	0.01
11.			खोराघाट-37	गैस	पूल	नामबार पीएमएल	0.79	0.03
12.		विध्यन (एमपी)	दमोह-4	गैस	पूल	दमोह-जाबेरा-कटनी पीईएल	अनुमानित नहीं	
13.	अपतटीय (एसडब्ल्यू)	मुंबई अपतटीय (वेस्ट कोस्ट)	सी-1-7	तेल गैस	पूल	उत्तर ताप्ती पीएमएल	6.61	1.44
14.			सी-1-8	तेल गैस	पूल	उत्तर ताप्ती पीएमएल	0.7	0.11
15.			डब्ल्यूओ-5-11	तेल गैस	पूल	एमएल बीओएफएफ पीएमएल	0.76	0.09
16.		कच्छ-सौराष्ट्र अपतटीय (वेस्ट कोस्ट)	जीकेएस092एनएए-1	गैस	संभावित	जीके-ओएसएन-2009/2	0.71	0.17
17.			जीकेएस091एनडीए-1	गैस	संभावित	जीके-ओएसएन-2009/1	2.47	0.59

1	2	3	3	4	5	6	7	8
18.		केजी अपतटीय (पूर्वी तट)	वाईएस-9-1	गैस	संभावित	यानम पीएमएल (अतिरिक्त क्षेत्र)	1.83	1.1
19.			जी-1-एनई-1	तेल गैस	पूल	वशिष्ठा पीएमएल	3.19	0.18
20.			जी-1-एनई-2	तेल गैस	पूल	वशिष्ठा पीएमएल	1.51	0.46
21.			जीएस-29-10	तेल गैस	पूल	जीएस-29 एक्सटेंशन पीएमएल	4.12	0.82
22.	अपतटीय (डीडब्ल्यू)	केजी अपतटीय (डीडब्ल्यू) पूर्वी तट	जीडी-11-1	गैस	संभावित	केजी-ओएस-डीडब्ल्यू-III	2.44	0.4
2015-16								
1.	तटवर्ती	केजी ओन्शोर (आंध्र प्रदेश)	कोमाराडा-3	तेल गैस	संभावित	तातिपाका-पासारलपुड़ी	0.20	0.06
2.			रावुलापालेम-1	गैस एंड कंड	संभावित	सिरीकाट्टापली-पसारलपुड़ी-24 और गोपावरम पीएमएल	0.09	0.04
3.			पश्चिम पेनोगोंडा-1	तेल गैस	पूल	गोदावरी ओनलैंड पीएमएल	4.57	0.39
4.			केसानपल्ली पश्चिम-47	गैस	पूल	अदविपल्लेम-पोनमांडा पीएमएल	0.02	0.01
5.		कावेरी अभितटीय (तमिलनाडु)	उत्तर कोविलमालप्ल-6	तेल गैस	पूल	एल-2 द्वितीय सात वर्ष पीएमएल	0.26	0.06
6.		ए और एए (त्रिपुरा)	गोजालिया-14	गैस	पूल	गोजालिया पीएमएल	0.08	0.05
7.			रोकहिया-62	गैस	पूल	कोनाबेन फ़ील्ड पीएमएल	0.11	0.07
8.	अपतटीय (एसडब्ल्यू)	मुंबई अपतटीय (वेस्ट कोस्ट)	बी-127एन-1	तेल गैस	संभावित	बीओएफएफ पीएमएल	1.31	0.75
9.			एमबीएस053एनएए-1	गैस	संभावित	एमबी-ओएसएन-2005/3	1.46	0.34
10.			बी-66-2	तेल गैस	संभावित	बीओएफएफ पीएमएल	10.95	0.49
11.		कच्छ-सौराष्ट्र अपतटीय (वेस्ट कोस्ट)	जीके-28-10	गैस	पूल	जीके-28 पीएमएल	0.14	0.08
12.			जीएसएस041एनएए-2	गैस	पूल	जी एस-ओएसएन-2004/1	15.5	4.09
13.			जीकेएस101एनएए-1	गैस	संभावित	जीके-ओएसएन-2010/1	2.17	0.31

1	2	3	3	4	5	6	7	8
14.		केजी अपतटीय (पूर्वी तट)	केजीओएस041 एनएएमएल 1	गैस	संभावित	केजी-ओएसएन-2004/1 (एनईएलपी)	1.42	0.71
15.			केजीओएसएन041 एनएएसजी #1	गैस	संभावित	केजी-ओएसएन-2004/1	0.47	0.24
16.	अपतटीय (डीडब्ल्यू)	केजी अपतटीय (पूर्वी तट)	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2-एफ-1	तेल गैस	संभावित	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2	1.51	0.18
17.			केजीडी98/2 एनए-एम 4	तेल गैस	पूल	केजी-डीडब्ल्यूएन -98/2	6.15	3.40
2016-17								
1.	अभितटीय	केंबे अभितटीय (गुजरात)	दहेज-20	गैस	पूल	दक्षिण दहेज पीएमएल	0.49	0.33
2.			ओलपैड-47	गैस	पूल	ओलपद-दांडी-एक्स्टेंशन-। पीएमएल	0.22	0.13
3.			दक्षिण अकोल्जनी-1	तेल गैस	संभावित	अकोल्जनी पीएमएल	0.71	0.1
4.			नाडियाड-4	तेल	पूल	सीबी-ओएनएन-2001/1: नडियाड पीएमएल	0.24	0.02
5.			गंधार-724	तेल गैस	पूल	गंधार एक्स्ट-XII पीएमएल	0.05	0.01
6.		केजी ओन्शोर (आंध्र प्रदेश)	केसानपल्ली पश्चिम दीप-1	तेल गैस	पूल	अदविपालेम-पोन्नमांडा	7.81	1.72
7.			थरुपू विप्परू-1	गैस	पूल	गोदावरी ओनलैंड पीएमएल	0.68	0.34
8.		ए और एए (असम)	नामबार-12	गैस	पूल	नामबार पीएमएल	0.04	0.02
9.			सुपायम-2	तेल गैस	संभावित	गोलघाट जिला पीईएल	0.68	0.1
10.			दयालपुर-1	तेल गैस	संभावित	कासमारीगांव (अतिरिक्त) पीएमएल	7.06	1.03
11.			कोराघाट-38 जेड	तेल गैस	पूल	नामबार एमएल	0.04	0.02
12.			गेलकी-390	तेल	पूल	पीएमएल-ब्लॉक नामती	0.47	0.07
13.		विंध्यन (एमपी)	जबेरा-4	गैस	संभावित	नोहट्टा-दमोह-जाबेरा पीएमएल	0.9	
14.	अपतटीय (एसडब्ल्यू)	मुंबई अपतटीय (वेस्ट कोस्ट)	बी-34-2	तेल गैस	संभावित	दक्षिण और पूर्व बेसिन पीएमएल	0.76	0.21

1	2	3	3	4	5	6	7	8
15.			बी-154एन-1	तेल गैस	संभावित	बीओएफएफ पीएमएल	15.22	1.24
16.			डी-30-2	तेल गैस	संभावित	बीओएफएफ पीएमएल	5.07	0.75
17.			बी-12सी-2	गैस व कंडेनसेट	पूल	सी-सीरीज एमएल	1.64	0.98
18.			बी-157एन-1	तेल गैस	संभावित	बीओएफएफ पीएमएल	2.59	0.52
19.		कच्छ-सौराष्ट्र अपतटीय (वेस्ट कोस्ट)	जीकेएस101एनसीए-1	गैस	संभावित	जीके-ओएसएन-2010/1	1.33	0.4
20.			एमबीएस051एनएए-2	गैस व कंडेनसेट	पूल	एमबी-ओएसएन-2005/1	1.5	0.48
21.		केजी अपतटीय (पूर्वी तट)	केजीएस092एनए-एसआरआई-1	तेल गैस	संभावित	केजी-ओएसएन-2009/2	95.79	
22.			जी 1 एन 2	तेल गैस	संभावित	वसीष्ठ पीएमएल	0.85	0.13
23.			जी एस-71-1	तेल गैस	संभावित	जीएस 15 और 23	0.5	0.16
2017-18 (01.01.2018 तक)								
1.	अभितटीय	कंबे (गुजरात)	पश्चिम मातर-1	गैस	संभावित	मातर पीएमएल	अनुमानित नहीं	
2.			अनोर-1	तेल गैस	संभावित	सीबी-ओएनएन-2005/10		
3.		केजी अभितटीय (आंध्र प्रदेश)	वेदीरेश्वरम-1	गैस	पूल	गोदावरी-ओनलैंड पीएमएल		
4.		ए और एए (त्रिपुरा)	कुंजाबान-8	गैस	पूल	कुंजबान पीएमएल		
5.	अपतटीय एसडब्ल्यू	मुंबई अपतटीय (वेस्ट कोस्ट)	एसडब्ल्यू डब्ल्यूओ-24	गैस	संभावित	मुंबई हाई-एसडब्ल्यू पीएमएल		
6.		केजी अपतटीय (पूर्वी तट)	जी एस-29-11	तेल	पूल	जीएस-29-एक्स्टएन पीएमएल		
7.			जी-1-15 शिफ्ट	गैस	पूल	जी 1 फील्ड पीएमएल		
8.	अपतटीय डीडब्ल्यू	केजी अपतटीय (पूर्वी तट)	जीडी-10-1	गैस	संभावित	केजी-ओएस-डीडब्ल्यू III		
9.			जीएस-29-8 उप	तेल गैस	पूल	जीएस-29-एक्स्टएन पीएमएल		

तेल द्वारा बनाई गई खोजों की सूची

क्र. सं.	साल	कूप का नाम	व्यवस्था	बेसिन/राज्य	खोज का नाम	तेल गैस	2 पी श्रेणी में ओ+ओईजी के इन-प्लेस वॉल्यूम में वृद्धि (एमएमटीओई)	2 पी श्रेणी में अंतिम ओ+ओईजी रिजर्व (एमएमटीओई) में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2014-15	डेंगरू-1	पीएससी	केजी-ओएनएन-2004/1	डेंगरू-1	गैस	8.40	0
2.		नाडुआ-1	नामांकन	असम	नादुआ (इओसीन)	तेल	1.35	0.49
3.		रंगमाला-1	नामांकन	असम	रंगलाला-1 (इओसीन)	गैस	0.31	0.21
4.		मेचाकी-03	नामांकन	असम	मेचाकी-03	तेल	0.52	0.07
5.		एनएचके-616	नामांकन	असम	बालागांव	तेल	0.06	-
6.		एनएचके-466	नामांकन	असम	एनएचके-466 (कोपीली न्यू पे)	तेल	0.11	0.04
7.		बालीमारा-2	नामांकन	असम	बीएमआर-2 (बैरेल न्यू पे)	तेल	0.13	0.01
8.		बारेखुरी-2	नामांकन	असम	बीआरके-2 (नरपूह न्यू पे)	गैस	2.30	1.61
9.		हापजान-24	नामांकन	असम	एचजेएन-24 (बरेल न्यू पे)	तेल	0.27	0.04
10.		हापजान-28	नामांकन	असम	एचजेएन-28 (इओसीन न्यू पे)	गैस	0.04	0.03
11.		बागजान-7	नामांकन	असम	बीजीएन-07 (नई मार्जिन पे)	गैस	4.27	2.56
12.		मोरन-78	नामांकन	असम	एमआरएन-78 (न्यू पे)	गैस	0.16	0.11
			कुल (2014-15)				17.92	5.18
1.	2015-16	एनएचके-173	नामांकन	असम	एनएचके-173 (न्यू पे)	गैस	0.07	0.04
2.		एनएचके-447	नामांकन	असम	एनएचके-447 (न्यू पे)	गैस	0.01	0.01
3.		एसएमडी-004	नामांकन	असम	सामडांग-4	तेल	0.08	0.02
4.		एनएचके-625	नामांकन	असम	एनएचके-625 (न्यू पे)	गैस	0.60	0.36
5.		एसबीजे-1	नामांकन	असम	दक्षिण बागजान	तेल गैस	0.73	0.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.		सपकैंट-2	नामांकन	असम	सपंकेंट-2 (न्यू पे)	तेल/गैस	1.33	0.53
			कुल (2015-16)				2.83	1.24
1.	2016-17	खारजान-1	नामांकन	असम	केआरजे-1 (न्यू प्रॉस्पेक्ट)	तेल	0.02	0.00
2.		हापजान-67	नामांकन	असम	एचजेएन-67 (न्यू प्रॉस्पेक्ट)	गैस	1.07	0.75
3.		बोर्बिहिबिल-1	नामांकन	असम	बोर्बिहिबिल-1 (न्यू प्रॉस्पेक्ट)	तेल	0.65	0.21
4.		एचजेएन055 (हपजन)	नामांकन	असम	एचजेएन-55 (न्यू पे)	तेल	0.05	0.02
5.		एनएचके606 (भदोई)	नामांकन	असम	एनएचके-606 (न्यू पे)	तेल	0.26	0.02
6.		एनएचके595 (अमगुरीगांव)	नामांकन	असम	एनएचके-595 (न्यू पे)	तेल	0.14	0.06
7.		एमकेएम-43	नामांकन	असम	एमकेएम-43 (न्यू पे)	गैस	0.08	0.06
8.		एचजेएन-62	नामांकन	असम	एचजेएन-62 (न्यू पे)	गैस	0.26	0.18
9.		एमकेएम-60 (डब्ल्यू मकुम)	नामांकन	असम	एमकेएम-60 (न्यू पे)	तेल	0.51	0.21
10.		एनएचके-637 (जटलिबारी)	नामांकन	असम	एनएचके-637 (न्यू पे)	गैस	0.19	0.13
			कुल (2016-17)				3.22	1.64
			कुल				23.98	8.05

[हिन्दी]

आरएमएसए

5580. **श्री बोधसिंह भगतः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि निर्धारित की गई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों के लिए स्वीकृत कार्य योजनाओं तथा आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माण कार्य के लिए समय से निधि स्वीकृत न किए जाने का क्या कारण है;

(घ) क्या समय से निधि जारी नहीं किए जाने के कारण स्वीकृत निर्माण कार्य ठप्प हो रहे हैं और यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा निर्माण कार्य के लिए किन-किन राज्यों को अभी तक राशि जारी नहीं की गई है और यह राशि कितनी है; और

(ङ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी कार्य योजनाएं जारी की गई हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कितनी राशि मंजूर की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा)ः (क) और (ख) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अपने वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हैं। मंत्रालय में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) उपलब्ध निधियों और

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की प्रगति के आधार पर, योजना के मानदंडों के अनुसार व्यवहार्य प्रस्तावों का अनुमोदन करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां योजना के अंतर्गत निर्धारित नहीं की जाती है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत अनुमोदित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार योजना संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निर्माण कार्य हेतु केन्द्र शेयर का जारी होना राज्य कार्यान्वित सोसायटी द्वारा संस्वीकृत सिविल कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति और उपलब्ध अव्ययित बकाया राशि पर निर्भर करता है।

(घ) जी, नहीं। वर्षों से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निर्माण कार्य के लिए अनावर्ती निधियां वार्षिक योजना अनुमोदन के आधार पर किस्तों में जारी की गई हैं। आगे निधियों का जारी किया जाना राज्य कार्यान्वित सोसायटी द्वारा संस्वीकृत सिविल कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निर्भर करता है।

(ङ) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तायुक्त शिक्षा का सुधार करना है, नए सरकारी माध्यमिक स्कूलों को खोलने और मौजूदा सरकारी माध्यमिक स्कूलों के सुदृढ़ीकरण करने के साथ (i) कक्षा-कक्ष (ii) अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (ii) एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला (iv) पुस्तकालय (v) कला और शिल्प कक्षा (vi) शौचालय ब्लॉकों (vii) पेयजल प्रावधान (viii) मुख्याध्यापक कक्ष इत्यादि के लिए राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक नए/उन्नयन माध्यमिक स्कूलों के लिए 1 मुख्याध्यापक और 5 शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है और अतिरिक्त शिक्षक की मंजूरी वांछित शिक्षक-छात्र अनुपात सुनिश्चित करने के लिए भी की जाती है। मुख्याध्यापक/प्रधानाध्यापक, मास्टर प्रशिक्षक, मुख्य संसाधन व्यक्ति, शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों हेतु शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सहायता भी दी जाती है। इसके अलावा, हस्तक्षेप, जैसे प्रेरणा और जागरूकता कार्यक्रम, उपचारात्मक शिक्षण, छात्राओं के लिए आत्म-रक्षा प्रशिक्षण, छात्राओं और छात्रों के लिए पृथक शौचालयों का प्रावधान, विज्ञान मेलों/प्रदर्शनियों और प्रतिभा खोज, जिला स्तर पर स्कूलों को गणित और विज्ञान किट, उच्चतर अधिगम के संस्थान में छात्रों की विजिट इत्यादि, को माध्यमिक स्तर पर स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुमोदित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार परिव्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुमोदित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार योजना

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	258.97	168.73	822.32
2.	आंध्र प्रदेश	25427.62	26761.69	86299.17
3.	अरुणाचल प्रदेश	1014.36	5895.16	9231.37
4.	असम	9065.00	41155.08	18419.34
5.	बिहार	9988.40	12580.38	39571.30
6.	चंडीगढ़	176.83	316.39	273.96
7.	छत्तीसगढ	16417.00	20162.99	46149.77
8.	दादरा और नगर हवेली	290.24	79.12	152.96
9.	दमन और दीव	112.47	218.41	188.29
10.	दिल्ली	2591.47	2610.05	6558.15

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17
11.	गोवा	919.36	1009.11	1292.86
12.	गुंजरात	4872.68	10214.86	32480.97
13.	हरियाणा	40342.81	52724.73	55698.80
14.	हिमाचल प्रदेश	17527.41	13349.86	28633.47
15.	जम्मू और कश्मीर	30548.56	12083.54	55627.81
16.	झारखंड	6312.51	4758.41	31981.01
17.	कर्नाटक	14855.80	15219.42	32770.38
18.	केरल	7538.93	6588.92	9253.95
19.	लक्षद्वीप	16.82	23.72	30.50
20.	मध्य प्रदेश	44867.75	99632.62	110323.04
21.	महाराष्ट्र	11246.26	23415.37	53482.52
22.	मणिपुर	5303.43	7472.36	9777.05
23.	मेघालय	1128.54	860.48	3238.27
24.	मिजोरम	3171.31	2664.45	3206.69
25.	नागालैंड	1335.18	1122.78	8322.95
26.	ओडिशा	28263.84	32437.23	36277.88
27.	पुदुचेरी	222.88	259.58	362.86
28.	पंजाब	15527.38	19781.65	27935.98
29.	राजस्थान	24060.61	84100.38	84719.42
30.	सिक्किम	1864.90	2152.91	3000.66
31.	तमिलनाडु	41331.10	58525.62	63569.36
32.	तेलंगाना	19041.91	27753.52	33331.79
33.	त्रिपुरा	2827.07	3247.60	10827.40
34.	उत्तर प्रदेश	14720.20	66325.25	51512.38
35.	उत्तराखंड	15979.20	8983.63	28583.86
36.	पश्चिम बंगाल	18087.16	10726.71	28592.74
	कुल	437255.96	675382.71	1012501.23

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरएमएसए के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त शिक्षा में सुधार करने के लिए अनुमोदित परिव्यय

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित योजना		
		2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	72.82	79.49	96.91
2.	आंध्र प्रदेश	3508.52	3941.34	4637.76
3.	अरुणाचल प्रदेश	191.81	220.15	355.13
4.	असम	3198.64	4926.29	3779.49
5.	बिहार	2827.81	3412.17	5514.21
6.	चंडीगढ़	59.02	80.54	115.35
7.	छत्तीसगढ़	2881.49	2976.61	3800.65
8.	दादरा और नगर हवेली	68.97	30.35	55.37
9.	दमन और दीव	40.39	30.63	42.24
10.	दिल्ली	764.57	780.19	990.61
11.	एडसिल	0	147	0
12.	गोवा	133.09	124.33	185.54
13.	गुजरात	815.11	651.2	1073.99
14.	हरियाणा	1947.74	1885.89	2144.94
15.	हिमाचल प्रदेश	1348.23	1550.65	1740.64
16.	जम्मू और कश्मीर	1619.47	1533.08	2131.99
17.	झारखंड	1638.84	1579.84	1923.32
18.	कर्नाटक	3257.91	4005.45	4137.87
19.	केरल	1018.92	1229.07	2273.34
20.	लक्षद्वीप	13.08	15.44	18.08
21.	मध्य प्रदेश	4636.71	4956.71	5910.48
22.	महाराष्ट्र	1981.15	2533.93	3917.85
23.	मणिपुर	280.27	311.23	346.1
24.	मेघालय	131.18	89.44	137.07

1	2	3	4	5
25.	मिजोरम	202.06	248.13	280.02
26.	नागालैंड	0	183.46	180.29
27.	ओडिशा	3406.71	3001.61	3356.31
28.	पुदुचेरी	111.32	127.97	170.13
29.	पंजाब	2103.42	2356.09	3257.17
30.	राजस्थान	7946.35	8127.55	8183.76
31.	सिक्किम	131.28	132.46	194.16
32.	तमिलनाडु	3701.74	4954.82	5065.4
33.	तेलंगाना	3239.18	3355.69	4257.2
34.	त्रिपुरा	864.76	777.96	728.44
35.	उत्तर प्रदेश	1346.92	1671.15	2617.12
36.	उत्तराखंड	1654.11	1313.66	2189.63
37.	पश्चिम बंगाल	4141.31	4611.95	5248.46
	कुल	61284.89	67953.51	81056.98

संग्रहालय के लिए आवंटित निधि

5581. श्री **अर्जुन लाल मीणा**: क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय, मनगढ़ धाम, बांसवाड़ा के लिए 12.76 करोड़ रुपए की राशि आबंटित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संग्रहालय के कब तक बनाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर): (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ऐसे प्रस्तावों के विचार के आधार पर निर्धारित मानदंडों/मापदंड की तुलना में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कमी पाई गई थी।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड परियोजनाएं

5582. **श्री सदाशिव लोखंडे**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पावर-ग्रिड की तर्ज पर राष्ट्रीय गैस ग्रिड स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश भर में गैस-ग्रिडों का विकास किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में गैस ग्रिड की स्थापना से लोगों/उद्योगों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) सरकार देश भर में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की मौजूदा बुनियादी सुविधा लगभग 16788 कि.मी. है। इसके ब्यौरे सलग्न विवरण-I में दिए गए है। सरकार ने राष्ट्रीय गैस ग्रिड के भाग के रूप में 13105 कि.मी. अतिरिक्त गैस पाइपलाइनों को विकसित करने और देश भर में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को बढ़ाने की परिकल्पना की है। अनुमोदित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाएं जिनका विकास किया जा रहा है, की सूची संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय गैस ग्रिड को विकसित करने के

उद्देश्य से सरकार ने 5176 करोड़ रुपए का पूंजी अनुदान (अर्थात 12,940 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी लागत का 40%) गेल को 2539 कि.मी. लंबी पूर्वी भारत की 'प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के नाम से प्रसिद्ध जगदीशपुर-हल्दिया/बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) परियोजना के विकास के लिए देने का निर्णय लिया है। गेल को जेएचबीडीपीएल परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में बरौनी (बिहार)-गुवाहाटी (असम) पाइपलाइन को विकसित करने का कार्य भी सौंपा गया है जो राष्ट्रीय गैस ग्रिड को पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ जोड़ेगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैस ग्रिड को विकसित करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने हेतु पांच सीपीएसईज अर्थात ओएनजीसी, ओआईएल, गेल, आईओसीएल और एनआरएल ने 3 फरवरी, 2018 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

गैस ग्रिड के पूरा होने से निम्नलिखित लाभ मिलेंगेः

- देश भर में पर्यावरण अनुकूल ईंधन की निर्बाध आपूर्तियां सुनिश्चित करना।
- घरेलू परिवारों को द्वार पर स्वच्छ रसोई ईंधन और परिवहन क्षेत्र को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्कों को अधिक तेजी से शुरू करना।
- पाइपलाइनों के मार्ग पर अनुमोदित उर्वरक संयंत्रों सहित गैस आधारित उद्योगों के पुनरुद्धार और विकास में सहायता करना।
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करके सामाजिक-आर्थिक विकास करना।
- उन्नत वायु गुणवत्ता के साथ बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को कम करना और सामान्यतया जन स्वास्थ्य को सुधारना।
- युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना।

विवरण-I

देश में मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के ब्यौरे

क्र. सं.	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नाम	कंपनी का नाम	क्षमता (एमएमएससीएमडी)	लंबाई (किमी)	जिन राज्यों से यह गुजरती है
1	2	3	4	5	6
1.	हज़ीरा-विजयपुर-जगदीशपुर-जीआरईपी (गैस पुनर्वास और विस्तार परियोजना)-दाहेज-विजयपुर एचवीजे/ वीडीपीएल	गेल (इंडिया) लिमिटेड	57	4658	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश. राजस्थान, गुजरात
2.	दहेज-विजयपुर (डीवीपीएल) - विजयपुर-दादरी (जीआरईपी) उन्नयन डीपीपीएल 2 और वीडीपीएल	गेल (इंडिया) लिमिटेड	54	1119	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात
3.	उरान-ट्रॉम्बे	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन	6	24	महाराष्ट्र
4.	दाहेज-उरान-पनवेल-दाभोल	गेल (इंडिया) लिमिटेड	20	875	गुजरात, महाराष्ट्र
5.	अगरतला क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल (इंडिया) लिमिटेड	2	61	त्रिपुरा
6.	मुंबई क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल (इंडिया) लिमिटेड	7	129	महाराष्ट्र
7.	असम क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल (इंडिया) लिमिटेड	3	8	असम

1	2	3	4	5	6
8.	केजी बेसिन नेटवर्क (+ आरएलएनजी+आरआईएल)	गेल (इंडिया) लिमिटेड	16	881	आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी
9.	गुजरात क्षेत्रीय नेटवर्क (+ आरएलएनजी + आरआईएल)	गेल (इंडिया) लिमिटेड	18	671	गुजरात
10.	कावेरी बेसिन नेटवर्क	गेल (इंडिया) लिमिटेड	9	278	पुदुचेरी, तमिलनाडु
11.	दुक्ली महाराजगंज (पूर्व-अगरतला)	गेल (इंडिया) लिमिटेड	0.26	5.2	त्रिपुरा
12.	राजस्थान क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल (इंडिया) लिमिटेड	2	152	राजस्थान
13.	ईडब्ल्यूपीएल (काकीनाडा-हैदराबाद-उरान-अहमदाबाद)	रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	80	1469	आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना
14.	जीएसपीएल का गैस ग्रिड नेटवर्क जिसमें गुजरात स्पर लाइन शामिल है	गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड	43	2600	गुजरात
15.	हजीरा-अंकलेश्वर	गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड	5.06	73.2	गुजरात
16.	दादरी-पानीपत	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9.5	140	हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश
17.	एजीसीएल के असम क्षेत्रीय नेटवर्क	असम गैस कंपनी लिमिटेड (3 पाइपलाइन विभाग)	2.428	104.73	असम
18.	दादरी-बवाना-नांगल	गेल (इंडिया) लिमिटेड	31	835	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली
19.	छैनसा-झज्जर-हिसार	गेल (इंडिया) लिमिटेड	35	265	हरियाणा, राजस्थान, पंजाब
20.	दाभोल-बंगलौर	गेल (इंडिया) लिमिटेड	16	1097	महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा
21.	कोच्चि-कूट्टानाड-बैंगलोर-मंगलौर*	गेल (इंडिया) लिमिटेड	6	41	केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी यूटी
22.	शाडोल-फूलपुर	रिलायंस गैस पाइपलाइन लिमिटेड (आरजीपीएल)	5	1302	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
	कुल		428	16788	

*आंशिक रूप से चालू

विवरण-II

देश में चल रही/संस्वीकृत पाइपलाइन परियोनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	पाइपलाइन का नाम	कंपनी का नाम	लंबाई (किमी)	प्राधिकर का वर्ष	जिस राज्य से यह गुजरती है
1.	जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धमरा	गेल	2655	2007 और 2016	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा
2.	बरौनी-गुवाहाटी	गेल	750	2018	बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम
3.	कोच्चि-कूट्टानाड-बैंगलोर-मंगलौर (चरण II)	गेल (इंडिया) लिमिटेड	879	2007	केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक
4.	भटिंडा-जम्मू-श्रीनगर	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	725	जुलाई, 2011	पंजाब, जम्मू और कश्मीर
5.	मेहसाना-भटिंडा	जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड	2052	जुलाई, 2011	गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब
6.	मल्लवारम-भोपाल-भीलवाड़ा विजयपुर के माध्यम से	जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड	2042	जुलाई, 2011	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान
7.	काकीनाडा-विजाग-श्रीकाकुलम	एपी गैस वितरण निगम	391	अगस्त, 2014	आंध्र प्रदेश
8.	नेल्लोर-विजाग-काकीनाडा	आईएमसी लिमिटेड	525	दिसंबर, 2017	आंध्र प्रदेश
9.	एन्नोर - नेल्लोर	गैस ट्रांसमिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	430	मई, 2015	आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
10.	एन्नोर-तिरुवल्लुर-बेंगलुरु-पुदुचेरी-नागापट्टीनम-मदुरै-तूतीकोरिन	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	1385	दिसंबर, 2015	तमिलनाडु और कर्नाटक
11.	जयगढ़-मंगलौर	एच-एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	749	जुलाई, 2016	महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक
12.	काकीनाड़ा-विजयवाड़ा-नैल्लोर	आईएमसी लिमिटेड	522	फरवरी, 2018	आंध्र प्रदेश
	कुल		13105		

[अनुवाद]

राष्ट्रीय इस्पात संस्थान

5583. **श्री प्रहलाद सिंह पटेलः** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय इस्पात संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है ताकि प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से इस्पात उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में मदद मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत रखे जाने वाले मुख्य पाठ्यक्रम तथा अनुसंधानगत अध्ययन का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक प्रचालन में आने की संभावना है; और

(ग) भारतीय इस्पात उद्योग के समक्ष विद्यमान मुख्य चुनौतियों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय इस्पात उद्योग इस्पात के प्रमुख उत्पादनकर्ता देशों द्वारा विगत में इस्पात की डंपिंग किए जाने के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2015 के दौरान विश्व स्तर पर माँग में कमी होने और अत्यधिक क्षमता की उपलब्धता होने के परिणामस्वरूप इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में ऐतिहासिक कमी आई है।

आयातों से घरेलू इस्पात की कीमतें और घरेलू इस्पात उत्पादकों की व्यवहार्यता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। कीमतों में गिरावट से इस्पात के घरेलू उत्पादकों को बिक्री से कम प्राप्ति हुई है।

इस्पात का उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदम

- भारत सरकार ने घरेलू इस्पात निर्माताओं के हितों को सुरक्षित रखने तथा समान अवसर प्रदान करने के लिए कई व्यापारिक उपचारी उपाय किए हैं, यथा- एंडी डंपिंग ड्यूटी (एडीडी), काउंटर-वेलिंग ड्यूटी (सीवीडी), सेफगार्ड ड्यूटी (एसडी), गुणवत्ता नियंत्रण आदेश इत्यादि।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 लागू की गई है जिसके अंतर्गत इस्पात निर्माण की घरेलू क्षमता को वर्ष 2030-31 तक 300 एमटी करने की परिकल्पना की गई है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है।
- घरेलू इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से अवसंरचना, आवास निर्माण और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए सरकारी खरीद में घरेलू निर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों को वरीयता प्रदान करने की एक नीति लागू की गई है।
- पब्लिक/पीपीपी परियोजनाओं में डिजाइन और विनिर्देशन तैयार करते समय संपूर्ण कार्यशील जीवन लागत के विश्लेषण का समावेशन करने के लिए जीएफआर दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है।

बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम

5584. **श्री जगदम्बिका पालः** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ/न्यासों के माध्यम से बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है/आयोजित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) की स्थापना की गई है जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। ये केन्द्र देशभर में बच्चों के लिए नियमित रूप से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को उनके अधिदेशित कार्यकलापों को पूरा करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

अप्रचालनशील ईपीएफ खातों में पड़ी अदावाकृत राशि

5585. **श्रीमती रेखा वर्माः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि तक कर्मचारी भविष्य निधि के अप्रचालनशील खातों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी अदावाकृत राशि पड़ी है;

(ख) विगत वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त धनराशि पर ब्याज के भुगतान हेतु कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अदावाकृत/निष्क्रिय पड़ी धनराशि को उपयोग में लाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार

गंगवार): (क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952 में अदावाकृत राशि को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार, कुछ निधियों को निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार होते हैं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने दिनांक 11 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सं सा.का.नि. 1065(अ) क तहत ईपीएफ स्कीम, 1952 के अनुच्छेद 72(6) को संशोधित कर दिया है जिसमें परिवर्तन किए गए हैं। संशोधित परिभाषा के अनुसार, जहां जन्म तिथि उपलब्ध हो ऐसे निष्क्रिय खातों में राशि 1094.09 करोड़ रुपये हैं। निष्क्रिय खातों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ख) ईपीएफ स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 60(6) के अनुसार, किसी सदस्य के खाते में उस तारीख से ब्याज जमा नहीं किया जाएगा जिससे वह ईपीएफ स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 72(6) के अंतर्गत निष्क्रिय खाता बन गया है।

(ग) और (घ) निधि का न्यासी होने के नाते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अलग-अलग सदस्य खाते का रख-रखाव करता है तथा सदस्यों के खाते में उपलब्ध जमा राशि का केवल आवेदन जमा होने पर ही सदस्यों को भुगतान करता है। इस तरह निष्क्रिय खाते में पड़ी राशि का उपयोग सदस्यों के खाते के निपटान के सिवाय अन्य किसी प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकता है।

वित्त अधिनियम, 2015 ने 'वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि' की स्थापना की है, जिसका वित्तपोषण सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत रहे किसी जमा शेष में से होगा। 'वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि नियम, 2016' में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के खातों को अदावाकृत राशियों के अंतरण हेतु योजनाओं में से एक (योजना) के रूप में चिह्नित किया गया है।

यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत निष्क्रिय खाते में पड़ी धनराशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरित कर दी जाए और इस का उपयोग ईपीएस पेंशनधारकों के लाभार्थ किया जाए। इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पतालों के माध्यम से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 पेंशनधारकों को चिकित्सा सुविधाएं विस्तारित करने संबंधी आशय की प्रायोगिक योजना तैयार कर ली गई है और अनुमोदनार्थ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजी गई है।

[अनुवाद]

शिक्षा के मानकों संबंधी सतत विकास लक्ष्य

5586. **श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल**: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में गुणवत्तापरक और मानक शिक्षा सुनिश्चित करने के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) से (ग) धारणीय विकास लक्ष्यों के गोल-4 सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को सुनिश्चित करता है और जीवनपर्यंत अध्ययन अवसर को प्रोत्साहित करता है। यह मुख्य रूप से शिक्षा में पंहुच, समानता और गुणवत्ता पर बल देता है। मंत्रालय की सभी मुख्य योजनाएं जैसे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम), साक्षर भारत और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) शैक्षिक अवसंरचना के विकास, सभी के लिए समान अवसर पर जोर और शिक्षा की गुणवत्ता और मानक को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही हैं। देश में शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं:—

I. गुणवत्तायुक्त शिक्षा पर फोकस करने के लिए, केंद्रीय आरटीई नियमों को कक्षा-वार, विषय-वार अध्ययन प्रतिफल संबंधी संदर्भ शामिल करने के लिए दिनांक 20 फरवरी, 2017 को संशोधित किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चे उचित अध्ययन स्तर प्राप्त कर सकें, यह राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देशों के रूप में कार्य करेगा। नवंबर, 2017 में पहली बार, सभी विषयों पर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विद्यार्थियों के अध्ययन प्रतिफलों का मूल्यांकन करने के लिए कक्षा III, V और VIII के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित किया गया था।

II. आरटीई अधिनियम, 2009 को 2017 में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया था कि 31 मार्च, 2019 तक अधिनियम के तहत सभी शिक्षक निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त कर लें। यह शिक्षकों और शिक्षण प्रक्रियाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार को सुनिश्चित करेगा और परिणामस्वरूप बच्चों के अध्ययन प्रतिफल में सुधार करेगा। इसके अतिरिक्त, यह सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में किए जा रहे सुधार को बल प्रदान करेगा।

III. विभाग विद्यार्थियों के लिए ई-सामग्री के विकास और प्रावधान और शिक्षकों, मुख्य अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण पर अधिक बल दे रहा है।

IV. सरकार उच्चतर शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से केंद्रीय प्रायोजित योजना नामतः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) कार्यान्वित कर रही है। रूसा के तहत अन्य बातों के साथ-साथ, मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान, वर्तमान स्वायत्त कॉलेजों के प्रोन्नयन या कॉलेजों की कलस्टिरिंग के माध्यम से विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा केंद्रीय निधिबद्ध उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुसार बाजार से निधि जुटाने के लिए उच्चतर शिक्षा निधियन एजेंसी (हेफा) स्थापित की गई है।

V. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) राष्ट्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं और वैश्विक रूझानों के अनुसार उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता प्रणाली को विकसित करने के लिए निरंतर रूप से प्रयास कर रहा है। आयोग उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने और शिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान में उत्कृष्टता को परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए इसे व्यवस्थित बनाया गया है, यूजीसी ने अनेक विनियम अधिसूचित किए हैं जो देश भर की उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के लिए अनिवार्य है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी और उपयोग की गई योजनावार निधि

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि
1.	सर्व शिक्षा अभियान-एसएसए	24030.16	24122.51	21590.14	21666.52	21657.45	21678.47
2.	मध्याह्न भोजन -एमडीएम	10465.21	11316.28	9132.31	9912.21	9478.61	9301.51
3.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-आरएमएसए$	3389.73	5407.33	3544.93	6878.67	3688.27	7712.79
4.	साक्षर भारत (प्रौढ़ शिक्षा)	358.34	358.34	344.13	344.13	213.41	213.41

$उपयोगिता में पिछले वर्षों के राज्य भाग और अव्ययित शेष शामिल है।

राष्ट्रीय दाय स्थल आयोग विधेयक, 2009 को वापिस लेना

5587. **श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्माः** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय दाय स्थल आयोग विधेयक, 2009 को वापिस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पुरावशेष अधिनियम, 1972 में संशोधन के संबंध में न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल समिति के सदस्यों की विमत टिप्पणी सहित इस समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रारूप पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति विनियमन, निर्यात और आयात विधेयक, 2017 की वर्तमान स्थिति क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग विधेयक, 2009 को दिनांक 31.07.2015 को राज्य सभा से वापिस लिया गया था।

राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग विधेयक, 2009 को दिनांक 26.02.2009 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) को भेजा गया। तदुनसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) और शहरी विकास, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (तत्कालीन पर्यावरण एवं वन) आदि मंत्रालयों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श किए गए थे। इन परामर्शों के आधार पर, यह विचार सामने आया कि इस विधेयक के अधिकांश उपबंधों को एएसआई द्वारा अनुसरण किए जा रहे एएमएएसआर अधिनियम, 1958 में आगे संशोधन में कवर किया जा सकता है। तदनुसार, सरकार द्वारा उक्त विधेयक में यथा परिकल्पित राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग गठित नहीं करने का निर्णय लिया गया।

(ग) पुरावशेष अधिनियम, 1972 में संशोधन के संबंध में न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल समिति की रिपोर्ट, इसके सदस्य की विमत टिप्पणी सहित सार्वजनिक नहीं की गई है। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया था और मौजूदा पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के स्थान पर एक नए विधेयक का प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया गया था।

(घ) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति विनियमन, निर्यात और आयात विधेयक, 2017 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त कर ली गई हैं और संस्कृति मंत्रालय में इनकी जांच की जा रही है।

महाबोधि-चक्र

5588. **श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी**: क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक विशाल महाबोधि-चक्र का निर्माण स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का अमेरिका के लॉस वेगास और दुबई में स्थित हाई-रोलर, न्यूयार्क व्हील और सिंगापुर फ्लॉयर की तर्ज पर इस परियोजना को इटली और तुर्की के साथ आरंभ करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त परियोजना के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(ङ) क्या सरकार का अमरावती में महाबोधि-चक्र वाइल्ड वाटर पार्क, पांच सितारा होटलों/रिसोर्टों, शॉपिंग क्षेत्रों, साधारण बजट होटलों, सम्मेलन केन्द्रों, पारिवारिक मनोरंजन स्थलों सामाजिक क्लबों, भव्य इमारतों और फूड कोर्ट आदि का भी निर्माण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास के लिए पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से पहचानी जाती हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती, आंध्र प्रदेश में एक विशाल महाबोधि-चक्र का निर्माण/स्थापित करने के लिए मंत्रालय को कोई प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नही उठता।

भारतीय विश्वविद्यालय में अनुसंधान एवं विकास

5589. **श्री रामसिंह राठवा**: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास अनुसंधान और विकास में भारतीय विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा के साथ-साथ शोध निकायों द्वारा दिए गए योगदान से संबंधित कोई स्थिति रिपोर्ट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास उक्त संस्थाओं द्वारा अनुसंधान और विकास में दिए गए योगदान पर आधारित कोई रैंकिंग है; और

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इन संस्थाओं से शीर्ष दस के द्वारा अनुसंधान और विकास में क्या सफलताएं, उपलब्धियां/सफलताएं प्राप्त और प्रकाशित की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में इंफ्लिबनेट (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क) नामक एक अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी) है। शोधगंगा@इंफ्लिबनेट देशभर के पीएच.डी शोध प्रबंधों की एक रिपोजिटरी है। यह केन्द्र शोधकर्ताओं को उनके शोध प्रबंधों को जमा करने का एक

मंच प्रदान करता है और समूचे शोध समुदाय की उन तक स्वतंत्र पहुंच उपलब्ध कराता है।

पीएच.डी विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है और अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) डेटा 2016-17 के अनुसार कृषि, कला, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग, शिक्षा, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, विधि, प्रबंधन, चिकित्सा, विज्ञान, पशु विज्ञान और अन्य सहित विभिन्न विषयों में 141037 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है।

अनुसंधान, उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं (एचईआई) के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ) को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है।

सबरीमाला को राष्ट्रीय तीर्थ केन्द्र घोषित करना

5590. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से सबरीमाला मंदिर को एक राष्ट्रीय तीर्थ केन्द्र घोषित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) जी, हां। केरल राज्य सरकार ने पर्यटन मंत्रालय से सबरीमाला मंदिर को एक राष्ट्रीय तीर्थ केन्द्र के रूप में घोषित करने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) मंत्रालय किसी स्थल को राष्ट्रीय तीर्थ केन्द्र के रूप में घोषित नहीं करता है और इसे केरल सरकार को सूचित कर दिया गया था।

इंजीनियरिंग कॉलेज

5591. **श्री पी. नागराजन:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग कालेजों में परीक्षा में सुधार संबंधी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) पारंपरिक परीक्षा प्रणाली को संशोधित करने और इसमें सुधार लाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने एक समिति का गठन किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रोजगार हानि संबंधी आकलन

5592. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2017 में नौकरी से निकाले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नौकरी पाने वाले व्यक्तियों से अधिक थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(घ) सरकार द्वारा देश में रोजगार सृजित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, श्रम ब्यूरो द्वारा तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) कराया जा रहा है जो गैर-कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बड़े खंडों में आठ क्षेत्रों नामतः विनिर्माण, सन्निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां तथा आईटी/बीपीओ में 10 या उससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में उत्तरोत्तर तिमाही में रोजगार की दशाओं में सापेक्ष परिवर्तन को मापते हैं। सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार, अर्थव्यवस्था के चुनिंदा आठ क्षेत्रों में पिछली चार तिमाहियों में अर्थात् 1 अक्तूबर, 2016 से 1 अक्तूबर, 2017 में नियोजन में 4.74 लाख कामगारों का सकारात्मक परिवर्तन है।

(घ) सरकार ने देश में रोजगार के सृजन हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, अधिक लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं को तेज करना तथा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) स्कीम तथा दीन दयाल

अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर लोक व्यय की वृद्धि करना।

सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया स्कीम, मुद्रा तथा स्टार्ट अप्स स्कीम क्रियान्वित की गई हैं।

सरकार ने श्रम उत्पादन पर भी ध्यान केन्द्रित किया है तथा पर्यटन एवं कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के द्वारा रोजगार अवसरों को विस्तारित किया है।

सरकार द्वारा "प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना" नामक एक योजना चलाई गई है। सरकार ने रोजगार इच्छुकों के लिए ऑनलाईन पंजीकरण तथा नौकरियों को पोस्ट करने तथा अन्य रोजगार से संबंधित सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल (*www.ncs.gov.in*) भी शुरू किया है।

[अनुवाद]

एनईआर में स्मारकों का संरक्षण

5593. **श्री बदरुद्दीन अजमलः** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम सहित उत्तर-पूर्व राज्यों में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों/ऐतिहासिक स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र द्वारा देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संरक्षित इन स्मारकों/स्थलों के संरक्षण/रखरखाव पर किये गये व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्मारकों/ऐतिहासिक स्थलों को विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत सूचीबद्ध करने हेतु अभिज्ञात किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा)ः (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-। पर है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-॥ पर है।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-॥। पर है।

विवरण-।

पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची

क्र. सं.	स्मारक/स्थल का नाम	तालुक	जिला
अरुणाचल प्रदेश			
1.	भीष्मकनगर के अवशेष	मिश्मी	जिला दिबांग घाटी
2.	अवशेष, भलुकपोंग	भलुकपोंग	पश्चिम कमेंग
3.	ताम्र मंदिर के अवशेष	ताम्रेश्वरी मंदिर, पाया के निकट	जिला लोहित
असम			
1.	कछारी अवशेषः 1. एक छोटा अद्ध निर्मित रहने का मकान 2. बारादवारी 3. पूर्वी दीवार 4. सिंह दरवाजा 5. रानाहांडी का मंदिर तथा 7 एवं 8 दो छोटे मंदिर	खासपुर	जिला कछार
2.	ईदगाह	रंगमति हिल	जिला धुब्री
3.	रंगमती मस्जिद	रंगमति हिल	जिला धुब्री
4.	श्री सूर्य पहाड़ अवशेष	दसभुजा देवस्थान	जिला गोलपाड़ा

क्र. सं.	स्मारक/स्थल का नाम	तालुक	जिला
5.	श्री बी.जे. स्टो की समाधि के ऊपर स्मारक	गोलपाड़ा	जिला गोलपाड़ा
6.	ले. क्रेसवेल का मकबरा	गोलपाड़ा	जिला गोलपाड़ा
7.	प्राचीन गुफाएं	जोगीघोपा	जिला बोगेगांव
8.	एकाश्म, कसोमारी पठार	कसोमारी पठारं	जिला गोलाघाट
9.	शिवडोल, नेगरितिंग	नेगरितिंग	जिला गोलाघाट
10.	उर्वशी द्वीप पर नक्काशी, शिलालेख तथा स्तंभ	उर्वसी द्वीप, गुवाहाटी	जिला कामरूप
11.	विष्णु जनार्दन को दर्शाती हुई शैलकृत मूर्ति	गुवाहाटी	जिला कामरूप
12	पोआ मेक्का मस्जिद के अंदर शिलालेख	हाजो	जिला कामरूप
13.	श्री केदार मंदिर	हाजो	जिला कामरूप
14.	श्री गणेश मंदिर, हाजो	हाजो	जिला कामरूप
15.	श्री कामेश्वर मंदिर	हाजो	जिला कामरूप
16.	दुआरगारिल एक शैलाभिलेख	कामाख्या हिल	जिला कामरूप
17.	शैलकृत आकृतियां: i. नृत्य करते हुए भैरव ii. गणेश की आकृतियां-2 iii. नरकासुर की आकृति-1 iv. चार हाथों वाली भैरवी-1 v. छोटी शिखर बेदी-4 vi. शिव लिंग-12 vii. पत्थर का प्रवेशद्वार-1 viii. दो हाथों वाली भैरवी-1	कामाख्या हिल	जिला कामरूप
18.	शैलकृत मंदिर	माइबोंग	जिला उत्तरी कछार हिल
19.	दो उत्कीर्णित प्रस्तर	माइबोंग	जिला उत्तरी कछार हिल
20.	बेलोसओं एकाश्म समूह	उत्तरी कछार हिल	जिला उत्तरी कछार हिल
21.	डेरेबारा एकाश्म समूह	उत्तरी कछार हिल	जिला उत्तरी कछार हिल
22.	खरतोंग एकाश्म समूह	उत्तरी कछार हिल	जिला उत्तरी कछार हिल
23.	कोबाक एकाश्म समूह	उत्तरी कछार हिल	जिला उत्तरी कछार हिल
24.	चार मैएडमों का समूह	उत्तरी कछार हिल, चराईदेव	जिला सिबसागर
25.	अहोम राजा का महल	गढ़गांव	जिला सिबसागर
26.	विष्णुडोल, गौरीसागर	गौरीसागर	जिला सिबसागर

क्र. सं.	स्मारक/स्थल का नाम	तालुक	जिला
27.	देवीडोल, गौरीसागर	गौरीसागर	सिबसागर
28.	शिवडोल, गौरीसागर	गौरीसागर	सिबसागर
29.	गौरीसागर तालाब, गौरीसागर	गौरीसागर	सिबसागर
30.	विष्णडोल, जॉयसागर	जयसागर	सिबसागर
31.	देवीडोल, जॉयसागर	जयसागर	सिबसागर
32.	घनश्याम का मकान, जॉयसागर	जयसागर	सिबसागर
33.	गोलघर अथवा प्रत्रिका घर, जॉयसागर जिला सिबसागर	जयसागर	सिबसागर
34.	अहोम राजाओं का करेंगघर, जॉयसागर	जयसागर	सिबसागर
35.	रनघर पवेलियन, जॉयसागर	जयसागर	सिबसागर
36.	शिवडोल, जॉयसागर	जयसागर	सिबसागर
37.	रंगनाथडोल, मेटेका	मेटेका	सिबसागर
38.	विष्णु डोल, सिबसागर	सिबसागर	सिबसागर
39.	देवीडोल, सिबसागर	सिबसागर	सिबसागर
40.	सिबसागर तालाब के किनारे अहोम काल की आठ तोपें, सिबसागर	सिबसागर	सिबसागर
41.	शिवडोल, सिबसागर	सिबसागर	सिबसागर
42.	बोरडोल मंदिर, विश्वनाथ	विश्वनाथ	जिला सोनितपुर
43.	ले. लेविस वान सेंडन की कब्र, विश्वनाथ	विश्वनाथ	जिला सोनितपुर
44.	लें. थामस कैनेडी की समाधि, विश्वनाथ	विश्वनाथ	जिला सोनितपुर
45.	उमाटुमनि द्वीप पर "सकरेश्वर" नाम से विख्यात चट्टान, विश्वनाथ	विश्वनाथ	जिला सोनितपुर
46.	"विश्वनाथ शिवलिंग" नाम से विख्यात चट्टान, विश्वनाथ	विश्वनाथ	जिला सोनितपुर
47.	धांडी मंदिर, एन.सी. कामदयाल	एन.सी. कामदयाल	जिला सोनितपुर
48.	अवशेष, सिंगरी हिल	सिंगरी हिल	जिला सोनितपुर
49.	बामुनि पहाड़ी पर ईंटों के अवशेष, तेजपुर	तेजपुर	जिला सोनितपुर
50.	टीले और पत्थर के मंदिर के अवशेष, दाहपर्बतिया	दाहपर्बतिया	जिला सोनितपुर
51.	ब्रहमपुत्र के किनारे शिलालेख, तेजपुर	तेजपुर	जिला सोनितपुर
52.	चुमेरी परिसर में मूर्तियां, तेजपुर	तेजपुर	जिला सोनितपुर
53.	हायग्रीव माधव मंदिर, हाजो	हाजो	जिला कामरूप

क्र. सं.	स्मारक/स्थल का नाम	तालुक	जिला
54.	सम्राट शेर शाह की बंदूक, सदिया	सदिया	जिला तिन सुखिया
55.	मुगल नववारा से संबंधित दो कुंडा बंदूकें, सदिया	सदिया	जिला तिन सुखिया
मणिपुर			
1.	विष्णु मंदिर, बिशेनपुर	बिशेनपुर	जिला बिश्नुपुर
मेघालय			
1.	उम-न्याकनेथ पर पाषाण पुल, जारौम और संदाई के बीच	उम-न्याकनेथ	जिला जयन्तिया हिल
2.	थुलुम-वी के नाम से मशहूर जोवई और जारेन के बीच पाषाण पुल	मापुट	जिला जयन्तिया हिल
3.	उम-कुंबेह पर पाषाण पुल	उम-कुंबेह	जिला जयन्तिया हिल
4.	उमावथाव-दरब्रीव का प्रस्तर स्मारक, नारतियंग	नारतियंग	जिला जयन्तिया हिल
5.	कुंड, संदाई	संदाई	जिला जयन्तिया हिल
6.	उमावथाव-दर का प्रस्तर स्मारक, भोई कंट्री	भोई कन्ट्री	जिला पूर्वी खासी हिल
7.	स्कॉट का स्मारक, चेरापुंजी	चेरापुंजी	जिला पूर्वी खासी हिल
8.	मणिपुर स्मारक, शिलांग	शिलांग	जिला पूर्वी खासी हिल
मिजोरम			
1.	वांगछिया पर मेनहिर्स और गुफाएं	वांगछिया, डाकघर चम्फाई राजस्व मंडल, चम्फाई	चम्फाई
नागालैंड			
1.	किले का अवशेष (दिमापुर खंडहर)	दीमापुर	जिला कोहिमा
2.	श्री जी.एच. दमाउत, मेजर कुक और सूबेदार नूरवीर शाही के स्मारक	कोनोमा	जिला कोहिमा
3.	श्री दामंत की याद में प्रस्तर कंदराएं	कोहिमा	जिला कोहिमा
4.	ले. एच. फार्बे की कब्र, सुचीमा	सुचीमा	कोहिमा
त्रिपुरा			
1.	उनाकुटी तीर्थ की मूर्तिकला तथा रॉक कट रीलीफ, उनाकोटी रंगी	उनाकोटी रेंज	जिल दक्षिणी त्रिपुरा
2.	प्राचीन अवशेष, बुक्सानगर	बुक्सानगर	जिला दक्षिणी त्रिपुरा
3.	गुनावटी मंदिर समूह, राधा किशोरपुर	राधा किशोरपुर	जिला दक्षिणी त्रिपुरा
4.	चुतर्दश देवता का मंदिर, राधा किशोरपुर	किशोरपुर	जिला दक्षिणी त्रिपुरा
5.	भुवनेश्वरी मंदिर, राजनगर	राजनगर	जिला दक्षिणी त्रिपुरा

क्र. सं.	स्मारक/स्थल का नाम	तालुक	जिला
6.	ठकुरानी टीला, पश्चिम पिल्लक	पिल्लक	जिला दक्षिणी त्रिपुरा
7.	श्यामसुंदर आश्रम टीला के नाम से विख्यात प्राचीन टीला, बैखोरा जोलाईबरी	जोलाईबरी	जिला दक्षिणी त्रिपुरा
8.	पूजा खोला के नाम से विख्यात प्राचीन टीला, पश्चिम पिल्लक	पश्चिम पिल्लक	जिला दक्षिणी त्रिपुरा
सिक्किम			
1.	दुब्दी मठ, खियोचढ फलवी	खियोचढ़ फलवी	खियोचढ़ फलवी
2.	युकसाम, खियोचढ फलवी के निकट नोरबूगंग का राज्याभिषेक सिंहासन खियोचढ फलवी	खियोचढ़ फलवी	खियोचढ़ फलवी
3.	सिक्किम की प्राचीन राजधानी का रैडबैंटसे स्थल, पेमायोंगसे मठ का वनक्षेत्र, मायोंगसे मठ संपदा, का वनक्षेत्र	पेयायोंगसे मठ संपदा	पेयायोंग मठ संपदा

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर किया गया व्यय (राज्य वार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	व्यय (लाख रुपए में)		
		2014-15	2015-16	2016-17
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.50	7.95	16.97
2.	असम	198.85	379.13	234.92
3.	मणिपुर	11.46	6.73	0.66
3.	मेघालय	13.85	7.14	शून्य
4.	मिजोरम	शून्य	0.55	17.54
5.	नागालैंड	14.50	1.86	19.28
6.	त्रिपुरा	28.42	48.72	63.46
7.	सिक्किम	36.71	18.66	11.86

विवरण-III

विश्व विरासत के अंतर्गत सूचीबद्ध किए जाने के लिए अस्थायी सूची के अंतर्गत पहचान किए गए/रखे गए पूर्वोत्तर राज्यों के स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा

1. अपतानी सांस्कृतिक परिदृश्य, अरुणाचल प्रदेश
2. भारत के प्रतिष्ठित साड़ी बुनाई समूह
3. मोईदाम-टीला-अहोम वंश, असम की दफनाने की प्रणाली
4. नामडाफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश
5. असम में ब्रह्मपुत्र नदी की मध्यधारा में माजुली द्वीप
6. थेमबांग किलाबंद गांव, अरुणाचल प्रदेश

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना

5594. **श्री सुनील कुमार मण्डलः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विगत चार वर्षों के दौरान उच्च बुद्धिमत्ता एवं शैक्षणिक प्रतिभा वाले विद्यार्थियों की पहचान करके उन्हें राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (एनटीएस) योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा)ः (क) से (ग) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना (एनएसटीएसएस) को वर्ष 1963 में शुरू किया गया था, जिनमें प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है। वर्ष 1976 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (एनटीएसएस) रख दिया गया था। योजना को

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। देश के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल की कक्षा 10 में पढ़ रहे छात्र एनटीएस परीक्षा देने के पात्र हैं प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। देश में 1000 प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने के लिए एनटीएसएस परीक्षा प्रत्येक वर्ष दो चरणों में आयाजित की जाती है। एटीएस चरण-। को राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आयोजित किया जाता है। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चरण-॥ परीक्षा आयोजित की जाती है।

गत 04 वर्षों के दौरान प्रदान की गई एनटीएसई छात्रवृत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2014	2015	2016	2017
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	1	1
2.	असम	7	1	5	3
3.	मणिपुर	1	0	0	0
4.	मेघालय	0	0	0	0
5.	मिजोरम	2	0	1	0
6.	नागालैंड	0	0	0	1
7.	सिक्किम	0	0	0	0
8.	त्रिपुरा	2	1	0	1
9.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0
10.	बिहार	30	11	27	27
11.	झारखंड	13	23	24	21
12.	ओडिशा	45	46	59	59
13.	पश्चिम बंगाल	15	22	40	57
14.	चंडीगढ़	8	11	9	7
15.	दिल्ली	35	52	62	64
16.	जम्मू और कश्मीर	4	0	3	4
17.	हरियाणा	44	42	51	47
18.	हिमाचल प्रदेश	9	6	5	4
19.	पंजाब	30	36	54	47
20.	राजस्थान	88	137	137	126
21.	उत्तर प्रदेश	87	72	102	75
22.	उत्तराखंड	2	10	7	4
23.	छत्तीसगढ़	18	18	22	21
24.	दमन और दीव	0	0	0	0
25.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0
26.	गोवा	5	0	2	2
27.	गुजरात	8	21	26	28
28.	मध्य प्रदेश	66	57	68	65
29.	महाराष्ट्र	112	103	74	96
30.	आंध्र प्रदेश	48	12	23	1
31.	कर्नाटक	76	66	55	65
32.	केरल	45	32	23	17
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
34.	पुदुचेरी	0	0	0	0
35.	तमिलनाडु	41	39	65	66
36.	तेलंगाना	0	37	30	12
37.	विदेशी	0	2	1	1
	कुल	844	857	976	922

ईएसआईसी विज़न, 2022

5595. **श्री रामदास सी. तडस:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) विज़न, 2022 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का 10 करोड़ कामगारों को वर्ष 2022 तक ईएसआईसी विज़न, 2022 के तहत शामिल करने और देश के प्रत्येक जिले में ईएसआईसी योजना का विस्तार करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) कैबिनेट सचिवालय ने (ई-समीक्षा ओबीएस/1816

के अंतर्गत) 2022 तक पूरा करने के लिए "पूरे देश में ईएसआईसी के कवरेज का विस्तार करने के लिए सभी जिलों को कवर करना जो कि वर्तमान में पूरे 325 जिलों तक सीमित है, और प्रतिष्ठानों और आईपीएस को दोगुना करने के" विशिष्ट लक्ष्य ईएसआईसी के लिए सूचित किए हैं।

(ख) और (ग) यह मामला ईएसआई निगम की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली समिति के समक्ष दिनांक 16.02.2018 को आयोजित इनकी 173वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसने विजन-2022 को 'सिद्धान्त रूप में' स्वीकृति प्रदान की है और इसे परिष्कृत करने के लिए मामले को एक उपसमिति को सौंप दिया है।

यह अनुमान लगाया गया है कि ईएसआई योजना के अंतर्गत आने वाले आईपीएस की संख्या 2022 तक वर्तमान 3.20 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी।

झारखंड में सांस्कृतिक विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना

5596. **श्री निशिकान्त दुबे:** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड सहित देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं/कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ग) हमारे देश की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। झारखंड सहित देशभर में कला के विभिन्न रूपों के संरक्षण एवं परिरक्षण तथा सांस्कृतिक विकास कार्यक्रमों के संवर्धन हेतु भारत सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) की स्थापना की है जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये जेडसीसी देश में सांस्कृतिक विकास कार्यक्रमों के संवर्धन हेतु युवा प्रतिभावान कलाकार पुरस्कार, गुरु-शिष्य परंपरा स्कीम, रंगमंच नवीनीकरण स्कीम, अनुसंधान एवं प्रलेखन स्कीम, शिल्पग्राम स्कीम, ऑक्टेव और जम्मू एवं कश्मीर महोत्सव तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (एनसीईपी) जैसी कई स्कीमों को कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा हमारे देश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में (नवम्बर, 2015 और अक्तूबर, 2016), वाराणसी में (दिसंबर, 2016), बेंगलूरू और तवांग में (मार्च, 2017), गुजरात में (अक्तूबर, 2017), कर्नाटक में (जनवरी, 2018) और मध्य प्रदेश में (फरवरी, 2018) राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) आयोजित किए गए हैं। फरवरी, 2018 के दौरान वाराणसी, उत्तर प्रदेश में भी एक संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। इन महोत्सवों के अतिरिक्त, इन जेडसीसी द्वारा संस्कृति के संवर्धन हेतु देशभर में नियमित आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें वार्षिक सहायता अनुदान दिया जाता है।

लौह और इस्पात उत्पादों के आयात का मुद्दा

5597. **श्री सी.एस. पुट्टा राजू:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा लौह एवं इस्पात उत्पादों के आयात के संबंध में किये गए कतिपय उपायों के विरोध में जापान भारत को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में ले गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यूनतम आयात मूल्य के रूप में प्रयुक्त पाटन रोधी शुल्क सहित डब्ल्यूटीओ के अनुपालन वाले उपाय वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) से (घ) जापान ने कुछ लोहा एवं इस्पात उत्पादों पर अधिरोपित भारत के रक्षोपाय शुल्क उपायों जिन्हें जापान भारत की डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धताओं के अनुरूप नहीं मानता है, के खिलाफ शिकायत (डीएस 518) दर्ज की है। तदुनसार, जापान ने डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय से डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान समझौते में निर्धारित पैनल प्रक्रियाओं के तहत इस विवाद के समाधान का अनुरोध किया है। तथापि, जापान ने भारत द्वारा किए गए न्यूनतम आयात कीमत उपाय की संगतता को चुनौती नहीं दी है क्योंकि ये उपाय अब प्रचलन में नहीं है।

शिक्षा संबंधी सुधार

5598. **श्री राजेशभाई चुड़ासमा:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक सुधार पर कितना व्यय किये जाने का विचार है;

(ग) प्रत्येक सुधार के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिक्रिया/मत क्या हैं; और

(घ) ऐसे सुधारों का ब्यौरा क्या है जिनके लिये राज्य विधानों में सांविधिक बदलावों की आवश्यकता की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (घ) भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच सुधार के लिए शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार शुरू किए हैं। गुणवत्ता शिक्षा पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता के बाद इतिहास में ऐसा बड़ा विस्तार करते हुए देश में नई शीर्ष उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई है।

स्वयम मूक पोर्टल (युवा मस्तिष्क हेतु कार्यशील शिक्षा की अध्ययन वेबसाइट) एक स्वदेशी मूक पोर्टल, जो बिना किसी लागत पर कोई भी, किसी भी समय, कही भी उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करता है, को शुरू किया गया। पोर्टल पर देश के श्रेष्ठ शिक्षकों के पाठ्यक्रम हैं और विडियो लेक्चर, ई-रिडिंग सामग्री, परिचर्या फोरम और मूल्यांकन प्रणाली प्रदान करता है परिणामस्वरूप सफल छात्रों को क्रेडिट्स दिए जाते हैं। अब तक 1000 से अधिक पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराया गया है और 33 लाख यूजरों से अधिक इस फोरम में पंजीकृत है। स्वयम पोर्टल पर लिए गए पाठ्यक्रम के लिए अब छात्र के शिक्षा रिकार्ड में 20 प्रतिशत क्रेडिट अंतरण तक की अनुमति है।

सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उपयोग करते हुए अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों तक उच्च गुणवत्ता शैक्षिक विषय तक पहुंच के लिए **स्वयम प्रभा** कार्यक्रम के तहत 32 डीटीएच चैनलों को शुरू किया गया है। ये चैनल प्रत्येक दिन 4 घंटे नए विषय चलाते हैं।

राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल) पहल एकल विंडो अनुसंधान सुविधा वाली अधिगम संसाधनों का वर्चुअल निक्षेपागार है। इसमें 15 मिलियन डिजिटल पुस्तकों को पहले ही एक साथ लाया गया है और 31 लाख अधिगमकर्ता इस सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं। यह अनुसंधानकर्ता और आजीवन अधिगमकर्ताओं, सभी विषयों, पहुंच डिवाइस के सभी लोकप्रिय रूप और निःशक्तजन अधिगमकर्ताओं सहित सभी शैक्षिक स्तरों का सपोर्ट करता है।

उन्नत भारत अभियान (यूबीए) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी भिन्नताओं को पूरा करने के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में ज्ञान के आधार का उपयोग करने की नई पहल है। इस वर्ष में चुनौती मोड पर 750 संस्थाओं को चुना जा रहा है। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार मौजूदा प्रौद्योगिकी को कस्टमाईज करने के साथ-साथ मौजूदा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करके ग्रामीण भारत के समृद्ध होने की उम्मीद है।

पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) योजना योग्य शिक्षकों की आपूर्ति करने, शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभावान लोगों को आकर्षित करने, स्कूलों व कॉलेजों में गुणवत्तापरक शिक्षण को बढ़ाने के मुद्दों का समाधान करने के लिए दिसंबर, 2014 में शुरू की गई है।

हाल ही में, सरकार ने विख्यात वैज्ञानिक डॉ. के.कस्तूरीरंजन की **अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा बनाने वाली समिति** का गठन किया है जिसके द्वारा अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 2018 तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के बीच लोगों में सतत् परस्पर भागीदारी की प्रक्रिया के जरिए परस्पर सहमति को बढ़ावा देने के लिए **एक भारत श्रेष्ठ भारत** कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है जिसमें विविध संस्कृतियां परम्पराएं, भाषाएं आदि हैं। सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को एक वर्ष के लिए जोड़ा गया है जिसके बाद जोड़ी में बदलाव किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों द्वारा सहभागी सराहना और भागीदारी के जरिए संस्कृति में विविधता से उत्पन्न अवरोधकों को भंग करना है ताकि राष्ट्र निर्माण में एकात्मकता की भावना विकसित की जा सके।

स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत विभाग ने उस अहम भूमिका को स्वीकार किया है जो उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा अस्वच्छता के प्रति शून्य असहिष्णुता के रवैये के रूप में स्वच्छता को बढ़ावा देने में निभाई जानी चाहिए। विभाग ने उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की स्वच्छता रैंकिंग की शुरुआत की है और स्वच्छता कार्य योजनाएं बनाई हैं।

वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल (ज्ञान) देश के उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और अनुभव को संजोने के लिए 30 नवंबर, 2015 को शुरू की गई पहल है ताकि भारतीय छात्र और संकाय विश्वभर के सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक व उद्योग विशेषज्ञों के साथ आपसी वार्ता कर सकें। ज्ञान पाठ्यक्रम अल्पकालिक पाठ्यक्रम है और आज 1075 पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते है जिसमें 40,000 से अधिक छात्रों ने समृद्ध शैक्षिक इनपुट और शिक्षा अर्जित की। इन पाठ्यक्रमों को भविष्य में प्रयोग हेतु वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है और उपलब्ध अवसंरचना के आधार पर इनमें से कुछ का सीधा प्रसारण भी किया जाता है।

सरकार उच्चतर शिक्षा की 20 संस्थाओं-10 सरकारी और 10 निजी संस्थाओं के **"प्रतिष्ठित संस्थान" (आईओई)** के निर्माण की शुरूआत कर रही है, ताकि उन्हें विश्व की सर्वोत्तम संस्थाओं के बीच लाया जा सके। इन संस्थाओं की अप्रैल, 2018 में घोषणा की जाएगी और इन्हें पूर्ण शैक्षिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता होगी तथा सरकारी संस्थाओं को अगले तीन वर्षों में 1000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

उच्च प्रत्यायन के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही संस्थाओं को कार्यकरण की स्वायत्तता दी जाएगी। हाल ही में शुरू की गई ग्रेडेड स्वायत्तता से उदार विनियामक निगरानी व्यवस्था बनेगी ताकि संस्था नए पाठ्यक्रमों के लिए योजना बना सकें और उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर सकें।

इंप्रिंट इंडिया सामाजिक संबद्धता क्षेत्रों में प्रमुख संस्थाओं में अनुसंधान को निदेशित करने का प्रयास है। 10 क्षेत्रों की पहचान की गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर पर प्रभाव डाल सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों में 2600 से भी अधिक अनुसंधान प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया है।

उच्चतर अविष्कार योजना (यूएवाई) को उद्योग की विशिष्ट आवश्यकता आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है ताकि वैश्विक बाजार में भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखा जा सके। पहचान की गई परियोजनाओं पर प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। उद्योग द्वारा परियोजना लागत का 25% का योगदान देने की संभावना है।

प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ) योजना को प्रमुख संस्थाओं जैसे आईआईएससी, आईआईटी में अनुसंधान कार्यक्रमों में सीधे प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष 1000 मेधावी अवर-स्नातक छात्रों की सहायता के लिए शुरू किया गया है। अध्येतावृत्ति को अच्छी-खासी सामाजिक पहचान मिली है और अध्येतावृत्ति की सीमा 5 वर्ष की अवधि के लिए 70,000 से 80,000/ रुपये प्रतिमाह है।

स्मार्ट इंडिया हेक्थॉन बड़े स्तर पर समाज द्वारा सामना की जा रही आम समस्याओं के लिए कुछ अलग समाधानों को प्रोत्साहित करने हेतु छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देने की एक पहल है। वर्ष 2017 में आयोजित पहले संस्करण में 600 से ज्यादा समस्याओं को हल करने के लिए 40,000/- से भी अधिक छात्रों ने भाग लिया। वर्ष 2018 में इसका कार्यक्षेत्र हार्डवेयर तक भी बढ़ा दिया गया है।

राष्ट्रीय संस्थानिक रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2015 में शुरू किया गया सबसे बड़ी रैंकिंग कार्य है, जिसमें 3500 से भी अधिक संस्थाओं ने प्रतिभागिता की। भारतीय रैंकिंग, 2016 का पहला संस्करण अप्रैल, 2016 में जारी किया गया। भारतीय रैंकिंग, 2018 का तीसरा संस्करण 3 अप्रैल, 2018 को जारी किया जाना अपेक्षित है। इंडिया रैंकिंग उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। रैंक संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों जैसे विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी आदि में जारी किए जाते हैं।

उच्चतर शिक्षा वित्त एजेंसी (एचईएफए) को सुदृढ़ उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के निर्माण के लिए उन्हें अत्यधिक प्रोत्साहन देने हेतु 1000 करोड़ रुपये की सरकारी इक्वेटि के साथ निधि सृजन हेतु मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया है। एचईएफए 10 वर्षीय ऋण के माध्यम से शैक्षणिक-सह-अनुसंधान अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ऐसा अनुमानित है कि शीर्ष शैक्षिक संस्थाओं में उच्च गुणवत्तायुक्त अवसंरचना के विकास हेतु अगले 5 वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना को मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अवसंरचना के लिए और अधिक सहायता, मॉडल डिग्री कॉलेजों का निर्माण, क्लस्टर विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों के स्तरोन्नयन और उच्चतर शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु विस्तार प्रदान किया गया है।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चरण III (टीईक्यूयूआईपी-III) के तहत केंद्रीय जनजातीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पिछड़े राज्यों पर फोकस दिया गया है। इस योजना के तहत, इंजीनियरिंग संस्थाओं में शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने हेतु 2,600 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा।

शीर्ष संस्थाओं के लिए स्वायत्तता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, आईआईएम अधिनियम ने उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया है और बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के उन्हें अपने प्रशासकीय और शैक्षणिक मामलों में निर्णय लेने हेतु पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की।

शिक्षा की सर्वसुलभ पहुंच होनी चाहिए नीति के अनुसरण में, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू किया गया है। इसके अलावा, विद्यालक्ष्मी पोर्टल आर्थिक सहायता के साथ शिक्षा ऋण के लिए वन-विंडो क्लियरेंस प्रदान करता है।

स्कूल शिक्षा

गुणवत्ता शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, केन्द्रीय शिक्षा का अधिकार नियमावली में कक्षा-वार, विषय-वर अध्ययन निष्कर्ष पर संदर्भ को शामिल करने के लिए दिनांक 20 फरवरी, 2017 को संशोधन किया गया है। प्रारंभिक स्तर तक प्रत्येक कक्षाओं के लिए भाषाओं (हिंदी, इंग्लिश और उर्दू), गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का तदनुसार, अध्ययन निष्कर्षों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इसे साझा किया गया। इससे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश के रूप में कार्य करेगा जो यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बच्चे समुचित अधिगम स्तर प्राप्त करें।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 13 नवंबर, 2017 को आयोजित किया गया था जिसके माध्यम से 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 700 जिलों के 1.10 लाख स्कूलों में कक्षा III, V

और VIII के लगभग 22 लाख छात्रों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन किया गया था। यह सक्षमता आधारित मूल्यांकन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित अध्ययन प्रतिफलन पर आधारित था। इस विभाग द्वारा एनएएस 2017 के लिए जिला और राज्य रिपोर्ट कार्ड जारी किए गए हैं एवं यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। एनएसए के माध्यम से ऐसा पहली बार हुआ है कि शिक्षकों के पास समझने का यह साधन है कि विभिन्न कक्षाओं में बच्चों को क्या सीखना चाहिए, कार्यकलापों के ज़रिये यह किस प्रकार सिखाया जाए और कैसे मापा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे कैसे अपेक्षित स्तर तक पहुंचे।

कक्षा X के लिए एनएएस 45,337 स्कूलों में लगभग 15.5 लाख छात्रों के सैंपल में दिनांक 5 फरवरी, 2018 को आयोजित किया गया था। छात्रों का प्रदर्शन पांच प्रमुख विषयों अर्थात अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आधुनिक भारतीय भाषाओं (एमआईएल) में स्कूलों के जिला-वार सैम्पल के आधार पर आयोजित किया गया था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य जिला स्तर पर अधिगम अंतराल पहचान सकें और उनको दूर करने के लिए कार्यनीति तैयार करें।

आरटीई अधिनियम, 2009 को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक 31 मार्च, 2019 तक अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं अर्जित कर सकें ताकि सरकार के प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर दिए जा रहे बल को प्रबल किया जा सके। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) को मुक्त दूरस्थ अध्ययन (ओडीएल) पद्धति के माध्यम से यह प्रशिक्षण आयोजित करने का दायित्व सौंपा गया है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 को दिनांक 11 अगस्त, 2017 को पेश किया गया था, जिसमें कक्षा पांचवी और कक्षा आठवी में प्रत्येक शिक्षा वर्ष की समाप्ति पर नियमित परीक्षा का प्रावधान है। यदि कोई बच्चा उक्त परीक्षा में विफल होता है, तो उसे अतिरिक्त अध्ययन कराया जाएगा और परिणाम की घोषणा के दो महीने की अवधि के भीतर पुर्नपरीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यदि बच्चा दूसरे प्रयास में विफल रहता है, तो संबंधित सरकार स्कूलों को इस प्रकार और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसे निर्धारित हो, पांचवी कक्षा या आठवी कक्षा में या दोनों कक्षाओं के बच्चों को रोकने की अनुमति देगी। संबंधित सरकार यह भी निर्णय ले सकती है कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में न रोका जाए।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने निर्णय लिया है कि शिक्षा वर्ष 2017-18 से कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य की जाए। बहुविध मार्गों और प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षकों के लिए विशेषज्ञता के साथ एक चार वर्षीय **बी.एड. एकीकृत कार्यक्रम शिक्षा** सत्र 2019-20 से शुरू किया जाएगा।

केन्द्रीय बजट, 2018-19 के प्रस्ताव के अनुसरण में प्री-नर्सरी से कक्षा 12 में स्कूल शिक्षा को बगैर किसी वर्गीकरण के समग्र व्यवहार करने हेतु इस विभाग ने तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं एसएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) को समाविष्ट करते हुए स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना तैयार की है जिसमें स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) छात्रों के चहुंमुखी विकास के उद्देश्य से कक्षा I से XII तक पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम/विषयवस्तु को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर रहा है। विभिन्न हितधारकों से 6 अप्रैल, 2018 तक सुझाव आंमत्रित किए गए हैं।

विभाग की योजना है कि केन्द्र, राज्य, सीएसआर और सामुदायिक पहलों के संयुक्त प्रयास के रूप में सभी स्कूलों (कक्षा 9 से) और कॉलेजों में **'ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड'** का समर्थन किया जाए जिससे कि प्रौद्योगिकी और टेलीकॉम सेवाओं के कारगर प्रयोग द्वारा अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और देश में प्रत्येक कक्षाकक्ष (कक्षा 9वीं से और उससे ऊपरी) को एक डिजीटल कक्षाकक्ष में परिवर्तित किया जाए।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) को भारत सरकार द्वारा मार्च, 2009 में आरंभ किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किसी आवासीय स्थान की यथोचित दूरी के अंदर एक माध्यमिक स्कूल का प्रावधान और सभी माध्यमिक स्कूलों को लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक और निशक्तता संबंधी बाधाओं को दूर करते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2013 में, माध्यमिक शिक्षा हेतु आईसीटी, व्यावसायिक शिक्षा, बालिका छात्रावास और आईईडीएसएस की योजनाओं को आरएमएसए की बड़ी योजना में समाविष्ट कर दिया गया था। इस योजना के तहत, अब तक 2682 नए स्कूलों को सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृत किया गया है।

एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) द्वारा पाठ्यपुस्तकों, ऑडियो, वीडियो, आवधिक पत्रिकाओं सहित सभी शैक्षिक ई-संसाधनों और विभिन्न अन्य मुद्रण तथा गैर-मुद्रण सामग्री को प्रदर्शित करने और प्रसारित करने के लिए ई-पाठशाला विकसित की गई है। अब तक, 3,062 ऑडियो और

वीडियो, 650 ई-पुस्तकें (ई-प्रकाशन) और 504 फ्लिप पुस्तकों को पोर्टल और मोबाइल एप पर उपलब्ध कराया गया है।

[हिन्दी]

रोजगार सृजन हेतु नीति

5599. **श्री अशोक महादेवराव नेतेः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों हेतु रोजगार सृजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान एक नई रोजगारोन्मुख नीति तैयार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु विभिन्न उपाय किए हैं - जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी करियर मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित किए गए रोजगार के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, स्व-रोजगार को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा एवं स्टार्ट अप्स योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने हेतु लगभग 22 मंत्रालय/विभाग विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चला रहे हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल सम्मिलित है जो गतिशील, दक्ष एवं प्रतिक्रियाशील ढंग से रोजगार के मिलान हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें करियर संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना नामक एक योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत नियोक्ताओं को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जहाँ नए कर्मचारियों को दिए जाने वाले नियोक्ताओं के 8.33% ईपीएस अंशदान का भुगतान सरकार करेगी। वस्त्र (परिधान एवं तैयार वस्त्र) क्षेत्र में, सरकार 8.33% ईपीएस अंशदान के भुगतान के अतिरिक्त, नियोक्ताओं के 3.67% ईपीएफ अंशदान का भुगतान भी करेगी।

विवरण

सृजित किए गए रोजगार

योजनाएं/वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	357502	323362	407840	231296 (22.01.2018)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव दिवस (मानव दिवस लाखों में)	16,629	23,521	23577	20671 (01.03.2018)
डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण के बाद रोजगार में नियोजित अभ्यर्थी (व्यक्तियों की संख्या)	54196	134744	84900	69471 (जन., 2018)
कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों को दिया गया नियोजन डीएवाई-एनयूएलएम (व्यक्तियों की संख्या)	63115	33664	151901	83333 (जन., 2018)

खाद्यान्न निर्यात

5600. **श्री राजेश कुमार दिवाकरः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषि उत्पाद शीर्ष के अंतर्गत किस प्रकार के और कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का निर्यात किया गया और उन्हें किन देशों में निर्यात किया गया तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार का देश के किसानों को निर्यात शुल्क में छूट देकर उनके कृषि उत्पादों को सीधे निर्यात करने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एकल खेती/संकुल आधरित कृषि–निर्यात को बढावा देने के लिए स्टार्ट-अप योजना के अंतर्गत किसानों को कम दरों पर ऋण देने, भंडारण और शीतागार श्रृंखला जैसे प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से खाद्यान्नों के निर्यात का उत्पाद-वार और देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ख) वर्तमान में खाद्यान्नों के किसी भी निर्यात पर कोई निर्यात शुल्क प्रभारित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) कृषि वस्तुओं का निर्यात संवर्धन करना एक अनवरत प्रक्रिया है। कृषि उत्पादों के निर्यात सहित निर्यातों का सवंर्धन करने के लिए वाणिज्य विभाग की अनेक योजनाएं जैसे निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम, भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) आदि हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पाद निर्यातकों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तम्बाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड एवं मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत भी सहायता उपलब्ध है। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी करके, विभिन्न बाजारों में विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार पहुँच प्राप्त करने की पहल करके, बाजार आसूचना का प्रसार करके, निर्यातित उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय आदि के माध्यम से निर्यात संवर्धन करते हैं।

उपरोक्त सभी स्कीमों के तहत सहायता किसानों सहित कृषि उत्पादों के सभी निर्यातकों के लिए उपलब्ध हैं।

विवरण

भारत से खाद्यान्न निर्यात की मात्रा और मूल्य

मात्रा लाख मी. टन में; मूल्य मिलियन अम.डा में

विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चावल (बासमती)	36.99	4516.28	40.46	3477.98	39.85	3208.60
चावल (बासमती के अलावा)	83.02	3336.84	64.65	2368.64	67.71	2525.19
मूंगफली	7.88	760.37	5.43	620.36	7.26	809.60
अन्य अनाज	35.15	869.11	9.68	261.18	7.35	212.30
दालें	2.22	199.86	2.56	252.09	1.37	191.05
अन्य तिलहन	2.48	185.04	2.05	147.77	1.93	126.00
गेहूं	29.24	828.75	6.67	164.22	2.66	66.85
कुल	196.99	10696.25	131.48	7292.23	128.12	7139.59

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस

विभिन्न देशों को खाद्यान्नों का निर्यात

मूल्य (मिलियन अम.डॉ. में)

देश	2014-15	2015-16	2016-17
सऊदी अरब	1309.99	939.84	758.69
संयुक्त अरब अमीरात	597.05	648.97	645.45
ईरान	1244.39	606.43	580.47
इराक	292.09	376.78	486.85
नेपाल	302.97	302.62	353.59
बेनिन	250.87	219.38	253.37
इंडोनेशिया	528.30	216.06	236.22
अमेरीका	274.21	264.39	226.28
सेनेगल	226.61	246.22	190.10
गिनी	153.02	133.15	182.49
अन्य देश	5516.74	3338.39	3226.07
कुल	10696.25	7292.23	7139.59

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

[अनुवाद]

भारत से सेवा निर्यात योजना

5601. **श्री एंटो एन्टोनीः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) नामक कोई योजना कार्यान्वित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर.चौधरी)ः (क) और (ख) जी, हाँ। सरकार द्वारा भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) का कार्यान्वयन विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अध्याय 3 के तहत किया जा रहा है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैंः–

(i) आवेदक जिसके पास सक्रिय आयातक निर्यातक कोड है, इस स्कीम के तहत वार्षिक आधार पर लाभों का दावा कर सकता है।

(ii) एसईआईएस लाभ का दावा करने हेतु पात्र सेवाओं की सूची प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के परिशिष्ट 3 घ के अनुसार है। एसईआईएस के तहत जिन प्रमुख सेवा क्षेत्रों को लाभ प्रदान किए गए हैं, वे व्यापार सेवाएँ, संचार सेवाएँ, निर्माण और संबद्ध इंजीनियरिंग सेवाएँ, शैक्षणिक और पर्यावरण संबंधी सेवाएँ, स्वास्थ्य, पर्यटन और यात्रा से संबंधित और परिवहन संबंधी सेवाएँ हैं।

(iii) लाभ शुल्क क्रेडिट स्क्रिपों के रुप में प्रदान किया जाता है जिसका उपयोग सीमा शुल्क सहित कतिपय शुल्कों के भुगतान में किया जा सकता है। शुल्क क्रेडिट स्क्रिपों की वैधता अवधि 24 माह है।

(iv) लाभ वर्ष के दौरान निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) अर्जन और परिशिष्ट 3घ में यथा अधिसूचित दरों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(v) विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा के समय सेवाओं की सभी श्रेणियों की दरों को दिनांक 01.11.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि में प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक समान रुप से 2 प्रतिशत बढ़ाया गया था।

(vi) सेवाओं के निर्यातकों जो एसईआईएस के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, को विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को आयात निर्यात प्रपत्र 3 ख, उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा करना अपेक्षित है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा आवास ऋण का भुगतान

5602. **श्री पी. सी. मोहनः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशदाताओं को उनकी भविष्य निधि के और भविष्य में किए जाने वाले और वर्तमान में किए जा रहे अंशदान से आवास ऋण का भुगतान करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुविधा सभी रैंकों और श्रेणियों के पीएफ अंशदाताओं के लिए उपलब्ध होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईपीएफओ परियोजना अनुमोदित हो जाती है, तो बैंकों जैसे वित्तीय संस्थाओं से कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋण के

प्रति एक प्रतिभूतिदाता होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय अंशदाताओं को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा दी जा रही राजसहायता का लाभ उठाने की अनुमति देगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) रिहायशी मकान अथवा फ्लैट खरीदने अथवा रिहायशी मकान निर्माण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से आहरण हेतु सरकार ने दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 351(अ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 में पैराग्राफ 68खघ अन्तःस्थापित किया है।

भविष्य निधि से निकासी की राशि नियोक्ता के हिस्से के अंशदान और उस पर ब्याज तथा कर्मचारी के हिस्से के अंशदान और उस पर ब्याज के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

इस योजना में परिकल्पना की गई है, कि कोई सदस्य अपने नाम से अथवा सदस्य की पति/पत्नी अथवा सदस्य और पति/पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए ऋण के किसी बकाया मूलधन अथवा ब्याज के पूर्णतया अथवा आंशिकतः, पुनर्भुगतान हेतु मासिक किश्त अधिकृत कर सकता है।

(ग) ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 68खघ(3) के अनुसार, इस पैराग्राफ के अंतर्गत कोई निकासी प्रदान नहीं की जाएगीः-

(I) जब तक कि सदस्य की कम से कम तीन वर्षों के लिए निधि की सदस्यता न हो।

(II) एक से अधिक बार।

(III) जब तक कि सदस्य की/अथवा पति-पत्नी जो एक सदस्य भी है, को साथ मिलाकर, उनकी निधि में जमा राशि में ब्याज सहित अंशदान का हिस्सा बीस हजार रुपये से कम न हो।

(घ) ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 68खघ(2) के परंतुक के अनुसार, आयुक्त समझौते के पक्षकारों के कृत्य के लिए जिम्मेदार अथवा उत्तरदायी नहीं होगा अथवा खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

इसके अतिरिक्त ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 68खघ(4) के परंतुक के अनुसार, जब सदस्य की सदस्यता विद्यमान रहनी ख़त्म हो जाती है, अथवा जहां सदस्य के खाते में जमा राशि किसी भी महीने की मासिक किस्त का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो, आयुक्त अथवा जहां आयुक्त द्वारा ऐसे प्राधिकृत अपने अधीनस्थ कोई अन्य अधिकारी मासिक किस्त अथवा कोई विलम्ब शुल्क अथवा ब्याज अथवा अन्य ऐसे प्रभारों का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे।

(ङ) और (च) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा स्कीम में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा उनकी स्कीम की शर्तों के अनुसार दी जाने वाली सहायिकी का लाभ उठाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

[हिन्दी]

विद्यालयों में सुरक्षा उपाय

5603. **श्रीमती रमा देवीः**
श्री राम टहल चौधरीः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेयान स्कूल में एक बच्चे की मौत के पश्चात उक्त स्कूल में पाई गई खामियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सभी विद्यालयों में सुरक्षा उपाय बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि रेयान स्कूल, गुड़गांव में एक बच्चे की मौत के मामले में सीबीएसई द्वारा नियुक्त दो सदस्यीय दल ने मामले की जांच की थी। जांच समिति द्वारा स्कूल में निम्नलिखित मुख्य खामियां पाई गईः

> "स्कूल द्वारा रखे गये ड्राइवर और कंडेक्टर के लिए अलग से कोई शौचालय नहीं था। वे विद्यार्थियों और अन्य कर्मचारियों के लिए बनाए गए शौचालयों का ही प्रयोग कर रहे थे। शौचालयों में बाहर से किसी प्रकार के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए शौचालय की खिड़की पर लोहे की सलाखें भी नहीं थी। शौचालय में छोटे बच्चों के लिए कोई आया या परिचारक भी मौजूद नहीं था। घटना के दिन स्कूल के नियमित प्रधानाचार्य भी

नहीं थे और स्कूल कार्यवाहक प्रधानाचार्य की देखरेख में था। स्कूल के पास वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र भी नहीं था। स्कूल द्वारा पीने योग्य पानी भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। स्कूल में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। स्कूल में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त नहीं थे और कार्य भी नहीं कर रहे थे। चारदीवारी की ऊंचाई भी पर्याप्त नहीं थी। ऊपरी मंजिलें, जो कि उपयोग में नहीं आती हैं, स्कूली बच्चों के प्रवेश से न तो सुरक्षित थी और नहीं ही उन्हें बंद किया गया था। स्कूल प्रबंधन मृत्यु की सूचना पुलिस और शिक्षा विभाग को देने में असफल रहा और इसकी सूचना माता-पिता द्वारा पुलिस को दी गई थी।"

(ख) से (घ) घटना की सूचना मिलते ही तुरंत, सीबीएसई द्वारा सरकारी स्कूल के एक प्रधानाचार्य और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त वाली एक जांच समिति गठित की गई और जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर स्कूल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस बीच, राज्य सरकार द्वारा गुरुग्राम के उपायुक्त को स्कूल के प्रशासक के रूप नियुक्त किया गया। इसके बाद, उपायुक्त-सह-प्रशासक की ओर से एक पत्र मिला कि खामियों को बेहतर कर लिया गया है और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल का संबंधन रद्द ना किया जाए। हरियाणा सरकार से इस मामले में उनकी स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है।

(ङ) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश अर्थात (i) स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा नियमावली (एनसीपीसीआर); (ii) बाल शैक्षिक संस्थानों के छात्रावासों के लिए विनियामक दिशा-निर्देश (एनसीपीसीआर); (iii) निजी प्ले स्कूलों के लिए विनियामक दिशा-निर्देश (एनसपीसीआर); और (iv) स्कूल सुरक्षा नीति दिशा-निर्देश (एनडीएमए) जारी किए हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में एनआईओएस

5604. **श्री विनोद लखमाशी चावड़ाः**
श्री परेश रावलः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास संसद सदस्य के द्वारा एनआईओएस, गुजरात के क्षेत्रीय निदेशक से मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराए जाने के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनआईओएस, गुजरात के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा सूचना प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) ने सूचित किया है कि माननीय संसद सदस्य द्वारा मांगी गई सभी सूचना क्षेत्रीय निदेशक, एनओआईएस, गुजरात द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। वर्तमान में, किसी भी माननीय संसद सदस्य का कोई पत्राचार क्षेत्रीय निदेशक, एनआईओएस, गुजरात के पास लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एनआईओएस द्वारा सूचना देना

5605. **श्री परेश रावलः**
श्री डी. एस. राठौड़ः
श्री विनोद लखमाशी चावड़ाः
श्री देवुसिंह चौहानः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि संसद सदस्यों द्वारा मांगी गई जानकारी एनआईओएस, गुजरात एवं मुख्यालय प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना एनआईओएस, गुजरात के आरटीआई अधिकारी द्वारा आरटीआई आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई जाती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो संबंधित आरटीआई अधिकारी के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) ने सूचित किया है कि उनके द्वारा माननीय संसद सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

(ख) एनआईओएस ने सूचित किया है कि आरटीआई आवेदनों के तहत मांगी गई सभी सूचनाएं उनके द्वारा उपलब्ध

करवा दी गई हैं। वर्तमान में, एनआईओएस, गुजरात से संबंधित कोई आरटीआई आवेदन लंबित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आरटीई के अंतर्गत अल्पसंख्यक विद्यालयों हेतु छूट

5606. **श्रीमती किरण खेरः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अल्संख्यक विद्यालयों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण में छूट दिए जाने पर चर्चा करने के लिए गठित एनसीपीसीआर समिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त समिति ने क्या प्रगति की है तथा क्या अल्पसंख्यक विद्यालयों के साथ हितधारकों की बैठकें हो चुकी हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अल्पसंख्यक विद्यालयों को छूट की वैधता/अवैधता के संबंध में सरकार किन मानदंडों पर विचार कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा)ः (क) और (ख) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सूचित किया है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में 25% छूट देने पर चर्चा करने के लिए इस प्रकार की किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि, एनसीपीसीआर द्वारा आयोजित एक विचार सभा में बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोगों (एससीपीसीआर) के अध्यक्षों और सदस्यों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 को 2012 में संशोधित किया गया था ताकि यह स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि उक्त अधिनियम के उपबंध, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के उपबंधों के अध्यधीन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने पर लागू होंगे। यह अधिनयम उन मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा, जो मुख्यतया धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं।

एम.एन.सी. टेक हायरिंग

5607. **डॉ. कंभमपति हरिबाबूः** क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कौशल विकास कार्यक्रमों के तीव्र गति से कार्यान्वयन होने के कारण वर्ष 2017 में बहु राष्ट्रीय कंपनी (एम.एन.सी.) में टेक हायरिंग में 29 प्रतिशत का उछाल आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन विभागों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने नौकरियों में बढ़ोत्तरी सूचित की है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान नौकरियों में बढ़ोत्तरी का विभाग-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)ः (क) से (ग) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने देश में बढ़ती हुई भौगोलिक तथा क्षेत्र व्यापी कौशल विकास आवश्यकताओं को समझने के लिए अध्ययन कराया है। 2016 के पर्यावरण आधारित स्कैन, जिसमें 2012 के अध्ययन के निष्कर्षो को अद्यतन किया गया है, में वर्ष 2017-2022 के भीतर 24 सेक्टरों, जिनमें भवन निर्माण तथा रियल एस्टेट, खुदरा, लॉजिस्टिक, यातायात तथा वेयरहाउसिंग आदि भी शामिल है, हेतु बढ़ती हुई मानव संसाधन आवश्यकताओं का अनुमान 103.4 मिलियन लगाया गया था।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय उद्योग संगत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें देश के युवाओं को नियोजनीय कौशल उपलब्ध कराया जाता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का आरंभ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करने तथा उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने और देश की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से 2015 में किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2016-20) के तैनाती गाइडलाइन के अनुसार प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रमाणित उम्मीदवारों को तैनाती प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। छात्रों को तैनाती में सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं पर प्रत्येक छह माह भीतर तैनाती/रोजगार मेले आयोजित करने की जिम्मेदारी है, जिसमें सेक्टर कौशल परिषदों का सहयोग प्राप्त होगा। इससे अभिलाषी युवाओं के लिए स्थानीय उद्योग में भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सकेगी। आज तक 41.30 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पूरा किया है, जिनमें से 6.15 लाख उम्मीदवारों को गत तीन वर्षो के भीतर पीएमकेवीवाई के तहत तैनाती प्रदान की गई है।

अतिथि शिक्षक

5608. **श्री गणेश सिंहः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईटी/आईआईएम) के अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.जा./अ.ज.जा.) प्रोफेसरों का ब्यौरा क्या है और क्या

यह 1993 के पिछड़ा वर्ग हेतु विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट की अनुशंसाओं के अनुसार है;

(ख) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में तदर्थ अध्यापक और अतिथि शिक्षक नियुक्ति किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय में सभी स्थाई और अस्थाई पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है; और

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग की बैकलॉग रिक्तियों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भव्य प्रतिमाओं की स्थापना

5609. **डॉ. ममताज़ संघमिताः**
श्री हरि ओम पाण्डेयः
डॉ. रत्ना डे (नाग)ः
श्री संतोष कुमारः

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों विशेषकर वर्धमान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहादुर स्वतन्त्रता सेनानियों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश में अब तक इस संबंध में शुरू की गई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) संस्कृति मंत्रालय द्वारा महान विभूतियों की जन्मशतियां और उनकी तथा हमारे देश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण/स्मरणीय घटनाओं की 125वीं/150वीं/175वीं वर्षगांठ आदि जैसे अन्य विशिष्ट अवसरों के स्मरणोत्सव मनाए जाते हैं। देश के विभिन्न भागों में बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की भव्य मूर्तियां स्थापित करने हेतु संस्कृति मंत्रालय की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय के कुलपति

5610. **डॉ. अनुपम हाज़राः**
प्रो. सौगत रायः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के लिए एक स्थायी कुलपति (वीसी) नियुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या विशेषज्ञ पैनल ने कुलपति के चयन हेतु एक सूची तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एक स्थायी कुलपति की नियुक्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि कुलपति के अभाव में विश्वविद्यालय के दैनंदिन प्रशासन में अनेक समस्याएं आ रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो मुद्दों का समाधान करने के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ङ) विश्व-भारती में कुलपति की नियुक्ति हेतु गठित समिति द्वारा पूर्व अनुसंशित पैनल को कुछ नए तथ्यों जो विजिटर को पैनल की प्रस्तुति के बाद सामने आए थे, पर विचार करने के बाद विश्वविद्यालय के विजिटर की हैसियत में भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से भंग कर दिया गया था।

विश्वविद्यालय के दैनिक प्रशासन की देखभाल कार्यकारी कुलपति द्वारा की जाती है जो विश्वभारती अधिनियम, 1951 और उसके तहत बनाई गई संविधियों और विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में कुलपति के कर्तव्यों का निवर्हन कर रहे हैं। नियमित कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की गई है और इस पद हेतु फिर से विज्ञापन दिया गया है।

[हिन्दी]

सीमा व्यापार

5611. **श्री रामस्वरूप शर्माः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिमाचल प्रदेश की चीन के साथ लगती सीमा पर चीन के साथ वार्षिक व्यापार लगभग बन्द हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इस व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी) (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश की चीन से लगती सीमा पर चीन के साथ व्यापार भू-सीमा शुल्क केन्द्र, शिपकिला के माध्यम से होता है। यह व्यापार मौसमी प्रकृति का है और 1 जुलाई से 30 नवम्बर के बीच होता है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान शिपकिला से होकर हुए व्यापार का मूल्य अधोलिखित हैः

शिपकिला, हिमाचल प्रदेश से होकर सीमा व्यापार

वित्तीय वर्ष	एक्जिम व्यापार का मूल्य
2016-17	8.59 करोड़ रुपये
2017-18	0.59 करोड़ रुपये

स्रोतः सीबीईसी

सीमा पार वस्तुओं की अनुपलब्धता, पशु व्यापार पर प्रतिबंध इत्यादि सहित विभिन्न कारकों के कारण इस व्यापार में यह मंदी आई है।

(ग) उपायुक्त-सह-व्यापार प्राधिकारी, शिपकिला होकर भारत-चीन सीमा व्यापार, जिला किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) ने राज्य सरकार को सीमा व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्य से छपन में एक विनिर्दिष्ट संगरोध केन्द्र और ट्रेड मार्ट के लिए आवश्यक संरचना स्थापित करने के बारे में सूचित किया है।

शिक्षा बजट का उपयोग

5612. **श्री राजीव सातवः**
श्री पी.आर. सुन्दरमः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः
डॉ. जे. जयवर्धनः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शिक्षा बजट हेतु आवंटित धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषतः बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जारी किए गए कुल शिक्षा बजट/उपयोग किए गए बजट का वर्ष/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुपात क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त अवधि के दौरान कुल आवंटन का अल्प उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संरक्षण, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह)ः (क) से (घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए कुल बजट आकलन, संशोधित आकलन, वास्तविक व्यय और कुल शिक्षा बजट (बालिकाओं सहित) उसका भाग निम्नवत हैः—

उच्चतर शिक्षा विभाग

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट आकलन (बीई)	संशोधित आकलन (आरई)	वास्तविक व्यय	आरई के संबंध में वास्तविक व्यय का %
2014-15	27656.00	23700.00	23169.17	97.76
2015-16	26855.26	25699.00	25542.26	99.39
2016-17	28840.00	29703.20	29026.47	97.72
2017-18	33329.70	34862.46	31643.69*	90.77

*दिनांक 23.03.2018 की स्थिति के अनुसार

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट आकलन (बीई)	संशोधित आकलन (आरई)	वास्तविक व्यय	आरई के संबंध में वास्तविक व्यय का %
2014-15	55115.10	46805.00	45756.59	97.76
2015-16	42219.50	42286.50	41809.28	98.87
2016-17	43554.00	43896.04	40983.98	93.37
2017-18	46356.25	47006.25	45096.75*	95.94

*दिनांक 26.03.2018 की स्थिति के अनुसार

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों वार सूचना का रखरखाव नहीं किया जाता है।

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत किया गया वास्तविक व्यय राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रमाणपत्र की प्राप्ति, अव्ययित शेष, राज्यभाग का प्रावधान, व्यय की गति आदि सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

औद्योगिकी इकाइयों की स्थापना करना

5613. **श्री राजन विचारे:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत महाराष्ट्र में स्थापित की गई औद्योगिक इकाइयों की संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित नौकरियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) और (ख) 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरूआत 25 सितंबर, 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य निवेश को आसान बनाना, नवाचार का पोषण करना, श्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना उपलब्ध कराना, भारत में व्यवसाय को आसान बनाना और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित के तहत विशेष कार्रवाई हेतु 21 प्रमुख क्षेत्रों के लिए कार्रवाई योजनाओं की पहचान की गई है (i) नीतिगत पहल (ii) राजकोषीय प्रोत्साहन (iii) अवसंरचना सृजन (iv) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (v) नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास (vi) कौशल विकास क्षेत्र।

मेक इन इंडिया पहल के तहत अनेक केंद्रीय सरकार मंत्रालयों/विभागों तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर निवेश संवर्धन क्रियाकलाप आयोजित किए जा रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों के बारे में राज्य-वार ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) 'मेक इन इंडिया' पहल का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं का कौशल विकास और रोजगार सृजन है। इन पहलों के तहत सृजित रोजगार के आंकड़ों का केंद्रीय रूप से संकलन नहीं किया जाता है।

छात्रों हेतु परामर्श सुविधा

5614. **श्री राकेश सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अन्य देशों की तर्ज-पर छात्रों को 8वीं और 10वीं कक्षा के बाद उनकी अभिरुचि के विषय में उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनको विशेष परामर्श प्रदान करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) और (ख) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) कार्यान्वयन कार्यढांचा माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या क्षेत्रों में बेहतर स्कूली प्रदर्शन और विद्यार्थियों को बनाए रखने को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों के रोजगार विकास और उन्हें समायोजन की सुविधा प्रदान करने, अध्ययन, स्वयं, कार्य और अन्य के संबंध में सही रवैया विकसित करने के संबंध में परामर्शी सेवाओं और मार्गदर्शन देने की भूमिका को रेखांकित करता है। यह कार्यढांचा यह व्यवस्था करता है कि प्रत्येक स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श

हेतु कम से कम एक और अधिकतम दो प्रशिक्षित शिक्षक (एक महिला और एक पुरुष) होने चाहिए। इसके मद्देनजर, आरएमएसए के अंतर्गत सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण में भी परामर्श से संबंधित एक माड्युल को शामिल किया गया है। आरएमएसए के तहत मार्गदर्शन और परामर्श हेतु अनुमोदित परिव्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

विवरण

आरएमएसए के तहत गाइडेंस और परामर्शी कार्यकलापों हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमोदित परिव्यय

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय (लाख में)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.25
आंध्र प्रदेश	0.5
असम	3.74
चंडीगढ़	7
छत्तीसगढ़	17.91
दादरा और नगर हवेली	7.22
गोवा	55.91
गुजरात	180.34
हरियाणा	84.4
जम्मू और कश्मीर	411.15
कर्नाटक	117.74
केरल	52.7
लक्षद्वीप	19
मध्य प्रदेश	100.52
महाराष्ट्र	300
मणिपुर	17.57
मेघालय	10.15
मिजोरम	35.1
नागालैंड	56.22
ओडिशा	5.66
पुदुचेरी	2.9
पंजाब	61.78
राजस्थान	4.24
सिक्किम	28.3
तमिलनाडु	44.5
त्रिपुरा	8.84
उत्तर प्रदेश	40.22
उत्तराखंड	94.57
कुल	1780.43

[अनुवाद]

सकल सुलभता अनुपात

5615. **डॉ. भागीरथ प्रसादः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत सकल सुलभता अनुपात क्या है;

(ख) उनमें से कक्षा 9वीं और 10वीं कक्षा में पहुंचने वाले छात्रों की संख्या क्या है; और

(ग) बीच में पढ़ाई छोड़ देने के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके वार्षिक कार्य योजना और बजट 2017-18 में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सकल पहुंच अनुपात 86.48 प्रतिशत है।

(ख) एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडाइस) 2015-16 के अनुसार कक्षा 8वीं से कक्षा 9वीं में अंतरण दर 90.62 प्रतिशत है और माध्यमिक स्तर पर 3.91 करोड़ छात्रों को नामांकित किया गया है।

(ग) माध्यिमक शिक्षा चरण पर छात्रों के स्कूल बीच में छोड़ने के प्रमुख कारण निम्न हैं: परिवहन सुविधाओं का अभाव, अभिभावकों का प्रवसन, अभिभावकों का अनपढ़ होना, सामाजिक-आर्थिक कारक, बच्चों को कार्य में लगाना, कम आयु में विवाह,

किशोरावस्था संबंधी मामले, घरेलु कार्य में बालिका को लगाना और भाई-बहन की देखभाल, बालिका शिक्षा की दिशा में सामाजिक मनोवृत्ति, शिक्षा के माध्यम की समझ का अभाव आदि।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), केन्द्रीय प्रायोजित योजना का एक उद्देश्य माध्यमिक चरण पर छात्रों के स्कूल बीच में छोड़ देने की दर को कम करना है। इस योजना में माध्यमिक चरण पर स्कूल बीच में छोड़ देने की दर कम करने और विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और बालिका छात्रों के नामांकन दर को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्षों, कला/शिल्प/संस्कृति कक्षों, शौचालयों, पेयजल सुविधाएं इत्यादि प्रदान करते हुए नए माध्यमिक स्कूलों की स्थापना और मौजूदा माध्यमिक स्कूलों के सुदृढ़ीकरण द्वारा पहुंच में सुधार करने का प्रावधान है। आरएमएसए के अतर्गत हस्तक्षेप जैसे स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान और सर्वेक्षण, जागरूकता कार्यक्रम, अधिगम संवर्धन हेतु विशेष शिक्षण आदि भी प्रदान किए जाते हैं।

डब्ल्यूटीओ में आयात शुल्कों में वृद्धि का मामला

5616. **कुमारी सुष्मिता देवः**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई व्यापार विशेषज्ञों और निर्यातकों ने कई उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि के कदम के विरुद्ध अमेरिका को विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ विवाद तंत्र में घसीटने के लिए सरकार से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्यातको और व्यापार विशेषज्ञों द्वारा की गई ऐसी मांगों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने कतिपय उत्पादों पर अमेरिका द्वारा शुल्क में वृद्धि के प्रभाव संबंधी गहन अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) और (ख) जी नहीं । वाणिज्य विभाग को अभी तक यू.एस को डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय में ले जाने का कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी हाँ।

(घ) अपने निर्यातों को बढाना सरकार की प्रोएक्टिव नीति है और समय - समय पर द्विपक्षीय व्यापार में उठने वाले मुद्दों को संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ उच्चतम स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर उठाया जाता है । भारत ने यू . एस. के समक्ष भारत को इस्पात और एल्यूमिनियम प्रशुल्क में छूट देने का मामला भी उठाया है । इस मामले के द्विपक्षीय स्तर पर हल न होने की स्थिति में भारत इस मुद्दे से निपटने के लिए सभी विकल्पों को जांच रहा है।

[हिन्दी]

स्पंज लौह संयंत्र

5617. **श्री लखन लाल साहुः** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रचालित निजी और सरकारी क्षेत्र के स्पंज लौह संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त संयंत्रों में रोजगार सृजन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संयंत्रों में स्थानीय जनसंख्या के लिए रोजगार का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): (क) वर्ष 2016-17 के दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के स्पंज आयरन संयंत्रों की संख्या संलग्न विवरण-I दी गई हैं।

(ख) वर्ष 2012-13 में संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान घरेलू स्पंज आयरन बाजार में कुल रोजगार 1,15,927 था। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं।

(ग) और (घ) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के नाते सरकार की भूमिका सुविधादाता के रूप में ही सीमित है, जो उद्योग के निरंतर विकास और प्रतिस्पर्धात्मक विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान करती है। निजी इस्पात क्षेत्र में कर्मचारियों की भर्ती संबंधी विशेष निर्णय व्यक्तिगत इस्पात कंपनियों/निवेशकों द्वारा उनकी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर लिए जाते हैं। सीपीएसयू के मामले में भर्ती सरकारी दिशा-निर्देशों के आधार पर होती है।

विवरण-I

भारतीय स्पंज आयरन उद्योग का क्षेत्रवार ब्यौरा, 2016-17

क्षमता और उत्पादन('000 टन में)

राज्य	इकाइयों की संख्या	वार्षिक क्षमता	उत्पादन
निजी क्षेत्र			
झारखंड	64	3751	872
ओडिशा	85	14556	6321
पश्चिम बंगाल	41	3652	2410
पूर्वी क्षेत्र कुल	190	21959	9603
छत्तीसगढ़	59	7812	6336
गोवा	3	202	3849
महाराष्ट्र	8	3422	1926
गुजरात	1	6700	3204
पश्चिमी क्षेत्र कुल	71	18136	15314
उत्तरी क्षेत्र कुल	0	0	0
आंध्र प्रदेश	7	771	428
कर्नाटक	32	3923	2705
तमिलनाडु	7	557	367
तेलंगाना	12	601	339
दक्षिणी क्षेत्र कुल	58	5852	3838
कुल निजी क्षेत्र	319	45947	28756
सार्वजनिक क्षेत्र			
तेलंगाना	1	60	6
कुल सार्वजनिक क्षेत्र	1	60	6
कुल सार्वजनिक+निजी	320	46007	28762

स्रोतः जेपीसी

विवरण-II

भारतीय स्पंज आयरन उद्योग में रोजगारः 2012-13

राज्य	रोजगार (संख्या)
झारखंड	5675
ओडिशा	51962
पश्चिम बंगाल	15998
छत्तीसगढ़	20990
गोवा	519
गुजरात	250
महाराष्ट्र	5246
आंध्र प्रदेश	5015
कर्नाटक	9496
तमिलनाडु	776
कुल योग	115927

स्रोतः जेपीसी, सर्वेक्षण 2012-13

[अनुवाद]

जेएनवी और केवी

5618. **श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरियाः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नवगठित मोरबी जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय और एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने को अनुमोदन प्रदान किया है और गुजरात के ऐसे जिले कौन से हैं जिनको कवर नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और सरकार के इस कदम से अनुमानित कितने विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात के नवगठित मोरबी जिले और कवर नहीं किए गए जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु कोई लक्ष्य तय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा)ः (क) और (ख) नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय (ज.न.वि) खोले जाने का प्रावधान है। गुजरात के 08 जिलों अर्थात मोरबी, द्वारका, साबर कांठा, सूरत, जूनागढ़, बोटाड, महीसागर और छोटा उदयपुर सहित देश के (दिनांक 31.5.2014 की स्थिति के अनुसार) 62 असेवित जिलों में नए जनवि संस्वीकृत किये गये हैं। एक पूर्ण सुसज्जित जनवि 560 छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और

इस प्रकार इन जनवि से समेकित रूप से 4480 छात्रों को लाभ मिलने की संभावना है।

केंद्रीय विद्यालय मुख्यतः रक्षा कर्मियों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। बशर्ते कि भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव, जिसमें नए केवि की स्थापना के लिए अपेक्षित संसाधनों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई हो, प्राप्त हो और साथ ही सरकार की आवश्यक संस्वीकृति उपलब्ध हो! केवि की स्थापना संबंधी अंतिम निर्णय व्यवहार्यता रिपोर्ट, "चुनौति पद्धति" के तहत अर्हता और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर करता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) ने सूचित किया है कि उसे मोरबी जिले में एक केंद्रीय विद्यालय सहित गुजरात राज्य से नए केंद्रीय विद्यालय खोलने संबंधी 08 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, इनमें से कोई भी प्रस्ताव केविसं के मानकों के अनुसार व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(ग) ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी इस्पात उपक्रमों में वेतन संशोधन

5619. **श्री बलभद्र माझीः**
श्री फग्गन सिंह कुलस्तेः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान सरकारी इस्पात उपक्रमों (पी.एस.यू.) के वित्तीय कार्य निष्पादन की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनमें दूसरे और तीसरे वेतन संशोधनों को लागू करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एस.ए.आई. एल. और आर.आई.एन.एल. के मामले में दिनांक 3.8.2017 के डी.पी.ई. कार्यालय ज्ञापन के वहनीयता खण्ड के प्रावधानों से छूट देने के लिए सरकार द्वारा सरकारी उपक्रम-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण भारतीय इस्पात कंपनियों का वित्तीय कार्यनिष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): (क) देश में इस्पात निर्माण के दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) नामशः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) हैं। दूसरे वेतन संशोधन समिति की रिपोर्ट पर आधारित दिनांक 01.01.2007 से प्रभावी वेतन संशोधन को सेल और आरआईएनएल में लागू कर दिया गया है। तथापि, दिनांक 03.08.2017 के डीपीई दिशा-निर्देशों में वहनीयता शर्त के प्रावधानों के मद्देनजर सेल और आरआईएनएल में तीसरे वेतन संशोधन समिति की रिपोर्ट पर आधारित दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी वेतन संशोधन को लागू नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने इस्पात क्षेत्र के सीपीएसई के लिए वहनीयता की शर्त के प्रावधानों में छूट प्रदान करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। डीपीई दिशा-निर्देशों में बताई गई वहनीयता शर्त सभी सीपीएसई पर लागू होती है।

(घ) और (ङ) इस्पात की उत्पादन लागत और फलतः स्टील सीपीएसई का वित्तीय निष्पादन विभिन्न घटकों यथा- विद्युत, श्रम, संयंत्र की दक्षता, लौह अयस्क एवं कोकिंग कोल के अतिरिक्त लॉजिस्टिक इत्यादि की कीमतों पर निर्भर करता है। कोकिंग कोल का औसतन प्राप्ति मूल्य वर्ष 2015-16 में 85 अमेरिकी डॉलर प्रति टन (लगभग) से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 188 अमेरिकी डॉलर प्रति टन (लगभग) हो गया है। चूंकि, कोकिंग कोल और लौह अयस्क की लागत कुल लागत के 50% से अधिक होती है, इसलिए इस वृद्धि से स्टील सीपीएसई के वित्तीय निष्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और कीमत लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यमान दीर्घकालीन आपूर्तिकर्ताओं के साथ नए आपूर्तिकर्ता बढ़ाए गए हैं। स्टील सीपीएसई ब्लेंड में स्वदेशी कोकिंग कोल के उपयोग को भी बढ़ा रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र

5620. **श्री धर्मेन्द्र यादवः**
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी/टूल रूम्स और प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों के नेटवर्क का क्रमोन्नयन करने

और उनका विस्तार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) मौजूदा टी.सी. का क्रमोन्नयन कर रहा है और प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टी.सी.एस.पी.) के अंतर्गत 15 नए टी.सी. की स्थापना कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या विश्व बैंक टी.सी.एस.पी. को सहायता देने को सहमत हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने टी.सी.एस.पी. के लिए मुफ्त जमीन आवंटित की है; और

(ङ) ये टी.सी. एम.एस.एम.ई. के विकास और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में किस रूप में और कितने लाभकारी होंगे और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): (क) से (ग) जी, हां। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के पास, विश्व बैंक की 2200 करोड़ रुपये की अनुमानित सहायता से, 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना करने तथा मौजूदा टीसी के उन्नयन करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) है।

(घ) जिन राज्यों ने टीसीएसपी के लिए भूमि आवंटित की है वे इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और तमिलनाडु।

(ङ) इस कार्यक्रम के विकास का उद्देश्य वित्तीय रूप से सक्षम प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) की प्रणालियों के माध्यम से एमएसएमई की प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बढ़ाकर तथा उन्हें व्यापार संबंधी सलाहकार सेवाएं प्रदान कर एवं कुशल कामगार उपलब्ध कराकर उनकी उत्पादकता को बढ़ाना है।

आज की तारीख तक लगभग 242 करोड़ रुपये भवन निर्माण और मशीनरी की खरीद पर खर्च किए जा चुके हैं।

ईपीएफओ अंशदाताओं का पंजीकरण

5621. **श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:**
श्री अनिल शिरोले:
श्री जॉर्ज बेकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत ग्राहकों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) रोजगार डाटा सर्वेक्षण के अंतर्गत कंपनी हेतु निर्धारित मापदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मौजूदा सर्वेक्षण में कुछ संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक कार्यान्वियत किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य खातों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) श्रम ब्यूरो ने क्रमिक तिमाहियों में गैर-कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के काफी बड़े भाग में नियोजन की स्थिति में सापेक्ष परिवर्तन को मापने के लिए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) कराया था। सर्वेक्षण में शामिल की जाने वाली इकाई अर्थात् कंपनी/साझेदार फर्म/एकायत्त फर्म आदि के लिए मुख्य मापदण्ड यह है कि चयनित आठ प्रमुख संगठित क्षेत्र नामतः निर्माण, सन्निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां तथा आईटी/बीपीओ के 10 या इससे अधिक कामगारों वाले प्रतिष्ठान का, जो छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) में शामिल हैं, उक्त सर्वेक्षण के लिए प्रतिदर्श ढांचे के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

(ग) एवं (घ) सरकार ने हाल ही में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण, (क्यूईएस) जिसे क्षेत्र ढांचा सर्वेक्षण के नाम से जाना जाएगा, के कवरेज का विस्तार 10 से कम कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को भी शामिल करके किया है, जो तिमाही आधार पर रोजगार परिदृश्य में परिवर्तन के सम्पूर्ण चित्र को प्रस्तुत करेगा। इस सर्वेक्षण के वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित होने का अनुमान है।

विवरण

31.03.2017 के अनुसार ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों के खातों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सदस्यों के खातों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34933
2.	आंध्र प्रदेश	3755279

1	2	3
3.	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय सहित असम	945193
4.	बिहार	1235709
5.	चंडीगढ़	3160330
6.	छत्तीसगढ	1547123
7.	दिल्ली	15546706
8.	गोवा	1316705
9.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सहित गुजरात	15260059
10.	हरियाणा	14041586
11.	हिमाचल प्रदेश	1362504
12.	झारखंड	1997937
13.	कर्नाटक	22497385
14.	केरल सहित लक्षद्वीप	2973688
15.	मध्य प्रदेश	4403751
16.	महाराष्ट्र	38417086
17.	ओडिशा	2925452
18.	पंजाब	3051343
19.	राजस्थान	4923490
20.	पुदुचेरी सहित तमिलनाडु	23653089
21.	तेलंगाना	10692231
22.	उत्तर प्रदेश	8349214
23.	उत्तराखंड	2714784
24.	सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल	8586283
	कुल	193391860

ईपीएफओ खातों में अंशदाता ब्यौरा

5622. **श्री दुष्यंत चौटालाः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लगभग 80 मिलियन खातों में से बड़ी संख्या में कथित तौर पर अंशधारकों के संबंध में पर्याप्त पूर्ण विवरण नहीं हैं जिसमें उनकी ज्वाइन करने की तिथि, जन्म तिथि और पिता का नाम इत्यादि शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार में ईपीएफओ खातों में अंशधारकों के ब्यौरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कोई संवीक्षा समिति स्थापित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) ऐसे कुछ खाते है, जहां रिकॉर्डो मे जन्म तिथि सहित अंशधारकों का विवरण उपलब्ध नहीं है। जिन खातों में कार्यग्रहण की तारीख, जन्म तिथि या पिता का नाम उपलब्ध नहीं है, वे निम्नुसार हैः–

रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं	खातों की संख्या
जन्म तिथि	83804469
कार्य ग्रहण की तारीख	78306246
पिता का नाम	110731613

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सभी सदस्यो से संबंधित सभी विवरणों को पूरा करना एक नियमित और सतत प्रक्रिया है।

एएसआई द्वारा विदेश में किए गए पुनरुद्धार कार्यों का ब्यौरा

5623. **श्री बी. विनोद कुमारः** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेशों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) पुनरुद्धार कार्य करता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दस वर्षों के दौरान ऐसे कार्यों पर वर्ष-वार और देश-वार कितना व्यय हुआ है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर कंबोडिया में ता-प्रोम मंदिर, लाओस पीडीआर में वातफू मंदिर, म्यांमार में आनंद मंदिर और वियतनाम में माई सन मंदिर समूह का संरक्षण कार्य अपने हाथों में लिया है। इन कार्यो के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश में भारत के संबंधित दूतावासों

को निधियां आवंटित की जाती हैं जो संरक्षण कार्य निष्पादित करने वाली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को आवश्यकता अनुसार राशि उपलब्ध कराते हैं। इन स्थलों का संरक्षण कार्य, इन देशों के प्राधिकारियों और हमारे दूतावासों के साथ विचार-विमर्श करके निष्पादित किए जाते हैं।

वन अधिकार अधिनियम

5624. **श्री गौरव गोगोईः**
श्रीमती रीती पाठकः
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियाः

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों से कहा है कि वे अनुसूचित जाति तथा परंपरागत वन निवासी (वन-अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के तहत भूमि प्रदान करने हेतु किए गए दावों की संख्या का ब्यौरा दें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से अधिनियम के तहत भूमि प्रदान करने हेतु किए गए दावों की संख्या का ब्यौरा मांगा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने हेतु सी. एंड ए.जी. अथवा किसी अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा कोई निष्पादन संपरीक्षा कराने का विचार है ताकि वनों और वन्य जीव क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों का अनावश्यक उत्पीड़न न किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत)ः (क) रिट याचिका (सिविल) संख्या 50/2008 भारतीय वन्य जीवन ट्रस्ट तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 07.03.2018 के अपने आदेश में 26 राज्य सरकारों तथा 2 संघ राज्यक्षेत्रों को निम्नलिखित सूचनाएं दर्शाते हुए शपथ पत्र के रूप में एक सारणीबद्ध विवरण दायर करने का निदेश दिया हैः

(i) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत भूमि प्रदान करने के लिए दावों की संख्या;

(ii) दावे, अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा अलग से किए गए दावों में विभाजित होने चाहिए;

(iii) प्रत्येक श्रेणी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निरस्त दावों की संख्या;

(iv) भूमि की सीमा जिस पर ऐसे दावे किए गए थे तथा प्रत्येक दो श्रेणियों के संबंध में रद्द दावे;

(v) उन दावेदारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई जिनके दावे रद्द कर दिए गए हैं;

(vi) उन दावेदारों की बेदखली की स्थिति जिनके दावे रद्द कर दिए गए हैं तथा क्षेत्र की कुल सीमा जहां से उन्हें बेदखल किया गया;

(vii) उन क्षेत्रों की सीमा जिनके संबंध में अभी तक बेदखली नहीं हुई है उनके संबंध में अस्वीकृत दावे।

यह सूचना प्रदान करने के लिए अंतिम तिथि 31.12.2017 है। जैसा ऊपर दर्शाया गया है कि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा चार० सप्ताह की अवधि के अंदर सूचना प्रस्तुत की जानी है। उक्त आदेश में न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को कोई निदेश नहीं दिया है।

(ख) और (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से नियमित रूप से निविष्टिया प्राप्त करता है जिसमें वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत किए गए दावों की संख्या शामिल है। अद्यतन मासिक प्रगति रिपोर्ट जनजातीय कार्य मंत्रालय की बेवसाइट पर भी डाली गई है। अद्यतन मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं है।

विवरण

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दिनांक 30.11.2017 तक प्राप्त दावों की संख्या, संवितरत अधिकार पत्रों की संख्या, रद्द दावों की संख्या तथा निपटाए गए दावों की संख्या के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	30.11.2017 तक प्राप्त दावों की संख्या			30.11.2017 तक संवितरित अधिकार पत्रों की संख्या			निरस्त दावों की संख्या	निपटाए गए दावों की कुल संख्या	प्राप्त दावों के संबंध में निपटाए गए दावों का %
		व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल			
1.	आंध्र प्रदेश	1,69,153	4,726	173879	87,861	1,428	89,289	55,397	1,44,686	83.21%
2.	असम	1,48,965	6,046	1,55,011	57,325	1,477	58,802	0	58,802	37.93%
3.	बिहार	8,022	0	8,022	121	0	121	4,215	4,336	54.05%
4.	छत्तीसगढ़	8,52,530	27,548	8,80,078	386,206	14,161	4,00,367	4,59,799	8,60,166	97.74%
5.	गोवा	9758	372	10,130	17	8	25	311	336	3.32%
6.	गुजरात	1,82,869	7,187	1,90,056	81,178	3,516	84,694	0	84,694	44.56%
7.	हिमाचल प्रदेश	591	68	659	53	7	60	0	60	9.10%
8.	झारखंड	99,224	3,286	1,02,510	54,458	1,723	56,181	27,652	83,833	81.78%
9.	कर्नाटक	2,98,795	5,741	3,04,536	12,421	628	13,049	1,71,592	1,84,641	60.63%
10.	केरल	36,140	1,395	37,535	24,599	एनए	24,599	7,889	32,488	86.55%
11.	मध्य प्रदेश	5,76,645	39,419	6,16,064	2,20,741	27,275	2,48,016	3,63,584	6,11,600	99.28%
12.	महाराष्ट्र	3,52,950	11,408	3,64,358	1,06,898	5,748	1,12,646	2,31,856	3,44,502	94.55%
13.	ओडिशा	6,05,528	13,062	6,18,590	411,082	5,964	417,046	1,49,711	5,66,757	91.62%
14.	राजस्थान	73,455	700	74,155	37,239	88	37,327	34,528	71,855	96.90%
15.	तमिलनाडु	18,420	3,361	21,781	0	0	0	0	0	0.00%
16.	तेलंगाना	1,83,107	3,427	1,86,534	93,494	721	94,125	82,572	1,76,787	94.77%
17.	त्रिपुरा	1,98,238	277	1,98,515	1,25,020	55	1,25,075	65,779	1,90,854	96.14%
18.	उत्तर प्रदेश	92,520	1,124	93,644	17,712	843	18,555	74,945	93,500	99.85%
19.	उत्तराखंड	182	0	182	0	0	0	1	1	0.55%
20.	पश्चिम बंगाल	1,31,962	10,119	1,42,081	44,444	686	45,130	96,587	1,41,717	99.74%
	कुल	40,39,054	1,39,266	41,78,320	17,60,869	64,328	18,25,197	18,26,418	36,51,615	87.39%

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी परिवहन एजेन्सियों को पैनलबद्ध करना

5625. **श्री हरि ओम पाण्डेयः**
डॉ. रत्ना डे (नाग):
श्री संतोष कुमारः
डॉ. ममताज़ संघमिताः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उबर और ओला जैसी निजी परिवहन एजेंसियों को अपने दायरे में पैनलबद्ध करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) से (ङ) जी, नहीं।

पर्यटकों को निजी परिवहन सेवाएं प्रदान करना निजी उद्यमों की परिधि के अन्तर्गत आता है।

तथापि, पर्यटन मंत्रालय भारत में पर्यटन के संवर्धन हेतु पर्यटकों के लिए क्वालिटी स्तर की सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक परिवहन आपरेटर्स के लिए मान्यता प्रदान करता है। यह स्वैच्छिक योजना सभी अभिकरणों के लिए खुली है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक

5626. **श्री सुधीर गुप्ताः**
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री विद्युत वरण महतोः
श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री ए. अनवर राजाः
कुंवर हरिवंश सिंहः
श्री एस.आर. विजय कुमारः
श्री टी. राधाकृष्णनः
श्री अशोक शंकरराव चव्हाणः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नवाचार संबंधी कृत्तक बल गठित किया है ताकि नवाचार परितंत्र में वृद्धि की जा सके और वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में देश की रैंकिंग में सुधार किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान वैश्विक नवाचार सूचकांक की सूची में भारत का स्थान क्या है और सरकार द्वारा जीआईआई में अपने स्थान में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या प्रतिभा की कमी और अपर्याप्त कौशल नवाचार दक्षता के लिए व्यापार क्षमता को बाधित कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए जा रहे हैं/किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): (क) जी, हां। देश में नवाचार परिवेश को मजबूत बनाने और वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत की रैंकिंग को सुधारने के लिए 2016 में नवाचार कार्यबल की स्थापना की गई थी। इस कार्यबल ने वैश्विक नवाचार सूचकांक के सभी 82 सूचकांकों में भारत की रैंकिंग को सुधारने के लिए उपाय सुझाए हैं। इन सिफारिशों में अभिज्ञान सूचकांकों से उद्देश्य सूचकांकों तक विधि में परिवर्तन, अनुसंधान और विकास में उद्योग-अकादमी सहयोग को बढ़ावा देना, विज्ञान और इंजीनियरिंग शिक्षा पर जोर, व्यावसायिक परिवेश में सुधार और व्यवसाय करने में आसानी आदि शामिल है।

(ख) 2017 की जीआईआई रिपोर्ट में 130 देशों की जीआईआई रैंकिंग में भारत की रैंकिंग 60वीं है। 2015 में 81वें रैंक से 21 स्थानों का सुधार हुआ है और 2016 में 66वीं रैंक से 6 स्थानों का सुधार हआ है। भारत सरकार ने जीआईआई में भारत की रैंकिंग सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत में व्यवसाय करने की आसानी में सुधार करने के लिए देश में नवाचार परिवेश और बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। अतः आईपी आवेदनों के बैकलॉग को कम करने के लिए आईपी प्रक्रिया की पुनर्रचना की गई है और श्रम शक्ति को बढ़ाया गया है। स्टार्टअप इंडिया पहल में इन्क्यूबेटर्स को सहायता तथा स्टार्टअप्स की सुविधा के लिए उठाए गए कदम भी शामिल हैं। अनुसंधान और विकास में उद्योग अकादमी सहयोग के लिए अनुसंधान पार्कों की स्थापना की

गई है। कई विभिन्न पहले जैसे कि कंपनी के पंजीयन की प्रक्रिया को आसान बनाना, दीवालियापन संहिता, 2016, डिजीटल इंडिया और स्किल इंडिया का कार्यान्वयन, भी शुरू की गई हैं।

(ग) और (घ) व्यवसाय की नवाचार क्षमता कई कारकों पर निर्भर होती है जिसमें आवश्यक कौशल और प्रतिभा वाली श्रम शक्ति की उपलब्धता शामिल है। जैसा कि प्रतिभा की कमी और अपर्याप्त कौशल से व्यवसाय की नवाचार क्षमता में कमी आती है और इसकी दक्षता में सुधार प्रभावित होता है। भारत सरकार ने देश में नवाचार परिवेश को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। नीति आयोग द्वारा अटल नवाचार मिशन (एआईएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत सभी अकादमिक संस्थाओं में इन्क्यूबेटर्स और टिंकरिंग लैब स्थापित/उन्नत की जाती हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उपक्रम पूंजी निधियों को सिडबी के माध्यम से 'निधियों का कोष' के तहत निधियां दी जाती हैं। इसके अलावा, देश में कौशल उन्नयन और नवाचार को बढ़ावा देने में कई पहले जैसे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय नवाचार विकास एवं उपयोग पहल (एनआईडीएचआई), कौशल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना (एनएपीएस) भी योगदान देती हैं।

वाणिज्यिक फसलें

5627. **प्रो. सौगत रायः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न वाणिज्यिक फसलों की कीमतों में भारी गिरावट के कारणों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या आयात शुल्क में कमी से देश में सभी वाणिज्यिक फसलों की खेती के प्रभावित होने की संभावना है।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अब तक वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की लागत को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) अन्य कृषि उत्पादों की तरह वाणिज्यिक फसलों की कीमत कई कारकों जैसे मांग एवं आपति की स्थिति (घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों), प्रमुख उपभोक्ता एवं उत्पादक देशों की व्यापार नीतियों, गुणवत्ता, वैकल्पिकों/स्थानापन्नों की कीमत इत्यादि पर निर्भर करती है।

(ख) और (ग) कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क की दरें घरेलू उत्पादकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं। वर्तमान में, किसी भी प्रमुख वाणिज्यिक फसल पर आयात शुल्क में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में, सरकार ने घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया है।

(घ) सरकार वाणिज्यिक फसलों की कीमतों से उत्पादन लागत को कवर करने को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करती है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक रबड़ के मामले में सरकार ने घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए आयात शुल्क को बढ़ा दिया है और पत्तन प्रतिबंध (केवल चेन्नई और न्हावाशेव से आयात अनुमत) अधिरोपित किए हैं। चाय बोर्ड, सीटीसी चायों की नीलामी औसत के आधार पर जिलावार मासिक न्यूनतम बेंचमार्क हरी पत्ती चाय कीमत घोषित करता है। सरकार वाणिज्यिक फसलों जैसे कपास और पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी करती है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

5628. श्री **राजीव प्रताप रूडीः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)/ भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और अन्य प्रसिद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेसरों और शिक्षा स्टॉफ की कमी महसूस कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आईआईटी, पटना सहित विश्वविद्यालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कोई नियमित अध्यापक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) विगत चार वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्ष-वार और विश्वविद्यालय-वार इन विश्वविद्यालयों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ग) आईआईटी पटना, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के शिक्षण स्टाफ का विवरण क्रमशः विवरण-I, विवरण-II, विवरण-III और विवरण IV पर दिया गया है।

(घ) संकाय की भर्ती एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की बढ़ी संख्या के बावत अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण होती रहती हैं। संस्थान नियमित अंतराल पर संकाय की भर्ती करते हैं। तथापि, एनआईटी के संकाय एसोसिएशन द्वारा दायर किए गए कुछ अदालती मामले थे, जिसके कारण कुछ एनआईटी में भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी।

(ङ) सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-V पर दिया गया है।

विवरण-I

आईआईटी के संबंध में संकाय का ब्यौरा

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्वीकृत संकाय संख्या	कार्यरत संकाय	रिक्त
1	2	3	4	5
1.	आईआईटी बॉम्बे	1017	738	279
2.	आईआईटी दिल्ली	776	549	227
3.	आईआईटी कानपुर	652	410	242.
4.	आईआईटी खड़गपुर	1199	647	552
5.	आईआईटी मद्रास	800	573	227
6.	आईआईटी गुवाहाटी	570	430	140
7.	आईआईटी रुड़की	756	437	319
8.	आईआईटी बीएचयू (वाराणसी)	548	265	283
9.	आईआईटी हैदराबाद	237	189	48
10.	आईआईटी जोधपुर	90	62	28
11.	आईआईटी भुवनेश्वर	147	117	30
12.	आईआईटी गांधीनगर	140	108	32
13.	आईआईटी पटना	140	107	33
14.	आईआईटी इंदौर	115	108	7
15.	आईआईटी रोपड़	120	115	5
16.	आईआईटी मंडी	102	106	-4
17.	आईआईटी (आईएसएम) धनबाद	455	293	162
18.	आईआईटी तिरुपति	95	44	51
19.	आईआईटी पलक्कड़	95	47	48
20.	आईआईटी जम्मू	45	23	22
21.	आईआईटी भिलाई	45	19	26
22.	आईआईटी धारवाड़	45	24	21
23.	आईआईटी गोवा	45	17	28
	कुल	8234	5428	2806

विवरण-II

विभिन्न भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में रिक्त संकाय पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	आईआईएम का नाम	शिक्षण पद में रिक्त की संख्या
1.	अहमदाबाद	43
2.	बैंगलोर	18
3.	कोलकाता	41
4.	लखनऊ	21
5.	इंदौर	51
6.	कोझिकोड	13
7.	शिलांग	0
8.	रोहतक	11
9.	रांची	12
10.	रायपुर	2
11.	त्रिची	0
12.	उदयपुर	3
13.	काशीपुर	0
14.	विशाखापत्तनम	चूंकि इन संस्थानों को 2015-16 के दौरान स्थापित किया गया है, इसलिए संकाय को मेंटर संस्थान द्वारा और अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया है।
15.	नागपुर	
16.	अमृतसर	
17.	बोध गया	
18.	संबलपुर	
19.	सिरमौर	
20.	जम्मू और कश्मीर	

विवरण-III

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की संख्या (श्रेणी-वार) का विवरण	संस्वीकृत पदों की संख्या					
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गैर पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय									
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	37	7	3	0	1	48
			एसो. प्रोफेसर	71	14	7	0	3	95
			सहायक प्रोफेसर	133	38	19	60	7	257
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	96	8	8	0	0	112
			एसो. प्रोफेसर	172	38	18	0	5	233
			सहायक प्रोफेसर	130	34	17	39	7	227
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	25	5	2	0	0	32
			एसो. प्रोफेसर	46	9	5	0	0	60
			सहायक प्रोफेसर	74	22	11	39	0	146
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	46	8	4	0	0	58
			एसो. प्रोफेसर	81	16	8	0	3	108
			सहायक प्रोफेसर	132	40	20	72	5	269
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	198	39	19	0	8	264
			एसो. प्रोफेसर	484	97	48	0	19	648
			सहायक प्रोफेसर	379	119	59	214	23	794
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	प्रोफेसर	125	1	0	0	2	128
			एसो. प्रोफेसर	200	0	0	0	3	203
			सहायक प्रोफेसर	407	67	20	0	12	506
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	148	29	14	0	6	197
			एसो. प्रोफेसर	274	54	27	0	11	366
			सहायक प्रोफेसर	161	50	25	90	11	337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	40	8	4	0	0	52
			एसो. प्रोफेसर	74	14	7	0	0	95
			सहायक प्रोफेसर	85	30	15	54	14	198
९.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	25	4	2	0	1	32
			एसो. प्रोफेसर	46	9	4	0	2	61
			सहायक प्रोफेसर	67	20	10	37	4	138
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	2	1	0	0	18
			एसो. प्रोफेसर	12	2	1	0	0	15
			सहायक प्रोफेसर	36	11	5	18	2	72
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	53	9	4	0	1	67
			एसो. प्रोफेसर	109	21	10	0	4	144
			सहायक प्रोफेसर	161	41	20	46	10	278
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	33	6	3	0	1	43
			एसो. प्रोफेसर	63	12	6	0	3	84
			सहायक प्रोफेसर	162	51	25	92	11	341
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	194	0	0	0	6	200
			एसो. प्रोफेसर	376	0	0	0	12	388
			सहायक प्रोफेसर	1006	0	0	0	32	1038
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	246	3	0	0	4	253
			एसो. प्रोफेसर	489	25	3	0	11	528
			सहायक प्रोफेसर	795	91	26	220	17	1149
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	22	5	2	0	0	29
			एसो. प्रोफेसर	43	9	4	0	0	56
			सहायक प्रोफेसर	62	18	8	32	0	120
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय*	प्रोफेसर	60	11	5	0	3	79
			एसो. प्रोफेसर	150	30	15	0	6	201
			सहायक प्रोफेसर	275	85	42	154	16	572
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	प्रोफेसर	55	11	5	0	2	73
			एसो. प्रोफेसर	118	23	11	0	4	156
			सहायक प्रोफेसर	291	62	31	25	12	421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	1418	156	76	0	35	1685
			एसो. प्रोफेसर	2808	373	174	0	86	3441
			सहायक प्रोफेसर	4356	779	353	1192	183	6863
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय								
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	1	22
			एसो. प्रोफेसर	32	6	3	0	2	43
			सहायक प्रोफेसर	45	13	6	21	3	88
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	11	3	1	0	0	15
			एसो. प्रोफेसर	21	6	3	0	0	30
			सहायक प्रोफेसर	33	9	4	14	0	60
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	16	3	1	0	1	21
			एसो. प्रोफेसर	32	6	3	0	1	42
			सहायक प्रोफेसर	41	12	6	22	3	84
21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	24	4	2	0	1	31
			एसो. प्रोफेसर	47	9	4	0	2	62
			सहायक प्रोफेसर	66	19	9	35	3	132
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	22	4	1	0	0	27
			एसो. प्रोफेसर	42	7	3	0	1	53
			सहायक प्रोफेसर	53	16	8	28	3	108
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	3	1	0	1	23
			एसो. प्रोफेसर	33	6	3	0	2	44
			सहायक प्रोफेसर	45	13	6	24	3	91
24.		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	0	21
			एसो. प्रोफेसर	32	6	3	0	0	41
			सहायक प्रोफेसर	46	13	6	24	1	90
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	21	3	1	0	0	25
			एसो. प्रोफेसर	35	5	4	0	2	46
			सहायक प्रोफेसर	50	15	7	26	2	100
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	21	0	0	0	0	21
			एसो. प्रोफेसर	40	1	0	0	0	41
			सहायक प्रोफेसर	75	5	2	9	0	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	0	21
			एसो. प्रोफेसर	33	6	3	0	1	43
			सहायक प्रोफेसर	43	12	6	23	2	86
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	0	0	0	0	15
			एसो. प्रोफेसर	29	0	0	0	0	29
			सहायक प्रोफेसर	54	2	1	2	1	60
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	0	21
			एसो. प्रोफेसर	32	6	3	0	1	42
			सहायक प्रोफेसर	42	12	6	22	2	84
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	3	1	0	1	23
			एसो. प्रोफेसर	35	6	3	0	1	45
			सहायक प्रोफेसर	60	16	9	31	4	120
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	3	1	0	0	22
			एसो. प्रोफेसर	37	7	4	0	0	48
			सहायक प्रोफेसर	49	14	7	26	0	96
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	252	38	13	0	5	308
			एसो. प्रोफेसर	480	77	39	0	13	609
			सहायक प्रोफेसर	702	171	83	307	27	1290
	कुल (I + II)		प्रोफेसर	1670	194	89	0	40	1993
			एसो. प्रोफेसर	3288	450	213	0	99	4050
			सहायक प्रोफेसर	5058	950	436	1499	210	8153
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय								
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	38	4	2	0	1	45
			एसो. प्रोफेसर	97	9	4	0	1	111
			सहायक प्रोफेसर	195	30	15	34	2	276
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	41	5	3	0	1	50
			एसो. प्रोफेसर	56	11	5	0	2	74
			सहायक प्रोफेसर	84	21	12	36	6	159
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	22	3	2	0	0	27
			एसो. प्रोफेसर	37	5	2	0	0	44
			सहायक प्रोफेसर	69	10	22	27	3	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	31	5	3	0	0	39
			एसो. प्रोफेसर	71	14	6	0	0	91
			सहायक प्रोफेसर	109	32	17	58	1	217
36.	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हॉल यूनिवर्सिटी	प्रोफेसर	83	6	3	0	1	93
			एसो. प्रोफेसर	130	10	6	0	1	147
			सहायक प्रोफेसर	141	25	16	21	2	205
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	42	5	0	0	0	47
			एसो. प्रोफेसर	65	5	3	0	1	74
			सहायक प्रोफेसर	179	28	19	32	3	261
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	37	5	2	0	1	45
			एसो. प्रोफेसर	54	5	2	0	1	62
			सहायक प्रोफेसर	100	15	7	21	3	146
39.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	25	4	2	0	1	32
			एसो. प्रोफेसर	54	10	5	0	2	71
			सहायक प्रोफेसर	59	18	9	34	6	126
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	37	6	3	0	0	46
			एसो. प्रोफेसर	53	9	5	0	2	69
			सहायक प्रोफेसर	83	22	18	36	4	163
	कुल-III (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	356	43	20	0	5	424
			एसो. प्रोफेसर	617	78	38	0	10	743
			सहायक प्रोफेसर	1019	201	135	299	30	1684
	कुल-I (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	1418	156	76	0	35	1685
			एसो. प्रोफेसर	2808	373	174	0	86	3441
			सहायक प्रोफेसर	4356	779	353	1192	183	6863
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	252	38	13	0	5	308
			एसो. प्रोफेसर	480	77	39	0	13	609
			सहायक प्रोफेसर	702	171	83	307	27	1290
	ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	2026	237	109	0	45	2417
			एसो. प्रोफेसर	3905	528	251	0	109	4793
			सहायक प्रोफेसर	6077	1151	571	1798	240	9837
				12008	1916	931	1798	394	17047

*विश्वविद्यालय ने दिनांक 1.4.2017 तक अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की संख्या (श्रेणी-वार)						
				भरे गए पदों की संख्या					
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
गैर पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय									
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	29	1	1	0	1	32
			एसो. प्रोफेसर	48	0	0	0	1	49
			सहायक प्रोफेसर	135	26	14	49	7	231
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	66	3	1	0	0	70
			एसो. प्रोफेसर	158	13	1	0	1	173
			सहायक प्रोफेसर	107	28	13	30	6	184
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	2	1	0	0	20
			एसो. प्रोफेसर	32	5	0	0	1	38
			सहायक प्रोफेसर	76	21	12	25	3	137
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	11	1	1	0	0	13
			एसो. प्रोफेसर	34	2	0	0	0	36
			सहायक प्रोफेसर	87	24	12	46	2	171
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	103	3	1	0	2	109
			एसो. प्रोफेसर	227	8	2	0	2	239
			सहायक प्रोफेसर	275	55	24	42	17	413
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	प्रोफेसर	73	1	0	0	1	75
			एसो. प्रोफेसर	159	0	0	0	0	159
			सहायक प्रोफेसर	362	67	20	0	8	457
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	87	13	0	0	4	104
			एसो. प्रोफेसर	204	17	6	0	2	229
			सहायक प्रोफेसर	161	37	16	35	10	259
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	5	1	0	0	0	6
			एसो. प्रोफेसर	23	2	0	0	0	25
			सहायक प्रोफेसर	99	40	6	43	2	190

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	1	0	0	0	16
			एसो. प्रोफेसर	29	1	0	0	1	31
			सहायक प्रोफेसर	58	20	10	36	4	128
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	11	1	0	0	0	12
			एसो. प्रोफेसर	5	1	0	0	1	7
			सहायक प्रोफेसर	29	9	3	14	2	57
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	23	1	0	0	1	25
			एसो. प्रोफेसर	73	15	0	0	3	91
			सहायक प्रोफेसर	139	33	17	34	9	232
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	12	0	0	0	0	12
			एसो. प्रोफेसर	30	2	0	0	0	32
			सहायक प्रोफेसर	188	17	4	19	2	230
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	137	0	0	0	0	137
			एसो. प्रोफेसर	264	1	0	0	6	271
			सहायक प्रोफेसर	791	1	1	60	22	875
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	170	2	0	0	0	172
			एसो. प्रोफेसर	386	19	4	0	0	409
			सहायक प्रोफेसर	622	138	51	141	7	959
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	1	0	0	0	16
			एसो. प्रोफेसर	33	5	0	0	0	38
			सहायक प्रोफेसर	57	16	6	30	0	109
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय*	प्रोफेसर	12	0	0	0	0	12
			एसो. प्रोफेसर	40	1	0	0	1	42
			सहायक प्रोफेसर	179	25	7	36	2	249
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	प्रोफेसर	39	4	0	0	0	43
			एसो. प्रोफेसर	96	10	2	0	0	108
			सहायक प्रोफेसर	211	53	26	53	4	347
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	825	35	5	0	9	874
			एसो. प्रोफेसर	1841	102	15	0	19	1977
			सहायक प्रोफेसर	3576	610	242	693	107	5228

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय								
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	8	0	0	0	0	8
			एसो. प्रोफेसर	16	1	0	0	0	17
			सहायक प्रोफेसर	41	10	4	19	2	76
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	2	0	0	0	0	2
			एसो. प्रोफेसर	13	0	1	0	0	14
			सहायक प्रोफेसर	29	9	4	13	0	55
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	7	1	0	0	0	8
			एसो. प्रोफेसर	11	0	0	0	0	11
			सहायक प्रोफेसर	31	9	5	18	2	65
21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	0	0	0	0	0	0
			एसो. प्रोफेसर	6	0	0	0	0	6
			सहायक प्रोफेसर	27	5	2	14	1	49
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	3	0	0	0	0	3
			एसो. प्रोफेसर	9	1	1	0	0	11
			सहायक प्रोफेसर	32	10	4	11	3	60
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	4	0	0	0	0	4
			एसो. प्रोफेसर	9	0	0	0	0	9
			सहायक प्रोफेसर	43	11	5	23	2	84
24.		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	10	0	0	0	0	10
			एसो. प्रोफेसर	4	0	0	0	0	4
			सहायक प्रोफेसर	34	9	4	14	1	62
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	8	0	0	0	0	8
			एसो. प्रोफेसर	10	0	0	0	0	10
			सहायक प्रोफेसर	38	11	5	18	1	73
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	6	0	0	0	0	6
			एसो. प्रोफेसर	7	1	0	0	0	8
			सहायक प्रोफेसर	20	5	2	9	0	36
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	13	0	0	0	0	13
			एसो. प्रोफेसर	25	2	0	0	0	27
			सहायक प्रोफेसर	40	12	6	21	2	81

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	0	0	0	0	0	0
			एसो. प्रोफेसर	1	0	0	0	0	1
			सहायक प्रोफेसर	10	2	1	2	1	16
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	4	0	0	0	0	4
			एसो. प्रोफेसर	18	0	0	0	0	18
			सहायक प्रोफेसर	42	11	2	15	2	72
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	5	0	0	0	0	5
			एसो. प्रोफेसर	23	0	0	0	0	23
			सहायक प्रोफेसर	52	15	6	21	1	95
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	0	0	0	0	9
			एसो. प्रोफेसर	18	0	0	0	0	18
			सहायक प्रोफेसर	35	11	3	18	2	69
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	79	1	0	0	0	80
			एसो. प्रोफेसर	170	5	2	0	0	177
			सहायक प्रोफेसर	474	130	53	216	20	893
	कुल (I + II)		प्रोफेसर	904	36	5	0	9	954
			एसो. प्रोफेसर	2011	107	17	0	19	2154
			सहायक प्रोफेसर	4050	740	295	909	127	6121
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय								
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	21	1	0	0	1	23
			एसो. प्रोफेसर	78	5	2	0	1	86
			सहायक प्रोफेसर	156	33	12	36	2	241
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	40	2	2	0	0	44
			एसो. प्रोफेसर	48	6	2	0	1	57
			सहायक प्रोफेसर	83	20	12	35	5	155
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	12	0	1	0	0	13
			एसो. प्रोफेसर	26	4	1	0	0	31
			सहायक प्रोफेसर	68	9	22	27	2	128
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	14	1	0	0	0	15
			एसो. प्रोफेसर	42	4	3	0	0	49

1	2	3	4	11	12	13	14	15	16
			सहायक प्रोफेसर	136	15	10	7	0	168
36.	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हॉल यूनिवर्सिटी	प्रोफेसर	46	1	1	0	0	48
			एसो. प्रोफेसर	83	1	5	0	0	89
			सहायक प्रोफेसर	130	21	15	19	1	186
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	24	0	0	0	0	24
			एसो. प्रोफेसर	44	3	1	0	0	48
			सहायक प्रोफेसर	161	26	19	28	3	237
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	11	0	1	0	0	12
			एसो. प्रोफेसर	41	1	2	0	0	44
			सहायक प्रोफेसर	94	13	11	18	1	137
39.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	14	0	0	0	1	15
			एसो. प्रोफेसर	30	2	1	0	0	33
			सहायक प्रोफेसर	50	17	12	28	3	110
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	7	0	0	0	0	7
			एसो. प्रोफेसर	28	2	1	0	0	31
			सहायक प्रोफेसर	73	18	17	26	2	136
	कुल-III (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	189	5	5	0	2	201
			एसो. प्रोफेसर	420	28	18	0	2	468
			सहायक प्रोफेसर	953	172	130	224	19	1498
	कुल-I (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	825	35	5	0	9	874
			एसो. प्रोफेसर	1841	102	15	0	19	1977
			सहायक प्रोफेसर	3576	610	242	693	107	5228
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	79	1	0	0	0	80
			एसो. प्रोफेसर	170	3	2	0	0	177
			सहायक प्रोफेसर	474	130	53	216	30	893
	ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	1093	41	10	0	11	1155
			एसो. प्रोफेसर	2431	135	35	0	21	2622
			सहायक प्रोफेसर	5093	912	425	1133	146	7619
				8527	1088	470	1133	178	11396

*विश्वविद्यालय ने दिनांक 1.4.2017 तक अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 01.01.2018 (श्रेणी-वार) की तिथि तक संस्वीकृत/भरे गए/रिक्त पदों को दर्शाने वाले शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों मे 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की संख्या (श्रेणी-वार)								रिक्त पदों का प्रतिशत
				रिक्त पदों की संख्या						संस्वीकृत भरे गए रिक्त	
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्त जन	कुल		
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
गैर पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय											
1.	तेलंगाना	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	8	6	2	0	0	16	400	22.00
			एसो. प्रोफेसर	23	14	7	0	2	46	312	
			सहायक प्रोफेसर	-2	12	5	11	0	26	88	
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	30	5	7	0	0	42	572	25.35
			एसो. प्रोफेसर	14	25	17	0	4	60	427	
			सहायक प्रोफेसर	23	6	4	9	1	43	145	
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	8	3	1	0	0	12	238	18.07
			एसो. प्रोफेसर	14	4	5	0	-1	22	195	
			सहायक प्रोफेसर	-2	1	-1	14	-3	9	43	
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	35	7	3	0	0	45	435	49.43
			एसो. प्रोफेसर	47	14	8	0	3	72	220	
			सहायक प्रोफेसर	45	16	8	26	3	98	215	
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	95	36	18	0	6	155	1706	55.39
			एसो. प्रोफेसर	257	89	46	0	17	409	761	
			सहायक प्रोफेसर	104	64	35	172	6	381	945	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	प्रोफेसर	52	0	0	0	1	53	837	17.44
			एसो. प्रोफेसर	41	0	0	0	3	44	691	
			सहायक प्रोफेसर	45	0	0	0	4	49	146	
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	61	16	14	0	2	93	900	34.22
			एसो. प्रोफेसर	70	37	21	0	9	137	592	
			सहायक प्रोफेसर	0	13	9	55	1	78	308	
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	35	7	4	0	0	46	345	35.94
			एसो. प्रोफेसर	51	12	7	0	0	70	221	
			सहायक प्रोफेसर	-14	-10	9	11	12	8	124	
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	10	3	2	0	1	16	231	24.24
			एसो. प्रोफेसर	17	8	4	0	1	30	175	
			सहायक प्रोफेसर	9	0	0	1	0	10	56	
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	4	1	1	0	0	6	105	27.62
			एसो. प्रोफेसर	7	1	1	0	-1	8	76	
			सहायक प्रोफेसर	7	2	2	4	0	15	29	
11.	पुदुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	30	8	4	0	0	42	489	28.83
			एसो. प्रोफेसर	36	6	10	0	1	53	348	
			सहायक प्रोफेसर	22	8	3	12	1	46	141	
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	21	6	3	0	1	31	468	41.45
			एसो. प्रोफेसर	33	10	6	0	3	52	274	
			सहायक प्रोफेसर	-26	34	21	73	9	111	194	
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	57	0	0	0	6	63	1626	21.09
			एसो. प्रोफेसर	112	-1	0	0	6	117	1283	
			सहायक प्रोफेसर	215	-1	-1	-60	10	163	343	

14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	76	1	0	0	4	81	1930	20.21
			एसो. प्रोफेसर	103	6	-1	0	11	119	1540	
			सहायक प्रोफेसर	173	-47	-25	79	10	190	390	
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	7	4	2	0	0	13	205	20.49
			एसो. प्रोफेसर	10	4	4	0	0	18	163	
			सहायक प्रोफेसर	5	2	2	2	0	11	42	
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय*	प्रोफेसर	48	11	5	0	3	67	852	64.44
			एसो. प्रोफेसर	110	29	15	0	5	159	303	
			सहायक प्रोफेसर	96	60	35	118	14	323	549	
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	प्रोफेसर	16	7	5	0	2	30	650	23.38
			एसो. प्रोफेसर	22	13	9	0	4	48	498	
			सहायक प्रोफेसर	80	9	5	-28	8	74	152	
	कुल (I) (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	593	121	71	0	26	811	11989	32.61
			एसो. प्रोफेसर	967	271	159	0	67	1464	8079	
			सहायक प्रोफेसर	780	169	111	499	76	1635	3910	
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय										
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	3	1	0	1	14	153	33.99
			एसो. प्रोफेसर	16	5	3	0	2	26	101	
			सहायक प्रोफेसर	4	3	2	2	1	12	52	
19.		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	3	1	0	0	13	105	32.38
			एसो. प्रोफेसर	8	6	2	0	0	16	71	
			सहायक प्रोफेसर	4	0	0	1	0	5	34	
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	2	1	0	1	13	147	42.86
			एसो. प्रोफेसर	21	6	3	0	1	31	84	
			सहायक प्रोफेसर	10	3	1	4	1	19	63	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	24	4	2	0	1	19	225	75.56
			एसो. प्रोफेसर	41	9	4	0	2	56	55	
			सहायक प्रोफेसर	39	14	7	21	2	83	170	
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	19	4	1	0	0	24	188	60.64
			एसो. प्रोफेसर	33	6	2	0	1	42	74	
			सहायक प्रोफेसर	21	6	4	17	0	48	114	
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	14	3	1	0	1	19	158	38.61
			एसो. प्रोफेसर	24	6	3	0	2	35	97	
			सहायक प्रोफेसर	2	2	1	1	1	7	61	
24.		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	7	3	1	0	0	11	152	50.00
			एसो. प्रोफेसर	28	6	3	0	0	37	76	
			सहायक प्रोफेसर	12	4	2	10	0	28	76	
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	13	3	1	0	0	17	171	46.78
			एसो. प्रोफेसर	25	5	4	0	2	36	91	
			सहायक प्रोफेसर	12	4	2	8	1	27	80	
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	0	0	0	0	15	153	67.32
			एसो. प्रोफेसर	33	0	0	0	0	33	50	
			सहायक प्रोफेसर	55	0	0	0	0	55	103	
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	4	3	1	0	0	8	150	19.33
			एसो. प्रोफेसर	8	4	3	0	1	16	121	
			सहायक प्रोफेसर	3	0	0	2	0	5	29	
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	0	0	0	0	15	104	83.65
			एसो. प्रोफेसर	28	0	0	0	0	28	17	
			सहायक प्रोफेसर	44	0	0	0	0	44	87	

29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	13	3	1	0	0	17	147	36.05
			एसो. प्रोफेसर	14	6	3	0	1	24	94	
			सहायक प्रोफेसर	0	1	4	7	0	12	53	
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	13	3	1	0	1	18	188	34.57
			एसो. प्रोफेसर	12	6	3	0	1	22	123	
			सहायक प्रोफेसर	8	1	3	10	3	25	65	
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	9	3	1	0	0	13	166	42.17
			एसो. प्रोफेसर	19	7	4	0	0	30	96	
			सहायक प्रोफेसर	14	3	4	8	-2	27	70	
	कुल II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	173	37	13	0	5	228	2207	47.89
			एसो. प्रोफेसर	310	72	37	0	13	432	1150	
			सहायक प्रोफेसर	228	41	30	91	7	397	1057	
	कुल (I + II)		प्रोफेसर	766	158	84	0	31	1039	14196	52.13
			एसो. प्रोफेसर	1277	343	196	0	80	1896	9229	
			सहायक प्रोफेसर	1008	210	141	590	83	2032	4967	
	पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय										
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	2	0	0	22	432	18.98
			एसो. प्रोफेसर	19	4	2	0	0	25	350	
			सहायक प्रोफेसर	37	-3	3	-2	0	35	82	
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	1	3	1	0	1	6	292	9.54
			एसो. प्रोफेसर	8	5	3	0	1	17	256	
			सहायक प्रोफेसर	1	1	0	1	1	4	27	

1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	10	3	1	0	0	14	202	14.85
			एसो. प्रोफेसर	11	1	1	0	0	13	172	
			सहायक प्रोफेसर	1	1	0	0	1	3	30	
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	4	3	0	0	24	347	33.14
			एसो. प्रोफेसर	29	10	3	0	0	42	232	
			सहायक प्रोफेसर	-27	17	7	51	1	49	115	
36.	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हॉल यूनिवर्सिटी	प्रोफेसर	37	5	2	0	1	45	445	27.42
			एसो. प्रोफेसर	47	9	1	0	1	58	323	
			सहायक प्रोफेसर	11	4	1	2	1	19	122	
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	5	0	0	0	23	382	19.11
			एसो. प्रोफेसर	21	2	2	0	1	26	309	
			सहायक प्रोफेसर	18	2	0	4	0	24	73	
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	26	5	1	0	1	33	253	23.72
			एसो. प्रोफेसर	13	4	0	0	1	18	193	
			सहायक प्रोफेसर	6	2	-4	3	2	9	60	
39.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	11	4	2	0	0	17	229	31.00
			एसो. प्रोफेसर	24	8	4	0	2	38	158	
			सहायक प्रोफेसर	9	1	-3	6	3	16	71	
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	30	6	3	0	0	39	278	37.41
			एसो. प्रोफेसर	25	7	4	0	2	38	174	
			सहायक प्रोफेसर	10	4	1	10	2	27	104	

कुल-III (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)	प्रोफेसर	167	38	15	0	3	223	2851	23.99
	एसो. प्रोफेसर	197	50	20	0	8	275	2167	
	सहायक प्रोफेसर	66	29	5	75	11	136	684	
कुल-I (पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय)	प्रोफेसर	593	121	71	0	26	811	11989	32.61
	एसो. प्रोफेसर	967	271	159	0	67	1464	8079	
	सहायक प्रोफेसर	780	169	111	499	76	1635	3910	
कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)	प्रोफेसर	173	37	13	0	5	228	2207	47.89
	एसो. प्रोफेसर	310	72	37	0	13	432	1150	
	सहायक प्रोफेसर	228	41	30	91	7	397	1057	
ग्रैंड कुल (गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय+ नए केंद्रीय विश्वविद्यालय + पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय)	प्रोफेसर	933	196	99	0	34	1262	17047	33.15
	एसो. प्रोफेसर	1474	393	216	0	88	2171	11396	
	सहायक प्रोफेसर	1074	239	146	665	94	2218	5651	
		3481	828	461	665	216	5651		

*विश्वविद्यालय ने दिनांक 1.4.2017 तक अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई

विवरण-IV

एनआईटी और आईईईएसटी में संकाय पदों का ब्यौरा, शिवपुर

क्र. सं.	एनआईटी/ आईआईईएसटी	एमएचआरडी द्वारा स्वीकृत संकाय शक्ति स्थिति	तैनात संकाय			रिक्ति
			नियमित	अनुबंध पर	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अगरतला	219	105	131	236	114
2.	इलाहाबाद	362	184	94	278	178
3.	भोपाल	355	182	80	262	173
4.	कालीकट	483	185	140	325	298
5.	दुर्गापुर	285	169	12	181	116
6.	हमीरपुर	261	118	107	225	143
7.	जयपुर	473	187	2	189	286
8.	जालंधर	288	103	40	143	185
9.	जमशेदपुर	246	90	75	165	156
10.	कुरुक्षेत्र	298	178	106	284	120
11.	नागपुर	335	207	30	237	128
12.	पटना	256	132	21	153	124
13.	रायपुर	266	163	104	267	103
14.	राउरकेला	485	280	15	295	205
15.	सिलचर	282	146	48	194	136
16.	श्रीनगर	198	81	69	150	117
17.	सूरत	296	169	121	290	127
18.	सूरतकल	375	232	70	302	143
19.	तिरुचिरापल्ली	393	216	137	353	177
20.	वारंगल	420	224	42	266	196
	कुल (पुराने एनआईटी)	6576	3351	1444	4795	3225
21.	अरुणाचल प्रदेश	53	50	1	51	3
22.	दिल्ली	50	20	23	43	30
23.	गोवा	38	34	2	36	4
24.	मणिपुर	54	33	35	68	21

1	2	3	4	5	6	7
25.	मेघालय	56	47	30	77	9
26.	मिजोरम	38	23	16	39	15
27.	नागालैंड	38	33	18	51	5
28.	पुदुचेरी	38	21	17	38	17
29.	सिक्किम	38	28	17	45	10
30.	उत्तराखंड	86	49	16	65	37
31.	आंध्र प्रदेश*	68	0	70	70	68
32.	आईआईईएसटी, शिबपुर	303	195	87	282	108
	कुल (नए एनआईटी)	860	533	332	865	327
	कुल (पुराने + नए एनआईटी)	7436	3884	1776	5660	3552

विवरण-V

विगत 4 वर्षों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के योजनागत और गैर-योजनेत्तर शीर्षों के तहत जारी अनुदान दर्शाने वाला ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	विमुक्त अनुदान				
			2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
गैर-पूर्वोत्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय							
1.	आंध्र प्रदेश	एम.ए.एन. उर्दू विश्वविद्यालय	9784.56	8352.02	9578.41	12452.97	40167.96
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	18855.47	17881.05	17959.75	26503.62	81199.89
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय	6387.05	8670.03	5619.54	8089.21	28765.83
4.	छत्तीसगढ़	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	5540.62	4276.56	5094.19	8513.22	23424.59
5क.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	74563.05	39358.39	43394.79	44932.08	202,248.31
ख.		यूसीएमएस	12715.3	9531.29	10546.88	11195.25	43988.72
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	26423.51	26447.6	29326.28	30587.04	112,784.43
7.		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	24085.91	33691.33	30130.55	33246.29	121,154.08
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरि सिंह विश्वविद्यालय	15480.23	8512.15	12007.97	14381.12	50381.47

1	2	3	4	5	6	7	8
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	9000	22266.29	6199	11031.86	48497.15
10.	महाराष्ट्र	एमजीए हिंदी विश्वविद्यालय	3662.56	1849.6	6260.16	7379.38	19151.7
11.	पुदुचेरी	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	12026.11	9839.07	10356.68	18400.51	50622.37
12.	उत्तराखंड	एचएनबी गढवाल विश्वविद्यालय	12264.01	9537.18	11858.21	12654.98	46314.38
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी	72904.05	67398.39	82503.89	89470.12	312,276.45
14.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	77174.15	66951.11	74927.77	89246.9	308,299.93
15.		बीबीएयू	5544.56	6528.49	6839.57	6279.12	25191.74
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	20788.06	27779.9	22293.9	29067.63	99929.49
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	22115.68	20669.99	22507.54	26975.75	92268.96
	कुल-I (गैर-पूर्वोत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		429,314.88	389,540.44	407, 405.08	480, 407.08	1,706,667.45
नए केंद्रीय विश्वविद्यालय							
18.	बिहार	बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	8718	7500	8308	5804.74	30330.74
19.		महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	0	500	1800	2300
20.	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	3546.47	5076.01	1058.35	-414.66	9266.17
21.	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	11000	5500	7372.1	8000	31872.1
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	525	0	5698.76	130.86	6354.62
23.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	7500	13462.5	13866.17	3356.88	38185.55
24.		काशीराम केंद्रीय विश्वविद्यालय	3000	6191.75	6500	112.27	15804.02
25.	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	7950	2500	3783.23	1,200.00	15433.23
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	11842.25	6680	3532.45	22034.7
27.	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	3625	16510	3580	7535.97	31250.97
28.	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	525	7256.25	6126.43	0	13907.68
29.	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	5989	13436	0	11526.48	30951.48
30.	राजस्थान	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	11500	6580.94	5269.75	6648	29998.69
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	6000	8988.75	3040	7003.68	25032.43
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)		69878.47	104,844.45	71782.79	56236.67	302,742.38
	कुल (I + II)		499,193.35	494,384.89	479,187.87	536,643.72	2,009,409.83

1	2	3	4	5	6	7	8
एनईई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज							
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	5300.93	6976.11	9485.97	8975.51	30738.52
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	6363.63	5334.59	9608.96	7690.5	28997.68
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	4231.77	3992.69	6994.3	7738.42	22957.18

उत्पीड़न संबंधी शिकायतें

5629. **श्री रत्न लाल कटारिया:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) मंत्रालय में जातिवाद आधारित उत्पीड़न संबंधी शिकायतें दर्ज हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों/प्रतिवेदनों के समाधान हेतु अपनाया गया तंत्र क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त और निपटान की गई शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(घ) मंत्रालय में एससी/एसटी के हितों को सुरक्षित रखने और इनके त्वरित निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थाएं स्वायत्त निकाय हैं, जो अपने स्वयं के अधिनियमों, संविधियों, अध्यादेशों और उनके तहत बनाए गए विनियमों द्वारा अभिशासित होती हैं। संबंधित संस्थाओं के अधिनियम यह निर्दिष्ट करते हैं कि संस्थाएं जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगी। संस्थाएं सभी प्रशासनिक निर्णयों को लेने के लिए सक्षम हैं, जिसमें किसी भी वर्ग के कर्मचारी/छात्र के प्रति सभी प्रकार के उत्पीड़न और भेदभाव को रोकना शामिल है। तदनुसार, इस मंत्रालय में प्राप्त शिकायतें उचित कार्रवाई के लिए संबद्ध स्वायत्त निकाय/शैक्षिक संस्थाओं को भेजी जाती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि शिकायतों के कुछ मामलों में, टिप्पणियां/विचार संबद्ध विश्वविद्यालय/कॉलेज से मांगे जाते हैं और उत्तर के प्राप्त होने पर, उन्हें आवेदक के सूचनार्थ भेजा जाता है। जाति आधारित उत्पीड़न/भेदभाव पर डाटा केन्द्रीय रूप से रखा नहीं जाता है।

सीपीजीआरएएमएस वेब प्रौद्योगिकी का आधारित मंच है जिसका उद्देश्य मुख्यतया कर्मचारी सहित असंतुष्ट नागरिकों की शिकायतों को, कहीं भी और किसी भी समय (24x7) मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में प्रस्तुत करने में समर्थ बनाना और इन शिकायतों के त्वरित और अनुकूल निवारण हेतु कार्रवाई करना है। सिस्टम जेनरेटिड यूनिक पंजीकरण संख्या के माध्यम से इस पोर्टल पर शिकायतों का पता करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

डब्ल्यूटीओ में ई-कॉमर्स पर भारत का रुख

5630. **श्री के. अशोक कुमार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने वैश्विक बाजार में छोटी फर्म पहुँच हेतु ई-कॉमर्स, निवेश सुविधा और मानक पर ब्यूनस आयर्स में हुई विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) बैठक में कड़ा रुख अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि भारत ने ई-कॉमर्स संबंधी अधिस्थगन के विस्तार हेतु सहमति देने के लिए पूर्व शर्तें निर्धारित की हैं, जो सदस्य राष्ट्रों को इलेक्ट्रॉनिक अंतरण संबंधी सीमा शुल्क उगाही से रोकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) और (ख) ग्यारह वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, जो 10-13 दिसंबर, 2017 के दौरान ब्यूनस आयर्स,अर्जेन्टीना में आयोजित किया गया था, भारत सहित कई देश कुछ देशों द्वारा प्रस्तावित निवेश सुगमीकरण एवं एमएसएमई पर बहुपक्षीय निर्णयों पर सहमत नहीं हुए, जिसके लिए कोई आम सहमति/अधिदेश नहीं था।

ई-कामर्स के संबंध में, भारत ब्यूनस आयर्स में हुए बहुपक्षीय निर्णय का एक भाग है जो, अन्य बातों के साथ, वर्ष 1998 में

डब्ल्यूटीओ द्वारा अपनाये गये 'इलेक्ट्रानिक कामर्स पर वर्क प्रोग्राम' के तहत कार्य जारी रखने की पुष्टि करता है और वर्ष 2019 में आयोजित होने वाली आगामी डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक इलेक्ट्रानिक ट्रान्समिशन पर सीमा शुल्क अधिरोपित नहीं करने की मौजूदा परम्परा का विस्तार करता है। इसके साथ - साथ भारत ट्रिप्स गैर उल्लंघन एवं स्थिति शिकायतों पर दो वर्ष के अधिस्थगन पर बहुपक्षीय निर्णय का एक भाग भी है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत ने अधिस्थगन जो इलेक्ट्रानिक ट्रान्समिशन पर सीमा शुल्क लगाने से सदस्य देशों को निरूद्ध करता है, के विस्तार के लिए अपनी सहमति देने के लिए निम्नलिखित पूर्व शर्तें रखी हैः

(i) डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स गैर-उल्लंघन और स्थिति शिकायतों पर समान अधिस्थगन; और

(ii) वर्ष 1998 में डब्ल्यूटीओ द्वारा अपनाये गये 'इलेक्ट्रानिक कामर्स पर वर्क प्रोग्राम' के तहत कार्य जारी रखना।

अपशिष्ट को पृथक करने संबंधी जागरुकता कार्यक्रम

5631. **श्री पी. कुमारः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास अपशिष्ट को पृथक करने के बारे में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरुकता निर्मित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई पहल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ग) सभी शैक्षिक संस्थानों से स्वच्छता और साफ-सफाई के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को स्वच्छता पखवाड़ा, छात्र एम्बेस्टरों की नियुक्ति, बाल सभा/बच्चों की सभा में स्वच्छता गान, प्रत्येक स्कूल में स्वच्छता दिवस और स्वच्छता पर ड्राइंग/पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन सहित विभिन्न गतिविधियां करने के लिए स्कूल शिक्षा प्राधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए परामर्श दिया है। 1-15 सितम्बर, 2017 के दौरान आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा 2017 के दौरान संपूर्ण देश में स्कूलों में ग्रीन स्कूल अभियान चलाया गया। रिसाइकल और गैर-रिसाइकल कचरे के लिए क्रमशः नीले और हरे रंग के डस्टबिन का उपयोग किया गया था। गार्डनिंग हेतु वेस्ट वॉटर उपयोग के लिए स्कूल परिसर और शौचालयों के आसपास पेड़ लगाने का कार्य अभियान के दौरान किया गया जिसमें देश में 6.81 लाख स्कूलों ने भाग लिया। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूलों में स्वच्छता और साफ सफाई पद्धति में उत्कृष्टता की पहचान, प्रोत्साहन और आयोजन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 2016 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार (एसवीपी) शुरू किया है। एसवीपी का उद्देश्य स्कूलों को उच्च स्वच्छता मानक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत योजना पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को उचित कचरा को अलग-अलग करने और उसकी निपटान प्रणाली बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यह ढांचागत स्तर पर कार्यान्वित हो। विश्वविद्यालयों कॉलेजों से कहा गया है कि छात्रों के लिए निश्चित तौर पर एक अलग परियोजना बनाई जाए जिसमें स्वच्छता, स्वच्छता अभियान आयोजन संबंधी जागरूकता पैदा करने संबंधी अनुदेश दिए गए हों ताकि उनकी अभिरूचि और अधिगम में स्वच्छता को प्रतिपादित किया जा सके। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के बीच स्वच्छता को लेकर आपसी प्रतिस्पर्धा पर बल देने की दृष्टि से एक स्वच्छता रैंकिंग कार्य शुरू किया गया है, जो कैंपस में ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रक्रिया, जल उपलब्धता, जल स्वच्छता, रसोई स्वच्छता, कूड़ा-करकट निपटान सहित विभिन्न स्वच्छता मानदंडों पर आधारित है।

यह एक वार्षिक गतिविधि होगी ताकि आपसी प्रतिस्पर्धात्मक दबाव के माध्यम से समय के साथ स्वच्छता के लिए निर्धारित मानदंडों को उन्नत बनाया जा सके। 3500 संस्थानों ने कार्य में भाग लिया। इनमें से स्वच्छता पखवाड़ा 2017 के दौरान 25 संस्थानों को पुरस्कृत किया गया था।

चाय एस्टेट

5632. **श्री कामाख्या प्रसाद तासाः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार के अधीन देश में चाय वाणिज्यिक स्थापनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में अकार्यरत सहित सरकारी चाय एस्टेटों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन चाय एस्टेटों के विकास हेतु प्रारंभ स्कीमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): (क) और (ख) देश में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले 9 चाय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं 58 चाय संपदाएं है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन सभी चाय संपदाओं के क्रियाशील होने की सूचना है।

(ग) केन्द्रीय सरकार, चाय बोर्ड के जरिये सरकार के स्वामित्व वाली चाय संपदाओं सहित चाय क्षेत्र के विकास के लिए 'चाय विकास एवं संवर्धन स्कीम (टीडीपीएस)' का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम में, अन्य बातों के साथ, चाय उत्पादन, उत्पादकता में सुधार, गुणवत्ता उन्नयन, अनुसंधान एवं प्रसार क्रियाकलाप, निर्यातों का संवर्धन तथा चाय उद्योग के उपजकर्ताओं एवं अन्य पणधारियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता के प्रावधानों के जरिये मूल्यवर्धन करना शामिल है।

विवरण

सरकार के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक चाय प्रतिष्ठान

क्र.सं.	केंद्र/राज्य सरकार	वाणिज्यिक चाय प्रतिष्ठान
1.	केंद्र सरकार	एंड्रयू येल एंड कंपनी लिमिटेड
2.	राज्य सरकार असम	असम चाय निगम लिमिटेड
3.	राज्य सरकार त्रिपुरा	त्रिपुरा चाय ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
4.	मेघालय सरकार	चाय केंद्र, बागवानी विभाग
5.	सिक्किम सरकार	टेमी चाय संपदा
6.	राज्य सरकार उत्तराखंड	उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड
7.	राज्य सरकार तमिलनाडु	तमिलनाडु चाय बागान निगम
8.	राज्य सरकार केरल	केरल वन विकास निगम लिमिटेड
9.	राज्य सरकार कर्नाटक	कर्नाटक वन विकास निगम

देश में सरकार की स्वामित्व वाले चाय सम्पदाओं की राज्यवार संख्या

राज्य	चाय संपदाओं की संख्या
असम	25
त्रिपुरा	07
मेघालय	03
सिक्किम	01
पश्चिम बंगाल	05
उत्तराखंड	04
तमिलनाडु	11
केरल	01
कर्नाटक	01
कुल	58

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

5633. **श्री रामचन्द्र हाँसदा**: क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार जनजातीय बहुल ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृति उपरांत कार्यरत या निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) वाले ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध ईएमआरएस वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रत्येक ईएमआरएस की स्थापना लागत और आवर्ती लागत का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 2018-19 में शेष प्रत्येक जनजातीय बहुल ब्लॉकों में ईएमआरएस की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस हेतु चालू वर्ष के बजट में अनुमानित लागत और किए गए उपबंध क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर): (क) 564 जनजातीय उप-जिले हैं जहाँ 50% या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है और 20,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। देश में इन उप-जिलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में है।

(ख) ब्लॉकों के ब्यौरे, जहां अब तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) या तो कार्यशील हैं या सरकार की मंजूरी के बाद निर्माणाधीन हैं, संलग्न विवरण-II में है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्यों जहां ईएमआरएस केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(सीबीएसई) से सम्बद्ध हैं, के ब्यौरे विवरण-III में है।

(घ) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ईएमआरएस के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों के लिए 12.00 करोड़ रुपए तथा पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तान और द्वीपों के लिए 16.00 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, ईएमआरएस को आवर्ती लागत के रूप में प्रति छात्र प्रति वर्ष 42000/- रुपए प्रदान किया गया है।

(ङ) और (च) बजट घोषणा 2018-19 के अनुसार, 50% या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और 20,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले प्रत्येक ब्लॉकों में ईएमआरएस की स्थापना की जानी है।

विवरण-I

देश में जनजातीय बहुल उप-जिलों (जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 20,000 से अधिक) के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	उप-जिलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	13
4.	बिहार	1
5.	छत्तीसगढ़	65
6.	दादरा और नगर हवेली	1
7.	गुजरात	36
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू और कश्मीर	5
10.	झारखंड	81
11.	मध्य प्रदेश	55
12.	महाराष्ट्र	24
13.	मणिपुर	19
14.	मेघालय	38
15.	मिजोरम	17
16.	नागालैंड	19
17.	ओडिशा	108
18.	राजस्थान	20
19.	सिक्किम	1
20.	तमिलनाडु	1
21.	तेलंगाना	13
22.	त्रिपुरा	18
23.	उत्तराखंड	2
24.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल योग	564

विवरण-II

ईएमआरएस के साथ ब्लॉकों की सूची

ब्लॉक	स्थिति
आंध्र प्रदेश	
वाई. रामावरम	कार्यशील
कोडावालूर	कार्यशील
डोरनाला	कार्यशील
जी.के. वीधि	कार्यशील
बुचिनाडिडू खानड्रिगा	गैर कार्यशील
मारेदुमिलि	गैर कार्यशील
ओजिलि	गैर कार्यशील
सीथामपेटा	गैर कार्यशील
भामिनि	गैर कार्यशील
मुंचिंगि पुट्टु	गैर कार्यशील
दुमबरिगुडा	गैर कार्यशील
मक्कुआ	गैर कार्यशील
कुरुपम	गैर कार्यशील
पचिपेंटा	गैर कार्यशील
अरुणाचल प्रदेश	
बाना	कार्यशील
लुमला	कार्यशील

ब्लॉक	स्थिति
न्यपिन	गैर कार्यशील
खोंसा	गैर कार्यशील
तिर्बिन	गैर कार्यशील
वाकरो	गैर कार्यशील
दाम्बुक	गैर कार्यशील
असम	
बरामा	गैर कार्यशील
बजाली	गैर कार्यशील
चपार	गैर कार्यशील
दीफु	गैर कार्यशील
बिहार	
बेलसंडी	गैर कार्यशील
झागा	गैर कार्यशील
छत्तीसगढ़	
बकावंद	कार्यशील
बकावंद	कार्यशील
बगीचा	कार्यशील
अंतागढ़	कार्यशील
कवार्धा	कार्यशील
सारंगढ़ (खरसिया)	कार्यशील
भइयाथान	कार्यशील
मेनपत	कार्यशील
भैरमगढ़	कार्यशील
कटघोड़ा	कार्यशील
डोंगरगढ़	कार्यशील
बैकुंठपुर (खड़गवां)	कार्यशील
कोंडागांव	कार्यशील
बस्तर	कार्यशील
मारवाही	कार्यशील

ब्लॉक	स्थिति
नारायणपुर	कार्यशील
डोंडी	कार्यशील
बलरामपुर	कार्यशील
कसडोल	कार्यशील
नागरी	कार्यशील
चुरा	कार्यशील
सक्ती	कार्यशील
पिथोरा	कार्यशील
लोर्मी	कार्यशील
सुकमा	कार्यशील
मेघालय	
लागू नहीं	गैर कार्यशील
गुजरात	
तिलकवाड़ा	कार्यशील
भिलोदा	कार्यशील
बारदोली	कार्यशील
अहवा	कार्यशील
पर्दी	कार्यशील
कापरदा	कार्यशील
वंशदा	कार्यशील
निजार	कार्यशील
दंता	कार्यशील
दाहोद	कार्यशील
कलोल	कार्यशील
गरुदेश्वर	कार्यशील
भिलोदा	कार्यशील
अहवा	कार्यशील
वघोडिया	कार्यशील
पालनपुर	कार्यशील

ब्लॉक	स्थिति
धनपुर	कार्यशील
कदाना	कार्यशील
सोनगढ़	कार्यशील
सोनगढ़	कार्यशील
धर्मपुर	कार्यशील
छोटाउदेपुर	कार्यशील
पोसिना	कार्यशील
वालिया	कार्यशील
सगबारा	कार्यशील
नसवाड़ी	कार्यशील
मांडवी	कार्यशील
हिमाचल प्रदेश	
निचार	कार्यशील
जम्मू और कश्मीर	
अनन्तनाग	गैर कार्यशील
दमहाल हांजीपोरा	गैर कार्यशील
लागू नहीं	गैर कार्यशील
कारगिल	गैर कार्यशील
लागू नहीं	गैर कार्यशील
झारखंड	
दुमका	कार्यशील
तमार	कार्यशील
बारहेट	कार्यशील
खुंटपानी	कार्यशील
बसिया	कार्यशील
सुंदरपहाड़ी	कार्यशील
लोहारदगा	कार्यशील
बहरागोरा	गैर कार्यशील
सिमडेगा	गैर कार्यशील

ब्लॉक	स्थिति
कान्हाचट्टी	गैर कार्यशील
काठीकुंड	गैर कार्यशील
पिरतंड	गैर कार्यशील
लिटिपाड़ा	गैर कार्यशील
मनातू	गैर कार्यशील
गुदरी	गैर कार्यशील
फतेहपुर	गैर कार्यशील
कार्रा	गैर कार्यशील
लातेहर	गैर कार्यशील
निमदीह	गैर कार्यशील
जगन्नाथपुर	गैर कार्यशील
बोरिजोर	गैर कार्यशील
कर्नाटक	
गोकाक	कार्यशील
विराजपेट	कार्यशील
मुदीगेरे	कार्यशील
देवदुर्गा	कार्यशील
हिर्युर	कार्यशील
श्रीनिवासपुर	कार्यशील
कोराटागेरे	कार्यशील
हेग्गादादेवानकोट	कार्यशील
कोल्लेगल	कार्यशील
चित्तपुर	कार्यशील
लागू नहीं	गैर कार्यशील
	गैर कार्यशील
केरल	
कालपेट्टा	कार्यशील
इदुक्की	कार्यशील
अट्टापेडी	गैर कार्यशील

ब्लॉक	स्थिति
मध्य प्रदेश	
जैतहारी	कार्यशील
बरवानी	कार्यशील
शाहपुर	कार्यशील
कुक्शी	कार्यशील
डिंडोरी	कार्यशील
थांडला	कार्यशील
बिछिया	कार्यशील
सैलाना	कार्यशील
घन्सौर	कार्यशील
जमाई	कार्यशील
कुसमी	कार्यशील
पाली	कार्यशील
सोंडवा	कार्यशील
भावरा	कार्यशील
बैहर	कार्यशील
बिछुआ	कार्यशील
केसला	कार्यशील
बरेला	कार्यशील
झाबुआ	कार्यशील
खालवा	कार्यशील
सोहागपुर	कार्यशील
सेंधवा	कार्यशील
बुदनी	कार्यशील
धार	कार्यशील
मैहर	कार्यशील
चित्रकूट	कार्यशील
खारगौन	कार्यशील
मांडला	कार्यशील

ब्लॉक	स्थिति
सिंगरौली	कार्यशील
महाराष्ट्र	
चैखालदरा	कार्यशील
रामटेक	कार्यशील
इगतपुरी	कार्यशील
पालघर	कार्यशील
इटापल्ली	कार्यशील
डियोरी	कार्यशील
नन्दुरबार	कार्यशील
इगतपुरी	कार्यशील
अकोला	कार्यशील
शाहपुरा	कार्यशील
अजमेर सौडने	कार्यशील
पिंपलनेर	कार्यशील
किनवत	कार्यशील
राजुरा	कार्यशील
लागू नहीं	गैर कार्यशील
लागू नहीं	गैर कार्यशील
अक्रानी	गैर कार्यशील
मारेगांव	गैर कार्यशील
मणिपुर	
तामेंगलांग	कार्यशील
मोरेह	कार्यशील
गामनोम सापेरमीना	कार्यशील
लागू नहीं	गैर कार्यशील
लागू नहीं	गैर कार्यशील
मिजोरम	
लुंगलेई	कार्यशील
सेरछिप	कार्यशील

ब्लॉक	स्थिति
चावंग्ते	गैर कार्यशील
लावंगतलाई	गैर कार्यशील
सैहा	गैर कार्यशील
चम्फई	गैर कार्यशील
नागालैंड	
सांगसांगन्यू	कार्यशील
मेदजिफेमा	कार्यशील
तिजिट	कार्यशील
सेमिन्यू	गैर कार्यशील
फुतसेरो	गैर कार्यशील
ओडिशा	
सेमिलीगुडा	कार्यशील
खुंटा	कार्यशील
गुदारी	कार्यशील
सुंदरगढ़	कार्यशील
मोहाना	कार्यशील
बालीगुड़ा	कार्यशील
केंदुझर सदर	कार्यशील
नबरंगपुर	कार्यशील
लाहुनिपाड़ा	कार्यशील
राजागंगापुर	कार्यशील
दानागडी	कार्यशील
मल्कानगिरि	कार्यशील
नुआपाड़ा	कार्यशील
बोलांगिर	गैर कार्यशील
कोकसारा	गैर कार्यशील
रायरंगरपुर	गैर कार्यशील
बरिपादा सदर	गैर कार्यशील
गुनुपुर	गैर कार्यशील
करंजिया	गैर कार्यशील
कुचिन्ड़ा	गैर कार्यशील

ब्लॉक	स्थिति
लागू नहीं	गैर कार्यशील
फुलबानी	गैर कार्यशील
निलागिरि	गैर कार्यशील
देबगढ़	गैर कार्यशील
लैकेरा	गैर कार्यशील
चम्पुआ	गैर कार्यशील
जयपोर	गैर कार्यशील
राजस्थान	
कुशलगढ़	कार्यशील
शाहबाद	कार्यशील
आबू रोड	कार्यशील
कोटरा	कार्यशील
सिमलवाड़ा	कार्यशील
निवाई	कार्यशील
खेरवाड़ा	कार्यशील
राजगढ़	कार्यशील
आनन्दपुरी	कार्यशील
अस्पुर	कार्यशील
बस्सी	कार्यशील
टोडाभीम	कार्यशील
प्रतापगढ़	कार्यशील
बमनवास	कार्यशील
कोटकासिम	कार्यशील
घाटोल	गैर कार्यशील
गोगुन्डा	गैर कार्यशील
लागू नहीं	गैर कार्यशील
सिक्किम	
मंगन	कार्यशील
गंग्याप	कार्यशील
सुम्बुक	कार्यशील
पाकयोंग	कार्यशील

ब्लॉक	स्थिति
तमिलनाडु	
चिन्नासालेन	कार्यशील
पेथानैच्केंपायम	कार्यशील
कलसपक्कम	कार्यशील
एम. पलादा	कार्यशील
कोलीमलाई	कार्यशील
येल्लागिरि हिल्स	कार्यशील
लागू नहीं	गैर कार्यशील
तेलंगाना	
आदिलाबाद	कार्यशील
महबूबनगर	कार्यशील
महबूबाबाद	कार्यशील
करीमनगर	कार्यशील
निजामाबाद	कार्यशील
करीमनगर	कार्यशील
कुरावी	कार्यशील
खम्माम	कार्यशील
निजामाबाद	कार्यशील
पालदन्चा	गैर कार्यशील
कालवाकुर्थी	गैर कार्यशील
त्रिपुरा	
बेलबारी	कार्यशील
बोकाफा	कार्यशील
कुमारघाट	कार्यशील
तुलाशिखर	कार्यशील
अमरपुर	गैर कार्यशील
लागू नहीं	गैर कार्यशील
उत्तर प्रदेश	
चंदन चौकी	कार्यशील
बहराइच	कार्यशील
लागू नहीं	गैर कार्यशील
लागू नहीं	गैर कार्यशील
उत्तराखंड	
देहरादून	कार्यशील
बाजपुर	गैर कार्यशील
पश्चिम बंगाल	
नगराकाटा	कार्यशील
खटरा	कार्यशील
मनबाजार-II	कार्यशील
कन्कसा	कार्यशील
झारग्राम	कार्यशील
बोलपुर श्रीनिकेतन	कार्यशील
बांसीहारी	कार्यशील

विवरण-III

सीबीएसई से सम्बद्ध ईएमआरएस की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	सीबीएसई से सम्बद्ध ईएमआरएस की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	2
2.	छत्तीसगढ़	4
3.	हिमाचल प्रदेश	1
4.	मध्य प्रदेश	27
5.	महाराष्ट्र	14
6.	ओडिशा	13
7.	सिक्किम	4
8.	त्रिपुरा	4
9.	उत्तर प्रदेश	2
10.	उत्तराखण्ड	1
	कुल योग	72

रैंकिंग और प्रत्यायन प्रणाली

5634. **श्री निनोंग इरिंग:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की गुणवत्ता संस्थानों की पहचान हेतु रैंकिंग और प्रत्यायन प्रणाली प्रारंभ करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है और यह कब तक पूरी तरह कार्य करना प्रारंभ कर देंगी;

(ग) यह प्रणाली निजी कंपनियों को किस ढंग से प्रोत्साहित करेगी; और

(घ) यह उत्कृष्ट शिक्षा और उच्च शिक्षा में अनुसंधान और विकास सुविधा प्राप्ति में किस स्तर तक मदद करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर में संस्थाओं की रैंकिंग करने के लिए 29 सितंबर, 2015 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की शुरूआत की है। रैंकिंग के मानदंड व्यापक रूप से "शिक्षण, अधिगम और संसाधन", "अनुसंधान एवं व्यावसायिक कार्य", "अवर स्नातक परिणाम", "आउटरीच और समावेशिता" और "बोध" को कवर करते हैं।

भारत में, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) संस्थागत मूल्यांकन और प्रत्यायन करती है, जबकि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) तकनीकी कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम संबंधी प्रत्यायन करती है।

(ख) भारत रैंकिंग 2016 और 2017 को पहले ही जारी किया जा चुका है जो *https://www.nirfindia.org/Home* पर उपलब्ध है। भारत रैंकिंग, 2018 को अप्रैल 2018 के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाना निर्धारित है।

इंजीनियरिंग/तकनीकी, प्रबंधन आदि में पाठ्यक्रमों के विस्तार का यौक्तिकरण करने और तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, एआईसीटीई ने ऐसी संस्थाओं के लिए एनबीए प्रत्यायन अनिवार्य कर दिया है जो नए पाठ्यक्रम/मौजूदा पाठ्यक्रमों के विस्तार की मांग कर रहे हैं।

(ग) रैंकिंग विश्वविद्यालयों के मध्य प्रतिस्पर्धा कर संवर्धन करती है और उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करती है। सरकार ने 'उत्कृष्ट संस्थान' नामक योजना भी शुरू की है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों में से 20 संस्थाओं को चुनौती पद्धति में चुना जाएगा और इन्हें वैश्विक रैंकिंग में आने के लिए सक्रिय रूप से सहायता की जाएगी।

(घ) एनआईआरएफ में, उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान और विकास का संवर्धन करने के लिए, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करने के लिए 'अनुसंधान और व्यावसायिक कार्य' को 40% की अधिकतम वेटेज प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पेट्रोलियम परियोजनाएं

5635. **श्री संजय हरिभाऊ जाधव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में पेट्रोलियम, तेल और गैस संबंधी बेहतर अवसंरचना के लिए चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं में हो रही प्रगति का ब्यौरा क्या है और राज्य के कतिपय जिलों में कार्यान्वयन की धीमी गति हेतु क्या कारण हैं;

(ख) महाराष्ट्र में जून, 2015 से नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा निर्मित अनुमानित जीवनयापन अवसर क्या हैं; और

(ग) महाराष्ट्र में 2010-15 और 2015-2017 के मध्य पेट्रोलियम, तेल और गैस संबंधी परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि संबंधी तुलनात्मक ऑकड़े क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में तेल और गैस सीपीएसईज द्वारा 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली 13 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। परियोजना कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुछ परियोजनाओं में विलंब के प्रमुख कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ (क) भूमि/आरओयू अधिग्रहण (ख) पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरियों की प्राप्ति (ग) सांविधिक अनुमोदनों (घ) स्थानीय निकाय/नगर पालिका की अनुमतियों में विलंब और संविदागत मुद्दे शामिल हैं।

(ख) जून, 2015 से तेल और गैस सीपीएसईज द्वारा नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन से महाराष्ट्र में सृजित किए गए रोजगार के अवसर लगभग 5500 हैं।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2010-2015 तथा 2015-2017 के दौरान पेट्रोलियम, तेल और गैस से संबंधित परियोजनाओं पर खर्च की गई क्षेत्र-वार धनराशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक की लागत वाली चल रही परियोजनाएं

क्र. सं.	सीपीएसई	परियोजनाओं	प्रत्याशित समापन तिथि	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	वास्तविक प्रगति (%)
1.	एचपीसीएल	उरान-चाकन/शिकारापुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना	28 फरवरी, 19	723.40	85.8
2.	आईओसीएल	कोयली-अहमदनगर-सोलापुर पाइपलाइन, गुजरात और महाराष्ट्र	*	1945.00 (1395.00)	28.8
3.	बीपीसीएल	मुंबई रिफाइनरी में हीट ट्रेस्ड पाइपलाइन परियोजना	31 जनवरी, 19	120.00	68.1
4.	आईओसीएल	सोलापुर में कोयली-मनमाड-अहमदनगर-सोलापुर पाइपलाइन पर टीओपी के रूपांतरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं	*	361.00	3.4
5.	आईओसीएल	अहमदनगर में कोयली-मनमाड-अहमदनगर-सोलापुर पाइप लाइन पर टीओपी के रूपांतरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं	*	273.00	3.4
6.	आईओसीएल	मनमाड में कोयली-मनमाड-अहमदनगर-सोलापुर पाइप लाइन पर टीओपी के लिए अतिरिक्त सुविधाएं	*	221.00	3.7
7.	आईओसीएल	नागपुर में एलपीजी भरण संयंत्र	*	133.70	21.9
8.	आईओसीएल	ल्यूब कॉम्प्लेक्स ट्रॉम्बे में आधुनिक ल्यूब मित्रण संयंत्र (एलबीपी) और एलबीपी ट्रॉम्बे में आधुनिक बेस तेल हैंडलिंग सुविधा	30 जून, 19	124.61	62.9
9.	एचपीसीएल	मुंबई रिफाइनरी विस्तार परियोजना	31 जनवरी, 20	5060.00	18.6
10.	बीपीसीएल	मुंबई मनमाड पाइपलाइन का मार्ग बदलना	30 दिसंबर, 19	449.58	42.6
11.	बीपीसीएल	मुंबई रिफाइनरी में गैसोलीन हाइड्रो-ट्रीटमेंट यूनिट की स्थापना	31 जनवरी, 20	554.00	27.3
12.	एचपीसीएल	पाटलगंगा नया एलपीजी प्लांट	*	249.00	ईसी प्रक्रिया शुरू हुई
13.	बीपीसीएल	पुणे में रेलवे साइडिंग के साथ पीओएल टर्मिनल	*	282.64	ईसी प्राप्त हुआ। साइट गतिविधि शुरू हुई।

नोटः 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े महाराष्ट्र राज्य में लागत दर्शाते हैं।

2. *सांविधिक मंजूरी मिलने के बाद अनुमानित पूर्णता तिथि का आकलन किया जाएगा।

विवरण-II

(रुपए करोड़ में)

क्षेत्र-वार निवेश	2010-15	2015-17
रिफाइनरीज	5858.85	2233.4
पाइपलाइन	1302.98	360.53
रसोई गैस	293.55	115.8
पीओएल	333.36	55.06
अन्वेषण	1029.72	0.00

कच्चे तेल का उत्पादन और आयात

5636. **डॉ. रघु शर्माः**
श्री अजय निषादः
श्री राम कुमार शर्माः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य पूर्व देशों/सऊदी अरब सहित विभिन्न देशों से देश-वार रुपये और डॉलर के संबंध में उत्पादित और आयातित कच्चे तेल की प्रमात्रा और मान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में काफी गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में कच्चे तेल के आयात/कमी की वृद्धि हेतु इस संबंध में पेट्रोलियम, योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ द्वारा तैयार भावी योजना/तैयार अनुमान क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस के उत्पादन में देश को आत्म-निर्भर बनाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) कृष्णा गोदावरी बेसिन के डी-6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस उत्पादन की प्रमात्रा कितनी है और यह घरेलू मॉग को किस स्तर तक पूरा करने में समर्थ है; और

(ङ) क्या स्वदेश उत्पादित कच्चे तेल को तेल शोधनशालाओं के लिए वैश्विक बाजार मूल्य पर बेचा जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू के दौरान वर्ष-वार तेल शोधनशालाओं को बेचे गए कच्चे तेल का औसत मूल्य कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में उत्पादित कच्चे तेल की मात्रा और आयात किए गए कच्चे तेल की मात्रा पर करोड़ रुपए और बिलियन डालर के रूप में किए गए खर्च तथा मध्य पूर्व/सऊदी अरब सहित विभिन्न देशों, जिनसे कच्चे तेल का आयात किया गया है, के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I से विवरण-III में दिए गए हैं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बास्केट का प्रति बैरल कच्चे तेल का औसत मूल्य पिछले वर्ष के औसत मूल्य 47.56 अमरीकी डालर की तुलना में 56.22 अमरीकी डालर है।

पीपीएसी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2018 के लिए ब्रैंट कच्चे तेल का अनुमानित मूल्य 60 अमरीकी डालर से 70 अमरीकी डालर प्रति बैरल है।

(ग) सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) के तहत पहला बोली दौर शुरू करना, गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, गैस मूल्य निर्धारण संबंधी सुधार, घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सुधार संबंधी पहले (जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लघु और मध्यम आकार के क्षेत्रों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की अवधि बढ़ाना, हाइड्रोकार्बन खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करना और एनईएलपी ब्लाकों में खोजों के लिए परीक्षण संबंधी जरुरतों के लिए नीति शामिल हैं), कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियों को कोयला खनन क्षेत्रों में कोल बेड मिथेन (सीबीएम) निकालने की अनुमति, नेशनल डाटा रिपोजिटरी (एनडीआर) को शुरू करना और दुर्गम क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए विपणन की आजादी प्रदान करना आदि शामिल हैं।

(घ) चालू वित्त वर्ष (फरवरी, 2018 तक) घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन 29029 एमएमएससीएम था जिसमें से केजी डी6 का हिस्सा 1684.22 एमएमएससीएम था।

(ङ) स्वदेशी कच्चे तेल का मूल्य बोनी लाइट तथा टेपिस ब्लैंड जैसे कच्चे तेलों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा वसूल किए गए कच्चे तेल के मूल्य के ब्यौरे विवरण IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्षों में देश में उत्पादित कच्चे तेल की मात्रा

तालिका-1: 2014-15 से 2017-18, (अप्रैल 2017-फरवरी, 2018)(पी)* में कच्चे तेल का उत्पादन

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अप्रैल-फरवरी) (पी)*
				मात्रा लाख टन में
कच्चा तेल	35.9	35.5	34.5	31.2

नोट: पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

*पी: अनंतिम

विवरण-II

वर्ष	कच्चे तेल के आयात की मात्रा	मूल्य	
	लाख टन	यूएस डालर (बिलियन	रुपये (करोड़)
2014-15	189.4	112.7	687416
2015-16	202.9	64.0	416579
2016-17	213.9	70.2	470159
2017-18 (पी)* (अप्रैल. 2017 से फरवरी, 2018 तक)	202.0	79.5	511931

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

*पी-अनंतिम

विवरण-III

वर्ष 2014-15 से 2017-18 (अप्रैल, 2017 से फरवरी, 2018)(पी) के दौरान कच्चे तेल का क्षेत्रवार/देशवार आयात

(लाख मीट्रिक टन)

क्षेत्र	क्र. सं.	देश	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अप्रैल, 2017 से फरवरी, 2018)(पी)
1	2	3	4	5	6	7
मध्य पूर्व	1.	ईरान	11.0	12.7	27.2	20.4
	2.	इराक	24.5	36.8	37.5	42.2
	3.	कुवैत	17.9	11.0	9.8	11.4
	4.	ओमान	0.8	0.6	0.6	5.3
	5.	कतर	4.5	4.0	5.0	2.7
	6.	सऊदी अरब	35.0	40.4	39.5	33.9
	7.	संयुक्त अरब अमीरात	16.1	15.7	17.6	12.8

1	2	3	4	5	6	7
	8.	बहरीन				0.3
	9.	यमन	0.2	0.0	0.0	0.3
अफ्रीका	10.	अलजीरिया	0.4	0.5	1.5	1.7
	11.	अंगोला	7.1	7.4	6.7	7.2
	12.	कैमरून	1.3	1.4	1.0	0.5
	13.	चाड	0.3	1.2	0.5	0.5
	14.	कांगो	0.6	0.4	0.1	0.2
	15.	मिस्र	2.5	2.7	2.7	2.0
	16.	इक्व. गुएना	1.4	1.4	1.2	0.8
	17.	गैबॉन	0.7	0.1	0.1	0.5
	18.	आइवरी कोस्ट	0.0	0.1	0.1	0.0
	19.	नाइजीरिया	17.8	23.4	18.1	16.3
	20.	सूडान	0.9	0.2	0.2	1.1
एशिया	21.	ब्रुनेई	1.3	1.3	1.6	0.9
	22.	मलेशिया	3.5	3.2	4.0	2.8
	23.	जापान	0.0	0.3	0.0	0.0
	24.	कंबोडिया	0.0	0.2	0.0	0.0
	[illegible]	[illegible]	0.0	0.1	0.4	0.0
	26.	पाकिस्त	0.0	0.1	0.0	0.0
दक्षिण अमेरिका	27.	ब्राज़ील	4.1	4.0	4.3	4.0
	28.	कोलंबिया	4.2	1.2	0.0	0.0
	29	इक्वेडोर	1.6	1.5	0.7	0.3
	[illegible]	[illegible]	0.1	0.2	0.0	0.0
	31.	वेनेजुएला	24.4	23.6	22.6	16.7
यूरेशिया	32.	आज़रबाइजान	1.1	0.7	2.0	1.7
	33.	कजाखस्तान	0.5	0.5	0.8	2.0
	34.	रूस	0.3	0.4	0.6	3.1
उत्तरी अमेरिका	35.	कनाडा	0.2	0.0	0.0	0.2

1	2	3	4	5	6	7
	36.	मेक्सिको	5.1	4.9	7.3	7.9
	37.	अमेरीका				2.1
यूरोप	38.	अल्बानिया	0.1	0.0	0.0	0.0
ऑस्ट्रेलिया	39.	ऑस्ट्रेलिया	0.1	0.5	0.2	0.1

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

*पी-अनंतिम

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा कच्चे तेल के मूल्य की वसूली

वर्ष	कंपनी	कच्चे तेल का बिक्री मूल्य प्रति बैरल यूएसडालर में
2014-15*	ओएनजीसी	48.68
	तेल	48.14
2015-16*	ओएनजीसी	47.5
	तेल	45.56
2016-17	ओएनजीसी	50.22
	तेल	47.34
2017-18 अप्रैल-दिसंबर, 2017)	ओएनजीसी	54.29
	तेल	52.67

*छूट के बाद का मूल्य

2016-17 और 2017-18 में पीएसयू ओएमसी को कच्चे तेल की बिक्री पर कोई छूट नहीं दी गई।

[अनुवाद]

कार्बन फुटप्रिंट की कटौती

5837. **डॉ. किरिट पी. सोलंकी:** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के उद्देश्यों में से एक इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में बढ़ते घरेलू इस्पात उत्पादन के आलोक में इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): (क) जी हाँ।

(ख) भारतीय इस्पात कंपनियों ने नवीनतम विकसित स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए पर्याप्त मात्रा में विस्तार/नवीनीकरण/आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनके अंतर्गत वेस्ट हीट/ऊर्जा उपयोग, ब्लास्ट फर्नेस में उच्चतर कोल इस्ट का उपयोग इत्यादि पर जोर दिया गया है। नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाकर नए ग्रीन फील्ड संयंत्रों की स्थापना की गई है। इन सभी के परिणामस्वरूप उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा ऊर्जा एवं जीएचजी उत्सर्जन की मात्रा में कमी आई है।

सरकार न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (एनईडीओ), जापान के सहयोग से एकीकृत इस्पात संयंत्रों में वेस्ट हीट/ऊर्जा का इस्तेमाल करने तथा कार्बन फुट प्रिंट में कमी लाने के लिए संबंधित प्रौद्योगिकियाँ अपनाए जाने को सुविधाजनक बनाती रही है। सरकार ने यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) और एयूएस-एड के सहयोग से स्टील रि-रोलिंग मिलों और इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस क्षेत्र में कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकियाँ अपनाए जाने को सुविधाजनक बनाया है।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान

5638. **श्री उदय प्रताप सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रावासों हेतु धनराशि स्वीकृत की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की उन विद्यार्थियों, जिनके गाँवों में उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, के लिए कोई योजना है/कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) और (ख) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए आवासीय स्कूल और छात्रावास का विषय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 2017-18 के दौरान सीडब्ल्यूएसएन के लिए विद्यमान छात्रावासो हेतु 720.00 लाख रुपए की निधि संस्वीकृत की गई।

(ग) और (घ) मंत्रालय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, आरएमएसए के एक भाग के रूप में माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजनों हेतु समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य सभी निःशक्त विद्यार्थियों को एक समावेशी और समर्थकारी माहौल में माध्यमिक स्कूल शिक्षा (कक्षा IX से XII) के चार वर्ष पूरे करने का अवसर प्रदान करना है। आईईडीएसएस संघटक के अंतर्गत विशेष अध्यापकों की नियुक्ति, संसाधन कक्ष को सज्जित करने, स्कूल को बाधा-रहित बनाने, अभिभावकों, प्रशासकों, शिक्षाविदों इत्यादि के अभिविन्यास आदि हेतु सहायता के अलावा 3,000/- रुपए प्रति बालक प्रति वर्ष की दर पर विद्यार्थी उन्मुखी सहायता हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

शिक्षा का अधिकार के संबंध में सचिवों का समूह

5639. **श्री आघलराव पाटील शिवाजीरावः**
श्री आनंदराव अडसुलः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्षेत्र की जांच करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सचिवों की समूह की नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सचिव समूह ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं;

(छ) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त समूह की सभी सिफारिशों की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय संभार तंत्र पोर्टल

5640. **श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डीः**
श्रीमती अंजू बालाः
श्री तेज प्रताप सिंह यादवः
श्री बी. श्रीरामुलुः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का सभी संभार तंत्र संबंधित मामलों के लिए सभी हितधारकों को जोड़ने के लिए एकल खिड़की ऑनलाइन मार्केट स्थल के रूप में राष्ट्रीय संभार तंत्र पोर्टल/एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत में संभार तंत्र क्षेत्र असंगठित बना हुआ है और यह उद्योग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले संभार तंत्र की उच्च लागत, अल्पविकसित अवसंरचना, ऋण तक पहुँच की कमी, खंडित भांडागार और सभी साधनों इत्यादि से वस्तुओं के निर्बाध आवागमन जैसी कई चुनौतियों से जूझ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में संभार तंत्र क्षेत्र के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2018-19 में घोषणा की कि वाणिज्य विभाग सभी स्टेकहोल्डरों को जोड़ने के लिए एकल खिड़की आनलाइन मार्केट स्थल के रूप में राष्ट्रीय संभारतंत्र पोर्टल विकसित करेगा।

(ग) मल्टी मोडल लाजिस्टिक पार्क की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कोई परिभाषा नहीं है। लाजिस्टिक पार्क का विकास एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) जी हां। जुलाई, 2017 में कार्य संचालन नियम में संशोधन किया गया और वाणिज्य विभाग को संभारतंत्र क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए अधिदेशित किया गया है। पहले कदम के रूप में, भण्डारण, शीत श्रृंखलाओं, आदि जैसे संभार तंत्र क्रियाकलापों को बुनियादी ढांचा की स्थिति प्रदान की गयी है। इससे दीर्घावधि क्रेडिट पहुंच सुगम होगी।

केरल में आईओसीएल परियोजना

5641. **प्रो. के. वी. थॉमसः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आईओसीएल ने केरल में पुधुवपे गाँव में निर्माण आरंभ कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या उक्त परियोजना के विरुद्ध कोई आंदोलन/विरोध हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान)ः (क) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) ने पृथृवीपीन, केरल में एलपीजी आयात टर्मिनल के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने के कारण दिनांक 16.02.2017 को निर्माण कार्य स्थगित किए जाने से पहले भंडारण टर्मिनल का 40 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया।

(ख) स्थानीय आंदोलनकारियों ने पर्यावरण संबंधी मंजूरी (ईसी) में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एनजीटी, चेन्नै में एक मुकदमा दायर किया है। एनजीटी ने आईओसीएल को कार्य जारी रखने की अनुमति देते हुए दिनांक 02.08.2016 को और दिनांक 13.04.2017 को दो अंतरिम आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में अंतिम आदेश लंबित है। एनजीटी ने दिनांक 22.12.2017 के अपने अंतिम निर्णय में एलपीजी आयात टर्मिनल का निर्माण कार्य जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस बीच केरल राज्य सरकार ने इस मामले की जांच करने तथा समस्या के समाधान हेतु सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

पेटेंट के लंबित आवेदन

5642. **श्री जनक रामः**
श्री के. परसुरमनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लंबित पेटेंट आवेदनों की कुल संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार देश में सभी पेटेंट कार्यालयों में अवसंरचना विकसित करने के लिए किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है, ताकि लंबित आवेदनों की संख्या को कम किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी)ः (क) लम्बित पेटेंट आवेदनों का निर्धारण, अनुरोध दायर करने के बाद जांच हेतु बकाया अनुरोधों के संदर्भ में किया जाता है। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप अधिक संख्या में आवेदन जांचे जा रहे हैं तथा जांच चरण पर विलम्बन कम हुआ है। फरवरी, 2018 माह में गत वर्ष इसी अवधि के 3925 की तुलना में 6235 आवेदनों की जांच की गई है। 31.03.2017 की तारीख तक जांच चरण में बकायादारी 2,04,177 थी जो 28.02.2018 की तारीख को घटकर 1,72,488 हो गई है।

(ख) और (ग) पेटेंट कार्यालय दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता तथा मुम्बई चार शहरों में स्थापित किए गए हैं। सभी पेटेंट कार्यालयों में आवश्यक भौतिक तथा आईटी अवसंरचना स्थापित की गई है। अपेक्षा के अनुसार अवसंरचना संवर्धन तथा उन्नयन हेतु कदम उठाए जाते हैं। सरकार ने बकाया आवेदनों को निपटाने के लिए विभिन्न उपाए किए हैं, नामतः

(i) जांच हेतु तकनीकी कार्मिक शक्ति की कमी तथा पेटेंट आवेदनों के निपटान संबंधी मुद्दे का समाधान करने के लिए नये पदों के सृजन के माध्यम से उपलब्ध कार्मिक शक्ति को बढ़ाया गया है।

(ii) पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षकों के 459 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

(iii) इसके अलावा, पेटेंट कार्यालय के लिए परीक्षकों के 84 नये पद तथा नियंत्रकों के 95 पदों को मंजूर किया गया है।

(iv) राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) में आईपी जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(v) पेटेंट आवेदनों के निपटान हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए दिनांक 16.05.2016 को पेटेंट नियम संशोधित तथा अधिसूचित किए गए हैं। महत्वपूर्ण संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं

(क) युद्ध/प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुए विलम्ब के संबंध में छूट के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं।

(ख) पहली बार, कतिपय मामलों में शुल्क लौटाने की अनुमति दी गई है, बिना किसी प्रकार के शुल्क के आवेदन वापस लेने की भी अनुमति दी जा रही है।

(ग) शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमाएं लागू की गई हैं, जबकि अनुमन्य स्थगनों की संख्या को सीमित कर दिया गया है।

(घ) एक पेटेंट कार्यालय ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित किए जा सकते हैं जिसमें विशिष्ट तकनीकी कार्मिक शक्ति का अधिक कारगर इस्तेमाल होता है।

(ङ) कतिपय आधारों पर अब शीघ्र जांच की अनुमति है।

(च) वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की अनुमति प्रदान की गई है।

(vi) आईपीओ वेबसाइट को अधिक सक्रिय, सूचनापरक, प्रयोक्ताअनुकूल तथा पारदर्शी बनाने के लिए इसे अद्यतन किया गया है।

(vii) जांच कार्य को आसान बनाने तथा जांच की गति तथा गुणवत्ता को अधिकतम करने के लिए अनेक उपाय अर्थात कार्यकरण में कम्प्यूटीकृत कार्य-निर्वहन, ऑटोमेशन तथा आईटी सक्षमता को कार्यान्वित किया गया है।

विधायी तथा प्रशासनिक उपायों का बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसके फलस्वरूप पेटेंट आवेदनों के निपटान में गति आई है।

[अनुवाद]

खुदरा सीएनजी/पीएनजी के लिए लाइसेंस

5643. **श्री बलका सुमनः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने शहरों में खुदरा सीएनजी/पीएनजी के लिए लाइसेंस हासिल करने के संबंध में बोली संबंधी मापदंडों में परिवर्तन किया है/मौलिक रूप से परिवर्तन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या पीएनजीआरबी का शहर के भीतर सीएनजी/पीएनजी के परिवहन हेतु कंपनियों से यह पूछकर भावी नीलामी करने का विचार है कि उनके द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क की दर क्या होगी और निम्नतम बोली लगाने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान)ः (क) और (ख) पीएनजीआरबी द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, उनका निर्माण करने, प्रचालित करने अथवा उनका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करना) विनियमन, 2008 में संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएनजीआरबी (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, उनका निर्माण करने, प्रचालित करने अथवा उनका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करना) विनियमन, 2008 में प्रस्तावित संशोधन नगर गैस वितरण, सीजीडी तथा संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), स्थापित किए जाने वाले अनेक प्राकृतिक गैस स्टेशन, लगाए जाने वाले अनेक घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शनों और बिछाई जाने वाली कुल इंच-कि.मी. स्टील पाइपलाइन के लिए परिवहन दर के बोली मानदंड के आधार पर सफल बोलीदाता के चयन के लिए है।

बंद/रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार

5644. **प्रो. साधु सिंहः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कई बड़े और मध्यम उद्योग बंद हुए हैं और रुग्ण हुए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी पंजाब सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा पंजाब सहित अन्य राज्यों में इनका पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी)ः (क) और (ख) ऐसा कोई आंकड़ा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों 2014-15,

2015-16 और 2016-17 हेतु रूग्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रखे जाने वाले राज्यवार आंकडे संलग्न विवरण-। पर दिए गए हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान घाटा उठाने वाले सीपीएसई का विवरण संलग्न विवरण-॥ में दिया। गया है।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.05.2015 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क' अधिसूचित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्रेमवर्क में कुछ संशोधन किए हैं ताकि उन्हें मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुकूल बनाया जा सके और दिनांक 17.03.2016 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को संशोधित फ्रेमवर्क जारी किया गया है।

एक नोडल विभाग के रूप में लोक उद्यम विभाग ने "रूग्ण/ रूग्णता की प्रारंभिक स्थिति वाले और कमजोर सीपीएसई के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के लिए तंत्र को सरल बनाने के लिए दिनांक 29.10.2015 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई की रूग्णता के समाधान की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की है। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सीपीएसई की रूग्णता की निगरानी करते हैं और प्रदर्शन के आधार पर अपने नियंत्रण में कार्य करने वाले बीमार/ रूग्णता की प्रारंभिक स्थिति वाले/कमजोर सीपीएसई की पहचान करते हैं और समय पर उपचारात्मक उपाय करते हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग मामला-दर-मामला आधार पर ऐसे सीपीएसई के लिए पुनरुत्थान/ पुनर्गठन योजना तैयार करते हैं, और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात योजना को लागू करते हैं । सरकार ने रूग्ण व्यवसायों के समयबद्ध और तेजी से पुनरुद्धार के लिए इंसॉल्वेंसी एण्ड बैंकरप्सी कोड को लागू किया है।

विवरण-I

मार्च 31, 2015 तक रुग्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की राज्यवार व्यवहार्य स्थिति

(इकाइयों की संख्या वास्तविक में और राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	संभावित रूप से व्यवहारिक		संभावित रूप से गैर-व्यवहार्य		व्यावहारिक के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है		कुल रुग्ण इकाई		नर्सिंग के तहत व्यवहार्य इकाईयां	
		इकाइयों की संख्या	बकाया राशि	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज											
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	29.52	95	6.00	2	0.01	112	35.54	15	29.52
2.	आंध्र प्रदेश	1601	194.96	38302	941.70	3119	373.66	43022	1510.32	688	129.71
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	1.15	245	5.68	99	7.47	351	14.31	6	1.13
4.	असम	754	78.46	3740	101.23	556	137.61	5050	317.29	654	64.54
5.	बिहार	1142	104.42	12660	297.82	1857	23.59	15659	426.22	490	81.86
6.	चंडीगढ़	85	39.29	1665	520.32	54	24.60	1804	584.34	73	38.42
7.	छत्तीसगढ़	594	40.85	5099	99.05	682	44.75	6375	184.65	118	21.89
8.	दादरा और नगर हवेली	11	8.64	47	0.66	3	0.20	61	9.51	9	8.64
9.	दमन और दीव	8	2.66	28	1.82	0	0.00	36	4.47	7	2.63
10.	दिल्ली	397	456.95	5012	1342.65	724	275.80	6133	2075.42	163	322.59
11.	गोवा	271	18.77	1582	107.06	350	65.49	2203	190.89	62	8.48
12.	गुजरात	5532	445.84	41152	1272.15	2322	120.59	49006	1838.98	2777	330.26
13.	हरियाणा	265	264.45	13747	315.47	1060	54.46	15072	634.08	151	260.93
14.	हिमाचल प्रदेश	199	31.89	2575	96.57	47	8.03	2821	136.64	142	29.77
15.	जम्मू और कश्मीर	116	26.48	2792	206.57	209	8.25	3117	241.04	43	6.67

16.	झारखंड	2422	185.11	6270	286.40	365	14.11	9057	485.62	146	77.40
17.	कर्नाटक	2727	226.43	32828	704.13	2663	129.40	38218	1059.97	1008	113.46
18.	केरल	1315	76.10	21286	426.87	4258	128.74	26859	631.71	558	40.32
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	मध्य प्रदेश	1455	224.53	14508	236.78	2552	52.40	18515	513.73	414	196.93
21.	महाराष्ट्र	4345	840.43	37732	2185.21	6927	507.01	49004	3532.67	2000	688.11
22.	मणिपुर	9	0.82	3649	46.48	41	0.77	3699	48.07	5	0.77
23.	मेघालय	21	0.90	138	5.61	10	0.65	169	7.43	7	0.34
24.	मिजोरम	1	0.02	19	1.57	12	1.39	32	3.01	1	0.02
25.	नागालैंड	12	1.04	418	10.82	40	3.88	470	15.75	7	0.93
26.	ओडिशा	1162	251.68	17296	591.23	1170	50.53	19628	893.43	413	224.99
27.	पुदुचेरी	91	3.65	1386	36.85	146	18.56	1623	59.07	8	1.09
28.	पंजाब	537	271.52	12794	1023.83	1045	180.08	14376	1475.43	218	192.26
29.	राजस्थान	4419	198.69	20733	237.46	833	121.64	25985	557.79	4220	190.41
30.	सिक्किम	9	0.80	34	1.49	24	0.37	67	2.67	6	0.77
31.	तमिलनाडु	3090	615.92	35434	1696.55	6291	389.96	44815	2702.42	1187	434.72
32.	त्रिपुरा	1156	186.37	3946	65.40	88	7.31	5190	259.07	35	4.68
33.	उत्तर प्रदेश	7159	862.49	73454	1403.54	3374	122.44	83987	2388.85	3694	571.86
34.	पश्चिम बंगाल	6803	1044.28	28334	1244.80	2515	350.34	37652	2639.40	2583	727.59
35.	उत्तराखंड	339	65.36	3861	137.41	476	31.28	4676	234.04	308	65.03
	कुल	48069	6800.46	442861	15657.17	43914	3255.38	534844	25713.83	22216	4868.70
मध्यम उद्यम											
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	34	103.81	102	544.59	33	241.68	169	890.09	23	72.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	असम	1	0.86	2	7.27	15	194.46	18	202.59	0	0.00
5.	बिहार	4	27.88	1	1.50	0	0.00	5	29.38	4	27.88
6.	चंडीगढ़	8	68.51	103	168.66	7	94.63	118	331.80	3	27.38
7.	छत्तीसगढ़	1	8.74	8	21.85	2	0.03	11	30.62	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	दिल्ली	43	182.93	118	474.24	44	101.10	205	758.27	18	136.90
11.	गोवा	0	0.00	3	0.83	2	3.52	5	4.35	0	0.00
12.	गुजरात	83	216.38	278	478.91	15	19.41	376	714.70	53	155.72
13.	हरियाणा	7	40.78	117	108.41	13	11.15	137	160.33	4	37.80
14.	हिमाचल प्रदेश	4	56.42	49	20.89	0	0.00	53	77.31	0	0.00
15.	जम्मू और कश्मीर	4	32.86	45	25.82	0	0.00	49	58.68	0	0.00
16.	झारखंड	13	25.96	9	32.83	6	6.90	28	65.70	11	25.90
17.	कर्नाटक	7	6.19	32	28.52	20	113.57	59	148.28	1	1.95
18.	केरल	9	21.70	10	14.18	6	43.66	25	79.54	6	21.59
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	मध्य प्रदेश	19	70.55	9	14.59	13	3.32	41	88.60	19	70.55
21.	महाराष्ट्र	94	323.43	127	727.70	68	158.33	289	1209.56	66	232.45
22.	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23.	मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24.	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25.	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

26.	ओडिशा	9	20.67	2	4.05	8	0.46	19	25.18	7	17.79
27.	पुदुचेरी	0	0.00	2	0.11	0	0.00	2	0.11	0	0.00
28.	पंजाब	22	108.35	186	270.22	5	0.17	213	378.75	10	79.83
29.	राजस्थान	9	16.53	3	0.01	0	0.00	12	16.54	9	16.53
30.	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
31.	तमिलनाडु	178	571.16	72	191.49	49	122.76	299	885.41	159	508.70
32.	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	23	39.84	48	69.14	5	3.36	76	112.55	20	36.80
34.	पश्चिम बंगाल	92	430.14	103	344.99	11	61.52	206	836.72	72	302.80
35.	उत्तराखंड	5	6.44	5	28.86	0	0.00	10	35.30	5	6.44
	कुल	669	2380.13	1434	3579.67	322	1180.03	2425	7140.36	490	1779.89

स्रोत: जैसा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिपोर्ट दी गई है।

मार्च 31, 2016 तक रुग्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की राज्यवार व्यवहार्य स्थिति

(इकाइयों की संख्या वास्तविक में और राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	संभावित रूप से व्यवहारिक		संभावित रूप से गैर-व्यवहार्य		व्यावहारिक के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है		कुल रूग्ण इकाई		नर्सिंग के तहत व्यवहार्य इकाईयां	
		इकाइयों की संख्या	बकाया राशि	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज											
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	1.82	860	128.15	14	0.25	883	130.22	21	1.79
2.	आंध्र प्रदेश	579	61.37	10432	415.33	374	148.71	11385	625.40	180	30.05
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	0.05	262	11.13	115	2.85	383	14.04	0	0.00
4.	असम	429	65.91	4107	152.96	411	82.78	4947	301.64	330	53.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	बिहार	738	45.30	16505	475.22	428	11.15	17671	531.65	138	25.87
6.	चंडीगढ़	60	32.39	1134	619.91	32	22.59	1226	674.88	41	18.97
7.	छत्तीसगढ़	943	126.40	5224	253.89	688	33.73	6855	414.02	34	57.65
8.	दादरा और नगर हवेली	13	8.55	41	1.61	7	0.50	61	10.66	5	8.34
9.	दमन और दीव	6	1.07	26	2.14	0	0.00	32	3.21	4	1.07
10.	दिल्ली	330	1211.52	4732	1885.23	356	263.54	5418	3359.78	109	606.31
11.	गोवा	298	24.17	1229	104.26	102	33.10	1629	161.45	149	21.63
12.	गुजरात	6369	443.64	33381	1683.03	2651	273.23	42401	2399.89	2413	239.61
13.	हरियाणा	443	229.41	13885	552.12	147	47.83	14475	829.37	145	193.92
14.	हिमाचल प्रदेश	125	30.31	2701	124.70	23	1.80	2849	156.81	79	24.84
15.	जम्मू और कश्मीर	96	20.34	2714	208.66	54	12.98	2864	241.97	35	6.77
16.	झारखंड	2240	149.82	8409	431.13	402	12.74	11051	593.68	99	211.16
17.	कर्नाटक	2694	125.05	25135	767.25	1534	91.22	29363	983.51	1000	83.72
18.	केरल	956	46.90	20215	478.85	531	121.42	21702	647.17	494	36.10
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	मध्य प्रदेश	1468	163.26	18679	666.23	417	30.46	20564	859.97	239	126.65
21.	महाराष्ट्र	11469	1377.39	39193	3853.62	1540	441.83	52202	5672.39	9026	999.72
22.	मणिपुर	7	0.73	1780	24.84	4	0.10	1791	25.67	5	0.68
23.	मेघालय	0	0.00	73	3.76	10	6.21	83	9.97	0	0.00
24.	मिजोरम	6	1.16	470	17.91	36	2.90	512	21.98	3	1.04
25.	नागालैंड	1111	241.85	13791	740.57	575	59.01	15477	1041.43	435	305.20
26.	ओडिशा	115	4.25	1238	80.45	38	14.02	1391	98.73	36	3.44
27.	पुदुचेरी	525	215.44	15175	1510.00	208	89.33	15908	1814.79	152	115.15

28.	पंजाब	3593	141.64	19971	366.79	466	42.77	24030	551.19	3460	123.26
29.	राजस्थान	10	1.56	51	1.79	24	0.84	85	4.20	0	0.00
30.	सिक्किम	3006	495.55	34110	1954.98	2361	343.11	39477	2793.80	924	297.95
31.	तमिलनाडु	1197	55.25	3603	59.98	77	3.34	4877	118.55	39	6.67
32.	त्रिपुरा	4651	600.90	90080	2294.40	1128	82.47	95859	2977.77	2657	407.86
33.	उत्तर प्रदेश	1898	822.42	16487	2214.64	1331	240.21	19716	3277.28	688	531.99
34.	पश्चिम बंगाल	236	45.09	4344	247.43	767	18.70	5347	311.22	210	44.41
35.	उत्तराखंड	625	100.09	6684	637.13	457	278.91	7766	1016.13	354	58.96
	कुल	46251	6890.61	416721	22970.09	17308	2814.63	480280	32674.42	23504	4644.09
मध्यम उद्यम											
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0.37	2	0.00	0	0.00	3	0.37	0	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	27	120.44	52	118.98	12	105.69	91	345.11	24	111.68
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	असम	1	0.86	7	100.03	7	96.84	15	197.73	0	0.00
5.	बिहार	5	27.69	10	30.23	1	2.64	16	60.56	5	27.69
6.	चंडीगढ़	22	0.32	24	128.50	2	3.82	48	132.64	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	8	56.89	5	12.18	0	0.00	13	69.08	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	6	18.51	6	18.51	0	0.00	12	37.02	6	18.51
9.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	दिल्ली	23	174.40	179	813.74	6	59.75	208	1047.91	10	85.32
11.	गोवा	1	3.35	13	33.92	0	0.00	14	37.28	0	0.00
12.	गुजरात	53	183.67	113	549.53	12	81.11	178	814.30	35	119.63
13.	हरियाणा	8	78.11	77	54.37	2	8.89	87	141.38	5	39.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	35	64.82	0	0.00	35	64.82	0	0.00
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	35	47.50	0	0.00	35	47.50	0	0.00
16.	झारखंड	13	22.94	17	66.17	2	6.33	32	95.44	10	22.74
17.	कर्नाटक	5	25.31	37	118.21	12	55.35	54	198.87	4	3.31
18.	केरल	6	31.50	11	10.45	6	18.34	23	60.28	5	19.24
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	मध्य प्रदेश	19	63.22	35	73.50	1	0.09	55	136.82	18	63.20
21.	महाराष्ट्र	121	547.82	229	800.63	24	167.24	374	1515.68	96	466.29
22.	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23.	मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24.	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25.	नागालैंड	8	23.24	3878	65.92	2	4.84	3888	93.99	6	23.23
26.	ओडिशा	1	2.25	6	0.15	0	0.00	7	2.40	0	0.00
27.	पुदुचेरी	15	71.14	173	473.78	6	39.55	194	584.47	8	45.28
28.	पंजाब	12	52.89	16	9.87	1	10.27	29	73.03	9	33.66
29.	राजस्थान	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30.	सिक्किम	61	174.57	156	419.36	22	131.25	239	725.18	29	99.00
31.	तमिलनाडु	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
32.	त्रिपुरा	21	93.85	107	213.96	2	0.06	130	307.87	19	81.70
33.	उत्तर प्रदेश	46	350.19	74	221.83	14	77.39	134	649.41	15	174.74
34.	पश्चिम बंगाल	3	5.19	13	9.23	0	0.00	16	14.41	3	5.19
35.	उत्तराखंड	34	164.92	18	97.42	29	252.19	81	514.53	20	149.27
	कुल	520	2293.65	5328	4552.77	163	1121.63	6011	7968.08	327	1589.65

स्रोतः जैसा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिपोर्ट दी गई है।

एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क पर डेटा-राज्यवार रिपोर्टिंग वर्षः 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए छमाही वर्ष

क्र. सं.	राज्य का नाम	अर्ध वर्ष के दौरान समिति को भेजे गए लेखा	सुधार	पुनर्गठन	वसूली	कुल समाधान (सुधार+ पुनर्गठन + वसूली)
1	2	3	4	5	6	7
सूक्ष्म						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	5	0	0	5
2.	आंध्र प्रदेश	1280	666	1261	1001	2928
3.	अरुणाचल प्रदेश	333	2	0	333	335
4.	असम	609	270	3	351	624
5.	बिहार	3031	3674	0	477	4151
6.	चंडीगढ़	302	104	1	139	244
7.	छत्तीसगढ़	755	547	1	430	978
8.	दादरा और नगर हवेली	20	12	0	8	20
9.	दमन और दीव	29	33	0	1	34
10.	दिल्ली	579	1029	5	313	1347
11.	गोवा	674	31	0	662	693
12.	गुजरात	1394	1596	1	360	1957
13.	हरियाणा	733	2671	2	284	2957
14.	हिमाचल प्रदेश	1193	243	2	402	647
15.	जम्मू ओर कश्मीर	60	399	0	16	415
16.	झारखंड	4405	1572	630	62	2264
17.	कर्नाटक	494	1212	9	835	2056
18.	केरल	767	1234	3	111	1348
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	21239	2560	37	19575	22172
21.	महाराष्ट्र	4965	5079	12	979	6070
22.	मणिपुर	15	17	0	2	19
23.	मेघालय	224	7	3	217	227
24.	मिजोरम	501	2	0	499	501
25.	नागालैंड	204	35	0	174	209

1	2	3	4	5	6	7
26.	ओडिशा	652	2048	3	64	2115
27.	पुदुचेरी	843	21	0	842	863
28.	पंजाब	3741	7969	1	198	8168
29.	राजस्थान	2153	3712	0	157	3869
30.	सिक्किम	2	5	0	0	5
31.	तमिलनाडु	4865	6901	12	1270	8183
32.	तेलंगाना	750	401	5	570	976
33.	त्रिपुरा	431	19	0	395	414
34.	उत्तराखंड	570	1586	2	249	1837
35.	उत्तर प्रदेश	8114	7923	0	7682	15605
36.	पश्चिम बंगाल	1344	1444	9	577	2030
	कुल	67274	55029	2002	39235	96266
लघु						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	7	0	1	8
2.	आंध्र प्रदेश	1138	816	0	498	1314
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	7	0	0	7
4.	असम	269	70	5	202	277
5.	बिहार	1228	259	1	659	919
6.	चंडीगढ़	200	150	1	98	249
7.	छत्तीसगढ़	1281	342	2	992	1336
8.	दादरा और नगर हवेली	23	23	0	4	27
9.	दमन और दीव	52	58	0	3	61
10.	दिल्ली	475	537	2	320	859
11.	गोवा	986	494	0	531	1025
12.	गुजरात	1666	1582	2	405	1989
13.	हरियाणा	831	1178	87	216	1481
14.	हिमाचल प्रदेश	164	76	0	105	181
15.	जम्मू और कश्मीर	289	228	0	102	330
16.	झारखंड	467	407	25	133	565
17.	कर्नाटक	1496	1474	1	1160	2635

1	2	3	4	5	6	7
18.	केरल	1199	871	0	82	953
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	1470	831	2	879	1712
21.	महाराष्ट्र	1842	1536	12	800	2348
22.	मणिपुर	1	2	0	0	2
23.	मेघालय	132	2	1	130	133
24.	मिजोरम	205	0	0	205	205
25.	नागालैंड	6	6	0	0	6
26.	ओडिशा	863	781	0	69	850
27.	पुदुचेरी	22	78	0	20	98
28.	पंजाब	5922	6387	2	362	6751
29.	राजस्थान	1295	1372	0	140	1512
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	1679	1190	13	1448	2651
32.	तेलंगाना	522	313	4	327	644
33.	त्रिपुरा	195	7	0	186	193
34.	उत्तराखंड	242	362	5	57	424
35.	उत्तर प्रदेश	4065	2767	7	2733	5507
36.	पश्चिम बंगाल	258	327	0	81	408
	कुल	30484	24540	172	12948	37660
मध्यम						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	44	33	1	18	52
3.	अरुणाचल प्रदेश	168	0	0	168	168
4.	असम	226	12	0	215	227
5.	बिहार	75	22	0	56	78
6.	चंडीगढ़	30	15	1	9	25
7.	छत्तीसगढ़	18	17	0	6	23
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
9.	दमन और दीव	5	5	0	0	5
10.	दिल्ली	49	57	1	29	87
11.	गोवा	29	0	0	27	27
12.	गुजरात	136	147	0	21	168
13.	हरियाणा	113	104	2	30	136
14.	हिमाचल प्रदेश	1	2	0	0	2
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0
16.	झारखंड	19	12	0	7	19
17.	कर्नाटक	87	63	0	65	128
18.	केरल	28	20	1	0	21
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	198	58	1	146	205
21.	महाराष्ट्र	247	205	0	77	282
22.	मणिपुर	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	1	0	0	1
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	22	21	1	5	27
27.	पुदुचेरी	1	0	0	0	0
28.	पंजाब	102	94	1	20	115
29.	राजस्थान	79	70	0	4	74
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	142	122	9	66	197
32.	तेलंगाना	87	49	0	33	82
33.	त्रिपुरा	272	2	0	270	272
34.	उत्तराखंड	13	12	1	1	14
35.	उत्तर प्रदेश	822	144	4	717	865
36.	पश्चिम बंगाल	32	49	0	7	56
	कुल	3045	1336	23	1997	3356

1	2	3	4	5	6	7
कुल एमएसएमई*						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	12	0	1	13
2.	आंध्र प्रदेश	2462	1515	1262	1517	4294
3.	अरुणाचल प्रदेश	501	9	0	501	510
4.	असम	1104	352	8	768	1128
5.	बिहार	4334	3955	1	1192	5148
6.	चंडीगढ़	532	269	3	246	518
7.	छत्तीसगढ़	2054	906	3	1428	2337
8.	दादरा और नगर हवेली	43	35	0	12	47
9.	दमन और दीव	86	96	0	4	100
10.	दिल्ली	1103	1623	8	662	2293
11.	गोवा	1689	525	0	1220	1745
12.	गुजरात	3196	3325	3	786	4114
13.	हरियाणा	1677	3953	91	530	4574
14.	हिमाचल प्रदेश	1358	321	2	507	830
15.	जम्मू और कश्मीर	349	627	0	118	745
16.	झारखंड	4891	1991	655	202	2848
17.	कर्नाटक	2077	2749	10	2060	4819
18.	केरल	1994	2125	4	193	2322
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	22907	3449	40	20600	24089
21.	महाराष्ट्र	7054	6820	24	1856	8700
22.	मणिपुर	16	19	0	2	21
23.	मेघालय	356	10	4	347	361
24.	मिजोरम	706	2	0	704	706
25.	नागालैंड	210	41	0	174	215
26.	ओडिशा	1537	2850	4	138	2992
27.	पुदुचेरी	866	99	0	862	961
28.	पंजाब	9765	14450	4	580	15034
29.	राजस्थान	3527	5154	0	301	5455

1	2	3	4	5	6	7
30.	सिक्किम	2	5	0	0	5
31.	तमिलनाडु	6686	8213	34	2784	11031
32.	तेलंगाना	1359	763	9	930	1702
33.	त्रिपुरा	898	28	0	851	879
34.	उत्तराखंड	825	1960	8	307	2275
35.	उत्तर प्रदेश	13001	10834	11	11132	21977
36.	पश्चिम बंगाल	1634	1820	9	665	2494
	कुल	100803	80905	2197	54180	137282

स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

*समितियों द्वारा समाधान किए गए मामलों की संख्या संदर्भित मामलों की तुलना में अधिक है क्योंकि अर्द्ध वर्ष की शुरूआत में समिति के पास कुछ मामले लंबित थे जिनका इस अवधि के दौरान समाधान किया गया है।

विवरण-II

घाटे में चल रही सीपीएसईएस की शुद्ध हानि(-)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	कॉग्नेट ग्रुप/सीपीएसई	2016-17	2015-16	2014-15
	कृषि आधारित उद्योग			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप वन एवं संयत्र विकास निगम लि.	-4970	-4970	-4509
2.	सीआरईडीए एचपीसीएल बायोफ्यूल लि.	-375	-716	-507
3.	एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लि.	-3072	-6137	-8437
4.	भारतीय तेल-सीआरईडीए बाइफ्यूल्स लि.	-627	-19	-1376
	उप योग	-9044	-11842	-14829
	कोयला			
5.	भारत कोकिंग कोयला लि.	-16998	60907	76314
6.	पश्चिमी कोलफील्ड्स लि.	-77703	29769	31314
	उप योग	-94701	90676	107628
	कच्चा तेल			
7.	भारत पेट्रो संसाधन लि.	-20298	-5589	-3429
8.	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लि.	-1495	-4888	208
	उप योग	-21793	-10477	-3221

क्र. सं.	कॉग्नेट ग्रुप/सीपीएसई	2016-17	2015-16	2014-15
	अन्य खनिजों और धातुएं			
9.	जम्मू और कश्मीर खनिज विकास निगम लि.	-85	-165	-80
10.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लि.	-1773	-1664	-2727
	उप योग	-1858	-1829	-2807
	इस्पात			
11.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	-126316	-160372	6238
12.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	-283324	-402144	209268
	उप योग	-409640	-562516	215506
	उर्वरक			
13.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (ट्रावनकोर) लि.	-18696	-45219	-39991
14.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	-2331	-18954	-13469
	उप योग	-21027	-64173	-53460
	रसायन और फार्माक्यूटिकल्स			
15.	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलिमर लि.	-54741	-27251	0
16.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	-7824	-7718	-7055
17.	हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लि.	-489	-1111	-377
18.	हिन्दुस्तान जैविक रसायन लि.	-25557	-17391	-21549
19.	एचएलएल बायोटेक लि.	-472	-610	-7
20.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि.	-239	-73	112
21.	भारतीय ड्रग्स एंड फार्माक्यूटिकल्स लि.	-17002	-16608	-16721
22.	इंडियन वैक्सीन कार्पोरेशन लि.	-20	-208	-164
23.	ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लि.	-36618	-64887	0
24.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्माक्यूटिकल्स लि.	-599	-599	-1976
	उप योग	-143561	-136456	-47737
	भारी एवं मध्यम इंजीनियरिंग			
25.	बीईएल-थेल्स सिस्टम्स लि.	-82	-245	0
26.	भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लि.	-8447	-7506	-5504
27.	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि.	-1434	-1526	-1568
28.	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लि.	-424	-298	-396
29.	ब्रीथवेट एंड कंपनी लि.	-895	64	-4461

क्र. सं.	कॉग्नेट ग्रुप/सीपीएसई	2016-17	2015-16	2014-15
30.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि.	-3351	-2837	-2466
31.	भारी इंजीनियरिंग निगम लि.	-8227	-14477	-24169
32.	एचएमटी बियरिंग्स लि.	-378	-809	-1777
33.	एचएमटी लि.	-23949	-1714	-9657
34.	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	-12759	-10666	-13494
35.	एचएमटी वॉचस लि.	-20356	-15557	-25920
36.	इंस्ड्मेंटेशन लि.	-9151	-17050	-14154
37.	स्कूटर्स इंडिया लि.	-1028	548	1109
38.	तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि.	-2887	-2887	-2887
	उप योग	-93368	-74960	-105344
	औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुए			
39.	हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड	-6014	-4361	-781
40.	हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड	-37014	-37014	-33129
41.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी लि.	-291716	-252791	-216436
42.	एचएलएल लाइफकेयर लि.	-2538	2714	3155
43.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि.	-3	13	7
44.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि.	-1739	-1739	-1538
45.	एनईपीए लि.	-6862	-7012	-4871
46.	सांभर सॉल्ट्स लि.	-855	-890	-983
	उप योग	-346741	-301080	-254576
	वस्त्र			
47.	बईस जूट एंड एक्सपोर्ट्स लि.	-485	-464	-585
48.	ब्रिटिश इंडिया निगम लि.	-10498	-9724	-9494
	उप योग	-10983	-10188	-10079
	विद्युत उत्पादन			
49.	कान्ति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	-2193	-5821	1724
50.	पत्रातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-7	-1	0
	उप योग	-2200	-5822	1724
	विद्युत ट्रांसमिशन			
51.	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि.	-18	113	126

क्र. सं.	कॉग्नेट ग्रुप/सीपीएसई	2016-17	2015-16	2014-15
52.	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लि.	-1895	0	0
53.	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लि.	-6	0	0
54.	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लि.	-2194	296	0
	उप योग	-4113	409	126
	व्यापार और विपणन			
55.	भारतीय हस्तशिल्प और हैंडलूम निर्यात निगम लि.	-3053	-1076	340
56.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	-191	1310	-919
57.	उत्तर-पूर्व हस्तशिल्प एवं हन्डलूम विकास निगम लि.	-305	-196	-440
58.	उत्तर-पूर्व प्रादेशिक कृषि विपणन निगम लि.	-589	-589	-589
59.	पीईसी लि.	-9210	-114202	-20854
60.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.	-16553	1786	2619
61.	एसटीसीएल लि.	-56277	-48007	-41259
	उप योग	-86178	-160974	-61102
	परिवहन और लॉजिस्टिक सेवाएं			
62.	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लि.	-40710	-40710	-24257
63.	एअर इंडिया लि.	-395165	-383678	-585991
64.	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लि.	-28272	-19875	-18392
65.	फ्रेश एंड हैल्दी एंटरप्राइजेज़ लि.	-1365	-2591	-1447
66.	सिडलक कन्कोर इंफ्रा कंपनी लि.	-1296	239	0
67.	टीसीआईएल बीना टोल रोड़ लि.	-1046	-1043	-942
	उप योग	-467854	-447658	-631029
	अनुबंध एक निर्माण और तकनीक परामर्शदात्री सेवाएं			
68.	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि.	-19	115	109
69.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्सन लि.	-1728	3690	-811
70.	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि.	-454	115	198
71.	मेकॉन लिमिटेड	-8384	-16241	2027
72.	एनबीसीसी इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी लि.	-17	-8	0
73.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.	-1058	-892	-586
74.	राइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज़ लि.	-10	-42	10
75.	टीसीआईएल लखनाडॉन टोल रोड़ लि.	-464	-4	0
	उप योग	-12134	-13267	947

क्र. सं.	कॉम्नेट ग्रुप/सीपीएसई	2016-17	2015-16	2014-15
	होटल और पर्यटन सेवाएं			
76.	असम अशोक होटल निगम लि.	-155	-155	-119
77.	डोनी पोलो अशोक होटल लि.	-4	1	-3
78.	भारतीय होटल निगम लि.	-5427	-5776	-5046
79.	रांची अशोक बिहार होटल निगम लि.	-211	-168	-107
80.	उत्कल अशोक होटल निगम लि.	-128	-197	-70
	उप योग	-5925	-6295	-5345
	दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी			
81.	भारत संचार निगम लि.	-479321	-485916	-823409
82.	महानगर टेलीफ़ोन निगम लि.	-294108	-194755	-289339
	उप योग	-773429	-680671	-1112748
	कुल योग	-2504549	-2397123	-1976346

[हिन्दी]

उद्योगों की स्थापना

5645. **श्री अजय निषादः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ऐसी कृषि भूमि, जिसका अधिग्रहण किया जा चुका है, लेकिन वह लंबे समय से रिक्त पड़ी है, पर उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का निर्धारित समयावधि में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किए जाने के मामले में ऐसी भूमि को किसानों को स्थानांतरित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुपजाऊ/कृषि भूमि के आवंटन संबंधी क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं, ताकि क्षेत्रीय असंतुलन को प्रभावित किए बिना देश का औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जा सके?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): (क) से (ग) केंद और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाता है जिसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (आरएफसीटीएलएआरआर), 2013 शामिल है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इस अधिनियम की धारा 101 में यह व्यवस्था है कि इस अधिनियम के तहत अधिग्रहीत कोई भी भूमि यदि कब्जा हासिल करने की तारीख से पांच वर्ष तक इस्तेमाल नहीं की जाती है तो उसे स्वामी या उपयुक्त सरकार के भूमि बैंक को लौटा दिया जाएगा।

इस अधिनियम की धारा 10 में यह व्यवस्था है कि बहु-उपज वाली सिंचित भूमि को अंतिम उपाय के रूप में असाधारण परिस्थितियों में ही अधिग्रहीत किया जा सकता है। जब भी बहु-उपज सिंचित भूमि अधिग्रहित की जाती है, तो इसके बराबर बंजर भूमि का कृषि प्रयोजन के लिए विकास किया जाएगा अथवा अधिग्रहित भूमि के मूल्य के बराबर राशि, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कृषि में निवेश के लिए उपयुक्त सरकार के पास जमा की जाएगी।

तथापि रेखीय प्रकृति की परियोजनाओं जैसे रेलवे, राज्यमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, सिंचाई की नहरें, विद्युत लाइनों से संबंधित परियोजनाओं, पर ये प्रावधान लागू नहीं होते।

[अनुवाद]

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

5646. **श्री गोडम नगेश:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का भविष्य में इन स्कूलों को बारहवीं कक्षा तक उन्नयन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत में वृद्धि अथवा कमी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) जी, हां। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय और बीपीएल जैसे लाभवंचित समूहों से संबंध रखने वाली बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु आवासीय स्कूल हैं। इनका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के लैंगिक अंतराल को कम करना है और ये शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉको (ईबीबी) में संचालित हैं। केजीबीवी में एसी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक समुदायों की 75% बालिकाओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाती है और केवल उसके पश्चात ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की 25% बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।

वर्तमान में, देश में 3703 केजीबीवी संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें 3.67 लाख बालिकाओं के नामांकन के साथ 3603 विद्यालय कार्यरत हैं जिनमें 29.81% अनुसूचित जाति, 24.87% एसटी, 31.41% ओबीसी जबकि 7.74% मुस्लिम और 6.18% गरीबी रेखा से नीचे संबंध रखने वाली बालिकाएं हैं।

(ख) वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा के अनुसार पूर्व-प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक की स्कूल शिक्षा को समग्र रूप में किया जाना चाहिए। तदनुसार, इस मंत्रालय ने बालिका छात्रावास घटक को शामिल करते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक चरणबद्ध तरीके से विस्तार करने संबंधी एक प्रस्ताव तैयार किया है।

(ग) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विद्यार्थियों की पढ़ाई छोड़ने के प्रतिशत को राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र नहीं किया जाता है। तथापि, विगत तीन वर्षों में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के पढ़ाई छोड़ने की दर लगातार कम हुई है। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डाइस) के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के पढाई छोड़ने की औसत वार्षिक दर का विवरण निम्नानुसार है:

2012-13	2013-14	2014-15
4.66	4.14	3.88

एनआईओएस द्वारा संचालित परियोजनाएं

5647. **श्री डी. एस. राठौड़:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में राष्ट्र मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं का कोई ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) संबंधित कोई आंकड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान चलाई जा रही परियोजनाओं से हुए लाभ का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) (क) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्र. सं.	परियोजना का नाम
1.	किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (एईपी)
2.	आशा (प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) परियोजना
3.	पीएमजी-दिशा-प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
4.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए)
5.	व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (मूक)
6.	ग्रामीण उद्यमीयता कार्यक्रम (आरईपी)
7.	वस्त्र मंत्रालय-हथकरघा मजदूरों और उनके परिवारों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना
8.	वाराणसी में अनुसंधान अध्ययन-बुनकर समुदाय और उनके परिवारों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु सर्वेक्षण आयोजित करना

क्र. सं.	परियोजना का नाम
9.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद-सिंधी भाषा का डिजाइन और विकास
10.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड) (नागालैंड)
11.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड) (हिमाचल प्रदेश)
12.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड) (मेघालय)
13.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड) (जम्मू और कश्मीर)
14.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड) (झारखंड)

(ख) और (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान एनआईओएस की आय और व्यय के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

(धनराशि रुपये में)

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय	लाभ/हानि
2012-13	140,93,03,335	106,94,29,978	33,98,73,357
2013-14	135,66,54,436	125,31,17,482	10,35,36,954
2014-15	177,78,73,614	140,13,49,539	37,65,24,075
2015-16	205,45,63,589	156,17,37,563	49,28,26,026
2016-17	210,01,11,694	115,88,83,351	94,12,28,343

सभी परियोजनाएं जारी हैं, अतः वर्तमान में एनआईओएस द्वारा लाभ/हानि का आकलन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

एनआईटी में सीटों की संख्या

5648. **श्री विष्णु दयाल रामः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) के अंतर्गत कॉलेजों की सीटों की संख्या में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में वास्तविक मांग सहित वर्तमान अनुपात कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीएसईआर) अधिनियम, 2007 और इस अधिनियम के तहत बनाई गई संविधियों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित राष्ट्रीय महत्व की स्वायत्त संस्थाएं हैं। जैसाकि एनआईटी स्वायत्त संस्थाएं है, अतः वे विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या निर्धारित करती हैं। एनआईटी में सीटों की संख्या अवर स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर मामूली तौर पर बढ़ गई हैं।

एनआईटी औपचारिक तरीके से वास्तविक मांगों का मूल्यांकन नहीं करते। तथापि, सामान्य तौर पर, सीटों को बढ़ाने और घटाने का निर्णय जैसे कारकों पर विचार कर लिया जाता है।

[अनुवाद]

एक्सचेंज ट्रेड फंड में ईपीएफओ का निवेश

5649. **श्री मल्लिकार्जुन खड़गेः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एक्सचेंज ट्रेड फंड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कायिक निधि में से कितना प्रतिशत निवेश किया गया है और 2014 से 2017 के दौरान ईपीएफओ जमाओं की अनुमानित धनराशि कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कर्मचारियों/उपभोक्ताओं का पैसा शेयर बाजार की अनिश्चितता से सुरक्षित और अप्रभावित रहे?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 15 प्रतिशत निवेश-योग्य निधि का निवेश विनिमेय व्यापार निधियों(ईटीएफ) में किया जाता है। ईटीएफ में निवेश अगस्त, 2015 से आरंभ हुआ तथा दिसम्बर, 2017 तक ईटीएफ में निवेश की कुल राशि 37,667.58 करोड़ रुपये है।

(ख) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड(सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि ने 31.03.2015 को सम्पन्न अपनी 207वीं बैठक में इक्विटी और संबंधित निवेश वर्ग में केवल विनिमेय व्यापार निधियों(ईटीएफ) में निवेश करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

5650. **श्री आनंदराव अडसुलः**
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालेजों में प्रौद्योगिकी और शोध तथा विकास के क्षेत्र में देश में शिक्षा में सुधार करने के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता में भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आज भी कोई नीति नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की शैक्षिक समुदायों और उद्योग के मध्य वार्ता को बढ़ावा देने की मंशा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे पर रूपरेखा तैयार की है और शैक्षिक संस्थाओं को दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) के सहयोग से देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और शैक्षणिक प्रक्रिया में समग्र सुधार के लिए स्थापित और नई प्रौद्योगिकियों में नवाचारों तथा शोध एवं विकास, नई प्रौद्योगिकियों के सृजन, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने और इनके अनुकूलन का संवर्धन करती हैं। इन उद्देश्यों हेतु परिषद् तीन योजनाओं नामतः आधुनिकीकरण और अप्रचलित को हटाए जाने (एमओडीआरओबीएस), शोध संवर्धन योजना (आरपीएस) और राष्ट्रीय रूप से समन्वित परियोजनाएं (एनसीपी) संचालित करती है।

(ख) देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है:–

(i) **उच्च शिक्षा निधियन एजेंसी (एचईएफए)**: यह एक नॉट-फॉर-प्रोफिट संगठन है जो बाजार से निधियां एकत्र करेगा और दान तथा सीएसआर की निधियों से उनमें वृद्धि करेगा। अनुपूरण करेगा। इन निधियों का प्रयोग हमारी शीर्ष संस्थाओं में अवसंरचना और शोध सुविधाओं की स्थापना और सुधार के निधियन में किया जाएगा और ये आंतरिक प्रोभ्दवनों के जरिए सेवित होंगी।

(ii) **प्रधान मंत्री शोध फैलोशिप**: इस योजना के तहत वे विद्यार्थी जिन्होंने आईआईएससी/आईआईटी/एनआईटी/आईआईएसईआर/आईआईआईटी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों में बी.टेक अथवा समेकित एम.टेक अथवा एम.एससी. पूरी की है अथवा अंतिम वर्ष में है, उन्हें आईआईटी/आईआईएससी में पीएच.डी में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और जिन्हें पीएमआरएफ के दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से छांटा गया हो, उन्हें पहले दो वर्षों के लिए 70,000/- रुपए प्रतिमाह, तीसरे वर्ष के लिए 75,000/- रुपए प्रतिमाह और चौथे तथा पांचवें वर्षों के लिए 80,000/- रुपए प्रतिमाह की फैलोशिप प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक फैलो को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमीनारों में शोध कागज प्रस्तुत करने के लिए उनकी विदेश यात्रा के व्यय को पूरा करने के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए 2.00 लाख रुपए का शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा। तीन वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम 3,000 फैलो (प्रति वर्ष 1000) चुने जाएंगे।

(iii) **स्मार्ट इंडिया हेकाथन (एसआईएच)**: हमारे देश के समक्ष आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए नए और बाधाकारी डिजिटल हल की पहचान करने हेतु वार्षिक आधार मानव संसाधन विकास मत्रालय द्वारा एसआईएच किया जा रहा है।

(iv) **वर्चुअल शिक्षण कक्षों और व्यापक मुक्त ऑनलाईन पाठ्यक्रमों (एमओओसीएस) की स्थापना**: स्वयम के अंतर्गत वर्चुअल शिक्षण कक्ष और एमओओसी, प्रौद्योगिकी समर्थित अधिगम के नए स्वरूप हैं जो सभी भूगोलीय क्षेत्रों मे व्यापक आधारित गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं। एमओओसी बड़ी संख्या में शिक्षुओं तक गुणवत्तापरक शिक्षा ऑनलाईन प्रदान करते हुए एक सस्ती प्रणाली के रूप में उभरा है। सर्वोच्च संस्थाओं में गुणवत्तापरक संकाय, शिक्षण, उत्कृष्ट पाठ्यक्रमों के लाभ इन वर्चुअल शिक्षण कक्षों तथा ऑनलाईन पाठ्यक्रमों की सहायता से सभी संस्थाओं में विद्यथियों और संकाय सदस्यों तक पहुंचाए जा सकते हैं चाहे उनका वास्तविक स्थान कहीं भी हो जिससे शिक्षा वास्तव में बाधारहित और सीमारहित बनेगी।

(v) **राष्ट्रीय डिजीटल पुस्तकालय**: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने सूचना और संचार प्रायोगिकी के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन के तहत सिंगल

विंडो सर्च सुविधा के साथ अधिगम संसाधनों की वर्चुअल रिपोजिटरी का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए राष्ट्रीय डिजीटल पुस्तकालय (एनडीएल) की प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है। इसे विद्यार्थियोंको प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने, लोगों को समूचे विश्व से और सर्वोत्तम पद्धतियों से सीखने में समर्थ बनाने तथा शोधकर्ताओं को बहु संसाधनों से अंतर-संबंधित खोज करने को सुकर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु तैयार किया जा रहा है।

(vi) **अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और शोधः** बायोटेक्नोलोजी, बायोइन्फोरमेटिक्स, नेनो-मेटेरियल्स, नेनो-टेक्नोलोजीस, मैकाट्रोनिक्स हायर परफोर्मिंग कम्प्यूटिंग इंजीनियरिंग/इंडस्ट्रीयल डिजाइन इत्यादि सहित अग्रणी क्षेत्रों में प्रोन्नत प्रशिक्षण और शोध के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(vii) **अंतर संस्थागत केन्द्रों की स्थापना, उत्कृष्टता कलस्टरों तथा नेटवर्कों का सृजन, संस्थाओं में संबद्धन की स्थापनाः** इसमें अंतर संस्थागत केन्द्रों की स्थापना, उत्कृष्टता कलस्टरों तथा नेटवर्कों का सृजन, संस्थाओं में संबद्धन की स्थापना के प्रावधान शामिल हैं।

(viii) **उच्च शैक्षिक संस्थाओं में स्टार्ट अप इंडिया पहलः** पूर्व की योजना "प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय पहल" का उच्च शिक्षा में स्टार्टअप इंडिया पहल के रूप में पुनरोद्धार किया गया है। इस पहल के तहत, अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्पर्कों को मजबूत बनाने और इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में भारतीय संस्थाओं को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे जैसे कि सहयोगी और संयुक्त शोध कार्यक्रमों के लिए शोध पार्को के फ्रेमवर्क के जरिए उद्योग जगत के साथ सम्पर्क।

(ix) **इम्प्रिंट शोध पहल का कार्यान्वयन (इम्पेक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलोजी)ः** यह योजना सामाजिक आवश्यकताओं को हल करने और राष्ट्रीय स्मृद्धि प्राप्त करने के साधन के रूप में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के अपनाने हेतु तैयार की गयी है।

(x) **नेशनल इंस्टीटयूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्कः** यह फ्रेमवर्क देश में संस्थाओं की रैंकिंग की पद्धति की रूपरेखा तैयार करता है। यह प्रक्रिया पद्धति मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं की रैंकिंग के लिए व्यापक मापदंडों की पहचान करने के लिए गठित एक कोर समिति द्वारा की गई समग्र सिफारिशों और व्यापक समझ से तैयार की गयी है। इन मापदंडों में मुख्यतः शिक्षण, अधिगम और संसाधन, शोध एवं व्यावसायिक पद्धतियां, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशन तथा अवधारणा शामिल है।

(xi) **तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी)ः** यह चुनिंदा इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता और समानता में वृद्धि करने और फोकस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इंजीनियरिंग शिक्षा प्रणाली की सक्षमता में सुधार करने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है।

(xii) **शोध पार्कः** देश में शोध की प्रेरणा देने के लिए सरकार ने आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी बंगलौर प्रत्येक में एक-एक के साथ ही कुल 9 शोध पार्कों की स्थापना की अनुमति प्रदान की है। 43 आरएंडएएमपी क्लायंट, 4 इनक्यूबेटरों, 55 स्टार्ट अप और 5 उत्कृष्टता केन्द्रों के साथ आईआईटी मद्रास पूरी तरह से कार्यशील है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्ण निधियन के साथ आईआईटी गांधीनगर शोध पार्क को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(xiii) **एआईसीटीई द्वारा गुणवत्तापरक पहलेंः** एआईसीटीई ने आयोजना, चयन, प्रवेश प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या संशोधन, अनिवार्य इंटर्नशिप, उद्योग तत्परता, नवाचार और स्टार्टअप के संवर्धन, परीक्षा सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण और अनिवार्य प्रत्यायन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक कार्य योजना अनुमोदित की है।

(ग) से (ङ) ऐसे उच्च स्तर के नवाचार के संवर्धन के लिए जो प्रत्यक्ष रूप से उद्योग की आवश्यकताओं को प्रभावित करता है और परिणाम स्वरूप भारतीय विनिर्माण की कड़ी प्रतिस्पर्धा में सुधार करता है, सरकार द्वारा "उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई)" नामक एक योजना अनुमोदित की गई थी। इस परियोजना में भारत के भीतर अथवा बाहर शैक्षिक और उद्योग जगत के बीच सहयोग की परिकल्पना की गई है। यूएवाई चरण-I के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भागीदार मंत्रालयों और उद्योग द्वारा 50:25:25 के संयुक्त निधियन के साथ 265.59 करोड़ रुपए की लागत पर 87 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। यूएवाई चरण-II के अंतर्गत

यूएवाई की सर्वोच्च समिति ने 20.11.2017 को आयोजित अपनी बैठक में तीन वर्ष की अवधि के लिए 139.48 करोड़ रुपए की लागत से 65 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं।

भिन्न रूप से सक्षम लोगों के लिए कौशल विकास

5651. **डॉ. रमेश पोखरियाल निशंकः**
श्री मानशंकर निनामाः

क्या **कौशल विकास और उद्यमिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में भिन्न रूप से सक्षम लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों से राज्य-वार और क्षेत्र-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(घ) इन कार्यक्रमों में भाग लेने के पश्चात् कितने भिन्न रूप से सक्षम लोगों को रोजगार मिला है; और

(ङ) गत चार वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) से (ङ) सरकार युवाओं को नियोजनीय कौशल प्रदान करने के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। अल्पावधि प्रशिक्षण मंत्रालय की परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत दिव्यांगों सहित समाज के सभी वर्ग आते हैं। पीएमकेवीवाई दिव्यांग व्यक्तियों को वाहन लागत, तैनाती पश्चात् सहायता, परिवहन, आवास और भोजन तथा सहायक उपकरणों के लिए सहायता के रूप में अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। प्रशिक्षण प्रदाताओं को दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिक लागत प्रतिपूर्ति के जरिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है। दिव्यांग उम्मीदवारों का वर्ष-वार प्रशिक्षण संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-2020) के अंतर्गत स्कीम के स्तर पर 1549.27 करोड़ रुपए की कुल राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से वर्ष 2016-17 में 195.50 करोड़ रुपए और वर्ष 2017-18 में 1353.78 करोड़ रुपए (अनंतिम अनुमान) संवितरित किए गए थे।

विवरण-I

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए दिव्यांग उम्मीदवारों का ब्यौरा

क्र. सं.	वर्ष	नामांकन	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित	तैनात
1.	2014-2015	131	131	123	43	42
2.	2015-2016	362	305	305	226	61
3.	2016-2017	336	126	105	68	2
4.	2017-2018	5521	1771	1406	937	299

*आंकड़ों में पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) भी सम्मिलित हैं, जिसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें तैनाती दे दी गई है।

** 10.03.2018 तक के आंकड़े

विवरण-II

पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 16-17		*वित्त वर्ष 17-18		तैनात
		नामांकन	प्रशिक्षण	नामांकन	प्रशिक्षण	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	17	2	53	23	10

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	14	0	0
3.	असम	10	1	356	4	1
4.	बिहार	15	4	110	59	9
5.	छत्तीसगढ़	1	0	76	32	3
6.	दिल्ली	9	1	25	24	4
7.	गोवा	1	1	0	0	1
8.	गुजरात	1	0	45	4	2
9.	हरियाणा	19	0	677	190	20
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	2	0
11.	जम्मू और कश्मीर	1	0	30	4	1
12.	झारखंड	3	0	138	70	1
13.	कर्नाटक	3	0	268	14	1
14.	केरल	1	0	175	6	2
15.	मध्य प्रदेश	15	1	108	80	14
16.	महाराष्ट्र	0	0	9	4	0
17.	ओडिशा	7	0	31	25	7
18.	पुदुचेरी	2	0	0	2	0
19.	पंजाब	35	23	251	201	59
20.	राजस्थान	31	0	207	92	18
21.	तमिलनाडु	12	1	527	43	7
22.	तेलंगाना	17	3	117	56	10
23.	त्रिपुरा	3	0	1	3	0
24.	उत्तर प्रदेश	63	1	1673	549	53
25.	उत्तराखंड	3	1	130	8	1
26.	पश्चिम बंगाल	56	3	343	195	63

*आंकड़े एसडीएमएस के दिनांक 10 मार्च, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार

** आंकड़ों में आरपीएल शामिल नहीं है।

शिक्षा का सुधार

5652. **श्री विनायक भाऊराव राऊतः**
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री के. अशोक कुमारः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री आनंदराव अडसुलः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा हेतु किसी नई नीति पर निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक तथा किस प्रकार कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या विभिन्न समितियों ने इस संबंध में शिक्षकों का उत्तरदायित्व तय करने और विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के कार्यों की समीक्षा करने संबंधी सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा स्नातक और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.टेक.) डिग्रीधारी युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (च) सरकार, गुणवत्तापरक शिक्षा, नवाचार एवं अनुसंधान के संबंध में लोगों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने, छात्रों को आवश्यक कौशल तथा ज्ञान से सुसज्जित करके भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा उद्योग के क्षेत्र में जनशक्ति की कमी को दूर करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति (एनईपी) बना रही है, जिसके लिए, ऑनलाइन, विशेषज्ञ/विषयगत तथा गांव से राज्य तक जमीनी स्तर पर, क्षेत्रीय स्तरों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर कई स्तरों पर व्यापक विचार-विमर्श किए गए थे।

आंरभ में नई शिक्षा नीति बनाने के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसने मई, 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसमें यह सिफारिश की गई है कि केंद्र और राज्यों को शिक्षक उत्तरदायित्व के लिए संयुक्त रूप से मानदंड और दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक कक्षा के लिए अधिगम परिणामों को आंतरिक और बाह्य मूल्यांकनों के माध्यम से तैयार किए जाने चाहिए और मॉनिटर किए जाने चाहिए। शिक्षकों और मुख्याध्यापकों को निर्धारित परिणामों को प्राप्त करने और इनके शैक्षिक निष्पादन से जुड़े करियर प्रगति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तत्पश्चात, मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के मसौदे के लिए कुछ इनपुट' तैयार किए जिसमें यह सिफारिश की गई है कि शिक्षक अनुपस्थिति, शिक्षकों की रिक्तियों और शिक्षक उत्तरदायित्व की कमी से संबंधित मुद्दों का समाधान सुदृढ़ राजनीतिक सर्वसम्मति और इच्छा से किया जाएगा और गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए और छात्रों के अधिगम परिणामों में शिक्षकों की क्षमता, अभिप्रेरणा और दायित्व का संवर्धन के लिए कार्यक्रमों को वरीयता प्रदान की जाएगी। कुछ इनपुट दस्तावेजों में भी सिफारिश की गई है कि स्कूल तथा उच्च शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास कार्यक्रमों का न केवल हमारे छात्रों के लिए लाभप्रद रोजगार प्रदान करने हेतु पुनः अभिविन्यास किया जाएगा, बल्कि उद्यमिता कौशल विकास में उनकी सहायता करने के लिए भी किया जाएगा। तथापि, इन दोनों दस्तावेजों को नीति निर्माण हेतु इनपुट माना जाता है।

शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों, स्वायत्त निकायों, माननीय संसद सदस्यों, भारत सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों से सुझाव और इनपुट प्राप्त किए गए हैं। नई शिक्षा नीति तैयार किए जाने का कार्य अभी भी जारी है, चूंकि डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे हेतु एक समिति गठित की गई है, जो सभी इनपुट तथा सुझावों पर विचार करेंगी और उनकी जांच करेगी तथा 31.03.2018 तक इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पर्यटन नीति

5653. **श्री अनुराग सिंह ठाकुरः** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पर्यटन के विकास और संवर्धन हेतु कोई नई पर्यटन नीति बनाई है/बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) नई नीति के कब तक सार्वजनिक होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त नीति बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) से (ङ) हितधारकों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, पर्यटन के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों और आम लोगों से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए एक नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। उस पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय में इस प्रारूप नीति की समीक्षा की जा रही है।

नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति की कुछ प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:–

- पर्यटन विकास में रोजगार सृजन और सामुदायिक भागीदारी पर नीति का फोकस करना।
- एक सतत और उत्तरदायी तरीके से पर्यटन के विकास पर जोर देना।
- विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और हितधारकों के साथ लिंकेज को शामिल करते हुए एक व्यापक नीति तैयार करना।
- यह नीति भारत को वैश्विक यात्रियों के लिए एक 'अवश्य अनुभव कीजिए' और 'परिवर्तनकारी' गंतव्य के रूप में विकसित करने और स्थापित करने का दृष्टिकोण स्थापित करती है जबकि अपने देश के बारे में जानने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित करती है।
- देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत के साथ-साथ चिकित्सा और निरोगता, बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन तथा प्रदर्शनियां (माइस), रोमांचकारी, वन्यजीव आदि जैसे निश उत्पादों सहित विभिन्न पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन।
- कोर अवसंरचना (हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जलमार्ग आदि) के साथ-साथ पर्यटन अवसंरचना का विकास।
- वोकेशनल से व्यावसायिक कौशल विकास और अवसर सृजन के स्पेक्ट्रम में पर्यटन और आतिथ्य सेक्टरों में गुणवत्ता-पूर्ण मानव संसाधनों का विकास करना।
- पर्यटन और पर्यटन संबंधी अवसंरचना में निवेश के लिए समर्थित परिवेश का सृजन।
- पर्यटन में प्रौद्योगिकी समर्थित विकास पर जोर देना।
- पर्यटन वृद्धि के प्रमुख साधन के रूप में घरेलू पर्यटन पर फोकस।
- वैश्विक पर्यटक ट्रैफिक में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले स्थापित स्रोत बाजारों और संभावित बाजारों में लक्षित और देश विशिष्ट अभियानों के साथ संवर्धन पर फोकस।
- बहु सेक्टर गतिविधि के आधार के रूप में पर्यटन पर जोर देना और भारत सरकार की महत्वपूर्ण/फ्लैगशिप योजनाओं के साथ मंत्रालय की गतिविधियों में सामंजस्य बनाना।

[हिन्दी]

विद्यालयों में रैगिंग की घटनाएं

5654. **श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया**: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में स्थित विद्यालयों/कॉलेजों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) और अन्य शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बढ़ती घटनाओं के संबंध में अभिभावकों/ विद्यार्थियों विद्यालयों/कॉलेजों से कई शिकायतें प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं और इस संबंध में कितने विद्यार्थी निलंबित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दोषी विद्यार्थियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (घ) जी, हां। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में प्राप्त रैगिंग की शिकायतों के राज्य-वार ब्यौरे वेबसाइट *www.antiragging.in* पर उपलब्ध हैं। रैगिंग के सूचित हुए मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है। 01 जनवरी, 2015 से 27 मार्च, 2018 के दौरान, यूजीसी को कुल 2041 रैगिंग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 338 मामलों में निलंबन को शामिल करते हुए 871 मामलों में विद्यार्थियों को सजा दी गई है।

कैम्पसों में रैगिंग के मामलों में हो रही वृद्धि के मुद्दे का समाधान करने के लिए, यूजीसी ने उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग की बुराई को रोकने संबंधी यूजीसी विनियम, 2009 प्रकाशित किए हैं। इन विनियमों का सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं (एचईआई) द्वारा अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना है। इन विनियमों में कई दंडात्मक और निषेधात्मक उपायों की व्यवस्था है। इस विनियम के पैरा 9.1 में संस्था के दोषी विद्यार्थियों को निलंबन, रोकना, निष्कासन, बहिष्करण आदि का प्रावधान है। ये विनियम यूजीसी की वेबसाइट *www.ugc.ac.in* पर उपलब्ध हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रैगिंग के मामलों का राज्य/संघ शासित प्रदेश और वर्षवार ब्यौरा

राज्य/केन्द्र शसित प्रदेश	2015	2016	2017	2018
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	12	17	28	5
अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	0
असम	9	10	33	3
बिहार	21	24	53	12
चंडीगढ़	1	0	3	0
छत्तीसगढ़	9	4	9	3
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
दिल्ली	8	8	13	6
गोवा	1	1	0	1
गुजरात	11	5	16	1
हरियाणा	4	11	16	2
हिमाचल प्रदेश	4	4	6	2
जम्मू और कश्मीर	4	2	7	1
झारखंड	19	15	20	3
कर्नाटक	23	24	49	9
केरल	29	35	45	22
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	48	55	100	33
महाराष्ट्र	17	29	46	11
मणिपुर	0	0	4	0
मेघालय	1	1	1	0
मिजोरम	1	1	3	0
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	30	28	46	8
पुदुचेरी	3	0	8	1
पंजाब	9	15	16	2
राजस्थान	16	20	40	8
सिक्किम	0	1	2	1
तमिलनाडु	25	33	43	8
तेलंगाना	5	12	12	2
त्रिपुरा	1	3	9	3
उत्तर प्रदेश	51	93	143	35
उत्तराखंड	8	14	30	1
पश्चिम बंगाल	53	50	99	19
कुल योग	423	515	901	202

उत्तर प्रदेश के लिए योजनाएं

5655. **श्री कृष्ण प्रताप:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से अनुमोदित/लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनके लंबन के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार ने 23 सितम्बर, 2013 से "राष्ट्रीय शहरी

आजीविका मिशन (एनयूएलएम)" की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों की लाभप्रद स्व-रोजगार तक पहुंच बनाकर और सतत आधार पर उनकी आजीविका में सुधार के लिए कुशल मजदूरी संबंधी रोजगार के अवसर पैदाकर उनकी गरीबी को कम करना है। इस मिशन को समस्त सांविधिक शहरों तक विस्तारित किया गया है और इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के रूप में पुनः नामित किया गया है। डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत, राज्य के आवंटन के आधार पर तथा सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्थानीय जरूरतों के आधार पर विभिन्न घटकों हेतु धनराशि आवंटित करने की छूट दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर अलग-अलग परियोजनाएं/प्रस्ताव अनुमोदित किए जाते हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनके कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। ये सिद्धांत और नीतियां उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हैं।

(ख) और (ग) उक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता है।

2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की जनसंख्या

5656. **श्री मानशंकर निनामाः**
श्री आर. पार्थिपनः

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या है और देश में यह सबसे अधिक आर्थिक रूप से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान सहित अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव राजस्थान सहित अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए किसी विशेष परियोजना/कार्यक्रम का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर) (क) और (ख) जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की जनसंख्या 10.45 करोड़ है तथा राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 92.39 लाख है।

पूर्व के योजना आयोग के अनुसार वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग सभी जनसंख्या के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% तथा शहरी क्षेत्रों में 13.7% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 45.3% थे तथा शहरी क्षेत्रों में 24.1% थे।

(ग) और (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रम तथा योजनाएं अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन करते हैं तथा उन्हें पूरा करते हैं और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील अंतरों को भरते हैं। शुरू किए जाने वाले कार्यकलापों के लिए प्राथमिकता संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर तय की जाती है। राजस्थान सहित संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं/कार्यक्रम

(1) **जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)**: यह भारत सरकार की ओर से (वर्ष 1977-78 से) 100% अनुदान है। यह भारत की समेकित निधि पर भारित है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदानों के अलावा, मत प्राप्त मदें) तथा राज्य योजना निधियों और जनजातीय विकास के लिए प्रयासों के अलावा है। इस अनुदान का उपयोग एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा), पॉकेट और क्लस्टर्स, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) और बिखरी हुई जनजातीय जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए किया जाता है।

(2) **संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदानः** भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत सहायता अनुदान भारत सरकार की ओर से राज्यों के लिए 100% वार्षिक अनुदान है। यह भारत की समेकित निधि पर भारित है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदानों के अलावा, मत प्राप्त मद) और राज्य योजना निधियों तथा जनजातीय विकास हेतु प्रयासों के

अलावा है। निधियों का उपयोग एकीकृत विकास एजेंसी (आईटीडीए), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) पॉकेट्स तथा क्लस्टर्स तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए किया जाता है।

(3) **अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजनाः** यह योजना 1953-54 में शुरू की गई थी और 01 अप्रैल, 2008 को इसे अंतिम बार संशोधित किया गया था। स्कीम का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याण योजनाओं तक पहुंच बढ़ाना है और सेवा की कमी वाले क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि-बागवानी उत्पादकता, सामाजिक न्याय इत्यादि क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा अंतरालों को भरना और अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उन्नयन के लिए वातावरण प्रदान करना है। कोई अन्य नवीन गतिविधि जिसका अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास या आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ता है उसपर भी स्वैच्छिक प्रयासों के द्वारा विचार किया जाए। यह स्कीम केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अनुदान गैर सरकारी संगठनों को विहित प्रपत्र में संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन की राज्य स्तरीय बहुविषयक समिति द्वारा पूर्णतः अनुशंसित आवेदनों पर दिया जाता है। सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तक निधियां सामान्यतः दी जाती हैं। स्वैच्छिक संगठनों से शेष 10 प्रतिशत अपने संसाधनों से वहन करने की अपेक्षा की जाती है।

(4) **कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरणः** इस योजना का लक्ष्य चिह्नित जिलों अथवा ब्लॉकों विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) द्वारा आबाद क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण पैदा करते हुए सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तरों में अंतर को भरना है। यह केन्द्रीय क्षेत्र की लिंग विशिष्ट योजना है तथा मंत्रालय 100% निधियन प्रदान करता है। संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की बहुअनुशासनीय राज्य स्तरीय समिति द्वारा यथावत सिफारिश पर आवेदन (निर्धारित प्रपत्र में) करने पर पात्र एनजीओ को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। इस योजना को दिनांक 01.04.2008 को संशोधित किया गया है। इसे कम साक्षरता वाले 54 चिह्नित जिलों जहां जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% अथवा इससे अधिक है और अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% से कम है, में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(5) **जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजनाः** योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के युवाओं का स्व-रोजगार के साथ-साथ विविध प्रकार के कार्यों के लिए कौशल का विकास करना है और उनकी आय बढ़ाकर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारना है। स्कीम में सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं। यह कोई क्षेत्र विशेष स्कीम नहीं है, इसकी शर्त यह है कि निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा केवल जनजातीय युवाओं को ही दी जाती है और राज्य/संघ शासित क्षेत्र और स्कीम कार्यान्वित करने वाली अन्य संबंधित एजेंसियों को स्कीम के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र इस स्कीम के अंतर्गत क्षेत्र के संभावित रोजगार के आधार पर पारंपरिक कौशलों में पांच व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला सकते हैं। वर्ष 2018-19 से इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है तथा इस उपाय को जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) योजना के तहत मिलाया जाना है।

(6) **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास:** वर्ष 1998-99 में केवल पीवीटीजी के विकास के लिए 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई थी। इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए दिनांक 01.04.2015 को संशोधित किया गया था। यह योजना केवल 75 चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल करती है। यह योजना बहुत लचीली है तथा पीवीटीजी के लिए किसी विकासीय कार्यकलाप अर्थात् आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषीय वृद्धि, मवेशी विकास, संपर्क, प्रकाश के उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा अथवा पीवीटीजी के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बने किसी अन्य नवीन कार्यकलाप पर ध्यान देने के लिए प्रत्येक राज्य को सक्षम बनाती है।

(7) **अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं तथा बालकों के लिए छात्रावासों की योजनाः** इस योजना के अंतर्गत, नए छात्रावास भवनों के निर्माण तथा/अथवा वर्तमान छात्रावासों के विस्तार के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सहायता दी जाती है। योजना 01.04.2008 को संशोधित की गई है। संशोधित योजना के तहत, राज्य सरकारें बालिकाओं के सभी छात्रावास तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर चिह्नित) बालकों के छात्रावासों के निर्माण के लिए भी 100% केंद्रीय अंश की पात्र हैं। राज्य सरकारों के लिए अन्य बालक छात्रावासों की निधियन पद्धति 50:50 के आधर पर है। संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में, केंद्र सरकार बालक तथा बालिकाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (वीटीसी) के लिए छात्रावासों को अन्य छात्रावासों के समान मानदंड पर वित्तपोषित किया जाता है। संसद सदस्य भी इस उद्देश्य के लिए अपने एमपीएलएडी योजना से राज्य अंश के स्थान पर निधि प्रदान कर सकते हैं। छात्रावास का रख-रखाव संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का उत्तरदायित्व है। छात्रावास मिडिल माध्यमिक, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए हो सकते हैं। वर्ष 2018-19 से इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है तथा इस उपाय को जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) योजना के तहत मिलाया जाना है।

(8) **जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की योजनाः** योजना का उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए पढ़ाई के सहज वातावरण में अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय प्रदान करना है तथा उन्हें देश की अन्य जनसंख्या के बराबर लाना है। योजना वित्तीय वर्ष 2008-09 से संशोधित की गई है। संशोधित योजना के तहत, राज्य सरकारें बालिकाओं के सभी आश्रम विद्यालयों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर चिह्नित) बालकों के आश्रम विद्यालय के निर्माण के लिए भी 100% केंद्रीय अंश के पात्र हैं। बालकों के लिए अन्य आश्रम विद्यालयों के लिए निधियन की पद्धति 50:50 के आधार पर है। वहीं संघ राज्यक्षेत्रों की बालिकाओं तथा बालकों दोनों के आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए शत प्रतिशत सहायता दी जाती है। योजना में प्राथमिक, मीडिल, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल हैं। वर्ष 2018-19 से इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है तथा इस उपाय को जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) योजना के तहत मिलाया जाना है।

(9) **छात्रवृत्ति योजनाएंः** मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के विचार के साथ निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए सक्षम बनाया जा सकेः

(i) अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृति (कक्षा 9 तथा 10)

(ii) अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति (कक्षा 11 के बाद)

(iii) अजजा विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति

(iv) विदेश में शिक्षा के लिए अजजा विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)

उपर्युक्त (i) तथा (ii) में उल्लिखित योजनाएं राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं तथा अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों को संवितरण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। इन योजनाओं अर्थात् अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजनाओं के तहत केन्द्र तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के बीच निधियों की साझेदारी 75:25 के अनुपात में की जा रही है तथा पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू तथा कश्मीर, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के लिए यह अनुपात 90:10 है।

उपर्युक्त योजना (iii) के तहत निधियां संस्थानों/विद्यार्थियों को निर्मुक्त की जाती हैं और एनओएस योजना के अंतर्गत निधियां प्रतिपूर्ति के आधार पर विदेश मंत्रालय को निर्मुक्त की जाती हैं।

(10) **जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को समर्थनः** विभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) स्थापित किए गए हैं। इस योजना का आधारभूत उद्देश्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं, अनुसंधान तथा प्रलेखन कार्यकलापों और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि में सुदृढ़ करना है। यह परिकल्पना करती है कि टीआरआई

जनजातीय विकास, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, साक्ष्य आधारित आयोजना तथा उपयुक्त विधान के लिए राज्यों को निविष्टियां प्रदान करने, जनजातीय भवनों तथा व्यक्तियों/जनजातीय कार्यों के साथ जुड़े संस्थानों, सूचना के प्रसार और जागरूकता-सृजन के लिए कमोबेश विशेषज्ञ के तौर पर ज्ञान एवं अनुसंधान के निकाय के रूप में कार्य करें। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टीआरआई को आवश्यकता के आधार पर 100% सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(11) **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास**: वर्ष 2013-14 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी योजना) योजना शुरू की गई थी, जो जनजातीय लोगों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए पहला कदम था। आरंभ में इस योजना में 9 राज्यों में 10 एमएफपी शामिल थे। बाद में इसे सभी राज्यों में 24 एमएफपी तक बढ़ाया गया था। यह योजना राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय एजेंसी एसएलए के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय एसएलए के लिए परिक्रामी निधि प्रदान करता है। हानि, यदि कोई हो, की साझेदारी 75:25 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा की जाती है। वर्तमान में, इस योजना में 23 एमएफपी शामिल किए गए हैं और यह सभी राज्यों में लागू हैं।

(12) जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) आय सृजनकारी कार्यकलाप चलाने के लिए अनुसूचित जनजातियों को ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियां जो बेरोजगार हैं अथवा अल्प-रोजगाररत हैं, के स्व-रोजगार के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करता है:

- **सावधि ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी 25 लाख रुपये प्रति इकाई तक की लागत वाली किसी आय सृजनकारी योजना के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। वित्तीय सहायता योजना की लागत के 90% तक प्रदान की जाती है और शेष सब्सिडी/आयोजक के अंशदान/मार्जिन राशि के रूप में पूरा किया जाता है। देय ब्याज दर 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 6% वार्षिक, 5 लाख से 10 लाख के बीच के ऋण के लिए 8% तथा 10 लाख से अधिक संपूर्ण राशि के ऋण के लिए 10% वार्षिक है।
- **आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई):** इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की महिलाएं कोई आय सृजनकारी कार्यकलाप शुरू कर सकती हैं। 1 लाख रुपये तक की लागत की योजना के लिए 90% ऋण 4% वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है।
- **स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना:** निगम 50 हजार रुपये प्रति सदस्य तथा 5 लाख रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तक ऋण प्रदान करता है। देय ब्याज दर 6% वार्षिक है।
- **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना:** इस योजना के तहत 6% वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भारत में पीएचडी सहित पेशेवर/तकनीकी शिक्षा के अनुसरण के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है।

संविदा कर्मी

5657. **श्री राजू शेट्टी:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश के विभिन्न विभागों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी सहायता प्राप्त निकायों में कितने कर्मी संविदा पर नियोजित हैं;

(ख) इन कर्मियों को दी जा रही न्यूनतम मजदूरी का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संविदा कर्मियों और स्थायी कर्मियों की मजदूरी के बीच अत्यधिक अंतर है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत इन संविदा कर्मियों को नियमित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले 3 वर्षों में केंद्रीय क्षेत्र में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत जारी लाइसेंस के आधार पर नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या निम्नलिखित है: —

वर्ष	ठेका श्रमिकों की संख्या
2015-16	2092673
2017-17	2438706
2017-18 सितंबर, 2017 तक	2061136

(ख) और (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों ही अपने-अपने क्षेत्राधिकार में न्यूनतम मजदूरी नियत, समीक्षा, पुनरीक्षण तथा कार्यान्वयन करने हेतु समुचित सरकारें हैं। केंद्रीय क्षेत्र के लिए नियत की गई न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार के अधिकार के अंतर्गत प्रतिष्ठानों, रेल प्रशासनों, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख पोत अथवा केंद्रीय अधिनियम द्वारा किसी निगम स्थापना पर अनुसूचित नियोजनों पर लागू होती है। केंद्रीय क्षेत्र के लिए अनुसूचित नियोजनों से भिन्न नियोजन राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। ठेका कर्मचारियों के लिए कोई भिन्न मजदूरी नियत नहीं की गई है। अनुसूचित नियोजनों के लिए नियत मजदूरी संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के लिए समान रूप से लागू होती हैं।

(घ) और (ङ) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेका श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

एआईसीटीई का पाठ्यक्रम

5658. **श्रीमती एम. वसन्ती:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) प्रतिवर्ष एक आदर्श पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि एआईसीटीई के पाठ्यक्रम का लाभ उठाने के लिए संस्थानों को शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा और अच्छा संकाय नियोजित करना होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एआईसीटीई विद्यार्थियों को गुणवत्ता स्तर की शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थानों का आवधिक निरीक्षण करने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने इंजीनियरिंग में अवर स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तार (पीजी) कार्यक्रम और प्रबंधन में पीजीडीएम/एमबीए कार्यक्रम के लिए मॉडल पाठ्यचर्या के आधार पर परिणाम तैयार किया है। इंजीनियरिंग के लिए मॉडल पाठ्यचर्या में क्रेडिट प्वाइंट को संशोधित करके इसे 180 से 160 किया गया है, यह छात्रों के लिए इनके विषयों के साथ ही अन्य विषयों से वैकल्पिक पाठ्यक्रम चुनने को सुकर बनाता है प्रवेश कार्यक्रम और इंटर्नशिप के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करता है तथा छात्रों के समग्र विकास के लिए मूल्यपरक शिक्षा से संबंधित नॉन-क्रेडिट पाठ्यक्रम को शामिल करता है।

इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या का फोकस कोर विषयों, लचीला एवं विविध कार्यक्रम विशिष्ट वैकल्पिक पाठ्यक्रम विषय कौशल में वृद्धि करने के लिए मुक्त वैकल्पिक पाठ्यक्रम, प्रतिभा विकास को सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक और परस्पर संवादात्मक अधिगम के माध्यम से विशेषज्ञता के उन्नत अध्ययन पर है।

व्यवसाय उद्यमता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक शैक्षिक विषयों और प्रायोगिक आधारभूत क्षेत्रों का गहन ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से एमबीए/पीजीडीएम के लिए मॉडल पाठ्यचर्या डिजाइन किया गया है। भारतीय नीति शास्त्र और व्यापार नीति शास्त्र से संबंधित पाठ्यक्रम तथा अनिवार्य इंटर्नशिप/फील्ड वर्क के पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग बनाया गया है।

(ख) एआईसीटीई को अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्याकता के बारे में जानकारी है। यह एआईसीटीई गुणवत्ता सुधार केंद्रों जो देश के विभिन्न भागों में अग्रणी शैक्षिक संस्थाओं में स्थापित हैं, के माध्यम से शिक्षकों के कौशल को अपग्रेड करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु व्यापक प्रशिक्षण नीति तैयार कर रहा है।

(ग) एआईसीटीई, अपनी नीति के अनुसार एआईसीटीई अनुमोदित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सूचना का सत्यापन करने के लिए उनका औचक निरीक्षण आयोजित करता है और निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई करता है।

अनुसूचित जनजातियों की जीवन दशाएं

5659. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**
श्री सदाशिव लोखंडे:
श्री अर्जुन लाल मीणा:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर भारी धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद भी उनकी जीवन दशाओं और लक्षित विकास में कोई सुधार नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु निर्धारित की गई निधियों को विपथित किए जाने की जानकारी है और वास्तविक लाभार्थियों को उनके अधिकार का अनुदान नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा मौजूदा प्रणालीगत विसंगतियों के समाधान हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि करने हेतु कोई निवेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने बजटीय आवंटन की निगरानी हेतु कोई एजेंसी गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर): (क) दशकीय जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए बड़े स्तर के नमूना सर्वेक्षणों तथा भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों द्वारा कराए गए विभिन्न अन्य सर्वेक्षणों से संबंधित आंकड़ें दर्शाते हैं कि वर्षों से अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की जीवन दशाओं में बहुत सुधार हुआ है, उदाहरण के लिए अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 47.1% से 2011 में 59% तक सुधार हुआ है। वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा XI-XII) स्तर पर अजजा के विद्यार्थियों हेतु समग्र दाखिला अनुपात (जीईआर) में वर्ष 2013-14 में 35.4% से 2015-16 में 43.1% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 के दौरान अजजा के 64.1% तथा 68.9% विद्यार्थियों ने ओपन बोर्ड सहित विभिन्न राज्य तथा केंद्रीय परीक्षा बोर्डों के माध्यम से क्रमशः कक्षा X तथा XII उत्तीर्ण की। अनुसूचित जनजातियों के संबंध में शिशु मृत्यु दर 62.1 (2005-06) से 44.4 (2015-16) तक कम हुई है, पांच वर्ष से कम आयु की बाल मृत्य दर में 95.7 (2005-06) से 57.2 (2015-16) तक कमी आई है तथा संस्थागत प्रसूति में वर्ष 2005-06 में 17.7% से 2015-16 में 68.0% तक वृद्धि हुई है। पूर्व के योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों की प्रतिशतता में वर्ष 2009-10 में 47.4% से 2011-12 में 45.3% तक की कमी आई है। तथापि, अनुसूचित जनजातियों और भारत की संपूर्ण जनसंख्या के बीच मानव विकास सूचकांकों में अभी भी अंतर है।

(ख) वर्ष 2015 में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) का लेखा-परीक्षा निष्पादन नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा किया गया था। दो महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात् शिक्षा तथा स्वास्थ्य लेखा-परीक्षा हेतु लिए गए थे। कवरेज की अवधि वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक थी। लेखा-परीक्षा ने टीएसपी निधियों के अन्यत्र उपयोग के साथ-साथ पंजाब तथा हरियाणा जैसे अपात्र राज्यों में व्यय के कुछ मामले पाये थे।

(ग) जबावदेही सुनिश्चित करने तथा व्यवस्था की विसंगतियों का समाधान करने के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए चालू योजनाओं के बेहतर पर्यवेक्षण हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(i) निधियों की और निर्मुक्ति के लिए पूर्व आवश्यकता के रूप में उपयोग प्रमाण-पत्रों पर बल दिया जाता है।

(ii) योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

(iii) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का दौरा करते समय अधिकारी जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति को भी सुनिश्चित करते हैं।

(iv) प्रस्तावों की समयबद्ध प्रस्तुति को सुनिश्चित करने, योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को तेज करने तथा वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ केन्द्रीय स्तर पर बैठकें/ सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

(v) कुछ राज्य सरकारों ने टीएसपी के संबंध में कानून बनाए हैं। कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री कल्याण तथा विकास से संबंधित कार्य की प्रगति की निगरानी करते हैं।

(घ) राज्य के आवंटन के अतिरिक्त राज्य सरकारों से अतिरिक्त प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत् प्रक्रिया है। इन प्रस्तावों पर अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है जो निधियों की उपलब्धता के अधीन है।

(ङ) बजटीय आवंटन की निगरानी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कोई एजेंसी नियुक्त नहीं की गई है। तथापि, जनवरी, 2017 में कार्य आवंटन नियमावली को संशोधित किया गया है जिसके द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) को नीति आयोग द्वारा तैयार रूप-रेखा तथा तंत्र के आधार पर केन्द्रीय मंत्रालयों की जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) निधियों (अब अनुसूचित जनजाति घटक के रूप में ज्ञात) की निगरानी के लिए अधिदेश दिया गया है। वर्ष 2017 से वेब पते *http://stomis.gov.in*

के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा रूप-रेखा की परिकल्पना की गई है। यह रुप-रेखा योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन की निगरानी, व्यय की तुलना में आवंटन की निगरानी, वास्तविक निष्पादन की निगरानी तथा परिणाम की निगरानी की परिकल्पना करती है। यह रूप रेखा जबावदेही तथा लक्षित व्यय को सुनिश्चित करने के लिए स्थान-वार ब्यौरे रखना भी सुनिश्चित करती है।

मानविकी शिक्षा प्राप्त करना

5660. **श्री ई.टी. मोहम्मद बशीरः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में मानविकी विषय की शिक्षा प्राप्त करने के प्रति उत्साह में कमी देखी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मानविकी पाठ्यक्रम की विभिन्न शाखाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) छात्रों में मानविकी पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भाषाओं, पूर्वी (ओरीएंटल) अधिगम और क्षेत्र अध्ययन आदि (सभी स्तर/सभी पाठ्यक्रम) सहित कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान के विषयों में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है। इंनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः—

वर्ष	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या
2014-15	12215361
2015-16	12589166
2016-17	12698975

स्रोतः 2014-15, 2015-16 और 2016-17 की एआईएसएचई रिपोर्ट

अनुसंधान अध्येतावृत्ति

5661. **कुमारी शोभा कारान्दलाजेः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने वर्ष 2015 में नेट शोध अध्येतावृत्ति में पचास फीसद से ज्यादा वृद्धि करने की घोषणा की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नेट-अध्येतावृत्ति प्राप्त न करने वाले छात्रों को अनुसंधान और दैनिक खर्चों से निपटने में मुश्किल होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार, एक सूत्र के आधार पर, अध्येतावृत्ति की राशि को महंगाई से जोड़ने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ)/राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण करने के बाद भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा शोध छात्रों को वृत्तिका राशि देने में अत्यधिक विलंब हो रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने धनराशि की कमी के कारण उच्च शिक्षा में अनुसंधान संबंधी बजट में कोई कटौती की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने नीतिगत रूप से यह निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्त प्राध्यापक और विदेशी छात्र, यूजीसी की गैर-नेट अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 01.12.2014 से नेट शोध अध्येतावृत्ति में वृद्धि की है। नेट शोध अध्येतावृत्ति पांच वर्ष के लिए है। पहले दो वर्षों के लिए यह अध्येतावृत्ति कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) और शेष अवधि के लिए यह वरिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (एसआरएफ) कहलाई जाती है।

नेट शोध अध्येतावृत्ति में वद्धि निम्नानुसार हैः-

अध्येतावृत्ति	पूर्व में	बढ़ी हुई अध्येतावृत्ति
जेआरएफ	16000 प्रति माह	25000 प्रति माह
एसआरएफ	18000 प्रति माह	28000 प्रति माह

(ख) केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रों से नाममात्र शुल्क लेता है। इसके अतिरिक्त, गैर नेट अध्येतावृत्ति के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों को पूर्णकालिक पीएच.डी के लिए 8,000/- रुपए प्रति माह, पूर्णकालिक एम.फिल और आकस्मिक निधि के लिए 3000/- रुपए प्रति माह और विज्ञान विषय के लिए 10,000/- रुपए

प्रति वर्ष तथा मानिविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 8,000/- रुपए छात्रवृत्ति प्रति वर्ष प्रदान कर रहा है। अध्येतावृत्ति राशि शोध और छात्रों के दैनिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यूजीसी द्वारा अध्येतावृत्ति के वितरण में विलंब की कोई सूचना नहीं है। तथापि, कुछेक मामलों में (i) अभ्यर्थी द्वारा देरी से प्रवेश लेना; (ii) बैंक शाखाओं में दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण में विलंब; (iii) दस्तावेजों को अपलोड करने में विलंब; (iv) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों (पीएफएमएस) में तकनीकी समस्याओं के चलते वितरण में विलंब हो सकता है।

(ङ) कोई बजटीय कटौती नहीं की गई है।

(च) जी, नहीं। सेवानिवृत्त प्रोफेसर और विदेशी छात्र, गैर-नेट अध्येतावृत्ति की यूजीसी योजना के अंतर्गत अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं।

[हिन्दी]

प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण

5662. **डॉ भारतीबेन डी. श्यालः**
श्री कीर्ति आजादः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सरकार ने रोजगार की तलाश में अपने मूल स्थान से गंतव्य स्थान पर प्रवास करने वाले श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक तंत्र के निर्माण हेतु कोई पहल की है ताकि इस सिलसिले में एक डाटा बैंक बनाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में प्रवासी श्रमिकों के साथ हो रही घातक और गैर-घातक दुर्घटनाओं संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि वर्तमान कल्याणकारी योजनाएं प्रवासी श्रमिकों तक उनके गंतव्य स्थल तक सरलता से पहुंच सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार राशन कार्ड और बीपीएल कार्डों जैसे दस्तावेजों का एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरण करने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है ताकि प्रवासी श्रमिक अपने गंतव्य-स्थान पर ही इन सेवाओं का लाभ उठा सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) प्रवासी कामगार के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार में अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले कतिपय प्रतिष्ठानों का पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस देना इत्यादि उपबंधित हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों में नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवास, चिकित्सा सुविधाएं तथा संरक्षात्मक वस्त्र इत्यादि उपलब्ध कराने होते हैं। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के उपबंध भी प्रवासी कामगारों पर लागू होते हैं। सरकार ने प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण उपबंधित करने हेतु असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 भी अधिनियमित किया है। मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय केंद्रीय क्षेत्र में अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 के प्रवर्तन को मॉनीटर करता है। राज्य क्षेत्र में अधिनियम के प्रवर्तन हेतु राज्य सरकारें अधिदेशित हैं। देश में प्रवासी श्रमिकों के साथ होने वाली घातक तथा गैर-घातक दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते। राशन कार्डों तथा बीपीएल कार्डों जैसे दस्तावेजों को एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रोजगार कार्यालयों में श्रेणी-वार पंजीकरण

5663. **श्री निहाल चन्दः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालय में दर्ज किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित और अशिक्षित ग्रामीण और शहरी युवाओं का राज्य-वार, श्रेणी-वार और लिंग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार, श्रेणी-वार और लिंग-वार कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है; और

(ग) चालू वर्ष और आगामी वर्षों के दौरान इन वंचित वर्गों हेतु अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में वर्ष 2013, 2014 और 2015 के दौरान राज्य, लिंग और श्रेणी-वार रोजगार चाहने वालों की संख्या, आवश्यक नहीं कि उनमें सभी बेरोजगार हों, रोजगार कार्यालय के वर्तमान रजिस्टर में पंजीकृत किए गए तथा इन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किए गए नियोजन की संख्या संलग्न विवरण I से VI में है। वर्ष 2016 और 2017 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार सृजन करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। सरकार इस दिशा में अनेक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है, जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीनरेगा), पं. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना।

स्व-रोजगार को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा एवं स्टार्ट अप्स योजनाएं आरंभ की गई हैं। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने हेतु, लगभग 22 मंत्रालय/विभाग विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल सम्मिलित है जो गतिशील, दक्ष एवं प्रतिक्रियाशील ढंग से रोजगार के मिलान हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें करियर संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

सरकार द्वारा, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, वर्ष 2016-17 में एक नई योजना - प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) भी आरंभ की गई है।

विवरण-I

(क) देश में रोजगार कार्यलयों के वर्तमान रजिस्टर में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की राज्यवार संख्या

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	2012			2013		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1379.0	538.6	1917.6	1364.3	532.5	1896.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	28.9	19.2	48.1	31.6	21.6	53.2
3.	असम	1140.3	476.1	1616.4	1187.4	505.7	1693.1
4.	बिहार	752.7	101.4	854.1	705.9	97.6	803.5
5.	छत्तीसगढ़	1024.5	437.8	1462.3	1044.9	471.6	1516.5
6.	दिल्ली	541.6	211.3	752.9	748.9	301.5	1050.4
7.	गोवा	81.3	46.5	127.8	86.9	50.5	137.3
8.	गुजरात	611.6	265.4	877.0	540.1	238.2	778.3
9.	हरियाणा	571.9	206.9	778.8	559.8	211.1	770.9
10.	हिमाचल प्रदेश	552.7	299.0	851.7	598.4	341.0	939.3

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	जम्मू और कश्मीर	295.3	171.4	466.7	199.2	95.1	294.3
12.	झारखंड	545.7	94.6	640.3	499.6	84.1	583.7
13.	कर्नाटक	322.5	119.6	442.1	297.7	110.1	407.8
14.	केरल	1568.5	2359.5	3928.0	1478.6	2271.5	3750.1
15.	मध्य प्रदेश	1606.6	459.6	2066.2	1598.3	478.4	2076.7
16.	महाराष्ट्र	1928.4	629.9	2558.3	2240.0	743.9	2983.9
17.	मणिपुर	468.6	193.3	661.9	494.8	198.5	693.3
18.	मेघालय	17.4	16.2	33.6	17.7	18.5	36.2
19.	मिजोरम	24.4	19.0	43.4	21.3	16.8	38.2
20.	नागालैंड	43.7	25.7	69.4	41.3	22.6	63.9
21.	ओडिशा	752.1	316.0	1068.1	760.3	312.5	1072.7
22.	पंजाब	250.4	107.9	358.3	270.0	121.1	391.2
23.	राजस्थान	624.8	111.8	736.6	636.8	132.2	769.0
24.	सिक्किम*	-	-	-	-	-	-
25.	तमिलनाडु	3866.1	3877.1	7743.2	4223.0	4261.7	8484.7
26.	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-
27.	त्रिपुरा	329.1	202.5	531.6	351.6	214.1	565.7
28.	उत्तराखंड	485.4	221.4	706.8	503.8	244.4	748.2
29.	उत्तर प्रदेश	4226.7	1846.0	6072.7	4393.7	1992.2	6385.9
30.	पश्चिम बंगाल	4913.9	2127.0	7040.9	5169.5	2312.1	7481.7
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23.9	17.9	41.8	24.2	19.1	43.4
32.	चंडीगढ़	29.2	8.5	37.7	27.4	8.3	35.7
33.	दादरा और नगर हवेली	3.8	2.4	6.2	4.2	2.8	7.0
34.	दमन और दीव	7.2	2.5	9.7	7.3	2.7	10.0
35.	लक्षद्वीप	10.2	5.9	16.1	11.1	6.6	17.7
36.	पुदुचेरी	116.1	108.0	224.1	113.9	108.3	222.2
	अखिल भारत	29144.2	15645.9	44790.1	30253.4	16549.1	46802.5

(ख) देश में रोजगार कार्यलयों के वर्तमान रजिस्टर में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की राज्यवार संख्या

(हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	2014			2015#		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1348.2	524.2	1872.5	645.4	249.9	895.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.0	23.2	57.2	43.7	31.1	74.8
3.	असम	1276.1	550.8	1826.9	1315.1	569.8	1884.8
4.	बिहार	722.4	103.3	825.6	630.4	91.5	721.9
5.	छत्तीसगढ़	1249.5	600.3	1849.8	1203.6	598.7	1802.3
6.	दिल्ली	847.7	350.4	1198.2	891.3	371.3	1262.6
7.	गोवा	86.8	52.5	139.4	84.9	52.7	137.6
8.	गुजरात	524.3	215.4	739.6	486.8	201.2	688.0
9.	हरियाणा	547.6	232.2	779.8	540.4	242.1	782.6
10.	हिमाचल प्रदेश	597.0	399.4	996.4	477.4	339.4	816.9
11.	जम्मू और कश्मीर	191.3	92.6	283.9	188.9	92.1	281.0
12.	झारखंड	423.5	68.4	491.9	485.0	75.1	560.1
13.	कर्नाटक	266.9	102.9	369.8	254.6	97.3	352.0
14.	केरल	1465.8	2266.4	3732.3	1447.4	2275.0	3722.4
15.	मध्य प्रदेश	1542.0	468.9	2010.9	1328.9	414.0	1742.9
16.	महाराष्ट्र	2888.4	933.0	3821.4	2795.8	886.5	3682.3
17.	मणिपुर	506.6	205.4	712.1	522.0	213.7	735.7
18.	मेघालय	18.5	19.1	37.6	19.6	21.1	40.7
19.	मिजोरम	15.8	13.8	29.6	18.3	14.0	32.3
20.	नागालैंड	41.1	23.0	64.1	49.2	23.7	72.9
21.	ओडिशा	770.4	312.7	1083.0	746.5	303.8	1050.3
22.	पंजाब	249.1	113.2	362.3	243.8	110.1	353.9
23.	राजस्थान	547.4	133.6	680.9	482.3	128.3	610.6
24.	सिक्किम*	-	-	-	-	-	-
25.	तमिलनाडु	3938.7	4052.3	7991.0	3933.1	4085.7	8018.8

1	2	9	10	11	12	13	14
26.	तेलंगाना	-	-	-	689.2	269.3	958.5
27.	त्रिपुरा	371.7	223.9	595.6	382.0	229.4	611.3
28.	उत्तराखंड	557.4	303.7	861.1	579.3	331.6	911.0
29.	उत्तर प्रदेश	4701.3	2155.0	6856.3	2784.2	1091.2	3875.4
30.	पश्चिम बंगाल	5273.5	2398.2	7671.7	5374.9	2474.0	7848.9
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.8	18.8	41.6	20.9	17.7	38.6
32.	चंडीगढ़	26.2	8.1	34.3	19.8	7.6	27.4
33.	दादरा और नगर हवेली	5.0	3.3	8.4	5.2	3.4	8.6
34.	दमन और दीव	7.3	2.7	10.0	7.7	2.9	10.6
35.	लक्षद्वीप	11.7	7.2	18.8	11.7	7.2	18.9
36.	पुदुचेरी	106.7	100.5	207.2	112.6	108.2	220.8
	कुल योग	31182.7	17078.3	48261.1	28821.7	16030.7	44852.5

नोटः पूर्णांक के कारण योग में अंतर हो सकता है;

30 सितंबर, 2015 तक

* इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्यरत नहीं है।

विवरण-II

(क) देश में रोजगार कार्यलयों के माध्यम से रोजगार पाने वालों की राज्यवार संख्या

(हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	2012			2013		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.30	0.10	0.40	0.38	0.25	0.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.50	0.20	0.70	0.37	0.12	0.49
4.	बिहार	0.00	0.00	2.10	2.16	0.01	2.17
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.30	0.47	0.04	0.50
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
7.	गोवा	1.10	0.70	1.80	0.53	0.34	0.87
8.	गुजरात	211.90	34.10	246.00	227.53	44.09	271.62

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हरियाणा	12.00	0.30	12.30	0.65	0.01	0.65
10.	हिमाचल प्रदेश	2.70	1.40	4.10	1.71	0.19	1.89
11.	जम्मू और कश्मीर	0.40	0.10	0.50	0.09	0.03	0.12
12.	झारखंड	11.70	0.40	12.10	3.28	0.15	3.43
13.	कर्नाटक	2.00	0.60	2.60	3.07	0.80	3.86
14.	केरल	4.80	4.60	9.40	4.36	3.52	7.88
15.	मध्य प्रदेश	7.80	0.70	8.50	2.64	0.10	2.74
16.	महाराष्ट्र	85.20	18.60	103.80	16.91	1.70	18.61
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	0.10
20.	नागालैंड	0.10	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00
21.	ओडिशा	2.30	0.50	2.80	1.08	0.36	1.44
22.	पंजाब	2.40	0.30	2.70	1.94	0.56	2.50
23.	राजस्थान	0.00	0.00	0.50	0.32	0.00	0.33
24.	सिक्किम*	-	-	-	-	-	-
25.	तमिलनाडु	6.70	4.10	10.80	15.77	5.08	20.85
26.	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-
27.	त्रिपुरा	0.30	0.10	0.40	0.25	0.19	0.44
28.	उत्तराखंड	0.00	0.00	1.20	0.56	0.04	0.60
29.	उत्तर प्रदेश	1.40	0.20	1.60	3.55	0.41	3.96
30.	पश्चिम बंगाल	1.70	0.50	2.20	0.94	0.41	1.35
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.10	0.04	0.02	0.05
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.10	0.05	0.05	0.09
33.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.10	0.03	0.01	0.03
36.	पुदुचेरी	0.20	0.10	0.30	0.97	0.26	1.23
	कुल योग	359.60	68.00	427.60	289.74	58.76	348.50

(ख) देश में रोजगार कार्यलयों के माध्यम से रोजगार पाने वालों की राज्यवार संख्या

(हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	2014			2015#		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.33	0.09	0.42	0.08	0.02	0.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.97	0.18	1.14	0.40	0.20	0.60
4.	बिहार	0.08	0.01	0.09	0.09	0.01	0.10
5.	छत्तीसगढ़	0.86	0.08	0.94	2.06	1.14	3.20
6.	दिल्ली	0.24	0.00	0.24	0.20	0.00	0.20
7.	गोवा	1.19	0.96	2.15	1.75	0.35	2.10
8.	गुजरात	242.07	48.77	290.84	176.54	35.06	211.60
9.	हरियाणा	0.24	0.01	0.25	0.19	0.01	0.20
10.	हिमाचल प्रदेश	1.98	0.32	2.30	0.86	0.15	1.00
11.	जम्मू और कश्मीर	0.22	0.15	0.37	0.07	0.03	0.10
12.	झारखंड	0.95	0.11	1.05	2.28	0.02	2.30
13.	कर्नाटक	1.63	0.51	2.14	0.47	0.23	0.70
14.	केरल	4.38	3.61	7.99	3.16	3.04	6.20
15.	मध्य प्रदेश	0.22	0.03	0.25	0.10	0.01	0.10
16.	महाराष्ट्र	9.13	0.42	9.55	12.97	0.44	13.40
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.02	0.01	0.03	0.03	0.07	0.10
19.	मिजोरम	0.05	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	ओडिशा	0.57	0.12	0.70	0.73	0.27	1.00
22.	पंजाब	1.94	0.49	2.43	1.13	0.17	1.30
23.	राजस्थान	0.43	0.01	0.44	0.35	0.05	0.40
24.	सिक्किम*	-	-	-	-	-	-
25.	तमिलनाडु	5.74	3.06	8.80	5.24	1.96	7.20

1	2	9	10	11	12	13	14
26.	तेलंगाना	-	-	-	0.37	0.03	0.40
27.	त्रिपुरा	1.59	0.85	2.43	0.16	0.14	0.30
28.	उत्तराखंड	0.51	0.07	0.58	0.17	0.04	0.20
29.	उत्तर प्रदेश	1.28	0.02	1.30	0.40	0.00	0.40
30.	पश्चिम बंगाल	0.80	0.69	1.48	0.23	0.17	0.40
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.09	0.03	0.13	0.07	0.03	0.10
32.	चंडीगढ़	0.04	0.02	0.06	0.09	0.02	0.10
33.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	पुदुचेरी	0.17	0.15	0.33	0.08	0.03	0.10
	कुल योग	277.70	60.80	338.50	210.25	43.65	253.90

नोटः पूर्णांक के कारण योग में अंतर हो सकता है;

#30 सितंबर, 2015 तक

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्यरत नहीं है।

विवरण-III

देश में वर्तमान रजिस्टर में पंजीकृत अनुसूचित जाति के रोजगार चाहने वालों तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजन पाने वालों की राज्यवार संख्या

(हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार चाहने वालों की संख्या			नियोजन		
		2012	2013	2014#	2012	2013	2014#
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	540.18	522.57	508.93	0.20	0.13	0.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.60	1.56	1.61	0.00	0.00	0.00
3.	असम	96.32	109.96	120.64	0.02	0.03	0.05
4.	बिहार	147.90	120.15	231.87	0.41	0.01	0.00
5.	छत्तीसगढ़	131.15	143.76	159.46	0.02	0.06	0.02
6.	दिल्ली	90.11	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	158.90	143.29	123.60	19.81	18.85	16.87

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हरियाणा	157.48	164.05	174.67	0.11	0.11	0.07
10.	हिमाचल प्रदेश	173.82	190.80	209.03	0.47	0.07	0.12
11.	जम्मू और कश्मीर	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	96.60	73.73	65.13	0.79	0.87	0.09
13.	कर्नाटक	111.34	105.61	104.23	0.08	0.07	0.07
14.	केरल	616.49	603.49	615.27	1.24	1.44	1.29
15.	मध्य प्रदेश	341.25	342.93	335.62	1.17	0.31	0.02
16.	महाराष्ट्र	476.02	429.35	492.87	1.98	1.98	0.01
17.	मणिपुर	8.47	9.18	9.80	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	0.20	0.23	0.24	0.00	0.00	0.00
21.	ओडिशा	188.63	189.05	195.56	0.35	0.37	0.21
22.	पंजाब	121.11	125.56	123.44	0.27	0.17	0.18
23.	राजस्थान	145.88	147.68	140.88	0.12	0.07	0.23
24.	सिक्किम*	-	-	-	-	-	-
25.	तमिलनाडु	1713.82	1865.94	1925.74	3.23	6.45	2.24
26.	त्रिपुरा	86.77	91.25	95.93	0.01	0.07	0.07
27.	उत्तराखंड	98.87	109.65	127.61	0.07	0.09	0.10
28.	उत्तर प्रदेश	780.40	797.23	861.16	0.17	0.38	0.45
29.	पश्चिम बंगाल	840.32	869.82	883.97	0.31	0.10	0.09
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	9.64	9.72	9.18	0.03	0.04	0.03
32.	दादरा और नगर हवेली	0.42	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	22.77	24.96	27.39	0.01	0.13	0.05
	कुल योग	7166.29	7291.88	7644.17	30.86	31.77	22.34

नोट: पूर्णांक के कारण योग में अंतर हो सकता है।

अनंतिम

* इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्यरत नहीं है।

विवरण-IV

देश में वर्तमान रजिस्टर में पंजीकृत अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजन पाने वालों की राज्यवार संख्या

(हाजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	रोजगार चाहने वालों की संख्या			नियोजन		
		2012	2013	2014#	2012	2013	2014#
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	179.88	155.95	152.05	0.05	0.06	0.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.58	23.43	25.35	0.00	0.00	0.00
3.	असम	206.34	224.94	246.64	0.04	0.03	0.08
4.	बिहार	10.32	8.40	8.02	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	302.65	318.41	329.93	0.09	0.24	0.06
6.	दिल्ली	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	120.04	104.03	94.70	14.95	18.84	22.78
9.	हरियाणा	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	34.03	37.30	41.27	0.00	0.17	0.07
11.	जम्मू और कश्मीर	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	174.42	136.01	112.20	1.07	0.54	0.21
13.	कर्नाटक	28.94	26.25	24.34	0.02	0.02	0.04
14.	केरल	39.12	39.35	41.43	0.13	0.19	0.13
15.	मध्य प्रदेश	285.96	290.27	287.16	1.04	0.00	0.08
16.	महाराष्ट्र	99.83	99.20	112.69	0.81	0.07	0.11
17.	मणिपुर	215.36	224.98	230.27	0.02	0.00	0.00
18.	मेघालय	27.52	27.62	29.83	0.03	0.01	0.01
19.	मिजोरम	40.42	35.39	29.23	0.00	0.11	0.07
20.	नागालैंड	68.59	58.64	63.16	0.00	0.00	0.04
21.	ओडिशा	138.32	143.48	152.95	0.35	0.49	0.19
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	112.37	104.57	90.81	0.06	0.04	0.06
24.	सिक्किम*	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	तमिलनाडु	74.88	60.28	64.84	0.17	0.16	0.11
26.	त्रिपुरा	112.65	118.85	125.10	0.02	0.07	0.08
27.	उत्तराखंड	27.04	29.22	32.41	0.04	0.01	0.02
28.	उत्तर प्रदेश	6.67	6.89	6.82	0.00	0.01	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	165.14	172.02	174.72	0.09	0.02	0.01
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.84	1.84	1.24	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.20	0.19	0.14	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा और नगर हवेली	3.01	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	0.08	0.11	0.07	0.00	0.01	0.00
	कुल योग	2530.74	2486.93	2516.70	18.95	21.06	24.17

नोट: पूर्णांक के कारण योग में अंतर हो सकता है।

अनंतिम

* इन राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्यरत नहीं है।

विवरण-V

देश में वर्तमान रजिस्टर में पंजीकृत अन्य पिछड़ा वर्ग के रोजगार चाहने वालों तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजन पाने वालों की राज्यवार संख्या

(हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	रोजगार चाहने वालों की संख्या			नियोजन		
		2012	2013	2014#	2012	2013	2014#
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	687.83	673.45	670.73	0.20	0.27	0.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.28	1.40	1.41	0.00	0.00	0.00
3.	असम	252.33	284.69	315.98	0.05	0.04	0.23
4.	बिहार	269.76	248.61	271.08	0.65	0.02	0.01
5.	छत्तीसगढ़	312.15	287.36	347.50	0.03	0.12	0.03
6.	दिल्ली	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा·	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	7.29	6.84	6.23	0.35	0.18	0.20

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हरियाणा	56.47	45.05	47.04	0.01	0.01	0.01
10.	हिमाचल प्रदेश	68.67	71.42	84.92	0.00	0.02	0.12
11.	जम्मू और कश्मीर	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	194.27	178.66	155.02	2.45	1.46	0.02
13.	कर्नाटक	23.11	19.21	15.22	0.01	0.03	0.06
14.	केरल	1931.23	1681.39	1643.75	2.25	2.81	2.61
15.	मध्य प्रदेश	520.14	536.66	546.71	1.88	0.62	0.07
16.	महाराष्ट्र	891.40	841.26	973.98	3.37	3.37	0.24
17.	मणिपुर	5.92	8.60	10.98	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.07	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	ओडिशा	104.90	114.95	121.65	0.16	0.15	0.06
22.	पंजाब	9.35	10.25	10.38	0.04	0.04	0.05
23.	राजस्थान	206.04	212.33	210.44	0.15	0.09	0.05
24.	सिक्किम*	-	-	-	-	-	-
25.	तमिलनाडु	4617.76	4641.70	4980.38	6.63	12.81	5.46
26.	त्रिपुरा	30.57	37.63	42.23	0.00	0.01	0.04
27.	उत्तराखंड	67.21	72.10	89.08	0.08	0.03	0.11
28.	उत्तर प्रदेश	1077.82	1104.00	1226.10	0.24	0.29	0.45
29.	पश्चिम बंगाल	228.98	241.03	260.80	0.06	0.05	0.01
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	5.55	0.00	0.00	0.01
31.	चंडीगढ़	3.16	3.24	2.77	0.02	0.01	0.02
32.	दादरा और नगर हवेली	0.16	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00
33.	दमन और दीव	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	63.76	52.43	53.95	0.02	0.30	0.25
	कुल योग	11671.44	11414.37	12133.97	18.68	22.72	10.19

नोटः पूर्णांक के कारण योग में अंतर हो सकता है।

#अनंतिम

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्यरत नहीं हैं।

विवरण-VI

देश में वर्तमान रजिस्टर में पंजीकृत अल्पसंख्यक समुदाय के रोजगार चाहने वालों तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजन पाने वालों की राज्यवार संख्या

वर्ष	अल्पसंख्यक समुदाय (हजार में)	
	वर्तमान रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वाले	नियोजन
2012	.5888.4	13.2
2013	5748.8	11.2
2014#	5797.5	11.3

#अनंतिम

देश में वर्तमान रजिस्टर में पंजीकृत शिक्षित रोजगार चाहने वालों तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजन पाने वालों की राज्यवार संख्या

वर्ष	शिक्षित (हजार में)	
	वर्तमान रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वाले	नियोजन
2012	37497.4	281.4
2013	40014.5	227.8
2014#	40403.7	226.2

#अनंतिम

[अनुवाद]

व्यावसायिक प्रशिक्षण मॉडल

5664. **श्री प्रहलाद जोशीः** क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नियोजनीयता को बेहतर बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जर्मन व्यावसायिक प्रशिक्षण मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को कौशल प्रदान करने में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) जी हां। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने अगस्त, 2016 से लागू की गयी "दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी)" शीर्षक योजना के तहत नियोजनीयता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जर्मन व्यावसायिक प्रशिक्षण मॉडल के अनुरूप प्रशिक्षण की शुरुआत की है।

(ख) दोहरी प्रणाली उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा सैद्धान्तिक ज्ञान एवं संरक्षा तथा उपकरणों, के साथ उपस्कर आईटीआई(ओं) में आयोजित बुनियादी अभ्यास को जोड़ती है जिससे प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग सम्पर्क बेहतर आईटीआई मिल पाती हैं। डीएसटी में आईटीआई प्रशिक्षणार्थी उद्योग की नवीनतम प्रवृति का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं।

(ग) तथा (घ) अब तक 50 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ 88 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या तथा व्यावसायों और उद्योग भागीदारों के नाम सहित योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली का उद्देश्य

- दोहरी पद्धति उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा आईटीआई(ओं) में सैद्धान्तिक प्रशिक्षण को जोड़ती है जिससे बेहतर आईटीआई-उद्योग सम्पर्क प्राप्त होते हैं।
- उद्योग में यथा उपलब्ध नवीनतम/अद्यतन प्रौद्योगिकी का विद्यार्थियों को बेहतर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) की स्थितिः

- अब तक 50 आईटीआइज के साथ 88 एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया:-

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के तहत हस्ताक्षरित एमओयू

क्र. सं.	राज्य का नाम	आईपी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाली आईटीआइज की संख्या	हस्ताक्षरित एमओयू की संख्या	व्यावसायों के साथ उद्योग भागीदारी (आईपी) का नाम
1	2	3	4	5
1.	ओडिशा	12 आईटीआइज	15 उद्योग	1. जेके पेपर मिल, रायगडा (मशीनीस्ट, फिटर) 2. स्टीलटन लिमिटेड, क्योंझर (वेल्डर) 3. त्रिशक्ति इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड, क्योंझर (मशीनीस्ट) 4. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, अंगुल (फिटर) 5. इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, गंजम (फिटर तथा इलेक्ट्रीशियन) 6. मीडईस्ट इंटीग्रेटेड स्टील्स लिमिटेड, दानागडियो (फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक) 7. सेल (आरपसपी), राउरकेला (फिटर) 8. ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्योंझर (फिटर) 9. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट लिमिटेड, जगत्सिंगपुर (इलेक्ट्रीशियन) 10. वेदांता लिमिटेड, कालाहांडी (फिटर) 11. एनटीपीसी लिमिटेड, तालपुर (इलेक्ट्रीशियन) 12. नाल्को लिमिटेड, अंगुल (फिटर) 13. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, संबलपुर (वेल्डर) 14. लक्ष्मी मोटरसाइकिले और एलाइड प्राइवेट लिमिटेड, बेरहमपुर (एमएमवी) 15. असका सहकारी चीनी उद्योग लिमिटेड, नुआगम, असका (फिटर)
2.	झारखंड	01 आईटीआई	01 उद्योग	1. सेल (बोकारो स्टील प्लांट), बोकारो (वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन)
3.	राजस्थान	01 आईटीआई	02 उद्योग	1. जेके सिमेंट वर्क्स, निम्बाहेरा (वेल्डर) 2. जेके सिमेंट वर्क्स, मंगरोल (ड्राफ्टस्मेन मैकेनिक)
4.	उत्तर प्रदेश	6 आईटीआइज	08 उद्योग	1. मैसर्स जॉइन्ट मशीन लिमिटेड, सहारनपुर (इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर) 2. मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्रा. लिमिटेड, मेरठ 3. ओजान्स एन्टरप्राजेज प्राइवेट लिमिटेड, फैजाबाद (इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट) 4. लक्ष्मी इंडस्ट्रियल कॉपरिशन, मेरठ (इलेक्ट्रीशियन, टर्नर) 5. मैसर्स एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ (इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन) 6. ए.टी.वी. प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, मथुरा (फिटर, वेल्डर)

1	2	3	4	5
				7. एल्कोपोनिक्स सैलस् प्राइवेट लिमिटेड, गौतमबुध नगर (इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक)
				8. मेटाफ्लैक्स डोर इंडिया प्रा. लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा (फिटर)
5.	दिल्ली	01 आईटीआई	01 उद्योग	1. मैसर्स मारुति सुजुकी इंडिया, दिल्ली (मशीनीस्ट, फिटर)
6.	कर्नाटक	01 आईटीआई	02 उद्योग	1. अशोक आयरन वर्क्स प्रा. लिमिटेड, बेलगावी (इलेक्ट्रीशियन)
				2. प्रगति इंजीनियरिंग बेलगाम प्राइवेट लिमिटेड, बेलगावी (फिटर)
7.	गुजरात	28 आईटीआइज	59 उद्योग	1. अम्मन अपोलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेहसाना (वेल्डर)
				2. रत्नामनी मेटल एंड ट्यूब लिमिटेड, जिलाः मेहसाणा (वेल्डर)
				3. हाई-कॉन टेक्नोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (इलेक्ट्रीशियन)
				4. गोपाल स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (इलेक्ट्रीशियन)
				5. इचजय इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (इलेक्ट्रीशियन)
				6. गुजरात इंट्रक्स लिमिटेड, गोंडल रोड (ड्राफ्टस्मेन मैकेनिक)
				7. इन्ट्रीकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (ड्राफ्टस्मेन मैकनिक)
				8. ऑर्बिट बियरिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (फिटर)
				9. इचजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट, राजकोट (फिटर)
				10. सिनोया गियर्स एंड ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (फिटर)
				11. ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, जिलाः राजकोट (फिटर)
				12. रोलेक्स रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (मशीनीस्ट)
				13. इचजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (मशीनीस्ट)
				14. महिंद्रा गियर्स एंड ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, जिला; राजकोट (मशीनीस्ट)
				15. सिनोया गियर्स एंड ट्रांसमिशन, जिलाः राजकोट (मशीनीस्ट)
				16. परफेक्ट रिट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (मैकनिक मोटर वाहन)
				17. अतुल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (मैकेनिक मोटर वाहन)
				18. परफेक्ट रिट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिला; राजकोट (मैकेनिक औजल)
				19. इचजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (मैकेनिक डीजल)
				20. अतुल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (मैकेनिक डीजल)
				21. अतुल ऑटो लिमिटेड, जिलाः राजकोट (मैकेनिक डीजल)
				22. आइसबर्ग टेक्नोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (टर्नर)
				23. इचजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (टर्नर)
				24. महिंद्रा गियर्स एंड ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, जिला, राजकोट (टर्नर)
				25. सिनोया गियर्स एंड ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, जिलाः राजकोट (टर्नर)
				26. अतुल ऑटो लिमिटेड, सांगानी (वेल्डर)
				27. गुजरात इंट्रक्स लिमिटेड, गोंडल रोड (वेल्डर)

1	2	3	4	5
				28. ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, जिलाः राजकोट (वेन्डर) 29. बैंको प्रोडक्ट्स लिमिटेड, वडोदरा (फिटर) 30. बैंको प्रोडक्ट्स लिमिटेड, वडोदरा (वेल्डर) 31. ह्यूबर ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वापी (एओसीपी) 32. ह्यूबर ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वापी (फिटर) 33. श्री अंबिका ऑटो सेल्स एंड सर्विस, सूरत (मैकेनिक मोटर वाहन) 34. सीएस घटक प्राइवेट लिमिटेड, वलसाड (फिटर) 35. बिंदल सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (वेल्डर) 36. श्री अंबिका ऑटो सेल्स एंड सर्विस, सूरत (मेक डीजल) 37. श्री अंबिका ऑटो सेल्स एंड सर्विस, सूरत (मैक डीजल ट्रेड) 38. श्री अंबिका ऑटो सेल्स एंड सर्विस, सूरत (मैकनिक डीजल) 39. कैडमेच मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, वातवा, अहमदाबाद (टर्नर, माशिनिस्ट, फिटर) 40. टरूटज्स्चलर इंडस्ट्री लिमिटेड, वातवा, अहमदाबाद (फिटर) 41. टेक्नो इंडस्ट्री लिमिटेड, अहमदाबाद (इलेक्ट्रीशियन) 42. चामुंडा फार्मा मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद (टर्नर, माशिनिस्ट, फिटर) 43. मल्टी स्पैन इंस्ट्रुमेंट क. (इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक) 44. ओमेगा एलिवेटर्स (इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर) 45. पेटल मोरोकोन प्रा. लिमिटेड (मैकेनिक मोटर वाहन) 46. प्लेनेट ऑटोमेटिव प्राइवेट लि.खोखरा (मैकनिक मोटर वाहन) 47. सेमीट्रॉनिक इस्ट्रूमेंट (इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक) 48. डिशमैन फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद (एओसीमी) 49. सहजानंद लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (फिटर) 50. सहजानंद लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (वेल्डर) 51. सहजानंद लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक) 52. महिंद्रा मियर्स एंड ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, राजकोट (मशीनिस्ट) 53. रवीरतन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (मैकेनिक डीजल) 54. अतुल लिमिटेड, वलसाड (फिटर) 55. अतुल लिमिटेड, वलसाड (एओसीपी) 56. चैफ्फलर इंडिया लिमिटेड (फिटर) 57. इनोक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वेल्डर) 58. कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड (एओसीपी, फिटर) 59. गोल्डी ग्रीन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड (इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक)
	कुल	50 आईटीआइज	88 उद्योग	

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के तहत प्रारंभ व्यावसायों की संख्या:

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली इस समय निम्नलिखित 16 व्यावसायों में उपलब्ध है:—

(i) इलेक्ट्रीशियन

(ii) फिटर

(iii) मशीनिस्ट

(iv) टर्नर

(v) इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक

(vi) वेल्डर

(vii) मैकेनिक डीजल

(viii) मैकेनिक (मोटर वाहन)

(ix) कोस्मेटोलॉजी

(x) टूल एवं डाई मेकर (डाइज तथा मोल्ड)

(xi) ड्राफ्ट्समैन (यांत्रिक)

(xii) अटेन्डेन्ट ऑपरेटर (केमिकल प्लांट)

(xiii) मैकेनिक प्रशीतन और वातानुकूलन

(xiv) पलम्बर

(xv) ऑटोमोटिव बॉडी मरम्मत

(xvi) ऑटोमोटिव पेंट मरम्मत

[हिन्दी]

खुदरा विपणन कंपनियां

5665. **श्री राम कुमार शर्मा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई देशों की बहुर ाष्ट्रीय कंपनियां और बड़े स्वदेशी औद्योगिक घरानों की कंपनियां देश के खुदरा बाजार में कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान देश के खुदरा बाजार में कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़ी स्वदेशी औद्योगिक कंपनिया कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या इन कंपनियों के आने से देश में आर्थिक विकास की गति में तेजी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) और (ख) देश में खुदरा बाजार में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और स्वदेशी बड़े औद्योगिक घरानों के संबंध में समेकित आंकड़ें केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) खुदरा क्षेत्र में इन कंपनियों के आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

वन ग्राम समिति

5666. **श्री रवीन्द्र कुमार जेना:** क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को फरवरी, 2018 में जारी किए गए प्रतिपूरक वनरोपण निधि (सीएएफ) मसौदा नियमों की जानकारी है जो जनजातीय भूमि, वन और आदिवासियों पर भी लागू होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नियमों को बनाने से पहले मंत्रालय से विचार-विमर्श किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियमानुसार "ग्राम सभा" को वन अधिकार अधिनियम (एफ़आरए), 2006 में दी गई परिभाषा या संविधान के अनुसार परिभाषित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्राम सभा जैसे सांविधिक निकाय और ग्राम वन समितियों की कोई भी निर्णयकारी वाली शक्तियां वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समान हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने ग्राम सभा के सीएएफ़ नियमों के अंतर्गत वन अंतःपरिवर्तनीय रोपण परियोजनाओं संबंधी सांविधिक अधिकारों के मसलों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ उठाया है/उठाये जाने का विचार किया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत): (क) जी, हां।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) तथा पर्यारवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के बीच परामर्श एक निरंतर तथा अविरत प्रक्रिया है। इन परामर्शों के दौरान, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) तथा प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016

(सीएएफए) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। तथापि, सीएएफ नियम, 2018 के मसौदे को अभी सार्वजनिक परामर्श के लिए तैयार किया गया है, जिसे इसके वर्तमान रूप में एमओईएफसीसी द्वारा परामर्श के लिए नहीं भेजा गया है।

(ग) मसौदा सीएएफ नियम, 2018 के नियम 2(ड) के अनुसार ग्राम सभा का तात्पर्य वही है जो संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड(ख) में निर्दिष्ट है।

(घ) ग्राम वन समिति को वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) में परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, वन अधिकार नियम के नियम 4(1)(ड) के तहत समिति तथा एफआरए की धारा 2(छ) में परिभाषित ग्राम सभा के पास विभिन्न अधिकार हैं।

(ङ) दिनांक 12.03.2018 को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मसौदा सीएएफ नियम, 2018 पर टिप्पणियां प्रेषित करने के दौरान एमओईएफसीसी के साथ एफआरए में परिभाषित 'ग्राम सभा' के अधिकारों के मुद्दे उठाए गए हैं।

रोजगार संबंधी सीएमआईई अध्ययन

5667. **श्री कमल नाथः**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र (सीएमआईई) द्वारा किए गए उस अध्ययन पर ध्यान दिया है जिसमें यह बताया गया है कि गत 15 माह के दौरान देश में बेरोजगारी दर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में रोजगार-वृद्धि और बेरोजगारी दर में कमी करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम/अपनाई जा रही नई रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2015-16 में रोजगार-बेरोजगारी पर आयोजित पिछले उपलब्ध श्रमबल सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु अनुमानित बेरोजगारी दर 2015-16 में 3.7% थी।

नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार सृजन करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु विभिन्न उपाय किए हैं - जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की अग्रणी योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में सहायता करेगा। पहले से सीखने के अनुभव वाले अथवा कुशल व्यक्तियों को भी पूर्व-सीख को मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत मूल्यांकित और प्रमाणित किया जाएगा। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने हेतु लगभग 22 मंत्रालय/विभाग विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चला रहे हैं।

स्व-रोजगार को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा एवं स्टार्ट-अप्स योजनाएं आरंभ की गई हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल सम्मिलित है जो गतिशील, दक्ष एवं प्रतिक्रियाशील ढंग से रोजगार के मिलान हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें करियर संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2016-17 में प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) नामक एक योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत नियोक्ताओं को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जहाँ नए कर्मचारियों को दिए जाने वाले नियोक्ताओं के 8.33% ईपीएस अंशदान का भुगतान सरकार कर रही है। वस्त्र (परिधान एवं तैयार वस्त्र) क्षेत्र में, सरकार 8.33% ईपीएस अंशदान के भुगतान के अतिरिक्त, नियोक्ताओं के 3.67% ईपीएफ अंशदान का भी भुगतान करेगी।

शैक्षिक योग्यता

5668. **श्रीमती कविता कलवकुंतलाः**
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः
डॉ. जे. जयवर्धनः
श्री धनंजय महाडीकः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत और फ्रांस ने दोनों देशों में अर्जित शैक्षिक योग्यताओं को परस्पर मान्यता देने के लिए एक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं और इसके परिणामस्वरूप कितने छात्रों को लाभ मिलेगा;

(ग) क्या भारत ने अन्य देशों के साथ भी इसी प्रकार के एमओयू पर हस्ताक्षर किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) और (ख) जी, हां! शैक्षिक अर्हताओं को पारस्परिक मान्यता देने को सुकर बनाने के लिए भारत गणराज्य और फ्रांस गणराज्य के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। करार की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है। लाभांवित विद्यार्थियों के संदर्भ में समझौता ज्ञापन के परिणाम की इस समय मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(ग) और (घ) भारत और फ्रांस के बीच यह करार अर्हताओं को परस्पर मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार स्तर पर प्रथम करार है और अभी तक भारत ने किसी अन्य देश के साथ इस प्रकार के सरकारी स्तरीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

विवरण

भारत गणराज्य सरकार
और
फ्रांस गणराज्य सरकार
के बीच
शैक्षणिक अर्हताओं की परस्पर स्वीकृति के सरलीकरण हेतु करार

भारत गणराज्य सरकार,
और फ्रांस गणराज्य सरकार,

जिन्हें इसके पश्चात 'पक्षकार' कहा गया है,

भारत गणराज्य और फ्रांस गणराज्य सरकार के मध्य 7 जून 1966 को हुए सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग से संबंधित समझौते का स्मरण करते हुए;

पक्षकारों के बीच शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में संबंध विकसित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए;

विभिन्न समझौतों के माध्यम से दोनों देशों की उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मध्य सहयोग और आदान-प्रदान की परंपरा में विश्वास जताते हुए;

दोनों देशों के विद्यार्थियों को एक-दूसरे देश में अपना अध्ययन जारी रखने की संभावनाएं उपलब्ध करवाते हुए उनकी गतिशीलता को प्रोत्साहन देने की भावना में विश्वास रखते हुए;

दृढ़ विश्वास रखते हुए कि साझेदार देश में अध्ययन जारी रखने को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के मध्य अर्हताओं और अध्ययन अवधि की पारस्परिक मान्यता से विद्यार्थी गतिशीलता को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सहयोग, विश्वविद्यालय और अनुसंधान आदान-प्रदान के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा।

निम्नानुसार परस्पर सहमति अभिव्यक्त करते हैं:

अनुच्छेद 1

करार का उद्देश्य

इस करार के साथ दोनों पक्ष सहभागी देश में अपने अध्ययन जारी रखने की दृष्टि से दोनों देशों में विधिवत रूप से अनुमोदित, मान्यता प्राप्त और अथवा प्रत्यायित शैक्षिक संस्थाओं के भीतर छात्रों द्वारा किए जाने वाले अध्ययन की अवधि और शैक्षिक अर्हताओं की पारस्परिक मान्यता को सुकर बनाने और उस दिशा में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

अनुच्छेद 2

कार्यक्षेत्र और कार्यान्वयन

(1) यह करार निम्नानुसार लागू होगाः

- भारत में, वे सभी संस्थाएं जोकि भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) की सदस्य हैं और डिग्री प्रदान करने के लिए भारतीय गणराज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या प्रत्यायित सभी संस्थाओं पर लागू होगा।
- फ्रांस में, कॉन्फरेंस दे प्रजिडेन्ट्स द युनिवर्सिते

(सीपीयू) तथा कॉन्फरेंस दे डायरेक्टर्स दे एकोल फ्रांसेज़ द इंजीनियर (सीडीईएफआई) के तहत सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और उच्चतर शिक्षा के प्रभारी फ्रांस मंत्रालय द्वारा विधिवत् रूप से मान्यता प्राप्त डिग्रियों पर लागू होगा।

(2) दोनों पक्षकार इस करार के कार्यान्यवन के लिए उपर्युक्त भारतीय और फ्रेंच निकाय (एआईयू और सीपीयू/सीडीईएफआई) के बीच नियमित आदान-प्रदान को सुकर बनाएंगे।

(3) यह करार ऐसे विषयों और अर्हताओं पर लागू नहीं होगा जोकि उनके धारकों को संबंधित देशों में व्यवसाय करने के अधिकार के लिए भी पात्र बनाते हों।

(4) यह करार संस्थागत स्वायता के सिद्धांत के प्रति सम्मान पर आधारित है जोकि भारत और फ्रैंच उच्चतर शिक्षा प्रणाली दोनों पर लागू होता है।

ऐसे कार्यक्रम जिनमें छात्र नामांकन कर सकते हैं को प्रत्येक पक्षकार के सक्षम उच्चतर शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(5) संगठन और दोनों देशों की उच्चतर शिक्षा प्रणालियों की संरचना संबंधी सूचना का नियमित आधार पर आदान-प्रदान किया जाएगा।

(6) दोनों पक्षकार भारत गणराज्य की माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद (की) और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की अर्हताओं और फ्रांस गणराज्य की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की अर्हताओं को पारस्परिक मान्यता देने के लिए सहमति अभिव्यक्त करते हैं जोकि समअनुरूप अर्हताओं की तुलना में इस करार के क्षेत्र में आती हैं बशर्ते कि ये अर्हताएं दोनों देशों के कानून और विनियमों के अनुसार प्रदान की गई हों।

(7) भारतीय पक्षकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा जारी सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या भारत गणराज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य माध्यमिक, इंटरमिडिएट या प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के साथ तुलनीय फ्रांस राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा माध्यमिक स्कूल शिक्षा की समाप्ति पर प्रदान किये जाने वाले बक्कालॉरेत नामक प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान करेगा।

(8) फ्रांस पक्षकार फ्रांस राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा माध्यमिक शिक्षा समाप्ति पर प्रदान किए जाने वाली बक्कालॉरेत अर्हता के साथ तुलनीय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा जारी सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या भारत गणराज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य माध्यमिक, इंटरमिडिएट या प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों को मान्यता प्रदान करेगा।

(9) भारतीय पक्षकार, भारत गणराज्य में सक्षम प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रियों की तुलना में उच्चतर शिक्षा के लिए फ्रांसीसी मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित फ्रांसीसी विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त लाईसेंस डिग्रियों को स्वीकार करेगा।

(10) फ्रांसीसी पक्षकार, फ्रांस उच्चतर शिक्षा मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त लाइसेंस डिग्रियों की तुलना में भारत गणराज्य में सक्षम प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रियों को स्वीकार करेगा।

(11) भारतीय पक्षकार, भारत गणराज्य में सक्षम प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर डिग्रियों की तुलना में उच्चतर शिक्षा के लिए फ्रांसीसी मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित फ्रांसिसी विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्रियों को स्वीकार करेगा।

(12) फ्रांसीसी पक्षकार, फ्रांस उच्चतर शिक्षा मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्रियों की तुलना में भारत गणराज्य में सक्षम प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर डिग्रियों को स्वीकार करेगा।

(13) भारतीय पक्षकार, भारत गणराज्य में सक्षम प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा संबंधित विषय (विषयों) में प्रदत्त डॉक्टर ऑफ फिलोस्फी (पीएच.डी) डिग्रियों की तुलना में उच्चतर शिक्षा के लिए फ्रांसीसी मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित, स्वीकृत अथवा प्रत्यायित फ्रांसीसी विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा प्रदत्त डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी) स्तरीय डिग्रियों को स्वीकार करेगा।

भारत गणतंत्र में सक्षम प्राधिकारियों अथवा संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा प्रत्यायित।

(14) फ्रेंच पक्ष, फ्रेंच उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या प्रत्यायित विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही डॉक्टोरल डिग्री के समतुल्य भारत गणतंत्र में सक्षम प्राधिकारियों अथवा संस्थाओं द्वारा विधिवत अनुमोदित, मान्यता प्राप्त और प्रत्यायित डॉक्टर ऑफ फिलोस्फी (पीएच.डी) डिग्री को मान्यता प्रदान करेगी।

अनुच्छेद 3

परामर्श

पक्ष, उनकी उच्चतर शिक्षा प्रणालियों के भीतर परिवर्तनों के बारे में एक दूसरे को सूचित रखने के लिए आवधिक रूप से एक दूसरे के साथ पारस्परिक रूप से विचार-विमर्श करेंगे।

अनुच्छेद 4

विवादों का निपटारा

इस करार की व्याख्या अथवा कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा पार्टियों के मध्य विचार-विमर्श अथवा समझौते के द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 5

लागू एंट्री

प्रत्येक पार्टी इस अनुबंध के लागू होने जो विगत अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् दूसरे माह की प्रथम तारीख को होगा, के लिए अपेक्षित किसी भी आंतरिक प्रक्रिया विधियों के पूरा होने के बारे में दूसरी पार्टी को सूचित करेगी।

अनुच्छेद 6

वैधता और निरंतरता

यह करार लागू एंट्री होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। वैधता अवधि का स्वतः नवीकरण हो जाएगा।

अनुच्छेद 7

समाप्ति

कोई भी पक्ष समाप्ति की नियत तारीख से कम-से-कम बारह महीने पहले अन्य पार्टी को लिखित सूचना देने के द्वारा इस करार को समाप्त कर सकेगा।

नई दिल्ली में दिनांक 10 मार्च 2018 को फ्रेंच, अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित। सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं।

भारत गणराज्य	**फ्रेंच गणराज्य**
की ओर से	की ओर से

महिला छात्राओं हेतु पाठ्यक्रम

5669. **श्री सुनील कुमार सिंहः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने महिला छात्राओं हेतु आत्मरक्षा कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की शुरूआत के बारे में जानकारी मांगते हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या यूजीसी ने इस पर उत्तर देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कॉलेज-वार/विश्वविद्यालय-वार कितनी धनराशि आबंटित/जारी/खर्च की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह)ः (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के परिसरों में विशेषकर बालिकाओं और महिलाओं और सामान्य रूप से समस्त युवाओं की सुरक्षा और अभिरक्षा की वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए प्रोफेसर मीनाक्षी गोपीनाथ, पूर्व सदस्य, यूजीसी की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया था। कार्यबल ने दिनांक 30 अक्तूबर, 2013 को "**सक्षम**- परिसरों में महिला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने

हेतु उपाय और महिला-पुरूष सग्राहीकरण हेतु कार्यक्रम" नामक अपनी रिपोर्ट यूजीसी को प्रस्तुत की। कार्यबल की रिपोर्ट की प्रति *http://www.ugc.ac.in/pdfnews/5873997 SAKSHAM-BOOK.pdf* पर उपलब्ध है।

यूजीसी ने कार्यबल की सिफारिशों को स्वीकार किया है और कार्यबल की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में महिला कर्मचारियों और छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और प्रतितोष) विनियम, 2015 अधिसूचित किया है। इन विनियमों के अनुसार, यह उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं का उत्तरदायित्व है कि वे जैसाकि सक्षम रिपोर्ट में सुझाया गया है, महिला-पुरुष सुग्राहीकरण हेतु विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशाला आयोजित करें।

यूजीसी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 26.02.2018 को सभी विश्वविद्यालयों कुलपतियों से महिलाओं के लिए आत्म-रक्षा कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के संबंध में जानकारी देने का अनुरोध किया है। यूजीसी ने आगे सूचित किया है कि दिनांक 26.02.2018 तक 130 उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं महिलाओं के लिए आत्म-रक्षा कार्यक्रम चला रही हैं

नए इस्पात संयंत्र

5670. **श्री भीमराव बी. पाटीलः**
श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में सरकारी उपक्रमों की भूमि पर निजी कंपनियों के साथ नए इस्पात संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) के सहयोग से विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में छर्रा संयंत्र स्थापित करने का विचार है और इस संयुक्त उद्यम की शुरुआत के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केआईओसीएल और आरआईएनएल, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने जेवी आधार पर विशाखापट्टनम में एक पैलेट संयंत्र की स्थापना के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

एएसईआर रिपोर्ट

5671. **श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डीः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नवीनतम शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (एएसईआर) का संज्ञान लिया है जिसके अनुसार सभी 14 वर्ष के बालक बालिकाओं में से मात्र 53 प्रतिशत आबादी अंग्रेजी में एक साधारण पाठ को पढ़ सकती है और केवल 44 प्रतिशत एक साधारण भाग का प्रश्न हल कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं और देश में माध्यमिक शिक्षा की इस स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 27466 करोड़ रुपए के आवंटन की अनुशंसा के बावजूद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) को 19372 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि गत 3 वर्षों के दौरान आरएमएसए के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों हेतु प्रति विद्यार्थी आवंटन की राशि में कमी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) और (ख) उपलब्धि नर्वेक्षणों को एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (एएसईआर) में जारी किया जाता है। यह सर्वेक्षण देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित एक पारिवारिक सर्वेक्षण है। एएसईआर 2017 रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ ही यह दर्शाया गया है कि नमूने के तौर पर सभी 14-वर्षीय बालकों में से 53% बालक अंग्रेजी वाक्य पढ़ सकते हैं। 18 वर्षीय युवा वर्ग के लिए यह आंकड़ा लगभग 60% है। अंग्रेजी वाक्य पढ़ सकने वाले बालकों में से 79% बालक वाक्य का अर्थ बता सकते हैं। रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि केवल 43% विद्यार्थी ही 3 अंक से 1 अंक का भाग सही-सही से कर पाते हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस एएसईआर, 2017 सर्वेक्षण से संबद्ध नहीं था।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) ने कक्षा III, V, VIII और X के बच्चों के अधिगम उपलब्धियों का आवधिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण करवाया है। 2001-02

से 2014-16 तक कक्षा V के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) के चार दौरों और कक्षा III और VIII के लिए तीन दौरों का आयोजन किया गया। 2015 में कक्षा X के लिए पहली बार एनएएस का आयोजन किया गया। ये सर्वेक्षण पहले दौर से चौथे दौर में अभिचिन्हित विषयों में छात्रों के अधिगम उपलब्धि स्तरों में सुधार दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, 5 फरवरी, 2018 को कक्षा x के विद्यार्थियों के लिए लगभग 15.5 लाख विद्यार्थियों को कवर करते हुए एक जिला स्तरीय सैम्पलिंग फ्रेमवर्क के साथ राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का द्वितीय चरण आयोजित किया गया। इसी प्रकार, 13 नवंबर, 2017 को कक्षा 3,5 और 8 के लिए एनएएस का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 700 ज़िलों के 1.10 लाख स्कूलों से लगभग 22 लाख विद्यार्थियों के अधिगम स्तरों का मूल्यांकन किया गया।

(ग) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मंत्रालय में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) योजना के मानकों के अनुसार, उपलब्ध निधियों और राज्यों की प्रगति के आधार पर व्यवहार्य प्रस्तावों को अनुमोदित करता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान आरएमएसए को किए गए आबंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

12वीं योजना आबंटन	2012-13	2013-14	2014-15*	2015-16*	2016-17*	कुल आबंटन
	बीई	बीई	बीई	बीई	बीई	बीई
27466	3124.00	3983.00	5000.00	3565.00	3700.00	19372.00

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आरएमएसए के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुमोदित प्रति विद्यार्थी परिव्यय में वृद्धि हुई है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	कुल नामांकन (सरकारी)	आरएमएसए के अंतर्गत कुल परिव्यय (लाख रुपए में)	प्रति विद्यार्थी आबंटन (लाख रुपए में)
2014-15	16565190	437255.96	0.026
2015-16	16913960	675382.72	0.040
2016-17	17390178	1012501.2	0.058

आरएमएसए के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर के लिए निधियों का कोई आबंटन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

अनिवार्य एनसीसी प्रशिक्षण

5672. **श्री पंकज चौधरी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु एनसीसी प्रशिक्षण को अनिवार्य करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों में जहां ऐसी इकाइयों को स्थापित नहीं किया गया है, एनसीसी इकाइयां स्थापित करने हेतु मानव संसाधन प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अनुरोध किया है कि वे अपने संबंधित विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में नेशनल कैडेट कॉर्प्स (एनसीसी) को एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखने के कार्यान्वयन के बारे में पता लगाए। विश्वविद्यालयों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी के कार्यान्वयन का उद्देश्य, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता, देशभक्ति तथा सामाजिक और नैतिक दायित्वों पर फोकस करना है। इससे कैडेट्स के जीवन और नेतृत्व कौशलों में वृद्धि होने की भी आशा है। इसके अलावा, यूजीसी क्रेडिट प्वाईंट सहित एक वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी की शुरुआत करने के लिए स्वायत्त महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

संस्कृत विश्वविद्यालय

5673. **श्रीमती नीलम सोनकर:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में संस्कृत के अध्यापकों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या संस्कृत को माध्यमिक और मध्य विद्यालयों में अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है और क्या सभी सरकारी विद्यालयों में संस्कृत के अध्यापक उपलब्ध है?

(ग) यदि हां, तो देश में संस्कृत के अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह संख्या सभी सरकारी विद्यालय और महाविद्यालयों हेतु पर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो संस्कृत के अध्यापकों की उपलब्धता और कमी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) से (ङ) अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें मुख्यत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आते हैं। केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात बरकरार रखने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त शिक्षकों की सहायता प्रदान करती है। तथापि, सभी राज्यों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में, संस्कृत वैकल्पिक आधार पर कक्षा VI में शुरू की गई है। रूचि रखने वाले छात्र अगले चार वर्षों अर्थात कक्षा IX से XII तक संस्कृत को एक विषय के रूप में आगे पढ़ सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विद्यालयों एवं कॉलेजों में संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।

मदरसों को निधियां

5674. **श्री हरीश मीना:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सरकार द्वारा वित्तपोषित मदरसों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी निधियां प्राप्त करने वाले फर्जी मदरसों की बड़ी संख्या का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा की गई दांडिक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) (क) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) का कार्यान्वयन कर रहा है। एसपीईएमएम एक प्रछत्र योजना है जिसमें मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) शामिल हैं। ये योजनाएं मांग आधार पर चलाई जाती हैं और स्वैच्छिक प्रकृति की हैं तथा राज्य से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों, पहले अनुमोदित की गई निधियों के उपयोग और निधियों की उपलब्धता के आधार पर निधियों का अनुमोदन किया जाता है। एसपीक्यूईएम मदरसों और मकतबों जैसी परंपरागत संस्थाओं को उनके पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी और अंग्रेजी जैसे विषयों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि इन संस्थाओं में अध्ययन कर रहे बच्चे कक्षा I- XII में शैक्षिक दक्षता प्राप्त कर सकें। विगत तीन वर्षों के दौरान एसपीक्यूईएम योजना के तहत वित्तपोषित मदरसों की संख्या का राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) और (ग) फर्जी मदरसों से संबंधित जानकारी को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। मदरसों के डुप्लिकेशन को रोकने और योजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने दिनांक 14.01.2016 को हुई अनुदान सहायता समिति (सीजीआईएसी) की बैठक में यह निर्णय लिया था कि सभी मदरसों/संस्थाओं के पास यू-डाइज या विशिष्ट कोड होना चाहिए।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित एसपीक्यूईएम योजना के तहत वित्तपोषित मदरसों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18 (26.3.2018 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-
2.	असम	-	-	-
3.	बिहार	1127	-	-
4.	छत्तीसगढ़	268	480	214
5.	हरियाणा	-	-	-
6.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-
7.	झारखंड	110	-	110
8.	कर्नाटक	-	-	-
9.	केरल	-	-	-
10.	मध्य प्रदेश	3288	1877	-
11.	महाराष्ट्र	-	-	-

1	2	3	4	5
12.	राजस्थान	-	-	-
13.	त्रिपुरा	258	-	129
14.	उत्तर प्रदेश	14974	6062	4039
15.	उत्तराखंड	481	287	228
16.	पश्चिम बंगाल	221	-	-
	कुल	20727	8706	4720

[अनुवाद]

दिव्यांगों हेतु स्कूल

5675. **श्री पी. आर. सुन्दरमः**
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री राजीव सातवः
श्री धनंजय महाडीकः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार विशेष या मानसिक रूप से विक्षिप्त दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नए विद्यालय स्वीकृत या खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) (क) और (ख) जी, नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में, मानसिक रूप से विक्षिप्त दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु नए विद्यालयों को स्वीकृत करने/खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

तथापि, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को नजदीकी प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है, जिसमें निःशक्तता सहित और निःशक्तता रहित बच्चे एक ही कक्षा में साथ-साथ सीख सकें।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत गैर-सरकारी संगठनों को न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए काम करने के पश्चात् विशेष स्कूल चलाने के लिए अनुदान सहायता दी जाती है। यह डीडीआरएस के अंतर्गत नए विशेष स्कूल खोलने अथवा किसी और परियोजना के लिए निधियां प्रदान नहीं करता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सहायता-प्राप्त विशेष स्कूलों की संख्या 371 है।

(ग) एसएसए के अंतर्गत, सीडब्ल्यूएसएन की शिक्षा से संबंधित पहलों के लिए 3,000/- रुपए प्रति बालक प्रति वर्ष की राशि आबंटित की जाती है। सीडब्ल्यूएसएन की शिक्षा के लिए मुख्य पहलों में पहचान, कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन, समुचित शैक्षिक नियोजन, व्यक्तिगत शिक्षा प्लान तैयार करना, निःशुल्क सहायता सामग्री और उपकरणों की व्यवस्था, परिवहन और/अथवा एस्कॉर्ट सहायता, उपाय कुशल अध्यापकों की नियुक्ति, उपचारात्मक सहायता और निर्बाध पहुंच शामिल है।

मंत्रालय, माध्यमिक स्तर पर, आरएमएसए के एक भाग के रूप में माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजनों हेतु समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) के घटक कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य सभी निःशक्त विद्यार्थियों को एक समावेशी और समर्थकारी माहौल में माध्यमिक स्कूल शिक्षा (कक्षा IX से XII) के चार वर्ष पूरे करने का अवसर प्रदान करना है। आईईडीएसएस संघटक के अंतर्गत विशेष अध्यापकों की नियुक्ति, संसाधन कक्ष को सज्जित करने, स्कूल को बाधा-रहित बनाने, अभिभावकों, प्रशासकों, शिक्षाविदों इत्यादि के अभिविन्यास आदि हेतु सहायता के अलावा 3,000/- रुपए प्रति बालक प्रति वर्ष की दर पर विद्यार्थी उन्मुखी सहायता हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी

5676. **श्री डी. के. सुरेशः**
श्री नलीन कुमार कटीलः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत 3 वर्षों के दौरान देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएच. डी में पंजीकृत और अध्ययनरत विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में पीएच. डी के अध्ययन हेतु रुचि वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सभी आकांक्षी विद्यार्थियों हेतु डॉक्टोरेट की डिग्री प्रदान करने के लिए पर्याप्त आधरभूत ढांचा स्थापित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पीएच.डी कार्यक्रमों में कुल विद्यार्थी नामांकन निम्नानुसार है:—

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या
2014-15	1,00,792
2015-16	1,09,552
2016-17	1,23,712

इन वर्षों के दौरान पीएच.डी कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय-वार विद्यार्थी नामांकन का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) जी, हां। देश में पीएच.डी करने में रूचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालयों की स्थापना या तो केंद्रीय अधिनियम अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम द्वारा की जाती है और वे शोध इत्यादि हेतु अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए किसी भी प्रकार का प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

विवरण

विश्वविद्यालय का प्रकार	पुरूष	महिला	कुल
पी.एचडी (2014-15)			
केंद्रीय विश्वविद्यालय	10008	7521	17529
केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	12	10	22
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	15827	6515	22342
राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	19040	14272	33312
राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	119	60	179
राज्य निजी विश्वविद्यालय	3519	2571	6090
केंद्रीयनिजीमुक्तविश्वविद्यालय	0	0	0
राज्य विधान मंडल अधिनियम के अधीन संस्थान	261	35	296
सम विश्वविद्यालय-सरकारी	4974	2090	7064
सम विश्वविद्यालय-सरकारी सहायता प्राप्त	1053	950	2003
डीम्ड विश्वविद्यालय-निजी	6094	5861	11955
अन्य	0	0	0
अखिल भारत	60907	39885	100792
पी.एचडी (2015-16)			
केंद्रीय विश्वविद्यालय	9169	6433	15602
केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	12	10	22
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	17559	7544	25103
राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	20035	16389	36424
राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	184	101	285
राज्य निजी विश्वविद्यालय	4112	3052	7164
केंद्रीयनिजीमुक्तविश्वविद्यालय	0	0	0
राज्य विधान मंडल अधिनियम के अधीन संस्थान	216	25	241
सम विश्वविद्यालय-सरकारी	5598	2592	8190
सम विश्वविद्यालय-सरकारी सहायता प्राप्त	1318	1300	2618
डीम्ड विश्वविद्यालय-निजी	7398	6480	13878
अन्य	19	6	25
अखिल भारत	65620	43932	109552
पी.एचडी (2016-17)			
केंद्रीय विश्वविद्यालय	10603	7112	17715
केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	416	330	746
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	18048	7964	26012
राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	22465	19100	41565
राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	82	35	117
राज्य निजी विश्वविद्यालय	5565	4590	10155
केंद्रीय निजी मुक्त विश्वविद्यालय	0	0	0
राज्य विधान मंडल अधिनियम के अधीन संस्थान	220	36	256

विश्वविद्यालय का प्रकार	पुरूष	महिला	कुल
सम विश्वविद्यालय-सरकारी	5417	2710	8127
सम विश्वविद्यालय-सरकारी सहायता प्राप्त	1155	1269	2424
डीम्ड विश्वविद्यालय-निजी	8826	7769	16595
अन्य	-	-	-
अखिल भारत	72797	50915	123712

अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों का दर्जा

5677. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाणः**
कुँवर हरिवंश सिंहः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री विद्युत वरण महतोः
श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री ए. अनवर राजाः
श्री एस. आर. विजय कुमारः
श्री टी. राधाकृष्णनः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जिन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कितने उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ग) उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा अल्पसंख्यक दर्जे हेतु लंबित आवेदनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे उच्चतर संस्थानों हेतु किए गए वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किए गए विद्यालयों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) दो केंद्रीय विश्वविद्यालय नामतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली का अल्पसंख्यक दर्जा क्रमशः माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है।

(ख) से (ङ) उच्च शिक्षा संस्थानों और अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किए गए स्कूलों के डाटा का अलग से रख-रखाव नहीं किया जाता है। तथापि, कुल 13,331 संस्थाओं जिनमें उच्च शैक्षिक संस्थाओं के साथ-साथ हो स्कूल शामिल हैं, को दिनांक 01.03.2018 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया है और उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई) के पास उच्च शैक्षिक संस्थाओं और स्कूलों दोनों के लिए कुल 2614 आवेदन लंबित है और इनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

ऐसी शैक्षिक संस्थाएं, जिन्हें अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया है, के लिए किए गए वित्तीय आवंटन का ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

विवरण

जारी किए गए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र का राज्य-वार ब्यौरा

दिनांक 01.03.2018 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य का नाम	एमएससी की कुल संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9
2.	आंध्र प्रदेश	435
3.	अरुणाचल प्रदेश	23
4.	असम	218
5.	बिहार	145
6.	चंडीगढ़	20
7.	छत्तीसगढ़	232
8.	दादरा और नगर हवेली	4
9.	दमन	1
10.	दिल्ली	249
11.	गोवा	165
12.	गुजरात	58
13.	हरियाणा	169
14.	हिमाचल प्रदेश	27

1	2	3
15.	झारखंड	104
16.	कर्नाटक	698
17.	केरल	4657
18.	लक्षद्वीप	0
19.	मध्य प्रदेश	498
20.	महाराष्ट्र	199
21.	मणिपुर	37
22.	मेघालय	7
23.	मिजोरम	0
24.	नागालैंड	0
25.	ओडिशा	121
26.	पुदुचेरी	26
27.	पंजाब	125
28.	राजस्थान	104
29.	सिक्किम	18
30.	तमिलनाडु	886
31.	तेलंगाना	138
32.	त्रिपुरा	13
33.	उत्तर प्रदेश	3129
34.	उत्तराखंड	119
35.	पश्चिम बंगाल	697
	कुल	13331

तंबाकू का व्यापार

5678. **श्री विद्युत वरण महतोः**
कुँवर हरिवंश सिंहः
श्री नारणभाई काछडियाः
श्री ए. अनवर राजाः
श्री एस. आर. विजय कुमारः
श्री टी. राधाकृष्णनः
श्री सुधीर गुप्ताः
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाडः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सभी तंबाकू उत्पादों के कुल मूल्यों का ब्यौरा क्या है और इससे सृजित तंबाकू व्यापार की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने रोजगार के सृजन के संदर्भ में तंबाकू व्यापार से आय से अन्य उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देने के लिहाज से व्यापार के आर्थिक महत्व संबंधी डाटा को एकत्रित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तंबाकू व्यापार से सृजित आर्थिक मूल्य का ब्यौरा क्या है और तंबाकू व्यापार पर अनुमानित कितनी आजीविका निर्भर है;

(घ) गत 3 मौसम के प्रत्येक मौसम और चालू मौसम के दौरान तंबाकू के उत्पादन हेतु तंबाकू बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान किसानों द्वारा तंबाकू का कुल कितना उत्पादन किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के लिए सभी तंबाकू उत्पादों से सृजित तंबाकू व्यापार का कुल मूल्य एवं मात्रा का विवरण निम्नलिखित हैः

(मात्राः मी.टन में/मूल्यः मिलियन अम.डा. में)

	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18 (जनवरी, 18 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	1	2	3	4	5	6	7	8
निर्यात								
तंबाकू विनिर्मित		278.61		316.68		324.31		276.20
तंबाकू अविनिर्मित	219572	680.01	215316	665.33	204447	634.38	151888	484.05
कुल		958.62		982.01		958.69		760.25

	1	2	3	4	5	6	7	8
आयात								
तंबाकू विनिर्मित		32.76		29.74		34.07		25.08
तंबाकू अविनिर्मित	1930	15.90	2883	20.54	1969	11.47	1237	9.06
कुल		48.66		50.28		45.54		34.14

स्रोतः डीजीसीआईएण्डएस

(ख) और (ग) जी नहीं। रोजगार सृजन, तंबाकू व्यापार के अर्जन से अन्य उत्पादों की खपत को बढ़ावा देने के रूप में व्यापार के आर्थिक महत्व पर विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव है। तथापि, उद्योग के आकलनों के अनुसार, भारतीय तंबाकू उद्योग किसानों, खेतिहर मजदूरों, सौदागर व्यापारियों, प्रोसेसरों, विनिर्मातकों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की आपूर्ति श्रृंखला सहित 45.7 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को जीविका प्रदान करता है ।

(घ) विगत तीन सीजनों एवं चालू सीजन में से प्रत्येक के दौरान एफसीवी तंबाकू के उत्पादन के लिए तंबाकू बोर्ड द्वारा तय किये गये एफसीवी तंबाकू हेतु फसल आकार का विवरण निम्नलिखित हैः

(मात्राः मिलियन कि.ग्रा.में)

फसल सीजन	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	कुल
2014-15	172.00	104.00	276.00
2015-16	120.00	100.00	220.00
2016-17	130.00	95.00	225.00
2017-18 (चालू सीजन)	136.00	99.00	235.00

स्रोतः तंबाकू बोर्ड

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान कृषकों द्वारा एफसीवी तंबाकू का कुल उत्पादन निम्नलिखित हैः–

(मात्राः मिलियन कि.ग्रा.में)

फसल सीजन	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	कुल
2014-15	190.05	103.40	293.45
2015-16	118.24	71.95	190.19
2016-17	105.35	98.72	204.07
2017-18* (चालू सीजन)	124.93	106.12	231.05

*अनुमानित उत्पादन

स्रोतः तंबाकू बोर्ड

आरजीएसकेवाई

5679. **श्री राहुल शेवालेः**
श्री संजय धोत्रेः
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और यह अपने उद्देश्य प्राप्त करने में किस स्तर तक सफल रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण देश में बंद पड़े सरकारी क्षेत्र के लोक उपक्रमों (सीपीएसई) की संख्या कितनी है और बेरोजगार हुए कामगारों/श्रमिकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त सीपीएसई बंद होने के कारण बेरोजगार हुए सभी कामगारों श्रमिकों को राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत कवर किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत शामिल किए गए मामले और वितरित धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे कामगारों/श्रमिकों और संपूर्ण देश में बंद हुई सीपीएसई के पुनरुद्धार/पुनर्गठन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) कारखाना/प्रतिष्ठान बंद हो जाने, छंटनी या गैर-रोजगार चोट से उत्पन्न स्थायी अपंगता के कारण अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हुए बीमाकृत व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना(आरजीएसकेवाई) आरंभ की गई थी। योजना में दी गई पात्रता की शर्तों, लाभों की अवधि, बेरोजगारी भत्ते की दर तथा दावेदार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बेरोजगारी भत्ते की दावेदारी की अवधि का समय-समय पर आशोधन किया जाता है।

योजना को अधिक आकर्षक और संगत बनाने के लिए क. रा. बी. निगम ने आरजीएसकेवाई के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अंशदान के भुगतान की पात्रता की अपेक्षा को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिया है तथा बेरोजगारी भत्ते की अवधि को बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला के समस्त बीमा-योग्य नियोजन के दौरान मौजूदा 12 माह से बढ़ाकर 24 माह कर दिया है। इस अवधि के दौरान, बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला निम्नलिखित खण्ड के अनुसार लाभ प्राप्त होंगे:–

बेरोजगारी अवधि	0 से 12 माह	13 से 24 माह
लाभ दर	अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 50%	अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 25%

(ख) लोक उद्यम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए सीपीएसई की संख्या तथा बेरोजगार हुए कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) लोक उद्यम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सीपीएसई के बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हुए तथा आरजीएसकेवाई के अंतर्गत कवर्ड कामगारों/श्रमिकों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीएसकेवाई के अंतर्गत दावों तथा संवितरित राशि का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ङ) लोक उद्यम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकार वीआरएस/वीएसएस के अंतर्गत अलग हुए अथवा सीपीएसई की बंदी/पुनर्गठन के कारण छंटनी हुए कर्मचारियों (या आश्रितजनों) को स्व/मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए परामर्श, पुनप्रशिक्षण एवं पुनःतैनाती (सीआरआर) योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना का लक्ष्य लाभार्थियों को स्व/मजदूरी रोजगार के लिए तैयार करने हेतु अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना है। सीआरआर योजना, कौशल विकास एवं प्रशिक्षुता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। ईएसआईसी ने भी योजना को बीमाकृत व्यक्तियों और नियोजकों के बीच अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए समन्वित प्रयास किए हैं। प्रिंट और इलैक्ट्रानिक दोनों मीडिया में विज्ञापन/मीडिया विज्ञप्ति के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया है। योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सम्मेलन/सेमिनार भी आयोजित किए गए हैं।

विवरण-I

लोक उद्यम सर्वेक्षणों में उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 8 उपक्रम बंद कर दिए गए हैं। उनके नाम, कर्मचारियों की संख्या और राज्य (पंजीकृत कार्यालय के अनुसार) निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	कर्मचारियों की संख्या	राज्य (पंजीकृत कार्यालय के अनुसार)
2016-17			
1.	बैरा एसआईयूएल सरना ट्रांसमिशन लि.	0*	दिल्ली
2.	नेल्लोर ट्रांसमिशन लि.	0*	दिल्ली
2015-16			
1.	एसएआईएल जगदीशपुर पावर प्लांट लि.	0*	दिल्ली
2.	एसएआईएल सिन्दरी प्रोजेक्ट्स लि.	0*	झारखण्ड
2014-15			
1.	भारतीय टायर निगम लि.	141	पश्चिम बंगाल
2.	हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	106	दिल्ली
3.	त्रिवेणी स्ट्रकचर्ल्स लि.	131	उत्तर प्रदेश
4.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइज़र्स लि.	0*	दिल्ली

*कर्मचारी नियंत्रक कंपनी द्वारा तैनात किए जाते हैं।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के लिए आरजीएसकेवाई के अंतर्गत दावों और संवितरित राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दावों की संख्या 2014-15	राशि का भुगतान 2014-15	दावों की संख्या 2015-16	राशि का भुगतान 2014-15	दावों की संख्या 2014-15	राशि का भुगतान 2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	166	10302	143	1973047	94	5498810
2.	असम (पूर्वोत्तर)	15	0	0	0	0	0
3.	बिहार	27	322216	0	8095234	0	0
4.	चंडीगढ़	11	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	दिल्ली	1	71085	5	186241	0	680400
7.	गोवा	58	5652699	115	5361245	72	5009115
8.	गुजरात	0	0	30	1188061	25	1405762
9.	हरियाणा	0	88128	0	0	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	71	2501717	123	3417236	0	954150
12.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	982	7450511	133	5153341	1	587060
14.	केरल	254	680660	40	2131968	107	9127422
15.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	35	1195888
16.	महाराष्ट्र	281	4049654	47	1559372	23	1046814
17.	ओडिशा	0	3405126	57	94800	0	30000
18.	पुदुचेरी	209	8245590	83	5216340	87	4634318
19.	पंजाब	53	53655	0	0	0	0
20.	राजस्थान	0	0	0	0	5	3308568
21.	तमिलनाडु	112	2876570	6	92664	0	0
22.	उत्तर प्रदेश	134	10142955	86	8229625	59	3763202
23.	उत्तराखंड	57	2636816	0	74143	0	0
24.	पश्चिम बंगाल	2	113515	0	0	0	0
	कुल	2434	48301199	868	42773317	508	37241509

त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण

5680. **श्री टी. राधाकृष्णनः**
श्री नारणभाई काछडियाः
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री ए. अनवर राजाः
श्री एस. आर. विजय कुमारः
श्री विद्युत वरण महतोः
कुँवर हरिवंश सिंहः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री अशोक शंकरराव चव्हाणः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या श्रमिक ब्यूरो अप्रैल, 2016 से तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) की नई श्रेणी आयोजित कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) नई श्रेणियां किस प्रकार और किस स्तर तक पुरानी श्रेणियों से भिन्न हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में सातवीं क्यूईसी रिपोर्ट जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में महिला कामगारों हेतु रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां। श्रम ब्यूरो ने 10 या इससे अधिक कामगारों वाले 8 मुख्य क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, सन्निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां तथा आईटी/बीपीओ को शामिल करते हुए उत्तरोत्तर तिमाहियों में गैर-कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के काफ़ी बड़े भाग में नियोजन की स्थिति में हुए सापेक्ष परिवर्तनों को मापने के उद्देश्य से कार्य-क्षेत्र और कवरेज का विस्तार करके अप्रैल, 2016 में नवीकृत तिमाही रोजगार सर्वेक्षण(क्यूईएस) आरंभ किया। ये 8 क्षेत्र जनवरी, 2013 से अप्रैल, 2014 के दौरान की गई 6ठी आर्थिक गणना के अनुसार, 10 या इससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के कुल नियोजन का लगभग 81 प्रतिशत हैं। आदिनांक, तिमाही रोजगार सर्वेक्षण से संबंधित सात रिपोर्ट जारी की गई हैं। पहले चरण के स्तर अनुमानों तथा 2, 3, 4, 5, 6 और 7वें चरणों में नियोजन के परिवर्तन अनुमानों के संबंध में क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) श्रम ब्यूरो जनवरी, 2009 से भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन करने के लिए चयनित श्रमोत्पादक और निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों-परिधान, धातु, रत्न एवं आभूषण, ऑटोमोबाइल्स, परिवहन, आईटी/बीपीओ, चमड़ा और हथकरघा/विद्युतकरघा सहित वस्त्र में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण करा रहा है। श्रम ब्यूरो द्वारा ऐसे अट्ठाइस सर्वेक्षण कराए गए हैं तथा इनकी रिपोर्ट जारी कर दी गई हैं। इस सर्वेक्षण के लिए प्रतिदर्श आकार 2500 इकाईयां तक था तथा यह केवल 11 राज्यों में था।

तिमाही रोजगार सर्वेक्षण की आवधिकता, परिणामों और कवरेज के कारण इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (नई श्रृंखला) आरंभ की गयी है। प्रतिदर्श आकार को बढ़ाकर 11000 इकाईयां किया गया तथा कवरेज का विस्तार सभी (36) राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों तक किया गया। मुख्य क्षेत्र 10 या उससे अधिक कामगार वाले विनिर्माण, सन्निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां तथा आईटी/बीपीओ हैं।

तिमाही रोजगार सर्वेक्षण की नई श्रृंखला प्रतिदर्श आकार, कवरेज, क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों आदि के संबंध में पुरानी श्रृंखला से भिन्न है।

(ग) और (घ) जी हां। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के सातवें चरण की रिपोर्ट 12 मार्च, 2018 को जारी की गई है। इसमें रोजगार में सकारात्मक परिवर्तन अर्थात 2017 की जुलाई-सितम्बर तिमाही के दौरान 1.36 लाख नौकरियों को दर्शाया गया है। रोजगार में क्षेत्रवार परिवर्तन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) महिला कामगारों सहित रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, भारी निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं पर पैनी निगाह रखना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम(मनरेगा), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना(डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(डीएवाई-एनयूएनएम), मेक इन इंडिया, कौशल भारत, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी स्कीमों पर सरकारी खर्च में बढ़ोतरी करना जैसे विभिन्न उपाय किए हैं।

सरकार ने कार्यनीतिक तौर पर श्रमोत्पादक विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा पर्यटन और कृषि-आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करके रोजगार के अवसरों का विस्तार करने का निर्णय भी लिया है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2016-17 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक नई योजना "प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना" आरंभ की गई

है। सरकार ने नौकरी के इच्छुकों के ऑनलाइन पंजीकरण और पोस्टिंग के लिए तथा रोजगार संबंधी अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए *(www.ncs.gov.in)* पोर्टल वाली राष्ट्रीय कैरियर सेवा का भी कार्यान्वयन किया है।

विवरण

तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के पहले चरण के स्तरीय अनुमानों तथा तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के 2, 3, 4, 5, 6 और 7वें चरणों में नियोजन के परिवर्तन अनुमानों के संबंध में क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका: नियोजन में क्षेत्रवार परिवर्तन

स्तर अनुमान (पहला चरण) तथा नियोजन के परिवर्तन अनुमान (2, 3, 4, 5, 6 और 7वां चरण)

(लाख में)

क्र. सं.	क्षेत्र	1 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार स्तर अनुमान	परिवर्तन अनुमान (1 अप्रैल, 2016 की तुलना में 1 जलाई, 2016)	परिवर्तन अनुमान (1 जलाई, 2016 की तुलना में 1 अक्टूबर, 2016)	परिवर्तन अनुमान (1 अक्टूबर, 2016 की तुलना में 1 जनवरी, 2017)	परिवर्तन अनुमान (1 जनवरी, 17 की तुलना में 1 अप्रैल, 17)	परिवर्तन अनुमान (1 अप्रैल, 2017 की तुलना में 1 जलाई, 2017)	परिवर्तन अनुमान (1 जलाई, 2017 की तुलना में 1 अक्टूबर, 2017)
1.	विनिर्माण	101.17	-0.12	0.24	0.83	1.02	-0.87	0.89
2.	सन्निर्माण	3.67	-0.23	-0.01	-0.01	0.02	0.10	-0.22
3.	व्यापार	14.45	0.26	-0.07	0.07	0.29	0.07	0.14
4.	परिवहन	5.8	0.17	0.00	0.01	0.03	-0.03	0.20
5.	आवास एवं रेस्तरां	7.74	0.01	-0.08	0.00	0.03	0.05	0.02
6.	आईटी/बीपीओ	10.36	-0.16	0.26	0.12	0.13	0.02	0.01
7.	शिक्षा	49.98	0.51	-0.02	0.18	0.02	0.99	0.21
8.	स्वास्थ्य	12.05	0.33	0.00	0.02	0.31	0.31	0.11
	कुल	205.22	0.77	0.32	1.22	1.85	0.64	1.36

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण

5681. **डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः**
श्री राजीव सातवः
श्रीमती सुप्रियो सदानंद सुलेः
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः
श्री पी. आर. सुन्दरमः
डॉ. जे. जयवर्धनः

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे जिलों की पहचान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) योजना की लागत कितनी है और इस योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों को आवंटित की गई निधियों का राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इस योजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) सरकार ऐसे जिलों में इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा किस प्रकार करती है;

(ङ) वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में ऐसे युवाओं की संख्या

कितनी है जिन्होंने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उनमें से कितने युवाओं को रोजगार मिला है; और

(च) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष तौर पर वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 10 राज्यों के 47 जिलों के लिए "वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास' नाम से एक योजना तैयार की है ताकि इन जिलों के युवा, कौशल प्राप्त कर बेहतर आजीविका अर्जन कर सकें। वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों का चयन गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप किया गया है। इस योजना की कुल लागत 407.85 करोड़ रुपए हैं। योजना के अंतर्गत राज्यवार विस्तृत सूचना, आबंटित निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के संबंधित विभागों की है। संस्थान स्थल दूरस्थ केन्द्रों पर स्थित होने तथा उग्रवाद की घटनाओं के कारण योजना के क्रियान्वित करने में कुछ राज्यों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

(घ) क्रियान्वित करने वाले राज्य, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिव के साथ मिलकर विभिन्न स्तरों पर योजना को मॉनिटर एवं इसकी समीक्षा करते हैं।

(ङ) छः आईटीआइज ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है और प्रशिक्षणार्थियों के प्रथम बैच को दाखिले दे दिए गए हैं। इसके अलावा वर्तमान में 19 कौशल विकास केन्द्र (एसडीसीज) परिचालन में हैं। परिचालन में एसडीसीज में, 2552 दाखिला प्राप्त प्रशिक्षुओं में से 1909 ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और 868 प्रशिक्षुओं को रोजगार प्राप्त हो गया है।

(च) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट रुप से ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है। हालांकि युवाओं को रोजगार की स्थिति में सुधार हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना क्रियान्वित कर रहा है जिसमें गतिशील, कुशल और उत्तरदायी तरीके से नौकरियों के मिलान हेतु रोजगार चाहने वालों और नियोजकों के लिए डिजिटल पोर्टल उपलब्ध है और यहां कैरियर उपलब्धता जानकारी संबंधी विशाल संग्रह है। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 में 1000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित कर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) नाम से एक नई योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत ऐसे नियोजकों, जहां सरकार नए कर्मचारियों के लिए नियोजक के अंशदान की राशि में 8.33% ईपीएस का भुगतान करती है, को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कपड़ा (परिधान एवं निर्मित) क्षेत्र में सरकार 8.33% ईपीएस अंशदान के भुगतान के साथ-साथ नियोजकों के 3.67% ईपीएफ अंशदान का भी भुगतान करती है।

विवरण

"वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास" योजना का ब्यौरा

घटकः

(i) निम्नलिखित के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- प्रति जिला 30 की दर से 1000 युवाओं को दीर्घावधि प्रशिक्षण
- प्रति जिला 120 की दर से 4000 युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण
- प्रति जिला 10 की दर से 340 युवाओं को अनुदेशक प्रशिक्षण संबंधी प्रशिक्षण देना

(ii) निम्न हेतु अवसंरचना निर्माणः

- प्रति जिला एक आईटीआई की दर से 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआइज)
- प्रति जिला दो एसडीसीज की दर से 68 कौशल विकास केन्द्र (एसडीसीज)

शामिलः इस योजना के तहत शामिल जिलों का, आबंटित निधि सहित विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	जिले	आबंटन हेतु			
			160 युवाओं का कौशल प्रशिक्षण (100% केंद्रीय हिस्सेदारी)	1 नई आईटीआई (75% केंद्रीय तथा 25% राज्य हिस्सेदारी)	2 नए एसडीसीज (75% केंद्रीय तथा 25%राज्य हिस्सेदारी)	कुल आबंटन
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	0.00	734.60	0.00	734.60
2.	तेलंगाना	खम्मम	51.57	532.60	100.00	684.17
3.	बिहार	जमुई	51.57	734.60	100.00	886.17
		गया	51.57	734.60	100.00	886.17
		औरंगाबाद	51.57	734.60	100.00	886.17
		रोहतास	51.57	734.60	100.00	886.17
		जहानाबाद	51.57	734.60	100.00	886.17
		अरवल	51.57	734.60	100.00	886.17
		मुजफफरपुर	0.00	734.60	0.00	734.60
		बांका	0.00	734.60	0.00	734.60
		नवादा	0.00	734.60	0.00	734.60
		कुल	309.42	6611.40	600.00	7520.82
4.	छतीसगढ़	दंतेवाड़ा	51.57	532.60	100.00	684.17
		बस्तर	51.57	532.60	100.00	684.17
		कांकेर	51.57	532.60	100.00	684.17
		सरगुजा	51.57	532.60	100.00	684.17
		राजनंदगांव	51.57	532.60	100.00	684.17
		बीजापुर	51.57	532.60	100.00	684.17
		नारायणपुर	51.57	532.60	100.00	684.17
		सुकमा	0.00	734.60	0.00	734.60
		कोंडागांव	0.00	734.60	0.00	734.60
		कुल	360.99	5197.40	700.00	6258.39
5.	झारखंड	चतरा	51.57	734.60	100.00	886.17
		पश्चिम सिंहभूम	51.57	734.60	100.00	886.17

1	2	3	4	5	6	7
		पलामू	51.57	532.60	100.00	684.17
		गढ़वा	51.57	532.60	100.00	684.17
		पूर्वी सिंहभूम	51.57	734.60	100.00	886.17
		बोकारो	51.57	734.60	100.00	886.17
		लातेहार	51.57	734.60	100.00	886.17
		गुमला	51.57	734.60	100.00	886.17
		लातेहार	51.57	532.60	100.00	684.17
		हजारीबाग	51.57	734.60	100.00	886.17
		गिरिडीह	0.00	734.60	0.00	734.60
		खूंटी	0.00	734.60	0.00	734.60
		रांची	0.00	734.60	0.00	734.60
		दुमका	0.00	734.60	0.00	734.60
		रामगढ़	0.00	734.60	0.00	734.60
		सिमडेगा	0.00	734.60	0.00	734.60
		कुल	515.70	11147.60	1000.00	12663.30
6.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	51.57	532.60	100.00	684.17
7.	महाराष्ट्र	गोंडिया	51.57	532.60	100.00	684.17
		गढ़चिरौली	51.57	734.60	100.00	886.17
		कुल	103.14	1267.20	200.00	1570.34
8.	ओडिशा	गजपति	51.57	532.60	100.00	684.17
		मलकानगिरी	51.57	532.60	100.00	684.17
		रायगढ़	51.57	532.60	100.00	684.17
		देवगढ़	51.57	532.60	100.00	684.17
		संबलपुर	51.57	532.60	100.00	684.17
		कोरापुट	0.00	734.60	0.00	734.60
		कुल	257.85	3397.60	500.00	4155.45
9.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	51.57	532.60	100.00	684.17
10.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मिदनापुर (लालगढ़ क्षेत्र)	51.57	532.60	100.00	684.17
		कुल योग	1753.38	30486.20	3400.00	35639.58

उपरोक्त के अलावा, 47 नए आईटीआइज की प्रत्येक संस्थान प्रबंधन समिति को 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ 1.00 करोड़ रुपए की निधिगत सहायता दी गई है।

बालक/बालिकाओं के लिए हॉस्टल

5682. **श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुलेः**
श्री राजीव सातवः
श्री पी. आर. सुन्दरमः
डॉ. हिना विजयकमार गावीतः
डॉ. जे. जयवर्धनः

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जनजातीय विद्यार्थियों, बालक और बालिकाओं दोनों के लिए वर्तमान में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने हॉस्टल हैं;

(ख) क्या देश में जनजातीय विद्यार्थियों (एसटी), बालक और बालिकाओं दोनों के लिए हॉस्टल निर्माण के लिए केंद्र प्रायोजित कोई योजना प्रचालन में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अंतर्गत प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा इसमें से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी राशि के उपयोग की सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार को हॉस्टलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्तावों में से प्रत्येक पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनुसूचित जनजाति के बालक और बालिकाओं के अनेक हॉस्टलों में आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुभनभाई भाभोर): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निधिपोषित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों की संख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्योरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) से (ङ) अनुसूचित जनजातियों के लिए बालिका एवं बालक छात्रावास की योजना के तहत नए छात्रावास भवनों के निर्माण और/या वर्तमान छात्रावासों के विस्तार के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत राज्य सरकारें (गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर चिह्नित) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सभी बालिका छात्रावास के निर्माण तथा बालक छात्रावास के निर्माण के लिए भी 100% केन्द्रीय शेयर के लिए पात्र हैं। राज्य सरकारों के लिए अन्य बालक छात्रावास हेतु निधियन प्रतिमान 50:50 अनुपात के आधार पर है। संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में केन्द्रीय सरकार बालक तथा बालिका छात्रावासों दोनों के निर्माण की कुल लागत को वहन करती है। छात्रावास मिडिल, माध्यमिक, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए हो सकते हैं। तथापि, मंत्रालय की योजनाओं के युक्तिकरण के भाग के रूप में वर्ष 2018-19 से अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं एवं बालकों के लिए छात्रावास की योजना के उपाय को जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान की योजनाओं के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं के तहत छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। निधिपोषण के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन तथा अनुमोदन प्रासंगिक योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता के आधार पर मंत्रालय में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा किया जाता है।

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं एवं बालकों के लिए छात्रावासों की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों को निर्मुक्त की गई निधियों तथा इसकी उपयोगिता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में है। गत तीन वर्षों के दौरान टीएसएस को एससीए तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान के अधीन स्वीकृत छात्रावासों की संख्या संलग्न विवरण-III में हैं।

छात्रावासों की निगरानी तथा इसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की है। तथापि, वर्तमान छात्रावासों में सुविधाओं को सुधारने के दृष्टिकोण के साथ प्रासंगिक योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकारों की मांग के अनुसार समय-समय पर चाहरदीवारी, शौचालय के निर्माण तथा पेयजल की व्यवस्था आदि सहित विभिन्न उपायों के लिए जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए), संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हेतु योजना के तहत निधिपोषण के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

विवरण-I

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय विद्यार्थियों हेतु स्वीकृत छात्रावासों की संख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	स्वीकृति छात्रावासों की संख्या		
		लड़के	लड़किया	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	31	28	59
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	30	36
3.	असम	2	7	09
4.	छत्तीसगढ़	22	73	95
5.	गुजरात	74	69	143
6.	हिमाचल प्रदेश	3	9	12
7.	जम्मू और कश्मीर	1	1	02
8.	झारखंड	52	29	81
9.	कर्नाटक	29	8	37
10.	केरल	11	6	17
11.	मध्य प्रदेश	135	148	283
12.	महाराष्ट्र	23	3	26
13.	मणिपुर	43	16	59
14.	मेघालय	6	6	12
15.	मिजोरम	0	10	10
16.	नागालैंड	6	27	33
17.	ओडिशा	20	349	369
18.	राजस्थान (आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग)	15	94	109
	राजस्थान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)	33	38	71
19.	सिक्किम	0	3	3
20.	तमिलनाडु	4	4	08
21.	त्रिपुरा	19	34	53
22.	उत्तराखंड	0	2	02
23.	पश्चिम बंगाल	6	2	08
24.	उत्तर प्रदेश	2	1	3
25.	दादरा और नगर हवेली	1	4	05
	कुल	544	1001	1545

विवरण-II

गत 4 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं एवं बालकों के लिए छात्रावासों की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों को निर्मुक्त की गई निधियों तथा इसकी उपयोगिता के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/ विश्वविद्यालय के नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18
		निर्मुक्त निधियां	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधियां	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधियां	उपयोग किया गया	निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	1221.74	1221.74	0.00	0.00	0.00
3.	हिमाचल प्रदेश	380.47	380.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	केरल	1949.63	1949.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	मध्य प्रदेश	1305.00	1305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	1283.65	1283.65	0.00
7.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.12
8.	नागालैंड	0.00	0.00	1798.45	1002.50	0.00	0.00	0.00
9.	राजस्थान	0.00	0.00	3393.97	1427.65	595.35	595.35	0.00
10.	सिक्किम	460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	त्रिपुरा	1797.62	843.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी	304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	मिजोरम विश्वविद्यालय	195.01	195.01	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर	0.00	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	जेएलएन कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	43.32	0.00	61.88
16.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68	0.00	0.00
	कुल	6393.01	4673.97	6935.83	4051.89	2000.00	1879.00	700.00

विवरण-III

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान टीएसएस को एससीए तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के अधीन स्वीकृत छात्रावासों की संख्या

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
		स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	निर्मुक्त निधि	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	निर्मुक्त निधि	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	निर्मुक्त निधि	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	निर्मुक्त निधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	4	800.00	10	250.00	13	2178.00	4	1102.26
2.	असम	-	-	-	-	15	750.00		-
3.	बिहार	-	-	-	-	4	804.58	1	0.00*
4.	छत्तीसगढ़	13	2645.67	13	5144.00	6	410.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	जम्मू और कश्मीर	-	0.00	17	1700.00	-	-	14	1200.00
6.	झारखंड	25	2000.00	44	6142.00	-	-	11	4810.00
7.	कर्नाटक	-	-	-	-	27	1876.12	4	1400.00
8.	केरल	1	250.00	3	500.00	-	-	-	-
9.	मध्य प्रदेश	23	4000.00	-	0.00	-	-	-	-
10.	महाराष्ट्र	7	1600.00	-	246.00	-	-	-	-
11.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	6	600.00
12.	मेघालय	2	190.00	2	350.00	4	1000.00	-	-
13.	मिजोरम	3	574.70	-	0.00	14	572.74	-	-
14.	नागालैंड	5	300.00	10	250.00	6	835.66	8	675.38
15.	राजस्थान	19	3132.00	6	1500.00	3	1600	9	900.00
16.	सिक्किम	3	261.25	-	0.00	-	-	-	-
17.	तेलंगाना	2	126.00	-	0.00	-	-	-	-
18.	उत्तर प्रदेश	1	222.94	-	0.00	-	-	-	-
19.	उत्तराखंड	1	75.00	1	200.00	-	-	-	-
20.	पश्चिम बंगाल	1	1607.50	10	1000.00	5	750.00	-	-
	कुल	110	17785.06	116	17282.00	97	10777.10	57	10687.64

*पूर्व वर्षों की निर्मुक्तियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लम्बित होने के कारण निर्मुक्त नहीं किया गया है।

आधुनिकीकरण और नवाचार

5883. **डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री आघलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है और नामांकन की दृष्टि से इसकी तीसरी रैंक है और इसमें आधुनिकीकरण और नवाचार का अभाव है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या अधिक संसाधनों का आवंटन या उच्चतर शिक्षा की और अधिक ध्यान देने से कुछ जटिल मामलों का निपटान नहीं होगा और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा संस्थागत स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का आवश्यक संकाय प्रशिक्षण प्रस्तुत करते हुए मूलभूत ढांचे में सुधार और निजी क्षेत्र की अधिक भूमिका सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए शैक्षिक मानदंडों की व्यापक समीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का विस्तार करने और युवाओं को वैश्विक बाजार के योग्य बनाने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) और (ख) यह सत्य है कि नामांकनों, संस्थाओं और अध्यापकों की संख्या के अर्थ में भारत की शिक्षा प्रणाली, विश्व की विशालतम शिक्षा प्रणालियों में से एक है। भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार शुरू किए हैं।

सरकार ने अनेक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) और केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) शुरू किए हैं ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर शैक्षाणिक उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभर सकें। तथापि इन संस्थाओं में से अनेक में अवसंरचना और शिक्षण-अधिगम प्रणालियों का निर्माण स्वीकृत मानदंडों के अनुसार किया जाना शेष है। यह स्थिति सभी नई संस्थाओं आईआईटी/आईआईएम/आईआईएसईआर/एनआईटी/सीयू/एसपीए की भी है। साथ ही, 1960 के दशक में शुरू हुए सभी पुराने आईएनआई की अवसंरचना में भी वैश्विक मानदंडों के अनुसार नवीकरण और पुनर्निर्माण किया जाना अपेक्षित है। यह सुनिश्चित करने के लिए, उच्चतर अधिगम के भारतीय संस्थानों. के निर्माण हेतु अगले चार वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ "**शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों का पुनरुद्धार (आरआईएसई)**" नामक एक पहल शुरू की गई है, ताकि वे वैश्विक संस्थानों में प्रतिष्ठित स्थान पा सकें।

उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना भारत सरकार द्वारा बाजार से निधियों को जुटाने और सीएफआई की अपेक्षाओं की पूर्ति करने, संस्थाओं द्वारा सृजित आंतरिक राजस्वों द्वारा पूर्ति किए जाने हेतु और ब्याज के भाग को कवर करने के लिए संस्थान को समुचित अनुदान दिया जाएगा।

(ग) से (च) भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार शुरू किए हैं। गुणवत्तापरक शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाने की ओर लक्षित, देशभर में नए अग्रणी उच्चतर शिक्षा संस्थान खोले गए हैं, जो स्वतंत्रता के पश्चात् इतिहास में ऐसा सबसे बड़ा विस्तार हैं।

स्वयम एमओओसीएस पोर्टल (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॅार एस्पायरिंग माइंड्स) एक स्वदेशी एमओओसीएस पोर्टल शुरू किया गया जो-सभी को, हर समय, कहीं भी, बिना किसी लागत के उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करता है। इस पोर्टल में देश के सर्वोत्तम अध्यापकों द्वारा तैयार पाठ्यक्रम हैं और वीडियो व्याख्यान, ई-रीडिंग सामग्री, विचार-विमर्श मंच और मूल्यांकन प्रणाली की सुविधा है। अब तक, इस मंच में 1000 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं और इस मंच पर 33 लाख से अधिक पंजीकृत प्रयोक्ता है। स्वयम पोर्टल पर शुरू किए पाठ्यक्रमों के लिए अब विद्यार्थियों के शैक्षणित रिकॉर्डो में 20% तक के क्रेडिट अंतरण की अनुमति है। सेटेलाइट संचार का उपयोग करते हुए अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों को उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक विषय-वस्तु की पहुंच में लाने के लिए स्वयम प्रभा कार्यक्रम के तहत 32 डीटीएच चैनल कार्यात्मक बनाए गए हैं।

नेशलन डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) अधिगम संसाधनों के लिए एकल विंडो सुविधा वाली एक वर्चुअल रिपॉजिटरी है। इसमें पहले ही 15 मिलियन डिजिटल पुस्तकें और पत्रिकाएं शामिल की जा चुकी हें और 31 लाख शिक्षु इस सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं। यह शोधकर्ताओं और आजीवन शिक्षुओं सभी शैक्षाणिक स्तरों, सभी अध्ययन विषयों, पहुंच उपकरणों के सभी लोकप्रिय रूपों और निःशक्त शिक्षार्थियों के लिए सहायक है।

उन्नत भारत अभियान (यूबीए) उच्चतर शैक्षाणिक संस्थाओं में ज्ञानाधार का उपयोग करने के लिए की गई एक नई पहल है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संबंधी अंतरालों को कम किया जा सके। इस वर्ष में, चुनौती मोड आधार पर 750 संस्थाओं का चयन किया गया है। इससे, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा प्रौद्योगिकी को रूचि के अनुसार बनाकर और मौजूदा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करके ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाने की आशा है।

पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड टीचिंग (पीएमएमएमएनएमटीटी) योजना की शुरुआत दिसम्बर, 2014 को अर्हता प्राप्त शिक्षकों की आपूर्ति के मुद्दे का समाधान करने के लिए, शिक्षा 428 क्षेत्र में प्रतिभा को आकर्षित करने, स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ाने के लिए की गई है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, भारत जिसमें विविध संस्कृतियां, परंपराए, भाषाएं इत्यादि है, में लोगों के बीच सतत परस्पर शामिल होने की प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परस्पर समझ का संवर्धन करने के लिए परिकल्पना की गयी है। सभी राज्यों और संध राज्यों क्षेत्रों को एक वर्ष की अवधि के लिए एक दूसरे के साथ पेयर्ड किया गया है जिसके पश्चात पेयरिंग में परिवर्तन किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों द्वारा प्रतिभागी मूल्यांकन और भागीदारी के माध्यम से संस्कृति की विविधता से सामने आने वाली बाधाओं को हटाना है ताकि राष्ट्र की प्रक्रिया में अखंडता की भावना को स्थापित किया जा सके।

स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग उस बड़ी भूमिका को स्वीकार करता है जिसे किसी भी अस्वच्छ वस्तु के प्रति शून्य सहनशीलता की अभिवृत्ति के रूप में स्वच्छता के संवर्धन में उच्च शैक्षिक संस्थाओं द्वारा निभाया जाना अपेक्षित है। इसने उच्च शैक्षिक संस्थाओं की स्वच्छता रैकिंग आरंभ की है और स्वच्छता कार्य योजनाएं तैयार की गयी हैं।

ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडेमिक नेटवर्क (जीआईएएन) देश की उच्च शिक्षा में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और अनुभव को संचित करने के लिए 30 नवंबर, 2015 को आरंभ की गयी एक पहल है। ताकि भारतीय विद्यार्थी और संकाय विश्व भर से सर्वोत्तम शैक्षिक और उद्योग विशेषज्ञों के साथ परस्पर संवाद करने में सक्षम हो सकें। जीआईएएन पाठ्यक्रम लघु अवधि के पाठ्यक्रम होते हैं और आज की तिथि के अनुसार 1075 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए है जिनमें 40,000 से अधिक विद्यार्थियों ने गहन शैक्षिक इनपुट और ज्ञान प्राप्त किया है। इन पाठ्यक्रमों की तदंतर उपयोग के लिए विडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है और उपलब्ध अवसंरचना पर निर्भर करते हुए कुछ का सीधा प्रसारण भी किया जाता है।

सरकार ने उच्च शिक्षा की 20 संस्थाओं, 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थाओं का **"उत्कृष्ट संस्थाओं" (आईओई)** के रूप में आरंभ किया है ताकि वे विश्व की सर्वोत्तम संस्थाओं से संबंधित है। अप्रैल, 2018 में घोषित की जाने वाली इन संस्थाओं में पूर्ण शैक्षिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता होगी और सार्वजनिक संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में 1000 करोड़ की निधि प्रदान की जाएगी।

उच्च प्रत्यायन वाली सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को कार्यकरण में स्वायतता दी जाएगी। हाल ही में आरंभ किए गए **ग्रेडिड स्वायतता विनियमन** का उदार विनियामक पर्यवेक्षण किया जाएगा ताकि संस्था नए पाठयक्रमों की योजना बना सके और वह उत्कृष्ठता के प्रयास करेगी।

इम्प्रिंट इंडिया प्रमुख संस्थाओं में सामाजिक संदर्भ के क्षेत्रों में सीधे शोध का एक प्रयास है। ऐसे 10 क्षेत्रों को अभिचिन्हित किया गया है जो आजीविका मानकों को अत्यधिक प्रभावित कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में वैज्ञानिकों द्वारा 2600 से अधिक शोध प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

उद्योग विशिष्ट आवश्यकता आधारित शोध का संवर्धन करने के लिए **उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई)** आरंभ की गयी है ताकि भारतीय उद्योग की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखी जा सके। प्रत्येक वर्ष अभिज्ञान परियोजनाओं पर 250 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव है। उद्योग द्वारा परियोजना की लागत के 25% का योगदान करने की आशा है।

प्रत्येक वर्ष 1000 मेधावी अवरस्नातक विद्यार्थियों को आईआईएससी, आईआईटी इत्यादि जैसी प्रख्यात संस्थाओं में शोध कार्यक्रमों में सीधे प्रवेश के लिए **प्रधान मंत्री शोध फैलो (पीएमआरएफ)** योजना आरंभ की गई है। इस फैलोशिप में काफी सामाजिक मान्यता शामिल है और यह 5 वर्ष की अवधि के लिए 70,000 रुपए से 80,000 रुपए प्रति माह के बीच है।

स्मार्ट इंडिया हेकायन पहल का लक्ष्य वृहत स्तर पर सोसायटी के समक्ष आने वाली समान समस्याओं के लिए नए हल को प्रोत्साहित करते हए विद्यार्थियों में नवाचार का संवर्धन 2017 में हुए प्रथम संस्करण में 600 से अधिक समस्याओं को हल करने के लिए 40,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसका विस्तार हाईवेयर क्षेत्र में भी किया गया है।

नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) वर्ष 2015 में आरंभ की गयी सबसे बड़ी रैंकिंग कार्रवाई है जिसमें 3,500 से अधिक संस्थाओं ने भाग लिया। इंडिया रैंकिंग 2018, तीसरा संस्करण 3 अप्रैल, 2018 को जारी किए जाने की संभावना है। इंडिया रैंकिंग उच्च शैक्षिक संस्थाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए सबसे बड़े प्रयासों में से एक हैं। रैंक संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों नामतः विश्वविद्यालयों इंजीरियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी इत्यादि में जारी किए जाते हैं।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अवसंरचना हेतु अधिक सहायता प्रदान करने, मॉडल डिग्री कॉलेजों, के सृजन, कलस्टर विश्वविद्यालयों, स्वायत कॉलेजों के उन्नयन और उच्च शिक्षा के व्यावसायिकरण के लिए हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा सहायता का विस्तार किया गया है।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चरण-III (टीईक्यूआईपी-III) के तहत केंद्रीय जनजातीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछड़े राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके तहत इंजीनियरिंग संस्थाओं में शिक्षण और शोध की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 2600 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

प्रमुख संस्थाओं में स्वायतता का संवर्धन करने के लिए आईआईएम अधिनियम में उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया गया है और सरकार के हस्तक्षेप के बगैर उनके प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों का निर्णय लेने के लिए पूर्ण स्वायतता दी गयी है।

इस नीति के अनुसार कि शिक्षा तक हरेक की पहुंच होनी चाहिए, राष्ट्रीय छात्र वृत्ति पोर्टल आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्यालक्ष्मी पोर्टल ब्याज सब्सिडी के साथ शैक्षिक ऋण हेतु वन-विंडो क्लीयरेंस प्रदान करता है।

स्कूल शिक्षा

गुणवत्तापरक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणामों के संबंध में संदर्भों को शामिल करते हुए 20 फरवरी, 2017 को केंद्रीय आरटीई नियमों को संशोधित किया

गया है। तदनुसार प्रारंभिक स्तर तक भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू), गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान में प्रत्येक कक्षा के लिए अधिगम परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इसे साझा किया गया है। ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देशों का कार्य करेंगे कि सभी बच्चे समुचित अधिगम स्तर प्राप्त करें।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का आयोजन 13 नवंबर, 2017 को किया गया था जिसके माध्यम से सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सभी 700 जिलों में 1.10 लाख स्कूलों से कक्षा III, V और VIII के लगभग 22 लाख छात्रों के अधिगम स्तरों का मूल्यांकन किया गया था। सक्षमता के आधार पर किया गया मूल्यांकन एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए अधिगम निष्कर्षों के आधार पर था। इस विभाग द्वारा एनएएस, 2017 के लिए जिला रिपोर्ट कार्ड (अनंतिम) जारी किए गए हैं और एमएचआरडी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एनएएस के माध्यम से ऐसा पहली बार हुआ है कि शिक्षकों के पास यह समझने के लिए साधन है कि विभिन्न कक्षाओं में बच्चे को सही-सही क्या सीखना चाहिए, कार्यकलापों के माध्यम से उसे कैसे सिखाया जाए और यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों ने उपयुक्त आवश्यक स्तर प्राप्त कर लिया है।

5 फरवरी, 2018 को कक्षा X के लिए एनएएस का आयोजन 45,337 स्कूलों में लगभग 15.5 लाख छात्रों के सैम्पल के साथ किया गया था। जिला स्तर पर अधिगम मे अंतरालो की पहचान करने और इन अंतरालों को पाटने के लिए कार्यनीति डिजाइन करने के लिए स्कूलों की जिला-वार सैम्पलिंग के आधार पर पांच मुख्य विषयों अर्थात अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आधुनिक भारतीय भाषाए (एमआईएल) में छात्रों के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया था।

वर्ष 2017 में आरटीई अधिनियम, 2009 में संशोधन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर सरकार के बल को सुदृढ़ बनाने के लिए 31 मार्च, 2019 तक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की गई न्यूनतम अर्हता प्राप्त करें। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) को मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति के माध्यम से इस प्रशिक्षण को आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है।

प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में पांचवी कक्षा और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा के प्रावधान हेतु 11 अगस्त, 2017 को लोकसभा में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत किया गया था। यदि बच्चा उपर्युक्त परीक्षा में असफल रहता है, तो उसे अतिरिक्त शिक्षा दी जाएगी और परिणाम की घोषणा से दो महीने की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि बच्चा दूसरे प्रयास में असफल रहता है, तो समुचित सरकार, निर्धारित की गई ऐसी पद्धति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन बच्चे को पांचवीं कक्षा में या आठवीं कक्षा में या दोनों कक्षाओं में रखने के लिए स्कूलों को अनुमति दे सकती है। उपयुक्त सरकार प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में एक बच्चे को रोके नहीं रख सकती है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षिक वर्ष 2017-18 से कक्षा X बोर्ड परीक्षा को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से पूर्व-प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षकों के लिए बहु मार्गीय और विशेषज्ञता के साथ चार वर्षीय **बी.एड. एकीकृत कार्यक्रम** शुरू किया जाएगा।

प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक विभाजन के बिना स्कूल शिक्षा को समग्र रूप से लागू करने के लिए केंद्रीय बजट, 2018-19 के प्रस्ताव के अनुसरण में, इस विभाग ने स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर केंद्रीय सहायता प्रदान करते हुए एसएसए की तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, राष्ट्रीय एसएसए, माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को शामिल करके स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना तैयार की है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से) कक्षा I से XII तक पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम/विषय सामग्री को यौक्तिपूर्ण बनाने के लिए कार्य कर रही है। विभिन्न हितधारकों से 6 अप्रैल, 2018 तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

विभाग, प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग और देश में प्रत्येक शिक्षण कक्ष (कक्षा IX और इसके पश्चात) को डिजिटल शिक्षण कक्ष में बदलने के द्वारा अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र, राज्यों, सीएसआर और सामुदायिक पहल के संयुक्त प्रयासों के रूप में सभी स्कूलों (9 वीं कक्षा और इसके बाद से) और कॉलेजों में **'ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड'** सहायता प्रदान करने के लिए योजना बना रहा है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की शुरूआत भारत सरकार द्वारा मार्च, 2009 में की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक बस्ती की समुचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक स्कूल प्रदान करने और सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाते हुए माध्यमिक स्तर पर जेंडर, सामाजिक-आर्थिक और निःशक्तता संबंधी अवरोधों को दूर करके माध्यमिक स्तर पर प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रावधान की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2013 में आईसीटी की माध्यमिक शिक्षा योजना, व्यावसायिक शिक्षा, बालिका छात्रावास और

आईईडीएसएस को आरएमएसए के अंतर्गत शामिल किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, अब तक सुदृढ़ीकरण करने के लिए 12682 नए स्कूलों और 37799 मौजूदा स्कूलों को संस्वीकृत किया गया है।

पाठ्यपुस्तके, आडियो, वीडियो, आवधिक पत्रिकाएं और विभिन्न अन्य मुद्रित तथा गैर-मुद्रित सामग्री को शामिल करके सभी शैक्षणिक ई-संसाधनों को प्रदर्शित करने और प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा ई-पाठशाला तैयार किया गया है। अब तक, 3,062 आडियो और विडियो, 650 इ-पुस्तकें (इ-पब्स) और 504 फ्लिप बुक्स को पोर्टल और मोबाईल एप पर उपलब्ध कराया गया है।

ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं को शामिल करके, डिजिटल अर्थव्यवस्था और लेनदेन की कैशलेस पद्धति के बारे में लोगों के बीच जागरूकता निर्मित करने के लिए '**वित्तीय साक्षरता अभियान**' भी शुरू किया था।

नई निर्यात नीति

5684. **श्री अनिल शिरोलेः**
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः
श्री निशिकान्त दुबेः
श्री जॉर्ज बेकरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में नई निर्यात नीति पर कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को देश में पोत परिवहन और पत्तन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में पोत परिवहन मंत्रालय के साथ कोई समझौता किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात से अर्जित की गई राशि कितनी है और उक्त अवधि के दौरान आयात पर कितनी राशि व्यय की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): (क) विदेश व्यापार नीति 2015-20 को अप्रैल, 2015 में प्रारंभ किया गया। विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा को दिनांक 05.12.2017 को जारी किया गया। विदेश व्यापार नीति का गतिशील स्वरुप है और जब भी आवश्यकता होती है, नीति और प्रक्रिया में अधिसूचनाओं और सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से नियमित रुप से परिवर्तन किए जाते हैं। विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा में प्रमुख परिवर्तन निम्नानुसार हैः

- एमएसएमई/श्रम सघन उद्योगों के लिए 7310 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ एमईआईएस (भारत से व्यापारिक वस्तुओं की निर्यात स्कीम) में 2% की वृद्धि की गई जिसमें वस्त्र के दो उप-क्षेत्रों जैसे रेडीमेड परिधान और मेडअप्स के लिए 2743 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन शामिल है जिसके लिए एमईआईएस को 2% से बढ़ाकर 4% किया गया। इसी प्रकार, व्यवसाय, कानूनी, लेखांकन, स्थापत्य कला, अभियांत्रिकी, शिक्षा, अस्पताल, होटल और रेस्टोरेन्ट जैसी सभी अधिसूचित सेवाओं के लिए एसईआईएस (भारत से सेवा निर्यात स्कीम) की प्रोत्साहन दर में 2% की वृद्धि की गई जिसकी राशि 1140 करोड़ रुपए है।
- जीएसटी ढांचे में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इसकी वैधता अवधि को 18 महीने से बढ़ाकर 24 महीने किया गया। स्क्रिपों के अंतरण/बिक्री हेतु जीएसटी दर को पूर्व की 12% दर से घटाकर शून्य कर दिया गया।
- प्राधिकृत आर्थिक प्रचालकों (एईओ) के लिए शुल्क छूट स्कीम के तहत निर्यात उत्पादन हेतु शुल्क मुक्त निविष्टियों को अनुमत करने के लिए एक नई विश्वास आधारित स्व-अनुसमर्थन स्कीम आरंभ की गई।
- निविष्टियों पर जीएसटी के अग्रिम भुगतान के कारण निर्यातकों की कार्यशील पूंजी की रुकावट के मुद्दे का भी समाधान किया गया है। सीमा शुल्क के अलावा विदेश से निविष्टियां प्राप्त करने के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम तथा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिट स्कीम जैसी स्कीमों के लिए आईजीएसटी से छूट प्रदान की गई है। दिनांक 10 मार्च, 2018 को सम्पन्न जीएसटी परिषद की 26 वीं बैठक में इन लाभों को आगे 01.10.2018 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) से (घ) सागरमाला के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) सभी समुद्री राज्यों से परामर्श करके तैयार की गई और अप्रैल, 2016 में जारी की गई। एनपीपी का उद्देश्य मौजूदा पत्तनों

की क्षमता का संवर्धन करके, उनकी दक्षता में सुधार करके, बचाव संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाकर और तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देकर भारत के समुद्री क्षेत्र के एकीकृत विकास के माध्यम से देश में पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देने का है। सागरमाला कार्यक्रम के भाग के रूप में 12 प्रमुख पत्तनों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिए गए हैं और इसके आधार पर अगले 20 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन हेतु 128 पत्तन क्षमता विस्तार परियोजनाओं (अनुमानित लागत 84,395 करोड़ रुपए और 828 एमएमटीपीए का क्षमता सृजन) की पहचान की गई है।

इसके अतिरिक्त, पोत परिवहन मंत्रालय ने ब्रेक-वाटर का निर्माण, तटीय बर्थों/जेटियों को तैयार करने, कैपिटल ड्रेजिंग करने आदि जैसी पत्तन अवसंरचना के विकास हेतु आंशिक वित्त पोषण हेतु तटीय बर्थ स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम के तहत मंत्रालय ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित समुद्री राज्यों में 26 परियोजनाओं के लिए निधियों का प्रावधान किया है।

(ङ) गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में व्यापारिक वस्तुओं से संबंधित फरवरी, 2018 तक और सेवाओं से संबंधित जनवरी, 2018 तक के भारत के निर्यात और आयात संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात	व्यापारिक वस्तुओं का आयात
2014-15	310338	448033
2015-16	262290	381007
2016-17	275852	384356
2017-18 (अप्रैल-फरवरी, 18*)	273757	419341

*अनंतिम

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	सेवा निर्यात	सेवा आयात
2014-15	160370	85929
2015-16	155136	85717
2016-17	160683	95469
2017-18 (अप्रैल-जनवरी, 18*)	142219	84789

*अनंतिम

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, आरबीआई।

सांस्कृतिक दूतों का नामनिर्देशन

5685. **श्री संतोष कुमारः**
श्री हरि ओम पाण्डेयः
श्री मनोज तिवारीः
डॉ. रत्ना डे (नाग):
डॉ. ममताज़ संघमिताः

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर स्थलों हेतु सांस्कृतिक दूत नामनिर्देशित करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली-एनसीआर सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अब तक इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक विरासत के महत्व के संदेश को फैलाने के लिए अपने फील्ड कार्यालयों के माध्यम से नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति

5686. **श्री चंदूलाल साहूः**
श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डीः
श्रीमती नीलम सोनकरः
श्री देवजी एम. पटेलः
श्रीमती रक्षाताई खाडसेः
श्री ए. टी. नाना पाटीलः
श्रीमती संतोष अहलावतः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों द्वारा महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में 12 आधुनिक जैव ईंधन तेलशोधक कारखाने (रिफाइनरी) स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जैव-ईंधन संयंत्र की तेलशोधन क्षमता को 12 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 टन प्रतिदिन करने की कोई योजना है;

(ख) कुल उत्पादित जैव ईंधन में से कितने प्रतिशत जैव-ईंधन का निर्यात किया जाता है और कितने प्रतिशत जैव-ईंधन की देश में खपत हो जाती है;

(ग) सरकार द्वारा इथेनॉल के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके और पर्यावरण की रक्षा में सहायता मिल सके;

(घ) क्या सरकार का इथेनॉल के उत्पादन तथा व्यापार के संबंध में एक नीति बनाने का तथा देश में गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए तेल-विपणन कंपनियों के माध्यम से इथेनॉल के उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में इथेनॉल के उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली तेल-विपणन कंपनियों का कंपनी-वार/स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) तेल पीएसयूज ने देश के 11 राज्यों में 12 दूसरी पीढ़ी (2जी) एथेनॉल जैव रिफाइनरियों की स्थापना करने की योजना बनाई है।

महाराष्ट्र में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. ने 2जी एथेनॉल जैव रिफाइनरी की स्थापना करने के लिए खामगांव, जिला-बुलढाना में एक स्थल की पहचान की है।

(ख) बायो डीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीडीएआई) के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान 91 प्रतिशत जैव डीजल की बिक्री घरेलू बाजार में की गई थी और 9 प्रतिशत का निर्यात किया गया था।

(ग) एथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने पेट्रोल में मिश्रण के लिए एथेनॉल की अधिप्राप्ति हेतु दिसम्बर, 2014 में प्रशासित मूल्य व्यवस्था शुरू की है। सरकार ने दिसम्बर, 2014 में एथेनॉल की अधिप्राप्ति के लिए लिग्नोसेल्यूलोसिक और पेट्रोरसायन रूट की अनुमति भी दे दी है। सरकार ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2017-18 के लिए एथेनॉल के मिल तक मूल्य को संशोधित करके नवम्बर, 2017 में 40.85 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। इसके अलावा ओएमसीज द्वारा जीएसटी और परिवहन प्रभारों का भुगतान किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) सरकार तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के जरिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत ओएमसीज एथेनॉल की उपलब्धता की शर्त पर एथेनॉल के 10 प्रतिशत तक के मिश्रण वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करती हैं।

तेल पीएसयूज रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआईज) आमंत्रित करके विनिर्माताओं से एथेनॉल अधिप्राप्त करते हैं।

[अनुवाद]

सतर्कता समिति

5687. **डॉ. रत्ना डे (नाग):**
डॉ. ममताज़ संघमिता:
श्री मनोज तिवारी:
श्री संतोष कुमार:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात मंत्रालय के लिए एक सतर्कता समिति गठित की है या गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पश्चिम बंगाल, दिल्ली, एनसीआर और बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या निकट भविष्य में इसकी सदस्यता को पूरा करने हेतु कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीएनजी फिलिंग स्टेशन

5688. **डॉ. बंशीलाल महतो:**
डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक:
श्री मानशंकर निनामा:
श्रीमती नीलम सोनकर:
श्री जोस के. मणि:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखंड में सीएनजी के कितने वितरण केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का दिल्ली के आस-पास के राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर सीएनजी पाइपलाइन बिछाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश के सभी 650 जिला केन्द्रों में सीएनजी उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को देश में पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने तथा गैस विक्रय इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त न कर सकने के कारण विगत वर्ष के दौरान अपने लक्ष्यों को तीन बार संशोधित करना पड़ा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश में प्राकृतिक गैस आपूर्ति का दायरा बढ़ाने में आने वाली समस्याओं के सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ के शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पीएनजी आपूर्ति उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) सरकार ने वर्ष 2007 में पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की स्थापना की है, जो भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में पाइपलाइनों तथा नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क विकसित करने के लिए कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करता है। पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 और उसके तहत अधिसूचित विनियमों के अनुसार पीएनजीआरबी नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करता है। पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता/प्राकृतिक गैस उपलब्धता और तकनीकी - वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए जीएज की पहचान करता है। आज की तारीख में, पीएनजीआरबी ने उतराखंड राज्य में सीजीडी नेटवर्क का विकास करने के लिए हरिद्वार जिला जीए के लिए हरिद्वार प्राकृतिक गैस प्राइवेट लिमिटेड तथा उधम सिंह नगर जिला जीए के लिए इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकृत किया है। पीएनजीआरबी ने सीजीडी बोली के प्रस्तावित 9वें दौर में देहरादून को भी शामिल किया है। जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में प्रचालनीय सीएनजी स्टेशनों की सख्या लगभग 191 है। पीएनजीआरबी प्राधिकृत जीएज की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है और सीजीडी बोली के 9वें दौर के लिए देश में 174 जिलों के साथ 86 जीएज की सूची संलग्न विवरण-II बेबसाइट पर डाली गई है। शेष जिलों के संबंध में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता और तकनीकी-वाणिज्यक व्यवहार्यता के आधार पर बोली के बाद में होने वाले दौरों में शामिल किए जाने का प्रस्ताव हैं।

(घ) और (ङ) गेल को वर्ष 2017-18 के अपने समझौता ज्ञापन (एमओयू) में अपनी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम सीजीडी कंपनियों तथा 120 सीएनजी स्टेशनों के माध्यम से 10 लाख नए परिवारों को पीएनजी आपूर्ति से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य को न तो कम किया गया है और न ही संशोधित किया गया है और इस संबंध में होने वाली प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

सरकार ने देशभर में पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नेटवर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) घरेलू गैस, जो आयातित गैस की तुलना में सस्ती होती है, को नगर गैस वितरण (सीजीडी) क्षेत्र की पीएनजी (घरेलू) और सीएनजी (परिवहन) क्षेत्रों की समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए आबंटित किया गया है और इसे कोई कटौती नहीं की श्रेणी में रखा गया है।

(ii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सीजीडी परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयोगिता का दर्जा दिया गया है।

(iii) रक्षा मंत्रालय ने अपने आवासीय क्षेत्रों/यूनिट लाइनों में पीएनजी के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

(iv) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसईज) के लिए दिशा निर्देश जारी किया है कि वे अपने संबंधित आवासीय परिसरों में पीएनजी का प्रावधान करें।

(v) आवास और शहरी मामले मंत्रालय (एमओएचयूए) ने निम्नलिखित पहलुओं पर राज्य सरकारों को सलाह जारी की है: (क) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समयबद्ध अनुमति के साथ-साथ सड़क बहाली/अनुमति प्रभारों को मानकीकृत बनाना। (ख) कस्बे/नगर की योजना बनाने के चरण में ही सीएनजी केन्द्रों को विकसित करने के लिए भूखंडों को चिह्नित करना और संशोधित मास्टर प्लान में इनको विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। (ग) वास्तुशिल्प को डिजाइन करते समय ही

आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में गैस पाइपलाइन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भवन संबंधी उप नियमों में उचित आशोधन।

(vi) इसके अलावा, एमओयूएचए ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) को सभी सरकारी आवासीय परिसरों में पीएनजी का प्रावधान करने का निर्देश दिया है।

(vii) वित्त वर्ष 2017-18 में 3400 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय की योजना बनाई गई है जिसकी तुलना में वर्ष 2017-18 की पहली तीन तिमाहियों में 1308 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018-19 में नियोजित पूंजी व्यय को 4130 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की योजना है।

(vii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) नगर गैस नेटवर्क परियोजनाओं का विकास करने के लिए बोलियां आमंत्रित करने हेतु वर्तमान विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा कर रहा है।

(च) पीएनजीआरबी ने छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक कोई जीए प्राधिकृत नहीं किया है। पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता/प्राकृतिक गैस उपलब्धता और तकनीकी वाणिज्यक व्यवहार्यता के आधार पर सीजीडी नेटवर्क का विकास करने के लिए जीएज की पहचान करता है।

विवरण-I

सीजीडी नेटवर्क वाले शहरों की सूची (05.03.2018 तक)

क्र. सं.	राज्य	जीए की संख्या	भौगोलिक क्षेत्र	सीजीडी कंपनी
1.	आंध्र प्रदेश	5	विजयवाड़ा	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
2.			काकीनाडा	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
3.			पूर्वी गोदावरी	एपीजीडीसी और एचपीसीएल का संयुक्त उद्यम
4.			पश्चिम गोदावरी	एपीजीडीसी और एचपीसीएल का संयुक्त उद्यम
5.			कृष्णा	मेघा इंजीनियरिंग
6.	असम	1	अपर असम	असम गैस कंपनी लिमिटेड
7.	बिहार	1	पटना	गेल
8.	दिल्ली	1	दिल्ली	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
9.	गोवा	2	उत्तरी गोवा	गेल गैस और बीपीसीएल के कंसोर्टियम
10.			दक्षिणी गोवा	आईओसीएल-अदानी जेवी
11.	गुजरात	22	सूरत-भरूच-अंकलेश्वर	गुजरात गैस लिमिटेड
12.			भावनगर	गुजरात गैस लिमिटेड
13.			हजीरा	गुजरात गैस लिमिटेड
14.			जामनगर	गुजरात गैस लिमिटेड
15.			नाडियाड	गुजरात गैस लिमिटेड
16.			नवसारी	गुजरात गैस लिमिटेड
17.			राजकोट	गुजरात गैस लिमिटेड

क्र. सं.	राज्य	जीए की संख्या	भौगोलिक क्षेत्र	सीजीडी कंपनी
18.			सुरेंद्रनगर	गुजरात गैस लिमिटेड
19.			वलसाड	गुजरात गैस लिमिटेड
20.			गांधीनगर	गुजरात गैस लिमिटेड
21.			आनंद (सीजीएमएसएल क्षेत्र को छोड़कर-खंभात सहित)	गुजरात गैस लिमिटेड
22.			पंचमहल (हॉलोल सहित)	गुजरात गैस लिमिटेड
23.			कच्छ (पश्चिम)	गुजरात गैस लिमिटेड
24.			अमरेली	गुजरात गैस लिमिटेड
25.			दहेज वज्र तालुका	गुजरात गैस लिमिटेड
26.			दाहोद जिला	गुजरात गैस लिमिटेड
27.			अहमदाबाद शहर	अदानी गैस लिमिटेड
28.			गांधीनगर-मेहसाणा-साबरकांठा	साबरमती गैस लिमिटेड
29.			पाटन	साबरमती गैस लिमिटेड
30.			वडोदरा	वडोदरा गैस लिमिटेड (वीजीएल)
31.			आनंद	चैरोटर गैस
32.			बनासकांठा	आईआरएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
33.	हरियाणा	8	रेवाड़ी	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
34.			सोनीपत	गेल गैस
35.			फरीदाबाद *	अदानी गैस लिमिटेड
36.			गुडगाँव*	हरियाणा सिटी गैस
37.			पानीपत	आईओसीएल-अदानी जेवी
38.			यमुनानगर	बीपीसीएल
39.			करनाल	आईजीएल
40.			अंबाला और कुरुक्षेत्र	एचपीसीएल और ऑयल का कंसोर्टियम
41.	झारखंड	2	रांची	गेल
42.			पूर्वी सिंहभूम	गेल
43.	कर्नाटक	4	बेंगलुरु	गेल गैस
44.			धारवाड़	आईओसीएल-अदानी जेवी
45.			तुमकुर	मेघा इंजीनियरिंग

क्र. सं.	राज्य	जीए की संख्या	भौगोलिक क्षेत्र	सीजीडी कंपनी
46.			बेलगाम	मेघा इंजीनियरिंग
47.	केरल	1	एर्नाकुलम	आईओसीएल-अदानी जेवी
48.	मध्य प्रदेश	4	देवास	गेल गैस
49.			इंदौर (उज्जैन सहित)	अवंतिका गैस लिमिटेड
50.			ग्वालियर	अवंतिका गैस लिमिटेड
51.			धार	पेरिगॉन इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
52. 53.	महाराष्ट्र	9	मुंबई, ग्रेटर मुंबई, ठाणे शहर और निकटस्थ क्षेत्र में शामिल	महानगर गैस लिमिटेड
54.			रायगढ़	महानगर गैस लिमिटेड
55.			मौजूदा जीए को छोड़कर ठाणे जिला	गुजरात गैस लिमिटेड
56.			पुणे	महाराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड
57.			एमएनजीएल क्षेत्र को छोड़कर पुणे जिला	महेश संसाधन
58.			रत्नागिरि	यूनियन एनवाइरो प्राइवेट सीमित
59.			सोलापुर	आईएमसी प्राइवेट लिमिटेड
60.			कोल्हापुर	एचपीसीएल और ऑयल का कंसोर्टियम
61.	ओडिशा	2	कटक	गेल
62.			खोरदा	गेल
63.	पंजाब	5	जालंधर	जे माधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
64.			अमृतसर	जीएसपीएल
65.			भटिंडा	जीएसपीएल
66.			रूपनगर	बीपीसीएल
67.			फतेहगढ़ साहिब	आईआरएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
68.	पुदुचेरी	1	यानम	केइआई-रॉस
69.	राजस्थान	1	कोटा	गेल गैस
70.	तेलंगाना	1	हैदराबाद	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
71.	त्रिपुरा	1	अगरतला	तिरुआ प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड
72.	संघ राज्य क्षेत्र	1	दादरा और नगर हवेली	गुजरात गैस लिमिटेड
73.	संघ राज्य क्षेत्र	1	चंडीगढ़	आईओसीएल-अदानी जेवी

क्र. सं.	राज्य	जीए की संख्या	भौगोलिक क्षेत्र	सीजीडी कंपनी
74.	संघ राज्य क्षेत्र	1	दमन	आईओसीएल-अदानी जेवी
75.	उत्तर प्रदेश	17	सहारनपुर	बीपीसीएल
76.			गौतम बुद्ध नगर	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
77.			गाज़ियाबाद	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
78.			फिरोजाबाद (टीटीजेड)	गेल गैस
79.			मेरठ	गेल गैस
80.			खुर्जा	अदानी गैस लिमिटेड
81.			लखनऊ	ग्रीन गैस लिमिटेड
82.			आगरा	ग्रीन गैस लिमिटेड
83.			कानपुर	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
84.			बरेली	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
85.			झांसी	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
86.			मुरादाबाद	सिटी एनर्जी लिमिटेड
87.			मथुरा	संवरिया गैस
88.			इलाहाबाद	आईओसीएल-अदानी जेवी
89.			बागपत	एस्सेल इन्फ्रा
90.			बुलंदशहर	आईओसीएल-अदानी जेवी
91.			वाराणसी	गेल
92.	उत्तराखंड	2	उधम सिंह नगर	आईओसीएल-अदानी जेवी
93.			हरिद्वार	गेल गैस और बीपीसीएल के कंसोर्टियम
94.	पश्चिम बंगाल	1	कोलकाता और ऐजोजिंग क्षेत्र	ग्रेटर कोलकत्ता गैस सप्लाय कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीसीजीएससीएल)

नोट: *मामला न्यायधीन है। वर्तमान में फरीदाबाद और गुडगांव में क्रमशः अडाणी गैस लिमिटेड और हरियाणा सिटी गैस सीजीडी नेटवर्क का प्रचालन कर रही हैं।

विवरण-II

9वें सीजीडी बोली दौर के लिए भौगोलिक क्षेत्र की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र	जिला का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम और विजयनगरम जिले	श्रीकाकुलम
			विशाखापत्तनम
			विजयनगरम
2.	असम	कछार, हैलकांडी और करीमगंज जिले	कछार

क्र. सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र	जिला का नाम
			हैलाकांडी
			करीमगंज
3.		कामरूप और कंट्रुप मेट्रोपॉलिटन (गुवाहाटी) जिले	कामरूप
			कामरूप मेट्रोपॉलिटन (गुवाहाटी)
4.	बिहार	औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले	औरंगाबाद
			कैमूर
			रोहतास
5.		बेगूसराय जिला	बेगूसराय
6.		गया और नालंदा जिले	गया
			नालंदा
7.	दमन और दीव (यूटी) गुजरात	दीव और गिर सोमनाथ जिले	दीव
			गिर सोमनाथ
8.	गुजरात	सुंदरनगर जिला (पहले से प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर)	सुंदरनगर-भाग
9.		बरवाला और रानपुर तालुका	बोताद-भाग जिला
10.		दांगास और नवसारी-भाग जिला (सिवाय पहले से अधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर)	डेंग्स (आह)
11.		जूनागढ़ जिला	जूनागढ़
12.		महिसागर और खेड़ा जिले (पहले से प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर)	महिसागर और खेड़ा
13.		नर्मदा (राजपिपला) जिला	नर्मदा (राजपिपला)
14.		पोरबंदर जिला	पोरबंदर
15.	हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	पंचकुला-भाग जिला, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले (पहले से प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर)	पंचकूला-भाग जिला
			सोलन-पार्ट जिला
			सिरमौर (सिरमौर)
			शिमला
16.	हरियाणा	भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिले	भिवानी
			चरखी दादरी
			महेंद्रगढ़
17.		हिसार जिला	हिसार

क्र. सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र	जिला का नाम
18.		झज्जर जिला	झज्जर
19.		जींद और सोनीपत जिले (पहले से ही प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर)	जींद सोनीपत-भाग जिला
20.		नूह (मेवात) और पलवल जिले	नूह (मेवात) पलवल
21.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिले	बिलासपुर हमीरपुर ऊना
22.	झारखंड	बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ जिले	बोकारो हजारीबाग रामगढ़
23.		गिरिडीह और धनबाद जिले	गिरिडीह धनबाद
24.	कर्नाटक	चित्रदुर्ग और देवंगरे जिले	चित्रदुर्ग दावणगेरे
25.		उडुपी जिला	उडुपी
26.		बल्लारी और गडग जिले	बल्लारी (बेल्लारी) गडग
27.		बीदर जिला	बीदर
28.		दक्षिण कन्नड़ (मंगलुरु) जिले	दक्षिण कन्नड़ (मंगलुरु)
29.		रामनगर जिला	रामनगर
30.	केरल	कोझिकोड और वायनाड जिले	कोझिकोड वायनाड
31.		मलप्पुरम जिले	मलप्पुरम
32.	केरल और पुदुचेरी (यूटी)	कन्नूर, कासरगोड और माहे जिले	कन्नूर कासरगोड माहे (पुडुचेरी के यूटी)
33.	केरल	पलक्कड़ और त्रिशूर जिले	पलक्कड़ त्रिशूर
34.	मध्य प्रदेश	भोपाल और राजगढ़ जिले	भोपाल राजगढ़

क्र. सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र	जिला का नाम
35.		गुना ज़िला	गुना
36.		रीवा जिला	रीवा
37.		सतना और शहडोल जिले	सतना
			शाहडोल
38.	महाराष्ट्र	अहमदनगर और औरंगाबाद जिले	अहमदनगर
			औरंगाबाद
39.		धुले और नासिक जिले	धुले
			नासिक
40.		लातूर और उस्मानाबाद जिले	लातूर
			उस्मानाबाद
41.		सांगली और सतारा जिले	सांगली
			सतारा
42.		सिंधुदुर्ग जिला	सिंधुदुर्ग
43.	ओडिशा	अंगुल (तालचर) और ढेकनल जिले	अंगुल (तालचर)
			ढेंकनाल
44.		सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिले	सुंदरगढ़
			झारसुगुडा
45.		बालासोर, भद्रक और मयूरभंज जिले	बालासोर
			भद्रक
			मयूरभंज
46.		बारगढ़, देवगढ़ (देवागढ़) और संबलपुर जिले	बारगढ़
			देवगढ़ (देवघर)
			संबलपुर
47.		गंजम, नयागढ़ और पुरी जिले	गंजम
			नयागढ़
			पुरी
48.		जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिले	जगतसिंहपुर
			केंद्रपाड़ा
49.		जाजपुर और केंडुझार (क्योंझर) जिले	जाजपुर
			केंडुझार (क्योंझर)

क्र. सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र	जिला का नाम
50.	पुदुचेरी (यूटी) और तमिलनाडु	कराइकल और नागपट्टिनम जिले	कराईकल नागपट्टिनम
51.	पुदुचेरी (यूटी)	पुदुचेरी (पांडिचेरी) जिला	पुदुचेरी (पांडिचेरी)
52.	पंजाब	पटियाला, संगरूर और एसएएस नगर (सिवाय क्षेत्रों को पहले से अधिकृत किया गया है) जिले	पटियाला संगरूर साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) - पार्ट जिला
53		बरनाला, लुधियाना और मोगा जिले	बरनाला लुधियाना-पार्ट जिला मोगा
54.		जालंधर (पहले से अधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर), कपूरथला और एसबीएस नगर जिले	जालंधर-भाग जिला कपूरथला नवाशशहर (शहीद भगत सिंह नगर)
55.	राजस्थान	बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले	बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर
56.		अलवर (भिवाड़ी के अलावा) और जयपुर जिले	अलवर-पार्ट जिला जयपुर
57.		बारान, कोटा और चित्तौड़गढ़ (केवल रावतभाटा तालुका) जिले	बरन कोटा-भाग जिला रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) -पार्ट जिला
58.		भीलवाड़ा और बुंदी जिले	भीलवाड़ा बूंदी
59.		चित्तौड़गढ़ (रावतभाटा के अलावा) और उदयपुर जिले	रावतभाटा को छोड़कर चित्तौड़गढ़ उदयपुर
60.		धौलपुर जिला	धौलपुर
61.	तमिलनाडु	कांचीपुरम जिला	कांचीपुर
62.		चेन्नई और तिरुवल्लुर जिले	चेन्नई तिरुवल्लुर
63.		कोयम्बटूर जिला	कोयंबटूर

क्र. सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र	जिला का नाम
64.		कुड्डालोर, नागापट्टिनम और तिरुवरूर जिले	कुड्डालोर
			नागपट्टिनम
			तिरुवरुर (थिरुवरुर)
65.		रामनाथपुरम जिला	रामनाथपुरम
66.		सलेम जिला	सलेम
67.		तिरुप्पूर जिला	तिरुपूर
68.	तेलंगाना	भद्राद्री कोठागुडेम और खम्मम जिले	भाद्रादरी
			रोहतागुदेम
			खम्मम
69.		जगतिल, पेद्दापल्ली, करीमनगर और राजन्ना सिरसिला जिला	जगतिल
			पेद्दापल्ली
			करीमनगर
			राजन्ना सिरसिला
70.		जनगांव, जयशंकर भूपालपल्ली, महबूबाबाद, वारंगल शहरी और वारंगल ग्रामीण जिले	जनगांव
			जयशंकर
			भूपालपल्ली
			महबूबाबाद
			वारंगल (ग्रामीण)
			वारंगल (शहरी)
71.		मेडक, सिद्दीपेट और संगारेड्डी जिले	मेडक
			सिद्दीपेट
			संगारेड्डी
72.		मेडचल रंगारेड्डी और विकाराबाद जिले	मेडचाल
			रंगारेड्डी
			विकाराबाद
73.		नलगोंडा, सूर्यापेट और यदादिरी भुवनगिरी जिले	नलगोंडा
			सूर्यापेट
			यदादिरी भुवनगिरि

क्र. सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र	जिला का नाम
74.	त्रिपुरा	गोमती जिला	गोमती
75.		पश्चिम त्रिपुरा (पहले से ही प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर) जिला	पश्चिम त्रिपुरा -पार्ट जिला
76.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़, बुलंदशहर (पहले से ही प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर) और हाथरस जिले	अलीगढ़ बुलंदशहर-पार्ट जिला हाथरस
77.		इलाहाबाद- (पहले से ही प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर) भदोही और कौसाम्बी जिले	इलाहाबाद-पार्ट जिला भदोही कौशाम्बी
78.		अमेठी (छत्रपति साहूजी महाराज नगर), प्रतापगढ़ और रायबरेली जिले	अमेठी (छत्रपति साहू महाराज नगर) प्रतापगढ़ रायबरेली
79.		औरैया। रामबाईनगर और इटावा जिले	औरैया कानपुर देहात (रमाबाई नगर) इटावा
80.		फैजाबाद और सुल्तानपुर जिले	फैजाबाद सुल्तानपुर
81.		गोरखपुर, संत कबीर नगर और कुशीनगर	गोरखपुर संत कबीर नगर कुशीनगर (पडरौना)
82.		मेरठ-(पहले से ही प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर) मुजफ्फरनगर और शामली जिले	मेरठ-भाग जिला मुजफ्फरनगर शामली (प्रबुद्ध नगर)
83.		मुरादाबाद-(पहले से ही प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर) जिला	मुरादाबाद-भाग जिला
84.		उन्नाव-(पहले से ही प्राधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर)	उन्नाव-पार्ट जिला
85.	उत्तराखंड	देहरादून जिला	देहरादून
86.	पश्चिम बंगाल	बर्दवान (बर्धमान) जिला	पूर्व और पश्चिम बर्दवान (बर्धमान)

एनसीईआरटी की वाद नीति

5689. **श्री सुशील कुमार सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय विशेषकर एनसीईआरटी द्वारा वादों (मुकदमों) का कम करने हेतु राष्ट्रीय वाद-नीति का अनुपालन किया जा रहा है क्योंकि यह मुकदमें एनसीईआरटी पर भार-स्वरूप हैं;

(ख) क्या एनईआरटी में विभागीय झगड़ों को सौहार्दपूर्ण ढंग से आपस में सुलझाने हेतु कोई सुलह प्रक्रिया हैं;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सुलझाए गए विवादों का ब्यौरा क्या है;

(घ) न्यायालयों में ऐसे कितने मुकदमें लंबित हैं जिनमें एनसीईआरटी या मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग शामिल हैं;

(ङ) क्या एनसीईआरटी या मंत्रालय द्वारा इस तरह से नियुक्त विधिक सलाहकार केन्द्र सरकार पैनल से चयनित किए जाते हैं या उनकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर की जाती है और उन्हें तदर्थ पारिश्रमिक दिया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विधिक सलाहकारों की नियुक्ति के लिए और उनका पारिश्रमिक तय करने के लिए वर्तमान मानदंड क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) विधि तथा न्याय मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्तमान में कोई वाद-नीति नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) अदालती मामलों के संचालन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करती है।

(ख) और (ग) एनसीईआरटी ने सूचित किया है कि विभाग के विवादों का मैत्रीपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिए एनसीईआरटी में मेल-मिलाप (समाधान) की एक प्रक्रिया विधि उपलब्ध है। तथापि अभी तक मेल-मिलाप प्रक्रिया के जरिए किसी भी मामले को हल नहीं किया गया है।

(घ) एनसीईआरटी और मंत्रालय के अन्य विभाग संगठनों के बीच कोई अदालती मामला लंबित नहीं है।

(ङ) विभिन्न अदालतों/न्यायधिकरण में संगठन से संबंधित मामलों का प्रतिवाद करने के लिए एनसीईआरटी के पास अधिवक्ताओं का अपना पेनल है। तथापि उन मामलों में जिनमें सरकार और एनसीईआरटी दोनों पार्टी होते हैं, वहाँ विधि तथा न्याय मंत्रालय द्वारा इस विषय पर मौजूदा निर्देशों के द्वारा विधायी कार्य विभाग द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं के पेनल में उपलब्ध परामर्शदाता के जरिए इन मामलों का प्रतिवाद एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है।

(च) संगठन में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एनसीईआरटी में अधिवक्ताओं को पेनल में शामिल किया जाता है और विधि तथा न्याय मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दरों पर उनको भुगतान किया जाता है।

[अनुवाद]

सेलम इस्पात संयंत्र का निजीकरण

5690. **श्री के. परसुरमन:** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेलम इस्पात संयंत्र के निजीकरण के अपने निर्णय की समीक्षा करने का है और इसकी दक्षता और कार्य निष्पादन को सुधारने हेतु एक और मौका देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार सेलम इस्पात संयंत्र के विनिवेश के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी को कम करने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ। सरकार ने सेलम स्टील प्लांट का योजनाबद्ध विनिवेश करने के लिए 'सैद्धांतिक' निर्णय ले लिया है।

सर्व शिक्षा अभियान

5691. **श्री पी. के. बिजू:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अन्तर्गत शिक्षा हेतु पात्र बालकों का ब्यौरा रखती है; और

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के नामांकन और उन्हें बनाए रखने की दर को सुधारने हेतु कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के उपबंधों के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के

सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार 6 से 13 वर्ष के आयु वर्ग के 20.78 करोड़ बच्चों की तुलना में एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई), 2015-16 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर 19.67 करोड़ बच्चे नामांकित हुए हैं।

(ख) एसएसए का प्राथमिक लक्ष्य प्रारंभिक स्तर पर सर्वसुलभ नामांकन है। इसने स्कूल शिक्षा सुविधाओं के सर्वसुलभ प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए 2.04 लाख प्राथमिक और 1.59 लाख उच्च प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराए हैं। स्कूल खोलने के लिए जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यक बहुल सघन आबादी वाले क्षेत्रों को वरीयता दी जाती है। एसएसए के तहत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिमों की अधिक सघन आबादी वाले जिलो की विशेष फोकस जिलों (एसएफडी) के रूप में पहचान की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी के मामले में एसएफडी की पहचान करने के लिए मापदंड जनसंख्या का 25% और उससे अधिक का है, जबकि मुसलमानों के लिए यह जनसंख्या का 20% और उससे अधिक का है।

एसएफडी में एसएसए के तहत किए गए उपायों के माध्यम से, यूडीआईएसई, 2015-16 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन शेयर 19.78% है, जबकि जनसंख्या में उनका शेयर 16.6% है (2011 की जनगणना के अनुसार)। इसी प्रकार, यूडीआईएसई 2015-16 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन शेयर 10.35% है, जबकि जनसंख्या में उनका शेयर 8.6% है (2011 की जनगणना के अनुसार)।

इसके अलावा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक आवासीय स्कूल हैं, ने देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में लड़कियों की शिक्षा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसएसए के अंतर्गत, छिटपुट आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए जहां भूमि की अनुपलब्धता के चलते स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवासीय स्कूल/छात्रावासों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, ऐसे मदरसे/मकतबे जो राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/राज्य मदरसा बोर्डों से संबद्ध हैं और राज्य पाठ्यचर्या शुरू करने के इच्छुक हैं, वे एसएसए के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों हेतु अनुदान, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल अनुदान और शिक्षक अनुदान के लिए पात्र हैं।

पहचान तंत्र

5692. **डॉ. पी. वेणुगोपालः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को निदेश दिया है कि वह उनके द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों और प्रमाण पत्रों में पहचान तंत्र शुरू करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को यह भी कहा गया है कि वह संस्था के नाम के साथ-साथ सुपुर्दगी के माध्यम को भी अंकित करें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह)ः (क) से (घ) जी, हां। विश्वविश्वधिालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपने 21 मार्च, 2017 के पत्र के तहत सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों के प्रमाण-पत्रों में विशिष्ट पहचान (आईडी) आधार संख्या और फोटो जैसी पहचान व्यवस्था शुरू करने का अनुरोध किया है। ये पहचान सत्यापन प्रयोजन एवं उनके डुप्लिकेशन पर रोक लगाने में सहायक होगी और साथ ही साथ देश की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में समानता और पारदर्शिता लाने में भी सहायक होगी। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से यह भी अनुरोध किया है कि वे संस्था का नाम अंकित करें जहां छात्र को अध्ययन कार्यक्रम के लिए नामांकित किया गया है और साथ ही अध्ययन पद्धति (नियमित, अंशकालिक या दूरस्थ) को भी अंकित करें। दिनांक 21 मार्च, 2017 के पत्र की प्रति *http://ugc.ac.in/pdfnews/8481300_UGC-letter-reg-identification-mechanisms-(2).pdf* पर उपलब्ध है।

बीड़ी कामगारों हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण

5693. **श्री जोस के. मणिः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बीड़ी उद्योग में सम्मिलित लोगों की वैकल्पिक आजीविका हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की किसी योजना का कार्यान्वयन कर रही है/करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत लाभान्वित लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इस मंत्रालय ने बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों के लिए वैकल्पिक रोजगार/आजीविका और उनकी आय में वृद्धि के लिए कौशल विकास कार्यक्रम की शुरूआत की है। लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

दिनांक 31.12.2017 तक बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों के कौशल विकास की स्थिति

क्षेत्र	31.12.2017 तक आरंभ हुए प्रशिक्षण बैचों की संख्या		31.12.2017 तक पूर्ण हुए प्रशिक्षण बैचों की संख्या		31.12.2017 तक जारी हुए प्रशिक्षण बैचों की संख्या		31.12.2017 तक प्रदान की गई प्लेसमेंट	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
अहमदाबाद	1	20	0	0	1	20	0	0
अजमेर	0	0	0	0	0	0	0	0
इलाहाबाद	7	51	1	2	6	49	0	0
बेंगलुरु	5	129	0	0	5	129	0	0
भुवनेश्वर	26	377	18	298	8	79	10	64
गुवाहाटी	1	36	1	36	0	0	0	1
हैदराबाद	6	41	0	0	6	41	0	0
जबलपुर	18	436	1	2	17	427 #	0	0
कन्नूर	3	35	2	10	0*	0	3	3
कोलकाता	14	292	11	182	3	145	0	12
नागपुर	3	63	0	0	3	58^	0	0
पटना	7	48	1	3	6	45	2	1
रायपुर	8	175	8	175	0	0	34	0
रांची	0	0	0	0	0	0	0	0
तिरुनेलवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	99	1703	43	708	55	995	49	81

^प्रशिक्षण पूरा किए बिना 5 प्रशिक्षुओं ने छोड़ दिया

*प्रशिक्षण पूरा किए बिना 25 प्रशिक्षुओं के एक बैच ने छोड़ दिया

#प्रशिक्षण पूरा किए बिना 7 प्रशिक्षुओं ने छोड़ दिया

के.वी.एस. कर्मचारियों हेतु सीपीएफ से जीपीएफ पेंशन योजना में परिवर्तन

5694. **डॉ. उदित राजः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों हेतु अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पेंशन योजना में परिवर्तन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का ऐसे प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए सीपीएफ से जीपीएफ सह पेंशन योजना में परिवर्तन हेतु एक बारगी अनुमति मांगने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, लेकिन इस पर सहमति नहीं दी गई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन पर प्रदूषण का प्रभाव

5695. **श्री महेश गिरीः** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण दिल्ली में पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रिपोर्ट में अंतर्विष्ट मुख्य सिफारिशें कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) से (घ) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (एसौचैम) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)- दिल्ली में 350 टूर ऑपरेटर्स के साथ सर्वेक्षण आयोजित किए जहां यह पाया गया कि एनसीआर में टॉक्सिक स्मॉग अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू पर्यटकों, विशेषकर उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को कुप्रभावित करेगा हालांकि, पर्यटन मंत्रालय को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, पर्यावरण विभाग/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), एनसीटी दिल्ली की सरकार ने प्रभावी उपाय किए हैं तथा सभी हितधारकों, विभागों/अभिकरणों को दिल्ली में वायु-प्रदूषण स्थिति से निपटने के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

विदेशों में इग्नू के अध्ययन केन्द्र

5696. **श्रीमती कोथापल्ली गीताः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) विदेश स्थित शिक्षा केंद्र खोलकर नौ देशों में अपने अध्ययन केंद्रों का विस्तार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विदेश स्थित केंद्रों में प्रवेश शुरू हो गए हैं और यदि हां, तो अब तक प्राप्त प्रतिक्रिया का विदेश स्थित केंद्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय ने दस (10) देशों में बारह (12) विदेशी अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं। इन (12) ओएससी और इनमें जनवरी, 2016 से जनवरी, 2018 तक दाखिला चक्र के दौरान नामांकित छात्रों की कुल संख्या का ब्यौरा निम्नवत हैः—

क्र. सं.	ओएससी का नाम	नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या
1.	विश्वविद्यालय शिक्षा गल्फ केन्द्र, कुवैत	463
2.	ग्लोरी संस्थान, ओमान	768
3.	भारतीय डब्ल्यू.एल.एल. अकादमी, बहरीन	98
4.	शैक्षिक परामर्श और मार्गदर्शन सेवाएं, जेद्दाह (सउदी अरब)	193
5.	शैक्षिक परामर्श और मार्गदर्शन सेवाएं, जेद्दाह रियाद (सउदी अरब)	142
6.	मॉरीशस मुक्त विश्वविद्यालय, मॉरीशस	2
7.	सेंट मैरी विश्वविद्यालय, इथोपिया	107
8.	होटेस इटुड्स कॉमर्शियल्स (एचईसी), आइवरी कोस्ट	3
9.	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा केन्द्र, केन्या	64
10.	अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक प्रा. लिमिटेड केन्द्र, नेपाल	4112
11.	नेपाल सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, नेपाल	509
12.	रीजेन्ट अंतर्राष्ट्रीय उच्चतर अध्ययन संस्थान, श्रीलंका	276

[हिन्दी]

कर्मचारियों को प्रशिक्षण

5697. **प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में तेल और गैस उत्पादन संयंत्रों में काम कर रहे कामगारों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में तेल और गैस संयंत्रों में सुरक्षा में लापरवाही के कारण हुई/सूचित की गई दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संयंत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त दुर्घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण मुद्दों संबंधी उपचारात्मक कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) भारत में तेल और गैस उद्योग में सुरक्षा बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय निर्धारित करता है और उनके कार्यान्वयन का समन्वय करता है। ओआईएसडी ने खासतौर से अपस्ट्रीम अन्वेषण और उत्पादन उद्योग के लिए स्वास्थ्य रक्षा और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 'अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) कार्मिकों के लिए स्वास्थ्य रक्षा और पर्यावरण प्रशिक्षण' के संबंध में 'कार्यात्मक प्रशिक्षण में सुरक्षा के पहलू' के बारे में ओआईएसडी एसटीडी 154 तथा ओआईएसडी एसटीडी 176 जैसे मानक विकसित किए है। उद्योग ने ओआईएसडी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) अपने पेट्रोलियम सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन संस्थान, गोवा के माध्यम से स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करती है। ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) में एक पूर्ण 'प्रशिक्षण और विकास, विभाग है तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) ने 'खान व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र' को प्राधिकृत किया है जो तेल और गैस उत्पादन संयंत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सहित सभी प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करता है और उन पर निगरानी रखता है। इन प्रशिक्षणों में प्राथमिक चिकित्सा, खान, व्यावसायिक, अग्निशमन, गैस जांच प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। ओआईएसडी ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) इकाइयों में सुरक्षा में हुई चूकों के चलते 58 दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 19 की मृत्यु हुई।

(घ) मंत्रालय का तकनीकी निदेशालय तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) बाहरी सुरक्षा ज़ांच और साथ ही प्रचालकों की औचक सुरक्षा जांच करता है। जांच के दौरान प्रचालनों/अनुरक्षण आदि में खामियों/कमियों की पहचान की जाती है और ऐसी जांच के परिणामों के आधार पर प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के लिए सिफारिशें की जाती हैं। ओआईएसड़ी और मंत्रालय दोनों में इन सिफारिशों पर नजर रखी जाती है।

[अनुवाद]

थिएटर और नृत्य समूहों को अनुदान

5698. **श्री दिव्येन्दु अधिकारी:** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों से निधियों की कमी के कारण संपूर्ण देश में थिएटर और नृत्य समूह को उनका वार्षिक अनुदान नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे थिएटर और नृत्य समूह को अनुदानों के नियमितिकरण को सुनिश्चित करने का है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) जी, नहीं। देशभर के विभिन्न रंगमंच और नृत्य समूहों को वार्षिक अनुदानों की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ईपीएफ योजना में संशोधन

5699. **श्रीमती के. मरगथम:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ), 1952 में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संशोधन का मुख्य लक्ष्य लघु निजी भविष्य निधि न्यास को ईपीएफओ के दायरे में वापस लाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सदस्यों को अधिक सुविधा एवं लाभ उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 को विकसित होती प्रौद्योगिकी के अनुरूप बनाने हेतु इसमें संशोधन एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

मराठी भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा

5700. **डॉ. किरीट सोमैयाः** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मराठी भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव लंबे समय से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पिछले वर्ष सरकार को संशोधित प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मराठी भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करने के उक्त प्रस्ताव पर कब तक विचार किया जाएगा?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। मराठी भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मराठी भाषा विभाग, महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उक्त प्रस्ताव को भाषा वैज्ञानिकों की समिति के समक्ष इसके विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। उक्त समिति ने मराठी भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। तथापि, इस विषय पर मद्रास स्थित माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में श्री आर. गांधी द्वारा दायर अनेक रिट याचिकाओं के आलोक में निर्णय लिया गया कि उक्त रिट याचिकाओं के परिणाम की प्रतीक्षा की जाए। मद्रास स्थित माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना करते हुए दिनांक 08.08.2016 के सामान्य आदेश द्वारा इन रिट याचिकाओं के साथ-साथ सभी याचिकाओं का निपटान कर दिया है। तदुपरांत, मराठी भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करने संबंधी संशोधित प्रस्ताव पर इस मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) मराठी भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

वेतन से भविष्य निधि बचत में कटौती की दर

5701. **श्री राम चरित्र निषादः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वेतन से भविष्य निधि बचत में कटौती की दर 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की कमी लाने का प्रस्ताव नहीं लाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी शुरू में उक्त प्रस्ताव से सहमति हेतु अनिच्छुक थे परंतु अब भविष्य निधि बचत में 10 प्रतिशत की बजाए 12 प्रतिशत योगदान करने हेतु सहमत हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अंशदान की दर को वर्तमान 12 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने हेतु एक कार्यसूची मद पर दिनांक 27.05.2017 को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की 218वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था।

कर्मचारी, नियोक्ता तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि अंशदान की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने के खिलाफ थे। तत्पश्चात, इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

वैदिक विश्वविद्यालय

5702. **श्री एम. मुरली मोहनः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में वैदिक विश्वविद्यालय खोलने/स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश में वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एचपीसीएल की भर्ती नीति

5703. **श्री एम. बी. राजेशः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2014 में संशोधित शिक्षुता अधिनियम, 1961 के संबंध में कोई भर्ती नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कानून को कार्यान्वित करने के लिए कोई निदेश दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार/पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उक्त नीति बनाने के लिए निदेश दिया है/देने हेतु तैयार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल और गैस पीएसयूज को प्रशिक्षुओं की नियुक्ति को बढ़ाकर कुल जनशक्ति का 10% तक करने का निर्देश दिया है। उपर्युक्त निर्देश के अनुरुप एचपीसीएल ने दिनांक 01.03.2018 की स्थिति के अनुसार 925 प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया है जो उनकी जनशक्ति का लगभग 8.9% है।

महान पुरुष दीर्घा

5704. **श्री शिशिर कुमार अधिकारीः** क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता में महान पुरुष दीर्घा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त दीर्घा में प्रदर्शित किए जाने वाले व्यक्तियों के चयन हेतु अनुसरित की जा रही/प्रस्तावित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ग) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता में 'महान नेता दीर्घा' प्रारंभ करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता में 'राष्ट्रीय नेता दीर्घा' नामक दीर्घा मौजूद है जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद के नेताओं के तैलचित्र पोर्ट्रेट हैं। उन नेताओं के नाम इस प्रकार हैं:- (1) सर वोमेश चन्द्र बनर्जी (2) सर सुरेन्द्र नाथ बनर्जी (3) सर दादाभाई नौरोजी (4) महात्मा गांधी (5) गोपाल कृष्ण गोखले (6) पंडित मोतीलाल नेहरू (7) बाल गंगाधर तिलक (8) सरदार वल्लभभाई पटेल (9) पंडित शिवनाथ शास्त्री (10) डॉ. रासबिहारी घोष (11) खुदीराम बोस (12) पंडित जवाहरलाल नेहरू (13) रबीन्द्रनाथ टैगोर (14) खान अब्दुल गफ्फार खान (15) पंडित मदन मोहन मालवीय (16) बिधान चन्द्र राय (17) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (18) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (19) देशबंधु चित्तरंजन दास (20) मौलाना अबुल कलाम आजाद (21) बिपिन चन्द्र पाल (22) चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और (23) स्वामी विवेकानंद।

'राष्ट्रीय नेता दीर्घा' की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी और इसमें भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के निष्ठावान समर्थकों को शामिल किया गया है।

अनुसंधान अध्येयता वृत्ति

5705. **श्रीमती मीनाक्षी लेखीः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा उच्च विद्यालयों में शोध आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार भारत में अनुसंधान अध्येयता वृत्ति की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया है, जो स्कूल शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा के हटकर एक परिवर्तित कार्यढांचा है जिसका उद्देश्य बच्चों को विज्ञान और गणित के प्रति प्रोत्साहित करना और उनमें विज्ञान तथा गणित से संबंधित कार्यकलापों के माध्यम से अभिरुचि पैदा करना है। आरएए के अंतर्गत हस्तक्षेपों में एक हस्तक्षेप स्कूली विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से मजबूत करना है। इसके अलावा, आरएमएसए के तहत, महत्वपूर्ण हस्तक्षेप अर्थात्, जिला स्तर पर विज्ञान मेला/प्रदर्शनी और टैलेंट खोज करना, स्कूलों को गणित और विज्ञान किट प्रदान करना, छात्रों का उच्चतर संस्थाओं का दौरा और छात्रों में अधिगम अभिवृद्धि करना अनुमोदित किए गए हैं।

आरएमएसए के अंतर्गत, शिक्षकों को विज्ञान और गणित में सेवाकालीन प्रशिक्षण, विज्ञान और गणित किट का प्रावधान, शिक्षा प्रदर्शनियों आदि के लिए वर्ष 2017-18 में 179.73 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

नीति आयोग भारत में अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज (एटीएल) की स्थापना कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवा प्रतिभा में जिज्ञासा, गणनात्मक सोच, अनुकूल अधिगम, भौतिक गणना आदि जैसे कौशल प्रतिपादित करना है। आज की तिथि के अनुसार, देशभर में एटीएल स्थापित करने के लिए 2441 स्कूलों को चुना गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्तमान में, अनुसंधान अध्येयता वृत्ति की संख्या बढ़ाने का यूजीसी में कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यूजीसी योजनाओं के अधीन अनुसंधानकर्ताओं को पिछले तीन वर्षों के दौरान वितरित अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अनुसंधान करने के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति और डॉक्टरल अध्येतावृत्ति से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों और संस्वीकृत अनुदान की योजना-वार/वर्ष-वार संख्या

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना का नाम	स्लॉट की संख्या	2014-15		2015-16		2016-17	
			लाभार्थियों की संख्या	संस्वीकृत अनुदान	लाभार्थियों की संख्या	संस्वीकृत अनुदान	लाभार्थियों की संख्या	संस्वीकृत अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति योजना								
1.	डॉ एस राधाकृष्णन मानविकी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	200	0	0	351	13.57	434	24.73
2.	डॉ डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	500 (लगभग)	526	26.93	695	40.2	787	38.97
3.	एससी/एसटी के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	100	304	12.62	766	22.6	554	35.13
4.	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	100	460	20.67	648	31.14	642	32.47
डॉक्टरल अध्येतावृत्ति योजना								
1.	जूनियर रिसर्च अध्येतावृत्ति	8800	18184	446.4	21588	543.58	24614	638.81
2.	विदेशी नागरिकों के लिए जेआरएफ और आरए	20 जेआरएफ/ 7 आरए	56	0.78	34	0.62	45	1.17
3.	बुनियादी विज्ञान अनुसंधान अध्येतावृत्ति	1500	3650	75.65	3918	84.41	4134	105.15
4.	अनुसंधान के लिए स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अनुसंधान अध्येतावृत्ति	नो कैप	0	0	44	0.74	77	3.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में जेआरएफ	समाप्त कर दिया गया	40	0.64	34	1.05	0	0.00
6.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	756	2861	65.21	3609	74.26	4141	125.34
7.	विकलांग छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	200	200 (प्रति वर्ष स्लॉट)		200 (प्रति वर्ष स्लॉट)	-	--	--
8.	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	300	-	-	409	15.12	714	24.49
9.	अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2000	12309	140.09	19623	178.1	9503	225.72
10.	2015 से एसटी छात्रों के लिए उच्चत्तर शिक्षा राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति [पहले आरजीएनएफ - एसटी]	750 (पहले 667)	4179	46.61	4929	52.13	3064	55.89

ओएनजीसी की राजस्व साझेदारी का सौदा

5706. **श्री जी. एम. सिद्देश्वरा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने तेल क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए वैश्विक तेलक्षेत्र सेवाओं की बड़ी कंपनियों के साथ कोई राजस्व साझेदारी के संबंध में सौदा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये तेलक्षेत्र सेवाओं की बड़ी कंपनियां सरकारी अन्वेषणकर्ताओं के पुराने क्षेत्रों, जहां उत्पादन स्थिर है या गिर रहा है को नया जीवन प्रदान करने के लिए धन और प्रौद्योगिकी का निवेश करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) लि. ने सूचित किया है कि ओएनजीसी बोर्ड ने नवंबर, 2017 में उत्पादन संवर्धन संविदा (पीईसी) के लिए कारोबार मॉडल को अनुमोदित कर दिया है। प्रस्तावित कारोबार मॉडल सेवा शुल्क अवधारणा पर आधारित है जिसमें सेवा प्रदाता बेस और वृद्धिपरक उत्पादन के लिए जिम्मेदार होगा।

ओएनजीसी में पीईसी मॉडल को कार्यान्वित करने के लिए अभितट परिसंपत्तियों में दो क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें से एक अहमदाबाद परिसंपत्ति में है और दूसरा असम परिसंपत्ति में है। प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए अनुमोदित नीति पर आधारित निविदा दस्तावेज तैयार कर लिया गया है और दिनांक 10.01.2018 को निविदा आमंत्रण नोटिस जारी कर दिया गया है।

डब्ल्यूटीओ में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा

5707. **श्री एम. उदय कुमार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

के प्रमुख की पिछली भारत यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा का मुद्दा उठाया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि विकसित देश इस समस्या के समाधान हेतु आगे नहीं आ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक स्टाकहोल्डिंग का मुद्दा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत के लिए प्राथमिकता का मामला है। इस पर भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ तथा डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के साथ-साथ विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताओं में बल दिया गया है।

(ख) डब्ल्यूटीओ के पिछले मंत्रिस्तरीय निर्णयों के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक स्टाकहोल्डिंग से संबंधित एक स्थायी समाधान, दिसंबर, 2017 में ब्यूनस आयर्स, अर्जेन्टीना में डब्ल्यूटीओ के ग्यारहवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन द्वारा प्राप्त किया जाना था। तथापि, आम सहमति में अभाव के कारण किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका।

(ग) भारत इस मुद्दे पर डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों, विशेषकर विकासशील देशों के जी 33 गठबंधन के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। भारत ने एक संगत स्थिति बनाये रखी है कि यह मुद्दा विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है और डब्ल्यूटीओ में मंत्रिस्तरीय अधिदेश के अनुसार इसका परिणाम प्राप्त किया जाना चाहिए । इसी बीच, भारत के सार्वजनिक स्टाक होल्डिंग कार्यक्रम डब्ल्यूटीओ के पूर्ववर्ती मंत्रिस्तरीय निर्णयों द्वारा बनाए गए तंत्र द्वारा सुरक्षित हैं, जो निरंतर उपलब्ध है।

अंतर्राज्यिक पलायन

5708. **श्रीमती अंजूबाला:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के प्रवर्तन की निगरानी करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार प्रवासी कर्मकारों के लिए कोई रजिस्टर भी रखती है और यदि हां, तो देश में अकुशल और कृषि मजदूरों सहित ऐसे कर्मकारों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रवासी कर्मकारों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या रहे तथा सरकार द्वारा प्रवासी कर्मकारों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में प्रवासी कर्मकारों/मजदूरों के अंतर्राज्यिक पलायन के रुझान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय नियमित निरीक्षणों के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के प्रवर्तन की निगरानी करता है।

अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 में अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के पंजीकरण का उपबंध मौजूद है। प्रवासी कामगारों के लिए कोई रजिस्टर केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने प्रवासी कामगारों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है।

अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगारों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 का अधिनियमन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं एवं संरक्षात्मक वस्त्रों आदि का प्रावधान है। कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के उपबंध प्रवासी कामगारों पर भी लागू होते हैं। सरकार ने प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण का प्रावधान करने हेतु असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी देश के कुशल प्रवासी कामगारों को प्रवास सहायता केन्द्र की स्थापना करते हुए प्रवास सहायता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) नामक एक प्लेसमेंट-सहबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रति प्रवास

सहायता केन्द्र को प्रतिवर्ष 10.00 लाख रुपये का अनुदान देता है।

(ङ) प्रवास/प्रवासी कामगारों की समस्याओं को ग्रामीण विकास, अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार के प्रावधान, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए संसाधनों के सम्यक वितरण, रोजगार सृजन, भूमि सुधार, वर्धित साक्षरता, वित्तीय सहायता आदि के माध्यम से एक बहु-आयामी कार्य योजना द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया है। कार्यबल का प्रवास रोकने तथा उन्हें उनके घर के समीप रखने के लिए, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का अधिनियमन किया है जिसका उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार को सौ दिनों के सवेतन-रोजगार की गारंटी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीविकोपार्जन सुरक्षा में वृद्धि करना है जिसके वयस्क सदस्यों ने अकुशल शारीरिक कार्य के लिए स्वेच्छा दी हो। ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के साथ ही प्रवासी कामगारों का कौशल संवर्धन करने के उद्देश्य से, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न कौशल विकास स्कीमों का क्रियान्वयन कर रहा है। इन स्कीमों का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण देते हुए इस प्रकार समर्थ बनाना है जो उन्हें बेहतर जीविकोपार्जन सुनिश्चित कराने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त, दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के अंतर्गत, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता अथवा स्वरोजगार हेतु वित्त पोषण तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

परीक्षा के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता

5709. **श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सीबीएसई द्वारा अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) से (ग) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा (जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय राज्यों को छोड़कर) के लिए प्रारंभ में आधार नंबर का प्रयोग किया था। तथापि, 07 मार्च, 2018 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, आधार अब अनिवार्य नहीं है और पहचान के बावत अन्य प्रमाण जैसे राशन कार्ड/पासपोर्ट/मतदान पहचान पत्र एवं बैंक खाता आदि की भी अनुमति है।

जनजातीय समुदाय का विकास

5710. **श्री सी. महेंद्रनः** क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में जनजातीय समुदाय की शैक्षणिक स्थिति निराशाजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातीय समुदाय के विकास के संदर्भ में साक्षरता दर, लैंगिक समानता, औसत नामांकन अनुपात तथा महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से बीच में ही विद्यालय छोड़ने वालों की दर निराशाजनक है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर): (क) से (घ) जनगणना आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जनजाति (अजजा) की साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 47.1% से वर्ष 2011 में 59.0% तक की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2011 में अजजा की साक्षरता दर संपूर्ण साक्षरता दर (73%) की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत बिन्दुओं तक कम है। तथापि, यह अंतर वर्ष 1991 में 22.6 प्रतिशत बिन्दुओं से वर्ष 2001 में 17.7 प्रतिशत बिन्दुओं और वर्ष 2011 में 14 प्रतिशत बिन्दुओं तक कम हुआ है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा XI-XII) स्तर पर अजजा के विद्यार्थियों हेतु संपूर्ण नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2013-14 में 35.4% से वर्ष 2015-16 में 43.1% तक बढ़ा है। इसी प्रकार, उच्चतर शिक्षा के संबंध में जीईआर वर्ष 2013-14 में 11.3% से वर्ष 2016-17 में 15.4% तक बढ़ा है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लिंग समता सूचकांक (जीपीआई) में भी वर्ष 2013-14 में 0.93 से वर्ष 2015-16 में 0.97 तक सुधार हुआ है। उच्चतर शिक्षा स्तर पर (जीपीआई) में वर्ष 2013-14 में 0.81 से वर्ष 2016-17 में 0.85 तक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, कक्षा I-X में अजजा विद्यार्थियों के लिए ड्रापआउट दरों में वर्ष 2010-11 में 70.9% से वर्ष 2013-14 में 62.4% तक गिरावट आई है।

विद्यालयों में अनुशासनहीनता

5711. **श्री नलीन कुमार कटीलः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विद्यालय के छात्रों में अनुशासनहीनता की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि देश में जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे आवासीय विद्यालयों सहित सरकारी विद्यालयों में अनुशासनहीनता अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है और गत तीन वर्षो के दौरान देश के विभिन्न विद्यालयों में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(घ) क्या सरकार ऐसी अनुशासनहीनता की घटनाओं को रोकने के लिए विद्यालयों में मार्गदर्शन और कांउसलिंग जैसी समुचित सुविधाएं प्रदान करके इस मुद्दे से निपटने के लिए कोई महत्वपूर्ण उपाय कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) से (घ) शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और देश में अधिकांश स्कूल राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में है। तथापि, मंत्रालय में, स्कूली छात्रों में अनुशासनहीनता की इक्का-दुक्का शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों या शिक्षा बोर्डों को अपने मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए भेज दिया जाता है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) में, पिछले तीन वर्षों के दौरान छात्रों में अनुशासनहीनता के केवल 17 मामले सूचित हुए हैं। जिन छात्रों को अनुशासहीनता का दोषी पाया जाता है, उनकी प्रधानाचार्य, हेडमास्टर और अन्य शिक्षक काउंसलिंग करते हैं और शिक्षक परिषद की बैठकों में उनके माता-पिता के साथ चर्चा करते हैं। इसके अलावा छात्रों की काउंसलिंग करने के लिए आवश्यश्कता के आधार पर विशेष काउंसलर भी प्रबंधित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) कार्यान्वयन कार्यढांचा, माध्यमिक स्तर पर छात्रों के प्रतिधारण और पाठ्यचर्या क्षेत्रों में शैक्षिक प्रदर्शन, समायोजन सुकर बनाने और छात्रों के कैरियर विकास, अध्ययन, स्वयं, कार्य तथा अन्य के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने में उन्हें प्रोत्साहित करने में गाइडेंस और काउंसलिंग सेवाओं की भूमिका को निर्धारित करता है। इस कार्यढांचा में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक शिक्षक और मुख्यतः दो शिक्षक (एक महिला और एक पुरुष) गाइडेंस और काउंसलिंग में प्रशिक्षित हो, होने चाहिए। आरएसएसए के तहत सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण में काउंसलिंग पर एक मॉड्यूल भी शामिल किया गया है।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में परीक्षा पद्धति

5712. **श्री सी. गोपालकृष्णनः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की परीक्षा पद्धति को बदलने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में परीक्षा पद्धति बदलने का क्या कारण है; और

(ग) देश भर के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बदली हुई परीक्षा पद्धति कब से लागू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने "परीक्षा सुधारों" के संबंध में एक समिति का गठन किया है जो विद्यार्थियों द्वारा अभिगृहीत मात्र विषय की जानकारी के बजाए संकल्पनाओ के समझने, तर्क संबंधी और कौशल का मूल्यांकन करने के लिए मॉडल परीक्षा प्रारूप पर सुझाव देगी। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

शिक्षकों को प्रशिक्षण

5713. **श्री अभिषेक सिंहः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में शिक्षकों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) शिक्षकों संबंधी पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके लिए कुल कितनी निधि आबंटित तथा व्यय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ग) सरकार का फोकस शैक्षिक विकास और शिक्षकों को तैयार करने तथा शिक्षण कक्ष, स्कूलों और कॉलेजों में कार्य करने की उनकी परिस्थितियों के साथ ही उनके सतत व्यावसायिक विकास में गुणवत्ता संबंधी सुधार करने पर है। शिक्षक और शिक्षण से संबंधित पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन योजना (पीएमएमएमएनएमटीटी) का उद्देश्य शिक्षक, शिक्षण, शिक्षकों को तैयार करने, व्यावसायिक विकास, पाठ्यचर्या डिजाइन, और आकलन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया विधि तैयार करना, प्रभावी शिक्षाशास्त्र तैयार करने में अनुसंधान से संबंधित सभी मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान करना है।

योजना के विभिन्न घटकों नामतः शिक्षा स्कूल (केंद्रीय विश्वविद्यालयों में), पाठ्यचर्या एवं शिक्षाशास्त्र के लिए उत्कृष्टता

केंद्र (जिसमें आगे विज्ञान और गणित शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षण अधिगम केंद्र और संकाय विकास केंद्रों को शामिल किया गया है), अध्यापक शिक्षा हेतु अंतर विश्वविद्यालयी केंद्र, अकादमिक नेतृत्व और शिक्षा प्रबंधन केंद्र, अवार्ड, कार्यशाला और सेमिनार तथा पाठ्यचर्या नवीकरण और सुधारों के लिए विषय नेटवर्क को शामिल करके शिक्षण संसाधन अनुदान के अंतर्गत संस्थागत प्रबंध स्थापित करने के लिए अब तक विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों से कुल 64 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है जो पूरे देश भर से प्राप्त हुए थे।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा में नये भर्ती संकाय को प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम और उच्च माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के वरिष्ठ शैक्षिक और प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए शैक्षिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम, पीएमएमएमएनएमटीटी योजना के भाग हैं। 15 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2014-15), 63 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2015-16), 110 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2016-17) और 100 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2017-18) के संशोधित अनुमान (आरई) की सीमा तक आवंटित निधियों की तुलना में दिसंबर, 2014 में योजना के आरंभ होने के पश्चात आज की तारीख तक योजना के तहत 201.92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

शिक्षा बजट

5714. **श्री बी. सेनगुट्टवुनः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में देश में प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा के लिए किए गए बजट परिव्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) संपूर्ण देश में सरकारी और सरकार प्रायोजित विद्यालयों में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष हुई राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता-परीक्षा (नीट) में टीएन से विद्यार्थियों के कथित खराब निष्पादन का कारण राज्य में सरकारी और सरकार प्रायोजित विद्यालयों में गिरावट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(घ) क्या मंत्रालय का कोई प्रस्ताव इंजीनियरिंग, विधि आदि जैसे अन्य वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों के लिए नीट जैसी सामान्य प्रवेश परीक्षा आरंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) भारत सरकार प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और माध्यमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) कार्यक्रम की केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। विगत तीन वर्ष के दौरान योजनाओं के अंतर्गत जारी किए गए केंद्रीय शेयर का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) देश भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ग) जी, नहीं। यूडीआईएसई, 2015-16 के अनुसार, तमिलनाडु के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या वर्ष 2014-15 में 46310 की तुलना में बढ़कर वर्ष 2015-16 में 46611 हो गई है।

(घ) जी, नहीं। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पहले ही हस्ताक्षरित कर दिया है जिसके द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी) की शुरूआत की गई है।

विवरण-I

एसएसए और आरएमएसए के तहत जारी केंद्रीय भाग और किया गया व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एसएसए			आरएमएसए		
		2014-15 जारी की गई केंद्रीय निधि	2015-16 जारी की गई केंद्रीय निधि	2016-17 जारी की गई केंद्रीय निधि	2014-15 जारी की गई केंद्रीय निधि	2015-16 जारी की गई केंद्रीय निधि	2016-17 जारी की गई केंद्रीय निधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1545.67	668.11	633.02	74.97	271.83	71.09

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	336.08	181.79	199.57	1.38	36.26	12.07
3.	असम	977.82	1004.65	876.52	159.81	162.62	257.76
4.	बिहार	2163.36	2515.57	2706.88	144.85	36.01	200.65
5.	छत्तीसगढ़	927.05	622.20	592.63	190.19	229.18	246.64
6.	गोवा	13.10	8.14	8.69	3.23	2.29	3.35
7.	गुजरात	784.76	615.64	777.41	96.01	122.38	165.05
8.	हरियाणा	421.11	345.01	320.01	150.19	77.27	147.24
9.	हिमाचल प्रदेश	125.47	121.39	128.25	36.09	125.52	232.79
10.	जम्मू और कश्मीर	512.77	1299.81	1072.50	115.44	96.14	149.48
11.	झारखंड	757.75	558.63	509.46	111.20	77.53	132.96
12.	कर्णाटक	662.14	417.59	544.96	303.51	209.69	81.04
13.	केरल	218.44	128.59	113.17	39.91	102.47	49.69
14.	मध्य प्रदेश	1490.95	1601.98	1544.55	210.11	283.41	348.35
15.	महाराष्ट्र	582.89	412.25	603.70	234.52	201.80	123.06
16.	मणिपुर	214.66	183.55	44.05	62.42	50.93	43.21
17.	मेघालय	204.05	166.27	200.67	0.59	0.40	18.98
18.	मिजोरम	147.40	94.38	109.34	28.03	20.80	32.24
19.	नागालैंड	205.69	87.40	107.25	3.64	53.26	25.10
20.	ओडिशा	666.95	820.82	704.23	201.00	198.71	100.59
21.	पंजाब	362.16	300.04	300.03	99.39	44.83	88.52
22.	राजस्थान	2480.42	1934.62	1825.78	344.21	371.30	359.68
23.	सिक्किम	45.26	40.54	34.79	11.19	16.61	14.80
24.	तमिलनाडु	1358.20	821.12	821.11	333.65	314.72	293.25
25.	तेलंगाना	814.07	217.76	417.76	94.63	200.08	90.10
26.	त्रिपुरा	198.00	169.57	191.91	5.99	9.10	13.84
27.	उत्तर प्रदेश	4498.68	5054.34	5054.34	142.28	131.50	189.14
28.	उत्तराखंड	228.81	225.88	252.69	58.26	43.31	124.64
29.	पश्चिम बंगाल	972.40	846.79	821.85	107.44	29.09	42.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.47	3.59	4.79	0.86	0.98	3.55

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	चंडीगढ़	38.94	35.22	33.34	1.81	1.18	3.35
32.	दादरा और नगर हवेली	9.12	5.95	10.68	0.51	1.78	2.20
33.	दमन और दीव	0.73	0.78	3.00	0.51	0.78	1.23
34.	दिल्ली	62.24	72.94	83.06	21.14	19.53	18.29
35.	लक्षद्वीप	0.59	1.40	2.40	0.02	0.10	0.18
36.	पुदुचेरी	1.00	5.83	3.05	0.75	1.53	2.18
	कुल	24030.16	21590.14	21657.45	3389.73	3544.93	3688.27

विवरण-II

शिष्य-शिक्षक अनुपात- 2015-16

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रारंभिक स्तर		माध्यमिक स्तर	
		सभी सरकारी स्कूल	सभी सहायता प्राप्त स्कूल	सभी सरकारी स्कूल	सभी सहायता प्राप्त स्कूल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	28	13	26
2.	आंध्र प्रदेश	17	29	18	28
3.	अरुणाचल प्रदेश	15	24	26	18
4.	असम	20	11	16	13
5.	बिहार	56	65	80	74
6.	चंडीगढ़	19	17	13	13
7.	छत्तीसगढ़	22	33	40	46
8.	दादरा और नगर हवेली	27	30	37	35
9.	दमन और दीव	24	49	14	39
10.	दिल्ली	22	43	31	36
11.	गोवा	12	35	9	16
12.	गुजरात	28	44	39	45
13.	हरियाणा	18	33	13	23
14.	हिमाचल प्रदेश	9	-	22	-
15.	जम्मू और कश्मीर	10	-	15	-
16.	झारखंड	38	56	93	57

1	2	3	4	5	6
17.	कर्नाटक	24	54	18	21
18.	केरल	14	25	19	18
19.	लक्षद्वीप	9	-	7	-
20.	मध्य प्रदेश	28	28	34	41
21.	महाराष्ट्र	22	41	24	27
22.	मणिपुर	9	15	7	9
23.	मेघालय	17	21	15	15
24.	मिजोरम	10	12	10	11
25.	नागालैंड	9	-	12	-
26.	ओडिशा	22	37	24	19
27.	पुदुचेरी	10	27	11	17
28.	पंजाब	16	44	17	35
29.	राजस्थान	19	-	21	-
30.	सिक्किम	7	24	19	20
31.	तमिलनाडु	15	36	20	37
32.	तेलंगाना	18	45	20	23
33.	त्रिपुरा	12	31	32	31
34.	उत्तर प्रदेश	31	74	36	48
35.	उत्तराखंड	12	37	12	30
36.	पश्चिम बंगाल	25	28	56	26
	भारत	25	38	28	30

स्रोतः यूडाइस-2015-16

विद्यालयों में विदेशी भाषा का अध्ययन

5715. **डॉ. शशि थरूरः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार सीबीएसई के त्रिभाषा-सूत्र से विदेशी भाषाओं को हटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन छात्रों के लिए कोई प्रावधान करने जा रही है जिन्होंने पहले ही विदेशी भाषा सीखना आरंभ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा)ः (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अपनाए गए त्रिभाषा-सूत्र के तहत कक्षा IX से XII में गैर-अनिवार्य विषय के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन उपलब्ध कराता है और उनकी पाठ्यचर्या से विदेशी भाषाओं को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया

5716. **श्री जी. हरि:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मूल्यांकन प्रक्रिया की कमियों के अध्ययन के लिए दो समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सीबीएसई ने ग्रेडिंग के संबंध में छात्रों की बढ़ती चिंता पर कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) एक सुगठित और मजबूत मूल्यांकन प्रणाली है। सीबीएसई, निरंतर सुधार प्रयासों के भाग के रूप में समय-समय पर अपनी सभी प्रक्रिया और कार्यकलापों का अनुभवों के आधार पर मूल्यवर्धन करने और उन्हें परिष्कृत करने के लिए उनकी समीक्षा करता रहता है। सीबीएसई की एक आंतरिक समिति ने प्रणाली को और अधिक वस्तुनिष्ठ तथा त्रुटि-मुक्त बनाने के लिए मौजूदा प्रणाली का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में मूल्यांकन प्रक्रिया में आमतौर पर होने वाली गलतियों की प्रकृति और पैटर्न की पहचान के लिए बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुभवों पर भी विचार किया गया। मूल्यांकन प्रक्रिया की फीडबैक और समीक्षा ने बोर्ड को कुछ मूल्यांकन प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने में सहायता की है। बोर्ड ने उत्तर पुस्तिका की सख्ती से अंकन योजना (मार्किंग स्कीम) के अनुसार अंकन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण का अतिरिक्त चरण जोड़ा है। स्वतः अंकों के गणन प्रावधान के साथ आइटी पद्धति का प्रयोगकर अंकों की पोस्टिंग और अपलोडिंग की अतिरिक्त विशिष्टताओं को भी शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) सीबीएसई अपने संबद्ध स्कूलों के लिए बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली और बच्चे द्वारा चुनी गई अध्ययन योजना के अनुसार कक्षा X और XII की परीक्षा आयोजित करता है। कक्षा XII की परीक्षा के पैटर्न के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, कक्षा 10वीं के लिए माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि अनुत्तीर्ण एक विषय (अभ्यर्थी द्वारा कक्षा X में लिए गए गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय में से) को छठे अतिरिक्त विषय के रूप में लिए गए छठे व्यावसायिक विषय द्वारा सक्षमकारी उत्तीर्णता मापदंड के तौर पर छठे अतिरिक्त विषय के रूप में लिए गए छठे व्यावसायिक विषय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने कक्षा X-2018 परीक्षा के बैच के लिए एकबारगी उपाय के रूप में उत्तीर्णता मापदंड को भी संशोधित किया है। यह संशोधन कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को वर्ष 2018 से बोर्ड द्वारा शुरू की गई नए मूल्यांकन प्रणाली से सामंजस्य बैठाने में समर्थ बनाने के लिए किया गया है।

ईएसआईसी कवरेज

5717. **श्री वी. एलुमलाई:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) के कर्मचारी लक्षित औद्योगिक परिसरों के बजाय पूरे जिले को ही कवर कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कवरेज के दायरे में उन सभी 393 जिलों को भी लाया गया है जहां पर उक्त परिसर अवस्थित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ईएसआईसी के दायरे के अंतर्गत 301 जिलों को पूरी तरह से शामिल कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां। ईएसआईसी को अब लक्षित औद्योगिक समूहों के बजाय सम्पूर्ण जिलों में उत्तरोत्तर लागू किया जा रहा है। ईएसआईसी 2.0 नामक दूसरी पीढ़ी का सुधार एजेंडा जिसे दिनांक 20.07.2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किया गया था, जिसके अनुसार पहले चरण में आंशिक रूप से कार्यान्वित 393 जिलों को पूरी तरह अधिसूचित किया जाना था। अब विजन 2022 में अखिल भारतीय स्तर पर ईएसआईसी योजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है।

(ख) अब तक आंशिक रूप से अधिसूचित 393 जिलों में से, 325 जिलों को सम्पूर्ण रूप से अधिसूचित किया गया हैं। सम्पूर्ण रूप से अधिसूचित 325 जिलों की सूची राज्य/संघ/राज्य-वार संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) 31.03.2017 तक 301 जिलों को पूर्ण रूप से कवर किया गया है जिसे आज की तारीख तक 325 जिलों तक बढ़ा दिया गया है।

विवरण

सम्पूर्ण रूप से अधिसूचित जिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	पूर्ण रूप से अधिसूचित जिलों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	बिहार	16
3.	छत्तीसगढ़	10
4.	गोवा	2
5.	हरियाणा	22
6.	हिमाचल प्रदेश	7
7.	जम्मू और कश्मीर	8
8.	झारखंड	9
9.	कर्नाटक	30
10.	केरल	14
11.	मध्य प्रदेश	22
12.	महाराष्ट्र	22
13.	ओडिशा	20
14.	राजस्थान	33
15.	तमिलनाडु	1
16.	तेलंगाना	10
17.	उत्तर प्रदेश	41
18.	उत्तराखंड	6
19.	पश्चिम बंगाल	14
20.	असम	6
21.	त्रिपुरा	1
22.	चंडीगढ़	1
23.	दादरा और नगर हवेली	1
24.	दमन और दीव	2
25.	दिल्ली	11
26.	पुदुचेरी	3
	कुल	325

हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

5718. **श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोशः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (एमजीआईएचयू), वर्धा में भवन के निर्माण और कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित अद्यतन स्थिति क्या है और मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और दक्षता बढ़ाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/विचार किए गए हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय ने इस विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों की खराब स्थिति से संबंधित कोई छानबीन की है/करने की प्रक्रिया में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) और (ख) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय (एमजीएएचवी) ने सूचित किया है कि प्रधान निदेशक, संपरीक्षा, महालेखाकार, मुम्बई ने दिनांक 01.02.2011 से 31.08.2012 की अवधि की अपनी मसौदा जांच रिपोर्ट में भवनों के निर्माण और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित मामलों में संपरीक्षात्मक आपत्तियां दर्ज की हैं। जहां तक निमार्ण कार्यो का संबंध है जांच आपत्ति मुख्य रूप से निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम (यूपीएसकेएनएन) को दिये जाने को लेकर थी जोकि एक राज्य सरकार का संगठन है और जांच अधिकारी जीएफआर 2005 के नियम 126 (4) के तहत शहरी विकास मंत्रालय का कार्योत्तर अनुमोदन चाहते थे। शहरी विकास मंत्रालय ने जीएफआर 2005 के नियम 126 (2) के संशोधित प्रावधानों के तहत यूपीएसकेएनएन, लखनऊ, को निमार्ण कार्य देने के लिए विश्वविद्यालय को अनुमोदन प्रदान किया था। भर्ती के संबंध में, तत्कालीन कुलपति ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11 शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने इन नियुक्तियों को कार्योत्तर अनुमोदन दे दिया था। तथापि, संपरीक्षा में इस विषय के संबंध में इन शिक्षकों के वेतन भुगतान के विषय पर एक पैराग्राफ तैयार किया है। एमजीएएचवी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, प्रधान निदेशक संपरीक्षा (मध्य) मुम्बई ने संपरीक्षा पैरा को हटा लिया है और सीबीआई ने भी इन मामलों की शिकायतों को बंद कर दिया है और किसी प्रकार की कार्रवाई की सिफारिश नहीं की है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एमजीएएचवी की

शैक्षिक, अनुसंधान, वित्तीय और अवसंरचना संबंधी संपरीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि विश्वविद्यालय में अपर्याप्त छात्रावास सुविधाएं, कर्मचारी क्वार्टर और खेल सुविधाएं हैं। परन्तु विश्वविद्यालय के भवनों की खराब गुणवत्ता के संबंध में विशेषज्ञ समिति ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।

तकनीकी संस्थाओं में शिक्षण

5719. **डॉ. ए. सम्पतः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उच्च तकनीकी संस्थानों में पढ़ाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक वर्ष का प्रशिक्षण अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रशिक्षण के प्रथम सेमेस्टर में शामिल किए गए शिक्षक को कम से कम आठ मॉड्यूल उत्तीर्ण करने होंगे;

(ग) क्या इसे तकनीकी शिक्षा के मॉडल पाठ्यक्रम के आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह)ः (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने अनिवार्य प्रशिक्षण, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, और जेनेरिक कौशल प्रशिक्षण, व्यक्तियों और संगठनों के बेहतर निष्पादन के लिए अपेक्षित व्यावसायिक ज्ञान और कौशलों को अद्यतन रखने तथा इनका संवर्धन करने और व्यावसायिक अपेक्षाओं की बेहतर समझ प्रदान करने के साथ-साथ व्यावसायिक, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक वातावरण जिसमें कार्य किया जाता है को सुग्राही बनाने के माध्यम से संकाय एव स्टाफ विकास कार्यनीति को डिजाइन करने और तैयार करने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यापक नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

(ग) और (घ) सभी स्टेकहोल्डरों अर्थात तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, सरकारी अधिकारियों और नीति निर्माता आदि उपस्थिति में एआईसीटीई मुख्यालय में 24 जनवरी, 2018 को आयोजित "तकनीकी शिक्षा में गुणवत्तापरक मुद्दे" से संबंधित एक दिवसीय सम्मेलन में समिति की मसौदा रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया था।

[हिन्दी]

डिग्री कोर्स

5720. **श्रीमती कमला पाटलेः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में अपरंपरागत ऊर्जा से संबंधित डिग्री कोर्स गांधीनगर, गुजरात में मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी संस्थाओं को देश के अन्य भागों, विशेषकर छत्तीसगढ़ के सरगुजा और दांतेवाड़ा में बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित राज्य सरकारों से स्कूल ऑफ एनर्जी स्टडीज इंस्टीट्यूट स्थापित करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह)ः (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने सूचित किया है कि गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, वलसाड ऊर्जा में परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। इस मंत्रालय के पास, वर्तमान में, छत्तीसगढ़ के सरगुजा और दंतेवाड़ा सहित देश में ऐसे संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

महिला अध्ययन केन्द्र

5721. **श्री आर. ध्रुवनारायणः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बारहवीं वार्षिक योजना अवधि के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में खोले गए विभिन्न महिला अध्ययन केन्द्रों और सामाजिक बहिष्करण केन्द्रों का वित्तपोषण करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न विश्वविद्यालयों में खोले गए महिला अध्ययन केन्द्रों और सामाजिक बहिष्करण केन्द्र को निरंतर वित्तपोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि उसने महिला अध्ययन केन्द्रों और सामाजिक बहिष्करण और समावेशन नीति अध्ययन केन्द्रों से संबंधित योजनाओं का वित्तपोषण करना बंद नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू एलपीजी का मूल्य

5722. **श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:**
श्री सी.एस. पुट्टा राजू:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रति घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर की वर्तमान उत्पादन लागत कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा प्रति सिलेंडर कितनी राजसहायता दी जा रही है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सभी कुकिंग गैस सिलेंडरों के लिए कुल कितनी वार्षिक राजसहायता दी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में गैस, डीजल और पेट्रोल पर दी जा रही सभी राजसहायता वापस लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) कच्चे तेल का शोधन एक प्रसंस्करण उद्योग है जहां कुल लागत में कच्चा तेल का लगभग 90% बैठता है। कच्चे तेल का प्रसंस्करण अनेक प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए किया जाता है। इनमें से प्रत्येक इकाई मध्यवर्ती उत्पाद स्ट्रीम्स का उत्पादन करती है जिनके लिए व्यापक तौर पर पुनः प्रसंस्करण और मिश्रण अपेक्षित होता है। शोधित पेट्रोलियम उत्पादों में एमएस, एचएसडी, मिट्टी तेल, एलपीजी, नाफ्था और एटीएफ आदि शामिल हैं। कुल लागत में रिफाइनरी से शोधित किए गए अलग-अलग परिशोधित उत्पादों की उत्पादन लागत ज्ञात करना मुश्किल है।

(ख) राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी की बिक्री पर मौजूदा राजसहायता/अल्पवसूली 195.91 रुपए/14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर है। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के लिए राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी पर वर्षवार राजसहायता/अल्पवसूली निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	अप्रैल-दिसंबर, 17
घरेलू एलपीजी#	40569	16074	14566	14,172

#इसमें 'पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002' और 'भाड़ा राजसहायता (दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए) योजना, 2002' के तहत भुगतान आधार पर राजसहायता शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को क्रमशः दिनांक 26 जून, 2010 और 19 अक्तूबर, 2014 से बाजार निर्धारित बना दिया है और तभी से ओएमसीज द्वारा उनके मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों में होने वाले बदलावों के अनुरूप तय किया जा रहा है। सरकार राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है।

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में नामांकन

5723. **श्री ओम बिरला**: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है और संबंधित राज्यों में विद्यमान कुल संस्वीकृत सीटों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में इंजनियरिंग पाठ्यक्रम चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या में तेजी से कमी आई है और परिणामतः चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग की लगभग आधी सीटें खाली पड़ी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इंजीनियरिंग चुनने वाले विद्यार्थियों में बदलती प्रवृत्ति वाली इस स्थिति के ठीक करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(ग) क्या वर्तमान औद्योगिक, प्रौद्योगिक और स्वचालन प्रवृत्तियों के मद्देनजर देश में तकनीकी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में बदलाव की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे ऐसी आवश्यकता के अनुरूप बनाने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) और (ख) विगत तीन वर्ष के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों के अनुमोदित दाखिला, वास्तविक नामांकन और रिक्ति प्रतिशत में संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में वास्तविक नामांकन मांग आपूर्ति स्थिति के आधार पर होता है जिसका कारण संस्थान की अवस्थिति, शैक्षिक एवं अनुसंधन अवसंरचना और प्लेसमेंट संभावनाएं हैं। अनुमोदित दाखिला और वास्तविक नामांकन के बीच अंतराल को पाटने के उद्देश्य से, परिषद् ने उन पाठ्यक्रमों में अनुमोदित दाखिले को कम करने का निर्णय लिया है जिनमें लगातार विगत 5 वर्ष से नामांकन अनुमोदित दाखिले से 30% से भी कम रहा है।

(ग) और (घ) औद्योगिक आवश्यकताओं को छात्रों के तकनीकी कौशल सेट के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने इंजीनियरिंग में अवर स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम के लिए परिणाम आधारित मॉडल पाठ्यचर्या तैयार है। इंजीनियरिंग के लिए मॉडल पाठ्यचर्या में क्रेडिट प्वाइंट को संशोधित कर 180 से 160 किया गया है, यह छात्रों के लिए इनके विषयों के साथ ही अन्य विषयों से वैकल्पिक विषय चुनने को सुकर बनाता है, प्रवेश कार्यक्रम और इंटर्नशिप अपनाने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करता है तथा छात्रों के समग्र विकास के लिए मूल्यपरक शिक्षा से संबंधित नॉन-क्रेडिट पाठ्यक्रम को शामिल करता है। इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या का फोकस कोर विषयों, लचीला एवं विविध कार्यक्रम विशिष्ट वैकल्पिक पाठ्यक्रम विषय कौशल में वृद्धि करने के लिए मुक्त वैकल्पिक पाठ्यक्रम, प्रतिभा विकास को सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक और परस्पर संवादात्मक अधिगम के माध्यम से विशेषज्ञता के उन्नत अध्ययन पर है।

विवरण

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में छात्रों के अनुमोदित दाखिला, वास्तविक नामांकन और रिक्ति प्रतिशत के संबंध में राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित संस्थान	अनुमोदित प्रवेश	नामांकन	% रिक्ति
2015-16				
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	90	98	0.00
आंध्र प्रदेश	338	179170	95909	46.47
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0.00
असम	18	5175	3158	38.98
बिहार	25	8870	5078	42.75
चंडीगढ़	4	1420	1344	5.35
छत्तीसगढ़	51	22692	9712	57.20
दिल्ली	18	9265	7516	18.88
गोवा	5	1260	1226	2.70
गुजरात	123	69539	42496	38.89
हरियाणा	152	66400	17625	73.46
हिमाचल प्रदेश	22	9420	1973	79.06
जम्मू और कश्मीर	9	3405	2559	24.85
झारखंड	18	7385	4533	38.62
कर्नाटक	192	102141	77195	24.42

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित संस्थान	अनुमोदित प्रवेश	नामांकन	% रिक्ति
केरल	162	62713	41389	34.00
मध्य प्रदेश	217	103314	47790	53.74
महाराष्ट्र	376	164832	95257	42.21
मणिपुर	1	115	115	0.00
मेघालय	1	480	249	48.13
नागालैंड	1	240	86	64.17
ओडिशा	98	47694	18803	60.58
पुदुचेरी	18	8940	4023	55.00
पंजाब	109	47845	17941	62.50
राजस्थान	138	63263	25841	59.15
सिक्किम	1	840	404	51.90
तमिलनाडु	533	285254	160941	43.58
तेलंगाना	305	157178	74424	52.65
त्रिपुरा	2	600	339	43.50
उत्तर प्रदेश	301	149332	65616	56.06
उत्तराखंड	34	13485	5395	59.99
पश्चिम बंगाल	90	38613	22499	41.73
कुल योग	3363	1630970	851534	47.79
2016-17				
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	90	91	0.00
आंध्र प्रदेश	329	172746	88729	48.64
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0.00
असम	18	5175	3415	34.01
बिहार	31	10130	5433	46.37
चंडीगढ़	3	915	689	24.70
छत्तीसगढ़	49	22934	8443	63.19
दिल्ली	16	8455	7003	17.17
गोवा	5	1260	1225	2.78
गुजरात	128	69221	37264	46.17

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित संस्थान	अनुमोदित प्रवेश	नामांकन	% रिक्ति
हरियाणा	144	58551	16468	71.87
हिमाचल प्रदेश	20	7830	1962	74.94
जम्मू और कश्मीर	9	3345	2653	20.69
झारखंड	18	7085	3336	52.91
कर्नाटक	192	100565	76713	23.72
केरल	164	62458	37267	40.33
मध्य प्रदेश	211	98247	41839	57.41
महाराष्ट्र	372	155277	88388	43.08
मणिपुर	1	115	115	0.00
मेघालय	1	420	223	46.90
नागालैंड	1	240	0	100.00
ओडिशा	96	46373	18758	59.55
पुदुचेरी	18	8910	3637	59.18
पंजाब	103	43880	17028	61.19
राजस्थान	130	58073	19996	65.57
सिक्किम	1	780	506	35.13
तमिलनाडु	527	279397	146020	47.74
तेलंगाना	283	140318	73866	47.36
त्रिपुरा	2	600	369	38.50
उत्तर प्रदेश	296	142972	51200	64.19
उत्तराखंड	31	12405	4115	66.83
पश्चिम बंगाल	91	37593	22062	41.31
कुल योग	3291	1556360	778813	49.96
2017-18				
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	90	93	0.00
आंध्र प्रदेश	321	167583	90098	46.24
अरुणाचल प्रदेश	1	180	166	7.78
असम	19	5265	3026	42.53
बिहार	34	10700	5893	44.93

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित संस्थान	अनुमोदित प्रवेश	नामांकन	% रिक्ति
चंडीगढ़	4	1420	1464	-3.10
छत्तीसगढ़	49	22406	8218	63.32
दिल्ली	18	9195	7798	15.19
गोवा	5	1260	1187	5.79
गुजरात	131	68882	33578	51.25
हरियाणा	137	49671	16154	67.48
हिमाचल प्रदेश	17	6210	1923	69.03
जम्मू और कश्मीर	9	3345	2487	25.65
झारखंड	19	6731	3876	42.42
कर्नाटक	194	101550	69097	31.86
केरल	163	60944	32144	47.26
मध्य प्रदेश	197	88243	38168	56.75
महाराष्ट्र	374	151071	91315	39.35
मणिपुर	1	150	138	8.00
मेघालय	2	660	126	80.91
नागालैंड	1	240	54	77.50
ओडिशा	94	44003	16955	61.47
पुदुचेरी	17	8610	3403	60.48
पंजाब	101	40932	16795	58.97
राजस्थान	124	53761	16813	68.73
सिक्किम	1	780	504	35.38
तमिलनाडु	523	269251	147743	45.13
तेलंगाना	260	128945	70329	4546.00
त्रिपुरा	2	600	316	47.33
उत्तर प्रदेश	284	125967	44464	64.70
उत्तराखंड	30	11400	3857	66.17
पश्चिम बंगाल	91	36563	21659	40.76
कुल योग	3224	1476608	749841	49.22

मजदूरी संबंधी श्रम संहिता

5724. **श्री ए. अरुणमणिदेवन:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में मजदूरी संबंधी श्रम संहिता लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा और कार्य दशाओं संबंधी प्रस्तावित श्रम संहिता के लिए अंतरा-मंत्रालीय वार्ताएं आयोजित की गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) मजदूरी संबंधी श्रम संहिता लोक सभा में 10.08.2017 को पुरःस्थापित किया गया और तत्पश्चात इसे श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित किया गया है।

(ग) और (घ) संबंधित संगठनों के साथ अंतरा-मंत्रालीय परामर्श श्रम कानून में किसी प्रकार के संशोधन का अभिन्न अंग है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी दशाओं से संबंधित संहिता आम जनता सहित सभी पणधारकों की टिप्पणियों/सुझावों के लिए 23.03.2018 को मंत्रालय की वेबसाईट पर डाला गया है।

प्राकृतिक गैस और तेल भंडार

5725. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में मध्य प्रदेश विशेषकर श्योपुर, दामोह, शिवनी और शहडोल जिलों में प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओएनजीसी द्वारा सर्वेक्षण के लिए किसी दल को भेजा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सर्वेक्षण दल द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इनमें तेल और गैस का कितना भंडार मिला है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) लि. 1950 के उत्तरार्ध से मध्य प्रदेश राज्य में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रही है। दिनांक 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार ओएनजीसी ने मध्य प्रदेश राज्य में 13,201 लाईन कि.मी. (एलकेएम) द्विआयामी तथा 889 वर्ग कि.मी. (एसकेएम) त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े एकत्रित किए हैं और 20 अन्वेषण कूपों का वेधन किया है। अपने अन्वेषण संबंधी प्रयासों के फलस्वरूप ओएनजीसी को दमोह जिले में गैस के भंडार मिले हैं जिनमें उसने तीन खोजें अर्थात नोहटा-2, दमोह-4 और जबेरा-4 की हैं। ओएनजीसी ने मध्य प्रदेश राज्य में गैस की 0.90 बिलियन घन मीटर तत्स्थल मात्रा सिद्ध की है।

[हिन्दी]

चिकित्सा पर्यटन हेतु समिति का गठन

5726. **श्रीमती रेखा वर्मा:** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चिकित्सा पर्यटकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में चिकित्सा पर्यटन की प्रक्रिया को सुकर बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने चिकित्सा पर्यटन की समस्याओं के समाधान हेतु कोई समिति अथवा उप-समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा तथा इस क्षेत्र में निष्पादन में उतार-चढ़ाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास उन लोगों की संख्या की निगरानी करने हेतु कोई तंत्र विद्यमान है जो भारत में चिकित्सा पर्यटकों के रूप में आते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन को निश पर्यटन उत्पादों के रूप में मान्यता दी है तथा देश में चिकित्सा पर्यटकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ एक पसन्दीदा गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न सुविधाओं की पेशकश करता है।

(i) मंत्रालय प्रचार तथा निरोगता तथा चिकित्सा पर्यटन संवर्धन शो तथा साथ ही साथ कार्यशाला/समारोह/सेमिनार आयोजित करने के लिए प्रमाणित चिकित्सा तथा निरोगता पर्यटन सेवा प्रदाताओं तथा वाणिज्य संघों आदि को विपणन विकास सहायता के रूप में वित्तीय सहायता की पेशकश करता है।

(ii) बीबीसी के सहयोग से चिकित्सा पर्यटन पर एक फिल्म तैयार की गई है तथा संवर्धनात्मक उद्देश्यों के लिए

विभिन्न मंचों पर प्रयोग की जाती है ।

(iii) चिकित्सा पर्यटकों की यात्रा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तथा सुगम बनाने के लिए चिकित्सा तथा चिकित्सा परिचर वीजा का आरंभ किया गया। चिकित्सा यात्रा को भी शामिल करने के लिए ई-पर्यटक वीजा व्यवस्था का विस्तार किया गया।

(iv) चिकित्सा वीजा पर आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख हवाई अड्डों, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदाराबाद तथा बंगलुरु पर सुविधा काउंटर्स की स्थापना का निर्णय लिया है।

उपरोक्त के अलावा वाणिज्य विभाग तथा सेवा निर्यात संवर्धन परिषद् (एसईपीसी) ने देश में शीर्ष हेल्थकेयर संस्थानों पर चिकित्सा यात्रियों को समग्र सूचना प्रदान करने के लिए एकल स्रोत प्लेटफार्म के रूप में अंग्रेजी, अरबी, रूसी तथा फ्रेंच भाषाओं में हेल्थकेयर पोर्टल *www.indiahealthcaretourism.com* आरंभ किया है।

(ख) और (ग) आयुर्वेद सहित चिकित्सा और निरोगता पर्यटन और आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) द्वारा कवर की गई भारतीय पद्धति की चिकित्सा और निरोगता के अन्य किसी रूप के संवर्धन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित संस्थागत फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चिकित्सा और निरोगता पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड के सदस्य स्वास्थ्य, वाणिज्य, विदेशी मामले, आयुष, गृह मंत्रालय, अस्पतालों तथा हेल्थकेयर प्रदाताओं के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के साथ-साथ प्रमुख वाणिज्य संघों, अस्पतालों तथा औषध एवं निरोगता के क्षेत्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं। यह एक अम्बेला संगठन के रूप में कार्य करता है जो संगठित तरीके से पर्यटन के इस घटक को संवर्धित करता है। इस बोर्ड ने वीजा मामलों प्रत्यायन तथा मानकों एवं विपणन तथा संवर्धन पर उप-समितियां गठित की हैं। पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा तथा चिकित्सा परिचर वीजा पर आगमन के सम्बन्ध में आंकड़ों का मिलान करता है। वर्ष 2014 से 2016 के दौरान चिकित्सा उद्देश्य के लिए भारत में विदेशी पर्यटक आगमन निम्नलिखित हैं:–

वर्ष	विदेशी पर्यटक आवक (एफटीए)
2014	1,84,298
2015	2,33,918
2016	4,27,014

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में योग

5727. **श्री रोड़मल नागरः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने योग विभाग आरंभ करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया हैं;

(ख) यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में कब तक मंजूरी देने की संभावना है; और

(ग) मध्य प्रदेश के किन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग खोलने की योजना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ग) निम्नलिखित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2016-17 से योग विभाग आरंभ करने के लिए चिन्हित किया गया है:-

1. हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
2. विश्व भारती
3. राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय
4. केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय
5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय और
6. मणिपुर विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग शुरू करने को मंजूरी दे दी है। जिन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योग विभाग शुरू करने की संस्वीकृति दी गई है उनमें इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में अवस्थित है।

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग स्नातक

5728. **श्री रामसिंह राठवाः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि देश में इंजीनियरिंग स्नातकों की बेरोजगारी दर का पता लगाने हेतु राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली ने हाल में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें रोजगार देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली (एनटीएमआईएस) योजना, 31 मार्च, 2013 को समाप्त कर दी गई। अतः, देश में इंजीनियरिंग स्नातकों की बेरोजगारी दर का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), देश में स्थित एआईसीटीई अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई-टीआई) कार्यान्वित कर रही है, जिससे बेरोजगार युवकों को इंजीनियरिंग कौशल की जानकारी प्रदान की जा सके और वे उपयुक्त निजी क्षेत्र नौकरियों में नियोजित हो सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीन वर्षों अर्थात 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 10.5 लाख युवकों को इंजीनियरिंग कौशल प्रदान करना है।

एआईसीटीई, ऑन-द-जॉब व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय नियोजनीयता संवृद्धि मिशन (एनईईएम) भी कार्यान्वित कर रहा है जिससे किसी भी तकनीकी या गैर-तकनीकी विषय में स्नातकोत्तर/स्नातक/डिप्लोमा करने वाले व्यक्ति की नियोजनीयता में वृद्धि हो सके।

(घ) भारत के बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता देने जैसे कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उच्चतर शिक्षा और जमीनी हकीकत

5729. **श्री चन्द्रकांत खैरे**: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उच्चतर शिक्षा और वास्तविकता में आज भी बड़ा अंतर व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की उच्चतर शिक्षा को व्यावहारिक बनाने हेतु सरकार ने कोई प्रयास किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ग) केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और उच्चतर शिक्षा को व्यावहारिक बनाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। केन्द्र सरकार ने देश में शिक्षा का गुणवत्तापरक विकास करने के लिए उच्चंतर शिक्षा के क्षेत्र में कई पहलें शुरू की हैं अर्थात राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ), प्रभावशाली अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी (इंप्रिंट), अकादमिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान), स्टडी वेब्स ऑफ़ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंडस, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी (एनएडी), तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी), पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी), राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, कैंपस कनेक्ट कार्यक्रम आदि।

यूजीसी विनियमों को तैयार और अधिसूचित करने, योजनाओं और पात्र संस्थाओं को अनुदान वितरित करने के माध्यम से विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण, अनुसंधान और गुणवत्तायुक्त आश्वासन के मानदंडों का रख-रखाव करता है। उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और उसे बनाए रखने की दृष्टि से, यूजीसी ने यूजीसी (एम.फिल/पीएच.डी डिग्री अवार्ड न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016, यूजीसी (भारतीय और विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के बीच शैक्षिक सहयोग के मानकों का संवर्धन और रख-रखाव विनियम, 2016, यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ अधिगम विनियम, 2017, यूजीसी (सम-विश्वविद्यालयवत प्रतिष्ठित संस्थाएं) विनियम, 2017, यूजीसी (कॉलेजों को स्वायत्ता दर्जा, प्रदान करने और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के अनुरक्षण के उपाय) विनियम, 2018 और यूजीसी (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का वर्गीकरण) विनियम, 2018 अधिसूचित किए हैं।

देश में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, यूजीसी ने कई योजनाएं, पुरस्कार, अध्येतावृत्तियां, पीठ और कार्यक्रम निर्धारित किए हैं जिनके तहत उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ-साथ उनमें कार्य कर रहे संकाय सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त शोध करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यूजीसी द्वारा की गई कुछ पहले हैं i. उत्कृष्टता की संभाव्यता विश्वविद्यालय, ii. विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता संभाव्यता केन्द्र (सीपीईपीए), iii. विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) iv. अनुसंधान परियोजनाए और v. बुनियादी विज्ञान अनुसंधान।

यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अनुरोध भी किया है कि वे प्रत्येक तीन वर्षों में अपनी पाठ्यचर्या को अपग्रेड करें और उसकी समीक्षा करें, उसे अधिक कौशल उन्मुखी और अंतविषयक बनाने की समीक्षा करें ताकि छात्रों को नियोजन योग्य बनाने का प्रयोजन सिद्ध हो सके। चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) को शुरू करना अन्य महत्वपूर्ण उपाय है जिसे पाठ्यचर्या, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार और सुधार, के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में अकादमिक मानदंडों और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यूजीसी द्वारा शुरू किया गया है। सीबीसीएस 'कैफेटेरिया' प्रकार की पहुंच प्रदान करता है जिसमें छात्र अपने पसंद का पाठ्यक्रम ले सकता है, अपने स्वयं की गति से सीख सकता है, अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को शुरू कर सकता है, क्रेडिट अर्जित कर सकता है और अधिगम के लिए अंतर्विषयक दृष्टिकोण अपना सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)-केन्द्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसका उद्देश्य पहुंच, साम्यता एवं गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना है। योजना का फोकस असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए अवसंरचना अनुदान, मौजूदा कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेजों में प्रोन्नयन जैसे घटकों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इन घटकों के तहत, संस्थाओं को ये निधियां अवसंरचना सुविधाओं को सुदृढ़ करने, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, छात्रावासों आदि के निर्माण/पुनरुद्धार करने और राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) में उपकरण खरीदने के लिए दी जाती हैं।

[अनुवाद]

ईपीएफ खातों के ढांचे में बदलाव

5730. **श्री पी. सी. मोहनः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पीएफ खाताधारकों के लिये पारदर्शिता सहित कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों के ढांचे में बदलाव करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उस राशि का प्रतिशत बढ़ाने का कोई विचार है जिसे बढ़ते अंशदान से इक्विटी बाजार में लगाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पीएफ खाताधारकों के खातों में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश की गई राशि के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या ईपीएफ खाताधारकों के खाता बंद होने के समय अपने खाते की शेष राशि में ईटीएफ राशि प्राप्त होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंशदाताओं को ईपीएफ जमा किस मूल्य पर दिया जाएगा?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने दिनांक 23.11.2017 को आयोजित अपनी 219वीं बैठक में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश के लिए लेखांकन नीति का अनुमोदन किया है जिससे अभिदातओं को ईटीएफ में उनके निवेश के लिए यूनिटें आबंटित की जाएंगी।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(घ) केन्द्रीय बोर्ड, ईपीएफ ने दिनांक 23.11.2017 को आयोजित अपनी 219वीं बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए इक्विटी (ईटीएफ) में निवेश के लेखांकन हेतु नीति का अनुमोदन किया है।

(ङ) और (च) ईपीएफ खाता धारक खाता बंद करने के समय अपने खाते में अपनी ईपीएफ राशि प्राप्त करेंगे।

नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) में परिलक्षित लागू बाजार मूल्य पर अभिदाताओं को ईटीएफ जमा धन दिया जाएगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में नवोदय विद्यालय

5731. **श्री अर्जुन लाल मीणाः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान में प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में नवोदय विद्यालय चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान कौन से हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उदयपुर में कोई नवोदय विद्यालय खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) राजस्थान राज्य के दक्षिण भाग सहित राज्य में जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के तहत आने वाले उन जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों के नाम क्या है जहां नवोदय विद्यालय चलाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): (क) से (ङ) नवोदय विद्यालय योजना में देश के

प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय (ज.न.वि.) खोलने की परिकल्पना की गई है। उदयपुर और राजस्थान के अन्य जिलों को शामिल करते हुए (दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार) देश के सभी जिलों में ज.न.वि. खोले गए हैं।

बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, और सिरोही जिले जोकि राजस्थान के जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में शामिल हैं, को भी इस योजना के तहत कवर किया गया है।

विषय बदलना

5732. **श्री गोपाल शेट्टीः**
श्री अशोक महादेवराव नेतेः
श्री सदाशिव लोखंडेः
श्री सी.एस. पुट्टा राजूः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों सहित लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन में स्नातक स्तर के अन्य ऑनर्स पाठ्यक्रमों सहित बी.ए. इकोनॉमिक्स (ऑनर्स) के द्वितीय सेमेस्टर में सामान्य इलेक्टिव विषय को बदलने का प्रावधान है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस संबंध में इसके अधीनस्थ कॉलेजों को कोई दिशानिर्देश जारी किया है;

(ग) क्या अन्य कॉलेजों सहित लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करता है;

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन अन्य कॉलेजों सहित लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन में स्नातक ऑनर्स पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के दौरान सामान्य इलेक्टिव विषय बदलने के लिए विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है तथा आज की तिथि के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन के द्वारा प्राप्त आवेदनों को स्वीकार/अस्वीकार करने के कॉलेज-वार कारण क्या है;

(ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय के उन कॉलेजों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है; और

(च) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कॉलेजों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (च) दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि ऐसा प्रावधान मौजूद है कि विद्यार्थी उस विभाग/विषय जिसमें विद्यार्थी को प्रवेश दिया गया है, के अतिरिक्त अन्य विभाग/विषय द्वारा प्रदान किये जा रहे सामान्य इलेक्टिव (जीई) विषयों को चुन सकते हैं। कॉलेज प्रत्येक सेमेस्टर में दो सामान्य इलेक्टिव तक प्रदान कर सकते हैं। विभागों द्वारा तैयार किए गए सामान्य इलेक्टिव पेपर विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् और कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और आवश्यक अनुपालन हेतु सभी कॉलेजों को जारी किए जाते हैं। यह विश्वविद्यालय की वेबसाईट (*www.du.ac.in*) पर भी उपलब्ध है।

दिल्ली विश्वविद्यालयों के कॉलेजों ने शैक्षिक सत्र 2015-16 से अवरस्नातक पाठ्यक्रमों में आरंभ की गयी विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार जीई विषय के परिवर्तन हेतु आवेदनों पर विचार किया है। यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार जीई पाठ्यक्रमों के टेम्पलेट को सभी कॉलेजों को जारी किया गया है और साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाया गया है। विश्वविद्यालय के कॉलेज विश्वविद्यालय तथा यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं। तथापि, यदि गैर-अनुपालन का कोई मामला विश्वविद्यालय के संज्ञान में लाया जाता है तो इसे नियमानुसार हल किया जाता है।

शिक्षा संस्थानों में आरक्षण

5733. **श्री अशोक महादेवराव नेतेः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, व्यवसायिक संस्थानों, चिकित्सा और अभियांत्रिकी कॉलेजों जैसे शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों के प्रवेश में आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) से (ग) भारत सरकार, देश में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित किया गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर होने तक पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) में पड़ोस में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों

में कमजोर वर्ग और लाभवंचित समूह के बच्चों के लिए कक्षा। अथवा उससे नीचे की कक्षा में उस कक्षा में छात्रों की संख्या के कम से कम 25% की सीमा तक दाखिले का प्रावधान है। यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता है। 'लाभवंचित समूह से संबंधित बच्चा' की परिभाषा में अनुसूचित जाति (एससी/अनुसूचित जनजाति (एसटी); और अब विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भी शामिल हैं।

स्कूलों में लाभवंचित समूह और कमजोर वर्ग के आरक्षण को राज्य आरटीई नियमों और अधिसूचना के माध्यम से विनियमित किया जाता है। नवोदय विद्यालय समिति में दाखिले के लिए जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जनसंख्या में उनके समानुपात जो राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिए, के आधार पर सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) में दाखिले के लिए सभी नए दाखिलों में अनुसूचित जाति हेतु 15% सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें आरक्षित की जाती हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) संबंधन उप-विधि नियम 12 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित किया गया है कि "जहाँ तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण का संबंध है, यह उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर लागू शिक्षा अधिनियम/नियमों द्वारा अभिशासित होगा, जहां पर स्कूल अवस्थित है।"

आरटीई अधिनियम के उपबंधों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) और स्थानीय प्राधिकरणों को शिकायत निवारण प्राधिकरणों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

केंद्रीय शैक्षिक संस्था (सीईआई) (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं (सीईआई) में आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। केंद्रीय शैक्षिक संस्था (दाखिले में आरक्षण) के साथ पठित सीईआई (दाखिले में आरक्षण), संशोधन अधिनियम, 2012 के अनुसार अध्ययन की प्रत्येक शाखा या संकाय में वार्षिक अनुमत संख्या में से अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% सीटें आरक्षित की जानी होती हैं। राज्य सरकार नियंत्रित और राज्य सरकार वित्तपोषित संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिशानिर्देशित और विनियमित किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) समय-समय पर शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थाओं के सिवाय सभी स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न निर्देश जारी करता है।

[अनुवाद]

व्यापार समझौते

5734. **एडवोकेट जोएस जॉर्जः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चीन द्वारा समर्थित रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आर.सी.ई.पी.) से एशिया के बड़े क्षेत्र में शेष प्रशुल्क में काफी कमी आएगी तथा इससे व्यापार एवं विनिर्माण के वर्तमान मॉडल को काफी धक्का पहुंचेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने आर.सी.ई.पी. की पृष्ठभूमि में चीन की अधिक्षमता एवं माल का ढेर लगाने की उसकी प्रवृत्ति के बारे में चिंता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का मुक्त व्यापार समझौतों में विश्वास कम हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) से (ङ) क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदार (आरसीईपी), जो एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (एफटीए) है, लगभग दस आसियान सदस्य राज्यों एवं उनके छः एफटीए भागीदारों अर्थात भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैण्ड और कोरिया गणराज्य के इर्दगिर्द केन्द्रित है। आरसीईपी पर इस समय वार्ता चल रही है और इसका उद्देश्य प्रतिभागिताकारी देशों में माल, सेवा व्यापार और निवेश प्रवाह को सुगम बनाना और बढाना है। सरकार आरसीईपी के तहत अपनी स्थिति तैयार करते समय घरेलू संवेदनशीलताओं और निर्यात अवसरों सहित हितधारकों के इनपुटों को ध्यान में रखती है।

आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता

5735. **श्री आर. पार्थिपनः** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि आसियान देशों के साथ पहले से ही किये गये मुक्त व्यापार समझौते (एफ.

टी.ए.) से रबड़ की खेती और पाम ऑयल उत्पादन करने वाले समुदायों जैसे कुछ समुदायों विशेष के हितों की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत में डेयरी क्षेत्र को न्यूजीलैंड जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जिनका डेयरी क्षेत्र काफी सुदृढ़ है और सरकार द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से आगे बढ़ने की स्थिति में उनकी अर्थव्यवस्था उस पर फल-फूलती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): (क) और (ख) (i) जी, नहीं। भारत-आसियान वस्तु व्यापार करार से रबड़ बागान को नुकसान नहीं हुआ है। भारत ने आसियान-भारत एफटीए के अन्तर्गत रबड़ उत्पादक देशों को प्राकृतिक रबड़ (एनआर) पर किसी टैरिफ रियायत की पेशकश नहीं की है।

एनआर के व्यापार किए गए सभी निम्नलिखित रूप करार की अपवर्जन सूची के अन्तर्गत आते हैं:

एचएस 400110: प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स, पूर्व-बल्केनाइज्ड या नहीं

एचएस400121: स्मोक्ड शीट में प्राकृतिक रबड़ (आरएसएस)

एचएस400122: तकनीकी विशिष्टता के प्राकृतिक रबड़ (ब्लॉक रबड़)

एचएस400129: प्राकृतिक रबड़ अन्य रूपों में

(ii) आसियान एफटीए में पाम तेल को कटौती श्रेणी में विशिष्ट उत्पाद के रूप में रखा गया है, न कि प्रशमन श्रेणी में।

(ग) और (घ) भारत विश्व में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है और न्यूजीलैण्ड विश्व में दुग्ध उत्पाद का बड़े निर्यातकों में से एक है। आरसीईपी वार्ता में भारत की स्थिति तैयार करते समय सरकार डेयरी क्षेत्र सहित स्टेकहोल्डरों से प्राप्त इनपुटों पर विचार करती है।

भारतीय रिफाइनरियों में हिस्सेदारी खरीदना

5736. **डॉ. के. गोपाल**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व की सर्वाधिक बड़ी तेल कंपनी का मौजूदा भारतीय रिफाइनरियों और विस्तार परियोजनाओं तथा पश्चिम तट पर नियोजित बड़ी रिफाइनरी में हिस्सेदारी खरीदने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या पश्चिम तटीय रिफाइनरी तथा 33,000 करोड़ रुपए के नियोजित पेट्रोरसायन परिसर का सऊदी अरब सरकार के साथ चर्चा में उल्लेख किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की फरवरी, 2018 में नई दिल्ली में सऊदी अरब के अपने समकक्ष मंत्री से मुलाकात के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने सऊदी अरब की कंपनियों को भारतीय तेल और गैस ढांचागत परियोजनाओं में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

कौशल विकास के संबंध में गेल के साथ समझौता ज्ञापन

5737. **एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर**: क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कौशल विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने और उनमें वृद्धि करने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परिणामस्वरूप रोजगार के कितने अवसर पैदा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने भारतीय गैस प्राधिकरण (गेल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दोनों पक्षों ने ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित कौशल विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए सहमति जताई है। इस परियोजना का उद्देश्य पाइपलाइन की सम्पूर्ण लंबाई के लिए कार्यस्थल पर 11 विभिन्न जॉब रोलों में 1200 उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित ब्रिज पाठ्यक्रम और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) संचालित करना है। पाइपलाइन परियोजना के विभिन्न जॉब रोलों में पहले से कार्यरत और बिना किसी औपचारिक कौशल प्रशिक्षण वाले कामगार इसके लक्षित लाभार्थी हैं।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

5738. **श्री रायपति सम्बासिवा रावः**
डॉ. बूरा नरसैय्या गौडः

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन.सी.एफ.) की स्थापना की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी संरचना क्या है;

(ख) एन.सी.एफ. के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं तथा यह देश की सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा प्रोत्साहन एवं संरक्षण में किस हद तक सफल/सहायक रही है;

(ग) एन.सी.एफ. में इसकी स्थापना के बाद से अब तक कितनी धनराशि जमा हुई है तथा गत चार वर्षों के दौरान विभिन्न संस्थाओं/विभागों के लिए उक्त निधि से कितनी राशि का आवंटन किया गया है एवं उक्त संस्थाओं/विभागों द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) उपयोग न हुई राशि का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का प्रसार करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहलें की गई हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) जी, हां। सरकार द्वारा 28 नवंबर, 1996 को पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के अंतर्गत भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रोन्नयन, संरक्षण और परिरक्षण हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारियों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से न्यास के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि का प्रबंधन और प्रशासन नीतियों पर निर्णय लेने के लिए माननीय संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में परिषद द्वारा और उन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए सचिव, संस्कृति की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है।

(ख) इस निधि का लक्ष्य भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रोन्नयन, संरक्षण और परिरक्षण के कार्य में व्यक्तियों के साथ-साथ कॉरपोरेट क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों, निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करना है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि ने अपने प्रारंभ से 34 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं। इसकी सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति निधि को योजनागत बजट में से एकमुश्त संचित न निधि के रूप में 19.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय संस्कृति निधि को सरकार द्वारा कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। इसके साथ ही, एनसीएफ को अंशदान और कई अन्य स्रोतों से निधि के रूप में स्वैच्छिक दान मिलता है।

विगत चार वर्षों के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियों और किए गए व्यय की स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

खर्च न की गई निधियों के लिए उत्तरदायी कारणों के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि एनसीएफ द्वारा संबंधित दानकर्ता संगठन के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार एनसीएफ द्वारा आरंभ की गई सभी परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के अंदर पूरा कर लिया जाता है। तदनुसार, यदि किसी चालू परियोजना के कई चरणों में पूरा होने की संभावना हो, तो उसके लिए दानकर्ता द्वारा ऐसे विभिन्न चरणों में समुचित निधि उपलब्ध कराई जाती है। परिणामस्वरूप, ऐसी चालू परियोजनाएं जो अभी पूरी होने वाली हैं; उनके संबंध में खर्च न की गई कुछ शेष राशि सदैव एनसीएफ के पास रखी रहती है।

(ङ) भारत सरकार ने देशभर में संगीत, नृत्य, लोककला और संस्कृति जैसे विभिन्न मंच कला रूपों के संरक्षण, परिरक्षण और प्रोन्नयन के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। पूरे भारत से कलाकारों को भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा नियमित रूप से आयोजित कार्यक्रमों में प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य से शामिल किया जाता है। इसके अलावा, कलाकारों को भारत महोत्सवों में प्रस्तुति देने के लिए विदेश भी भेजा जाता है।

संस्कृति मंत्रालय का लक्ष्य सांस्कृतिक करारों एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर करके और राजनयिक चैनलों के माध्यम से पारस्परिक विचार-विमर्श से संबंधित एजेंसियों द्वारा उनको कार्यान्वित करके भारतीय लोक कलाओं और संस्कृति का विदेश में प्रचार-प्रसार करना है।

संस्कृति मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के प्रोन्नयन के लिए स्कीम संचालित करता है जिसके अंतर्गत भारत महोत्सव आयोजित किए जाते हैं जिनमें लोक कला और प्रदर्शनी, नृत्य, संगीत, रंगमंच, व्यंजन उत्सव, साहित्यिक उत्सव, फिल्म उत्सव, योग आदि जैसे अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत, संस्कृति मंत्रालय द्वारा लोक कला एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यकलापों सहित कार्यक्रमों और कार्यकलापों का आयोजन करने हेतु भारत विदेश मैत्री सांस्कृतिक सोसाइटी को भी विदेशों में इनके प्रोन्नयन के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। विदेशों में भारत महोत्सव आयोजित करना और भारत-विदेश मैत्री सांस्कृतिक सोसाइटी को सहयोग देना संस्कृति मंत्रालय का नियमित कार्यकलाप है।

विवरण-I

पूरी की गई परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना	प्रायोजक
1.	हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली, 1999	आगा खान ट्रस्ट एवं मैसर्स ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स
2.	ज्ञान प्रवाह ट्रस्ट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	ज्ञान प्रवाह ट्रस्ट
3.	किष्किंदा ट्रस्ट, ऐनेगुंडी, कर्नाटक	किष्किंदा ट्रस्ट
4.	जंतर मंतर, नई दिल्ली	एपीजे सुरेन्द्र पार्क होटल्स लिमिटेड
5.	शनिवारवाडा पैलेस, पुणे, महाराष्ट्र	एएसआई, पुणे नगर निगम
6.	रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान
7.	ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश	मैसर्स इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड
8.	सिनगोग क्लॉक टॉवर, कोचीन, केरल	विश्व स्मारक निधि
9.	म्यूजिक ऑफ मिर्स, नई दिल्ली	देवाहुति दामोदर स्वराज ट्रस्ट
10.	भारत में कला और दृश्य संस्कृति 1850-2005, मार्ग प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, 2006	मैसर्स बोधि आर्ट लिमिटेड, मैसर्स मार्ग प्रकाशन
11.	रमन महर्षि शिक्षा केन्द्र-II सांस्कृतिक अनुसंधान भवन का निर्माण, कर्नाटक	रमन महर्षि शिक्षा केन्द्र
12.	केस फॉर चैरीअट, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, 2010	ओएनजीसी
13.	किशोरी अमोनकर पर फिल्म, महाराष्ट्र	एनसीएफ-एसएएआरटीएच-एमईए-ओएनजीसी
14.	विरासत उत्सव, उत्तराखंड	रीच फाउंडेशन, एनसीएफ एवं ओएनजीसी
15.	एएसआई के प्रारंभिक वर्षः एएसआई के 150 वर्षों को मनाने के लिए प्रकाशन	एएसआई
16.	प्राकृतिक विरासत चित्रों पर मार्ग प्रकाशन का प्रायोजन	मैसर्स मार्ग प्रकाशन
17.	विरासत उत्सव 2012 (रीच फाउंडेशन)	रीच फाउंडेशन, ओएनजीसी और एनसीएफ
18.	तट मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु में आगंतुक सुविधाओं का निर्माण	एएसआई और भारतीय नौवहन निगम
19.	युसुफ कतल का मकबरा, नई दिल्ली	मैसर्स पीईसी लिमिटेड, एएसआई और एनसीएफ
20.	नटन कैरली	राष्ट्रीय संस्कृति निधि
21.	कोच्चि मुजिरिस बाइएनीअल 2012 सूची	निर्लोन फाउंडेशन ट्रस्ट

क्र. सं.	परियोजना	प्रायोजक
22.	भारतीय चित्र अभिलेखागारः कुलवंत रॉय दृश्य अभिलेखागार अभिलेखों का संरक्षण, फोटो डिजिटीकरण, हरियाणा	मैसर्स इंडिया फोटो आर्काइव फाउंडेशन एवं एनसीएफ
23.	नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (एलटीपी) एलटीपी I-2012 एलटीपी II-2013 और एलटीपी III-2014	• संबंधित संगठन और • जॉन इस्केनाजी लिमिटेड, द प्रिट्जक्र संगठन • नील क्रेइटमैन फाउंडेशन अनीश कपूर
24.	जयपुर में मूर्त घटकों- आरिश, अस्तरकारी, लकड़ी पर नक्काशी, भित्ति चित्र और चूना जाली के पुनरुद्धार में कार्यरत शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	हुडको
25.	एएसआई के स्थल संग्रहालय और स्थल प्रबंधन पेशेवरों के लिए गेट्टी क्षमता निर्माण कार्यक्रम-एनसीएफ-एएसआई-जे पॉल गेट्टी ट्रस्ट-द ब्रिटिश तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईंः सारनाथ (उत्तर प्रदेश) भारत-2013 • जुलाई, 2014 में ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन, इंग्लैंड में सारनाथ कला स्कूल का महत्व, • जनवरी, 2015 में, गेट्टी केन्द्र, लॉस एंजिलस, केलीफोर्निया में बौद्ध कला इतिहास पर नवीनतम सूचना और कलावस्तुओं के संरक्षण में अभिनव विकास	जे पॉल गेट्टी ट्रस्ट, संयुक्त राज्य अमरीका
26.	मकराना में मूर्त घटकों मार्बल जाली, कलमकारी और पत्थर नक्काशी के पुनरुद्धार में कार्यरत शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	हुडको
27.	सुन्दरवाला महल, नई दिल्ली का संरक्षण	आवासन और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको)
28.	जयप्रकाश यंत्र, जंतर मंतर, नई दिल्ली का संरक्षण	राज्य व्यापार निगम (एसटीसी)
29.	तुगलकाबाद किला, नई दिल्ली का संरक्षण एवं रखरखाव	गेल इंडिया लिमिटेड
30.	लोधी मकबरा परियोजना, नई दिल्ली	भारतीय इस्पात प्राधिकरण
31.	जैसलमेर किला, राजस्थान	एएसआई एवं विश्व स्मारक निधि
32.	गुजरात में शिल्प और सतत कौशल विकास	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
33.	चित्तौड़गढ़ किला (राजस्थान) के लिए बैटरी द्वारा संचालित एक वाहन	एनबीसीसी सर्विसेस लिमिटेड
34.	चित्तौड़गढ़ किला, राजस्थान के लिए बैटरी द्वारा संचालित एक वाहन प्रदान किया गया	फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, मुंबई

विवरण-II

विगत चार वर्षों के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियों और किए गए व्यय की स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा

वर्ष	प्राप्त अंशदान/दान	व्यय
2013	150,646,817.00	23,247,497.00
2014	149,532,169.00	24,834,114.00
2015	239,063,249.00	37,720,205.00
2016	250,754,405.00	13,179,431.00

31.03.2017 तक का अर्जित ब्याज 22,953,044.00 रुपए

अध्यापकों के रिक्त पद

5739. **डॉ. प्रभास कुमार सिंहः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का बड़े पैमाने पर रिक्तियां भरने हेतु केन्द्र द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं में मेधावी अध्यापकों को आकर्षित करने हेतु विशेष समिति गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) सहित राष्ट्रीय संस्थानों में मीडिया कर्मियों के फैकल्टी के रूप में चयन के संबंध में सरकार को कोई शिंकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार ने केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं (सीएफटीआई) के संबंध में शैक्षाणिक, वैज्ञानिक/डिजायन और अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन पर विचार करने हेतु प्रो. अशोक मिश्रा की अध्यक्षता में एक वेतन समीक्षा समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश यह की है कि 3 वर्ष से कम संगत अनुभव रखने वाले संकाय सदस्यों को "संविदात्मक आधार पर सहायक प्रोफेसर" के स्थान पर "सहायक प्रोफेसर श्रेणी-II" का दूसरा पदनाम दिया जाए। यह आशा की जाती है कि इससे और अधिक संकाय सदस्यों को सहायक प्रोफेसर श्रेणी-II के रूप में केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं (सीएफटीआई) में कार्यग्रहण करने में प्रोत्साहन मिलेगा। संकाय सदस्य का 3 वर्ष के पश्चात, मूल्यांकन किया जाएगा और योग्य पाए जाने पर उसे सहायक प्रोफेसर ग्रेड-I के पद के साथ उच्चतर वेतनमान पर नियुक्त किया जाएगा। ग्रेड-II से ग्रेड-I में यह पदोन्नति निष्पादन आधारित होगी न कि अपने-आप होगी।

(ग) से (ङ) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

5740. **श्री कपिल मोरेश्वर पाटीलः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण के लिए संस्था-वार कितने स्थानों पर अन्वेषण एवं ड्रिलिंग कार्य शुरू किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त संस्थानों को हुए लाभ/हानि का संस्था-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) लि., आयल इंडिया लि. (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा देश के आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तथा पूर्वी और पश्चिमी तट के अभितटीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की निकासी के लिए अन्वेषण और दोहन का कार्य किया गया है।

(ख) 2015-16 और 2016-17 की अवधि के दौरान ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा अर्जित करोपरांत लाभ के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	ओएनजीसी	ओआईएल
2015-16	16,140	2330.11
2016-17	17,900	1548.68

(ग) सरकार ने देश में तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। जो निम्नानुसार हैं:—

(i) राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम तथा बहु-ग्राहक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण/कार्यकलापों के तहत विभिन्न तलछटीय बेसिनों आदि में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन ताकि इन क्षेत्रों में सुचारू रूप से अन्वेषण किया जा सके।

(ii) देश के हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुनः आकलन।

(iii) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) तथा खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) का कार्यान्वयन।

(iv) नेशनल डाटा रिपोजिटरी (एनडीआर) के जरिए भूवैज्ञानिक आंकड़ों का समावेशन तथा उपलब्धता।

(v) डीएसएफ नीति के तहत गैर-मौद्रीकृत खोजों/क्षेत्रों का शीघ्र मौद्रीकरण।

(vi) मौजूदा पीएससीज की अवधि बढ़ाना।

(vii) गैर पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों का विकास।

(viii) दुर्गम क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए विपणन की आजादी प्रदान करना।

एम.ओ.ओ.सी. प्रणाली प्रारंभ करना

5741. **श्री एम. चन्द्राकाशीः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एम.ओ.ओ.सी.) पर कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो देश में एम.ओ.ओ.सी. प्रणाली को शुरू करने एवं उसे चलाने से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में शिक्षा प्रणाली विशेषकर दूरस्थ शिक्षा में एम.ओ.ओ.सी. के संभावित प्रभाव/लाभों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने 'स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पाइरिंग माइंडस' (स्वयम) नामक एक ओपन होलिस्टिक एम.ओ.ओ.सी. प्लेटफार्म शुरू किया है ताकि निःशुल्क ऑनलाइन अधिगम को बल मिल सके। स्वयम में ये पाठ्यक्रम वरिष्ठ स्कूल (9वीं-12वीं) से स्नातकोत्तर स्तर तक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अधिकांश विषयों को कवर करते हैं। आज तक, करीब 1000 एम.ओ.ओ.सी. पाठ्यक्रम स्वयम पर सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें लगभग 30 लाख छात्रों का नामांकन हुआ है। यूजीसी और एआईसीटीई ने छात्रों के लिए क्रेडिट के अंतरण हेतु विनियम जारी किए हैं।

(ग) शिक्षा नीति के तीन मूलभूत सिद्धान्तों अर्थात सुलभता, समानता और गुणवत्ता स्वयम पर संचालित एम.ओ.ओ.सी. पाठ्यक्रमों के माध्यम से देश में सभी शिक्षुओं उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री प्रदान करके प्राप्त किया जाएगा।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन

5742. **श्री संजय धोत्रेः**
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री राहुल शेवालेः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उल्लंघन से संबंधित मामले सरकार को सूचित किए गए हैं/ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सूचित किए गए उल्लंघनकर्ताओं/चूककर्ताओं के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे नियोजकों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध उक्त अधिनियम के अंतर्गत दांडिक कार्रवाई शुरू की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी बार न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया गया है;

(ङ) मजदूरों/श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित तथा नियोजकों द्वारा उसे समय से संशोधन करने के लिए सरकार के पास क्या तंत्र उपलब्ध है; और

(च) पूरे देश में उक्त अधिनियम को प्रभावी रुप से क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 केंद्र और साथ ही राज्यों द्वारा अपने-अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के संबंध में कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में, प्रवर्तन सामान्यतः केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में पदनामित मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, जबकि राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र) के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। वे नियमित निरीक्षण करते हैं

और न्यूनतम मजदूरी के गैर भुगतान अथवा अल्प-भुगतान के किसी मामले का पता लगाने की स्थिति में, वे नियोक्ता को मजदूरी की कमी का भुगतान करने की सलाह देते हैं। गैर-अनुपालन की स्थिति में, चूककर्ता नियोक्ताओ के विरुद्ध दाण्डिक प्रावधान लागू किए जाते हैं।

राज्य क्षेत्र में अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित कोई केंद्रीकृत आंकड़ा नहीं रखा जाता। हालांकि, केन्द्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत गत तीन वर्षों के संबंध में निरीक्षणों, दावों की राशि, चूककर्ता नियोक्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण पर है।

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मूल दर को पिछली बार दिनांक 19.01.2017 को संशोधित और अधिसूचित किया गया था। मजदूरी की न्यूनतम दरों का घटक, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वी.डी.ए.), पिछली बार दिनांक 01.10.2017 को संशोधित किया गया था।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दावा मामले

वर्ष	दावे			राशि		
	अग्रेनीत	दर्ज	निर्णीत	अधिनिर्णीत	वसूली गई राशि	कामगारों को भुगतान किया गया
2015-16	3672	743	1796	66654417	44128036	34879425
2016-17	2610	1198	1138	96684922	49485990	48540964
2017-18 (दिसंबर, 2017 तक)	2617	1050	819	95757253	20697840	24866702

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18 (दिसंबर, 2017 तक)
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	9803	9151	7380
2.	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	75938	61689	62304
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	46467	53255	28884
4.	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	1549	2321	1130
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	1476	1951	1721

औद्योगिक विवादों के लंबित मामले

5743. **श्री रामा किशोर सिंहः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष औद्योगिक विवादों से संबंधित लंबित मामलों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में संवितरित मुआवजा राशि का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालयों (सीजीआई-कम-एलसी) के समक्ष लंबित औद्योगिक विवादों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कुछ औद्योगिक विवादों में सीजीआई-कम-एलसी धन संबंधी मुआवजे का अधिनिर्णय देते हैं। सीजीआईटी द्वारा दिया गया अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 क के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना के बाद प्रवर्तित होता है। तथापि, पक्षों के पास रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करके माननीय उच्च न्यायलय/उच्चतम न्यायलय के समक्ष अधिनिर्णय को चुनौती देने का विकल्प रहता है। यदि एक पक्षकार नियोक्ता अधिनिर्णय को कार्यान्वित करता है, तब अधिकरण के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट फाइल नहीं की जाती है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में सीजीआईटी-कम-एलसी और रोजगार एवं श्रम मंत्रालय के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) औद्योगिक विवादों के बैकलॉग पर काबू पाने के लिए उपचारी उपायों के रूप में सीजीआईटी-कम-एलसी में औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान हेतु दसवीं पंच वर्षीय योजना (2002-07) से "वैकल्पिक व्यथा निवारण तंत्र" के रूप में लोक अदालतें लगाने की स्कीम शुरू की गई है। इसके अलावा सीजीआईटी-कम-एलसी के पीठासीन अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के विभिन्न भागों में शिविर न्यायालय लगाते हैं, ताकि कामगारों को अपने विवादों के निपटान के लिए लम्बी यात्रा न करनी पड़े।

विवरण

संबंधित वर्ष के अंत में सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालयों में लंबित मामले

सीजीआईटी	मामले	आवेदन
2013-14		
मुंबई I	250	290
मुंबई II	470	376
धनबाद I	1,397	199
धनबाद II	781	36
आसनसोल	471	42
कोलकाता	335	124
चंडीगढ़ I	442	48
नई दिल्ली I	376	43
कानपुर	740	223
जबलपुर	1,595	171
चेन्नई	298	13
बैंगलोर	529	115
हैदराबाद	900	589
नागपुर	251	13
भुवनेश्वर	384	380
लखनऊ	514	51
जयपुर	398	111
नई दिल्ली II	551	109
गुवाहाटी	91	32
एर्नाकुलम	128	6
अहमदाबाद	2,336	1,566
चंडीगढ़ II	503	64
कुल	13740	4601
2014-15		
मुंबई I	252	288
मुंबई II	519	395
धनबाद I	1,293	82
धनबाद II	707	22
आसनसोल	419	45
कोलकाता	328	134
चंडीगढ़ I	463	24
नई दिल्ली I	689	81
कानपुर	803	155
जबलपुर	1,343	141
चेन्नई	269	15
बैंगलोर	418	147
हैदराबाद	1,001	74
नागपुर	230	15
भुवनेश्वर	422	395
लखनऊ	524	67
जयपुर	447	108

सीजीआईटी	मामले	आवेदन
नई दिल्ली ॥	607	87
गुवाहाटी	38	31
एर्नाकुलम	136	19
अहमदाबाद	2,356	1,523
चंडीगढ़ ॥	448	90
कुल	13712	3938
2015-16		
मुंबई ।	251	289
मुंबई ॥	559	464
धनबाद ।	1,193	74
धनबाद ॥	727	22
आसनसोल	351	83
कोलकाता	375	141
चंडीगढ़ ।	432	38
नई दिल्ली ।	844	105
कानपुर	840	159
जबलपुर	1,121	52
चेन्नई	244	29
बैंगलोर	450	179
हैदराबाद	1,105	74
नागपुर	288	27
भुवनेश्वर	460	412
लखनऊ	517	62
जयपुर	472	109
नई दिल्ली ॥	687	24
गुवाहाटी	37	32
एर्नाकुलम	171	28
अहमदाबाद	2,230	1,306
चंडीगढ़ ॥	510	137
कुल	13864	3846

सीजीआईटी	मामले	आवेदन
2016-17		
मुंबई ।	247	286
मुंबई ॥	507	459
धनबाद ।	1030	76
धनबाद ॥	700	22
आसनसोल	274	94
कोलकाता	376	141
चंडीगढ़ ।	606	48
नई दिल्ली ।	863	190
कानपुर	815	159
जबलपुर	874	59
चेन्नई	119	134
बैंगलोर	498	194
हैदराबाद	1061	151
नागपुर	329	30
भुवनेश्वर	448	600
लखनऊ	504	78
जयपुर	436	60
नई दिल्ली ॥	693	23
गुवाहाटी	40	33
एर्नाकुलम	159	37
अहमदाबाद	1690	1080
चंडीगढ़ ॥	529	93
कुल	12798	4047
2017-18 (फरवरी, 2018 तक)		
मुंबई ।	250	383
मुंबई ॥	477	511
धनबाद ।	860	70
धनबाद ॥	680	22

सीजीआईटी	मामले	आवेदन
आसनसोल	262	39
कोलकाता	389	143
चंडीगढ़ I	632	77
नई दिल्ली I	948	195
कानपुर	884	150
जबलपुर	1014	73
चेन्नई	1293	131
बैंगलोर	458	250
हैदराबाद	898	125
नागपुर	351	30
भुवनेश्वर	466	590
लखनऊ	516	96
जयपुर	441	49
नई दिल्ली II	680	51
गुवाहाटी	35	3
एर्नाकुलम	174	63
अहमदाबाद	1441	1115
चंडीगढ़ II	525	88
कुल	13674	4254

एफ.एस.एन.एल. की नई इकाइयां

5744. **श्री हेमन्त तुकाराम गोडसेः** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किंः

(क) क्या सरकार देश में फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ. एस.एन.एल.) के अंतर्गत कुछ नई इकाइयां स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में जनजातीय विकास कार्य

5745. **श्री राजेशभाई चुडासमाः** क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जनजाति कल्याण के संबंध में विभिन्न विकास कार्यों के लिए गुजरात राज्य सरकार से केंद्र सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उक्त प्रस्ताव में सम्मिलित योजना-वार राशि कितनी है तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रस्तावों के अभी तक लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर): (क) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत गुजरात राज्य सहित राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत् प्रक्रिया है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए परियोजना आकलन समिति (पीएसी) सहित निर्धारित तंत्र के आधार पर निधियन के लिए मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है:—

(i) संगत योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता।

(ii) गत वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियों के राज्य सरकार द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति।

(iii) पहले से ही निधिपोषित परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट।

(iv) जनजातीय लोगों के लिए उपार्जित किए जाने वाले लाभों के संबंध में परियोजना की आवश्यकता, संगतता तथा प्राथमिकता।

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विकास कार्यो/कार्यकलापों के लिए मंत्रालय की योजनाओं के तहत गुजरात राज्य सरकार को निधियां प्रदान की गई हैं। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका, कृषि, सिंचाई, आय सृजन कार्यक्रम, सड़कों का निर्माण, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा तथा संरक्षण आदि शामिल हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत जनजातीय कल्याण से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों के लिए गुजरात राज्य सरकार को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैः-

(लाख रुपये में)

योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17
जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)	10382.74	10566.50	9488.00
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	8595.45	11680.00	9739.02
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)	1091.00	898.00	779.12
जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना	1144.48	-	-
जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	-	605.76	-
जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को समर्थन	69.91	86.53	-
मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	3750.00	3745.76	80.81
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	3929.23	5520.40	22040.27
कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	1921.94	1680.77	2857.92

[हिन्दी]

उद्यमिता हेतु कार्य योजना

5746. **श्री राकेश सिंह: क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा महानिदेशालय देश में (आईटीआई) में उद्यमिता विकास और प्रशिक्षण के लिए कोई कार्य योजना तैयार कर रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा महानिदेशालय द्वारा इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को भी शामिल करने के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना में आईटीआई को शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): (क) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के तहत एक स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) ने, अखिल भारतीय स्तर पर, आईटीआइज के प्रशिक्षुओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उद्यमिता कौशल और शिक्षा के सतत विकास हेतु, दिनांक 8 फरवरी, 2018 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के तहत सहयोग के क्षेत्र निम्नलिखित हैः—

(i) उद्यमिता कौशल और शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी तथा निजी दोनों आईटीआइज के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना

(ii) आईटीआई के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए उद्यमशीलता पर 30 घंटे का पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम तैयार करना

(iii) ई-लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से आईटीआई प्रशिक्षुओं का, उद्यमशीलता अभिविन्यास

(iv) आईटीआइज के प्रशिक्षुओं के लिए उद्यमिता के अवसरों तथा कार्यक्रमों की पहचान करना

(v) कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के रूप में उद्योगों के माध्यम से कार्यशालाओं एवं इनक्यूबेशन कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग

(vi) पाठ्यक्रम डिजाइन तैयार करना और इसका आदान-प्रदान और संकाय तथा सॉफ्टवेयर का आदान-प्रदान

(vii) कौशल परिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के बीच उद्यम संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना

(viii) आईटीआइज के प्रशिक्षुओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना

(ix) उद्यमशीलता के विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई अन्य गतिविधि

(ख) और (ग) एमओयू के तहत मध्य प्रदेश राज्य सहित,

आईटीआइज के "रोजगार कौशल" के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) और एनआईईएसबीयूडी द्वारा संयुक्त रूप से पाठ्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। आईटीआइज के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु पायलट कार्यक्रम में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आईटीआइज के 43 प्रशिक्षुओं को 21 फरवरी से 26 फरवरी, 2018 तक एनआईईएसबीयूडी में आयोजित एक सप्ताह के कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।

"रोजगार कौशल" के पाठ्यक्रम में, उद्यमी कौशल संबंधी अधिक जानकारी शामिल करने के लिए आईटीआई के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु उद्यमशीलता पर 30 घंटे का पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम विकसित किया गया है।

आई.टी.पी.ओ. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधाएं

5747. **श्री भर्तृहरि महताबः**
श्री संजय धोत्रेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लोक उद्यम विभाग के एक परिपत्र के अनुसार भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई.टी.पी.ओ.) के सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन संबंधी सुविधाएं और चिकित्सीय लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त परिपत्र के बावजूद भी वहां के कर्मचारियों को चिकित्सीय लाभ की सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने की सूचना सरकार के ध्यान में आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे कर्मचारियों से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में मंत्रालय को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) आई.टी.पी.ओ. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने पर कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): (क) से (ङ) दिनांक 26.11.2008 के डीपीई का.जा.सं. 2 (70)/08-डीपीई (डब्ल्यू सी) और दिनांक 02.04.2009 के का.ज्ञा सं. 2 (70)/08-डीपीई (डब्ल्यू सी)-जीएल-VII/09 में सीपीएसई द्वारा अंगीकृत किए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ जिसमें पेंशन और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सीय लाभ स्कीम शामिल हैं, से संबंधित दिशानिर्देशों का प्रावधान है। तथापि, इन दिशानिर्देशों में यह उल्लेख है कि पेंशन और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सीय लाभ के लिए स्कीमें सीपीएसई की वहनीयता, भुगतान करने की क्षमता और संधारणीयता जैसे कारकों के अधीन होंगी।

आईटीपीओ ने निर्णय लिया है कि पुनर्विकास परियोजना में भारी वित्तीय व्यय होने तथा "लाभार्जन न करने वाली" कंपनी होने के कारण, वर्तमान में सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सीय स्कीम (पीआरएमएस) को अंगीकार नहीं किया जाएगा।

मंत्रालय को चिकित्सा लाभ की मांग करते हुए आईटीपीओ के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि यह मामला सीधे आईटीपीओ प्रशासन के दायरे में आता है, इसलिए उन अभ्यावेदनों को उन पर विचार करने एवं याचिकाकर्ताओं को उनका जवाब देने के लिए आईटीपीओ प्रशासन को भेज दिया गया है। आईटीपीओ ने सूचित किया है कि उन्होंने इस संबंध में उनके निर्णय से याचिकाकर्ताओं को विधिवत अवगत कर दिया है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

5748. **डॉ. भागीरथ प्रसादः** क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आज की तिथि तक अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कमज़ोर जनजाति निर्धारित किए जाने हेतु मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को संबंधित राज्य सरकारों से ऐसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को और अधिक अधिसूचित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) कतिपय पी.वी.टी.जी. को जैसा कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध किया गया है, को अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण, यदि कोई हों, क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में मानव विकास सूचकांक के मानदंडों के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या, रोजगार को बढ़ावा देने तथा उनको अत्याचारों से बचाने के साथ-साथ इन कल्याणकारी उपायों से जनजातीय लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर): (क) अब तक देश में 75 विशेष रूप से कमजोर

जनजातीय समूह (पीवीटीजी) अधिसूचित हैं। पीवीटीजी के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है।

(ख) पीवीटीजी के निर्धारण के लिए अपनाये गये मानदंड निम्नुसार हैं:-

(i) कृषि -पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी;

(ii) स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या;

(iii) बहुत ही कम साक्षरता; तथा

(iv) अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर

(ग) और (घ) अपने संबंधित राज्यों में पीवीटीजी के रूप में और अधिक जनजातियों को अधिसूचित कराने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति एक चालू प्रक्रिया है। राज्य सरकार से प्रस्ताव की प्राप्ति पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ङ) मंत्रालय "पीवीटीजी का विकास" नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है जो 18 राज्यों तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में अनुसूचित जनजातियों में 75 पीवटीजी को कवर करती है यह एक लचीली योजना है जो आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु पालन, संपर्क सड़कों के निर्माण, प्रकाश के उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों की स्थापना, जन श्री बीमा योजना सहित सामाजिक सुरक्षा अथवा पीवीटीजी के समग्र सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए बने किसी अन्य नवीन कार्यकलाप जैसी गतिविधियों हेतु निधियन को शामिल करती है। जनजातीय उप-योजना (टीएसएस) को विशेष केंन्द्रीय सहायता (एससीए), संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान तथा कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढीकरण की योजनाओं के तहत भी पीवीटीजी को प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)- राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पीवीटीजी का नाम
1.	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	1. बोडो गडाबा
		2. बोंडो पोरोजा
		3. चेंचू
		4. डोंगरिया खोंड
		5. गुटोब गदबा
		6. खोंड पोरोजा
		7. कोलाम
		8. कोण्डा रेड्डी
		9. कोण्डा सावरा
		10. कुटिया खोंड
		11. पारेंगी पोरोजा
		12. थोटी
2.	बिहार (झारखंड सहित)	13. असुर
		14. बिरहोर
		15. बिरजिया
		16. हिल खारिया
		17. कोरवा
		18. माल पहारिया
		19. परहाइया
		20. सौरिया पहारिया
		21. सावर
3.	गुजरात	22. कथोड़ी
		23. कोतवालिया
		24. पधार
		25. सिद्धि
		26. कोलघा
4.	कर्नाटक	27. जेनु कुरुबा
		28. कोरगा
5.	केरल	29. चोलानाइकायन (कट्टूनायकन का एक क्षेत्र)
		30. कादर
		31. कट्टूनायकन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पीवीटीजी का नाम
		32. कुरुम्बा
		33. कोरगा
6.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34. अबूझ मारिया
		35. बैगा
		36. भारिया
		37. हिल कोरबा
		38. कमार
		39. सहरिया
		40. बिरहोर
7.	महाराष्ट्र	41. कटकारिया (कथोडिया)
		42. कोलाम
		43. मारिया गोंड
8.	मणिपुर	44. मारम नागास
9.	ओडिशा	45. बिरहोर
		46. बोंडो
		47. डिडाई
		48. डोंगरिया-खोण्ड
		49. जुआंग
		50. खारिया
		51. कुटिया खोण्ड
		52. लान्जिया सौराव
		53. लोधा
		54. मनकिडिया
		55. पौड़ी भूयान
		56. साउरा
		57. चुकटिया भुंजिया
10.	राजस्थान	58. सहरिया
11.	तमिलनाडु	59. कट्टूनायकन
		60. कोटा
		61. कुरुम्बा
		62. इरुला
		63. पानियान
		64. टोडा
12.	त्रिपुरा	65. रियांग
13.	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	66. बुक्सा
		67. राजी
14.	पश्चिम बंगाल	68. बिरहोर
		69. लोधा
		70. टोटो
15.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	71. ग्रेट अण्डमानी
		72. जारवा
		73. ओंगेज
		74. सेंटेनलीज
		75. शोम पेन

स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम

5749. **डॉ. कंभमपति हरिबाबूः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ विद्यालय पहल शुरू की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वच्छ विद्यालय पहल की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त पहल से विद्यार्थियों की नामांकन संख्या में वृद्धि एवं शिक्षा परिणाम में सुधार में मदद मिली है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त पहल को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा)ः (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वच्छ विद्यालय पहल शुरू की थी जिससे स्वच्छ भारत अभियान

के अंतर्गत 15 अगस्त, 2015 तक एक वर्ष के भीतर सभी सरकारी स्कूलों में बालिकाओं और बालकों के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था की जा सके। इस पहल के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को 2,61,400 प्रारंभिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों में 4,17,796 शौचालयों का निर्माण/पुनःनिर्माण करके प्राप्त किया गया, जिसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यार्थियों के नामांकन और अधिगम परिणामों पर स्वच्छ विद्यालय पहल के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) डाटा के अनुसार, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर स्कूलों में विद्यार्थियों का कुल नामांकन 2013-14 में 25.83 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में 26.05 करोड़ हो गया है।

यह मंत्रालय, देश में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण करने के लिए, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलकर सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित करता है।

एसएसए के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न पहलों के चलते, प्रारंभिक स्तर पर समग्र शैक्षिक परिदृश्य में सुधार हुआ है। प्रारंभिक स्कूलों में कुल नामांकन 2009-10 में 18.79 करोड़ बालकों से बढ़कर 2015-16 में 19.67 करोड़ बालक हो गया। यूडीआईएसई 2015-16 के अनुसार, प्राथमिक स्तर के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 99.21% और उच्चतर प्राथमिक स्तर के लिए 92.81% है जो प्राथमिक स्तर पर व्यापक नामांकन निर्दिष्ट करता है। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में ट्रांजिशन दर में वृद्धि हुई है और यह 2009-10 में 85.17% से बढ़कर 2014-15 में 90.14% हो गई है। आरएमएसए योजना के कार्यान्वयन के जरिए, माध्यमिक स्तर पर समग्र शैक्षाणिक परिदृश्य में सुधार हुआ है, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध है:-

क्र. सं.	संकेतक	एसएसई* 2009-10	यूडीआईएसई 2015-16
1.	सकल नामांकन अनुपात (कुल)	62.90	80.01
2.	सकल नामांकन अनुपात (बालक)	66.70	79.16
3.	सकल नामांकन अनुपात (बालिकाएं)	58.70	80.97

*स्कूल शिक्षा के आंकड़े

गुणवत्तापरक शिक्षा पर फोकस करने के मद्देनजर, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के केंद्रीय नियमों में संशोधन करके इसमें कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणामों संबंधी निर्देशों को शामिल किया गया है।

13 नवंबर, 2017 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 700 जिलों में 1.10 लाख स्कूलों से कक्षा III, V और VIII के लगभग 22 लाख छात्रों के अधिगम स्तरों का मूल्यांकन किया गया था। यह सक्षमता आधारित मूल्यांकन (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार किए गए अधिगम परिणामों पर आधारित था। इसी प्रकार 5 फरवरी, 2018 को लगभग 15.5 लाख विद्यार्थियों को शामिल करते हुए कक्षा X के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। एनएएस का उद्देश्य देश में शिक्षा प्रणाली की स्थिति का पता लगाना और जिला स्तर पर अधिगम अंतरालों का पता लगाना और अधिगम परिणामों में सुधार लाने के लिए कार्यनीतियां तैयार करना था।

(घ) मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को सलाह दी है कि वे स्कूल शौचालयों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करें ताकि उन्हें कार्यात्मक रखा जा सके और/एक गहन जागरूकता अभियान के जरिए विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच व्यवहारगत बदलाव लाने के लिए कदम उठाएं ताकि स्कूल के शौचालयों का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए और उन्हें साफ तथा स्वच्छ रखा जाए। मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह भी दी है कि वे स्वच्छता पखवाड़ा, विद्यार्थी एम्बैसडर की नियुक्ति, बाल सभा/बालकों की प्रार्थना सभा में स्वच्छता गीत का गान करें, स्वच्छता दिवस मनाने, प्रत्येक स्कूल में स्वच्छता पर केंद्रित चित्रकला/चित्रकारी प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके स्कूल शिक्षा प्राधिकारणों को स्कूलों में साफ-सफाई और आरोग्यता संबंधी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करें।

स्वच्छ विद्यालय पहल के अंतर्गत अगले कदम के रूप में, मंत्रालय ने स्कूलों में स्वच्छता और आरोग्यता पद्धतियों में उत्कृष्टता को पहचानने, प्रेरित करने और उनकी सराहना करने के लिए वर्ष 2016 में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार देना शुरू किया है। एसवीपी का लक्ष्य स्वच्छता पैमाना प्राप्त करने में स्कूलों को प्रोत्साहन प्रदान करना है जिसके लिए एक स्थायी संचालनात्मक प्रक्रियाविधि जारी की गई है।

पंचायती राज मंत्रालय ने मार्च, 2016 में सभी राज्यों के पंचायती राज विभागों को अन्य बातों के साथ-साथ 14वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग करने हेतु ग्राम पंचायत विकास

योजनाएं तैयार करते हुए स्कूलों में मानदंडों और आवश्यकताओं के अनुसार शौचालयों और पेयजल प्रणाली के निर्माण, स्कूलों में मौजूदा शौचालयों और पेयजल प्रणालियों की बहाली/मरम्मत के प्रावधान शामिल करने की सलाह दी है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा विभाग), पंचायती राज मंत्रालय, और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय ने स्कूल शौचालयों की नियमित सफाई और स्कूलों में अपशिष्ट निपटान के लिए समुचित व्यवस्था शुरू करने के लिए ग्राम पंचायतों की भागीदारी और सहायता के संबंध में राज्यों को संयुक्त रूप से संबोधित भी किया है।

विवरण

स्वच्छ भारतः स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई) के अंतर्गत निर्माण किए गए स्कूल शौचालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसवीआई के अंतर्गत निर्माण/पुनः निर्माण किए गए शौचालयों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	71
2.	आंध्र प्रदेश	49,293
3.	अरुणाचल प्रदेश	3,492
4.	असम	35,699
5.	बिहार	56,912
6.	चंडीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ	16,629
8.	दादरा और नगर हवेली	78
9.	दमन और दीव	16
10.	दिल्ली	0
11.	गोवा	138
12.	गुजरात	1,521
13.	हरियाणा	1,843
14.	हिमाचल प्रदेश	1,175
15.	जम्मू और कश्मीर	16,172
16.	झारखंड	15,795
17.	कर्नाटक	649
18.	केरल	535
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	33,201
21.	महाराष्ट्र	5,586
22.	मणिपुर	1,296
23.	मेघालय	8,944
24.	मिजोरम	1,261
25.	नागालैंड	666
26.	ओडिशा	43,501
27.	पुदुचेरी	2
28.	पंजाब	1,807
29.	राजस्थान	12,083
30.	सिक्किम	88
31.	तमिलनाडु	7,926
32.	तेलंगाना	36,159
33.	त्रिपुरा	607
34.	उत्तर प्रदेश	19,626
35.	उत्तराखंड	2,971
36.	पश्चिम बंगाल	42,054
	कुल	417,796

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों को जोड़ना

5750. **श्री लखन लाल साहूः** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से राज्य में विभिन्न पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में नए पर्यटन स्थलों के विकास हेतु निधि प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): (क) से (घ) मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत देश के थीम आधारित पर्यटक परिपथों का विकास कर रहा है। योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा परियोजनाएं निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को प्रस्तुत करने, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन तथा पहले जारी निधियों के उपयोग की शर्तपर स्वीकृत की जाती हैं।

मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 में स्वदेश दर्शन थीम के जनजातीय परिपथ के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में जशपुर-कुंकरी-मैनपत-अंबिकापुर-महेशपुर - रतनपुर - कुरदार- सरोदादादर -गंगरैल कोंडगाँव-नथयानागांव - जगदलपुर - चित्रकूट - तीरथगढ़ का विकास परियोजना स्वीकृत की है। यह परियोजना कार्यान्वनाधीन है।

योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं/ निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में छत्तीसगढ़ सहित स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
वर्ष 2014-15				
1.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	अरुणाचल प्रदेश में भालुकपोंग-बोमडिला और तवांग में मेगा परिपथ का विकास	49.77
2.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	आंध्र प्रदेश में विश्व स्तरीय तटवर्ती एवं ईको पर्यटन परिपथ के रूप में काकीनाडा होप आईलैंड कोनासीमा का विकास	69.83
		2014-15 का योग		119.6
वर्ष 2015-16				
3.	मणिपुर	पूर्वोत्तर परिपथ	मणिपुर में पर्यटक परिपथ का विकासः इम्फाल-मोइरांग-खोंजोम-मोरेह	89.66
4.	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	सिक्किम में रांग्पो (प्रवेश)- रोराथांग-अरितर-फाडमचेन-नाथंग-शेराथांग-त्सोंग्मो-गंगटोक-फोडोंग-मंगन-लाचुंग-युमथांग-लाचेन-थांगू-गुरूदोंगमेर-मंगन-गंगटोक-तुमिन-लिंगी-सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास	98.05
5.	उत्तराखंड	इको परिपथ	नए गंतव्य के रूप में उत्तराखण्ड, जिला टिहरी में टिहरी झील और आसपास के विकास के लिए इको-पर्यटन, रोमांचकारी क्रीड़ा, पर्यटन से जुड़ी अवसंरचना का एकीकृत विकास	80.37

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
6.	राजस्थान	मरूस्थल परिपथ	मरूस्थल परिपथ के अंतर्गत राजस्थान में साम्भर लेक टाउन एवं अन्य गंतव्यों का विकास	63.96
7.	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	जनजातीय परिपथ पेरेन-कोहिमा-वोखा, नागालैंड का विकास	97.36
8.	मध्य प्रदेश	वन्यजीव परिपथ	मध्य प्रदेश में पन्ना-मुकुन्दपुर-संजय-डूबरी-बांधवगढ़-कान्हा-मुक्की-पेन्च में वन्यजीव परिपथ का विकास	92.22
9.	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में श्री पोट्टी श्रीरामलू नेल्लोर में तटवर्ती पर्यटन परिपथ का विकास	59.70
10.	तेलंगाना	इको परिपथ	तेलंगाना के महबूबनगर जिला में ईको पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	91.62
11.	केरल	इको परिपथ	केरल के इडुकी और पथानामथिट्टा जिलों में पथानामथिट्टा-गावी-वागमोन-थेक्काडी का ईको पर्यटन परिपथ के रूप में विकास	90.06
12.	मिजोरम	पूर्वोत्तर परिपथ	थेंजावल एवं साउथ जोट, जिला सेरचिप और रेइक, मिजोरम में स्वदेश दर्शन पूर्वोत्तर परिपथ के अंतर्गत नए इको-पर्यटन का एकीकृत विकास	94.91
13.	असम	वन्य जीव परिपथ	असम में वन्य जीव परिपथ के रूप में मानस-प्रोबितोरा-नामेरी-काजीरंगा-डिब्रू-सेखोवा का विकास	95.67
14.	पुदुचेरी	तटवर्ती परिपथ	'स्वदेश दर्शन' स्कीम के अंतर्गत पर्यटक परिपथ के रूप में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का विकास (तटवर्ती परिपथ)	85.28
15.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	अरुणाचल प्रदेश में नए रोमांचकारी पर्यटन का परिपथ एकीकृत विकास	97.14
16.	त्रिपुरा	पूर्वोत्तर परिपथ	त्रिपुरा में: अगरतला-सिपाहिजला-मेलाघर-उदयपुर-अमरपुर-तीर्थमुख-मंदिरघाट-दुम्बूर-नरिकेलकुंज-गंडाचरा-अम्बासा पूर्वोत्तर परिपथ का विकास	99.59
17.	पश्चिम बंगाल	तटवर्ती परिपथ	पश्चिम बंगाल में समुद्रतट परिपथः उदयपुर-दीघा-शंकरपुर-ताजपुर-मंदारमणि-फ्रेजरगंज-बक्खलई-हेनरी द्वीप का विकास	85.39
18.	छत्तीसगढ़	जनजातीय परिपथ	छत्तीसगढ़ में जशपुर-कुंकुरी-मैनपत-अंबिकापुर-महेशपुर-रतनपुर-कुरदार-सरोदादादर-गंगरेल-कोंडागांव-नथयानावगांव-जगदलपुर-चित्रकूट तीर्थगढ़ में जनजातीय पर्यटन परिपथ का विकास	99.94

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
19.	महाराष्ट्र	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग तटवर्ती परिपथ का विकास	82.17
		2015-16 का योग		1503.09
वर्ष 2016-17				
20.	गोवा	तटवर्ती परिपथ	गोवा में तटवर्ती परिपथ (सिंक्वेरियम-बागा-अंजुना-वेगेटर-मोरजिम-केरी-अगौदा किला और अगौदा जेल) का विकास।	99.99
21.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं का एकीकृत विकास	82.97
22.	तेलंगाना	जनजातीय परिपथ	तेलंगाना में मुलुगु-लकनावरम-मेदावरम-तडवई-दमारवी-मल्लूर-बोगाथा जलप्रपात का जनजातीय परिपथ के रूप में एकीकृत विकास	84.40
23.	मेघालय	पूर्वोत्तर परिपथ	उमियम (लेक-व्यू) यूलुम-सोहपेटबनेंग-मावडियांगडियांग-आर्किड लेक रिजार्ट, मेघालय का विकास	99.13
24.	मध्य प्रदेश	बौद्ध परिपथ	मध्य प्रदेश में सांची-सतना-रीवा-मंदसौर-धार में बौद्ध-परिपथ का विकास	74.94
25.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	पाथानामथिट्टा जिला, केरल में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में सबरीमाला-एरुमेलि-पम्पा-सन्नीधानम का विकास	99.99
26.	कर्नाटक	तटवर्ती परिपथ	कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिला, उत्तर कन्नड़ जिला एवं उडुपी जिला में तटीय परिपथ का विकास	95.67
27.	मणिपुर	आध्यात्मिक परिपथ	आध्यात्मिक परिपथ-श्रीगोविंदजी मंदिर-श्रीबिजय गोविंदजी मंदिर-श्रीगोपीनाथ मंदिर-श्रीबंगशीबोदन मंदिर-श्रीकैना मंदिर, मणिपुर का विकास	53.80
28.	गुजरात	विरासत परिपथ	गुजरात में अहमदाबाद-राजकोट-पोरबंदर-बारदोली-दांडी में विरासत परिपथ का विकास	93.48
29.	हरियाणा	कृष्ण परिपथ	कुरुक्षेत्र, हरियाणा में महाभारत से संबंधित स्थानों में पर्यटन अवसंरचना विकास	97.35
30.	राजस्थान	कृष्ण परिपथ	राजस्थान में गोविन्द देव जी मंदिर (जयपुर), खाटूश्याम जी (सीकर) और नाथद्वारा (राजसमंद) का एकीकृत विकास	91.45
31.	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	सिक्किम में सिंगतम-माका-तेमी-बेरमोइक तोकल-फोंगिया-नामची-जोरथांग-ओकारे-सोमबारिया-दरमदीन-जोरेथांग-मेली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ विकास	95.32

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
32.	मध्य प्रदेश	विरासत परिपथ	विरासत परिपथ का विकास (ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो-चंदेरी-भीमबेटका-मांडु) मध्य प्रदेश का विकास	99.77
33.	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	केरल में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में श्री परिपथ पदमनाभ अरनामुला-सबरीमाला का विकास	92.44
34.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	बिहार में आध्यात्मिक परिपथ के रूप में जैन परिपथ परिपथः वैशाली-आरा-मसाद-पटना-राजगीर पावापुरी-चंपापुरी का विकास	52.39
35.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	बिहार में आध्यात्मिक परिपथ के अंतर्गत कांवड़िया रूट, सुल्तानगंज-धर्मशाला-देवघर का एकीकृत विकास	52.35
36.	ओडिशा	तटवर्ती परिपथ	ओडिशा में तटवर्ती परिपथ के रूप में गोपालपुर, बारकुल, सतपदा और तंपारा का विकास	76.49
37.	नगालैंड	जनजातीय परिपथ	नागालैंड में जनजातीय परिपथ का विकास (मोकोकचुंग-तुएनसांग-मोन)	99.67
38.	उत्तराखंड	विरासत परिपथ	उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में कटारमल-जोगेश्वर-बैजनाथ-देवीधुरा विरासत परिपथ का एकीकृत विकास	81.94
39.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू एवं कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत जम्मू-राजौरी-शोपियन-पुलवामा में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.38
40.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू -कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 2014 में आई बाढ़ में हुई तबाही के एवज में परिसंपत्तियों के निर्माण के तहत पर्यटन सुविधाओं का एकीकृत विकास	98.70
41.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत मंतालाई-सुधमहादेव-पटनीटॉप में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	97.82
42.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत अनंतनाग-किश्तवार-पहलगाम-दकसुम रंजीत सागर बांध पर पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.39
43.	जम्मू और कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू और कश्मीर में हिमालयन परिपथ थीम के तहत गुलमर्ग-बारामुला-कुपवाड़ा-लेह परिपथ पर पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास	96.93

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
44.	उत्तर प्रदेश	बौद्ध परिपथ	उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, कुशीनगर एवं परिपथ कपिलवस्तु में बौद्ध परिपथ का विकास	99.97
45.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	उत्तर प्रदेश में चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का रामायण परिपथ के रूप में विकास	69.45
46.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तटवर्ती थीमैटिक परिपथ के तहत अंडमान और निकोबार में तटवर्ती परिपथ का विकास (लांग आईलैंड-रास स्मिथ आईलैंड-नील आईलैंड-हैवलॉक आईलैंड-वाराटांग आईलैंड-पोर्ट ब्लेयर)	42.19
47.	तमिलनाडु	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत तमिलनाडु में तटवर्ती परिपथ का विकास (चैन्नई मामल्लापुरम-रामेश्वरम-मन्नपदु-कन्याकुमारी)	99.92
48.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	आध्यात्मिक परिपथ का विकास (शाहजहांपुर-बस्ती-अहर-अलीगढ़-कासगंज-सरोसी-प्रतापगढ़ उन्नाव-कौशाम्बी-मिर्जापुर-गोरखपुर-कैराना-डुमरियागंज-बागपत-बाराबंकी-आजमगढ़)	76.00
49.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक परिपथ-II का विकास (बिजनौर-मेरठ-कानपुर-कानपुर देहात-बांदा-गाजीपुर-सलेमपुर-धोसी-बलिया-अम्बेडकर नगर-अलीगढ़-फतेहपुर-देवरिया-महोबा-सोनभद्र-चन्दौली-मिश्रिख-भदोही)	62.96
50.	उत्तर प्रदेश	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में विरासत परिपथ (कालिंजर किला (बांदा)-मरहर धाम (संतकबीर नगर)-चौरी चौरा, शहीद स्थल (फतेहपुर)-मावाहर स्थल (घोसी)- शहीद स्मारक (मेरठ) का विकास	41.51
51.	बिहार	बौद्ध परिपथ	बौद्ध परिपथ का विकास-बोधगया, बिहार में, सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण	98.73
52.	असम	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत असम में विरासत परिपथ के रूप में तेजपुर-माजुली-सिबसागर का विकास	98.35
53.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हिमालयन परिपथ का एकीकृत विकास	99.76
54.	मिजोरम	इको परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ थीम के तहत "इको-रोमांचकारी परिपथ आइजवाल-रॉपुइछिप-खॉहफॉव-लेंगपुर-डर्टलॉग-चतलांग-सकव्रवमुईट्वेट-लॉग-मुथी-बेराटलॉग-तुइरियाल एयर फील्ड-मुईफॉग" का विकास	99.07

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
55.	राजस्थान	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान में आध्यात्मिक परिपथ-चुरू (सालासर बालाजी)-जयपुर (श्री समोदे बालाजी, घटके बालाजी, बांधेके बालाजी)-अलवर (पांडुपोल हनुमानजी, भरतहरि)-विराटनगर (बीजक, जैन्नासिया, अम्बिका मंदिर)-भरतपुर (कमान क्षेत्र)-धौलपुर (मुचकुंद)-मेहंदीपुर बालाजी-चित्तौड़गढ़ (साँवलियाजी) का विकास	93.90
56.	गुजरात	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुजरात में विरासत परिपथ : वाडनगर-मोधरा और पाटन का विकास	99.81
		2016-17 का योग		3191.38
वर्ष 2017-18				
57.	बिहार	ग्रामीण परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के ग्रामीण परिपथ थीम के अंतर्गत बिहार में गांधी परिपथः भितिहरवा-चन्द्रहिया- तुरकौलिया का विकास	44.65
58.	गोवा	तटवर्ती परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत गोवा में तटवर्ती परिपथ II: रूआ दि ओरम क्रीक-डोन पौला-कोलवा-बेनौलिम का विकास	99.35
59.	गुजरात	बौद्ध परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुजरात में बौद्ध परिपथः जूनागढ़-गिर-सोमनाथ-भड़ूच-कच्छ-भावनगर-राजकोट-मेंहसाणा का विकास	35.99
60.	पुदुचेरी	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुदुचेरी में विरासत परिपथ का विकास	66.35
61.	पुदुचेरी	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुदुचेरी में आध्यात्मिक परिपथ का विकास	40.68
62.	राजस्थान	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में विरासत परिपथः राजसमंद (कुंभलगढ़ का किला)-जयपुर (नाहरगढ़ का किला)-अलवर (बाला किला)-सवाई माधोपुर (रणथम्बौर का किला और खण्डार किला)-झलावड़-(गागरों का किला)-चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ़ का किला) जैसलमेर (जैसलमेर का किला)-हनुमानगढ़ (कालीबंगन, भटनेर किला और गोगामेड़ी)-जलोड़ (जलोड़ का किला)-उदयपुर (प्रताप गौरव केन्द्र)-धौलपुर (बाग ई-निलोफर और पुरानी छावनी)-नागौर (मीराबाई मंदिर) का विकास।	99.60

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिपथ का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
63.	तेलंगाना	विरासत परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत तेलंगाना में विरासत परिपथः कुतुब शाही विरासती पार्क-पाइगाह का मज़ार-हयात बक्शी की मस्जिद रिमण्ड की मज़ार का विकास।	99.42
64.	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	स्वदेश योजना के आध्यात्मिक परिपथ थीम के तहत मंदार पहाड़ी एवं अंग प्रदेश का विकास।	53.49
65.	मध्य प्रदेश	इको परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के इको परिपथ थीम के तहत गांधीसागर बांध-मण्डलेश्वर बांध-ओंकारेश्वर बांध-इन्दिरा सागर बांध-तवा बांध-बारगी बांध-भेड़ा घाट-बनसागर बांध-केन नदी का विकास।	99.62
66.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ थीम के अंतर्गत अयोध्या का विकास।	133.31
67.	आंध्र प्रदेश	बौद्ध परिपथ	स्वदेश दर्शन योजना के बौद्ध परिपथ थीम के तहत आंध्र प्रदेश में बौद्ध परिपथः शलिहुण्डम-थोटलाकोण्डा-बावीकोण्डा-बोज्जनाकोण्डा-अमरावती-अनुपू का विकास।	52.34
	2017-18 का योग			824.8
	अब तक का कुल योग			5638.87

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।
(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई)*

(इस समय श्रीमती वी. सत्यबामा, श्री पी. आर. सुंदरम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना अनिवार्य नहीं है। इसलिए मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएगे।

...(व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान)ः मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँः—

(1). (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9035/16/18]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँः–

(1) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9036/16/18]

(2) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9037/16/18]

...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँः–

राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2017-2018 की तीसरी तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9038/16/18]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँः–

(1) (एक) सर्व शिक्षा अभियान पंजाब, एसएएसनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान पंजाब, एसएएसनगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9039/16/18]

(3) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चंडीगढ़, के वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चंडीगढ़, के वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9040/16/18]

(5) (एक) महिला सामाख्या कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला सामाख्या कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शान वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9041/16/18]

(7) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गोवा, एल्टो पोर्वोरिम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शान वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9042/16/18]

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) (एक) ईओयू और सेज के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईओयू और सेज के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9043/16/18]

(3) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत इलायची (अनुज्ञापन एवं विपणन) संशोधन नियम, 2018 जो 9 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 215(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9044/16/18]

(4) (एक) मैसर्स आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर, जमशेदपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैसर्स आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर, जमशेदपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9045/16/18]

(6) (एक) मैसर्स चंदेरी डेवलमपेन्ट सोसाइटी फॉर हैण्डलूम वीवर्स समिति, चंदेरी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैसर्स चंदेरी डेवलपमेन्ट सोसाइटी फॉर हैण्डलूम वीवर्स समिति, चंदेरी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9046/16/18]

(8) (एक) नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, जी.बी. नगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, जी.बी. नगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9047/16/18]

(10) (एक) फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9048/16/18]

(12) (एक) एसईईपीजेड सेज अथॉरिटी, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसईईपीजेड सेज अथॉरिटी, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9049/16/18]

(14) (एक) विशाखापट्टनम स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, विशाखापट्टनम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापट्टनम स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, विशाखापट्टनम के वर्ष 2016-2017 की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9050/16/18]

(15) (एक) कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन्स, ट्रेड मार्क्स एण्ड जियोग्राफिकल इंडीकेशंस कार्यालय, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन्स, ट्रेड मार्क्स एण्ड जियोग्राफिकल इंडीकेशंस कार्यालय, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9051/16/18]

(17) (एक) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9052/16/18]

(19) (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेन्ट एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन ट्रस्ट (पूर्ववर्ती दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन ट्रस्ट फंड), नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेन्ट एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन ट्रस्ट (पूर्ववर्ती दिल्ली मुंबई

इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन ट्रस्ट फंड), नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9053/16/18]

(21) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) गैस सिलिण्डर (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 231(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गैस सिलिण्डर (संशोधन) नियम, 2018 जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 189(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9054/16/18]

...*(व्यवधान)*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँः—

(1) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9055/16/18]

(3) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9056/16/18]

(5) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9057/16/18]

(7) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर, बंगलुरु के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर, बंगलुरु के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9058/16/18]

(9) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9059/16/18]

(11) (एक) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) औरोविले फाउंडेशन, औरोविले के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9060/16/18]

(12) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9061/16/18]

(14) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कानपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कानपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9062/16/18]

(16) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9063/16/18]

(18) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9064/16/18]

(20) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9065/16/18]

(22) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9066/16/18]

(24) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल, वारंगल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल, वारंगल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9067/16/18]

(26) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9068/16/18]

(28) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरतकाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरतकाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9069/16/18]

(30) (एक) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9070/16/18]

(32) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9071/16/18]

(34) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, कचार के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, कचार के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9072/16/18]

(36) (एक) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9073/16/18]

(38) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017 (प्रथम संशोधन) जो 11 अक्तूबर 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं 2-4/2015 (डीईबी-III) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017 जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 2-4/2015 (डीईबी-III) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ अधिगम) दूसरा संशोधन विनियम, 2018 जो 6 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 2-4/2015 (डीईबी-III) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9074/16/18]

(39) (एक) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, हावड़ा के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, हावड़ा के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9075/16/18]

(41) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिशशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिशशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9076/16/18]

(43) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पूर्व क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पूर्व क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9077/16/18]

(45) (एक) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9079/16/18]

(49) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9080/16/18]

(51) (एक) राजीव गांधी भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9081/16/18]

(53) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान,

कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9082/16/18]

(55) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9083/16/18]

(57) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9084/16/18]

(59) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9085/16/18]

(61) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9086/16/18]

(63) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर,

गांधीनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9087/16/18]

(65) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9088/16/18]

(67) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9089/16/18]

(69) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9090/16/18]

(71) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9091/16/18]

(73) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9092/16/18]

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): मैं, श्री अरुण जेटली की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:–

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं. 37/2018-सी.शु. से 40/2018-सी.शु. जो 2 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय सेल्युलर मोबाइल फोनों के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेम्बली, कैमरा मोड्यूल और कनेक्टरों पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) पर दी जाने वाली छूट वापिस लेना है और उन पर 10 प्रतिशत बीसीडी अधिरोपित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9093/16/18]

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अधिसूचना सं. 36/2018-सी शु. जो 2 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की धारा 8क (1) के अंतर्गत टैरिफ मद 8517 70 10 के अंतर्गत आने वाले, पापुलेटिड, लोडिड और स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर बीसीडी टैरिफ दर को शून्य से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9094/16/18]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मद संख्या 8 - श्री विनोद कुमार सोनकर - उपस्थित नहीं। श्री दुष्यंत चौटाला - उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम): मैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

[अनुवाद]

(दो) (क) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 229वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): मैं पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 229वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

(ख) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एलटी 9095/16/18

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एलटी 9096/16/18

कार्यवाही के बारे में समिति के 239वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलफोन्स कन्ननथनम): मैं पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 239वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री वाई. वी. सुब्बा रेड्डी, थोटा नरसिम्हम, एन.के. प्रेमचन्द्रन, मेकापति राज मोहन रेड्डी, पी.वी. मिदून रेड्डी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पी. के. कुनहलिकुट्टी, श्रीनिवास केसिनेनी, राम मोहन नायडू किंजरापु, श्रीमती रेणुका बुत्ता, सर्वश्री असादुद्दीन ओवैसी और सी.एन. जयदेवन से मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः मुझे इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाना होगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्षः मुझे यह रखना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एलटी 9097/16/18

माननीय अध्यक्षः मुझे नो कान्फिडेंस मोशन रखना है। कृपया मुझे रखने दे।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः ऐसे माहौल में मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आप हाउस को थोड़ा ऑर्डर में लाओ।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, कृपया मेरी बात सुने और अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्षः आप ऐसा नहीं कर सकते है। हर प्रदेश अपनी समस्या को लेकर ऐसा करना शुरू करे तो यह अच्छा नहीं है। [अनुवाद] माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः मैं सदस्यों की गणना नहीं कर पाऊंगी मुझे गणना करनी है। सरकार भी इसके लिए तैयार है तो आप अपने-अपने स्थान पर वापस क्यों नहीं जा रहे है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः कृपया ऐसा न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्षः ऐसे मुझे दिखाने से कुछ नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकू कि कितने सदस्य खड़े हैं और क्या वे अपने निर्धारित स्थानों या अपने नंबरों पर खड़े हैं। मुझे उनकी गिनती करनी है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः अन्य सदस्य अपने स्थानों पर बैठे हैं। आपको उनके साथ बैठना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं। आप यहां क्यों खड़े हैं?

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः यह उचित नहीं हैं। मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी, आप बोलेंगे तो इनको भी बोलने देना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनंतकुमार): अध्यक्ष महोदया, अगर कोई इस अविश्वास प्रस्ताव में बाधा डाल रहा है, तो यह मुख्य विपक्षी पार्टी, कांग्रेस पार्टी है। ...*(व्यवधान)* वे बाधा डाल रहे हैं। उन्हें चुपचाप बैठना चाहिए था और जब आप अपनी तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाएं, तो वे उठ सकते हैं और अपना हाथ दिखा सकते हैं। ...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है, महोदया! ...*(व्यवधान)* वे पिछले 70 सालों से इस सदन में हैं, लेकिन पहले दिन से वे सदन की पूरी कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं अपने सभी एआईएडीएमके के साथियों से अनुरोध करता हूं कि हम सभा में पूरी तरह से व्यवस्था चाहते हैं ताकि हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हो सकें। ...*(व्यवधान)* हमें सभा के अंदर और सभा के बाहर दोनों जगह विश्वास है। ...(व्यवधान) मोदी सरकार को भारत के लोगों में पूर्ण विश्वास है। कोई समस्या नहीं है। ...*(व्यवधान)* हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन, वे अनुमति नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)* [हिन्दी] हम इंतजार में हैं। ...*(व्यवधान)* अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए, जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। ...*(व्यवधान)* मैं एक बार और सबसे गुज़ारिस करूंगा कि वे अपने-अपने स्थानों पर जाएं और हाउस को ऑर्डर में लेकर आएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्षः आप भी ला सकते हैं 'नो कॉन्फीडेंस मोशन' यह क्या है?

....*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः यह नई पद्धति है। मैं कुछ नहीं देख पा रही हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्षः खड़गे जी, आप क्या कह रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.11 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम स्पीकर, मैं कृपा करके आपसे कहता हूं कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। आप 'नो कॉन्फीडेंस मोशन' के लिए कुछ कीजिए। ...*(व्यवधान)* एस.सी./एस.टी. एक्ट की एक प्रॉब्लम है। उसी के साथ पेपर लीक का मामला है। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः हमें सब मालूम है।

....*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, इतनी समस्याएं हमारे सामने हैं। ...*(व्यवधान)* अगर हमें उन समस्याओं को हल करना है तो आप 'नो कॉन्फीडेंस मोशन' को डिस्कशन के लिए लीजिए। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः मैं इसे लेने को तैयार हूं, पर आप सभी लोग अपनी सीटों पर जाएं। यहां सब लोग खड़े हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता है, ऐसे तो मैं काउंट नहीं कर सकती। [अनुवाद] आपको अपने-अपने स्थान पर वापस जाना होगा। कृपया सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्षः देखिए, ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं। मेरी राइट साइड में लोग शांति से बैठे हुए हैं। [अनुवाद] वे तैयार है। [हिन्दी] आप भी बैठ जाइए न!

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः आप ऐसा क्यों करते हैं? आप भी हल्ला कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः मुझे खेद है। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम स्पीकर, खड़गे जी ने एस.सी./एस.टी. एट्रॉसिटीज एक्ट के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में बताया, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हकों की सुरक्षा के समर्थन में सौ फीसदी है। ...*(व्यवधान)* उन पर कोई एट्रॉसिटीज नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* यदि एट्रॉसिटीज होगी तो अभी जैसे उनके लिए प्रोटेक्शन है, वह प्रोटेक्शन कंटीन्यू होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* इसलिए, हम उच्चतम न्यायालय में रिवीजन पेटीशन भी दाखिल कर चुके हैं। ...*(व्यवधान)* हमने पहले ही पुनर्विलोकन याचिका दायर कर दी है ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः इस तरीके से तो नहीं हो सकता।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मननीय अध्यक्षः मुझे खेद है। सभा में व्यवस्था नहीं है। [हिन्दी] लोगों को ये सब दिखादए। इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। [अनुवाद] चूँकि, सभा में व्यवस्था नहीं हैं। इसलिए मैं सभा के समक्ष सूचनाएं लाने में सक्षम नहीं हूँ। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः सभा मंगलवार 3 अप्रैल, 2018 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र 1940 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. स.	सदस्य	प्रश्न संख्या
1.	डा. के. गोपाल श्री सी. गोपालकृष्णन	481
2.	श्री जी. हरि	482
3.	एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर	483
4.	श्री रायपति सम्बासिवा राव	484
5.	श्री पी. के. कुनहलिकुट्टी	485
6.	कुँवर हरिवंश सिंह श्री नारणभाई काछड़िया	486
7.	श्री प्रेम दास राई	487
8.	श्री ओम बिरला श्री वी. एलुमलाई	488
9.	डॉ. प्रभास कुमार सिंह	489
10.	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	490
11.	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	491
12.	श्री एम. चन्द्राकाशी	492
13.	श्री रामचरण बोहरा	493
14.	श्री रामचरित्र निषाद	494
15.	श्री संजय धोत्रे श्री भर्तृहरि महताब	495
16.	डॉ. शशि थरूर	496
17.	श्री आर. ध्रुवनारायण डॉ. संजय जायसवाल	497
18.	श्री सी. महेंद्रन	498
19.	श्री रामा किशोर सिंह श्री सुशील कुमार सिंह	499
20.	श्री रोड़मल नागर	500

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य	प्रश्न संख्या
1.	श्री दिव्येन्दु अधिकारी	5545, 5698
2.	डॉ. रघु शर्मा	5636
3.	डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	5651, 5688
4.	श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव	5620, 5639, 5683
5.	श्री शिशिर कुमार अधिकारी	5559, 5704
6.	श्री आनन्दराव अडसुल	5639, 5650, 5652
7.	श्रीमती संतोष अहलावत	5686
8.	श्री बदरुद्दीन अजमल	5593
9.	श्री एंटो एन्टोनी	5601
10.	श्री ए. अरुणमणिदेवन	5579, 5724
11.	श्री के. अशोक कुमार	5630, 5652
12.	श्री कीर्ति आजाद	5563, 5662
13.	श्री बी. सेनगुट्टुवन	5574, 5714
14.	श्री बी. श्रीरामुलु	5566, 5640
15.	श्री जार्ज बेकर	5546, 5621, 5684
16.	श्रीमती अंजू बाला	5566, 5640, 5708
17.	श्री बलका सुमन	5643
18.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	5620, 5650, 5652, 5683
19.	श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	5660
20.	डॉ. भागीरथ प्रसाद	5615, 5748
21.	श्री पी.के. बिजू	5530, 5691
22.	श्री ओम बिरला	5723
23.	श्री राधेश्याम विश्वास	5567
24.	श्री बोधसिंह भगत	5580
25.	श्री सी. गोपालकृष्णन	5712

क्र. सं.	सदस्य	प्रश्न संख्या
26.	कर्नल सोना राम चौधरी	5552
27.	श्री निहाल चन्द	5663
28.	कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल	5576
29.	श्री एम. चन्द्राकाशी	5741
30.	श्री बी. एन. चन्द्रप्पा	5529
31.	श्री पंकज चौधरी	5672
32.	श्री देवुसिंह चौहान	5541, 5605
33.	श्री दुष्यंत चौटाला	5622
34.	श्री अशोक शंकरराव चव्हाण	5626, 5677, 5680
35.	श्री विनोद लखमाशी चावड़ा	5604, 5605
36.	श्री राम टहल चौधरी	5603
37.	श्री राजेशभाई चुड़ासमा	5577, 5579, 5598, 5745
38.	कुमारी सुष्मिता देव	5616
39.	श्रीमती रमा देवी	5603
40.	श्री संजय धोत्रे	5679, 5742, 5747
41.	श्री आर. ध्रुवनारायण	5721
42.	श्री राजेश कुमार दिवाकर	5600
43.	श्री निशिकान्त दुबे	5596, 5684
44.	श्री निनोंग इरिंग	5634
45.	प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़	5542, 5697
46.	श्री सुनील बलीराम गायकवाड़	5678
47.	श्री गजानन कीर्तिकर	5626, 5677, 5680
48.	डॉ. हिना विजयकुमार गावीत	5532, 5612, 5668, 5681, 5682
49.	एडवोकेट जोएस जॉर्ज	5551, 5734
50.	श्री महेश गिरी	5538, 5695
51.	श्री गोडम नगेश	5646
52.	श्री गौरव गोगोई	5624

क्र. सं.	सदस्य	प्रश्न संख्या
53.	डॉ. के. गोपाल	5736
54.	डॉ. बूरा नरसैय्या गौड़	5525, 5738
55.	श्री सुधीर गुप्ता	5626, 5677, 5678, 5680
56.	श्री रामचन्द्र हॉसदा	5633
57.	श्री जी. हरि	5716
58.	डॉ. कंभमपति हरिबाबू	5607, 5749
59.	डॉ. अनुपम हाजरा	5555, 5610
60.	श्री संजय हरिभाऊ जाधव	5635
61.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	5522, 5718
62.	श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया	5654
63.	डॉ. जे. जयवर्धन	5532, 5612, 5668, 5681, 5682
64.	श्री रवीन्द्र कुमार जेना	5666
65.	श्री प्रह्लाद जोशी	5664
66.	श्री नारणभाई काछड़िया	5626, 5677, 5678, 5680
67.	श्रीमती कविता कलवकुंतला	5668
68.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	5661
69.	श्री राहुल कस्वां	5557
70.	श्री रत्न लाल कटारिया	5629
71.	श्री नलीन कुमार कटील	5570, 5676, 5711
72.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	5526
73.	श्री रमेश चन्द्र कौशिक	5534
74.	श्रीमती रक्षाताई खाडसे	5544, 5686
75.	श्री चन्द्रकान्त खैरे	5592, 5729
76.	श्रीमती किरण खेर	5606
77.	श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	5561
78.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	5659
79.	श्रीमती कोथापल्ली गीता	5521, 5696

क्र. सं.	सदस्य	प्रश्न संख्या
80.	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	5619
81.	श्री बी. विनोद कुमार	5623
82.	श्री संतोष कुमार	5609, 5625, 5685, 5687
83.	श्री पी. कुमार	5631
84.	श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया	5618
85.	श्रीमती मीनाक्षी लेखी	5562, 5705
86.	श्री सदाशिव लोखंडे	5582, 5659, 5732
87.	श्री एम. उदयकुमार	5565, 5707
88.	श्रीमती पूनमबेन माडम	5569
89.	श्री धनंजय महाडीक	5532, 5668, 5675
90.	डॉ. बंशीलाल महतो	5688
91.	श्री विद्युत वरण महतो	5626, 5677, 5678, 5680
92.	श्री सी. महेन्द्रन	5551, 5710
93.	श्री भर्तृहरि महताब	5679, 5742, 5747
94.	श्री बलभद्र माँझी	5619
95.	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	5649
96.	श्री जोस के. मणि	5533, 5688, 5693
97.	श्रीमती के. मरगथम	5548, 5699
98.	श्री अर्जुन लाल मीणा	5581, 5659, 5731
99.	श्री हरीश मीना	5674
100.	श्री भैरों प्रसाद मिश्र	5549
101.	श्री अनूप मिश्रा	5553
102.	श्री पी.सी. मोहन	5602, 5730
103.	श्री एम. मुरली मोहन	5702
104.	श्री सुनील कुमार मण्डल	5594
105.	श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा	5558, 5577, 5722

क्र. सं.	सदस्य	प्रश्न संख्या
106.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	5590, 5680
107.	श्री रोड़मल नागर	5727
108.	श्री पी. नागराजन	5591
109.	श्री बी.वी. नाईक	5558
110.	श्री कमल नाथ	5667
111.	श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी	5524
112.	श्री अशोक महादेवराव नेते	5599, 5732, 5733
113.	श्री मानशंकर निनामा	5651, 5656, 5688
114.	श्री अजय निषाद	5636, 5645
115.	श्री राम चरित्र निषाद	5701
116.	श्री असादुद्दीन ओवैसी	5668
117.	श्रीमती कमला पाटले	5527, 5720
118.	श्री जगदम्बिका पाल	5584
119.	श्री हरि ओम पाण्डेय	5609, 5625
120.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	5535
121.	श्री के. परसुरमन	5523, 5642, 5690
122.	श्री आर. पार्थिपन	5575, 5656, 5735
123.	श्री देवजी एम. पटेल	5540, 5686
124.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	5583, 5725
125.	श्रीमती रीती पाठक	5537, 5624
126.	श्री ए.टी. नाना पाटील	5686
127.	श्री भीमराव बी. पाटील	5670
128.	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	5740
129.	श्री के. आर. पी. प्रभाकरन	5547
130.	श्री कृष्ण प्रताप	5655
131.	श्री ए. अनवर राजा	5626, 5677, 5678, 5680
132.	श्री टी. राधाकृष्णन	5626, 5677, 5678, 5680

क्र. सं.	सदस्य	प्रश्न संख्या
133.	डॉ. उदित राज	5536, 5694
134.	श्री राजन विचारे	5613
135.	श्री हरिनरायन राजभर	5528
136.	श्री एम.बी. राजेश	5556, 5703
137.	श्री सी.एस. पुट्टा राजू	5597, 5722, 5732
138.	श्री जनक राम	5642
139.	श्री विष्णु दयाल राम	5648
140.	श्री रायपति सम्बासिवा राव	5738
141.	श्री डी.एस. राठौड़	5605, 5647
142.	श्री हरिओम सिंह राठौर	5685
143.	श्री रामसिंह राठवा	5589, 5728
144.	डॉ. रत्ना डे (नाग)	5609, 5625, 5685, 5687
145.	श्री विनायक भाऊराव राऊत	5620, 5652, 5683
146.	श्री परेश रावल	5604, 5605
147.	श्री पार्थ प्रतिम राय	5554
148.	श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी	5671
149.	श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी	5640, 5686
150.	श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी	5670
151.	श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी	5588
152.	प्रो. सौगत राय	5610, 5627
153.	श्री राजीव प्रताप रूडी	5628
154.	श्री लखन लाल साहू	5617, 5750
155.	श्री चंदूलाल साहू	5686
156.	श्री ताम्रध्वज साहू	5560
157.	डॉ. ए. सम्पत	5524, 5719
158.	डॉ. ममताज संघमिता	5609, 5625, 5685, 5687
159.	श्री नव कुमार सरनीया	5578

क्र. सं.	सदस्य	प्रश्न संख्या
160.	श्री राजीव सातव	5532, 5612, 5675, 5681, 5682
161.	एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर	5737
162.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	5616, 5624, 5667
163.	श्री मोहिते पाटिल विजय सिंह शंकरराव	5532, 5612, 5668, 5675, 5681
164.	श्री राम कुमार शर्मा	5636, 5665
165.	श्री राम स्वरुप शर्मा	5611
166.	श्री राजू शेट्टी	5657
167.	श्री गोपाल शेट्टी	5571, 5732
168.	श्री राहुल शेवाले	5679, 5742
169.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे	5620, 5650, 5652, 5683
170.	श्री अनिल शिरोले	5546, 5621, 5684
171.	डॉ. भारतीबेन डी. श्याल	5662
172.	श्री जी.एम. सिद्देश्वरा	5564, 5706
173.	श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	5586
174.	श्री प्रताप सिम्हा	5539
175.	श्री गणेश सिंह	5608
176.	श्री राकेश सिंह	5614, 5746
177.	श्री अभिषेक सिंह	5572, 5713
178.	कुंवर हरिवंश सिंह	5626, 5677, 5678, 5680
179.	श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा	5587
180.	श्री रामा किशोर सिंह	5743
181.	प्रो. साधु सिंह	5644
182.	श्री सुशील कुमार सिंह	5689
183.	डॉ. प्रभास कुमार सिंह	5739
184.	श्री सुनील कुमार सिंह	5669

क्र. सं.	सदस्य	प्रश्न संख्या
185.	श्री उदय प्रताप सिंह	5638
186.	डॉ. किरिट पी. सोलंकी	5637
187.	डॉ. किरीट सोमैया	5550, 5700
188.	श्रीमती नीलम सोनकर	5673, 5686, 5688
189.	श्रीमती सुप्रिया सुले	5532, 5612, 5675, 5681, 5682
190.	श्री पी.आर. सुन्दरम	5532, 5612, 5675, 5681, 5682
191.	श्री डी.के. सुरेश	5570, 5676
192.	श्री रामदास सी. तडस	5595
193.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा	5632
194.	श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर	5543
195.	श्री अजय मिश्रा टेनी	5546
196.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	5653
197.	डा. शशि थरुर	5715

क्र. सं.	सदस्य	प्रश्न संख्या
198.	प्रो. के.वी. थॉमस	5641
199.	श्री मनोज तिवारी	5685, 5687
200.	श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे	5573, 5744
201.	श्री वी. एलुमलाई	5717
202.	श्रीमती एम. वसन्ती	5658
203.	श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा	5546, 5621, 5684
204.	श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू	5568, 5709
205.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	5531, 5692
206.	श्रीमती रेखा वर्मा	5585, 5726
207.	श्री एस. आर. विजय कुमार	5626, 5677, 5678, 5680
208.	श्री धर्मेन्द्र यादव	5620, 5650, 5652, 5683
209.	श्री तेज प्रताप सिंह यादव	5566, 5640

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	483, 487
संस्कृति	:	492
मानव संसाधन विकास	:	481, 482, 485, 488, 497, 498
श्रम और रोजगार	:	486, 489, 491, 493, 496
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	495, 499
कौशल विकास और उद्यमशीलता	:	
इस्पात	:	
पर्यटन	:	484, 490, 494, 500.
जनजातीय कार्य	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	5528, 5533, 5541, 5542, 5553, 5556, 5557, 5597, 5600, 5601, 5611, 5613, 5616, 5626, 5627, 5630, 5632, 5640, 5642, 5644, 5645, 5665, 5678, 5684, 5707, 5734, 5735, 5747
संस्कृति	:	5535, 5538, 5545, 5554, 5562, 5566, 5574, 5576, 5584, 5587, 5593, 5596, 5609, 5623, 5685, 5698, 5700, 5704, 5738
मानव संसाधन विकास	:	5521, 5522, 5523, 5525, 5526, 5529, 5530, 5537, 5552, 5555, 5559, 5564, 5565, 5568, 5569, 5570, 5580, 5586, 5589, 5591, 5594, 5598, 5603, 5604, 5605, 5606, 5608, 5610, 5612, 5614, 5615, 5618, 5628, 5629, 5631, 5634, 5638, 5639, 5646, 5647, 5648, 5650, 5652, 5654, 5658, 5660, 5661, 5668, 5669, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5683, 5689, 5691, 5692, 5694, 5696, 5702, 5705, 5709, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5718, 5719, 5720, 5721, 5723, 5727, 5728, 5729, 5731, 5732, 5733, 5739, 5741, 5749
श्रम और रोजगार	:	5531, 5543, 5548, 5550, 5561, 5571, 5585, 5592, 5595, 5599, 5602, 5621, 5622, 5649, 5655, 5657, 5662, 5663,

		5667, 5679, 5680, 5693, 5699, 5701, 5708, 5717, 5724, 5730, 5742, 5743
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	5539, 5546, 5577, 5620
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	5527, 5567, 5579, 5582, 5635, 5636, 5641, 5643, 5686, 5688, 5697, 5703, 5706, 5722, 5725, 5736, 5740
कौशल विकास और उद्यमशीलता	:	5536, 5578, 5607, 5651, 5664, 5681, 5737, 5746
इस्पात	:	5558, 5583, 5617, 5619, 5637, 5670, 5687, 5690, 5744
पर्यटन	:	5534, 5540, 5544, 5547, 5549, 5551, 5563, 5588, 5590, 5625, 5653, 5695, 5726, 5750
जनजातीय कार्य	:	5524, 5532, 5560, 5572, 5573, 5575, 5581, 5624, 5633, 5656, 5659, 5666, 5682, 5710, 5745, 5748.

दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के वाद विवाद का शुद्धिपत्र

क्रम संख्या	कॉलम	के स्थान पर	पढ़िये
1	629	प्रश्न संख्या 5682 में तीसरे सदस्य का नाम श्री पी आर संदरम के स्थान पर	श्री पी आर सुंदरम

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन **विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली**-110001 (**दूरभाष** : 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

© 2018 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और डीआरवी ग्राफिक्स प्रिंट, 41, इंस्टीट्यूशनल एरिया, डी ब्लाक, जनकपुरी नई दिल्ली-110058 द्वारा मुद्रित।